राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 9 -) सातवीं विधान सभा के नवें सत्र का छठा दिवस (संख्या 4

1] [2

मंगलवार

दिनांक 16-10-84

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न सं. 105

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । श्री रामकंवार बैरवा (अनुपस्थित) (कृपया आगे देखें)

प्रश्न सं. 106

श्री रामसिंह विश्नोई व श्री सूरजपाल सिंह (अनुपस्थित) (कृपया आगे देखें)

श्री दाऊदयाल जोशी व श्री हीरालाल आर्य ।

कैचमेन्ट की अनियमिततायें दूर किये बिना राशि की वसूली

107. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) **व श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा एवं बूंदी जिले में विशेष तौर से पीपल्दा तहसील में हुए कैचमेंट की अनियमिततायें दूर किये बिना ही किसानों से कैचमेंट की भारी रकम जबरन वसूल की जा रही है जिससे वहां के किसानों में भय एवं आतंक व्याप्त है ?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में हुए कैचमेन्ट की भारी अनियमितताओं को दूर करने तक जनहित में वसूलियां स्थगित करने के आदेश प्रदान करेगी ?

मन्त्री, सिंचित क्षेत्र विकास (श्री चन्दनमल बैद) :

(1) यह बात सही नहीं है कि कोटा एवं बूंदी जिले में और विशेष तौर पर कोटा जिले की पीपल्दा तहसील में विभिन्न कैचमेंट मे भूमि विकास कार्यों पर दी गई रकमों को वसूली जबरन की जा रही है। कुछ कैचमेन्ट में शिकायतें प्राप्त हुई थी। अतः पीपल्दा क्षेत्र के ही नहीं वरन् चम्बल सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक कराये गये समस्त कैचमेन्ट के कार्यों में रही कमियों का निराकरण किया जा चुका है....

श्री दाऊदयाल जोशी : असत्य ।

श्री चन्दनमल बैद : वसूली की कार्यवाही राजस्थान भूमि विकास निगम अधिनियम, 1975 के अन्तर्गत नियमानुसार की जा रही है, जो कि अब तक करीब-करीब नगण्य ही है ।

(2)

(श्री चन्दनमल वैद)

(2) तकनीकी दृष्टि से अब ड्रेन/धोरे एवं समतलीकरण आदि से सम्बन्धित शिकायतें दूर कर दी है तथा जो भी और शिकायतें आयेंगी एवं वाजिब पाई जावेंगी उन्हें दूर करने का प्रयत्न किया जायेगा। अतः कैचमेन्ट कार्य के खर्चे की वसूली को स्थगित किया जाना उचित नहीं है।

श्री दाऊदयाल जोशी : मन्त्री महोदय प्रथम तो यह बतायें कि कुल कितनी शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई और कितनी दूर कर दी गयी हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : पहले एक का जवाब दे दूं। कुल 465 शिकायतें प्राप्त हुई थीं उनमें से पीपल्दा की 61 शिकायतें भी थीं उन सारी शिकायतों का 18 लाख रु. खर्च करके निराकरण किया गया है।

श्री दाऊदयाल जोशी : सलूमपुर का ?

श्री चन्दनमल वैद : विशेष तौर से पीपल्दा का ही पूछा है।

श्री दाऊदयाल जोशी : पीपल्दा की भी नहीं दूर हुई है।

श्री चन्दनमल वैद : कुल 465 प्राप्त हुई थीं। बूंदी, कोटा और पीपल्दा का विशेष रूप से पूछा था वहां पर 61 आयी हैं। सब का निराकरण किया जा चुका है।

श्री अध्यक्ष : आपने पूछा ही नहीं है।

श्री दाऊदयाल जोशी : बिल्कुल सत्यता से परे है। मंत्री महोदय कृपा करके बतायें कि सलूमपुर पंचायत समिति के खेड़ली में जो कैचमेन्ट हुआ है आज तक क्या शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है ? मन्त्री महोदय जब कोटा पधारे थे तो शिकायतों का एक बड़ा पुलन्दा उनको दिया था, वह शिकायतें क्या दूर हो गयी हैं जो कि मन्त्री महोदय को उपस्थित की गयी थीं। मैं समझता हूँ कि वे आज तक यथावत बनी हुयी हैं।

श्री चन्दनमल वैद : अक्टूबर, 1982 में शिविरों का आयोजन हुआ जिसमें शिकायतें प्राप्त की गईं। मई, 1983 में शिविर का आयोजन फिर किया गया यह पता लगाने के लिए कि शिकायतें सही हैं या नहीं, उसमें 465 शिकायतों को सही पाया गया कि इनका निराकरण किया जाना चाहिए। राजस्थान लैण्ड डवलपमेंट कार्पोरेशन ने 18 लाख दो बार में, 10 लाख और 8 लाख रुपये आवंटित किये और वह सारा खर्च करके 465 शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है।

श्री दाऊदयाल जोशी : जब आप कोटा पधारे थे तो शिकायतों का बहुत बड़ा पुलन्दा दिया था, वह समस्त शिकायतें दूर कर दीं ?

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य।

आपने जितना पूछा था उतना उत्तर आ गया है।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो अभी कहा कि 61 शिकायतें प्राप्त हुई थीं....

श्री चन्दनमल वैद : पीपल्दा क्षेत्र की।

श्री हीरालाल आर्य : हां। अभी सी. ए.डी. के विभिन्न दफ्तरों में सैंकड़ों शिकायतें अधिकारियों के पास हैं। सैंकड़ों शिकायतों से अभी भी किसान परेशान हैं। कैम्प लगाकर शिकायतें प्राप्त हुईं। एक कैम्प

(श्री हीरालाल आर्य)

लगाया वह भी अनियमित लगाया है, आपके अधिकारी पहुंचे नहीं थे, सब को सूचना प्रोपर नहीं थी, केवल अधिकारी जाते थे सवेरे का टाइम था 10 बजे का और शाम को 5 बजे आते थे। इस तरह से शिकायतें इक्ट्ठी करने का औचित्य भी नहीं था, वहां पर शिकायतें आयी नहीं। आज किसान परेशान हो रहा है। जो धोरों की ड्रेन की लेवलिंग की शिकायतें दूर की, वह असत्य है, XXX किसान परेशान हो रहा है। सैंकड़ों बीघा जमीन सूचना न होने से सूखी रह गई है बार-बार शिकायत की गयी है। सदन को गुमराह करते हैं....

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं। समाप्त करें।

श्री चन्दनमल बैद : मैं नहीं, माननीय सदस्य सदन को गुमराह कर रहे हैं। मैंने साफ बताया है कि 2 शिविर लगाये गये। 465 शिकायतें प्राप्त हुयीं। अगर शिविर समय पर वहां न लगता तो 465 सही शिकायतें कैसे आती। 18 लाख रु. खर्च करके उन शिकायतों को सही कराया है। इसके बाद 6–7 शिकायतें अभी प्राप्त हुई हैं। उनको दिखाया जा रहा है कि ये सही है या नहीं। सही होगी तो निराकरण कर दिया जाएगा.

श्री अध्यक्ष : हरीश शर्मा।

श्री हीरालाल आर्य : खेत में पानी नहीं पहुंचता है....

श्री अध्यक्ष : मैंने अन्य सदस्य का नाम पुकारा है।

श्री हीरालाल आर्य : किसान परेशान है। अध्यक्ष महोदय, किसान के खेत में पानी नहीं पहुंचता है।

श्री चन्दनमल बैद : किसान परेशान नहीं है, माननीय सदस्य परेशान हैं। किसान की शिकायतें दूर हो गयीं इसलिए माननीय सदस्य परेशान हो रहे हैं।

श्री हीरालाल आर्य : आपने अधिकरण स्थापित करने की घोषणा की थी....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर। श्री हरीश शर्मा।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी) : क्या यह सही है कि "क" की अच्छी जमीन "ख" को दे दो और "ख" आपका आदमी है, कांग्रेस का आदमी है। और "क" को खराब जमीन दे दी गयी और उससे वसूली कर ली गयी। वह गरीब आदमी था, वह गरीब का गरीब रह गया। उसको आपने बेरोजगार कर दिया। उसने आपको एप्लीकेशन दी या नहीं दी। यह बात सही है या नहीं है।

एक माननीय सदस्य : इसको ट्रान्सलेट करके लिखो....

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा।

श्री हरीश शर्मा : मैं दुबारा कह रहा हूं। जैसे मेरी अच्छी जमीन तो मन्त्री जी को दे दी गयी और मन्त्रीजी की खराब जमीन मुझे दे दी गयी। इसकी अपील की तो सुनवाई नहीं की गयी। उससे वसूली की गयी। ऐसे आदमी कांग्रेस के थे। यह

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री हरीश शर्मा)

शिकायत आपसे की गयी। बता दो, ऐसी एप्लीकेशन नहीं आयी। अध्यक्ष महोदय, लोगों को लूट लिया, उनकी हालत खराब है। आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : मंत्री महोदय ने बताया कि सारी शिकायतें दूर कर दी गयी हैं। मन्त्री महोदय, ऐसी शिकायत मौजूद है कि अलाटमेंट में तीन चार और पांच बीघा तक जमीन कम कर दी गयी। उन किसानों को 3-3, 2-2 बीघा जमीन दे दी गई है। मैं स्वयं गया हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा हूं क्या कैचमेंट के धोरे ठीक कर लिये गये। ये लेवल की शिकायतें हैं, अध्यक्ष महोदय। पानी नहीं जाता, तीन-तीन फुट पानी भरकर चलता है। कहीं ऐसी सूचना आपको प्राप्त हुई है? अध्यक्ष महोदय, कैचमेंट का जो कार्यक्रम है इतना सफल है किन्तु उसकी क्रियान्विति इस तरह से हुई है कि इस नाम से किसान चिढ़ते हैं। जमीन कम की गई है। वाटर बोर्ड के पाइप ज्यादा लम्बे हैं कि उनसे पानी नहीं जा सकता। जो खेत पहले लेवल में था उसमें अब तीन-तीन फीट पानी भरता है....

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, सारी काल्पनिक बातें कह रहे हैं। इनका निराकरण हो चुका है और ये सारे काम भी जनता पार्टी के....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें। श्री पचेरवाल।

(व्यवधान)

आॅर्डर, आॅर्डर, माननीय सदस्य,

आॅर्डर प्लीज। बैठ जाय। अंकित न हो।

श्री रघुवीरसिंह कौशल XXX

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जांय, माननीय सदस्य, श्री गोपाल पचेरवाल।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : मैं जानना चाहूंगा कि आपको जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनमें किस-किस प्रकार की शिकायतें आपको मिली हैं? टेनेंसी की शिकायतें या रकम की वसूली करने की शिकायतें या भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायतें, किस-किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनका विवरण आप दे दें।

श्री चन्दनमल बैद : ज्यादातर शिकायतें समतलीकरण के बारे में और ड्रेनेज के बारे में प्राप्त हुई और जिसको जमीन मिलनी चाहिये वह जमीन न मिलकर दूसरी जमीन मिल गयी है। इन सारी शिकायतों का निराकरण जो धोरों के बारे में या ड्रेनेज और समतलीकरण के बारे में थीं, उनको 18 लाख रुपया खर्च करके निराकरण कर दिया गया है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। बैठ जांय, माननीय सदस्य। अगला प्रश्न....

(व्यवधान)

आॅर्डर, आॅर्डर। श्री गुलाबचन्द कटारिया।

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

चीनी का कोटा समय पर नहीं उठाना

108. श्री गुलाबचंद कटारिया (उदयपुर) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) प्रांत को जनवरी, 1984 से अगस्त, 1984 तक कितनी चीनी का आवंटन किया गया ? कृपया माहवार सूची सदन के पटल पर रखें । आवंटित चीनी में से कितनी चीनी कब-कब प्राप्त की गयी ?

(2) क्या यह सत्य है कि राज्य में चीनी लाने का काम सहकारी उपभोक्ता संघ करता है, जो समय पर चीनी उपलब्ध नहीं करा सका ?

(3) क्या प्रांत को आवंटित 13 हजार टन राशन की चीनी का कोटा लैप्स हुआ तथा 45 हजार 650 टन चीनी मिलों से उठाना बाकी है ?

(4) क्या इसी कारण गांवों में व शहरों में 2 से 6 माह तक शक्कर का वितरण नहीं हो पाता है ?

राज्य मन्त्री, खाद्य एवं आपूर्ति (**श्री घासीराम यादव**) : (1) सूचना सदन के पटल पर रख दी गयी है। आवंटन से अधिक चीनी जो संघ द्वारा उठायी गयी है उसमें गत वर्ष का बैकलोग शामिल है।

(2) उपभोक्ता संघ अपने वित्तीय साधनों के दायरे में चीनी उठाने का भरसक प्रयत्न कर रहा है।

(3) जनवरी, 84 से अगस्त, 84 तक केवल मात्र 8,444.4 टन लेवी चीनी उठाना शेष रहा है, जिसके वास्ते उपभोक्ता संघ द्वारा मिलों को यथासमय चीनी लदान के निर्देश तथा अमानत राशि भिजवा दी गयी, किन्तु मिलों द्वारा समय पर चीनी नहीं भिजवाये जाने के कारण भारत सरकार को उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अनुरोध कर दिया गया है।

(4) जी नहीं, शहरों में आम तौर से शक्कर का वितरण शीघ्र हो जाता है और गांवों में विभिन्न कारणों से शक्कर के वितरण में थोड़ा विलम्ब हो जाता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री गुलाबचंद कटारिया : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सच है कि उपभोक्ता संघ को इस चीनी लाने हेतु दो करोड़ रुपया राज्य सरकार ने उनको मदद के रूप में दिया हुआ है एक ? क्या ये सच है कि अब तक का बैकलोग जो पड़ा हुआ है वह 45 हजार टन से भी ज्यादा है ? तीसरा, क्या यह भी सच है कि आपने तीन-तीन महीने की इकट्ठी शक्कर शहरों को वितरित की और गांवों को 6 महीने की शक्कर एक साथ उठाने के लिए भी आपने कहा था ? क्या यह सम्भव है कि एक गरीब व्यक्ति 11 यूनिट वालों को, 11 यूनिट की शक्कर चार महीने की एक साथ खरीदने की उसकी परचेजिंग पावर है क्या ?

श्री घासीराम यादव : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि उपभोक्ता संघ को राज्य सरकार ने दो करोड़ रुपये सहायता के रूप में दिया था उसमें से एक करोड़ रुपया उन्होंने वापस राज्य सरकार को चुका दिया। दूसरा जो सवाल माननीय सदस्य का है कि 45 हजार टन का बैकलोग है कि यह बिल्कुल गलत बात है। बैकलोग जो वास्तव में है, बैकलोग का अर्थ यह माने जो कि उठा नहीं पाये तो 7.5 हजार टन

(6)

(श्री घासीराम यादव)

तो पिछले साल और करीब 6 हजार टन इस साल का भी है जो उठा नहीं पाये। अफवाह जो है, गलत है। हमने चिठ्ठी लिखी सप्लाई मिनिस्टर को कि मिलों को अर्नेस्ट मनी दे दी थी उन्होंने जिसको चीनी भेजी नहीं उनके खिलाफ शिकायतें की हैं। उनसे दिलवाइये और दूसरे मिलों से दिलवाइये तो बैकलोग ऐसे जो उठा नहीं पाये वह कुल 13–14 हजार टन है। 45 हजार टन गलत है।

तीसरा, जो सवाल माननीय सदस्य ने किया है, यह बात सही है कि शहरों में चीनी जल्दी मिल जाती है। इसका कारण यह नहीं है कि डिपार्टमेंट की कोई गलती है। यहां उपभोक्ता संघ वगैरह हैं, गांव में ले जाने में बड़ी दिक्कत होती है, उनको कोई मुनाफा भी ज्यादा नहीं होता। उनको आमतौर से 8–10 बोरी एक पंचायत में मिलती हैं जिनका उनको 2.5 रु. कमीशन मिलता है। दस बोरी का अगर ज्यादा मानें तो 25 रु. मिलता है और बोरी मिलती है। तो इस प्रकार 100 रु. पड़ते हैं। इसलिए ले जाने में दिक्कत होती है। इसलिए अप्रेल, मई, जून में ले जाते हैं लेकिन उनको कोटा मिलता रहता है और इसमें राज्य सरकार या डिपार्टमेंट की कोई गलती नहीं है।

श्री गुलाबचंद कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय कृपया इस बात को बताइये कि उपभोक्ता संघ ने समय पर शक्कर ले करके वितरण नहीं किया। मैं आपको सही कह रहा हूँ, केवल उदयपुर के बारे में कह रहा हूँ। तीन महीने की शक्कर दी आपने अगस्त में एक-एक आदमी को 25–25 किलो शक्कर लेनी पड़ती है 125) रु. एक सामान्य कर्मचारी की जेब में नहीं हो सकता और वह शक्कर छोड़ता है और वही शक्कर फिर बाजार में देकर बोरियों की बोरियां एक साथ बिकती हैं और गांव में तो 6–6 महीनों तक शक्कर नहीं दी है। आप चाहें तो ऐसे अनेक गांव निकल जायेंगे उदयपुर जिले के सैंकड़ों गांव निकल जायेंगे जिनमें 6-6 महीने तक शक्कर के दर्शन नहीं हुए, कंट्रोल की शक्कर के और 6 महीने की इकट्ठी शक्कर एक साथ वे नहीं खरीद सकते।

श्री जीतमल जैन (अलवर) : गांव के जो व्यापारी हैं उनको 10–15 बोरी ले जानी पड़ती है एक साथ वह नहीं ले जा सकते। उनको पैसे कम मिलते हैं इसलिए 4–6 महीने की शक्कर एक साथ ले जाते हैं। पहला जो उन्होंने कहा है।

श्री अध्यक्ष : ये नहीं कहा है उन्होंने।

श्री जीतमल जैन : केवल एक महीने, दो महीने वितरण करते हैं बाकी सारी की सारी शहर के अन्दर ब्लैक में बेची जाती है, मन्त्री महोदय को इसकी जानकारी है।

श्री घासीराम यादव : क्या सवाल है, मैं समझ नहीं पाया।

श्री अध्यक्ष : मेरी भी यही कठिनाई है। दुबारा पूछ लीजिए।

श्री जीतमल जैन : मंत्री महोदय ने यह फर्माया अपने उत्तर के अन्दर कि गांव का जो व्यापारी है, जिसको चीनी लेनी है वह 4–6 महीने की चीनी इसलिए साथ लेता है कि 10–10 बोरी एक दिन नहीं ले जाता, एक साथ ले जाने में उसको सहूलियत रहती है। इसका परिणाम यह होता है कि वह यहां से 4–6 महीने की शक्कर एक साथ ले जाकर एक-दो महीने की चीनी का वितरण करता है, बाकी सारी की सारी

(श्री जीतमल जैन)

शक्कर नगर के अन्दर बेच जाता है। मैं यह जानना चाहता हूँ, मंत्री महोदय, को क्या यह जानकारी है कि 6 महीने की शक्कर वहां मिलती है या नहीं ?

श्री घासीराम यादव : माननीय सदस्य के पास कोई स्पेसिफिक शिकायत हो, तो भिजवायें उसकी जांच करायेंगे। आम तौर पर ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है मेरे पास।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री गुलाबचंद कटारिया : क्या उदयपुर के जिला रसद अधिकारी ने आपके डिपार्टमेण्ट को बार-बार इस बात के लिए लिखा है कि आपका उपभोक्ता भंडार हमको समय से शक्कर नहीं दे रहा है और तीन-तीन महीने की शक्कर हमको एक साथ उठानी पड़ रही है ?

श्री घासीराम यादव : अध्यक्ष महोदय, वह उपभोक्ता संघ का दोष नहीं है....

श्री गुलाबचंद कटारिया : उपभोक्ता संघ नहीं, जिला रसद अधिकारी ने आपको चिट्ठियां लिखी हैं कि तीन-तीन महीने की इकट्ठी शक्कर....

श्री अध्यक्ष : इसके बारे में आपने पूछा नहीं, माननीय सदस्य। अगला प्रश्न।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : प्रश्न तो यही है कि वितरण करेंगे कहां से जिला रसद अधिकारी, जब तक उनके पास शक्कर ही नहीं होगी। जब तक अलॉट नहीं होगी तो गांव में कैसे पहुँचायेंगे शक्कर।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अन्य माननीय सदस्य का नाम पुकार लिया।

जिला बूंदी में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को दुकानों का आवंटन

109. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बूंदी में अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के लिए दुकानें निर्माण कराने हेतु कब स्वीकृति प्रदान की गई थी और कितनी दुकानें निर्माण करानी थीं ? कृपया नगर पालिकावार सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) उक्त योजना को सफल बनाने के लिए नगर पालिकाओं के अध्यक्ष के अतिरिक्त प्रशासनिक रूप से किस-किस अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी और क्या उन्होंने अपने कर्त्तव्यों का मुस्तैदी से निर्वहन किया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या जिला बूंदी में सरकार द्वारा दुकानें आवंटित कर दी गयी हैं ? यदि हां, तो कृपया आवंटित दुकानों की सूची मय आवंटियों के नाम, पता, जाति सहित पालिकावार विवरण सदन के पटल पर रखें।

मंत्री, समाज कल्याण (श्री दुलाराम): (1) स्वीकृति दिनांक 23-4-84 को दी गई थी। नगर पालिकावार सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) योजना को सफल बनाने के लिए नगर पालिकाओं के अध्यक्ष के अतिरिक्त जिलाधीश, अतिरिक्त जिलाधीश (विकास), समाज कल्याण विभाग के अधिकारी तथा राजस्थान अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी

(श्री दूलाराम)

गयी थी। सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन किया है।

(3) सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट–2 देखें)

श्री गोपाल पचेरवाल: माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने मुझे सूची दी है नगरपालिकावार। मैं जानना चाहूँगा कि मंत्री महोदय नगर पालिकावार बतायें कि किन-किन नगर पालिकाओं में स्वीकृत दुकानें पूर्ण हुई हैं, या नहीं। आपने जो सूची दी है--लाखेरी, केशोरायपाटन, बूंदी, नैनवा, कापरेन व इन्द्रगढ़, यह सब बूंदी जिले की नगर पालिकायें हैं। इनमें जो दुकानें स्वीकृत की गयी है वह दुकानें पूर्ण रूप से आवंटित की गई हैं और क्या उनका कब्जा दे दिया गया है आवंटियों को ?

श्री दुलाराम : माननीय अध्यक्ष जी, हम दुकानें अलॉट करने के बाद म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा उस आदमी को 5 हजार रुपये की सब्सिडी देते हैं। चूंकि हम म्यूनिसिपैलिटी को तो सब्सिडी देते नहीं, इसलिए जब तक व्यक्ति तय नहीं हो हम सब्सिडी नहीं दे सकते। जैसे ही हमने नाम तय किये है हमने पांच हजार रुपये अनुदान के नाम पर म्यूनिसिपैलिटी को डी.आर.डी. के मार्फत भिजवा दिये कि म्यूनिसिपैलिटी फलां जगह दुकानें निर्मित करेगी। म्यूनिसिपैलिटी ने अपना नक्शा दे रखा है उस नक्शे के मुताबिक दुकानें निर्मित करेगी। उस नाम पर ही उसको ऋण की व्यवस्था जिलाधीश, डी.आर.डी. के ए.डी.एम. और मेरे विभाग के अधिकारी करेंगे।

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, केशोरायपाटन में 25 दुकानें आवंटित कीं। आपने अपनी सब्सिडी का पैसा कलेक्टर के द्वारा नगर पालिकाओं को दे दिया। मैं जानना चाहूँगा, क्या दुकानें कम्प्लीट हो गई ? दुकानों की स्वीकृति 3-4-84 को हुई और आज अक्टूबर चल रहा है। अभी तक दुकानें बनी या नहीं बनीं ? इसमें आपका कलेक्टर दोषी है या आपका चेयरमैन दोषी है ? अध्यक्ष महोदय, हमारे बूंदी जिले का कलेक्टर अरविंद रायरा निश्चित रूप से शिड्यूल्ड कास्ट विरोधी है। केशोरायपाटन में आज एक भी दुकान उसने नहीं बनवाई जबकि हमने कई बार आग्रह किया। हमारे चेयरमैन वहां गये, केशोरायपाटन लेकिन एक दुकान का निर्माण नहीं कराया गया। आपने इस बारे में क्या एक्शन लिया ? मैंने आप से निवेदन किया था कि बूंदी कलेक्टर शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों की उपेक्षा कर रहा है, वह दुकानों का निर्माण नहीं कराना चाहता। क्योंकि वह वित्त मन्त्री को पापा कहकर पुकारता है और उनकी सेवा में 24 घण्टे हाजिर रहता है इसलिए शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों का कोई ध्यान नहीं है। इस बारे में आप क्या कर रहे हैं, कब दुकानों का निर्माण करवा रहे हैं, कब उन लोगो को आवंटित करवा रहे हैं ?

श्री दुलाराम : माननीय अध्यक्ष जी, म्यूनिसिपैलिटी, केशोरायपाटन के अध्यक्ष ने बताया कि मेरे पास जमीन नहीं है। हमने रेवेन्यू की जमीन को आबादी भूमि में कन्वर्ट करके दुकानों के लिए व्यवस्था की है। दुकानें अभी बनना शुरू नहीं हुई है, जैसी कलेक्टर ने रिपोर्ट दी है मगर हम जल्दी इसकी व्यवस्था कर देंगे।

श्री गोपाल पचेरवाल : जमीन क्यों नहीं दी गयी ? कलेक्टर ने नगर पालिका

(श्री गोपाल पचेरवाल)

द्वारा आबादी भूमि में उस जमीन को कन्वर्ट करने की कार्यवाही क्यों नही की? छः महीने हो गये अब तक क्यों नहीं हुई?

श्री अध्यक्ष : श्री मांगीलाल ।

श्री मांगीलाल आर्य (जालोर) : अध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्मित यह दुकानें शिड्यूल्ड कास्ट्स को अलॉट कर रहे हैं। इसमें 20 प्रतिशत बाल्मिकीयों के लिए रिजर्व किया है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या इस आदेश की प्रति सारी नगर पालिकाओं को गई है? जहां तक मैंने पता किया है, नगरपालिकाओं के पास इस तरह का आदेश नहीं पहुंचा।

श्री दुलाराम : माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न का सवाल है, यह सही है कि हमने अनुसूचित जातियों में भी उस जाति को, जिसको हर समाज यह महसूस करता है कि यही वास्तव में हरिजन है, 20 प्रतिशत आरक्षित किया है कि हम उनको 20 प्रतिशत दुकानें अलॉट करेंगे। अब यह मेरा ही दुर्भाग्य है कि जिस किसी भी माननीय सदस्य ने, जन प्रतिनिधि ने, डी.आर.डी., म्यूनिसिपैलिटी के अध्यक्ष ने, किसी भी एजेन्सी ने उनका नाम लिया, उस कम्यूनिटी के जितने भी नाम हैं मैंने उनका नाम लिख दिया। यह अलग बात है कि मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जानता नहीं कि कौनसी म्यूनिसिपैलिटी को नौकरी पर है या नहीं, पाने का हकदार है या नहीं। जितने नाम आये हैं उनमें ज्यादातर नामों को एडजस्ट करने की कोशिश की है। भविष्य के लिए एक ही निवेदन कर सकता हूं कि आगामी साल में, इस साल तो 3 हजार दुकानों का अलॉटमेंट करेंगे, आप मुझे 20 प्रतिशत नाम बताना उन व्यक्तियों को ही अलॉट करने की कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री सूर्य कुमार।

श्री सूर्य कुमार (नैनवा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूँगा कि आपने जो सब्सिडी 5 हजार रुपये की प्रति दुकान देने की योजना बनाई है और 5 हजार रुपये का ऋण किसी बैंक से दिलाने की योजना बनाई है, क्या यह सही है कि 5 हजार का ऋण बैंकों से इसलिए नहीं मिल रहा है कि सम्बन्धित नगर पालिकायें आवंटित दुकानों के जो सम्बन्धित भूखण्ड हैं उनका पट्टा जारी नहीं कर रही है? उनका पट्टा जारी नहीं होने के कारण जो सब्सिडी दी है पांच हजार की, वह बेकार पड़ी है, दुकानें अधूरी पड़ी हैं। क्या आप कोई ऐसा तरीका निकाल रहे हैं कि, जिससे नगर-पालिकायें उन भूखण्डों का पट्टा उन आवंटियों के नाम कर दें?

श्री दुलाराम : माननीय सदस्य श्री गोपाल जी पचेरवाल जी ने भी प्रश्न पूछा था और माननीय सदस्य भी पूछ रहे हैं। वहां का जिलाधीश कुछ कन्फ्यूज्ड है और वहां की म्यूनिसिपैलिटी का अध्यक्ष भी कुछ कन्फ्यूज्ड है। उनका मानस यह है कि जो नाम वह भेजें उनको सरकार स्वीकार कर ले। यह जरूरी नहीं है। राज्य सरकार ने यह तय किया है कि जन प्रतिनिधि, कोई भी एजेन्सी जो नाम देगी उनमें से ऐसे नामों का चयन करना है जो गरीब आदमियों के हैं, डी. आर. डी. जो नाम भेजेगी उसमें से भी चयन करेंगे, अध्यक्ष जी भी जो नाम भेजेंगे उनको भी देखेंगे। मगर जिलाधीश ने वहां यह रुख दिखाया कि वहां वह इसलिए नाम तय नहीं कर पा रही है, इसलिए नहीं दे पा रही है कि म्यूनिसि-

(श्री दुलाराम)

पॅलिटी की लिस्ट स्वीकार नहीं की जायेगी जबकि राज्य सरकार ने पालिसी तय की है कि राज्य सरकार उन नामों में से ही चयन करेगी जो एजेन्सी भेजेगी, अपनी तरफ से कोई नाम हम नहीं देंगे। जो एजेन्सी नाम भेजेगी उन नामों में से ही तय करके भेजेंगे, उन नामों में ही दुकानें अलॉट होंगी, उनके नाम से ही अनुदान देंगे। मगर, या तो आप जो कह रहे हैं वह सच है या जिलाधीश, बूंदी का यह मानना है जिसे हम सुधारने की कोशिश करेंगे। इस तरह से पहले भी एक मीटिंग हुई थी उसमें भी मैंने एक बात उनको कही थी कि 26-27 जिलों के कलेक्टर्स की यह जिम्मेदारी है, राज्य सरकार चाहती है कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को अरबन एरिया में अच्छी से अच्छी जगह दुकानें मिलें। कलेक्टर अगर व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो हम यह महसूस करेंगे कि वह कलेक्टर हरिजन विरोधी है, न कि हरिजन के पक्ष का। मगर हम कलेक्टर, बूंदी का रवैया चेन्ज नहीं कर पा रहे हैं, हम ऐसा महसूस करते हैं। मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा, मैं मेरी तरफ से पत्र लिखूंगा कि 27 जिले ही क्यों न हों ऐसे जितने कलेक्टर्स हैं उनके खिलाफ अनुशासनात्मक या जो भी कार्यवाही हो सकती है वह करने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

ऑर्डर, अंकित न हो। अगला प्रश्न।

श्री गोपाल पचेरवाल : XXX

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

श्री हीरालाल आर्य : XXX

श्री मेघराज तावड़ : XXX

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है, कृपया बैठ जायं।

अनेक माननीय सदस्य : XXX

श्री अध्यक्ष : बैठें, मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है।

अनेक माननीय सदस्य : XXX

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। कृपया बैठ जायं।

अनेक माननीय सदस्य : XXX

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जायं। ऑर्डर, कृपया बैठ जायं। समय न लें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर। आर्डर प्लीज। अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

अंकित न हो।

श्री गोपाल पचेरवाल : XXX

वैद्यों के पंजीयन में अनियमितता

110. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

(1) क्या यह सही है कि बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसन, राजस्थान, जयपुर में सन् 1960 से 67 तक वैद्यों के सैकड़ों फर्जी पंजीयन पत्र जारी किये हैं जिनका कार्यालय रेकार्ड में इन्द्राज नहीं है और न ही इनकी पत्रावलियां हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रकार के फर्जी पंजीयन के सम्बन्ध में राज्य सरकार को शिकायतें अथवा जानकारी प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(3) इस प्रकार के प्रमाण-पत्र देने वाले अधिकारी कौन हैं तथा सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

एक माननीय सदस्य : XXX

श्री अध्यक्ष : एक्सपंज।

राज्य मंत्री, आयुर्वेद (श्री दिनेश डांगी): (1) इस अवधि में सम्बन्धित चार ऐसे मामले जानकारी में आये हैं जिन्हें पंजीयन पत्र जारी हुए परन्तु उनके नाम बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसन जयपुर के कार्यालय रेकार्ड में दर्ज नहीं हैं।

(2) जी हां। मामला देखा जा रहा है।

(3 ये प्रमाण-पत्र तत्कालीन रजिस्ट्रार श्री महावीर प्रसाद भारद्वाज द्वारा किये गये हैं। इस प्रकार के प्रमाण-पत्र जारी किये जाने बाबत बोर्ड आफ इण्डियन मेडिसन, जयपुर से पत्र दिनांक 29-6-1984 तथा 14-7-1984 प्राप्त हुए जिस पर पत्र दिनांक 1-8-1984 के द्वारा मामले से सम्बन्धित सूचना बोर्ड के रजिस्ट्रार से मांगी गई। बोर्ड का उत्तर उनके पत्र दिनांक 10 तथा 27 अगस्त, 1984 के द्वारा भेजा गया। इस मामले पर अग्रिम कार्यवाही बाबत निर्णय लिए जाने के पूर्व श्री भारद्वाज से पूछताछ की जा रही है।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मामला बड़ा गम्भीर है। इनके विभाग से कई व्यक्तियों को फर्जी रजिस्ट्रेशन्स इश्यू किये गये हैं। इसलिए बहुत ही गम्भीरता से उत्तर दें। मेरे कुछ प्रश्न हैं, पहला प्रश्न यह है कि....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न जो आपने पूछा उसका उत्तर उन्होंने दे दिया। अब आप पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, आप दुबारा प्रश्न पढ़ रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : पूरक प्रश्न है वही पूछ रहा हूं। पहला प्रश्न यह है कि विभाग को यह सूचना किसने दी या विभाग ने स्वयं ने इस प्रकार के फर्जी पंजीयन के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया—नम्बर एक ? सबसे पहले कब पता लगा कि फर्जी रजिस्ट्रेशन्स हो गये हैं—नम्बर दो। तीसरा यह है कि श्री महावीर प्रसाद भारद्वाज इसके लिए जिम्मेदार हैं फिर उसमें आगे क्या कार्यवाही करेंगे, उन्हीं से पूछ रहे हैं, महावीरप्रसाद भारद्वाज शायद भैरूलाल जी भारद्वाज के रिश्तेदार हैं....

श्री भैरूलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़): भारद्वाज तो एक ऋषि हुए हैं, उनके रिश्तेदार तो आप भी हो सकते हैं, हजारों करोड़ों की तादाद में भारद्वाज हैं। (क्रमशः)

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय मन्त्री महोदय फर्जी सर्टीफिकेट इश्यू हो गए हैं। जो रजिस्ट्रेशन्स होते हैं उनका गजट में साया होता है। इसमें 4 मामलों का पता लगा है। उसमें एक मामला जिनका रजिस्ट्रेशन नम्बर 6280 है, गजट में 6280 अंकित कराया गया है श्री जगदीश प्रसाद वह तो सही है और इसी नम्बर पर दूसरा रजिस्ट्रेशन इश्यू किया 6280 पर श्री राम नारायण शर्मा—एक ही नम्बर पर आपने दो रजिस्ट्रेशन इश्यू किए हैं, सही तो गजट में छाप दिया गया और फर्जी गजट में नहीं आया। इसी प्रकार दूसरा सर्टीफिकेट श्री नन्दलाल मामरिया इनका नम्बर 6283 गजट में साया किया गया और इसी नम्बर पर, 6283 नम्बर पर ही श्री रामचन्द्र शर्मा को दूसरा सर्टीफिकेट जारी कर दिया गया। तीसरा क्रमांक 6302 गजट में छपा वह तो सही आदमी है....

श्री अध्यक्ष : इस बात को स्वीकार कर रहे हैं मन्त्री जी।

श्री भंवरलाल शर्मा : प्रेमसिंह को दिया....

श्री अध्यक्ष : वह इन्होंने स्वीकार कर लिया कि फर्जी सर्टीफिकेट इश्यू हुए हैं, कार्यवाही की जा रही है।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, कार्यवाही नहीं की जा रही है। मैं जानकारी करना चाहता हूँ मंत्री महोदय से कि आपको सूचना कब मिली, वार ही फर्जी रजिस्ट्रेशन्स हुए है या और भी हो गये हैं, जब से पता लगा क्या-क्या कार्यवाही की गई और उन्हीं से पूछ रहे हैं....

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट कहा है कि बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसन, जयपुर से पत्र दिनांक 29-6-1984 तथा 14-7-1984 प्राप्त हुए, जिस पर पत्र दिनांक 1-8-1984 के द्वारा मामले से सम्बन्धित सूचना बोर्ड के रजिस्ट्रार से मांगी गई है। श्री महावीर प्रसाद भारद्वाज अभी डिप्टी-डाइरेक्टर हैं उनसे अलग से स्पष्टीकरण मांगा है....

श्री अध्यक्ष : उनसे अलग से स्पष्टीकरण मांगा है।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, 29-6-1984 को प्रमाण पत्र जारी किये जाने बाबत बोर्ड से पत्र प्राप्त हुए और उसके बाद यह पता लगा कि फर्जी सर्टीफिकेट जारी करने वाले श्री महावीर प्रसाद भारद्वाज हैं....

श्री दिनेश डांगी : यह वह जानकारी है जो मुझे बोर्ड से मिली है।

श्री भंवरलाल शर्मा : फर्जी कार्यवाही हुई है, इस बात का पता लग गया तो पुलिस में मामला क्यों नहीं दिया गया।

श्री दिनेश डांगी : विभाग ने जो जानकारी दी है वह मैंने आपको दी है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, अगला प्रश्न तो हो जाएगा। सारी फर्जी कार्यवाही हो रही है तो पुलिस में कार्यवाही क्यों नहीं दी गई ?

एक माननीय सदस्य : फर्जी कार्यवाही हुई और अभी भी हो रही है।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं यह जानकारी करना चाहता हूँ कि महावीर प्रसाद भारद्वाज के खिलाफ और भी मामले पेश हैं....

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

(व्यवधान)

अंकित न हो ।

श्री भंवरलाल शर्मा : XXX

श्री दाऊदयाल जोशी : XXX

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो ।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : XXX

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अंकित नहीं हो रहा है । कृपया बैठ जायं ।

मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है । अंकित न हो ।

श्री भंवरलाल शर्मा : XXX

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । अंकित न हो ।

श्री दाऊदयाल जोशी : XXX

श्री अध्यक्ष : श्री चाव खां....

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय कृपया विराज जायं । माननीय सदस्य, आर्डर बैठ जायं । अंकित न हो ।

श्री भंवरलाल शर्मा : XXX

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायं । श्री चाव खां । आर्डर, आर्डर अंकित न हो ।

श्री दाऊदयाल जोशी : XXX

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो ।

श्री चाव खां ।

गोपालगढ़ (भरतपुर) में कब्रिस्तान की भूमि पर अतिक्रमण

111. श्री चाव खां (कांमा) : क्या वक्फ मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि जिला भरतपुर के कस्बा गोपालगढ़ में कदीमी कब्रिस्तान पर कुछ व्यक्तियों द्वारा मकान तामीर कर लिए गए हैं ? यदि हां, तो किस किस ने ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि वक्फ बोर्ड की तरफ से किसी अधिकारी को भेज कर इसकी जांच भी करा ली गई है ? यदि हां, तो सरकार इस अतिक्रमण को हटाने हेतु क्या कार्यवाही करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमदबक्श सिन्धी : (1) जी हां परन्तु राजस्थान राज पत्र में इस कब्रिस्तान का प्रकाशन नहीं हुआ है । सूची सदन की पटल पर रख दी गई है ।

(2) जी हां । राज्य सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड को नियमानुसार कार्यवाही, वक्फ सम्पति को नाजायज काबजान के कब्जे में है उसे बेदखल करने के आदेश दिनांक 27-7-1984 को दिये गये थे ।

XX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(14)

(श्री अहमदबक्श सिन्धी)

वक्फ बोर्ड मुराद खां व अन्य नाजायज काबजान के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक भू-गृहा आदि (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) अधिनियम 1964 के अन्तर्गत कार्यवाही करने जा रहा है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री चाव खां : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि श्री मुराद खां जो कि राजस्थान वक्फ बोर्ड के सदस्य भी हैं। इस पर उन्होंने नाजायज तरीके से अपना मकान भी कब्रिस्तान में बनवा लिया है। इसके साथ ही वह बोर्ड के सदस्य भी है। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या यह भी सच है कि ये राजस्थान वक्फ बोर्ड के सदस्य हैं और सदस्य होने के कारण कदीमी कब्रिस्तान पर पक्का मकान कायम किया है और यह सच है तो सरकार क्या उसको अलहदा करने का इरादा रखती है।

दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि जैसा कि माननीय मन्त्री महोदय ने बताया कि यह अभी तक कदीमी कब्रिस्तान है और जिसके लिये शिकायत होने पर सरकार ने अपना अधिकारी वहां पर भेजा और उन्होंने रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को दी है। वह रिपोर्ट क्या है और क्या वह रिपोर्ट आपको फाइल में है :

(व्यवधान)

श्री अहमदबक्श सिन्धी : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि माननीय सदस्य ने खुद ने शिकायत की थी और दूसरों ने भी शिकायत की थी कि श्री मुरादखां ने इस कब्रिस्तान पर जो कि कदीमी कब्रिस्तान है, एक मकान और दुकानें बना ली हैं। उसकी एन्क्वायरी राज्य सरकार की ओर से चल रही है, अभी उसका फैसला नहीं हुआ है, शहादत होनी है। माननीय सदस्य की शहादत भी ली जायेगी और रिपोर्ट भी मंगवाई है उस पर उनका नाम भी अंकित है। सदन की मेज पर जो फहरिस्त रखी गई है उसमें भी मुरादखां जी का नाम है लेकिन जब तक एन्क्वायरी में साबित नहीं हो जाय तब तक उसको दोषी नहीं मान सकते।

राजस्थान में शायद हिन्दुस्तान के किसी भी प्रान्त में ऐसा नहीं, हमारे यहां एस्टेट आफिसर कायम है जो वक्फ बोर्ड की जमीनों से बेदखली का काम करेगा और उसमें आपका कब्रिस्तान भी

(व्यवधान)

शामिल है। जिस कब्रिस्तान का जिक्र माननीय सदस्य ने किया है उसके लिए एस्टेट आफिसर एन्क्वायरी करके फैसला देगा, उस पर अमल किया जायेगा। जहां तक नाजायज कब्जों का ताल्लुक है, राजस्थान भर की वक्फ प्रोपर्टी पर नाजायज कब्जे हैं उनसे बेदखल करने की कार्यवाही की जा रही है और उनकी हदें डिटरमिन कर दी गई हैं।

श्री चाव खां : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मन्त्री महोदय ने बताया कि सबूत आने पर उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी, जब आपका अधिकारी वहां पर पहुंचा और एक बार ही नहीं, दो बार पहुंचा और पूरी रिपोर्ट दी गई और उसके बाद दूसरा अधिकारी जिसने हाल ही में रिपोर्ट बनाकर दी है, उसके बाद भी आप क्या सबूत चाहते है? सारी बात साबित हो गई, लिस्ट आपको दे दी, मकान वहां पर बना रखा है। सदन के माननीय सदस्य हैं, क्या सरकार, उसका कब्जा हटायेगी। उसका कब्जा हटेगा तो दूसरों को भी सबक

(श्री चाव खां)

मिलेगा कौनसा सबूत पेश करवाना चाहते हैं वह हमें बतायें।

श्री अहमदबक्श सिन्धी : अध्यक्ष महोदय, यह एन्क्वारी सेकेट्री वक्फ डिपार्टमेंट कर रहा है, कौनसा सबूत काफी है या कौनसा नाकाफी यह उनके डिस्क्रिएशन की बात है।

(व्यवधान)

आप सुन लीजिये मेरी बात। यह उनके डिस्क्रिएशन का सवाल है। वह जैसे ही रिपोर्ट करेगा राज्य सरकार उस पर अमल करेगी और साबित हो गया कि अनाधिकृत कब्जा किया है तो एस्टेट ऑफिसर द्वारा उसको हटाया जाएगा और उसके खिलाफ कार्यवाही साबित नहीं हुई तो कोई कार्यवाही नहीं की जायगी।

(व्यवधान)

श्री राज बहादुर (भरतपुर) : आपके रिकार्ड में चीज आ गई फिर आप क्यों नहीं कदम उठा रहे हो, क्यों उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हो।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, यह सूची का हेडिंग पढ़ें तो स्पष्ट हो जायेगा—कब्रिस्तानों पर नाजायज काबजानों की सूची। इसका मतलब नाजायज कब्जे हैं, फिर क्या सबूत चाहिये।

श्री अध्यक्ष : यह तो विभाग का पक्ष है, दूसरे पक्ष की सुनवाई भी करनी पड़ती है; सबूत पेश करने पड़ते हैं, यह तो एक पक्ष है।

श्री भूपालसिंह (निम्बाहेडा) : यूनियन मिनिस्टर साहब ने यह कहा था कि कब्रिस्तान की जमीन जहां पर मुसलमान पापूलेशन मौजूद है उस पर न तो मकान बनाये जा सकते हैं और न किराये पर दी जा सकती है। तो यह प्रूफ तो हो गया, फिर एन्क्वायरी किस बात को।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है माननीय सदस्य

अगला प्रश्न।

श्री चाव खां : मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि जब तक यह साबित न हो, साबित तो वैसे हो चुका है, दो रिपोर्ट आ चुकी हैं, इसके बावजूद भी एन्क्वायरी करना चाहते हैं तो अपनी सदस्यता से तो खत्म करें।

श्री अहमदबक्श सिन्धी : आपकी बात समझ में नहीं आई, दुबारा फरमावें।

श्री चाव खां : दो दफा जांच कराने के बाद यह साबित हो गया कि नाजायज कब्जा है जैसा कि लिस्ट में भी आ गया है। दूसरी बात जब तक एन्क्वायरी चले वक्फ बोर्ड की सदस्यता से तो अलग किया जाय।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न—श्री हंसराज

मोरेल बांध की मरम्मत हेतु क्रय की गई मशीनों का संधारण

112. **श्री हंसराज शर्मा (सवाई-माधोपुर)** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि जिला सवाई माधोपुर में आई बाढ़ से मोरेल बांध टूट गया था? क्या उसको बनाने में सरकारी मशीनों का उपयोग किया गया था? यदि हां, तो उन मशीनों द्वारा कुल कितनी

(श्री हंसराज शर्मा)

लागत का काम किया गया तथा उन पर आयल, डीजल व पेट्रोल का कुल कितना खर्चा किया गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि मोरेल बांध को बनाने में काम आई मशीनों की टूट फूट तथा उनकी मेन्टीनेन्स का सामान लालसोट से खरीदा गया था ? यदि हां, तो किसके द्वारा किस फर्म से एवं उस पर कुल कितनी राशि व्यय की गई ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त मशीनों हेतु खरीदे गए सामान के काफी बिलों में सेल्स टैक्स नम्बर तथा प्रोप्राइटर का कोई नाम व पता नहीं है ? यदि हां, तो उस फर्म से सामान किस आधार पर खरीदा गया।

राज्य मन्त्री सिंचाई (श्री दिनेश डांगी) : (1) जी हां, यह सही है कि 1981 में अतिवृष्टि के कारण मोरेल बांध टूट गया था और इसके पुनर्निर्माण में सरकारी मशीनों का भी उपयोग किया गया था। इन मशीनों द्वारा कुल 31 लाख रुपये का कार्य करवाया गया था तथा इन मशीनों पर आयल, डीजल, व पेट्रोल पर 9.51 लाख रुपया व्यय किया गया था।

(2) मोरेल बांध को बनाने में काम आई मशीनों की टूट फूट तथा उनकी मेन्टीनेन्स का सामान लालसोट से भी खरीदा गया था जो कि मोरेल बांध पर कार्यरत सहायक अभियन्ताओं द्वारा विभिन्न फार्मों से जिनकी सूची संलग्न है 3.90 लाख रुपये का खरीदा गया था।

(3) बिलों में सामान्यतः प्रोप्राइटर का नाम नहीं दिया जाता है। किन्तु उक्त सामान की खरीद के बिलों पर फर्म का नाम व पता अंकित है। केवल कुछ फर्मों के सेल्स टैक्स नम्बर अंकित नहीं है ऐसी फर्मों से नियमानुसार सबसे कम बाजार दर पर सामान खरीदा गया।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–4 देखें)

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जो सरकारी मशीनरी से काम किया गया, जो कि नई मशीनें थीं, कुल मिलाकर 128 मशीनों से काम किया, उनसे 31 लाख रुपयों का काम कराया गया, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या आपने इतनों दिनों तक 31 लाख रुपयों का ही काम किया और क्या वह भी सही है कि ये मशीनें कान्ट्रेक्टर्स ने भी चलाई थी और उन्होंने चलाई तो कितना काम किया ?

दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि आपने मुझे यह सारी फर्मों की लिस्ट दी है इसमें यह बताया गया कि 43 फर्मों से तीन लाख 90 हजार रुपयों का सामान खरीदा गया लालसोट से और इन सारी मशीनों की मेन्टीनेन्स पर 4 लाख 45 हजार का काम किया गया। एक लाख पचपन हजार का माल बाहर से आया। मैं जानना हूं कि 43 फर्मों में कितनी फर्म ऐसी हैं जिनके पास रजिस्ट्रेशन नम्बर और सेल्स टैक्स नम्बर नहीं हैं और उसने कितनी राशि का सामान खरीदा गया।

श्री अध्यक्ष : यह आपने पूछा नहीं है अब आप जो पूछ रहे हैं वह तो बहुत अधिक विस्तृत जानकारी पूछ रहे हैं। यह अलग से प्रश्न है पूछे कृपया आप जो पूरक पूछें, वह प्रश्न के दायरे में पूछें।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने लिस्ट में दिया हुआ है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप बहुत ही गहराई में जा रहे हैं। जो सूची में दिया हुआ है उसकी परिधि में ही प्रश्न पूछें।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने खुद ने स्वीकार किया है, जब मन्त्री महोदय पिछली बार एक कट मोशन का जब जबाब दे रहे थे तब इन्होंने खुद ने स्वीकार किया था कि डेड लाख रुपये से ऊपर फर्जी बिल लालसोट की फर्म के आये हैं और उसमें आपने कहा था कि उसमें जांच हो रही है। उसी संबंध में मैंने पूरक प्रश्न पूछा है।

सिचाई मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा हैं वह, मोरेल बान्ध पर मिट्टी को गीला करने, वहां पर कानसोलीडेशन का काम करने, वहां तराई का काम करने के लिये, डिपार्टमेन्टल काम करने के लिये, किया था। आपको यह कह रहे हैं कि जो 43 फर्मों से माल लिया गया उसमें लालसोट की फर्मों से लिया। जो माल लिया गया उसमें सेल्स टैक्स के नम्बर उन फर्मों के पास नहीं थे, इसमें 13 फर्म ऐसी थी जिनके पास सेल्स टैक्स के नम्बर नहीं थे, और उनसे शायद 1 लाख 38 हजार रुपये का सामान परचेज किया गया था इसमें एक लाख 36 हजार का माल जो खरीदा गया था उसके लिये सेल्स टैक्स के नम्बर अंकित नहीं थे। और दो लाख 53 हजार और 919 रुपये का जो माल परचेज किया गया उसमें सेल्स टैक्स के नम्बर अंकित थे। ऐसी फर्मों का एनुअल टर्न ओवर राजस्थान सेल्स टैक्स के अनुसार तीन लाख रुपये से कम है उनको सेल्स टैक्स नम्बर लेने की आवश्यकता नहीं है।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि जब आपने यह कहा कि उनके सेल्स टैक्स नम्बर लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनका टर्न ओवर तीन लाख रुपये से कम है तो फिर आपने जो सदन में उस समय आश्वासन दिया था और स्वीकार किया था कि डेढ लाख रुपये के फर्जी भुगतान किये उसकी जांच कर रहे हैं। जब आपने खुद ने स्वीकार किया और जब जांच हो रही है तो उस जांच का जवाब क्या आया, वह तो मेरे पास लिखा हुआ नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह आपका प्रश्न अलग प्रश्न है आप किसी अन्य प्रश्न के उत्तर में मन्त्री जी ने कहा कि जांच कर रहे हैं और उसको आप इस प्रश्न के उत्तर में ला रहे हैं। यह जांच का जो विषय है यह विभागीय चर्चा का विषय है।

श्री हंसराज शर्मा : नहीं अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिये, निवेदन करना चाहता हूं कि जब तीन लाख 90 हजार की परचेज हुई है उसमें जिन फर्मों से परचेजिंग की गयी है उनका साल में इतनी बिक्री का टर्न ओवर ही नहीं है। विभागीय अधिकारियों ने मिलकर फर्जी किताबें छपवाई और बिल काटे हैं जो कि सभी फर्जी बिल हैं।

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, यह जो आरोप लगा रहें है वह सभी निराधार हैं क्योंकि जहां जहां छोटी-छोटी परचेजेज ए. ई एन. लेवल पर जब होती हैं और आपने भी जो सूची दी हुई उसमें देखा होगा कि कोई बिल 145) रुपये का है कोई 100) रुपये का है। इसमें कोई भी 10 या 25 हजार का बिल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जो सामान खरीदा गया है उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और वाकई इसमें बहुत बड़ा घपला हुआ है । डेढ दो लाख रुपये के फर्जी बिल अधिकारियों के द्वारा काट कर भुगतान किया गया है, इसकी जानकारी इनको नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें ।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, लालसोट में इस नाम की फर्म ही नहीं है ।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, अगर कोई जांच चल रही है, तो उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है । जहां तक घपला या घोटाला की बात है जो फैक्ट्स मेरे सामने आये हैं उसके आधार पर कोई घोटाला मैंने नहीं पाया है और अगर माननीय सदस्य के पास तथ्य हों, तो वह मुझे दे दें, मैं उसकी जांच कराने को तैयार हूं ।

113. (**श्री अध्यक्ष**) **श्री सुरजाराम टांक** ।

(अनुपस्थित)

(कृपया आगे देखें)

श्री देवीसिंह भाटी ।

दांतौर-गौड़ सड़क निर्माण

114. श्री देवीसिंह भाटी : (कोलायत) क्या सिंचित क्षेत्र विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि एफ. 10 (27) सी. ए. डी. । 83 दिनांक 22-10-83 एवं 1-12-83 की स्वीकृति निर्देश पर दांतौर से गौड़ सड़क निर्माण हेतु वर्ष 1984-85 के बजट में 79.55 लाख राशि प्रावधान रखते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग, बीकानेर को कार्य करने हेतु लिखा गया था ?

(2) उक्त 50 कि. मी. सड़क निर्माण हेतु 1984-85 में बजट प्रावधान रखते हुए किस आधार पर स्वीकृत जारी की गई व किन कारणों से सड़क निर्माण रोकने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को लिखा गया ?

(3) वर्ष 1983-84 में 4.09 लाख रु. की राशि किस कार्य पर खर्च की गई ? सड़क पर खर्च की जाने वाली राशि सहित, सड़क का पूर्ण ब्यौरा कृपया सदन के पटल पर रखें ।

सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) वर्ष 1983-84 में दांतौर-गौड़ सड़क निर्माण हेतु 40 लाख रुपये की स्वीकृति दिनांक 1 दिसम्बर, 1983 को जारी की गई ।

(2) वर्ष 1984-85 में सड़क निर्माण हेतु 87.50 लाख रुपये के प्रावधान पूर्व में स्वीकृत सड़कों को पूर्ण करने के लिये रखे गये थे । परन्तु वर्ष 1983-84 के अन्त में आयोजना विभाग द्वारा स्टेज परियोजना की आयोजना सीमा में कटौती कर 100 लाख रुपये के स्थान पर केवल 24 लाख रुपये के ही प्रावधान रखे जिनका उपयोग वन विकास के लिये किया जाना था । अतः वर्ष 1983-84 में उक्त सड़क पर कार्य चालू नहीं किया गया था । वर्ष 1984-85 में स्टेज में सड़कों के लिये 87.50 लाख

(श्री चन्दनमल बैद)

रुपये के प्रावधान रखे थे। विश्व बैंक तथा भारत सरकार बार-बार लिखे रहे हैं कि स्टेज के फेज-II के कार्य शीघ्र पूर्ण किये जावें। परन्तु वित्तीय प्रावधान आवश्यकता से कम थे। अतः उक्त प्रावधानों को द्वितीय फेज को शीघ्र पूर्ण करने के लिये काम में लिया जा रहा है।

(3) वर्ष 1983-84 में स्टेज में 13.83 लाख रुपये वन विकास एवं 52,126 रुपये सड़कों पर खर्च किये गये जिसमें 35,542 रुपये दांतौर से गोड़ 8,184 रुपये 2 के. एच. एम. से डाली-तली एवं 8390 रुपये 3 बी. एल. एम. से मानकासर सड़कों के सर्वेक्षण एवं आयोजना आदि पर खर्च किये थे?

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह जानकारी करना चाहता हूं कि सी. ए. डी. विभाग द्वारा पी. डब्ल्यू. डी. विभाग को वहां की सड़क का कार्य करने के लिये कब कब पत्र लिखा गया था और उसकी स्वीकृति कब भेजी गयी और जब उसकी स्वीकृति भेजी गयी तो सड़क के निर्माण कार्य कब पूरा होने का लिखा था और उसके बाद में ऐसे क्या विशेष कारण थे जिसके कारण फेज फस्ट का काम रोक दिया गया और इस काम को बन्द करने का पत्र कब लिखा गया, यह भी बता दें।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैंने मूल प्रश्न के जवाब में ही बता दिया है। मैंने बताया कि वर्ष 1984-85 में सड़क निर्माण हेतु 87.50 लाख रुपये के प्रावधान पूर्व में स्वीकृत सड़कों को पूर्ण करने के लिये रखे गये थे परन्तु वर्ष 1983-84 के अन्त में आयोजना विभाग द्वारा स्टेज टू परियोजना की आयोजना सीमा में कटौती कर 100 लाख रुपये के स्थान पर केवल 24 लाख रुपये ही प्रावधान रखे जिनका उपयोग वन विकास के लिये किया जाना था। अतः वर्ष 1983-84 में उक्त सड़क पर कार्य चालू नहीं किया गया था। वर्ष 1984-85 में स्टेज 2 में सड़कों के लिये 87.50 रुपये का प्रावधान रखा था। लेकिन उसके स्टेज का फस्ट के फेज द्वितीय पिछड़ रहा है और विश्व बैंक और भारत सरकार भी बार-बार लिख रहे हैं कि स्टेज वन के फेज सैकिन्ड के कार्य जल्दी पूरे किये जायें चूंकि यह काम सन् 86 में यानि 20-6-86 को समाप्त होना था और भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक उसको जल्दी पूरा करने के लिये कह रही थी और दूसरा वहां पर वन का प्रावधान भी कम था इसलिये सड़क का काम हमने बन्द कर दिया।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, कम से कम हमारे इलाके के 20 गांव सड़क से जुड़ने वाले थे, वह रह गये।

श्री अध्यक्ष : जो कारण बताये हैं वह स्पष्ट है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं कारण बता दूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, सी. ए. डी. जहां सड़क बना रहा था वह बोर्ड एरिया है। और यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इसको जवाब तो आना चाहिये था कि ऐसे क्या कारण थे जिसके कारण यह काम बन्द किया गया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पर्याप्त उत्तर आ गया है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, कारण यह है कि उस ठेकेदार को 35 प्रतिशत पैसा नहीं बचता था और 4 लाख रुपया जो....

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री देवीसिंह भाटी : XXX

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सदन पर कार्यवाही नहीं थोपें। अंकित नहीं हो।

श्री देवीसिंह भाटी : XX

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य भाषण नहीं होगा। अगला प्रश्न, माननीय सदस्य, भाषण कर रहे हैं माननीय सदस्य अंकित नहीं हो रहा है, अंकित नहीं हो।

श्री देवीसिंह भाटी : XXX

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य हर चीज को बताया जावे यह कोई जरूरी नहीं है क्योंकि उसके बाद में, बीच में भी कई संशोधन होते हैं, कई बातें होती हैं। मूल प्रश्न का उत्तर आया है अब आप दिन बिती की बात पूछें यह सभी सूचना हर समय थोड़ी पास होती है।

(12.00 मध्याह्न)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आपकी समस्या व तारीख पूछने से कोई हल नहीं हो सकता। इन्होंने यह कह दिया कि उस रकम को हमने डाइवर्ट कर दिया अन्य कामों के अन्दर।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो हवाला दिया था..........

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री देवीसिंह भाटी : मंत्री महोदय, ने अपने खुद के जवाब में जरूर हवाला दिया उसका तो मैं पूछ ही सकता हूं कि वर्ल्ड बैंक ने आपको वह पत्र कब लिखा ?....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर–प्रश्नकाल समाप्त हुआ।....

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक ही सप्लीमेन्ट्री किया था....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष - समय की बचत करें....

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक ही तो सप्लीमेन्ट्री किया था कि वर्ल्ड बैंक ने वह पत्र कब लिखा....

श्री अध्यक्ष : यह नीतिगत प्रश्न है.... आर्डर, आर्डर....

श्री देवीसिंह भाटी : इन्होंने अपने जवाब में यह कहा है कि वर्ल्ड बैंक ने लिखा तो मैं तिथि पूछना चाहता हूं कि कौन सी तिथि को पत्र लिखा गया है....

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय....

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरे दो सवालों के जवाब नहीं आये। 199

XX माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री महाराम चौधरी)

नम्बर का प्रश्न है, पेयजल संबंधी है और गांवों में जो हैंडपम्प खुदे हैं····

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। समय न लें, माननीय सदस्य।

श्री महाराम चौधरी : इसलिए आप मेहरबानी करके, पानी जैसी समस्या के लिए पहला ही प्रश्न आया है यह····

श्री अध्यक्ष : अन्य माध्यम आपके पास है। कृपया उनका उपयोग करें।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय,····

श्री अध्यक्ष : समय न लें।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक ही सप्लीमेन्ट्री किया था। आपने अलाऊ किया था वह भी मेरा जबाब नहीं आ रहा है, अध्यक्ष महोदय। जब कि मंत्री महोदय ने खुद ने अपने जवाब में कहा है····

श्री मोहनलाल मोदी (नीम काथाना) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न 134 नम्बर का बहुत महत्वपूर्ण है। यह राजस्थान के हित का प्रश्न है। भारत सरकार की एक स्कीम है यह····

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं सप्लीमेन्ट्री नहीं पूछूंगा केवल मंत्री जी जबाब दे दें जिससे कि मैं मेरे क्षेत्र की जनता को बता सकूं····

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, 134 नम्बर का प्रश्न है····

श्री अध्यक्ष : प्रश्न में अगर सूचना आ गयी है और उसको आगए में पूछा नहीं गया है तो अन्य माध्यम उनके पास उपलब्ध हैं कृपया उनके अनुसार कार्यवाही करें, मैं सहानुभूतिपूर्वक विचार करूंगा।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, 134 नम्बर का प्रश्न है। आप स्वयं देख लें, अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान के हित का प्रश्न है। भारत सरकार की एक स्कीम है पहाड़ियों को हरा भरा करने के लिए····

श्री महाराम चौधरी : ····और यह कहें कि हैंडपम्प काम नहीं कर रहे हैं····

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो, आर्डर, आर्डर।

श्री महाराम चौधरी : XXX

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, 134 नम्बर का प्रश्न है····

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, कृपया···· प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री मोहनलाल मोदी : आप स्वयं देख लें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन कर दिया कि आधा घंटे की चर्चा अथवा अन्य किसी माध्यम से उठा लें।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, समय ही नहीं है आधा घण्टे की चर्चा के लिए। आप स्वयं देख लें, राजस्थान के हित का प्रश्न है····

XXX माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : सभी प्रश्न जो यहां पर पूछे जाते हैं राजस्थान के हित को दृष्टिगत रखते हुए पूछे जाते हैं। उसी हिसाब से उत्तर दिये जाते हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : उसी हिसाब से उत्तर नहीं आते।

श्री अध्यक्ष : कृपया माननीय सदस्य बैठ जायें।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक सप्लीमेन्ट्री पूछा था····

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन किया प्रश्न-काल समाप्त हुआ। ····कृपया बाधा न डालें····आर्डर····

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आपने अलाऊ किया मुझे····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठ जायें। माननीय सदस्य व्यर्थ में समय न लें कृपया बैठ जायें।

श्री देवीसिंह भाटी : मेरा तो एक ही प्रश्न है कि सिर्फ तिथि बता दी जाये

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन किया कि यदि कोई प्रश्न पूछ लिया गया है तो उसके बारे में दूसरे आप और विस्तृत सूचना चाहते हैं तो उसके अन्य माध्यम अपने पास हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : वह सूचना मांगी थी पर आपके सचिवालय ने प्रश्न काट दिया। वहां पर भी यह कार्यवाही हो गयी और यहां पर यह····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज माननीय सदस्य समय न लें। ····अंकित न हो····

श्री देवीसिंह भाटी : XXX

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें। अंकित न हो।····

श्री देवीसिंह भाटी : XXX

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। समय ले रहे हैं। आर्डर, आर्डर, अंकित न हो। माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट–5 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

तहसील फागी के ग्रामों को मासी नदी से पेयजल

105. श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि फागी तहसील के अधिकांश ग्रामों में पीने के पानी की विकट समस्या है ? यदि हां, तो इसको हल करने के लिए सरकार मासी नदी के पानी से पेयजल व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं।

सहकारी संस्थाओं के माध्यम से बीजों का वितरण

106. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

XXX माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

एवं श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) : क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि खरीफ वर्ष 1984 में राज्य में कृषकों को जो हाई ब्रीड बाजरा का बीज वितरण किया गया वो घटिया किस्म का व रोगग्रसित तथा मिलावटी होने से दोषपूर्ण था जिससे कृषकों को करोड़ों रुपये की फसल की हानि होने की सम्भावना है ?

(2) क्या यह सही है कि बीज वितरण के प्राईवेट डीलर्स प्रमाणीकृत बीजों में घटिया किस्म का बीज मिला देते हैं ? यदि हां, तो इन डीलर्स के लाइसेन्स रद्द करने व भविष्य में उक्त बीजों का वितरण सहकारी सस्थाओं के माध्यम से कराने के सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

कृषि विभाग में विभिन्न पदों पर नियुक्ति/पदोन्नति में आरक्षण

113. **श्री सुरजाराम टाक (नोखा)** : क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) कृषि विभाग में कितने कृषि पर्यवेक्षक हैं ? कृषि पर्यवेक्षकों का सहायक कृषि अधिकारी के पदों पर पदोन्नति हेतु कितना प्रतिशत आरक्षण कोटा निश्चित किया हुआ है ?

(2) विगत 3 वर्ष में बीकानेर खण्ड में सीधी भर्ती में कितने-कितने कृषि पर्यवेक्षकों/सहायक कृषि अधिकारियों को नियुक्त किया गया है ?

(3) कृषि अधिकारी के पद हेतु क्या अनु. जाति/अनु. जनजाति के कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु रोस्टर प्रणाली लागू है ? यदि है, तो कब से ? रोस्टर प्रणाली के अनुसार कितने-कितने कर्मचारी पदोन्नत होने चाहिये ? यदि नहीं, तो ऐसा क्यों ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) विगत दिनों राज्य में कृषि सुपरवाइजर के कितने-कितने पदों पर भर्ती की गई ? कुल कितने-कितने आवेदन-पत्र अभ्यार्थियों द्वारा प्राप्त हुए थे तथा कितने नामों का पैनल जिला नियोजन कार्यालय एवं समाज कल्याण कार्यालय द्वारा प्राप्त हुआ? कुल पदों की भर्ती में से अनु. जाति/अनु. जनजाति के कितने आशार्थी थे ? कृपया सूची मय विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इस विभाग में कृषि पर्यवेक्षकों के कुल सृजित पदों की संख्या 5249 है। राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम, 1978 के तहत कृषि पर्यवेक्षक के पद से सहायक कृषि अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु साढे बारह प्रतिशत कोटा निर्धारित है।

(2) बीकानेर खण्ड में कृषि पर्यवेक्षकों के पद पर वर्ष 1981-82 व 1982-83 में कोई नियुक्ति नहीं की गयी है। वर्ष 1983-84 में 56 पद सीधी भर्ती से भरे गये हैं। सीधी भर्ती द्वारा सहायक कृषि अधिकारी के पद पर विगत 3 वर्षों में कोई नियुक्ति नहीं की गई है।

(राज्य मन्त्री, कृषि)

(3) जी हाँ, रोस्टर प्रणाली वर्ष 1975 से लागू है। इसके अनुसार 11 अनुसूचित जाति एवं 9 अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों को पदोन्नति दी जानी चाहिए थी जिसमें से 8 अनुसूचित एवं 5 अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों की पदोन्नति दी जा चुकी है। शेष पदों वास्ते कृषि पर्यवेक्षकों की वारिष्ठता सूची में सक्षमता क्षेत्र (जान आफ कन्सीडरेशन) में इस वर्ग के कर्मचारी उपलब्ध नहीं थे।

(4) कृषि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति निम्न प्रकार से की गयी है ?

वर्ष 1982-83 में 12

वर्ष 1983-84 में 599

वर्ष 1982 से जनवरी, 1984 तक कृषि पर्यवेक्षकों के पदों के लिए निम्न प्रकार प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे—

(क) विभिन्न जिला नियोजन कार्यालय के माध्यम से 2749

(ख) समाज कल्याण विभाग के माध्यम से 8

(ग) सीधे प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए 114

कुल पदों की भर्ती में से 77 व्यक्ति अनुसूचित जाति एवं 32 व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के थे जिनकी सूची सदन की मेज पर परिशिष्ट (अ) में रख दी गयी है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

इरीगेशन मैन्युअल

123. श्री रघुवीरसिंह कौशल (बांरा) क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भारत के अन्य प्रदेशों के समान सिंचाई विभाग के अधिकारियों के अधिकारों व कार्यक्षेत्र आदि कार्यों के लिए प्रदेश में इरीगेशन मैन्युअल तैयार नहीं की गई है। यदि हां, तो उक्त कार्य किस आधार पर सम्पन्न कराये जा रहे हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार भविष्य में इरीगेशन मैन्युअल तैयार करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। सिंचाई विभाग की विभागीय नियमावली (इरीगेशन मैन्युअल) बनी हुई है परन्तु उसमें विभाग के अधिकारियों के अधिकारों का कार्यक्षेत्र का (detailed) उल्लेख नहीं है। इसलिए उसका अध्ययन किया जा रहा है।

(2) जी हां।

कोटा बैराज का स्तर ऊंचा उठाना

124. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा एवं बूंदी जिले में चम्बल की दाईं मुख्य नहर व बाईं मुख्य नहर से होने वाली सिंचाई की असुविधाओं तथा समस्या के स्थाई हल की दृष्टि से क्या सरकार कोटा बैराज को ऊंचा उठाने का विचार रखती है ?

(2) यदि हां, तो सरकार उक्त कार्य को कब तक प्रारम्भ कर देगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। विद्युत उत्पादन समय समय पर आवश्यकतानुसार होता है। अतः दिन के 24 घंटों में कोटा बैराज में पानी की आवक किसी समय ज्यादा व किसी समय कम होती है। कोटा बैराज पर स्टोरेज की क्षमता बहुत कम होने के कारण ज्यादा पानी आने पर बैराज के नीचे नदी में व्यर्थ ही छोड़ना पड़ता है। इस व्यर्थ जाने वाले पानी की मात्रा को कम करने की दृष्टि से कोटा बैराज के गेट्स की ऊंचाई 2 फुट बढ़ाने का विचार है।

(2) इस कार्य को शुरू करने के लिए वित्तीय वर्ष 1984-85 में प्रावधान लिया हुआ है।

सिंचाई प्रयोजनार्थ जिला डूंगरपुर क्षेत्र का मास्टर प्लान

125. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर)—क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि डूंगरपुर जिले के नदी, नाले व बरसात के पानी का सही उपयोग करने के लिये मास्टर प्लान बनाया गया है ? यदि हां, तो उसे किस प्रकार व कब तक कार्यान्वित कर दिया जायेगा ?

(2) क्या यह भी सही है कि डूंगरपुर में कई बड़े बांधों की नहरे खुर्द बुर्द होने के कारण सिपेज से काफी जमीन खराब होती है ? क्या सरकार का इन नहरों को पक्का करने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। डूंगरपुर जिले में नई योजनाओं के लिए एक मास्टर प्लान बनाया गया है। इसकी क्रियान्विति सप्तम पंच वर्षीय योजना के दौरान योजनाओं की स्वीकृति व धनराशि की उपलब्धि के अनुसार संभव होगी।

(2) खुर्द बुर्द नहरों को पक्का करने का कार्य धनराशि की उपलब्धता के अनुसार किया जा रहा है। पूर्ण राशि मिलने पर सभी नहरों को जहां जहां आवश्यकता है, पक्का किया जावेगा।

राज्य की सिंचाई क्षमता

126. श्री नाथूसिंह (बांदीकुई)—क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) 1979-80 में राज्य में सिंचाई क्षमता कितनी थी व आज कितनी ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इस वर्ष हम सिंचाई क्षमता का कितना उपयोग कर रहे हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1979-80 तक राज्य में सिंचाई क्षमता 17.73 लाख हेक्टेयर थी जो कि मार्च, 84 तक बढ़कर 20.60 लाख हेक्टेयर हो गई। विवरण परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(2) वर्ष 1983-84 में राज्य कुल 15.33 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हुई है। विवरण परिशिष्ट "ब" में संलग्न है।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

ग्राम सजौला (कुम्हेर) के निकटस्थ नहर पर पुलिया का निर्माण

127. श्री हरी सिंह (कुम्हेर)—क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सब-तहसील कुम्हेर के ग्राम सजौला के पास सिंचाई हेतु बनाई गई नहर पर एक पुलिया का निर्माण कई वर्षों से अधूरा पड़ा है जिसके कारण ग्रामवासियों को असुविधा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) अब कब तक निर्माण कार्य पूरा करा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस कार्य को आगामी मानसून से पूर्व पूरा करा दिया जावेगा।

कुण्डल बांध (मेड़ता) का पुनर्निर्माण

128. श्री कमलेन्द्रसिंह (बल्लभनगर) क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मेड़ता का कुण्डल बांध कितने वर्षों से टूटा पड़ा है ?

(2) क्या इसमें पानी नहीं होने से कुओं में जल स्तर घटा है ? यदि हां, तो कितने कुओं का ?

(3) जल भराव के अभाव से कृषि सिंचाई में कितना क्षेत्रफल प्रभावित हुआ है ?

(4) सरकार इसके पुनर्निर्माण के बारे में क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(1) मेड़ता का कुण्डल बांध वर्ष 1979 की अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हुआ था।

(2) कुओं के जल स्तर की जानकारी सिंचाई विभाग को नहीं है।

(3) इसकी जानकारी इस विभाग को नहीं है।

(4) इस टूटे हुए बांध को उपयोग में लेते हुए सिंचाई विभाग ने एक योजना बनाई है जिसकी अनुमानित लागत 6,84,700/—रु० है। इस योजना की स्वीकृति राज्य सरकार के विचाराधीन है।

अजमेर व नसीराबाद की जलप्रदाय व्यवस्था में आये कुओं का मुआवजा

129. श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) :- क्या जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नेगडिया बनास से अजमेर व नसीराबाद को जल प्रदाय किया जा रहा है और यहां के कुओं से दो सौ फीट नीचे तक का पानी उठा लिया गया जिससे स्थानीय कुयें सूख गए हैं ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार स्थानीय कुओं के मालिकों को मुआवजा देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, विशेषतया गर्मी केदिनों में बनास नदी में जल का बहाव समाप्त होने पर कुओं का जल स्तर 50 से 70 फीट नीचे चला जाता है। स्थानीय कुओं के सूख जाने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

उदयपुर में खोदे गए हैण्ड पम्प

130. श्री कमलेन्द्रसिंह (वल्लभनगर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

उदयपुर में सितम्बर, 1982 से दिसम्बर, 1983 तक कितने हैण्डपम्प कितनी-कितनी गहराई के खोदे गए हैं? इनमे से कितने सूखे घोषित किए गए है? कृपया गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

उदयपुर में सितम्बर, 1983 से दिसम्बर, 1983 तक खोदे गये हैण्ड पम्पों का विवरण ग्रामवार सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

ग्राम हमीरपुर (टोडारायसिंह) में जल प्रदाय व्यवस्था

131. श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार का पंचायत समिति टोडारायसिंह के समस्याग्रस्त ग्राम हमीरपुर में जलप्रदाय व्यवस्था करने का विचार है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

ग्राम हमीरपुर पेयजल की दृष्टि से समस्यारहित गांव है सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार गांव की पेयजल योजना को प्राथमिकता नहीं दी जा रही हैं।

पचपदरा क्षेत्र के ग्रामों हेतु जल प्रदाय व्यवस्था

132. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा): क्या जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या पचपदरा क्षेत्र के ग्राम विठूजा असाड़ा, पारलू, असोतका, टापरा, जागसा, पचपदरा, जसोल आदि ग्रामों में अनुसूचित जाति व जनजाति के मोहल्लों में जल प्रदाय हेतु पाइप लाईन डाल दी गई है? यदि नहीं, तो अब कब तक यह कार्यवाही कर जल प्रदाय व्यवस्था कर दी जावेगी?

उत्तर

पचपदरा क्षेत्र के ग्राम पचपदरा, टापरा, एवं विठूजा के अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों में पाईप लाईन बिछा दी गई हैं। शेष ग्रामों के लिए इस वित्तीय वर्ष में ही पाईप लाइन बिछाने के प्रस्ताव है।

सवाई माधोपुर में पेयजल हेतु नवीन योजना का क्रियान्वयन

133. श्री हंसराज शर्मा (सवाई-माधोपुर): क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(28)

(श्री हंसराज शर्मा):

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद् क्षेत्र सवाई माधोपुर में पीने के पानी की कमी को दूर करने के प्रयोजन से सरकार द्वारा विगत में 1 करोड़ 45 लाख रुपये की नई योजना बनाकर स्वीकृति दे दी गई थी ? यदि हां, तो कार्य अब तक चालू क्यों नहीं किया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि विभाग के द्वारा मार्च, 1983 में लगभग 1 करोड़ 25 लाख रुपये का सामान भी उपरोक्त योजना के मद में खरीद कर लिया गया है ? यदि हां, तो फिर सामान खरीद के बाद भी समय पर उपयोग में नहीं लेने हेतु कौन दोषी है ? इस योजना के शीघ्र क्रियान्वयन में शिथिलता बरतने के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कब तक क्या कार्यवाही प्रस्तावित है ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। योजना के लिए अधिकांश पाईप प्राप्त कर लिए गए है, एवं निर्माण कार्य हेतु निविदायें आमंत्रित की जा चुकी हैं।

(2) मार्च 1983 तक लगभग 75 लाख रुपये का सामान क्रय किया गया है ? पाईप लाईन में लगने वाले स्पेशल्स आदि प्राप्त न होने के कारण कार्य शुरु नहीं किया जा सका हैं। इस योजना के निष्पादन में किसी अधिकारी द्वारा शिथिलता नहीं बरती गई हैं।

कटराथल-दौलतपुरा जल प्रदाय योजना

134. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सीकर जिले में कटराथल-दौलतपुरा जल प्रदाय योजनान्तगर्त कुल कितनी आबादी को वर्तमान में पेयजल प्रदाय किया जा रहा है ? क्या वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है ? यदि नहीं तो वैकल्पिक व्यवस्था के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त पेयजल योजना में दौलतपुरा के हरिजन मोहल्ले में स्थित कुएं की बोरिंग कर विद्युत विभाग को यथाशीघ्र ही डिमाण्ड नोटिस आदि की राशि जमा करवाने हेतु विधानसभा के गत बजट सत्र 1984 में आश्वासन दिया गया था ? यदि हां तो अब तक कार्य की क्या प्रगति है ?

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम वासियों ने जिले के खण्ड अधिकारी से बार-बार व्यक्तिश: मिलकर पेयजल समस्या हेतु शिकायतें की हैं ? यदि हां, तो अब कब तक कार्यवाही नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ? उक्त समस्या अब कब तक सुलझा दी जायेगी ?

उत्तर

(1) ग्राम कटराथल-दौलतपुरा जल प्रदाय योजना से 7763 की आबादी को लाभान्वित किया जा चुका है। विद्युत वितरण 4-5 घण्टे प्रतिदिन होने से जल वितरण अपर्याप्त हैं।

(2) जी हां, विद्युत विभाग के डिमाण्ड नोट की राशि अधिक (रु. 34508) होने के कारण विभाग द्वारा जमा नहीं करवाई गई। डिमाण्ड नोट

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री)

संशोधन हेतु विद्युत विभाग के विचाराधीन है, निर्णय होने के उपरान्त शीघ्र राशि जमा कराई जायेगी एवं कार्य शुरू कराया जावेगा।

(3) जी हां, इस ग्राम के कुम्हारों के मोहल्लों के निवासियों द्वारा खण्ड अधिकारी को शिकायत करने पर पाइप लाइन खुदवाकर पाइप लाइन में अवरोध (चोकिंग) दूर कर दिया गया, मूल समस्या विद्युत वितरण में कटौती के कारण है, जिसके लिए विद्युत विभाग से सम्पर्क जारी है।

पंचायत देबारी (उदयपुर) के सुथारों एवं लुहारों के मोहल्लों में हैण्डपम्पस लगाना

136. **श्री भैरुलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण)**: क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि पंचायत देबारी (उदयपुर) के सुथारों एवं लुहारों के मोहल्लों, जो 100 परिवारों की बस्ती है, में न तो हैण्ड पम्प्स लगे हैं और न अन्य प्रकार से जल व्यवस्था है? यदि हां, तो क्या सरकार इन मोहल्लों में हैण्डपम्पस लगाने या जल प्रदाय व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं, गांव देबारी जल योजना से लाभान्वित है तथा बजट की सीमितता के कारण इन मोहल्लों तक पाइप लाइन बढ़ाना या हैण्ड पम्प लगाने के प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

राजस्थान नहर क्षेत्र में लिफ्ट सिंचाई योजनाएं

137. **सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)**

श्री रामकिशोर मीना (सिकराय): क्या राजस्थान नहर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नहर क्षेत्र में 5 लिफ्ट सिंचाई योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है?

(2) ऐसी प्रत्येक लिफ्ट योजना में कितना-कितना खर्च होगा, कितने-कितने एकड़ की सिंचाई होगी व कितनी-कितनी विद्युत आवश्यक होगी?

(3) इन लिफ्ट योजनाओं से प्रति एकड़ सिंचाई का व्यय अनुमानतः कितना आयेगा और क्या यह पूरा व्यय उस सिंचाई के क्षेत्र के किसानों से ही वसूल किया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए पांचों लिफ्ट योजनाओं को सम्मिलित करते हुए संशोधित तखमीना भेज दिया गया है।

(राजस्थान नहर मन्त्री)

(2) प्रत्येक लिफ्ट योजना पर खर्च, सिचाई व विद्युत निम्नानुसार होगी

लिफ्ट योजना का नाम	लागत करोड़ रुपये में	सिंचित योग्य क्षेत्र लाख एकड़ में	विद्युत आवश्यकता मेगावाट उच्चतम	विद्युत आवश्यकता मेगावाट औसत
1. साहवा	82.12	2.397	16.89	9.12
2. गवनेर	41.57	1.223	9.56	5.16
3. कोलायत	63.91]	1.920]	24.70	1.46
4. बागड़सर	4.74]	0.210]		
5. फलौदी	41 82	1.401	10.27	5.55
6. पोकरण	20.55	0.560	4.916	2.655
	254.71	7.711	59.336	32.045

(3) इन लिफ्ट योजनाओं में औसत निर्माण दर 3303.16 रुपये प्रति एकड़ या 8158.80 रु. प्रति हेक्टेयर 1984 के मूल्य सूचकांक पर अनुमानित है। रख-रखाव पर लगभग 200.00 रु. प्रति एकड़ का व्यय होना अनुमानित है। वर्तमान में राज्य सरकार के निर्णयानुसार लिफ्ट क्षेत्र में प्रवाह क्षेत्र का दुगुना वाटर चार्ज लिया जाता है।

राजस्थान नहर की बरसलपुर शाखा के ईंट भट्टे

138. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या राजस्थान नहर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान नहर की बरसलपुर शाखा की आर.डी. 102, 142 तथा 156 के ईंट भट्टों बाबत शिकायत पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) उक्त विभागीय ईंट भट्टों के घटिया स्तर की निर्मित टाइलों का किस-किस अधिकारी ने कब-कब साइट इन्सपेक्शन किया ?

(3) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) राजस्थान नहर की बरसलपुर शाखा की आर.डी. 102, 142 एवं 156 के ईंटों के भट्टों के सम्बन्ध मे शिकायत की जांच की जा रही है।

(2 व 3) अभी जांच पूर्ण नहीं हुई है।

राजस्थान फीडर आर. डी. 559

139. श्री पोरूराम (टीबी) : क्या राजस्थान नहर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार का राजस्थान फीडर आर.डी. 559 का लिंक साढे तीन फुट नीचा कर खारा सोत्स्ट में पानी देने का इरादा है ? यदि हां, तो कब तक कितना क्यूसेक्स पानी दिया जावेगा ?

उत्तर

खारा लिक सिस्टम के रेगुलेटर के क्रेस्ट का लेबल तकनीकी कारणों से नीचा करना सम्भव नहीं है। अतः इसे नीचे करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

राजस्थान नहर के द्वितीय चरण का निर्माण कार्य

140. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या राजस्थान नहर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान नहर के द्वितीय चरण में किस-किस प्रणाली पर मिट्टी व पक्का निर्माण कार्य कहां तक पूर्ण कर दिया गया है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) द्वितीय चरण में जिला बीकानेर व जिला जैसलमेर में किस-किस प्रणाली द्वारा कब सिचाई सुविधा कौन-कौन से चक में उपलब्ध कराई गयी तथा वर्ष 1982-83 व 1983-84 रबी में चक व प्रणालीवार कितने बीघों में सिंचाई की गयी ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) राजस्थान नहर की आर. डी. 1202½ के आगे प्रणाली वार किस-किस कार्य पर खर्च किया गया है ? कृपया मिट्टी व पक्का निर्माण कार्य का अलग-अलग वर्ष-वार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माह मार्च, 1984 तक किये कार्य की प्रणालीवार सूची प्रपत्र "अ" में संलग्न है।

(2) द्वितीय चरण में बीकानेर जिले में सन् 80-81 से सर्वप्रथम दातोर शाखा प्रणाली पर सिचाई सुविधा उपलब्ध करवाई। बिरसलपुर शाखा व भट्टों वाली में सन् 81-82 में उपलब्ध कराई गई। जैसलमेर जिले में 83-84 में पानी छोड़कर अवाय, नाचना, साकरिया पर सिचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई। वर्षवार व प्रणालीवार सिचाई की सूची प्रपत्र "ब" में संलग्न है।

(3) राजस्थान मुख्य नहर बुर्जी 1202½ के आगे मुख्यतया मुख्य नहर, वाटर सप्लाई चेनल को मिट्टी व लाईनिंग (वासोपीम व टाइलों द्वारा) का कार्य किया है। इसके अलावा मुख्य नहर से सीधी वितरिकाओं पर मिट्टी का कार्य किया है। इस कार्य के अलावा सड़क व भवन बनाने तथा उनके एक स्थान का कार्य भी किया है। मिट्टी व पक्के निर्माण कार्य का प्रणाली वार अलग-अलग वर्षवार खर्चा नहीं रखा जाता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

राजस्थान लैण्ड डवलपमेन्ट कार्पोरेशन एक्ट के अन्तर्गत अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन

141. श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां): क्या सिंचित क्षेत्र विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान लैण्ड डवलपमेंट कोरपोरेशन एक्ट के अन्तर्गत अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन करने का प्रावधान है ?

(2) क्या यह भी सही है कि कोटा सी. ए. डी. में सरकार के आश्वासन के बावजूद भी अभी तक अपीलेट ट्रिब्यूनल का

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

गठन नहीं किया गया है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है चम्बल सिंचित क्षेत्र में लैण्ड डवलपमेंट कोरपोरेशन द्वारा किये गये सुधार कार्य की कीमत व आवंटन आदेश से किसान के असंतुष्ट होने पर अपील करने की कोई अन्य व्यवस्था भी नहीं की गई है ?

(4) क्या सरकार वहां अपीलेट ट्रिब्यूनल के गठन का विचार रखती है ? यदि हाँ, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हाँ।

(2) जी हाँ।

राजस्थान भूमि विकास निगम अधिनियम, 1975 में व्यापक संशोधन जिनमें ट्रिब्यूनल के सम्बन्ध में संशोधन सम्मिलित है, विचाराधीन है।

(3) यह सही है कि कृषकों के असंतुष्ट होने पर अपील करने की कोई अन्य व्यवस्था नहीं है, लेकिन उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की जा सकती है।

(4) जी हाँ।

राजस्थान भूमि विकास निगम अधिनियम 1975 में संशोधन विचाराधीन है, जिसमें निर्णय के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

राजस्थान मुख्य नहर के प्रथम चरण से सिंचाई

142. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या सिंचित क्षेत्र विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान मुख्य नहर के प्रथम चरण को आर.डी. 330 के नीचे किस-किस नहर प्रणाली पर वर्ष 1981-82, 1982-83 तथा 1983-84 रबी व खरीफ में किस-किस चक में कितने बीघों में सिंचाई की गई ? कृपया विवरण सदन को मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र की विभिन्न नहर प्रणालीवार सी.सी.ए. कितना है तथा उक्त प्रणालियाँ किस-किस वर्ष में पूर्ण हो गई थीं ? कृपया पूर्ण सिंचाई नहीं होने के कारण बताते हुए विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) क्रमवार सूची संलग्न की जा रही है।

(2) विभिन्न नहरों का सी. सी. ए. और पूर्ण हो जाने का वर्ष दक्षिण 'ए' में करवाया गया है। पूर्ण सिंचाई नहीं होने का मुख्य कारण होने पर काश्तकारों का अभाव है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गई)

जिला कोटा की सोनूवा लेफ्ट माइनर निर्माण में आई भूमि का मुआवजा

143. श्री रघुवीरसिंह कौशल (बांरा): क्या सिंचित क्षेत्र विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा जिले के अन्ता सबडिवीजन के अन्तर्गत पलायथा सब ब्रांच की सोनूवा लेफ्ट माइनर का निर्माण कब हुआ था ?

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

(2) क्या इस क्षेत्र के सभी किसानों को उनकी भूमि का मुआवजा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो जिन किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया है कृपया उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सोनूवा लेफ्ट माईनर का निर्माण वर्ष 197:–76 में हुआ था।

(2) जी नहीं। जिन काश्तकारों को मुआवजा नहीं दिया गया है उनकी सूची संलग्न है (परिशिष्ट "अ")

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

राजस्थान नहर के द्वितीय चरण में नहर प्रणालियों के चक प्लान

144. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान नहर के द्वितीय चरण में किस-किस नहर प्रणाली के कौन-कौन से चकों के चक प्लान कब प्राप्त हुए ? कृपया विवरण सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चकों में वर्ष 1980–81 से 1983–84 रबी फसल में नहर प्रणाली में चक वार कितने बीघों में सिंचाई की गई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग द्वारा भेजे गये चक प्लान के अनुसार सारे क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है तथा सिर्फ रिपोर्ट के आधार पर उक्त जमीनों को सिंचित मानकर आवंटन व अन्य कार्यवाही कर दी गई है ?

उत्तर

(1) राजस्थान नहर के द्वितीय चरण में प्राप्त चक प्लानों की विवरणात्मक सूची "क" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) विवरणात्मक सूची "ख" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) यह सही है कि सिंचाई विभाग द्वारा भेजे गये चक प्लानों के अनुसार सारे क्षेत्र में जहाँ-जहाँ क्षेत्र कमाण्ड दिखाया गया है वहाँ सिंचाई सुविधा थी तो उपलब्ध है अथवा होने वाली हैं। लेकिन जहाँ-जहाँ क्षेत्र अनकमाण्ड दिखाया गया है उसमें सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने का प्रश्न नहीं है। इन चक प्लानों में दर्शाय क्षेत्र कमाण्ड/अनकमाण्ड के आधार पर आहावत, उपनिवेशन द्वारा आवंटन की कार्यवाही की जाती है। इस कार्यवाही के पश्चात् कमांड/अनकमाण्ड की कोई शिकायत किसी काश्तकार को हो तो ऐसे लोगों के आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर राज्यादेशानुसार कमेटी के द्वारा जांच उपरान्त आगामी कार्यवाही भूमि के विनिमय या भूमि के आरक्षित मूल्य के परिवर्तन के बारे में नियमानुसार की जा सकती है।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

पंचायत समिति सरांड़ा में बाल-बाड़ी योजना

145. श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (सरांड़ा): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति, सरांड़ा में बालबाड़ी योजना के अन्तर्गत कुल कितने केन्द्र

कबसे चालू हैं ? कृपया केन्द्रों की ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) बालबाड़ी योजना में कुल कितना बजट प्रावधान है व इस वर्ष अब तक कितना रुपया खर्च किया गया है ?

(3) बालबाड़ी योजना के अन्तर्गत कितने सुपरवाइजर्स के पद है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति सराड़ा में बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत कुल 86 केन्द्र सितम्बर 84 तक प्रारम्भ किये गये हैं। सूची परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(2) बाल विकास परियोजना, सराड़ा के लिए वर्ष 84–85 के लिए अभी तक दो लाख चौदह हजार पांच सौ रुपये का बजट स्वीकृत हुआ है जिसमें से माह सितम्बर, 84 तक 79,064,30 रुपये खर्च हुए हैं।

(3) बाल विकास परियोजना, सराड़ा के अन्तर्गत सुपरवाईजर के 7 पद स्वीकृत हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–12 देखें)

वृद्धावस्था पेन्शन

146. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वृद्धावस्था पेंशन की वर्तमान राशि रु. 40/– माहवार महंगाई के वर्तमान दौर में निर्वाह के लिए नाकाफी है ? क्या समय-समय पर इसे बढ़ाने की मांग की जाती रही है ? यदि हां, तो कब तक इसमें यथेष्ट वृद्धि करने का विचार है ? नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या बेसहारा विधवाओं के लिये आयु का बंधन सरकार उचित समझती है ? यदि नहीं, तो सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि में सभी विधवाओं को पेन्शन देने के सम्बन्ध में सरकार क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। वृद्धावस्था पेंशन की दर बढ़ाने का विचार अवश्य है।

(2) जी नहीं। विधवाओं के मामलों में आयु सीमा के बन्धन को समाप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

आवासन मण्डल अधिनियम के तहत निर्देश

147. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय): क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम की धारा 60 के अन्तर्गत 1 जनवरी, 1984 से लेकर अब तक कितने निर्देश सरकार की ओर से जारी किए गये ? कृपया जारी निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

1 जनवरी 1984 से अब तक राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम की धारा 60 के तहत जो निर्देश दिये गए है उनकी प्रतियां संलग्न है।

(प्रतियों के लिये कृपया परिशिष्ट–13 देखें)

जयपुर नगर में आवंटियों को मकानों का कब्जा

148. श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (सराड़ा) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान आवासन मण्डल के जयपुर में उच्च आय वर्ग के ऐसे कितने क्रेता हैं जिनके नाम आवंटन की लाटरी द्वारा मकान आरक्षित किये जा चुके हैं लेकिन मकानों का कब्जा उनको नहीं दिया गया है ? कृपया मकान आरक्षण की तारीख सहित मकान नम्बर एवं क्रेता के नाम की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन क्रेताओं द्वारा कब कब कितनी कितनी पंजीकरण राशि जमा कराई गयी और आवंटन के पश्चात् मकान आरक्षित होने के बाद कब-कब किस किस ने कितनी कितनी पूर्व ग्रहण राशि की प्रथम व द्वितीय किश्त चुका दी है ? इनमें से किस किस ने पूर्वग्रहण राशि की प्रथम व द्वितीय किश्त विलम्ब से जमा कराई और उस पर कितनी पेनल्टी लगाई गई ?

(3) क्या पंजीकरण राशि की कमी अथवा पूर्व ग्रहण राशि के कम या विलम्ब से जमा कराने या पेनल्टी नहीं जमा कराने के कारण किसी का आरक्षण रद्द किया गया है ? यदि हां तो, कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) इनमें अनुसूचित जाति एवं जन जाति के कितने क्रेता हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) अब इन्हें कब्जा कब तक दे दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) ऐसे क्रेता 97 हैं। सूची सदन के पटल पर दी गई है।

(2) वांछित विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं आरक्षण तो रद्द नहीं किया किन्तु ऐसे लोगों से पूरी पेनेल्टी व ब्याज वसूल की जावेगी।

(4) अनुसूचित जाति एवं जन जाति के किसी भी व्यक्ति ने मकान नहीं खरीदा व आवंटन किया गया है। आवंटियों की लिस्ट परिशिष्ट "स" पर है।

(5) निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् ही इन्हें कब्जा दिया जा सकेगा।

(सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ट–14 देखें)

कोटा में आवासन मण्डल की दुकानें

149. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा नगर की मण्डल के अधीन विभिन्न योजनाओं में लम्बे समय से निर्मित पड़ी दुकानों को क्या एलॉट कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब-कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या इन दुकानों को एलॉट कर देने का आश्वासन मंत्री महोदय द्वारा गत बजट सत्र में दिया गया था ? यदि हां, तो उसकी क्रियान्विति नहीं करने के क्या कारण रहे ?

उत्तर

(1) जी नहीं। बोर्ड के नियमों में

(आवासन मन्त्री)

दुकानों के आवंटन का प्रावधान नहीं है लेकिन सरकार के दिनांक 5-4-84 के आदेश से 14 प्रतिशत दुकानें अनुसूचित जाति व जनजाति के लिये आरक्षित की गई हैं।

(2) 14 प्रतिशत दुकानें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिये सुरक्षित करने का निर्णय लिया गया है जिसके तहत आवंटन किया जायेगा।

मालवीय नगर में गन्दे पानी की निकासी

150. श्री उम्मेदसिंह (डीडवाना) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर स्थित मालवीय नगर के सैक्टर नं. 1 से 3 तक तक 120 मीटर वाले आवास गृहों के सामने गंदे पानी के निकास के लिये कोई नाला बनाया गया है जिसमें गटर का गंदा पानी सदैव भरा रहता है ? यदि हां, तो क्या उसके खुला होने से बच्चों के गिरने की संभावना है व मच्छरों के उत्पन्न होने से आवास गृहों में रहने वाले व्यक्तियों को मलेरिया से बीमारी की आशंका बनी रहती है तथा दुर्गन्ध का सामना करना पड़ता है ?

(2) क्या विभाग उक्त नाले को ढकवाने का विचार रखता है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) व (2) सैक्टर सं. 1 से 3 के बीच 12 × 20 मी. के मकानों के सामने बनाया गया नाला बरसाती पानी के निकास के लिये बनाया गया है। सिवरेज के लिए अलग से गटर लाइन डाली हुई है जिसका सारा बहाव भूमिगत है।

जयपुर नगर की वन विहार योजना

151. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जयपुर नगर की वन विहार योजना में बने हुए मकानों को आवंटियों को उपलब्ध करा दिया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृपया आवंटियों की सूची प्लाटवार सदन के पटल पर रखें।

(2) उक्त योजना में पानी, बिजली, पार्क, स्कूल आदि क्या क्या सुविधायें उपलब्ध कराई जानी थी ? कृपया योजना की प्रति सदन के पटल पर रखें। वहां उक्त योजना अनुसार क्या सभी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं ? यदि नहीं, तो शेष सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराने का विचार है ?

उत्तर

(1) जी हां 1982 की लाटरी द्वारा आवंटियों को मकान आवंटित कर दिये हैं। जिसकी सूची सदन के पटल पर रखा दी गयी है।

(2) उक्त योजना में बिजली व पानी की सुविधा दे दी गई है। पार्क व स्कूल के लिए स्थान आरक्षित किये हुए हैं। योजना की प्रति सदन के पटल पर रखा दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

मकानों के आवंटन में राज्य कर्मचारियों/विकलांगों का आरक्षण

152. श्री बहादुर सिंह (वानपुर) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि आवासन मण्डल के मकानों के आवंटन में राज्य कर्मचारियों/विकलांगों का आरक्षण है ?

(2) उक्त आरक्षण के तहत कितने प्रतिशत राज्य कर्मचारियों/विकलांगों को अब तक आवास आवंटित किया जा चुका है ?

(3) कितने विकलांगों ने वर्षवार पंजीकरण करवाया है व आरक्षण के तहत अब तक कितने विकलांगों को मकान मिल जाने चाहिये थे ?

(4) क्या 1979 में पंजीकृत विकलांग व्यक्तियों को अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्तियों की तरह जवाहर नगर/मालवीय नगर में प्राथमिकता के तौर पर आवास आवंटन करने का राज्य सरकार का विचार है ?

(5) अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष में कितने व्यक्तियों को आवास आवंटन किया गया है ?

उत्तर

(1) राज्य कर्मचारियों के लिए अलग से आवंटन में आरक्षण नहीं है। विकलांगों के लिये। ½ प्रतिशत आरक्षण है।

(2) राज्य कर्मचारियों को आवंटन का कोई आरक्षण नहीं है। अब तक 143 विकलांग आवेदकों को आवास आवंटित किए गए हैं।

(3) वर्ष 1973 में 16, 1979 में 97, 1980 में 780, में 1981 में 15, 1982 में 30, कुल 938 विकलांगों ने पंजीकरण कराया है। आरक्षण के तहत अब तक वर्ष वार आवंटन के हिसाब से 727 मकान मिलने चाहिये थे।

(4) बोर्ड के नियमों के अनुसार आवंटन किया जायेगा।

(5) अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष में कोई आवंटन नहीं हुआ है।

बीकानेर जिले में आवासन मण्डल की योजनायें

153. श्री सुरजाराम टांक (नोखा) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) आवासन मण्डल की कितनी योजनायें बीकानेर जिले में निर्माणाधीन रही है ? इनमें से कितने पर निर्माण कार्य पूरा हो चुका है एवं कितनो पर कार्य चल रहा है ?

(2) वहां पिछले तीन वर्षों में आवासन मण्डल द्वारा कितनी धनराशि निर्माण कार्य में खर्च की गई है ?

(3) क्या अतिवृष्टि से ज्यादातर मकानों की छतों से पानी टपका एवं मकानों को दीवारों में सीलन आई ? यदि हां, तो उनको ठीक करवाने की क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो कब तक इनको ठीक करा दिया जायेगा ?

(4) बीकानेर जिले में आवासन

(श्री सुरजाराम टांक)

मण्डल की स्कीम के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने व्यक्तियों को आरक्षण श्रेणी में मकान आवंटित किये गये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या बीकानेर जिले की तहसील नोखा शहर में आवासन मण्डल की स्कीम विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह स्कीम कब तक चालू कर दी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान आवासन मण्डल की दो योजनायें बीकानेर जिले में बीकानेर शहर में ही निर्माणाधीन हैं। इनमें से एक योजना का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है एवं एक योजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(2) गत तीन वर्षों में निर्माण कार्य पर (1, 82, 94, 063 रुपये) खर्च की गई।

(3) ऐसा होना बारिश की तेजी पर निर्भर करता है।

(4) जी हां वांछित विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(5) बीकानेर जिले के तहसील नोखा शहर में मण्डल की कोई योजना नहीं है।

जी नहीं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–16 देखें)

जैतारण कस्बे में आवासन मण्डल की योजना

154. श्री शिवदान सिंह राठौड़ (जैतारण) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जैतारण कस्बे में आवासन मण्डल द्वारा निर्मित भवन जनता को उपलब्ध कराने के प्रस्ताव हैं ? यदि हां, तो वहां निर्माण कार्य कब तक शुरू कर दिया जायेगा ?

(2) क्या यह सही है कि कस्बे के काफी लोगों ने मकानों हेतु राशि जमा करवाई है ? यदि हां, तो कितने व किन-किन लोगों ने कितनी कितनी राशि ?

(3) जिन लोगों ने धन राशि जमा करवा रखी है उनको मकान बनाकर कब तक दे दिए जाएंगे ?

(4) क्या वर्तमान आवेदकों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति भवनों हेतु पंजीकरण राशि जमा करा सकें, इस हेतु मण्डल निकट भविष्य में आवेदन-पत्र भरने की तिथि निश्चित करने का विचार रखता है ?

उत्तर

(1) जैतारण कस्बे में आवासन मण्डल द्वारा भवन बनाने के लिये पत्र मांगे थे परन्तु 100 से कम आवेदन पत्र आने के कारण योजना नहीं बनाई गई।

(2) जैतारण शहर हेतु 32 व्यक्तियों द्वारा पंजीकरण राशि जमा कराई गई है। वांछित विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) चूंकि 100 से कम आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। अतः योजना का प्रस्ताव नहीं बनाया गया है।

(आवासन मंत्री)

(4) अधिक मांग होने पर, इस बारे में विचार किया जायेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

राज्य में आवासन मण्डल द्वारा निर्मित भवन

155. श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राजस्थान आवासन बोर्ड द्वारा पिछले 4 वर्षों में किन किन जिलों व कस्बों में किस-किस साइज के कितने कितने भवन किस-किस वर्ष में बनाये गये ?

(2) उक्त बनाये गये भवनों में से कितने आवंटित कर दिये गये व कितने नहीं किये गये हैं ?

(3) आवंटियों में किनको कब से कब्जे किन कारणों से नहीं दिये गये ? कृपया सूची सहित विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) पिछले चार वर्षों में मण्डल द्वारा 31454 मकानों का निर्माण किया गया। सूचना परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) 26801 मकानों का आरक्षण आवंटन किया गया है। 4653 मकानों का आवंटन आरक्षण किया जाना शेष है। वांछित विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(3) 8138 आवेदकों को मकानों का कब्जा नहीं दिया गया सूची कारणों सहित परिशिष्ट "स" पर उपलब्ध है।

(सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ट-18 देखें)

जिला डूंगरपुर में कुओं का ब्लास्टिंग

156. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

विगत 5 वर्ष में डूंगरपुर जिले में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा आदिवासियों के कितने कुए ब्लास्टिंग द्वारा गहरे कराये गये हैं ? क्या यह कुएं पूर्ण हो चुके हैं ? यदि हां, तो कितने ? शेष कब तक पूरे करा दिये जायेंगे ?

उत्तर

जनजाति उप योजना क्षेत्र में आदिवासी कृषकों के कुओं को ब्लास्टिंग द्वारा गहरा कराने का कार्यक्रम वर्ष 1980-81 से चालू किया गया है। वर्ष 1980-81 से जुलाई, 84 तक डूंगरपुर जिले के आदिवासी कृषकों के 1446 कुओं को ब्लास्टिंग द्वारा गहरा किया जा चुका है, जिनका वर्षवार विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	
1980-81	721
1981-82	173
1982-83	178
1983-84	185
1984-85	189

(अप्रेल, 84 से जुलाई, 84 तक)

वर्ष 1984-85 में 314 कुए माह अप्रेल, 84 से जुलाई, 84 तक ब्लास्टिंग द्वारा गहरे कराने का कार्य प्रारम्भ किया गया जिनमें से 189 कुओं को पूर्ण कर दिया गया है। शेष 125 कुओं का कार्य प्रगति पर है, जिसे इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

कृषि उपज मण्डी बारां द्वारा पुलियाओं का निर्माण

157. **श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) :** क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी बारां के अन्तर्गत ग्राम बड़ा व मायना के मार्ग में पुलिया बनाने की स्वीकृति हो गई है? यदि हां, तो पुलियाओं का निर्माण कब कराया जायेगा?

उत्तर

जी हां।

बड़ा गांव की पुलिया के निर्माण का कार्य-आदेश दिया जा चुका है।

मायना मायनी की पुलिया बड़ी है, अत: तकनिकी अधिकारियों की राय के अनुसार बोर्ड द्वारा इसको लिया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा।

जिला पाली में कृषि उपज मण्डी द्वारा विकास मद में खर्च राशि

158. **श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) :** क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

पाली जिले में कृषि उपज मण्डी समिति सोजत रोड व रानी द्वारा वर्ष 1980 से 1984 के दौरान विकास के मद में कितनी राशि खर्च की गई है एवं विकास के मुख्यत; क्या-क्या कार्य किये गये हैं? कृपया ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्ष 1980 से 1984 के दौरान किये गये विकास कार्यों की सूची मय व्यय के परिशिष्ट "ब" के साथ संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–19 देखें)

फसल बीमा योजना

159. **श्री बालचन्द आर्य (डग) :**
श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) :
क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या सरकार कतिपय अन्य राज्यों की भांति प्रदेश के किसानों के हित में फसल बीमा योजना लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों नहीं?

(2) क्या सरकार को जानकारी है कि अन्य किन-किन राज्यों में फसल बीमा योजना लागू है?

उत्तर

(1) जी हां। कृषि उपज को बीमा योजना अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) प्राप्त जानकारी के अनुसार आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तामिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, व उत्तर प्रदेश में यह योजना लागू है।

बीज निगम के लेखों का ऑडिट

160. **श्री महाराम चौधरी (नागौर) :** क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री महाराम चौधरी)

(1) राजस्थान राज्य बीज निगम की स्थापना काल से निगम के लेखों का आडिट कब-कब हुआ ? क्या आडिट नियमित रूप से समय पर हो रहा है ? यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण रहे हैं ? कितने वर्षों का अंकेक्षण लम्बित है ?

(2) निगम के गठन काल से निगम को वर्षवार हानि लाभ क्या रहा ? यदि हानि रही, तो किस कारण ? कृपया हानि लाभ के आंकड़े वर्षवार सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य बीज निगम की स्थापना काल से निगम के निम्न वित्तीय वर्षों के लेखों का आडिट हो चुका है:—

1—वर्ष	1978–79
2—वर्ष	1979–80
3—वर्ष	1980–81

वर्तमान में वर्ष 1981–82 के लेखों के अंकेक्षण का कार्य अन्तिम चरण में है। तथा वर्ष 1982–83 व 83–84 के लेखों के अंकेक्षण का कार्य शेष है जिसके लिए अंकेक्षकों की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जानी है जो कि अभी तक नहीं की गई है। वर्ष 1982–83 व 1983–84 के अंतिम लेखे तैयार किए जा रहे हैं।

(2) निगम का वर्षवार हानि लाभ अंकेक्षित खातों के अनुसार निम्न प्रकार रहा है:—

वित्तीय वर्ष	लाभ/हानि (रु. में)
1978–79	11,927 हानि
1979–80	1,28312 लाभ
1980–81	4,17519 लाभ

वित्तीय वर्ष 1978–79 निगम का प्रथम कार्यकारी वर्ष होने के कारण निगम को कर्मचारियों की नियुक्ति, स्थान एवं अन्य सामान्य समस्याओं की प्रारम्भिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा अतः उपरोक्तानुसार हानि हुई।

जिला पाली में भू-संरक्षण कार्य

161. श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन, रानी व देसूरी पंचायत समितियों में वर्ष 1980 से 1984 के दौरान भू-संरक्षण की दृष्टि से कौन-कौन से कार्य किये गये ? कृपया ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन, रानी व देसुरी पंचायत समितियों में वर्ष 1980 से 1984 के दौरान भू संरक्षण कार्य जो डी. डी. पी. व डी. पी. ए. पी. के अन्तर्गत कराए गए उनका विवरण संलग्न परिशिष्ट (अ) में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–20 देखें)

औषध निर्माताओं को पुनर्भरण मान्यता

162. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 1983–84 व अगस्त, 1984 तक आयुर्वेद विभाग में कितने प्रार्थना-पत्र कब-कब किन-किन औषध निर्माताओं से पुनर्भरण मान्यता हेतु प्राप्त

(श्री दाऊदयाल जोशी)

हुये ? किन-किन निर्माताओं को पुनर्भरण की अधिसूची में शामिल किया गया व उसका आधार क्या था ? शेष प्रार्थना-पत्रों को स्वीकार न किये जाने के क्या कारण रहे हैं ? क्या उनको इसकी सूचना दे दी गई ?

(2) पुनर्भरण की अधिसूची में स्वीकृति हेतु क्या कोई नियम है या समिति का गठन किया हुआ है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1983-84 में कोई भी आवेदन औषध निर्माताओं से पुनर्भरण मान्यता हेतु प्राप्त नहीं हुआ । अप्रेल, 84 से अगस्त, 84 तक निम्नांकित दो औषध निर्माताओं से आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं:—

1. श्री जगदम्बे आयुर्वेद संस्थान, उदयपुर वाटी, झुंझुनू दिनांक 16-8-84

2. श्री महेश आयुर्वेद औषधालय, बैंक स्ट्रीट, भोपाल दिनांक 16-5-84

उक्त में से किसी भी निर्माता को पुनर्भरण की अधिसूची में न तो शामिल किया गया, न अस्वीकृत किया और न ही किसी निर्माता को उसकी सूचना ही दी गई क्योंकि इस हेतु गठित समिति की बैठक उनके प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के बाद नहीं हुई है।

(2) राज्य सरकार द्वारा इस हेतु एक समिति का गठन किया हुआ है । पृथक से कोई नियम नहीं बने हुए हैं ।

यूनानी दवाखाने

163. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने कृपा की करेंगे:

(1) राज्य में संचालित यूनानी दवाखानों को 1982-83 एवं 1983-84 एवं 1 अप्रेल, 1984 से 31-8-84 तक कब-कब क्या-क्या दवायें कितने-कितने मूल्य की सप्लाई की गई ?

(2) क्या यह दवायें आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त थीं ? यदि नहीं, तो सरकार इस बारे में क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(1) वर्षवार विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" एवं "ब" में अंकित है ।

(2) जी नहीं । दवाखानों में औषधियों की आवश्यकतानुसार उपलब्धता हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र दानपुर में आयुर्वेद औषधालय

164. श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा जिले के विधान सभा क्षेत्र दानपुर में इस वर्ष कितने आयुर्वेदिक औषधालय खोले जाने का प्रस्ताव है ?

(2) इस क्षेत्र में जन प्रतिनिधियों एवं

(श्री बहादुरसिंह)

अन्य समाजसेवियों द्वारा किन-किन गांवों में औषधालय खोलने के प्रार्थना-पत्र दिये गये थे ? क्या इन सभी स्थानों पर औषधालय खोले गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या इस क्षेत्र के वारी गांव ग्राम पंचायत, भूपेल ग्राम पंचायत तथा बोरिया ग्राम पंचायतें में इस वर्ष औषधालय खोले जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में इस वर्ष 200 नवीन औषधालय खोलना प्रस्तावित है। इनके स्थान निर्धारण बाबत प्रश्न विचाराधीन है।

(2) प्रधान पंचायत समिति, तलवाड़ा, एवं बागीडोरा से संलग्न सूची में अंकित स्थानों पर नवीन औषधालय खोलने के प्रस्ताव वर्ष 1983-84 में प्राप्त हुए थे किन्तु निर्धारित मापदण्ड में नहीं आने के कारण इन स्थानों पर नवीन औषधालय नहीं खोले गये।

(3) इस वर्ष के लिए नवीन स्थानों का चयन करते समय इन गांवों के बारे में भी विचार कर लिया जायेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 21 देखें)

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत आवंटित धनराशि

165. श्री हरीसिंह (कुम्हेर) : क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

वित्तीय वर्ष 1984-85 में राजस्थान सरकार ने कुल कितनी धनराशि राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम पर व्यय किये जाने हेतु विभिन्न जिलों को आवंटित करदी है और उस आवंटन का क्या आधार था ? कृपया जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वित्तीय वर्ष 1984-85 में राजस्थान सरकार ने कुल 440 लाख रुपये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्यों पर व्यय किये जाने हेतु विभिन्न जिलों को आवंटन किये हैं। यह आवंटन जिले की जनसंख्या को आधार मानकर किया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति व जनजाति की जनसंख्या को भी बल दिया गया है। आवंटन करते समय यह देखा गया है कि उस जिले के पास आवंटन के समय कितनी धनराशि शेष थी व यदि उनके पास पहले से ही काफी अधिक धनराशि उपलब्ध थी उस स्थिति में उन जिलों को अभी आवंटन नहीं किया गया है। जिलेवार आवंटन का विवरण परिशिष्ट "क" पर सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-22 देखें)

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण

166. श्री हरीसिंह (कुम्हेर) : क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या इस वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार की कुछ सड़कों के निर्माण करने की योजना है ?

(2) यदि हां, तो कृपया उन सड़कों की सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम राज्य मंत्री

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जिन सड़कों को जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों ने अपनी वार्षिक योजना में सम्मिलित किया है, उनकी सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है। कुछ और सड़कें इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लिया जाना विचाराधीन है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-23 देखें)

आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत छापे

167. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): क्या खाद्य एवं रसद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोट, बूंदी व झालावाड़ जिलों में वर्ष 1983-84 व माह अगस्त, 1984 तक किस-किस माह में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत किन-किन व्यापारियों के यहां छापे डाले गये? उनमें से किस-किस के यहां किस-किस प्रकार का कितनी-कितनी राशि का कितना-कितना माल जब्त किया गया?

(2) कितनों पर मुकदमे बनाये गये व कितनों के अदालतों में चालान पेश किये गये? उनका क्या परिणाम रहा?

(3) जिन मामलों का चालान नहीं किया गया वे कब-कब पंजीबद्ध हुए व उनके चालान न करने के क्या कारण रहे?

(4) किस-किस प्रकार का कितना-कितना माल कहां-कहां अभी तक जब्त पड़ा हुआ है?

उत्तर

(1) वांछित सूचना जिलेवार सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) 35 मुकदमें बनाये गये जिनमें एक मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जो विचाराधीन है। 4 मामलों में मुकदमा न बनने के कारण माल जिलाधीश द्वारा छोड़ दिया गया। शेष 28 मामले पुलिस/जिलाधीश के पास विचाराधीन हैं। दो मामलों में जिलाधीश द्वारा निर्णय दे दिया गया है और कुछ माल जब्त कर लिया गया।

(3) जिला कोटा के 4 मामलों का चालान नहीं किया गया जिनकी पंजीकृत तिथि 27.7.83 है। ये सब मामले अभ्यास पुस्तिका के थे जिनमें जिलाधीश द्वारा केस बनना नहीं पाया गया।

(4) विवरण सदन की पटल पर रख दिया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-24 देखें)

उपभोक्ता संरक्षण सैल

168. श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : क्या खाद्य एवं रसद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि खाद्य एवं रसद विभाग के अन्तर्गत कोई उपभोक्ता संरक्षण सैल की स्थापना की गई? यदि हां, तो कब व क्यों?

(2) इस सैल की स्थापना के उपरान्त अगस्त, 1984 तक कितनी व किस प्रकार की शिकायतें कब-कब दर्ज हुई हैं? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री नाथू सिंह)

(3) इनमें से कितने मामलों में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। उपभोक्ता संरक्षण सल का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण के सम्बन्ध में जारी निर्देश

169. श्री महावीर प्रसाद (टोंक) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने पिछले दो वर्षों में जिलाधीशों एवं जिला रसद अधिकारियों को उपभोक्ता वस्तुओं के समय पर एवं सही वितरण तथा उचित मूल्य पर अच्छी वस्तु उपलब्ध हो इस हेतु कौन-कौन से निर्देश, मार्गदर्शक स्पष्टीकारक अनुदेश एवं परिपत्र व आदेश, कब-कब प्रसारित किए ?

कृपया ऐसे आदेशों एवं निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

आदेशों एवं निर्देशों की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(प्रतियां अधिक होने से पुस्तकालय में रखी गई)

नियन्त्रित खाद्य तेल के वितरण एवं मांग का मूल्यांकन

170. श्री महावीर प्रसाद (टोंक) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नियन्त्रित खाद्य तेल एवं खुले बाजार में बिक रहे खाद्य तेलों की कीमतों में भारी अन्तर है ?

(2) क्या यह भी राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि कुछ निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा नियन्त्रित मूल्य के खाद्य तेल के बारे में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं ? यदि हां, तो नियन्त्रित खाद्य तेल खाने योग्य है, यह बतलाने के लिए क्या-क्या प्रयास किए गए ?

(3) क्या कभी विभाग द्वारा इसके वितरण एवं मांग का मूल्यांकन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य सरकार द्वारा पामआइल रु. 10.80 प्रतिकिलो एवं सोयाबीन, रेपसीड, पामोलिन आइल के रु. 10.50 प्रति किलोग्राम के भाव निर्धारित किये हुए हैं जबकि जयपुर के खुदरा बाजार भाव सरसों, मूंगफली, तिल के भाव क्रमश: 15/- से 16/- रु., रु. 15.50 से 18.50 एवं 17/- रु. से 18/- रु. प्रतिकिलो है।

(2) सम्बन्धित जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर विज्ञप्तियां प्रसारित कर भ्रांतियों का निराकरण स्थानीय समाचार

(खाद्य एवं ग्रापूर्ति राज्य मंत्री)

पत्र एवं अन्य माध्यमों से किया जाता है।

(3) जी, हां। राज्य सरकार की भारत सरकार से 30,000 मै. टन वार्षिक मांग है जबकि इस मांग के विरुद्ध केवल मात्र 1,000 मै. टन का ही प्रतिमाह आवंटन प्राप्त होता है। कोटा बढ़ाने हेतु समय-समय पर भारत सरकार से अनुरोध किया जाता रहा है।

तहसील नोखा में गेहूं व चीनी का आवंटन

171. श्री सुरजाराम टांक (नोखा) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जिला बीकानेर की तहसील नोखा में 1982-83, 1983-84 व 1984-85 तक कुल कितनी बोरी गेहूँ व चीनी आवंटित की गई? उक्त समय में उक्त तहसील के लिये कितनी-कितनी बोरी गेहूँ व चीनी तथा सीमेंट की मांग की गई थी?

उत्तर

सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-25 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री रामकंवार बैरवा, सदस्य विधान सभा की ओर से सिंचाई विभाग में ठेकेदार को भुगतान नहीं करने पर ठेकेदार द्वारा आत्म हत्या।

(2) श्री बालचन्द आर्यवीर एवं श्री अनंगकुमार जैन, सदस्य विधानसभा की ओर से चौमहला कस्बे की एक साबुन फैक्टरी में असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगाना व आतंक फैलाने के बारे में।

(3) श्री मेघराज तावड़ और श्री राज बहादुर, सदस्य विधान सभा की ओर से जयपुर मेटल में 20 वर्ष से सेवारत 9 मजदूरों की छटनी से असंतोष।

(4) श्री त्रिलोकसिंह और श्री राज-बहादुर, सदस्य विधान सभा की ओर से बाजरे के बाजार भाव में कमी।

(5) श्री भगवानदास शास्त्री, सदस्य विधान सभा की ओर से अजमेर दरगाह शरीफ एरिया के लिए जल स्रोत झालड़ा के पानी में कीटाणु।

(6) श्री हरीश शर्मा, सदस्य विधान सभा की ओर से पुलिस अधीक्षक, कोटा द्वारा असामाजिक तत्वों को संरक्षण देने से जन साधारण में असुरक्षा की भावना।

(7) श्री हीरालाल आर्य, सदस्य विधान सभा की ओर से पंचायत समिति इटावा की स्थायी समितियों के रिक्त स्थानों के लिए चुनाव नहीं करवाना।

(8) श्री गोपाल पचेरवाल, सदस्य विधान सभा की ओर से नगरपालिका लाखेरी के लिए 1977-78 में स्वीकृत पेय-जल योजना पूर्ण न किया जाना।

(9) श्री कमलेन्द्रसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से सरपंच, ग्राम पंचायत तापू को फर्जी शिकायत पर पुलिस द्वारा गिरफ्तारी।

(श्री अध्यक्ष)

(10) श्री हंसराज शर्मा, सदस्य विधान सभा की ओर से पंचायत समिति, नादोही व टोडाभीम में मुख्य मन्त्री सहायता कोष एकत्रित करने में गड़बड़ी।

(11) श्री बंसीलाल पटवा, सदस्य विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा नगर व जिले के आयुर्वेदिक औषधालयों में दवा न होना।

(12) सर्व श्री गुलाबचन्द कटारिया, रघुवीरसिंह कौशल, महावीर प्रसाद जैन, समर्थलाल और भंवरलाल शर्मा, सदस्य विधान सभा की ओर से महुआ में एक व्यक्ति के मकान में रात्रि में आक्रमण की रिपोर्ट दर्ज नहीं करने पर आन्दोलन व लाठीचार्ज।

(13) श्री फतहसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से कुशलगढ़ क्षेत्र की नहरों की सफाई के मजदूरों को भुगतान न करना।

(14) श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य विधान सभा की ओर से तहसील कोलायत में पाक विस्थापितों के लिए आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराया जाना।

(15) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य विधान सभा की ओर से सीकर शहर व आसपास के ग्रामीण अंचलों में बिजली सप्लाई में अव्यवस्था होने से असंतोष।

(16) सुश्री पुष्पा जैन, सदस्य विधान सभा की ओर से दौसा में असामाजिक तत्वों द्वारा श्री राजेन्द्र जैन की पिटाई।

(17) श्री दाऊदयाल जोशी, सदस्य विधान सभा की ओर से ठेकेदार का भुगतान आवासन मण्डल द्वारा नहीं किये जाने से मण्डल कार्यालय में उसकी मृत्यु।

(18) डॉ. उज्जला अरोड़ा, सदस्य विधान सभा की ओर से जयपुर शहर के पानी के बिलों में सिवरेज टैक्स की वसूली।

इन स्थगन प्रस्तावों को राज्य सरकार की जानकारी हेतु भेजा जा रहा है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

(1) श्री हाजी चावखां, सदस्य विधान सभा की ओर से नगर तथा डीग क्षेत्र में बन्दोबस्त में व किसानों की बेदखली।

यह घटना विशेष से सम्बन्धित नहीं है अतः इस पर स्वीकृति देने में असमर्थ हूँ।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के बारे में राज्य सरकार से सूचना प्राप्त हुई है :

(1) श्री हंसराज शर्मा, सदस्य विधान सभा की ओर से नगर परिषद क्षेत्र सवाई-माधोपुर में काश्तकारों को भूमि का मुआवजा दिये बिना कृषि मण्डल का निर्माण।

सरकार ने जानकारी दी है कि 2 लाख 17 हजार 820 रुपये के मुआवजे का अवार्ड दिया जा चुका है और प्रकरण सब-ज्यूडिस है अतः इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(2) सर्व श्री रामकंवार बैरवा, श्री त्रिलोकसिंह, बहादुरसिंह, महाराम चौधरी और देवीसिंह भाटी सदस्य विधान सभा की ओर से अकाल के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई थी एवं उनमें से अधिकांश का राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त कर लिया गया है।

(५२)

इन स्थगन प्रस्तावों पर स्वीकृति देने में असमर्थ हूँ। माननीय सदस्यों को इस पर बोलने की अनुमति नहीं होगी। दिनांक 17-10-84 को अकाल की मांगों पर चर्चा के समय बोलने की अनुमति दे दी जाएगी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

माननीय श्री चावखां—बन्दोबस्त के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहें।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचंद कटारिया (उदयपुर) : कल मैंने निवेदन किया था शिक्षकों का बिना किसी बात के इस आन्दोलन को पिछले 1½ महीने से चला रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : वह इस तरह के विषय हैं जिनके बारे में आप वक्तव्य चाहते हैं तो मैं व्यवस्था कर रहा हूं। आज भी रखे हैं, कल भी रखे हैं, परसों भी रखे हैं। तत्काल इसके बारे में यदि आप रिजेक्ट कराना चाहते हैं....

श्री गुलाबचंद कटारिया : आप रिजेक्ट कर दीजिए और क्या ?

श्री अध्यक्ष : रिजेक्ट किया। आपको अनुमति दी। पहले हाजी चाव खां बोलेंगे उसके बाद आपको अवसर दे दूंगा....

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री और शिक्षा मन्त्री ने....

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। मैं इस सम्बन्ध में आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं। कृपया स्थान ग्रहण करें।

एक माननीय सदस्य : कृपया वक्तव्य दिलायें।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है। इस सत्र में काफी संख्या में स्थगन प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव वगैरह प्राप्त हुए हैं। मैंने उनका अध्ययन किया है। सूचनायें मंगाने की कोशिश की, कुछ की सूचना आई, कुछ को नहीं आई। फिर भी मैंने आज, कल, परसों ज्यादा से ज्यादा समय की स्थिति को देखते हुए जितने लिए जा सकते थे उतनों को रखने की कोशिश की और कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद में प्रश्न रहता है कि जिन माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव दे दिये उनमें वक्तव्य दिलाना यदि सम्भव नहीं होगा, मान लीजिए सरकार का जवाब भी नहीं आया तो उसके बारे में यहां कोई निर्णय देने की मैं स्थिति में नहीं हूँ। जो माननीय सदस्य चाहे कि हमारे जवाब मगाये बगैर अथवा उन प्रस्तावों को जानकारी के लिए न रख कर और उनको आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दिया जाये, उसके बारे में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मुझ से मध्यान्ह पश्चात् वेश्म में मिलें। जहां तक सम्भव होगा, यह तो मैं नहीं कह सकता कि 100 से अधिक स्थगन प्रस्ताव आये हैं उन सबको अस्वीकार करके 100 माननीय सदस्यों को दो-दो मिनट का समय दूं। यह सत्र बहुत छोटा सत्र है, अल्पकालीन है, माननीय सदस्य जो बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं वे कृपया मेरे से मिलें ताकि किसी न किसी रूप में इसकी व्यवस्था करने को पूरी कोशिश करूंगा।

श्री चाव खां।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

फिर वो की वो ही बात है।

श्री वाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रस्ताव है। विद्युत अभियन्ता हड़ताल कर रहे हैं। 18 तारीख का उनका नोटिस है।

श्री अध्यक्ष : इसके बारे में यदि कोई प्रस्ताव होगा तो सरकार से वक्तव्य दिलाने की कोशिश करूंगा।

श्री वाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रस्ताव 11 तारीख को दिया है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मैंने निवेदन किया, आप मिल लीजिए। सरकार से कल वक्तव्य दिलाने की कोशिश कर सकता हूं।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर।

श्री महाराम चौधरी (नागौर): अध्यक्ष महोदय, अकाल की भीषण समस्या है....

श्री अध्यक्ष : विस्तार से निवेदन किया, जितने भी अकाल के प्रस्ताव हैं, स्थगन प्रस्ताव हैं या ध्यान आकर्षण प्रस्ताव हैं उन सबको मैंने अस्वीकार करके माननीय सदस्यों को आज बोलने की इजाजत नहीं दी है। कल जब अनुपूरक और प्रतिरेक की मांगों पर विचार होगा उस समय यह पूरा दिन चर्चा अकाल पर ही चलेगी। कल ही यह विषय अलग से रखा है और उसमें यह भी लिख दिया है कि माननीय सदस्य जो बोलना चाहेंगे उनके नाम भी हमने अंकित कर दिये हैं....

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, साथ-साथ रखे हैं। यह मामला ऐसा है कि पश्चिमी राजस्थान....

श्री अध्यक्ष : अंकित हैं हो। माननीय सदस्य बैठ जायं। कृपया बैठ जायं। कार्यवाही थोप रहे हैं। कृपया बैठ जायं।

श्री चाव खां।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : आन ए पाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर वर्तमान में नहीं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कटौती प्रस्तावों के उत्तर नहीं मिलने के बारे में आपने यह कहा था कि सैक्रेट्रियट को दे देंगे....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने निवेदन किया जो श्री माननीय सदस्यों की समस्या हो, मैं यहां वर्तमान में हल नहीं निकाल सकता। आप मेरे से मिलने का कष्ट करें। उसके बारे में कार्यालय से, अपने सचिवालय से जानकारी ले लूंगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आसन कोई व्यवस्था देता है, कोई आदेश देता है और राज्य सरकार पालन न करे....

श्री अध्यक्ष : अपने नियम कठोर हैं और आपकी मदद में हैं उसमें, ऐसी क्या बात है! श्री चाव खां।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने 11 तारीख को एक स्थगन प्रस्ताव दिया था....

श्री अध्यक्ष : मैंने स्थगन प्रस्तावों के

बारे में निवेदन कर दिया है। कृपया मेरे से मिलने का कष्ट करें।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, बच्चे को मारकर उसकी लाश मिली है, हाथ कटे हुए हैं, अब तक पूरे गांव में असंतोष व्याप्त है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्या, बैठ जायें। मैंने निवेदन कर दिया, अगर कोई प्रस्ताव महत्वपूर्ण है तो मैंने माननीय सदस्यों से निवेदन किया है कि उस पर बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक विचार करूंगा।

श्री चाव खां :

श्री देवीसिंह भाटी : मेरा एक निवेदन है। राजस्थान में शिक्षक हड़ताल पर जा रहे हैं। उन्होंने 11-12 तारीख से विधान सभा के बाहर धरणा दे रखा है....

श्री अध्यक्ष : यदि कोई प्रस्ताव है तो कृपया आप मिल लें, अन्यथा समय न लें।

श्री देवी सिंह भाटी : आपने रिजेक्ट कर दिया, दो मिनट बोल लें। बच्चों का भविष्य उसके साथ जुड़ा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री और शिक्षा मन्त्री ने इन लोगों को आश्वासन दिया था मार्च के महीने में....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप मुझे समझाने की कोशिश कीजिये। आज आपने कोई प्रस्ताव दिया है ?

श्री देवीसिंह भाटी : पूर्व में दिया है।

श्री अध्यक्ष : उस पर मैंने कोई व्यवस्था दे दी ?

श्री देवीसिंह भाटी : नहीं दी है।

श्री अध्यक्ष : नहीं दी है तो कृपया स्थान ग्रहण करें। आप मुझे बाद में मिलिये, उस पर व्यवस्था दूंगा।

श्री चाव खां (कामां) : अध्यक्ष महोदय, मेरे जिले भरतपुर में नगर तहसील एवं डीग तहसील में जहां पर बन्दोबस्त हो चुका है लोगों को यह आशाएं लगी हुई थीं कि बन्दोबस्त से लोगों को राहत मिलेगी लेकिन राहत की बजाये उन लोगों को परेशानी हो गई है। जब पहले बन्दोबस्त हुआ तो उसके अन्दर जमीन की नाप तोल एवं माल गुजारी के घटने बढ़ने के अलावा दूसरा काम नहीं था लेकिन आज जो बन्दोबस्त हो रहा है और खास तौर से नगर और डीग तहसीलों में जो हुआ है उसने हजारों लोगों को मुकदमों में फंसा दिया है। उनको अपनी जमीनों से बेदखल कर दिया गया है। जहां सड़क थी वहां खेत बना दिये हैं और जहां खेत थे वहां सड़क बना दी है। इस तरह से बन्दोबस्त किया गया है। इस तरीके का बन्दोबस्त मेरी समझ में नहीं आता है। आज जो जमीन का बन्दोबस्त होता है वह तो सही होना चाहिये। जब एक आदमी का फोटो सही नहीं आता है, आंख शक्ल सूरत सही नही आती है तो कैसे मान लें कि बिल्कुल सही है। जो रात दिन वहां के लोग मिलते हैं उन्होंने यह बताया कि हजारों मुकदमें आज अदालतों में चल रहे है। लोग परेशान हैं। यह सरकार की नीति है कि छोटे किसानों के लिए सबसे बड़ा फायदा चकबन्दी से हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि चकबन्दी हमारे राज्य में होनी चाहिए। उससे सारे किसानों को फायदा मिलेगा, जो छोटे-छोटे टुकड़े हैं

(श्री चाव खां)

पूर्व से पश्चिम तक फैले हुए हैं. उनको एक साथ जगह मिल जायेगी और वहां पर अपने कुएं वगैरह बना कर, मकान वगैरह बनाकर अपनी जमीन को सुरक्षित रख सकेंगे। जब यह मामला चल रहा था और हमारे यहां जिलाधीश महोदय को सरकार ने भेजा तो मैं यह कहना चाहता हूं पिछड़े हुए जिले में जो कलेक्टर भेजा वह 18-20 घंटे काम करता है। किसी को यह भी जानकारी नहीं है कि किस वक्त वे खाना खाते हैं और किस वक्त वे आराम करते हैं। इलाके में दौड़-दौड़ कर लोगों की समस्याएं हल करते रहते हैं और यहां तक हो नहीं जो लोग वहां दफ्तर में रह जाते हैं उनको भी कोठी पर बुलाकर रात को दस, ग्यारह-ग्यारह बजे तक मामलों को निपटा कर तब जाकर कहीं आराम करता होगा। उन्हीं के सामने जब यह बात आई कि लोगों पर मुकदमें और बेदखल करने वाली परेशानी हो रही है तो उन्होंने एक शिविर नगर के अन्दर लगाया और वहां पर सब आफिसर्स को बुलाकर उनके मामलों को निपटाया और बहुत से मामले हल कर दिये। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि अब इस बन्दोबस्त को सुचारू रूप से ठीक कराया जाय तथा जिलाधीशों की देखरेख में यह बन्दोबस्त कराये जाय। बन्दोबस्त के बजाय राजस्थान में दीगर राज्य जैसे हरियाणा, पंजाब की तरह चकबन्दी कराई जावे जिससे किसानों व राज्य सरकार को फायदा हो।

श्री अध्यक्ष : श्री हंसराज शर्मा। सवाई माधोपुर, कृषि मण्डी के बारे में।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सवाई माधोपुर में राज्य सरकार द्वारा जा कृषि मण्डी बनाई जा रही है, उस पर उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। सवाई माधोपुर, नगरपालिका के क्षेत्र आलनपुर में गत वर्षों में विभाग द्वारा कृषि मण्डी निर्माण कार्य हेतु स्वीकृति दी है। उस क्षेत्र में मंडी यार्ड बनाने के लिए काफी काश्तकारों की जमीन ली गई है। जिन काश्तकारों की जमीन ली गई है, अध्यक्ष महोदय, वह सारी चाही जमीन है कम से कम 40 परिवार ऐसे हैं जिनके पास एक बीघा, सवा बीघा, डेढ़ बीघा, दो बीघा जमीन के करीबन हैं जिनमें जाति से माली है और जिसम वे सब्जी की फसलें उगाकर अपना जीवन का निर्वाह करते आ रहे हैं। उस कीमती जमीन को कृषि उपज मण्डी यार्ड के लिए राज्य सरकार ने ली है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि उन काश्तकारों को उस जमीन का मुआवजा मात्र 6 हजार रुपये बीघा देना तय किया गया है जबकि उसी मण्डी यार्ड में, जो बनाई जा रही है, उसकी जो दक्षिणी साइड पर रोड निकाली है, उसके बराबर की जो जमीन है वहां की जमीन नगरपालिका ने अन्य लोगों को दी है, उसके रजिस्ट्रेशन की जो फीस जमा कराई है वह 50 हजार मानी है, इसी प्रकार उस क्षेत्र में दूसरे लोगों ने जो जमीनें खरीदी हैं उनका भी 50 हजार से 70 हजार रुपये के बीच में रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसी प्रकार से उसी क्षेत्र में पी. डब्लू. डी. ने जो रोड निकाली है—इसी के बराबर होते हुए, तो पी.डब्लू. डी. ने भी जो मुआवजा दिया है वह 10 हजार रुपये बीघा का दिया है।

श्री अध्यक्ष : इस पर चर्चा स्थगित कर दी जाय। इसके तथ्य मुझे व्यक्तिगत रूप से आ करके बता दें।

नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

12 अप्रेल, 1984 को रोपड़ थर्मल प्लाण्ट में राजस्थान का बिजली का हिस्सा तय न होने तक 500 क्यूबिक पानी पंजाब को नहीं देने का आश्वासन देकर भी बिजली का हिस्सा तय करने से पूर्व पानी देने का इकरार।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैंने एक आपसे अनुमति मांगी थी, 295 में—

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अच्छा होता इस समय मुख्यमंत्री जी इस सदन में उपस्थित होते। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान के मुख्यमन्त्री जी और सिंचाई मन्त्री जी............।

श्री अध्यक्ष : कुर्सी खाली तो है नहीं मुख्यमन्त्री जी वाली।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : राजस्थान के मुख्य मन्त्री जी और राजस्थान के सिंचाई मन्त्री जी श्री परस राम जी मदेरणा ने राजस्थान के साथ जो विश्वासघात किया है, इस सदन का अपमान किया है और राजस्थान के हितों पर स्थायी रूप से कुठाराघात किया है, उस प्रश्न की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता था। अध्यक्ष महोदय, इसी सम्बन्ध में मैंने मुख्यमन्त्री जी के विरुद्ध आपके समक्ष एक विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था लेकिन वह आपने स्वीकार नहीं किया। यह प्रश्न वही है जिस प्रश्न के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री जी ने और माननीय मदेरणा साहब ने दिनांक 12–4–84 को इसी सदन में बड़े जोर शोर से सदन को यह आश्वासन दिया था कि जब तक आनन्दपुर साहिब में हमारी बिजली के हिस्से का निर्णय नहीं होगा उस समय तक रोपड थर्मल प्लाण्ट के लिए पंजाब सरकार को 500 क्यूसेक पानी नहीं देंगे। अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में, मैं ऐसा समझता हूँ कि वह एक ऐसा अवसर था जिसमें एक भी सदस्य जिसमें मुख्य मन्त्री जी और मदेरणा जी भी शामिल हैं—कोई सदस्य ऐसा नहीं था जो इस बात के लिए सरकार के साथ इस बात के पक्ष में हो कि जब तक आनन्दपुर साहिब का निर्णय नहीं हो उस समय तक रोपड़ थर्मल प्लान्ट के लिए पंजाब को पानी दे दिया जाय। कुछ ही दिनों के बाद अध्यक्ष महोदय, गत जून, 1984 को भारत सरकार के प्रधान मन्त्री के सानिन्ध्य में एक समझौता हुआ।

श्री परसराम मदेरणा : जून में नहीं मई में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 10 मई, 1984 को एक समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार इस सरकार ने यह स्वीकार कर लिया कि आनन्दपुर साहिब मुकेरिया और बाकी की पन विद्युत परियोजनायें जिनमें राजस्थान अपने हिस्से का क्लेम कर रहा है या हिस्सेदारी के सम्बन्ध में अभी तक विवाद तय नहीं हुआ है वे सारे मामले सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर दिये जायं और उसके साथ ही उन्होंने यह फैसला कर लिया कि रोपड़ थर्मल प्लाण्ट स्टेज वन के लिए 600 क्यूसेक पानी पंजाब को दे दिया

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जाय। पंजाब को पानी दे दिया; देने का इन्होंने निर्णय कर दिया। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह आता है कि सारे एग्रीमेंट को आप देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि पानी भी कामन पूल से दिया जायेगा। इस विधान सभा में यह चर्चा हुई थी कि पंजाब अपने हिस्से का पानी मांगता है लेकिन इस एग्रीमेंट को आप गम्भीरता से पढ़ें तो ऐसा लगता है कि बी. एम. एल. की ओरिजनल पोजीशन रेस्टोर नहीं होगी। मई, सन् 1985 जिसकी आखिरी डेट है, मई, 1985 तक जब तक भाखरा मेन केनाल की केपेसिटी 12500 क्यूसेक की रेस्टोर नहीं हो जायगी उस समय तक कहीं इस एग्रीमेंट में लिखा हुआ नहीं है कि पंजाब अपने हिस्से का पानी यूज करेगा। मैं इस सदन की जानकारी के लिए इस एग्रीमेंट के एक पार्ट को पढ़कर सुनाना चाहूंगा जिससे सरकार स्पष्ट कर दे....

On restoration of BML to its designed capacity;

डिजाइन्ड केपेसिटी नहीं है मीन्स, मोड़े बारह हजार क्यसेक पानी और मई, 1985 वह तारीख है जिसमें इस एग्रीमेंट में मई, 1985 तक बी एम एल की पोजीशन रेस्टोर कर दी जायेगी या तो रेस्टोर पहले हो जाय तो पहले या बाद में हो तो बाद में, लेकिन लिखा है....

On restoration of BML to its designed capacity, or May 1985, whichever is earlier, any drawal of cooling water as determined by the BBMB from NHC=Nangal Hydel Canal by Punjab will be out of Punjab's share in MBL.

इसका मतलब यह है कि रेस्टोरेशन तक यदि पंजाब ने वहां को पानी लिया तो उस बारे में इस एग्रीमेंट में कहीं उल्लेख नहीं है कि किसके हिस्से का होगा और अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार यह एग्रीमेंट कराने वालों ने राजस्थान के साथ एक मिसचीव की है और मिसचीव इस सम्बन्ध में की कि अयोग्य मुख्यमंत्री और अयोग्य सिंचाई मन्त्री हैं। राजस्थान के पानी को लेने का सवाल नहीं आता बल्कि पंजाब को हम पानी दे सकें। इस तरह का समझौता इनके सिर पर थोप दिया जाय कि रोपड़ थर्मल प्लाण्ट के लिए इनको राजस्थान के हिस्से का पानी देना पड़ा। यह पानी का विवाद आज एक जगह से नहीं, कई जगह से चल रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा सरकार से कि आपने किस आधार पर एग्रीमेंट किया, आपको विधान सभा या सरकार ने किस समय अधिकार दिया था कि आप कामन पूल से जिसका हिस्सा पंजाब, राजस्थान और हरियाणा तीनों का हो सकता है, आप पंजाब को इस प्रकार से पानी दे दें।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी करना चाहूंगा कि विधान सभा ने आपको स्टेटमेंट डाइरेक्शन दिया था कि जब तक आनन्दपुर साहिब का फैसला नहीं हो, आप रोपड़ थर्मल प्लाण्ट के लिए पानी नहीं दे सकते। आज रूल्स के आधार पर ब्रीच आफ प्रिविलेज नहीं होता हो, ब्रीच आफ कमिटमेंट नहीं होता हो, एश्योरेन्स का वायोलेशन नहीं होता हो लेकिन राजस्थान के साथ

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

राजस्थान के मुख्य मन्त्री जी ने और सिचाई मन्त्री जी ने जो अन्याय किया है, अध्यक्ष महोदय, यह कहीं दुनिया में आपने सुना है कि मैं जिस मकान में रहता हूँ, उस मकान के सामने पांच आदमी आकर खड़े होकर कह दें कि मकान तुम्हारा नहीं है। मकान मेरे दादा ने बनाया, मेरे पिताजी उसमें रहते आ रहे हैं, मैं उसमें रह रहा हूं और उसमें जाकर पांच आदमियों के कहने से कोई यह फैसला करले कि इसका फैसला कोई न्यायालय करेगा। हमारा आनन्दपुर साहब में हिस्सा है, हमारा मुकेरियां में हिस्सा है, हमारा रावी और व्यास में हिस्सा है, हमारा सतलज में हिस्सा है, हमारा सब में हिस्सा है। इस हिस्से के आधार पर नांगल से बिजली ले रहे हैं, पोंग से बिजली ले रहे हैं, व्यास से बिजली ले रहे हैं। जिस आधार पर हम क्लेम कर रहे थे इस XXX सरकार ने अपने क्लेम को भी डुबो दिया और कह दिया कि भारत सरकार जो फैसला करेगी उससे होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि आपको अधिकार किस ने दिया। ऐसे प्रश्न के ऊपर, अध्यक्ष महोदय, कोई भी ईमानदार सरकार होती और निष्ठावान सरकार होती तो अगर कोई आवश्यकता होती तो विधान सभा का सत्र बुला लिया जाता और विधान सभा के सत्र को बुला कर उसकी अनुमति ली जाती। हमारे पहले के जो स्टैंड थे उनको भी आपने गिरवी रख दिया। मैं इसलिए चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह सरकार तैयार हो या नहीं हो, इस एग्रीमेंट के ऊपर इस सदन में चर्चा होनी चाहिए। इस सरकार ने इसके बाद में भी कुछ एग्रीमेंट किये हैं। पोंग के बारे में एग्रीमेंट किया है, हिमाचल की सरकार से। उसमें भी ऐसे लेकूनाज रखे हैं उन लेकूनाज को आज भी अगर प्लक करने की कोशिश नहीं की गई तो राजस्थान को कहीं से भी कोई बिजली प्राप्त नहीं होगी। राजस्थान अन्धेरे में पड़ा रहेगा। मैं चाहूंगा मन्त्री जी, विधान सभा चाहे दो दिन बैठे या तीन दिन बैठे, आप में यदि हिम्मत हो, आप में यदि नैतिक साहस हो तो इस एग्रीमेंट को इस सदन में चर्चा के लिए रखिये। आपको उस समय पता लगेगा कि आपने राजस्थान के हितों पर किस तरह से कुठाराघात किया है। परसरामजी का उस दिन का वक्तव्य है। यहां पर बड़े जोर-शोर से बोल रहे थे, तीर कमान चला रहे थे, हम किसी से दबने वाले नहीं है। हमने भारत सरकार को कह दिया है कि हम तुम से डरने वाले नहीं हैं। मुख्य मन्त्री जी सुन लीजिए इस सदन की राय। हमें आवश्यकता पड़ी तो हमने दो लाख रुपये का प्रावधान रखा है, हम सुप्रिम कोर्ट में भी चले जायेंगे। परसरामजी उस समय क्यों चुप हो गये जिस समय इस एग्रीमेंट पर दस्तखत हुए। आप क्या उस समय असेम्बली को कोंफीडेन्स में नहीं ले सकते थे। क्या उस समय सदन की पार्टीज, विरोधी पक्षों को नहीं बुला सकते थे। अध्यक्ष महोदय, यह जो समझौता किया है कोई कांग्रेस पार्टी का समझौता नहीं है। यह समझौता केवल कांग्रेस पार्टी पर लागू होगा, ऐसा भी नहीं है। राजस्थान की करोड़ों जनता पर इसका असर होगा। नैतिकता होती इस सरकार के अन्दर तो विरोधी पक्ष को

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

भी कोंफीडेन्स में लेकर इस प्रकार के एग्रीमेंट की तैयारी करती। इन्होंने राजस्थान की जनता के साथ विश्वासघात किया है। इस सदन का अपमान किया है। राजस्थान को अन्धेरे में रखा है और इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे संरक्षण चाहूंगा इस मसले पर कि यह इम्पोर्टेंट मसला है। विधान सभा की बाकी कार्यवाही को स्थगित किया जा सकता है लेकिन इस प्रश्न पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के सम्माननीय नेता ने कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : व्यवस्था का नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : व्यवस्था का नहीं है। उनके पास में व्यवस्था का नहीं था इसलिए इन्होंने 295 का सहारा लिया और इस प्रश्न को उठाते हुए माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने तीन-चार बातें राज्य सरकार के सम्बन्ध में कहीं। एक तो यह बात कही कि सदन में जो आश्वासन दिया था उससे सरकार मुकर गई। रावी व्यास और सतलज की नदियों पर पंजाब द्वारा जो प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं उसमें राजस्थान के हाईडल प्रोजेक्ट शेयर का जो क्लेम है उस क्लेम को इन्होंने नकार दिया या क्लेम को छोड़ दिया। राजस्थान के हितों पर जबरदस्त कुठाराघात हुआ है और राजस्थान की इस विधान सभा को अन्धेरे में रखा गया है। यह तीन-चार बातें जो इन्होंने यहां पर रखीं, मैं समझता हूं कि वह निराधार हैं। जहां तक इस पर डिबेट करने का प्रश्न है, या सदन को कोंफीडेन्स में लेने का प्रश्न है, इस सरकार के समझौता करने का प्रश्न है..

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय जो वक्तव्य दे रहे हैं हमारी मांग होगी कि इनके वक्तव्य को विचारार्थ लिया जावे।

श्री परसराम मदेरणा : विचारार्थ लेने से मैं घबराता नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष : आपने नियम 295 के माध्यम से उठाया है, डिबेट का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

कार्य सलाहकार समिति चाहे या और कोई माध्यम हो, यहां पर आपने एक बात कही है उसका उत्तर दे रहे हैं माननीय मंत्रीजी।

श्री परसराम मदेरणा : एक मामले को अबरप्टली उठा कर सरकार पर दोषारोपण करें और दोषारोपण के साथ में सरकार को ब्लाक में खड़ी कर दें तो मुझे क्या इतना भी अधिकार नहीं है कि प्रिलिमिनरी जो बातें कहीं हैं उसको मैं डिनाई करू, कान्ट्राडिक्ट करू रिपियूट करू।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बोलिए उस पर मेरी आपत्ति नहीं है। आप बोलिये, आज बोलिये, अभी बोलिये उस पर आपत्ति नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि मसला ऐसा है, इस मसले पर पूरा विचार हो। आप बोलिये उस पर मुझे आपत्ति नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, सरकार को भी इस पर कोई एतराज नहीं है कि इस पर चर्चा नहीं हो और स्टेटमेंट अगर आपकी आज्ञा हो, स्टेटमेंट

(श्री परसराम मदेरणा)

दिलाना चाहते हों तो आपके सोचने बात है। जहां तक प्रश्न जो उठाया गया है....

श्री अध्यक्ष : आपने जो तत्काल प्रश्न उठाया है उसके बारे में आप कुछ कहना चाहें तो आप संक्षेप में कह दें।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, जो कुछ समझौता 10 मई 1984 को हुआ है, लोंग आउट स्टैंडिंग जो प्रोजेक्ट के शेयर के बारे में आज से पिछले 15 और 20 सालों से मामला चल रहा था इसके लिए हमने रास्ता प्रशस्त किया है और सोर्ट आउट किया है और सुप्रिम कोर्ट से ओपिनियन लेने की बात इस एग्रीमेंट में कही है। अगर यही राजस्थान के हित में नहीं है तो पूर्व में भी आपने यह बात कही थी कि आर्बिट्रेशन में किया जावे....

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह बात नहीं कहो।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय, बाधा नहीं डालें।

श्री परसराम मदेरणा : पूर्व में यह सरकार का स्टेंड रहा है। राज्य के हितों की सुरक्षा की गई है। राज्य को ज्यादा बिजली मिले उसको एन्श्योर करने के लिए, इस मामले को सोर्ट आउट करने के लिए, हल निकालने के लिए सुप्रिम कोर्ट की ओपीनियन लेने के लिए एग्रीमेंट किया गया है। जहां तक प्रश्न है 22 अप्रेल को क्या चर्चा हुई, 22 अप्रेल का अभी, अध्यक्ष महोदय, मेरे पास डाकूमेंट नहीं है....

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : 12 अप्रेल।

श्री परसराम मदेरणा : हां, 12 अप्रेल, 1984 को इस आबस्ट हाउस में चर्चा जो हुई थी वह जनरल में हुई थी। 25 फरवरी 1984 को जो एक डिसिजन ले लिया था एनर्जी मिनिस्ट्री ने यूनिलेट्रली और उस यूनिलेट्रली डिसिजन के सम्बन्ध में चर्चा हुई थी। हम यह चाहते थे कि आनन्दपुर साहिब के हाईडल प्रोजेक्ट में राजस्थान का जो शेयर के लिए क्लेम है उस मामले पर विचार किया जाना चाहिए। उस मामले को इसके साथ तय किया गया है। इसलिए राजस्थान के हितों को सुरक्षित रखते हुए वह एग्रीमेंट किया है, यह राज्य के हितों के अनुरूप है, राज्य के लिए वह बहुत मुफीद और फायदेमन्द है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, दो प्रश्न अभी तक रह गए। इस एग्रीमेंट के अनुसार वह हितों का तो नहीं है लेकिन आप चर्चा कर रहे हैं इसलिए मैं उस विवाद में तो नहीं जाना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : आपने बात कही उसका उन्होंने उत्तर दिया है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मामला एक दो मिनट का नहीं है। प्रश्न यह है कि पानी किस का जाएगा? उसका जबाब नहीं दिया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानकारी करना चाहूंगा कि रोपड़ थरमल प्लाण्ट को पानी देने के लिए नांगल हाईडल चैनल से जो रेगुलेटर लगाये हैं क्या 15 दिन पहले उस रेगुलेटर की हाईट नीचे नहीं कर दी, जिसके कारण राजस्थान को पानी नहीं मिल रहा है।

श्री परसराम मदेरणा : पानी जोर हो है। पंजाब के अकाउण्ट में डाला जा रहा है रोपड़ के ऊपर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : है कहां इस एग्रीमेंट में? कहां है, आप बता दें।

(व्यवधान)

आप बता दीजिए, एग्रीमेंट में कहां है कि पंजाब के हिस्से से पानी जाएगा।

श्री परसराम मदेरणा : XXX वह तो है।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस एग्रीमेंट में बताइये कि कहां है। यह एग्रीमेंट पड़ा है।

श्री परसराम मदेरणा : पंजाब के हिस्से से बी एम एल में है वह पंजाब के हिस्से से जाएगा रोपड़ में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पंजाब के हिस्से से पानी जाता तो यह एक लाने की आवश्यकता नहीं थी।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय, इस प्रश्न की गहराई में जाना चाहते हैं तो इसको अन्य किसी माध्यम से उठायें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं किसो अन्य माध्यम से उठा लूंगा लेकिन इसमें आपकी कृपा चाहिए।

श्री अध्यक्ष : ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : आपकी कृपा नहीं होती तो आपको यों ही खड़ा कर दिया। आपकी कृपा का ही फल है यह।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माध्यम की बात कह रहे हैं, माध्यम तो मैं जानता हूं। लेकिन आपकी कृपा होगी तो माध्यम काम कर जाएगा।

श्री अध्यक्ष : वर्तमान में तो चर्चा समाप्त कर देते हैं उसके बाद में यदि किसी माध्यम से इस प्रश्न को उठायेंगे तो उस पर बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक सदैव विचार करते रहे हैं, फिर भी विचार करेंगे।

समिति का प्रतिवेदन

(६) कार्य सलाहकार समिति का 26वां प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति के 26वें प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार। संसदीय कार्य मंत्री जी।

श्री देवेन्द्रसिंह (राज्य मंत्री, कृषि) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं कार्य सलाहकार समिति के 26वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 26वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

26वां प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति ने सदन में दिनांक 17 व 18 अक्टूबर, 84 को विचारार्थ लिये जाने वाले विषयों पर विचार किया।

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार विलोपित किया गया।

(श्री देवेन्द्र सिंह)

समिति ने अपने 25वें प्रतिवेदन में आंशिक संशोधन करते हुए निर्णय लिया कि दिनांक 17 एवं 18 अक्टूबर, 1984 के लिए कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाय :—

17 अक्टूबर, 1984 (1) संविधान (53 वां) संशोधन विधेयक, 1984 के अनुसमर्थन से संबंधित शासकीय संकल्प।

(2) संपदा शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 1984 (केन्द्रीय अधिनियम) को अभिस्वीकार करने से संबंधित शासकीय संकल्प।

(3) अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 1984-85 (प्रथम संकलन) एवं इससे संबंधित विनियोग विधेयक।

(4) वर्ष 1977-78 के लिये अतिरेक की मांगें एवं इससे संबंधित विनियोग विधेयक पर विचार एवं उनका पारण।

गुरुवार 18 अक्टूबर, 1984 (1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के आयुक्त के 26वें एवं 27वें प्रतिवेदन से संबंधित प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, यह तो दो दिन में होने वाला नहीं है।

श्री अध्यक्ष : इस पर बहुत गहराई से विचार किया था कार्य सलाहकार समिति ने और काफी सलाह के पश्चात् यह कार्यक्रम निश्चित किया गया था और यदि विपक्ष का सहयोग रहेगा तो मैं समझता हूं, कि इस कार्य को....

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री) : आप व्यस्त थे पूना के अन्दर और सरकार हटाने का प्रस्ताव पास कर रहे थे। यों प्रस्तावों से सरकारें हटती हों तब तो कभी भी हटा देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सरकार को प्रस्ताव से फेंकने की जरूरत ही नहीं है, यों ही फेंकी जाएगी। सरकार तो जाने वाली है, रहने वाली नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : वह जनता के हाथ में है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जनता की नब्ज आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं और जनता ने पहचान लिया है कि इस राज को जल्दी रवाना किया जाय, इसमें कोई दो राय नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, अभी तो जनता की नब्ज पकड़ने की अटकल ढीली पड़ गई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन आप आप तो नब्ज पकड़ना ही नहीं जानते, नब्ज कहां है यह भी नहीं जानते। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कुछ महत्वपूर्ण मसले हैं, यह बात सही है कि हम उनको शुरू में नहीं उठा सके। एक तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि फाइनेंस कमीशन के अवार्ड को लागू नहीं करने के कारण हमें हानि हुई है, उसके बारे में सरकार का वक्तव्य आना चाहिए। दूसरा रोपड़ थर्मल प्लाण्ट के लिए एग्रीमेंट हुआ उस पर सरकार की तरफ से वक्तव्य आना चाहिए। अगर वक्तव्य से संतोष हो जाता है तो हम चर्चा नहीं करेंगे, फाइनेंस कमीशन के मामले में भी यदि हो जाय। एक,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मुख्य मंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश से कोल का एग्रीमेंट किया है उसको भी सदन की मेज पर रखा जाय, उस पर भी सरकार की ओर से वक्तव्य देना चाहिए । एक को-आपरेटिव मिनिस्टर बैठे हैं आज उनका बिल भी है, एक उन्होंने जश्ने आम किया था उससे क्या रिजल्ट्स निकले, लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं । हम भी अगर रिजल्ट अच्छे निकले हों तो निश्चित रूप से श्रीरामजी को विश्वास दिला सकता हूं कि हम भी उनकी तारीफ करेंगे लेकिन जश्ने आम के परिणाम क्या निकले हैं—

(व्यवधान)

जश्न तो मुख्य मंत्री जी ने मनाया था तीन वर्ष का, वह अभी गले पड़ा हुआ है।

श्रीराम गोटेवाला : 3 नहीं 4 वर्ष का था वह ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसलिए यदि मंत्री महोदय ने कुछ आंकड़ों का संकलन किया हो, कोई जानकारी हो तो सदन को बताने की कोशिश करें कि इस अभियान के क्या परिणाम निकले हैं ताकि भविष्य में आज जो प्रोब्लम आ रही है उनका समाधान हो सके । इस बारे में चर्चा की जाय ।

श्री अध्यक्ष : वह को-आपरेटिव सोसायटी का संशोधन आ रहा है उसको पारित करेंगे उस वक्त चर्चा कर सकते हैं उसमें आसन की ओर से भी छूट रहेगी कि यदि आप कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को छूना चाहते हैं तो छूट रहेगी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक आपको स्मरण होगा पिछली बार आपने फरमाया था कि अगले सत्र में बिजली बोर्ड के बारे में चर्चा करेंगे, वह रेकार्ड में है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : यह तो माननीय सदस्य को विदित ही है कि कार्य सलाहकार समिति की बैठक 11 अक्टूबर को रखी थी लेकिन पक्ष और विपक्ष के वरिष्ठ सदस्य अन्य कार्यों से बाहर गये हुए थे इसलिए उस दिन यद्यपि पूरे सत्र का कार्य निर्धारित किया था फिर भी आवश्यक संशोधन आदि करने के लिए कल हमने फिर बैठक रखी, काफी विस्तार से विचार किया और यह बात आई कि बिजली बोर्ड के संबंध में चर्चा नहीं होगी । बिजली बोर्ड को लेने के बारे में भी चर्चा हुई । माननीय सदस्यों ने, जो समिति के सदस्य हैं, उन्होंने प्रश्न उठाया । सब मुद्दों पर विचार करने के पश्चात् इस नतीजे पर पहुंचे, हालांकि अधिकतर माननीय सदस्यों की राय यह थी कि 17 को सत्रावसान कर दिया जाय लेकिन आप समझते हैं कि मैं सदैव अधिक से अधिक चर्चा हो इस पक्ष में रहता हूं इसलिए विशेष आग्रह करके इसको 18 करवाया । 18 में फिर प्रश्न यह उठा कि एस. सी. एस. टी. कमिश्नर की रिपोर्ट या बिजली बोर्ड इन दोनों में से कौनसे प्रतिवेदन को लिया जाय तो फिर राय यह बनी कि एस. सी. एस. टी. कमिश्नर का जो प्रतिवेदन है उसमें काफी लम्बे समय से विचार हो रहा है सरकार की ओर से उसमें उत्तर आना चाहिए । यह काफी विचार विमर्श के बाद लिया है, यह मैं निवेदन कर दूं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, वो तो जितनी विधान सभा

60

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

चलेगी उतना ही आपका महत्व बढ़ेगा सरकार भी उतनी ही अलर्ट रहेगी।

श्री अध्यक्ष : इसका महत्व तो मैं अच्छी तरह से समझता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसलिए आप तो हमारे साथ रहें। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि पिछली बार भी आपने एश्योरेंस दिया था कि अगले सत्र में विद्युत बोर्ड पर विचार करेंगे और हम इस विश्वास में थे कि अगला सत्र तो होना नहीं और होता है तो भी इस सरकार की जिम्मेदारी नहीं, इसलिए मैं चाहता हूं कि विद्युत बोर्ड के बारे में चर्चा हो।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, अगला सत्र क्यों नहीं होगा, इस हाउस की अवधि तो अभी जून तक है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो मुझे मालूम है। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जब से मुख्य मंत्री शिवचरण माथुर बने उस समय से पब्लिक सर्विस कमीशन पर कभी चर्चा नहीं हुई। यह असेंबली पर बदनामी आएगी कि पी. एस. सी. की रिपोर्ट सत्र में विचारार्थ नहीं ली जाय यह तो मैं समझता हूं कि एक्सप्रेसन होगा इसलिए सरकार यदि थोड़ी बहुत भी सेंसेटिव है तो इस प्रश्न पर—

श्री अध्यक्ष : यह सभी प्रश्न आये थे और मैं यह नम्र निवेदन कर दूं कि विपक्ष के वरिष्ठ नेता बाहर गये हुए थे इसलिए बहुत इन्तजार भी किया। यह सभी प्रश्न कल आये थे और उस पर विस्तार से विचार करने के तत्पश्चात् निर्णय लिया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग और बुलाई जा सकती है, मामूली सा खर्चा होता है, हम बैठेंगे, बात करेंगे, निर्णय हो जाएगा। चाय नहीं पीयेंगे अगर आप खर्चा बचाना चाहेंगे तो।

श्री परसराम मदेरणा : कल आप, मेरी समझ में, बहुत नैरोली प्लेन मिस कर गये क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : जो आपने मुद्दे उठाए वे सभी सामने रखे गये थे और वह भी आसन की तरफ से।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आसन की तरफ से रखे हुए मुद्दों को नहीं माना जाय यह तो हमारे लिये और भी विचारणीय बात है।

श्री अध्यक्ष : यह तो स्वतंत्र रूप से चर्चाएं होती हैं और चर्चा के बाद निष्कर्ष निकलते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपसे और मदेरणा साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि 3-4 मसले ऐसे हैं कि जिन पर चर्चा की जाय। यह कोई व्यक्तिगत मसले नहीं हैं। बोर्ड का मसला और रोपड़ का एग्रीमेंट व्यक्तिगत नहीं है, राजस्थान का पक्ष प्रबल होगा, हित सुरक्षित होंगे। ऐसे मसलों पर तो स्वयं राज्य सरकार को आगे आना चाहिए, वह आगे नहीं आ रही है इसलिए आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि बी. ए. सी. की मीटिंग और बुला ली जाय उसके बाद सरकार कन्वींस नहीं होती है तो कोई और रास्ता देखेंगे लेकिन पहले

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आवश्यक यह है कि बी. ए. सी. के माध्यम से इन मसलों पर विचार करने का अवसर दिलाया जाय।

श्री अध्यक्ष : यह छोटे सत्र के लिए दो बार बी. ए. सी. की मीटिंग नहीं बुलाई जा सकती।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : छोटा सत्र कर क्यों रहे हैं, कौन सा भूकम्प आ रहा है कि सरकार भाग रही है।

श्री अध्यक्ष : यह शुरू से ही रहा है कि यह छोटा सत्र होगा, इससे आगे नहीं होना चाहिए। हमारे सामने भी कल प्रश्न आया था कि 17 तारीख के रिजर्वेशन करवा लिये हैं, बहुत से प्रश्न आये थे। हमने कहा कि एक दिन तो बढ़ना ही चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रिजर्वेशन तो लंबा होगा उसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन रिजर्वेशन्स के कारण आप विधान सभा की कार्यवाही स्थगित कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन किया था कई तरह की कठिनाइयां हैं, मन ऐसा बना हुआ है आगे फिर दो छुट्टियां आ जाती हैं उसके पश्चात् दीवाली आ जाती है। इन परिस्थितियों के अन्दर····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सरकार मन से चलती है, काम से नहीं चलती—

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, हमने जो बिजनेस सरकार के पास था वह बी. ए. सी. के सम्मुख रख दिया, इसके अलावा सरकार के पास कोई बिजनेस नहीं है। विपक्ष के नेता महोदय ने मामला उठाया है, वे चाहते हैं कि कुछ मामलों में यहां पर चर्चा होनी चाहिए और खास तौर से कह रहे हैं, सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया है ? सरकार भागना चाहती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : भगा रहे हैं लोग।

श्री परसराम मदेरणा : सरकार इस राज्य की सभी राष्ट्रीय और राज्य की जो राजनैनिक पार्टियां हैं उनको मजमे आम में खड़ा करना चाहती है और उसमें हम भी सम्मिलित हैं, कहीं भाग नहीं रहे हैं, जनता के दरबार में जा रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार का जो लेजिस्लेटिव बिजनेस है, आपने बिल रख दिये, किन-किन पर चर्चा होनी है किन-किन को पारित करवाना है। क्या क्या संशोधन करवाने हैं यह एक लेजिस्लेटिव बिजनेस है। दूसरा बिजनेस होता है स्टेच्यूटरी ओब्लीगेशंस सरकार के ऊपर, जैसे कारपोरेशन की रिपोर्ट पर डिस्कशन करना। यह रूल्स में प्रावधान है। स्टेच्यूटरी ओब्लीगेशन जो सरकार पर है उस बिजनेस को आप हमेशा उपेक्षा करते हैं। आप मुझे बता दीजिये पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट क्या हाउस में डिस्कस होने का प्रावधान नहीं है, क्या आपने डिस्कशन किया है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की रिपोर्ट पर क्या आपने डिस्कशन किया है। आपने कारपोरेशंस की रिपोर्ट जो सदन में रखी जाती हैं उन पर डिस्कशन किया है····

श्री परसराम मदेरणा :····यह सब बातें बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के समय सामने आयी हैं। आपकी पार्टी के

62

(श्री परसराम मदेरणा)

वरिष्ठ माननीय सदस्य वहां पर बैठे हुए थे। वे आपकी पार्टी को रिप्रेजन्ट कर रहे थे। गवर्नमेन्ट ने अपना बिजनेस, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को बताया था। उसके बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने सर्व सम्मति से निर्णय लिया था और निर्णय लेने के बाद जो रिपोर्ट है वह सदन के समक्ष प्रस्तुत की है। ऐसी सूरत में जब आप खुद उपस्थित नहीं हुए, आपके वरिष्ठ सदस्य ने वहां कमिटमेन्ट किया है उसको आप इस तरह से एक्स्ट्रा मेटर को इंडल्ज करते हैं यह संभव नहीं है।····

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है माननीय भैरोंसिंह जी ऐसा समझते हैं कि उनके बिना सारी दुनियां बेकार है। उनका यह सोचना तो वाजिब नहीं है, उनके बिना भी दुनियां चलती है। वे महत्वपूर्ण आदमी हैं परन्तु इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं कि उनके बिना काम नहीं चले····

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, बिजनेस की बात हाउस में आ गयी है। प्रतिपक्ष के नेता जब मुख्य मंत्री थे और इस सदन के नेता थे, मुझे याद है कि कार्य सलाहाकार समिति की बैठक में सन 1979 में मैंने यह कहा था कि सदन की कार्यवाही को दो-तीन दिन और चलाया जाये। उस वक्त तत्कालीन मुख्य मंत्री ने कहा था कि हमारे पास में बिजनेस नहीं है।····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने किस कार्य के लिये बढ़ाने की मांग की थी? बताइये····

श्री परसराम मदेरणा : वह तो फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ज्यादा जानते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं···· डाक्टर साहब बीच में ही बोल गये। डाक्टर साहब बड़े आदमी हैं, अच्छे प्रोफेशनल हैं। पहले हमारे साथ थे। हमारा भी काम उनके बिना नहीं चलता था। आज कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। वहां भी उनके बिना काम नहीं चलता है। चुनाव के बाद वे किस पार्टी में होंगे, वहां भी उनके बिना काम नहीं चलेगा, यह तो मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन मैं निवेदन करूंगा काम चलाने का सवाल नहीं है। यह गवर्नमेन्ट कतराती क्यों है? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की रिपोर्ट पर डिस्कशन हो जाये तो कौन सी समस्या आ जायेगी? कौन सी समस्या हो रही है? अध्यक्ष महोदय, हमारे पार्टी के वरिष्ठ सदस्य वहां पर थे लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऊपर अगले सत्र में चर्चा होगी, यह कमिटमेन्ट जिस कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग में हुआ था, उसमें मैं था। उनको इसकी जानकारी नहीं थी। उस समय चर्चा हुई थी कि पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। उस समय यह जानकारी नहीं थी। आप राजस्थान के हितों को रोपड़ के मामले में गिरवी रख देंगे। यह उस समय किस को मालूम था। यह सब कागज देखने के बाद पता लगा है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपकी उपस्थिति में सरकार ने एश्योरेंस दिया है, हम उस भरोसे उस समय चर्चा नहीं कर सके। कम से कम इनके ऊपर तो चर्चा करवाइये।····

श्री अध्यक्ष : मैंने कल निवेदन कर दिया था। आप पूछ सकते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो चर्चा चली....

श्री परसराम मदेरणा : इस सन्दर्भ में आपकी स्मृति को ताजा करते हुए यह रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर चर्चा हो चुकी है। यह कल चर्चा हुई थी....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कौन सी चर्चा हुई थी। किसने कहा था ?

जब आपको पता नहीं है। आप दूसरी तरफ इशारा क्यों कर रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : बी. ए. सी. में चर्चा हुई थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं मानता हूं परन्तु जिस समय पहाड़ियाजी चीफ मिनिस्टर थे। शिवचरण जी ने तो वह भी नहीं किया है। वह आदमी कम से कम इस मामले में तो उदार था। चाहे दुनिया भर में आप उनकी बुराई करते फिरो तीन वर्ष के जश्न में आपने पहाड़िया जी का नाम नहीं लिया। विधान सभा में तो नियम बने हुए हैं। आपको क्या दिक्कत हो रही है, एक दिन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर चर्चा हो जाये, आधा दिन पब्लिक सर्विस कमीशन पर। मैं ज्यादा टाईम नहीं लूंगा। जो रोपड़ का एग्रीमेन्ट सरकार ने किया है उस पर चर्चा कर लें। आपका पक्ष बहुत प्रबल है। आपने बहुत अचीव किया है। फिर आप क्यों डरते हो। मुंह क्यों छिपाते हो। राजस्थान के हितों को आपने डुबो दिया है और यहां पर चर्चा भी नहीं करना चाहते हो। यह दो चीजें नहीं चलेंगी। इसलिये मैं निवेदन करूंगा आप इनके ऊपर चर्चा करिये। मैं फिर से निवेदन करूंगा चर्चा का समय सरकार को देना होगा और आपको इ[illegible]यवस्था करनी पड़ेगी।

श्री परसराम मदेरणा : न तो हम मुंह छिपा रहे हैं और न कतरा रहे हैं। जो एग्रीमेन्ट किया है वह राजस्थान के हित में किया है। हम क्यों मुंह छिपाएंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : डुबो दिया है राजस्थान को....

श्री परसराम मदेरणा : राजस्थान के इन्टरेस्ट को रखा है। हमने राजस्थान के हितों को सुप्रीम रखा है। कौन मुंह छिपा रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ....आप चर्चा करिये यदि आपने राजस्थान के हितों का संरक्षण किया है। आप चर्चा कर लें। राजस्थान के साथ अन्याय किया है इसलिए चर्चा से डरते हैं। XXX राजस्थान के हितों का बलिदान कर दिया है। बलिदान करते जा रहे हैं।....

(व्यवधान)

आज ही चर्चा कर लें, मैं तैयार हूं.... अध्यक्ष महोदय, इनका पक्ष कमजोर है।

श्री परसराम मदेरणा : कमजोर पक्ष कतई नहीं है। आप बड़े हैं, आपने बहादुरी से बात कह दी इसलिये....

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अलोपित की गई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप भाषण देकर····

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जायेगी····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ····आपने दो लाख मन्जूर किये थे, यह सी. एम. और परसरामजी ने कहा था। XXX इस सदन में आपने कहा था कि राजस्थान की जनता हमारे साथ है, राजस्थान का बहुमत हमारे साथ है। कहां गया बहुमत आपके साथ? अपनी कुर्सी को बचाने के लिये आप राजस्थान को बेच रहे हैं। अपनी रोटी चलाने के लिये आपने पूरे राजस्थान को बेच दिया। किस मुंह से बोलना चाहते हैं। नैतिक साहस है तो रखो प्रस्ताव चर्चा के लिये····

श्री परसराम मदेरणा : बिलकुल नैतिक साहस है।···· हमने राजस्थान के हितों को आगे बढ़ाया है। क्या बात कर रहे हैं आप। तोड़ मरोड़ कर कह रहे हैं····

····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : XXX

(व्यवधान)

····पहले समझौता रावी-ब्यास का कर के पानी दे दिया, दूसरा समझौता कर के बिजली दे दी। तीसरा समझौता कर के फिर पानी दे दिया। राजस्थान का पानी दे दिया, बिजली दे दी शिवचरण जी माथुर ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिये। हिम्मत है तो प्रस्ताव रखें यहां पर।

श्री परसराम मदेरणा : राजस्थान के मुख्य मंत्री का जो दायित्व है, जो कर्त्तव्य है, उसके निर्वहन में काम किया है। राजस्थान के हितों को सुरक्षित रखा है, राजस्थान को फरदरेन्स किया है····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : राजस्थान को डुबो दिया है।

श्री परसराम मदेरणा : आप प्रतिपक्ष के नेता हैं इसलिये आपके कहने से ही सब सही नहीं होगा····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप डिसकस करिये।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : आप दूसरा आस्पेक्ट रखे रहे हैं····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं समझता था शिवचरण माथुर तो कमजोर हैं लेकिन यह भी समझा था कि उनके साथ परसराम मदेरणा जैसा मजबूत आदमी लगा हुआ है लेकिन यह उनसे भी ज्यादा XXX निकले, XXX ऐसी हालत में इस पर चर्चा की जानी चाहिये। यह आवश्यक मसला है।····

(व्यवधान)

XXX अभिव्यक्तियां/शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोकित किये गये।

आप में दम है तो रिक्वेस्ट करिये, चर्चा के लिये, रोपड़ के मामले पर.........

श्री परसराम मदेरणा : मैं अध्यक्ष हूँ क्या ? आपके और मेरे बीच में अध्यक्ष महोदय बैठे हुए हैं। आप क्या कहना चाहते हैं ? अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी है। अध्यक्ष महोदय के निर्देश के अनुसार सदन की कार्यवाही चलेगी।.......

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। .... कृपया स्थान ग्रहण करिये।.........ऐसा है वर्तमान में हमारे सामने जो विचारणीय विषय हैं वह कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार करने का है। जैसा कि मैंने निवेदन किया इस छोटे सत्र में भी दो बार कार्य सलाहकार समिति की बैठक बुलायी गयी और किस लिये दो दफा बुलायी गयी, यह मैंने पूर्व में निवेदन कर दिया। विपक्ष के नेता महोदय ने जो बात कही उसमें रावी-व्यास वाली बात की हम कल्पना नहीं कर सके थे। उस पर विचार नहीं हुआ था। अन्य जितने भी नियम 124 के अन्तर्गत जिन मुद्दों पर यहाँ विचार हो सकता है या जिनको चर्चा में लाना है या चर्चित करना या जिनके बारे में चर्चा करवाना सरकार का दायित्व है वह प्रश्न हमारे सामने आ गये थे। इन सब पर विचार करके कल इस नतीजे पर पहुँचे, यह बात हुई, यह सभी विषय कार्य सलाहकार समिति के सामने आये थे। उसके बाद यह निर्णय लिया कि 18 तारीख तक अधिकतर सदस्यों की यह राय थी कि 17 तारीख को सत्रावसान कर दिया जाये लेकिन फिर भी एक दिन और बढ़ाया अन्य कार्य के लिये। केवल सरकारी कार्य अतिरेक या इस तरह की जो मांगें हैं उनके बारे में विचार करके सत्रावसान कर दिया जाये।

मैंने कहा यह उचित नहीं होगा, एक दिन अन्य कार्यों के लिए लेना है और वह अन्य कार्यों के लिए 18 तारीख रख ली।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उससे पहले तो नहीं भागेंगे ये।

श्री अध्यक्ष : नहीं, साहब। मैं बारबार निवेदन करता हूँ, कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, भाग जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : नहीं, भाग जायेंगे तो मैं बैठा रहूँगा। जब तक मैं बैठा रहूँगा इसके मायने यह हैं कि सरकार जा नहीं सकती है। जब तक मैं हूँ सरकार जा नहीं सकती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कहीं ऐसा नहीं हो कि आप और हम अकेले ही रह जायें।

श्री अध्यक्ष : नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ, हमारी परम्पराएँ यही रही हैं कि एक आध बार को छोड़ करके जो कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन होते हैं वे आम तौर से सर्व सहमति से स्वीकार किए जाते हैं। उसके बाद में अगर कोई समस्या हैं, काफी समय है और चर्चा कर लेंगे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा विपक्ष के नेता से महोदय कि आज कार्य सलाहकार समिति का जो प्रतिवेदन है उसको स्वीकार करें।

मंत्रीजी।

श्री देवेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं

(श्री देवेन्द्रसिंह)

प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के छब्बीसवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सदन कार्य सलाहकार समिति के 26 वें प्रतिवेदन पर सहमति प्रकट करता है।

(स्वीकृत)

कार्य सलाहकार समिति के 26 वें प्रतिवेदन पर सहमति प्रकट की गई।

शासकीय वक्तव्य

मंत्रीजी द्वारा वक्तव्य।

बीकानेर में 7 अक्टूबर, 1984 को पुलिस द्वारा किया गया लाठी चार्ज

इस संबंध में माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूँगा कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना कई माननीय सदस्यों ने दी थी लेकिन समय का अभाव है इसलिए एक या दो माननीय सदस्य जो इच्छा व्यक्त करेंगे इस संबंध में बोलने का उनको 5-5 मिनट का समय दिया जायेगा। पहले मंत्रीजी का वक्तव्य होगा, इस पर एक-दो माननीय सदस्य बात कह सकते हैं या स्पष्टीकरण के तौर पर कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। गृह राज्य मंत्री।

श्री प्रद्युम्नसिंह।

श्री प्रद्युम्नसिंह (गृह राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से।

बीकानेर नगर में हुई हत्याओं व कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय रूप से बीकानेर में दिनांक 5-10-84 से दिनांक 11-10-84 तक सुरक्षा सप्ताह मनाने का आयोजन किया। वास्तविकता यह है कि बीकानेर में कानून व्यवस्था की स्थिति पूर्णतया संतोषजनक है और जो हत्यायें श्री प्रभु मोदी व श्री ओमप्रकाश मोची की हुई हैं, इन दोनों मामलों में मुलजिमान गिरफ्तार किये जा चुके हैं।

भारतीय जनता पार्टी ने दिनांक 5-10-84 को जिलाधीश कार्यालय पर जुलूस ले जाकर व पुलिस अधीक्षक को उनके कार्यालय पर जा कर चूड़ियां पहनाने का प्रयत्न किया तथा पुलिस के विरूद्ध कई अशोभनीय गालियां निकालीं व नारे लगाये परन्तु पुलिस द्वारा पूर्ण संयम बरता गया।

दिनांक 6-10-84 को भारतीय जनता पार्टी ने फिर जुलूस निकाला और जिलाधीश, बीकानेर के निवास स्थान पर जबरदस्ती घुसने की कोशिश की तथा पुलिस विरोधी व उत्तेजनात्मक नारे लगाये परन्तु पुलिस द्वारा पूर्ण संयम बरता गया।

दिनांक 7-10-84 को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्त्ता तांती बाजार, बीकानेर में एकत्र हुए जो शहर का सबसे संकड़ा बाजार है और वहाँ बीच बाजार में पुतला स्थापित किया जिससे समस्त यातायात अवरुद्ध हो गया कुछ नागरिकों ने इसका विरोध किया और पुलिस को सूचना दी जिस पर उप पुलिस अधीक्षक नगर बीकानेर मय जाब्ते के साथ वहाँ गये और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कानून अपने हाथ में न लेने के लिए समझाया। इस पर वे और ज्यादा उत्तेजित हो गये और पुलिस वालों पर डंडे व लाठी से आक्रमण किया व हाथा पाई की जिसके फलस्वरूप दो जवानों की वर्दी फट गई व पुलिस के 6 सिपाई घायल हुए जिनका

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

डाक्टरी मुआयना कराया गया।

इस पर स्थिति पर तात्कालिक नियंत्रण करने के उद्देश्य से निम्न 6 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया–

1–श्री ओम आचार्य
2–श्री ओम प्रकाश-झालानी
3–श्री द्वारका प्रसाद तिवाड़ी
4–श्री नरबदा शंकर
5–श्री शिव कुमार
6–श्री किशनलाल व्यास

इनके विरुद्ध अपराध संख्या 54/84 धारा–353, 332, 323, 147/148 व 149 भारतीय दण्ड संहिता दर्ज हुए। पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर किसी प्रकार का लाठी चार्ज नहीं किया गया। इनमें से श्री किशनलाल व्यास ने जमानत दे दी है तथा अन्य मुलजिमानों ने जमानत नहीं दी है और वे सभी न्यायिक हिरासत में हैं।

इसके पश्चात् दिनांक 8–10–84 से दिनांक 11–10–84 तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला और गिरफ्तारियां देने का कार्यक्रम रखा परन्तु पुलिस ने अपेक्षित संयम रखा और किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीरसिंह।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : अध्यक्ष महोदय, मुझे यही विश्वास था कि मंत्रीजी ऐसा ही वक्तव्य देंगे। अध्यक्ष महोदय, बीकानेर की कानून व्यवस्था संतोषजनक है, मंत्रीजी ने अपने वक्तव्य में कहा, किन्तु पिछले कुछ ही समय में वहां पर हत्यायें हुई हैं। केवल दो हत्याओं के बारे में जैसा मंत्रीजी ने कहा सारे मुलजिमान पकड़ लिये गये, नहीं पकड़े गये, एक श्याम सेवक की जो मृत्यु हुई है, हत्या हुई, इसमें 22 घण्टे तक पुलिस ने [illegible] डिक्लेरेशन नहीं किया, क्योंकि ये दोषियों को बचाना चाहते थे। जबसे एस. पी. रोहताश कुमार गये हैं, तब से सारा शांत बीकानेर अशांत हो चुका है। यदि आपने और समय दिया होता तो मैं बता सकता कि जसरासर, जैसलसर, लाभदेसर, सिजूगढ़––इनमें हत्याएं हुई हैं। जैसलसर में दो हत्याएं हुई हैं, बीकानेर में छः हत्याएं, ये 11 हत्याएं कुछ ही समय में हुई हैं। सारे बीकानेर में चोरियों का तांता लगा हुआ है। जिलाधीश कार्यालय में ताले टूट कर चोरी हुई, पोस्ट आफिस में ताले टूट कर चोरी हुई, हाई स्कूल में ताले टूट गये और जब बीकानेर में शादियां हो रही थीं तब दुकानों के ताले टूटे। कितने चोर पकड़ लिये इन्होंने, मान्यवर ?

इन हत्याओं के कारण एक प्रभु मोदी जो दर्शन करने जा रहा था; वहां उसकी हत्या हुई। पुलिस में एफ. आई. आर. दर्ज करायी इनके घरवालों ने कि वह गायब है तो रात को क्यों नहीं तलाश किया गया। सवेरे तक वह दम तोड़ चुका था, पुलिस की लापरवाही से। पुलिस वाले कुछ खुद इन्वोल्व हैं, अध्यक्ष महोदय। एक डिप्टी....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। ऐसे मान हानिकारक वाले मामले में तो आपको पूर्व में सूचना देनी चाहिए थी।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मैं नाम नहीं लूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

68

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया आप अपने आपको जो प्रस्ताव हैं उसी बारे में रखें।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : अधिकारी, एस. पी. या कलेक्टर हो उनका नाम तो लेना ही पड़ेगा नाम नहीं लेंगे तो कैसे पता लगेगा। यह तो वैसे ही X X X सरकार है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, स्कूटरों की चोरियाँ का तांता लग रहा है, साइकिलों की चोरियों का तांता लग रहा है। डी. वाई. एस. पी. का लड़का उस चोरी में पकड़ा गया। ऐसे एक उदाहरण नहीं अनेक उदाहरण हैं। लोग पुराने एस. पी., पुराने कलेक्टर को याद करते हैं। उनके पक्ष में जब लोगों ने बयान दिये कि पुराने एस. पी. ऐसे थे, सारी बातों का पता लगाते थे, सादे कपड़ों में आते थे तो इससे चिढ़कर वहाँ के एस. पी. ने एक पर्चा छपाया। यह पर्चा मान्यवर, इसमें प्रेस लाइन नहीं है। पुलिस के सिपाहियों ने पर्चा बीकानेर की सारी दीवारों पर चिपकाया और यह काम अब वहाँ के एस. पी. करने लग गये। क्या यह सही नहीं है कि बीकानेर के व्यापार मण्डल ने एक ज्ञापन दिया राज्यपाल को, एस. पी. और कलेक्टर को। क्या वहाँ के व्यापार मण्डल ने प्रदर्शन नहीं किया।

वह भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन था, अमन चैन की हालत है? शान्त बीकानेर अशांत हो चुका है। 7 तारीख को मैं स्वयं वहाँ गया था। पुलिस अत्याचार का, पुलिस अकर्मण्यता का, पुतला जलाने का कार्यक्रम था। मुझे पता चला कि एस. पी. ने आदेश दिया था पुलिस को कि पुलिस अत्याचार की अर्थी नहीं जलानी चाहिए। अत्याचार ही समाप्त हो गये तो पुलिस वाले क्या करेंगे। पुलिस को हिदायत दी गयी कि जो भी कोशिश करे उसको गिरफ्तार करें। यह सूचना मुझे सुबह थी। जैसे ही लोग सुबह इकट्ठे होने लगे, अत्याचार की अर्थी आयी, अर्थी को पुलिस वाले ले गये। 50—60 लोगों को चोटें आयीं, कई लोगों ने इस्तगासा दायर किया। सारा बाजार बंद हो गया। लोगों को पकड़कर ले गये। अध्यक्ष महोदय, फिर भी हम ने सोचा कि अर्थी जलायी जाय लेकिन हम को हिदायत दी गयी कि अर्थी नहीं जल सकती है। हम ने वहाँ पर जुलूस निकाला पुलिस के लाठी चार्ज के बाद। एक दुकान जहाँ पर अर्थी जलायी जानी थी वहाँ अर्थी तैयार थी। जब भाषण हो रहा था तब अर्थी में आग लगायी गयी। पुलिस वाले उस पर ऐसे टूट पड़े मानो कोई जिन्दा लाश जल रही हो। अध्यक्ष महोदय, लाठियों से वह लाश नहीं बुझ सकती थी क्योंकि उसमें तीन बोतल मिट्टी का तेल था। लाठियों से आग नहीं बुझी तो अर्थी को उठा लिया गया। फिर डी. वाई. एस. पी. ने मेरे सामने यह शब्द कहे "सी. आई. डी. वाले क्या भाड़ झोंक रहे थे, क्या जवाब देंगे उस बात को जाकर।" उनका यह कहना कि प्रधानमंत्री की अर्थी जलायी जा

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

69

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

सकती है, मुख्य मंत्री की अर्थी जलायी जा सकती है लेकिन एस. पी. की नहीं जल सकती है। एस. पी. के हाथ में पावर है। शान्त बीकानेर को अशान्त कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बाद भी निरन्तर कार्यक्रम हुए। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने एफ. आई. आर. लिख कर दी वह लोज नहीं की गयी। कलेक्टर से मैं मिला, कलेक्टर ने मुझे आश्वासन दिया कि मैं लोज करवाऊंगा, जो उन्होंने लिख कर दी है। लेकिन आज तक दर्ज नहीं हुयी। दूसरे दिन लाठी चार्ज हुआ। यह कहते हैं कि लाठी चार्ज नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, यह मेरे पास बीकानेर के सारे पत्रों की कटिंग्स हैं, नवज्योती, राजस्थान पत्रिका, अधिकार आदि की। सब के सब ने एक स्वर से लिखा है-संवाददाताओं को लाठियां लगी हैं। जिनको लाठी लगी उन्होंने इस्तगासा दिया है। यह कहते हैं कि लाठी नहीं चली। पांच लोग गिरफ्तार हुए, 6 लोग गिरफ्तार हुए थे उनमें एक कांग्रेस के नेता थे, बैंक के चेयरमैन शिवशंकर, पता चला तो उनको कोतवाली से छोड़ दिया गया। सबसे अधिक चोटें उनको थी। कोइ लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति नहीं थी, शांत जुलूस था। उनका मेडिकल हुआ, ज्युडिशियल में जाने लगे तो मेडिकल कराया। सब लोगों के चोटें मेडिकल में दर्ज हैं। किसी को चार, किसी को पांच, किसी को सात, किसी को दस चोटें आयी हैं।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : फिर ये कहते हैं, अध्यक्ष महोदय, कि किसी को चोटें नहीं आयी। वहां, नि[illegible] कार्यक्रम चल रहा है। जनता की तरफ से लोग गिरफ्तारी देने जाते हैं। आज तक 200 आदमी पहुंच चुके हैं। 8-10 मील 15 मील पर ले जाकर उनको छोड़ देते हैं। कल महिलाओं का धरना था 101 महिलाओं ने धरना दिया, परसों मजदूरों का धरना था, आज काला दिवस मनाया जा रहा है। कल बीकानेर बंद है। यदि जनता साथ नहीं होती तो ये कार्यक्रम निरन्तर नहीं चल सकते थे। आपके पास इन्टेलिजेंस डिपार्टमेंट है उससे रिपोर्ट ले लें कि वहां क्या हालत हो रही है। क्या शान्त जुलूस पर आपके अधिकारियों ने कार्यवाही नहीं की ? अध्यक्ष महोदय, जिस गणतंत्र को लाने में लाखों लोगों ने कुर्बानी की है उसकी हत्या करने के लिये एस. पी. और कलेक्टर आमादा हैं, X X X वहां के लोगों को धौंस दिलाते हैं। वहां के लोगों को धौंस दी है कि प्रदर्शन में शामिल होने वालों के नाम लिखें जायेंगे और उनसे बदला लिया जावेगा। आपके जो ईमानदार लोग हैं, कर्तव्य निष्ठ हैं उनकी आपके द्वारा उपेक्षा होती हैं। जो गड़बड़ पैदा करते हैं उनको आप संरक्षण देते हैं। यदि आपने संरक्षण न दिया होता तो पिछले 9 महीनों में पुलिस कस्टडी में जितनी हत्यायें हुयी हैं उनमें से एक के भी खिलाफ कार्यवाही करते। जितने रेप हुए हैं थानों में किसी के खिलाफ कार्यवाही की हैं ? इस बात से बद दिमाग अफसरों के दिमाग चढ़ने लग गये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन

X X X अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

कहूंगा कि पोलिटिक्स में काम करने लग गये हैं। XXX हो गये हैं वे वहां के जो मिनिस्टर हैं कल्ला साहब उनको भी X X X आप क्या होते हैं, एक एक का बदला ले लूंगा। यह जो दम्भ........

श्री बुलाकीदास कल्ला : कल्ला साहब का नाम मत लो .. ....

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मुझे मालूम है कि आपने कितनी शिकायतें की हैं। कलेक्टर X X X उसका तो ट्रान्सफर हो गया। लेकिन यह एस. पी. आपको XXX

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपकी तो बढ़ा चढ़ाकर कहने की आदत है।

अध्यक्ष महोदय, 24 घंटे के अन्दर मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया। ये ख्वाह-म-ख्वाह परेशान हो रहे हैं।

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, आज मुझे पता चला कि कल्ला साहब XXX

श्री दिनेश डांगी : जनसंघ वालों की आदत है कि जब भी कोई अनुसूचित जाति का कलेक्टर या एस. पी. होता है तो उसको बुरी तरह बदनाम करो........

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अनुसूचित जाति का होने के नाते किसी को अन्याय करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। आप खुद XXX फिर कहते हैं कि अनुसूचित जाति का हूँ। अध्यक्ष महोदय, ये अनुसूचित जाति के हैं तो क्या हुआ मंत्री नहीं है क्या ? क्या उन पर आरोप नहीं लगाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें। समय हो गया है।

श्री दिनेश डांगी : 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। अब कौनसी शिकायत कर रहे हैं ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : किसको गिरफ्तार कर लिया है ?

श्री दिनेश डांगी : जानबूझ कर, अनुसूचित जाति का है इसलिए पीछे पड़ गये हैं ....

(व्यवधान)

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : इन्दिरा गांधी के कार्यक्रम में कल्ला साहब को नहीं जाने दिया........

श्री बाल चन्द आर्यवीर (डग) : कल बीकानेर बंद है, तब पता चलेगा, आपको....

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : अपराधियों को बचाना चाहते हैं - ....

(व्यवधान)

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(71)

श्री दिनेश डांगी : ....आप तो शंकराचार्य के शिष्य है आप........

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : .... राजस्थान के 19 थानों में लोगों की हत्यायें हुयी हैं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं ....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें। समय काफी हो गया है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मैं स्वयं मौजूद था। मैं राजस्थान के अनेक शहरों में गया हूँ लेकिन जैसा अत्याचार बीकानेर में हुआ है, कहीं नहीं हुआ। शांत प्रदर्शन करने का अधिकार जनता को नहीं है?

(व्यवधान)

श्री रामप्रसाद (रूपवास) : अनुसूचित जाति का एस. पी. है इसलिए कह रहे हैं। ये अनुसूचित जाति के व्यक्ति के खिलाफ बोलेंगे। बी. जे. पी. के आदमी के खिलाफ नहीं बोलेंगे।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : × × ×

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर-ग्रामीण) : इससे ज्यादा तुम क्यों रोये थे जब तुम को पीटा था........

एक माननीय सदस्य : उस पर इस तरह के आरोप लगाना शर्मनाक है....

(व्यवधान)

श्री बालचन्द आर्यवीर : कल जब आपकी पिटाई हो तो मत बोलना..

श्री महावीर प्रसाद जैन : अगर अनुसूचित जाति का एस. पी. अन्याय करेगा तो क्या हम नहीं बोलेंगे?

श्री बालचन्द आर्यवीर : कल जब आपकी पिटाई हुयी थी तो यहां पर क्यों × × × रहे थे........

श्री रामप्रसाद : वह अनुसूचित जाति का है........

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : यह रोहताश तो जहां-जहां जायेगा वहां वहां ऐसा ही होगा।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति के आदमी पर इस प्रकार का आरोप लगाना एक शर्म की बात है...

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति के बोलें तो मंत्री महोदय को आपत्ति है लेकिन एस. सी. के नवयुवकों ने आपके खिलाफ नारे लगाये X X X के उस विषय पर आपको क्या कहना है। जयपुर की सारी दिवारें रंगी हुयी है "मंत्री हत्यारा है।"

(व्यवधान)

श्री रामप्रसाद : वह अनुसूचित जाति का है इसलिये उसके खिलाफ नारे लगा

X X X अभिव्यक्ति शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री रामप्रसाद)

रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । विषय से हटकर चर्चा हो रही है।............ आसन पैरों पर है।

(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति के ये सदस्य यहां पर सदन में आकर रोये, अध्यक्ष के पैर पकड़ कर रोये। गृह राज्य मंत्री जी.......

(व्यवधान)

याद दिलाना चाहता हूं क्या हुआ था उस पर क्या कार्यवाही की थी ? लेकिन आज एस. पी. से रिश्वत खाकर उसकी मदद कर रहे हैं। उनकी हिमायत करते हैं।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। ऑर्डर प्लीज। ऐसे आरोप न लगायें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : X X X

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। बी. जे. पी. के जितने सदस्य हैं ज्यादातर कहते हैं कि लाखों खा गये, हजारों खा गये, न इनके पास कोई प्रूफ है न कोई प्रमाण रहता है....

श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या आप ज्युडिशियल इन्क्वायरी कराने को तैयार हैं कह दें आप में नैतिक साहस है तो, हम आरोप लगाते है तो करायें जांच।

श्री अध्यक्ष : विषय पर आ जायें।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : सुरेश गुप्ता ..... आयुर्वेद को खा रहा है........

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर। अंकित न हो।

अन्य कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें।

(व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह कौशल : एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।

जिस एस.पी. ने जो करतूत की है उसके लिए मैं कह रहा हूं तो कोई नया नहीं है। पहले चित्तौड़गढ़ में किया वहाँ यही हालत है, भरतपुर में हालत हुयी अब बीकानेर की हालत है। जहाँ बीकानेर शांत नगर कहलाता था वहाँ उसको अशांत बनाया जा रहा है। मुझे चिन्ता इस बात की नहीं है कि हमारे कार्यकर्त्ता जेलों में बंद है। मुझे पीड़ा इस बात की है कि क्या राजस्थान में शान्त प्रदर्शन करने का अधिकार भी जनता को नहीं रहा है। क्या पुलिस की ज्यादती के खिलाफ अर्थी जलाने का अधिकार जनता को नहीं रहा है। इस प्रकार पुलिस के अधिकारियों को जनतंत्र की हत्या करने के अधिकार दिये जा रहे हैं। इस प्रकार के अधिकारियों के खिलाफ आप ज्यूडिशियल इन्क्वायरी करायेंगे ? आपके पास इन्टेलीजेंस डिपार्टमेंट है उससे जाँच करायें कि क्या

X X X माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

पुलिस का अधिकार अर्थी नहीं जलाने देने का है, क्या उसका काम लाठी चलाना और लोगों को बरबाद करना है। सरे आम जनतंत्र की हत्या करायी गयी है।

ये पुलिस की ठीक स्थिति नहीं है। ये पुलिस की कार्यवाही आपके खिलाफ भी हो सकती है। महादेवजी भुक्तभोगी हैं। रामप्रसाद जी भी भुक्तभोगी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि इसकी जुडिशियल इन्क्वायरी करवाईये, जुडिशियल इन्क्वायरी की........

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। समाप्त कीजिये। बहुत समय हो गया है। कटारियाजी बोलना चाह रहे हैं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : जुडिशियल इन्क्वायरी आप करवाइये। शान्त प्रदर्शन पर लाठी चार्ज अनावश्यक रूप से हुआ है। जो पुलिस अधिकारी दोषी हैं, जिनके खिलाफ जुर्म है, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय कटारियाजी को अनुमति दे रहा हूँ। उसके पश्चात् यदि मंत्री महोदय कुछ कहना चाहेंगे........

(व्यवधान)

माननीय सदस्य विषय से हट रहे हैं मैं इसमें इजाजत नहीं दूंगा।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मैं स्थानीय विधायक हूं कृपया मुझे दो मिनट का समय दें।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट की जगह 5 मिनट दिया आपको लेकिन बाद में। श्री कटारिया।

श्री गुलाबचंद कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से निवेदन........

श्री अध्यक्ष : कृपया विषय से हटकर नहीं। जो आपका प्रस्ताव है आपके स्वयं के हाथ से लिखा हुआ है लाठी चार्ज के बारे में एक तारीख को एक स्थान पर....

श्री रघुवीर सिंह कौशल : आपकी सहानुभूति की हमको अपेक्षा है। जिस प्रकार से जनतंत्र की हत्या बीकानेर में हो रही है–

श्री गुलाबचंद कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि बीकानेर में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। मैं उसका सबूत आपको दे रहा हूँ। 10 मई को वहाँ के सारे आतंकवादियों के विरुद्ध बीकानेर उद्योग मंडल का जन-आह्वान और 10 मई को 9.30 बजे जुलूस निकाला और सारे मार्केट एक बजे तक बन्द रहे। उन्होंने जाकर के वहाँ के कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया वह मैं आपके सामने रख रहा हूं। यह घटना केवल दो की हत्या के कारण से नहीं है बल्कि एक लम्बे समय से बीकानेर में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रही इसलिये मैं आपको मई का उदाहरण दे रहा हूँ और वह भी वहाँ के उद्योग–मंडल द्वारा दिये गये ज्ञापन का एक बजे तक सारा मार्केट बन्द रहा। ये कहानी वहाँ पहले शुरू हुई है। आपने

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

केवल एक बहाना लेकर के जो दो हत्या के अपराधी थे सारे के सारे नहीं पकड़े। आपने उनमें से कुछ लोगों को पकड़कर, बाकी लोगों को शरण देकर छोड़ दिया। इसलिए इस बात पर आक्रोश है कि बात वास्तव में ठीक ढंग से नहीं की और फिर आपने जो प्रश्न पैदा किये यह कहकर, बड़ा अफसोस होता है कि राजस्थान विधान सभा में मंत्री वहाँ की पुलिस द्वारा भेजी हुई रिपोर्ट को पढ़ते हैं और कहते हैं कि किसी प्रकार का लाठी चार्ज नहीं हुआ। मैं आपके सामने एक नहीं ऐसे सैकड़ों उदाहरण, केवल एक अखबार का नहीं वहाँ से निकले छोटे से छोटे पत्र और बड़े से बड़ा पत्र जो निकलते हैं, उन सब की कटिंग मेरे पास मौजूद है। यह 8 तारीख को भाजपा कार्यकर्ता के जुलूस पर पुलिस ने लाठी बरसाई इनके बाद दैनिक नवज्योति : भाजपा कार्यकर्ता पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज। एक नहीं, इसमें जनसत्ता है। वहाँ के लोकल जितने अखबार निकलते हैं, राजस्थान पत्रिका का है, पुलिस का पुतला निकालने के प्रयास में कई भाजपा नेता गिरफ्तार पुलिस द्वारा नेताओं पर बल प्रयोग। मेरा निवेदन है वहाँ जितने अखबार बीकानेर से निकलते हैं या उनके संवाददाता हैं, एक भी अखबार 8 तारीख का बता दें जिसने इस न्यूज को नहीं छापा हो कि लाठी चार्ज हुई और हमारे मंत्री यह कहते हैं कि वहाँ कोई बल प्रयोग नहीं हुआ। अगर आपका यह कहना है, अगर यही आपका तरीका है केवल पुलिस की रिपोर्ट का, जो गुनहगार है, जिन्होंने बेगुनाह लोगों को अपनी तानाशाही का शिकार बनाया, उन पर डण्डे बरसाये इसलिये कि उनकी अर्थी नहीं जले। यही नहीं पुलिस ने पक्की व्यवस्था की, यहाँ तक कि एफ. आई. आर. दर्ज करायी श्री ओम आचार्य ने और एफ. आई. आर. को आपने दर्ज नहीं किया। उसके बाद कोर्ट के माध्यम से एफ. आई. आर. दर्ज होने के बाद कोर्ट में उन्होंने 8 तारीख को बताया था, उसमें उन्होंने लिखा था कि हमारा मेडिकल कराया जाय और ये जो मेडिकल हुआ है आपके सामने है। ये पाँचों लोगों का मेडिकल जो है इसके मेडिकल रिपोर्ट में कहाँ किसके चोट आयी है किस हाथ पर है, कहाँ पर है, एक-एक व्यक्ति को कितनी चोटें लगी है, ये बिल्कुल इसमें स्पष्ट है। फिर मेरी यह समझ में नहीं आता कि जब पुलिस वहाँ जुलूस प्रारम्भ ही नहीं हुआ, उसके पहले अगर ओम आचार्य और उसके साथियों को पकड़ लिया तो फिर क्या पुलिस थाने में जाकर के भीत से टकराकर उन्होंने निशान बनाये थे। फिर अगर कहीं ऐसा मौका होता तो मेरी समझ में आता। लेकिन आपकी पुलिस बिना जुलूस निकाले, बिना जुलूस प्रारम्भ हुए उनको पकड़कर ले गयी तो फिर क्या थाने में ले जाकर लट्ठ मारा था पुलिस ने, अगर मौके पर नहीं मारा तो। दोनों में से जो भी बात हो स्पष्ट करें कि यह वास्तव में लाठी चार्ज थाने के अन्दर ले जाकर के किया या वास्तव में सरे बाजार में किया। केवल उन्हीं पाँच लोगों पर नहीं हुआ श्रीमन्, वहाँ आसपास की दुकानों में जो लोग सामान खरीद रहे थे ऐसे 50 लोगों को लाठी लगी है। ऐसे 50 लोगों को जख्मी किया है और उसके बाद में भी कहते हैं कि कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ है। अगर यही वास्तव में आपका तरीका है राज्य चलाने का और ऐसे लोगों को जो दोषी हैं,

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

आजकल शायद वे एस. पी. जरूर बन चुके हैं लेकिन कुछ लोगों में ऐसी बात होती है जो अपने अहंकार पर हल्की सी चोट भी नहीं लगने देना चाहते हैं। उनको तो अभिमान यही था कि पुतला जल जाय। इस आजाद हिन्दुस्तान में ये कैसे संभव हो सकता है। इन्दिरा गांधी का जल सकता है, किसी भिंडरवाले का जल सकता है, और किसी का भी जल सकता है लेकिन रोहिताश कुमार का अगर पुतला निकल जाय तो उनका अपराध क्या था, जन जागरण ही तो करने का अपराध किया था कि जनता पर जो जुल्म हो रहे हैं उनको समय पर ठीक कर उनके अपराधियों को पकड़े....

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का लांछन, यह परम्परा ठीक नहीं है। ऐसे मौके पर लाठी चार्ज कराने का श्रेय तो आप लोगों को है।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जाय, माननीय सदस्य। बात समाप्त कीजिये। समय काफी हो गया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे दो चीजों की प्रार्थना करना चाहता हूँ। ओम आचार्य ने जो एफ. आई. आर. दर्ज करायी थी थाने में वह दर्ज की उन्होंने, और नहीं की तो किस कारण से नहीं की ? दूसरा क्या राज्य सरकार इन सारी बातों को देखने के बाद भी यह कहने को तैयार है कि लाठी चार्ज नहीं हुआ। बिना जुलूस के प्रारम्भ हुए, प्रारम्भ करने के लिए केवल 10-20 आदमी आये थे बाकी लोग आ रहे थे, उसके पहले ही पुलिस के दो जवान जा करके [illegible]डे और उल्टी बातें कर दी कि कपड़े फाड़ दिये। पुलिस ने अपने हाथ से कपड़े फाड़े,....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये माननीय सदस्य। श्री देवीसिंह।

श्री गुलाबचंद कटारिया : पुलिस को यह कहा जाय कि हमने इस प्रकार का कोई आक्रमण किया। वहाँ का कोई भी नागरिक इस प्रकार बोले कि पुलिस का कपड़ा फटा है। पुलिस पर कोई प्रहार हुआ है या किसी प्रकार का कुछ नहीं, पुलिस ने नाटक करने के लिये अपनी वर्दियों को फाड़ा और फाड़ करके उल्टे मुकदमा दर्ज करके, जो लोग इस लोकतंत्र में हो रहे जुल्म के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, उन पर राजा महाराजाओं की तरह से जुल्म कर दिया है, जुल्म हो रहा है। जैसे हूणों के जुल्म के शिकार हुए थे आज उसी...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री गुलाबचंद कटारिया : आज × × उसी जुल्म को करके शायद आने वाली पीढ़ी जो लोकतंत्र की हिमायती है, उनको रोकना चाहते हैं। यह आपकी गलतफहमी है। अगर किसी पर अत्याचार करके उसके आधार पर किसी की आजादी को छीनने की कोशिश की तो याद रखना वही हाल होगा जो इससे पहले भुगत चुके

× × × माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार शब्द अपलोपित किया गया।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

हो। हम नहीं चाहते कि आप इस प्रकार का वर्ताव करो। आप इन दोनों चीजों का ठीक तरह से जवाब दें कि लाठी चार्ज हुआ या नहीं और लाठी चार्ज हुआ है तो इनके दोषी अधिकारी जो भी वहाँ मौजूद हैं, जिसने भी हुक्म दिया, लाठी चार्ज के पहले अश्रु गैस छोड़ी थी? क्या आपने वहाँ की स्थिति देखी? ऐसी क्या स्थिति........

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य समाप्त कीजिये। माननीय सदस्य, बैठ जायें।

श्री गुलाबचंद कटारिया : यही बात कहकर मैं मंत्री महोदय से चाहता हूँ कि जवाब दें।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय........

श्री अध्यक्ष : मैं किसी को अनुमति नहीं दूंगा। श्री देवीसिंह।

श्री दाऊदयाल जोशी : देवीसिंहजी के बाद।

श्री अध्यक्ष : श्री देवी सिंह के पश्चात् मैं किसी भी माननीय सदस्य को अवसर देने में असमर्थ हूँ।

श्री देवी सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, बीकानेर जिले के लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन के बारे में आंकड़े देकर बारां से आने वाले माननीय सदस्य ने विस्तार में बता दिया मैं उसकी पुनरावृत्ति.......

श्री अध्यक्ष - आपके होते हुए उनको वहाँ तक आने की तकलीफ क्यों उठानी पड़ी?

श्री देवी सिंह भाटी : मुझे काफी क्षेत्र संभालना पड़ता है, अध्यक्ष महोदय, बीकानेर जिले के अलावा बीकानेर डिविजन भी सम्भालना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में बताया कि लाठी चार्ज नहीं किया गया, अध्यक्ष महोदय, आज कल जितने मसले यहाँ उठे हैं विधान सभा के फ्लोर के ऊपर, कभी राज्य सरकार ने माना है कि कहीं लाठी चार्ज हुआ है? जबकि जहाँ-जहाँ लाठियाँ चलायी थी पुलिस ने, लाठी चार्ज किया वहाँ के फोटो प्रस्तुत किये गये।

अखबारों की कटिंग बोल रही थीं, यह क्या सबूत नहीं हैं? फिर, आपने जानकारी ली तो किस से ली, वहाँ की पुलिस से, जिला पुलिस ने जो रिपोर्ट दी वही आपने मान ली। अध्यक्ष महोदय, कोई मसला जब हम यहाँ उठाते हैं तो उसका कोई न कोई आधार होता है, उसके पीछे कुछ न कुछ सत्यता होती है, परन्तु राज्य सरकार की ओर से मंत्री महोदय जो उत्तर देते हैं वह उन्हीं से पूछा होता है जो यह जुल्म करते हैं। अब हम कैसे संतुष्ट हो जाय कि इन्होंने लाठी चार्ज नहीं किया है, जब हमने सारे सबूत आपको बताये हैं। कोई एक अखबार विशेष पक्ष का हो सकता है परन्तु वहाँ तो जितने भी अखबार थे उन सारे अखबारों ने यह हैडिंग में दिया है कि वहाँ बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज किया, लाठी-चार्ज निश्चित तौर पर हुआ मंत्री महोदय ने जैसा बताया, तांती बाजार, जो संकरा बाजार है, संकरी गली के अन्दर उन्होंने रास्ता अवरुद्ध करने की कोशिश की और आवागमन रोकने का प्रयास किया, अध्यक्ष महोदय, वहाँ जितने भी प्रदर्शन होते हैं जुलूस निकलते हैं, आम सभाएँ होती हैं, सब तांती बाजार में होती है, अगर इतनी

(श्री देवी सिंह भाटी)

संकरी जगह होती तो क्या कभी पब्लिक मीटिंग हो सकती है, प्रदर्शन, जुलूस हो सकते हैं? स्वयं मैंने वहां बीसों आम सभाओं में अपने विचार प्रकट किये हैं, मैंने खुद वहां कई बार जुलूस, प्रदर्शन का नेतृत्व किया है मैं स्वयं वहां....

श्री अध्यक्ष : लेकिन वहां पुतला जलाने के बाद में भी आने जाने की सुविधा रहे, ऐसी स्थिति है क्या ?

श्री देवी सिंह भाटी : बिल्कुल, अध्यक्ष महोदय, जब आम सभायें करते हैं....

श्री अध्यक्ष : पुतला जलाते हैं काफी दूर रहना पड़ता है।

श्री देवी सिंह भाटी - अध्यक्ष महोदय, उसके अन्दर कोई एटम बम नहीं था उसके अन्दर एक ही एटम बम था कि एस. पी. साहब नहीं चाहते थे कि मेरा पुतला जलाने की जो घोषणा की है, वह हो जाय। सत्यता यह है अध्यक्ष महोदय, आज प्रजातंत्र के अन्दर मेरा भी पुतला जलाया जा सकता है, प्रधान मंत्री की भी अर्थी जलाई जा सकती है और मुख्य मंत्री की तो बीसों बार यहीं विधान सभा के सामने अर्थी जलाई जाती है। अध्यक्ष महोदय, पुतला जलाने में कौनसी ऐसी चोट पहुँच रही थी, कौनसा छिपा हुआ अंग जल रहा था ? ऐसी कोई बात नहीं थी, परन्तु यह सब महज इसलिए किया कि आम जनता में घोषणा कर दी थी कि पुलिस की अव्यवस्था चल रही है जिले के अन्दर इसके विरोध स्वरुप, चूंकि पुलिस अधीक्षक जिम्मेदार होता है इसलिए यह निर्णय लिया है कि अर्थी जलाई जायेगी, अगर अर्थी जला लेते तो क्या फर्क पड़ता ? अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बताया कि रास्ता अवरुद्ध कर दिया, अध्यक्ष महोदय, वह शहरी क्षेत्र है, गेट के अन्दर, पुराना [illegible] है इसलिये आम तौर पर, जब भी मुख्य मंत्री आते हैं, हमारे मंत्री महोदय पधारते हैं, या कोई विशेष अतिथि-वी. आई. पी., वी. वी. आई. पी. आते हैं, उस समय भी द्वार लगाये जाते हैं, आम रास्ते रोके जाते हैं वह किसकी परमिशन से होता है ! आज तक मैंने वहां म्यूनिसिपल बोर्ड के अन्दर देखा है, किसी एक भी संस्था ने परमिशन नहीं ली, किसी डिस्ट्रिक्ट अधिकारी से परमिशन नहीं ली, उस वक्त रास्ते रोके जाते हैं वह किसकी परमिशन से होते हैं ! लेकिन क्योंकि आप राज्य सरकार में हैं आपके विशेष इन्ट्रेस्ट उसमें हैं इसलिए आप तो आम जनता का रास्ता रोक लेते हैं। जैसे अभी हाल ही में जयपुर में पंचायत राज सम्मेलन हुआ था उस वक्त आम जनता को रोक दिया था और उसकी अखबारों में खुब चर्चा हुई थी, किन्तु निवेदन, अध्यक्ष महोदय, यही करना है कि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी जिससे आप यह बहाना लें कि आम रास्ता रोककर उन्होंने लोगों को वाध्य किया कि इस रास्ते से नहीं जाये और इसलिए मजबूर होकर हमें इस कार्यवाही के विरोध स्वरुप यह लाठी चार्ज, हालांकि इन्होंने नहीं माना है लेकिन वहां के पुलिस अधिकारियों ने मुझे बताया कि हमने लाठी चार्ज किया है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करिये।

श्री देवी सिंह भाटी : इसलिए मैं स्पष्टीकरण चाहता हूँ मंत्री महोदय से, आपने जो यह जाँच करवाई है, आपके

(78)

(श्री देवी सिंह भाटी)

पास जो रिपोर्ट आई है वह जिला पुलिस मुख्यालय से आई है या कहाँ से आई है ? आप हमारे इस निवेदन के ऊपर विचार करेंगे कि आप किसी एजेन्सी के द्वारा रिपोर्ट लें कि वहाँ वास्तव में लाठी चार्ज हुआ है या नहीं, अगर लाठी चार्ज हुआ है तो निश्चित तौर पर जाँच कराने की घोषणा करें, आप को सिर्फ जिला पुलिस से सूचना मिली है अगर आप किसी दूसरी एजेन्सी से इसका पता करते तो....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करिये ।

श्री देवी सिंह भाटी : तो निश्चित तौर पर आपको घोषणा करनी पड़ती कि वहाँ लाठी चार्ज हुआ है, उसकी जाँच करवायेंगे ।

श्री अध्यक्ष : कृपया ।

श्री देवी सिंह भाटी : मेरा यह निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, कि वहाँ स्थिति ऐसी बनी हुई है कि 5 तारीख से लगातार शांति पूर्वक प्रदर्शन हो रहे हैं, धरने दिये जा रहे हैं, जुलूस निकाले जा रहे हैं, यह क्रम निरन्तर चालू है, अगर राज्य सरकार इस ओर गम्भीरता से ध्यान नहीं देगी तो निश्चित तौर से कानून और व्यवस्था बिगड़ने के लिए स्वयं जिम्मेदार होगी। कभी भी झगड़ा हो सकता है । जनता एक तरफ है । पुलिस एक तरफ है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि मंत्री महोदय इसके लिए तुरन्त घोषणा करें कि लाठी चार्ज की जाँच करायेंगे और जो दोषी हैं उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, अगर कुछ कहना चाहें ।

(व्यवधान)

मैं इजाजत नहीं दे सकता, आर्डर प्लीज ।

मैं फिर अगला विषय लेता हूँ ।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : यह तो पुलिस के ××× है उनको डिफेंड कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, माननीय सदस्य, मैं अनुमति नहीं दे सकता । ××× शब्द कार्यवाही से हटायें ।

(व्यवधान)

श्री बालचन्द्र आर्य : ×××

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यदि आप मंत्री महोदय का स्पष्टीकरण सुनना चाहते हैं तो.... आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

चर्चा समाप्त हुई, ऑर्डर, ऑर्डर,

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, कहीं यह न आ जाय इसे एक्सपंज कराइये पहले आप ।

××× शब्द। अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

श्री दाऊदयाल जोशी :………बीकानेर में एक महिला की हत्या की गयी ……..

श्री अध्यक्ष : कुछ तो एक्सपंज कर दिया अगर कुछ रह गया है तो उस पर कार्यवाही हो जायेगी ।

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज,

(व्यवधान)

विधायी कार्य, चर्चा समाप्त हुई ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, ऑर्डर प्लीज,

मैंने निवेदन कर दिया था यदि माननीय मंत्री महोदय का जवाब सुनना चाहें, उसमें आप बार बार व्यवधान उपस्थित कर रहे थे इसलिए मैंने चर्चा समाप्ति की घोषणा की, लेकिन यदि आप 2–3 मिनट के लिए उनका स्पष्टीकरण सुनना चाहें तो पुनः अवसर देने को तैयार हूँ । लेकिन उसमें कृपया बाधा नहीं डालें, अब वापस प्रश्न पूछने की कोई इजाजत नहीं होगी ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि मैं कोई उत्तर देता बीच में टोका-टोकी आरम्भ कर दी, आपके माध्यम से पूछते तो मैं इसका स्पष्टीकरण देता और इनको संतुष्ट करने की चेष्टा करता ।

(व्यवधान)

यह तो सुनना ही नहीं चाहते They do not want to hear [illegible]ing.

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष । माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त हुई । आप नहीं सुनना चाहते हैं । ऑर्डर, मैं बार बार तो आपको क्या निवेदन करूं । मैंने पुनर्विचार कर लिया मंत्री जी को पुनः अवसर दे दिया उसके बाद भी माननीय सदस्य, जब मर्जी आयें बोलने लग जाये तो इस तरह सदन की कार्यवाही नहीं चला सकता, मैं फिर अवसर देता हूँ लेकिन कृपया बाधा नहीं डालें ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर बारां से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ शंकायें उत्पन्न की और कुछ बीकानेर की कानून-व्यवस्था के बारे में चर्चा की । मैं आपके सामने वह पैम्पलेट पढ़कर सुनाऊं जो पैम्पलेट इनकी पार्टी की तरफ से निकला है, काफी विस्तृत है । उसमें दो मुद्दे हैं, यहाँ पर इन्होंने कहा, 11 हत्यायें हुई बीकानेर के अन्दर जबकि इनके पैम्पलेट के अन्दर सिर्फ दो हत्याओं का जिक्र है, उसी आधार पर जानकारी प्राप्त की गयी । जानकारी प्राप्त करके माननीय सदन को जानकारी दी श्रीमान्, इन दोनों मर्डर केसेज के अन्दर पुलिस ने तत्परता से मुल्जिमों को गिरफ्तार किया और किसी मर्डर केस का जिक्र नहीं किया इन्होंने इनके पैम्पलेट के अन्दर किसी डी. एस. पी. के लड़के ने मोटर साइकिल चुरा ली, कुछ ताले टूटे—उनका कोई जिक्र नहीं है । अगर उसका जिक्र होता तो उसके अन्दर………

श्री दाऊदयाल जोशी : मैमोरेण्डम……..

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब आप किसी मैमोरैण्डम बयान कर रहे हैं वह तो मेरे पास है नहीं, इनकी पार्टी के पैम्पलेट को आधार बनाते हुए मैंने जानकारी एकत्र की, उसके आधार पर निवेदन करना चाहूँगा, श्रीमान्, यह कहा कि क्या किसी को अर्थी जलाने का अधिकार नहीं है, लोकतंत्र में निश्चित रूप से जुलूस निकालने का अधिकार है, अर्थी जलाने का अधिकार भी है लेकिन आपको रास्ता अवरूद्ध करने का अधिकार नहीं है। इनसे कहा गया कि सब अलग हो जायें, ट्रेफिक को निकलने दिया जाय। इसके ऊपर उन्होंने पुलिस के साथ वहाँ मार-पीट की, हाथा-पाई की....

(व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, × × × कह रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं........

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, × × × शब्द को कार्यवाही से निकालें।

(व्यवधान)

अंकित न हो।

श्री अनंग कुमार जैन : × × ×

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें। × × × शब्द को कार्यवाही से निकाले। बात करने में संयम बरता जाये, इस तरह के शब्द यहाँ नहीं बोले जाय।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार का माहोल बनाया गया उससे ऐसा लगता है कि बड़ा भयंकर लाठीचार्ज हुआ, लोगों के बड़ी चोटें आई, यह उस वक्त की बात हुई जब इन्होंने पुलिस के साथ धक्का-पेली शुरू की। मैं आपके सामने जिन 4 लोगों की मेडिकल हुई है, इनके जो 4 नेताओं की मेडिकल हुई है, अध्यक्ष महोदय, आप भी कानून के ज्ञाता हैं, आप अगर उसको देखें....

श्री अध्यक्ष : इतने विस्तार में न जायें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर आप देखेंगे तो नील के निशान और खरोंच के निशान के अलावा किसी के कुछ नहीं है। एक तो खाली यह लिखा है कि मेरे दर्द की शिकायत है, उसका फीजिकल कोई नुकसान नहीं हुआ है। मेरा निवेदन यह है कि वहाँ के प्रजेन्ट एस. पी. के बारे में दुनियां भर की बातें कह दीं, मैं कोई किसी को डिफेन्ड करने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूँ, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, लेकिन दो वर्ष तक इनसे किसी को कोई शिकायत नहीं रही। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि चुनाव का मौका आ रहा है इसलिये सब धरने और प्रदर्शन आरंभ हो रहे हैं....

श्री रघुवीर सिंह कौशल : आप में दम नहीं रहा तो एस. पी. से चुनाव प्रचार करवा रहे हैं।

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री अध्यक्ष : ग्रार्डर, ग्रार्डर ।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, अब हो रहे हैं, उसको रोका भी नहीं जा सकता....

(व्यवधान)

लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि राजनैतिक लाभ की दृष्टि से इनका पोलिटिकल एजीटेशन है इसमें प्रशासन और सरकार को बदनाम करने की चेष्टा की जा रही है। इसलिये में आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा ।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई ।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने दो हत्याओं की चर्चा की। चोरियां, स्कूल की बालिकाओं और सम्भ्रान्त महिलाओं के साथ छेड़–खानी, हत्याये, लाठी चार्ज व गिरफ्तारी यह पर्चा है भारतीय जनता पार्टी का। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने जो चर्चा की है, बहुत अच्छा होता कि वह इस बात को स्वीकार करते। भारतीय जनता पार्टी ही केवल नहीं है, पेम्पलेट बांटा गया है वहां के व्यापार मण्डल द्वारा उन्होंने मेमोरेन्डम दिया है, सरकार ने उसको लाइटली लिया है। पता नहीं एस. पी. को क्या धुन सवार है; वह किसी भी दृष्टि से उस नाते से करना नहीं चाहते। ठीक आरोप लगा रहे हैं श्री बन्सीलाल जी पटवा कि उन एस. पी. साहब ने मंत्री महोदय को कार्यक्रम में घुसने नहीं दिया, घुसने की अनुमति नहीं दी, इस हद तक वह पहुंच गये हैं। मैं नहीं कहना चाहता आपसे....

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य तथ्यों को तोड़–मरोड़ कर यहां प्रस्तुत कर रहे हैं ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसलिये कहना चाहता हूं कि केवल मात्र पुलिस को शील्ड करने वाली बात मत करिये, ठीक रूप से सारी बातों को आकार–प्रकार को देखिये और वहां के प्रशासन और वहां की पुलिस व्यवस्था को सुधारने का प्रयत्न कीजिये। पिछले विधान सभा सत्र में भी बीकानेर के कई केसेज उठाये गये। चाहे वह मिल्ट्री एरिया में हो, चाहे और किसी हत्या–काण्ड का सवाल हो, वहां पर इस प्रकार की परम्परा बन गई है। ऐसी क्या स्थिति है कि उन पर काबू पाने में असमर्थ हैं।

श्री अध्यक्ष : कोटा की भी बहुत शिकायतें आई हैं ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसको केवल मात्र राजनैतिक चर्चा मानकर मत टालिये, वहां के प्रशासन और ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन के साथ विचार करिये ।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई । विधायी कार्य ।

(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है वह तथ्यों से बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने यह भी कहा है आ...र इस जनतंत्र में चुनाव भी होंगे और जो गलत काम........

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य आसन पैरों पर है, कृपया बैठ जायं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जो गलत काम होंगे उनका विरोध भी किया जायेगा पुतले भी जलेंगे। क्या मंत्री महोदय पुलिस को इतना अधिकार देना चाहते हैं कि प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया जाय,

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : निर्दयता पूर्वक लोगों पर लाठियां बरसाई जाय।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें। समय न लें। विधायी कार्य।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहता हूं, इसी संदर्भ में निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, विपक्ष की ओर से कहा गया है कि लाठीचार्ज किया गया है और सरकार कहती है कि लाठीचार्ज नहीं किया है। अब इसका निर्णय कैसे हो? या तो हम जो विपक्ष में बैठे हैं वह सारे के सारे गलत कह रहे हैं

श्री यदुनाथ सिंह : अखबार गलत है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और अखबार सारे गलत है, विधान सभा का रिफ्लेक्शन क्या होगा?

श्री अध्यक्ष : विधान सभा में तो जो निर्णय होते हैं वह मतों के आधार पर होते हैं।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह बिलकुल सही है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूँगा कि इस पर इस बात के वोट ले लिये जायें कि लाठी चार्ज हुआ है या नहीं हुआ है?

श्री अध्यक्ष : लेकिन इसके लिये तो प्रस्ताव नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, सीमा होती है, । मैं कहना चाहूंगा कि उनको तो सरकारी सूत्रों से यह जानकारी मिली होगी कि लाठी चार्ज नहीं किया गया लेकिन तथ्य यह है, जिसको कोई इन्कार नहीं कर सकता, कि लाठीचार्ज हुआ है। ये अखबार वाले सारे के सारे सरकार के विरोध में हों या सारे के सारे हमारे पक्ष में हों ऐसी बात नहीं है। उन अखबार वालों ने जा जा कर जानकारी की, फिर समाचार दिया है। हो सकता है मंत्री महोदय को जिस सूत्र से सूचना मिली है उन्होंने इस प्रकार का प्रयत्न किया हो कि विधान सभा में वह रिफ्लेक्शन देता है कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है लेकिन इस तथ्य से कोई इन्कार नहीं कर सकता मैं एक ही बात चाहूंगा कि मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है, क्या स्वयं मंत्री महोदय उस वक्तव्य की स्वयं ही जांच करने को तैयार हैं और मैं यह साबित करने को तैयार हूं कि वहां पर लाठीचार्ज हुआ है....

श्री भंवरलाल शर्मा (हवा महल) : बोलो फिर क्या होगा ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब आप ही जांच कर लीजिये । हमारे तो आप ही यहां की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं । अब आप ही जांच कर के बता दें ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : धन्यवाद आपका- फार योर कम्पलीमेन्ट्स । अध्यक्ष महोदय, मैंने जो भी सूचना दी है वह तथ्यों के आधार पर और डाकूमेन्ट्स के आधार पर दी है । मैं तो मौके पर मौजूद नहीं था और न आप थे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप चलिये मेरे साथ वहां पर ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, आज दिन तक विधान सभा की ऐसी परम्परा नहीं रही है कि मंत्री कहीं जाकर विरोध पक्ष के नेता के संग जांच....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रही है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इसके साथ एक बात और भी है । एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : परम्परा रही है ।

श्री अध्यक्ष : जो कोई भी यहां बात कही जाती है उसका आधार यह नहीं होता है कि सरकारी सूचना मिली है इसलिये कहा है । उसके साथ यह बात हमेशा जुड़ी हुई रहती है कि जो बात हम कह रहे हैं सही मान कर कह रहे हैं और हमारे स्रोत यही हैं ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो रिपोर्ट है, डाकूमेन्ट्स हैं उसका जो इन्फरेन्स निकाला है...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी मान्यता क्या है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : लेकिन एक बात कही है, आज कलेक्टर, बीकानेर यहां आये हुये हैं, मैंने उनसे इस बारे में चर्चा की थी, मैं उसको री-ओपन नहीं करना चाहता, वारां से आने वाले माननीय सदस्य ने कलेक्टर के बारे में जो कुछ यहां पर कहा है, उन्होंने जो मुझे बताया है वह सदन की जानकारी के लिये कह दूं । उसको री-ओपन करने से तो डिबेट फिर से शुरू हो जायेगी इसलिये मैं नहीं कहना चाहता लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है, अखबारों की बात भी कही है इन सब तथ्यों का पता लगाया जायेगा । अगर अकारण लाठी चार्ज हुआ है.........

श्री यदुनाथ सिंह : हुआ है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : जैसा मैंने कहा कि अकारण लाठीचार्ज हुआ है तो निश्चित रूप से इस बारे में जो भी कार्यवाही करनी होगी वह करेंगे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय मेरा प्रश्न तो बिलकुल सीधा सा है ।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने उत्तर दे दिया ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं दिया। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है उस वक्तव्य की सत्यता की स्वयं जांच करने के लिए तैयार हैं?

श्री अध्यक्ष : उन्होंने कह दिया न ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : करेंगे, यह नहीं कहा।

श्री अध्यक्ष : यह बात कही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बात नहीं कही है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह कोई परम्परा नहीं रही है। अध्यक्ष महोदय, हमारे पास और भी इन्डिपेन्डेन्ट एजेन्सीज हैं और दूसरी एजेन्सीज हैं उनसे जांच करायेंगे। मैं कहां कहां जाऊंगा, आज यह प्रश्न आया है कल दूसरा होगा, हर मामले में....

श्री अध्यक्ष : तो तथ्य आयेंगे वह इनकी संतुष्टी के लिये आयेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा है कि तथ्य भी आये हैं, डाकूमेन्ट्स भी मेरे सामने आये हैं उसके आधार पर उन्होंने वक्तव्य दिया है। तो आपने जो वक्तव्य दिया है उस वक्तव्य की जांच कराने को तैयार हैं या नहीं, हमारे वक्तव्य की नहीं आप अपने वक्तव्य की जांच करा लें।

श्री अध्यक्ष : यही बात कही है कि मैं फिर से मामले की जांच करा लूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, परम्परा का सवाल नहीं है, सदन में परम्परा रही है, मोटे रूप से माननीय श्री परसराम जी जानते हैं कि खाटू में इसी प्रकार का लाठीचार्ज हुआ था....

श्री अध्यक्ष : नहीं वह तो आपने साधारण बुद्धि की बात कही है। मान लीजिये कोई माननीय सदस्य अथवा मंत्री कोई बात कहते हैं, 20 माननीय सदस्य दूसरी बात कहें तो ?

(व्यवधान)

यह ठीक है कि उसके बारे में, सच्चाई मालूम करालें, यह बात उन्होंने कह दी है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वे नहीं कह रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : जांच अपनी स्वयं की संतुष्टी के लिये, जो बात उन्होंने कही है वह सही है या नहीं है इसकी अन्य तरीके से ये मालूम करा लेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मंत्रीजी इतने झेंपते क्यों हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, खाटू का मामला तत्कालीन मुख्य मंत्री स्वर्गीय श्री सुखाड़िया जी के समय में हुआ था। उसके सम्बन्ध में हाउस में कमिटमेन्ट नहीं किया था कि उनके साथ प्रतिपक्ष के नेता भी जायेंगे, हाउस में घोषणा नहीं की थी....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हाउस में घोषणा की थी, हाउस एडजोर्न किया और

श्री परसराम मदेरणा : लेकिन मुख्य मंत्रीजी ने सदन के अन्दर आपको साथ ले जाने की इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं की।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह भी कहा है, जाकर देखकर आये हैं और सदन में रिपोर्ट दी है। मैं तो परसराम जी विवादास्पद मामला खडा नहीं करना चाहता। मैं तो यह चाहता हूं कि मंत्री जी ने जो बक्तव्य दिया है उसकी जांच करा लें।

श्री परसराम मदेरणा : इसकी क्या जांच होगी, खुद का वक्तव्य और खुद ही जांच करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : स्वयं ने जो तथ्य रखे हैं उनको देख लें और हमने जो तथ्य रखे हैं उनको देख लें, इसके प्रमाणों को देख लें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं विपक्ष के नेता महोदय से कि इसके अन्दर किसी को शील्ड करने का प्रश्न नहीं है। मैंने तो आपसे पूर्व में भी निवेदन किया कि जो मैंने डाकूमेन्ट्स देखे हैं, तथ्यों के साथ प्रेस्तुत किये हैं। जैसा आपने स्वयं ने फरमाया है इस वक्तव्य के सम्बन्ध में उसको ध्यान में रखते हुए मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए और दूसरी एजेन्सीज हैं उनसे जांच कराऊंगा और उसके लिए मैं अपने आपको असरटेन करूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बात वही की वही है। मान लीजिये किसी मंत्री महोदय अथवा माननीय सदस्य ने एक बात सदन के प्रांगण में कही। उसके बाद में अन्य माननीय सदस्य अगर यह बात कहें कि यह बात सही नहीं है तो पहली बात तो उस माननीय सदस्य को या मन्त्री महोदय को दुबारा विचार करना पड़ता वह दूसरी बात है। इससे इस बात के दरवाजे बंद नहीं होते कि अगर यह भी कहें कि नहीं, जो कुछ मैंने कहा है उसको मैं सु[illegible]नता हूं, तो भी उसका प्रमाण तो हमेशा ही दिया जा सकता है कि यह बात ऐसी नहीं है। ये पब्लिक सर्वेन्ट की श्रेणी में आते हैं, जिम्मेदारी के पद पर हैं। यह तो हमेशा खुली बात है कि माननीय मन्त्री महोदय यहां कुछ भी कहें तो भी यह बात तो कही जा सकती है, लिखित में दी जा सकती है कि साहब, इसके तथ्य ये नहीं हैं, ये हैं, इसकी जांच करायें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, कितना सिम्पल है मेरा आशय, आपने भी फट समझ लिया।

श्री अध्यक्ष : मेरे तो काफी मुश्किल से समझ में आया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपने भी कहा, मंत्री महोदय कुछ भी कहें, इसका मतलब तो यही निकलता है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : विपक्ष के नेता महोदय, आप आसन को मेरे प्रति नाराज करने की चेष्टा न करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आसन आपसे खुश कब से हैं, नाराज होने का सवाल ही नहीं है। आपकी परफारमेन्स देखकर अगर आसन को सी. आर. लिखनी पड़े तो आप समझिये प्रमोशन होने वाला नहीं है।

मैं निवेदन कर रहा था इसमें आपको दिक्कत क्या है। दूसरी एजेन्सी से जांच

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कराने को तैयार है यह तो आपने कमिट कर [illegible] हम यह कहते हैं—

श्री प्रद्युम्नसिंह : For my Satisfaction.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दूसरी एजेन्सी हमसे कोई कान्टेक्ट नहीं करेगी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपके पास कुछ एडीशनल फेक्ट्स है तो आप मुझे दे दीजिये ना, आप कहेंगे और कोई दूसरा माध्यम है, एक नहीं, दो नहीं, तीन शुरू में जो आरम्भ हुआ, अध्यक्ष महोदय एक मिनट अगर आप इजाजत दें, शुरु में जो बात विरोधी पक्ष के नेता महोदय ने कही वह यह कही कि आप और हम संग चलते हैं। मैंने कहा यह तो कोई परम्परा नहीं रही। मैं जाने में असमर्थ हूं। उन्होंने कहा कि अच्छा आप अपने वक्तव्य से आप खुद ही सन्तुष्ट हो जायें, आपने यही फरमाया ना कि आप अपने वक्तव्य से खुद सन्तुष्ट हो जायें ? मैंने कहा कि मैं इसकी अन्य माध्यम से, दूसरी एजेन्सी से, इस बारे में जानकारी प्राप्त करके अपने आपको सन्तुष्ट करूंगा। यदि इस सम्बन्ध में और दूसरी एजेन्सी से जो तथ्य प्राप्त होंगे उनमें कोई विरोधाभास हुआ तो निश्चित रूप से जो हमें कार्यवाही करनी होगी वह करेंगे, श्रीमन्।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय की तो हिम्मत नहीं है। क्या डाइरेक्टर जनरल से आप जांच करवायेंगे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर बैठ ज जांच के मुद्दे से हटकर आप नई बात रहे हैं। आपने जब इन्टरवीन किया, स समाप्त होने के बाद में, कि मन्त्रीजी बता दें कि स्वयं जो आपने कहा है सच्चाई से आप सन्तुष्ट हैं क्या, यह आ कहा। इन्होंने कहा मैं अन्य तरीकों से..

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यही मैं क हूं अन्य तरीका क्या डाइरेक्टर जनरल सकता है ?

श्री अध्यक्ष : नहीं, अब आप बात रहे हैं कि उसकी एन्क्वायरी हो। तो मन्त्रीजी के सामने रखे हैं वो सही न इसलिए उनकी एन्क्वायरी हो, यह बा

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष म दय, इन्होंने कहा कि मैं दूसरी एजेन्सी सन्तुष्ट होने की चेष्टा करूंगा यही तो ना ? वह दूसरी एजेन्सी क्या डी. जी. सकती है ?

श्री अध्यक्ष : कौन से स्रोत को वो समझते हैं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष मह अगर मैं डी. जी. की बात कहूं तो ये कहने लगेंगे कि वो तो पुलिस के ही अ हैं, आपने उससे क्यों जांच करवाई।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप दीजिये, डी. जी. के लिये कह दीजिये

श्री प्रद्युम्न सिंह : मुझे जो कर होगा, जब आपने मेरे पर इतिमनान

श्री अध्यक्ष)....

माननीय विरोध पक्ष के नेता महोदय, कौन होगा, क्या होगा, यह मैं देखूंगा। शुरूआत तो आपने इतना विश्वास जाहिर कर दिया....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां किया।

श्री प्रद्युम्नसिंह : और अब विश्वास जाहिर नहीं कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसलिए कि आप जांच कराने को तैयार नहीं है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं आपसे कह रहा हूं यहां पर, कि अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो मैंने आज आश्वासन दिया है वह मैं पूरा करूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आश्वासन क्या दिया है?

(व्यवधान)

आश्वासन क्या दिया वह बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष : आश्वासन यह दिया था, चर्चा समाप्ति की घोषणा हो गई, उसके बाद में आपने यह बात कही कि जो आपने वक्तव्य दिया है उसकी सच्चाई से आप स्वयं सन्तुष्ट हैं या नहीं। यह बात आपने कही, नई इन्क्वायरी की बात आपने नहीं कही। इस पर माननीय मन्त्री महोदय ने यह बात कही कि यह जो मेरे पास रिपोर्ट वगैरह आई है इस मामले में अन्य स्रोत से भी, इसकी सच्चाई के बारे में मालूम करूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वो ही मैं पूछना चाहता हूं कि वह स्रोत क्या है?

श्री अध्यक्ष : अब ये स्रोत इनके विश्वास के होने चाहिए, क्योंकि जब इन्होंने अपने ऊपर यह बात ले ली तो....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह जांचने वाला स्रोत मालूम हो जाय तो हमारे पास जो इन्फार्मेशन है उनको पास ऑन कर दें।

श्री अध्यक्ष : वह तो आप इनको दे सकते हैं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) : अध्यक्ष महोदय, जांच करने वाले अधिकारी का नाम अगर पहले ही बता दिया जाय तो उसको कोई भी राय मशविरा देने वाला....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न नहीं है। प्रश्न केवल इन्होंने उठाया था, विपक्ष के नेता महोदय ने कि इस वक्तव्य से आप स्वयं सन्तुष्ट हैं या नहीं, इस पर उन्होंने उत्तर दिया है। मेरे ख्याल से अब चर्चा समाप्त होती है, काफी हो गया।

श्री मेघराज तावड़ : मन्त्री जी ने जो आश्वासन दिया, मैं आपके मार्फत पूछना चाहता हूं कि जो हाउस में आश्वासन मंत्री महोदय ने दिए, एक भी पूरा हुआ क्या, यह बता दीजिए। एक भी पांच साल में पूरा हुआ हो तो बता दें।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न, इस पर चर्चा नहीं होगी।

(व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल : एक नागरिक को एफ आई आर दर्ज कराने का अधिकार नहीं है क्या? पुलिस ने एफ आई आर नहीं लिखी इसकी भी जांच करवायेंगे क्या?

विधायी कार्य

श्री अध्यक्ष : विचारार्थ लिए जाने वाले विधेयक। ग्रामदान वाला लें लें पहले।

श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्य मन्त्री, स्वायत्त शासन) : पहले सहकारी वाला ले लीजिए, कन्टीन्यूएशन में तो वह चल रहा था।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कन्टीन्यूएशन में ग्रामदान कैसे होगा।

(व्यवधान)

ग्रामदान का विधेयक पहले लेंगे। आज तीन विधेयकों को विचारार्थ लेना है और उनको पारित भी करना है। तीन घण्टे का समय और बचा है इसलिए प्रत्येक के लिए एक से सवा घन्टे का समय है। पांच बजे के बाद भी समय बढ़ाया जा सकता है, उस दृष्टि से इस पर चर्चा करनी है।

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : काहे को खुले हो रहे हो आप।

श्री मेघराज तावड़ : गधों के मेले का उद्घाटन करने मंत्री जी नहीं गये, तो आप पशुपालन की बात क्या करेंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मुझे मालूम नहीं था कि आप वहां पर मौजूद थे।

राजस्थान ग्रामदान (संशोधन) अध्यादेश, 1984
परिनियत संकल्प

श्री अध्यक्ष : राजस्थान ग्रामदान (संशोधन) विधेयक, 1984 पर निम्न लिखित सदस्य परिनियत संकल्प पेश करेंगे। श्री कैलाश मेघवाल, श्री गुलाबचंद कटारिया, डा. उजला अरोड़ा, श्री नाथू सिंह, श्री भंवरलाल शर्मा। इनमें से कौन माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे?

(व्यवधान)

श्री घनश्यामजी तिवाड़ी, कृपया समय का ध्यान रखें। मैंने एक घण्टे का समय दिया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : माननीय अध्यक्ष, मैं निम्न परिनियत संकल्प प्रस्तुत करता हूं :-

"यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 21 जुलाई, 1984 को प्रख्यापित राजस्थान ग्रामदान (संशोधन) अध्यादेश, 1984 (अध्यादेश संख्या 8 सन् 1984) को अस्वीकार करता है।" माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान ग्रामदान (संशोधन) विधेयक और उसके पहले जो अध्यादेश सरकार ने जारी किया इस अध्यादेश को अगर हम देखें तो न तो यह अध्यादेश लागू करने की सरकार को आवश्यकता थी, न आज के दिन यह जिस प्रकार का संशोधन किया है, उस पर ग्रामदान का जो कानून है, उस कानून की कोई आवश्यकता है। वास्तव मे सरकार को ईमानदारी से काम करना है तो ग्रामदान

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

एक्ट को समाप्त करना चाहिये। इस एक्ट के कारण से जिस प्रकार की परिस्थितियां आज अपने सामने पैदा हुई हैं, अध्यक्ष महोदय, एक ही मकसद था उस समय, ग्रामदान जो है वह एक अभियान के रूप में चलाया गया था। जो अतिरिक्त भूमि थी उस भूमि का वितरण करके कुछ गरीब लोगों के हाथ में भूमि आ जाय और सरप्लस भूमि भूमिहीनों में बंट जाय इस काम के लिये यह ग्रामदान विधेयक लाया गया था। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, आज के दिन इस ग्रामदान के कार्य में जो हालत बनी है उससे सरकार की आज यह स्थिति बन गई है कि जैसे मकड़ी जाले में फंसती है तो उसमें से न निकला जा सकता है और न उसमें रहा ही जा सकता है। गाँवों की हालत यह है कि उनके पास वाले जो गाँव हैं वे पूर्णतया इलेक्ट्रिफाइड हैं लेकिन ग्रामदान के जो गांव हैं वो इलेक्ट्रिफाइड नहीं हैं। तो, अध्यक्ष महोदय, न तो वहां पर बिजली है, न वह जमीन जिनको ग्रामदान में मिली, वह गिरवी रख सकते हैं, न बैंक से लोन ले सकते हैं, न जमीन को कानून के अन्दर जिस तरह से उनको सहायता मिलनी चाहिये थी उतनी सहायता मिल सकती है। टीनेन्सी एक्ट और दूसरे कानून उनके पास के जो गांव हैं उनमें लागू हैं परन्तु ग्रामदानी गांवों में लागू नहीं हैं। उसके अन्दर अगर झगड़ा हो गया तो न तो एस डी एम के पास जा सकते हैं, न मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की सहायता ले सकते हैं, न पुलिस की सहायता ले सकते हैं।

(2.00 म॰ प.)

आज, अध्यक्ष महोदय, हालत यह है कि पंचायतों के चुनाव होते हैं पर ग्रामदान के गांवों के अन्दर चुनाव नहीं होते हैं। अभी पंचायतों के चुनाव हुए पर ग्रामदान के गांवों में पंचायतों के चुनाव नहीं हुए। आज पंचायत एक्ट के तहत जो रिलीफ उनको मिलनी चाहिये वह रिलीफ उनको प्राप्त नहीं हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, आज सहकारिता के बेसिस पर जो लाभ पंचायती राज की पंचायतों को मिलता है वह लाभ भी उनको नहीं मिलता है और जो सहकारी बैंकों के माध्यम से पंचायतों को कर्ज मिलता है वह कर्जा भी ग्रामदान वाले विलेजेज को नहीं मिलता है। जो ग्रामदाने विलेज को लाभ मिलना चाहिये वह नहीं मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज हालत यह है कि ग्रामदान के गांवों की हालत इस प्रकार की हो गयी है कि वहां पर कोई कानून ही लागू नहीं होता है। एक पड़ोस वाले गांव में पंचायतों के चुनाव होते हैं उनकी पंचायतों को सबसिडी मिलती है और उनको अन्य एजेन्सियों के माध्यम से, जैसे एन. आर. ई. पी. और आई. आर. डी. के कार्यक्रम जो होते हैं उन कार्यक्रमों से जो लाभ होता है पंचायतों को वह ग्रामदान वाले विलेजेज को नहीं मिलता है। इन सभी कार्यक्रमों से ग्रामदान वाले गांवों को वंचित किया जा रहा है। उन्हें किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिये वह लोग यह चाहते हैं कि हम किसी प्रकार से इस ग्रामदान वाले झंझट से छूटें। और ग्रामदान के झंझट से जब छूटने वाली बात आई है तो सरकार ने यह अध्यादेश जारी कर दिया। इस अध्यादेश के अनुसार एक व्यक्ति ग्रामदान से छुटकारा पाने के लिये एस. डी. एम. के पास जायेगा और घोषणा पत्र देगा कि

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मैं ग्राम दान वाले गांव से निकलना चाहता हूं और वहां से निकलने के बाद उस पर कौनसा कानून लागू होगा, कौन सी व्यवस्था लागू होगी, क्या उस पर पंचायतों के नियम लागू होंगे या कौनसे नियम लागू होंगे यह इस आर्डिनेंस में स्पष्टीकरण किया हुआ नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से अगर 50 प्रतिशत लोग जब ग्राम दान के विलेज से निकल जायेंगे तो वहां पर सारे के सारे कागजात कलेक्टर के पास जायेंगे और कलेक्टर जांच करेगा और जांच करने के बाद उस विलेज को ग्रामदान वाले गांवों से निकाला जायेगा। अध्यक्ष महोदय, यह दोहरी प्रथा लागू हो रही है एक तरह से आज राजस्थान में, अध्यक्ष महोदय, आपको विशेष तौर पर सीकर के ग्रामदान वाले गांवों के हालत के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि वहां की हालत क्या है। आज वहां पर ग्राम के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है वहां पर कोई ग्राम सभाओं के चुनाव नहीं हो रहे हैं। जो व्यक्ति थे पहले जिन्होंने ग्रामदान दिये वह लोग मर चुके हैं और उनके स्थान खाली पड़े हैं। वहां पर ग्राम सभाओं के द्वारा कोई काम नहीं हो रहा है। आज ग्राम दान वाले गांवों की यह हालत है कि न तो उनको पंचायतों का लाभ मिल रहा है, न ही वहां पर पंचायतों के अन्दर विकास का कोई काम होता है। वहां पर सहकारिता का लाभ भी उन गांवों के लोगों को नहीं मिल रहा है, वहां पर कोई कानून ही लागू नहीं होता है।

अध्यक्ष महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि एक ग्रामदान वाले गांव के आगे के गांव में पंचायतों के चुनाव होते हैं और उसके पहले के गांव में पंचायतों के चुनाव होते हैं और बीच में जो ग्रामदान वाला गांव है उसमें चुनाव नहीं होते हैं और न ही वहां पर कोई काम होता है। न वहां के लोगों को बैंकों से कर्ज मिल सकता है और न ही वह लोग अपनी जमीनों को गिरवी रख कर लोन लेकर अपना विकास कर सकते हैं और न ही वहां पर कोई प्रकार का काम हो रहा है, न ही वहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, न वहां के लोगों को किसी प्रकार की कोई सहायता मिल रही है। इसलिए ग्रामदान वाले लोग, अध्यक्ष महोदय, इस झंझट से बचना चाहते है। यह बात सही है कि जब ग्रामदान का अभियान पहले जब शुरू किया गया था तो बहुत बड़े बड़े महापुरुषों ने इसे शुरू किया था लेकिन अब वातावरण ऐसा बन गया है कि यह ग्रामदान वाले गांव पूरी तरह से बेकार हो गये हैं और यह ग्रामदान वाला कार्यक्रम पूरी तरह से फैल हो गया हैं निष्फल हो गया है और अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं रही है। यह कानून जो आप ला रहे हैं उसी कानून के बाद आप और झंझट पैदा कर देंगे। इस झंझट से बचने के लिये एक व्यक्ति कलेक्टर के पास जायेगा और कलेक्टर को एफिडेविट देगा कि मैं इस ग्रामदान वाले गांव से निकलना चाहता हूँ और इसमें अगर एक गांव में दो हजार परिवार हैं और एक हजार परिवार उसमें से निकलना चाहते हैं तो वह लोग कलेक्टर के पास जाकर एफिडेविट देंगे तो उसको कलेक्टर जांच

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

करने के बाद ग्रामदान वाले गांव से निकालेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर 25 प्रतिशत लोग ही निकल गये तो उन 25 प्रतिशत वाले लोगों पर कौनसे कानून लागू होंगे, वह कहां जायेंगे उनके ऊपर क्या नीति अपनाई जायेगी ? अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ वह यह है कि एक ग्रामदान के अन्दर किसी व्यक्ति को अगर जमीन मिली है तो उस जमीन का क्या होगा ? उस जमीन पर काबिज लोगों का क्या होगा ? इसलिये एक प्रावधान को रख कर आप इस कानून को खत्म कर दीजिये क्योंकि इस कानून की अब कोई आवश्यकता नहीं है। ग्रामदान में जो जमीन जिसके पास मिली हैं उसको इन-टैक्ट रखते हुए और जो जमीन सरप्लस है जो कि दूसरे लोगों को नहीं मिली है उसको इन-टैक्ट रखते हुए आप उन गांवों को उनके पास वाली पंचायत समितियों में दे दीजिये पंचायत समितियों में संशोधन करके।

अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं, वह यह है कि सरकार ने जब भूमि सुधार कानून लागू कर रखा है और वह भूमि सुधार कानून वहां पर पर लागू नहीं होता है तो मेरा निवेदन है कि उस भूमि सुधार वाले कानून को वहां उस ग्रामदान वाले गांव में लागू किया जाय। सरकार ने जो भूमि की अधिकतम सीमा सीलिंग की लागू की हुई है वह सीलिंग कानून भी इस पर लागू किया जाये अभी मौजूदा जो कानून है ग्रामदान का, उसको समाप्त किया जाय क्योंकि यह ग्रामदान का अभियान अब पूरी तरह फेल हो गया है और अब उसकी आवश्यकता नहीं है सरकार को इसके लिये बोल्डली और दृढ़ता पूर्वक यह कहना चाहिये कि यह ग्रामदान वाला अभियान पूरी तरह फेल हो गया है और अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार पंचायत समितियों में विकास के काम होते हैं, और जिन एजेन्सियों को जो अधिकार है, हिन्दुस्तान में रहने वाले लोगों को और राजस्थान में रहने वाले लोगों को जब विकास के कामों के लिये वोट देने का अधिकार है और जिन लोगों को अपनी ग्राम पंचायतों के चुनाव में खड़े होने और वोट देने का अधिकार है, वह वोट देने का अधिकार उनको क्यों नहीं है वह लोग चुनाव में क्यों हिस्सा नहीं ले सकते हैं। आज वहां पर पिछले 20 सालों से जो लोग चुने हुए हैं वही लोग वहां पर बैठे हुए हैं वहां पर कोई चुनाव नहीं हो सकते हैं। तो अब ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि इन ग्रामदान वाले गांव के लोगों को भी चुनाव में हिस्सा लेने का लाभ मिल सके। वहां पर जिस प्रकार पंचायतों को सहायता मिलती है वह उन लोगों को नहीं मिल सकती है और न वह लोग एस. डी. एम. के पास जाकर अपनी बात कह सकते हैं, न मजिस्ट्रेट ही उनके लिये कुछ काम कर सकता है और न ही वहां पर कोई प्रकार का विकास का काम हो सकता है। वहां पर सहकारी बैंकों के माध्यम से या कामर्शियल बैंकों के माध्यम से भी उनको सहायता नहीं मिल सकती है। इसलिये ग्रामदान वाले गांव के लोग इस व्यवस्था से निकालना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, वहां पर सारी की सारी ऐसी व्यवस्था है कि उसमें जो लोग रहते हैं वह लोग इस प्रकार

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

का नारकीय जीवन इस राजस्थान में नहीं बल्कि हिन्दुस्तान में बसर कर रहे हैं। आज हालत यह है कि [illegible] पर न तो किसी प्रकार का कोई काम होता है न वहां पर कोई विकास होता है। इसलिये सरकार को ईमानदारी से और दृढ़तापूर्वक यह कहना चाहिये कि ग्रामदान अभियान पूरी तरह से फैल हो चुका है इस एक्ट को लाने के पहले जो आर्डिनेन्स सरकार लाई है उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। सरकार को यह कहना चाहिये था कि यह ग्रामदान कानून बिलकुल फैल हो चुका है इसको समाप्त कर दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय, एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं और एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। आज ग्रामदान में जो जमीन लोगों को मिली, उस जमीन का खुद उस व्यक्ति के नाम या उसके परिवार वाले लोग जिनका कि कब्जा है, उनके नाम पर नामान्तरण भूमि का हो जाना चाहिये था। आप इसमें ऐसा संशोधन करें और बाद में इस सारे के सारे ग्रामदान के झमेले को समाप्त कर दें, क्योंकि आज स्थिति इन ग्रामदान वाले विलेज के लोगों की यह है कि उनका कोई रिकार्ड ही नहीं है। कौनसी जमीन किसको दी गयी और कब दी गयी और कितनी दी गयी और किसको दी गयी अब वहां पर क्या हो रहा है या वहां पर अब क्या किया जा रहा है, वहां पर कौनसा प्रशासन चल रहा है. यह कुछ भी पता नहीं है। इसलिये वहां पर जमीन का नामान्तरण करण उन्हीं लोगों के नाम कर दिये जांये, जिनके पास वह जमीन है। आज पास वाले गांव के लोग अपने एस डी. एम के पास अपील कर सकते हैं और कानूनी सहायता ले सकते हैं, वहां के पटवारी से अपनी बात कह सकते हैं और फायदा ले सकते हैं लेकिन ग्रामदान वाले लोग न तो नामान्तरणकरण की मांग कर सकते हैं न वह लोग कोर्ट में जा सकते हैं, न कोई कानूनी सहायता उनको मिल सकती है तो आखिर वह इन्सान क्या करेगा वह इस झन्झट से छुटकारा ही पाना चाहेगा। आज उसको पंचायतों में वोट देने से वंचित किया हुआ है आज राजस्थान के नागरिक को जो अधिकार प्राप्त है पंचायती राज में वोट देने का, लेकिन वह नहीं दे सकेगा। वह तो बैठा बैठा देखता रहेगा न वह कोआपरेटिव के जो चुनाव होते हैं उसमें हिस्सा ले सकेगा, न उसको पंचायत समिति में कोई अधिकार है, न वह भागीदार हो सकता है तो ऐसी स्थिति में क्या वह विकास के काम में भाग ले सकेगा। आज जिन लोगों ने इस ग्रामदान अभियान को चलाया था अगर वे भी होते तो वह स्वयं भी इस बात को स्वीकार करते कि ग्रामदान वाला अभियान असफल हो गया है।

इसलिये अध्यक्ष महोदय, ग्रामदान का अभियान फैल हो चुका है पूरी तरह से, उसमें रहने वाले गांवों में लोग नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको कानूनी सहायता नहीं मिल सकती है, न उनको निर्वाचन करने का अधिकार है उनको अपने अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस अध्यादेश की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह ग्रामदान वाला एक्ट जो है उसको अबोलिश किया जाये और इसके गांवों को पंचायत समितियों में शामिल किया जावे।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

वहां के लोगों को भी वे अधिकार दिये जावें कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिये जिस प्रकार के राजस्थान के दूसरे गांवों के लोगों को हैं। अध्यक्ष महोदय, शुरू शुरू में यह अभियान ठीक रहा होगा, पर अब तो यह फैल हो चुका है और लोग इस झंझट में से निकलना चाहते हैं। आज अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर ऐसे 400–500 गांव होंगे, उन लोगों के लिये अलग कानून होना अलग नियम होना और उन लोगों को सभी प्रकार के अधिकारों से वंचित करना, और वहां पर कोई विकास का काम नहीं होना, वहां के लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं होना और उन लोगों को कोई भी कानूनी सहायता नहीं मिलना, यह दोहरी शासनतन्त्र राजस्थान में इन पांच सौ एक हजार गांवों के लिये क्यों रखा जाय। इसलिये मैं अध्यक्ष महोदय मन्त्री महोदय, से मांग करता हूं कि इस आर्डिनेन्स को नहीं लिया जाय और इस अध्यादेश को अस्वीकार किया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे वास्तविकता के धरातल पर आकर यह कहें कि वास्तव में इस एक्ट की कोई आवश्यकता नहीं है और जितनी भी उलझनें इस एक्ट से पैदा हुई हैं और होती जा रही है और इस अध्यादेश को स्वीकार करने के बाद एक एक आदमी....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये। समय काफी हो गया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी :........दरख्वास्त लेकर एस. डी. एम. के यहां जायेगा और कहेगा कि मुझे ग्रामदान से निकालो, मुझे ग्रामदान से निकालो और फिर कलेक्टर उनको वेरीफाई करेगा और फिर सिपाही राज्य सरकार के पास भेजेगा और फिर पंचायत के पास प्रस्तुत करेगा। इसमें कितनी लम्बी प्रक्रिया होगी और कितना बड़ा झंझट पैदा होगा और बहुत बड़ा झमेला पैदा हो जायेगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और सरकार को बोल्डली यह बात कहनी चाहिए कि ग्रामदान को एबालिश करना चाहिए और पंचायतों के अन्दर सब गांवों को मिलाकर पंचायत के आधार पर इसका शासन चलाना चाहिए, यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : कैलाश मेघवाल।

(अनुपस्थित)

श्री गुलाबचन्द कटारिया।

(अनुपस्थित)

डा. उजला अरोड़ा।

(अनुपस्थित)

श्री नाथूसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री भंवर लाल शर्मा।

(अनुपस्थित)

इस पर परिनियत संकल्प का मतलब यह हुआ कि प्रस्तुत ही नहीं हुआ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैंने कर दिया आपकी अनुमति से।

श्री अध्यक्ष : आपको बोलने की इजाजत दे दी गयी थी। यह आशा करके चल रहे थे कि बाद में कोई न कोई संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं प्रस्तुत कर देता हूँ।

श्री अध्यक्ष : आपका नाम नहीं, बात नहीं। आप कैसे प्रस्तुत करेंगे।

श्री महाराम चौधरी : इसकी आवश्यकता ही नहीं है। इसको विथड्रा करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आगे मैं चर्चा का अवसर दे दूंगा। यह तो टेक्नीकल स्थिति है कि यह परिनियत संकल्प है।

(विराम)

और कोई माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे? आप यह तो कह दीजिए कि संकल्प मैं प्रस्तुत करता हूं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान ग्रामदान (संशोधन) विधेयक, 1984 पर परिनियत संकल्प प्रस्तुत करता हूँ। मेरा परिनियत संकल्प निम्न प्रकार है :—

यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 2 जुलाई, 1984 को प्रख्यापित राजस्थान ग्रामदान (संशोधन) अध्यादेश, 1984 अध्यादेश सं. 8 सन् 1984 को अस्वीकार करता है।"

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, अभी परिनियत संकल्प पर जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन दिये हैं वही बोलेंगे और इस एक्ट पर या इस बिल पर जो माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे वह थर्ड रीडिंग पर बोल सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : हां, इसमें बोल सकते हैं।

श्री नाथूराम (बागीदोरा) : अध्यक्ष महोदय, ग्रामदान एक्ट जो बना है वह विनोबा भावे के कार्यक्रम के अनुसार और महात्मा गांधी जी के कहने के अनुसार बना है। मेरा गांव आज से नहीं 25 साल के लिए ग्रामदान किया हुआ है और बांसवाड़ा जिले में 50 ग्रामदानी गांव हैं। वहां पर सरकारी सारे अधिकार ग्रामसभाओं को रेवेन्यु के दे दिये गये हैं जैसे खसरा नक्शा दे दिया और गश्त—गिरदावरी ग्रामसभायें करती हैं। भाईबंदों के खाते ग्राम सभा प्रस्ताव पास करके फिर पट्टे वगैरह दे देती है। जमीन अलाट कर देती है। जमीन अलाट करने के बाद पट्टे दे देते हैं और लगान वसूल करके तहसील में जमा करा देते हैं और हमारी ग्राम सभाओं का चुनाव हर तीसरे वर्ष होता है और हर एक हजार की जनसंख्या के पीछे एक प्रतिनिधि पंचायत समिति में बैठता है। तो 3 प्रतिनिधि हमारी गढ़ी पंचायत समिति में हैं और 16 प्रतिनिधि हमारी आंगनपुरी पंचायत समिति में हैं। पंचायत को जितना अनुदान जनसंख्या के आधार पर मिलता है वह ग्रामदानी गांवों को मिलता है और जितना पंचायतों को अनुदान मिलता है वह तो मिलता है और प्रस्ताव पास करके सरकारी समिति को देते हैं। वहां से ऋण मिलता है और फिर ग्रामसभा काश्तकारों को वितरण करती है और फिर ग्रामसभा ही वसूली करके देती है। अब यह जो प्रश्न है ग्रामदान अधिनियम निरस्त करने का वह रेवेन्यु के पटवारी लोग, तहसीलदार लोग चाहते नहीं हैं, कारण कि सारे अधिकार ग्राम सभा को दे दिये गये हैं और उनको कुछ रिश्वत नहीं मिलती है। अभी अभी हमारे यहां पैमाइश

(श्री नाथूराम)

बंदोबस्त हुआ था तब पटवारी ने

(2.15 म.प.)

(श्री सूर्यकुमार, सभापति, पदासीन)

रेवेन्यु गांवों को बहुत लूटा कि तुम्हारे खाते अलग कर देंगे, 200 रुपया एक भाई देगा, तो यों करके कई हजार रुपया खा गये। हमको सर्वाधिक अधिकार ग्राम सभा को विनोबा भावे के कहने के अनुसार मिले हैं। यह प्रस्ताव अभी लाना चाहिए। अभी हमारे मुख्य मंत्री जी हमारे क्षेत्र को देखेंगे, राजस्व मंत्री जी देखेंगे और एतराज करने वाले देखेंगे। अभी तो थानेदारों को भी लूट खाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, पटवारी को लूटने खाने के लिये कोई रास्ता नहीं है, तहसीलदार के लिए लूट खाने के लिये कोई रास्ता नहीं है और एस0डी0एम0 में कोई केस कर देता है तब वापिस ग्रामसभा उस जमीन को मौके पर पांच पच्चीस आदमी जाकर ग्रामसभा निर्णय करके, वापिस कर दी जाती है। ग्रामदान का काम है वह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और यह ग्राम स्वराज है। विनोबा भावे और महात्मा गांधी गांवों में ग्राम स्वराज लाना चाहते थे। तो हमारे राजस्व के पटवारी लोग और अपोजिट पार्टी के जो लोग हैं वह ग्रामदान को नहीं चाहते हैं। कारण यह है कि जो भी सरकार बनती है उस सरकार के ध्यान को रखकर विकास का काम करते हैं और इसलिए हमारा जो वोट होता है प्रधान का, प्रमुख का, हमारे प्रतिनिधि वहां वोट देते हैं। हमारी आंगनपुरी और गढ़ी में दूसरी पार्टी के प्रधान बनने की कोई गुंजाइश नहीं रही है। ग्रामदान हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हमारा ग्रामदान संस्थान देने का निर्णय सरकार ने किया है वह फिलहाल [illegible]त कर दिया जाये और अगले सेशन में जांच करके फिर ग्रामदान संशोधन लाया जाय। हमारा ख्याल है कि जो 50 ग्रामदानी गांव हैं उनमें से हमारे बांसवाड़ा में कोई भी उसमें से नहीं निकालना चाहता है। एतराज करके हमने मुख्य मंत्रीजी को दिया है, राजस्व मंत्री जी को दिया है, राज्यपाल महोदय को दिया है और सम्मेलन करके अध्यादेश वापिस लेने के लिए हमने निवेदन किया है तो अध्यादेश वापिस लिया जाये।

उसका निर्णय गांवों में जाकर पूछो। निर्णय देखकर जांच करके किया जाये। यह जो कहते हैं वह गलत बात है और तीन साल में चुनाव होते हैं। वहां प्रतिनिधि अध्यक्ष बनता है और 12 या 15 सदस्य बनते हैं और उनके अनुसार सारा काम होता है। यह ग्रामदानी गांवों को इन्होंने देखा नहीं है। मैंने चलाया है और मैं 12 वर्ष तक ग्रामदानी गांव का अध्यक्ष रहा था। विनोबा भावे महाराष्ट्र से आये और हम महाराष्ट्र से पन्डरपुर जाकर मिले, उस समय हमने 24 गांव ग्रामदान में भेंट किये थे राजस्थान में आने के समय। तो बहुत बड़ा हमारा विकास हुआ है ग्रामदानी गांवों के अन्दर। मेरा गांव छोटा सा है। वहां पर घर घर बिजली पहुंची, हैंडपम्प काफी खोदे गये और बिजली का काम हुआ, सारे गावों में मंजूर हुई है। 112 गांव है उसमें 40 गांवों में बिजली मन्जूर हो गयी। यह जो प्रोपोगण्डा मचाया है वह हमारे आदिवासियों पर कुल्हाड़ी मारने के लिए है। ग्रामदानी गांव हमारा जन्मसिद्ध अधि-

(श्री नाथूराम)
कार है और ग्राम स्वराज का अधिकार है। विनोवा भावे का है. महात्मा गांधी गांवों के अन्दर ग्राम स्वराज्य लाना चाहते थे। नाथूराम गोडसे ने गोली लगा दी। नेहरु जी ने पंचायती राज कायम कर दिया। तो विनोवा भावे ने उस कदम को उठाया और यह ग्रामो के अन्दर अच्छा चल रहा है और किसी को भी एतराज नहीं है। मैं सब में मिला हुआ हूं। मैं सब जनता में मिला हुआ हूं। सर्वोदयी कार्यकर्ता हूं। सब जानते हैं। ऐसी बात नहीं है। आप बांसवाड़ा आइये, मैं आपको गांव-गांव घुमाऊंगा और एक एक किसान को मिलवाऊंगा। सारी चर्चा आपके सामने करेंगे। इन पटवारी लोगों को खाने को नहीं मिलता है इसलिए लोगों को बहकाते हैं। उधर वोट नहीं मिलते हैं पंचायतों में सरपंचों को इसलिए बहकाते हैं। हम तो लोक सभा के वोट देते हैं, हम विधान सभा के वोट देते हैं। हमारी पंचायती छोटी सी अलग बन गयी है। उसका सारा विकास हम करते हैं और परिवार के आधार पर पंचायतों को अनुदान मिलता है, हर साल वह हमारी ग्राम सभाओं को मिलता है, विधिवत काम होता है और हम बनियों के पास जाते नहीं हैं। हर साल सवा मन अनाज एक काश्तकार देता है। हम व्यापारियों के पास नहीं जाते हैं। गेहूं होता है मक्का की जरुरत पड़ती है तो हमें मिल जाती है। यह तो रेवेन्यु वाले और अपोजीशन पार्टी वाले मिले हुए हैं। हमारे गांवों की रक्षा की है। इन्होंने तो गांव की रक्षा करने के लिये किया क्या है ? इसमें कोई संशोधन लाना ठीक नहीं है। नहीं तो मैं आपको बता दूंगा, रेवेन्यु मिनिस्टर को बता दूंगा नेताओं को बता दूंगा बिल्कुल असंतोष हो जायेगा, वावेला मच जायेगा। जय रामजी की।

श्री सभापति : माननीय मन्त्री महोदय।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदय, मेरे को बोलना है। मुझ को फर्स्ट स्टेज पर बोलना है। अस्वीकार की स्थिति में मैंने दिया हुआ है। आप मुझे कैसे मना कर सकते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपको, ध्यान है किस संकल्प पर चर्चा हो रही है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ग्रामदान पर हो रही है।

श्री सभापति : ग्रामदान पर परिनियत संकल्प पर चर्चा हो रही है। माननीय मंत्री महोदय को उसका उत्तर देना है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने संकल्प दिया है, आप उसको पढ़ लीजिये, आपके सामने है।

श्री सभापति : आपका नाम जब आसन से पुकारा गया था आप यहां पर थीं नहीं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : स्पीकर साहब जब बोल रहे थे तब उन्होने घनश्यामजी को बोलने का अवसर दिया था, मेरे को बाद में बोलने की बात कही थी, आप उनसे पुछवा लीजिये।

श्री सभापति : आपका नाम पुकारा गया था, आप यहां पर नहीं थीं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

महोदय, जब मेरा नाम पुकारा एकदम से वे खड़े हो गये, मैं यहीं थी।

श्री सभापति : नहीं, आप यहां पर नहीं थीं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति, महोदय, मेरे को बोलने का अधिकार है। इसी स्टेज पर बोलूंगी, दूसरी स्टेज पर बोलूंगी फिर तीसरी स्टेज बोलूंगी। तीनों वाचन पर बोलने का अधिकार रखती हूं। आप मुझे अनुमति तो दे दें।

श्री सभापति : लेकिन आसन से जब आपका नाम बोला गया था आप यहां पर नहीं थीं। आपको अनुमति नहीं दी जा सकती।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कैसे नहीं दी जा सकती है।

श्री सभापति : इसलिये नहीं दी जा सकती क्योंकि जब आसन से आपका नाम पुकारा गया था आप थी नहीं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, यहां पर सरकार तो गलत काम कर रही है, आप तो हमारे अधिकारों की रक्षा करिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगी, आप मुझे बोलने दें।

श्री सभापति : आपको स्वयं अपने अधिकारों के लिये जागरूक होना चाहिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं जागरूक हूं लेकिन उन्होंने मेरे अधिकार के ऊपर अपना अधिकार रख दिया। वे भी कार्यकर्ता हैं, मैं भी कार्यकर्ता हूं, बीच में नहीं बोल सकती थी। आप मुझे बोलने से कैसे रोक सकते हैं?

(मं. प. 2-23)

(श्री पूनमचंद विश्नोई, अध्यक्ष पदासीन)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। आज तीन विधेयक हमको पारित करने हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैंने संकल्प दिया है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। व्यवस्था दे रहा हूं। उसमें प्रत्येक को एक एक घंटा का समय दिया गया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुझे एक दो पाइंट पर बोलना है, लम्बी चौड़ी अनावश्यक बातों में जाती नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज....

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुझे तीन बातें कहनी हैं।

श्री अध्यक्ष : मेरी बात सुन लीजिये। आसन पैरों पर है। समय का अभाव है। यह बात सही है कि आपने परिनियत संकल्प पर प्रस्ताव दिया था लेकिन जब आपका नाम पुकारा गया उस वक्त आप यहां पर नहीं थीं। आप इस सदन के नियमों से परिचित हैं। यदि अध्यक्ष से कोई माननीय सदस्य दृष्टिगत हो जाये और उसके बाद में

(श्री अध्यक्ष)

यदि उनका नाम पुकारा जाये तो इस सदन की और सभी सदनों की यह परम्परायें हैं कि माननीय सदस्य को उस अवसर का लाभ उठाना चाहिये....

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं दो तीन बातें कह कर बैठ जाऊंगी।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन कर रहा हूं, ऐसा है आपको अभी अवसर नहीं दूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप बड़े मेहरबान हैं। मुझे लम्बी चौड़ी बात नहीं करनी है, केवल दो बातें कहती हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। अभी तीन वाचन होंगे। उसमें किसी पर भी आप चाहें तो मैं आपको अवसर दे दूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा संकल्प पर....

श्री अध्यक्ष : जब आपका नाम पुकारा आप नहीं थीं। आपको इस बात को समझना चाहिये....

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहती हूं....

श्री अध्यक्ष : मैं आपसे क्षमा चाहता हूं मैं आपको अवसर दे दूंगा अपने पूरे विचार व्यक्त करने का 5 मिनिट ज्यादा अवसर दे दूंगा। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। अभी यह तो वापिस आ रहा है। कई बार विचार होगा, आसानी से थोड़े ही पारित हो रहा है। मैं बाद में आपको अवसर दूंगा। कृपया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक मिनिट।

श्री अध्यक्ष : कृपया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इस संकल्प पर बोलना आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष : कृपया आप वातारण दूषित न करें। कृपया, माननीय सदस्य, एक मिनिट में आप कुछ कह नहीं सकेंगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इस संकल्प पर बोलना जरुरी है....

श्री अध्यक्ष : आप अपने मन से जितना चाहें....

श्रीमती उजला अरोड़ा : केवल एक मिनिट दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष : नहीं। कृपया बिराजें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुझे केवल एक प्रश्न पूछना है।

श्री अध्यक्ष : कृपया। मैं आपको दस मिनिट दे दूंगा। मेहरबानी करके आप मेरी बात मान लीजिये। आप कृपया बैठ जायें। अभी इस पर विचार कई बार आयेगा। माननीय मंत्री महोदय।

श्री हीरालाल देवपुरा : (राजस्व मंत्री) अध्यक्ष महोदय, ग्रामदान संशोधन अध्यादेश जो राज्यपाल ने जारी किया था उसको अस्वीकार करने के लिये उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने परिनियत संकल्प प्रस्तुत किया है और उसके समर्थन में सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने विचार रखे। विरोध में बागीदोरा से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने विचार रखे।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

इस संबंध में मेरा निवेदन करना यह है कि ग्रामदान एक विशेष प्रकार का डीसेन्ट्रलाइजेशन और ग्राम स्वराज्य की कल्पना विनोबा भावे का एक सिद्धान्त रहा और उस आधार पर देश के अन्दर यह ग्रामदान प्रारम्भ किया गया। ग्रामदान के पीछे भावना यही थी कि उस गांव का विकास, सारा चौमुखी विकास, गांव वाले अपने साथ बैठकर अपने हिसाब से करें। गांव की अपनी जो आय हो गांव के विकास में खर्च हो। गांव का सारा एडमिनिस्ट्रेशन एक ग्राम सभा के रूप में कार्य करे, यह दृष्टिकोण था। इस दृष्टिकोण से राजस्थान के अन्दर भी यह ग्रामदान एक्ट लागू किया गया और उसके अन्तर्गत राजस्थान में 205 गांवों ने ग्रामदानी गांवों में होना घोषित किया। राजस्थान में 205 गांव ग्रामदानी गांव में कायम हैं। माननीय सदस्यों ने कहा कि इसको एक अभियान के रूप में चलाया गया। यह अभियान के रूप में चलाने की वैसी कोई बात नहीं थी यह तो एक चीज शुरू की गई थी, वह निरन्तर चालू थी। अभियान का कोई समय नियत नहीं था जिसमें पूरा कर दिया जाये। अभी 6 महीने पहले तीन चार महीने पहले बांसवाड़ा में गांवों का ग्रामदान हुआ, ग्रामदान कोई बन्द हो गया, हो, यह बात नहीं है। लेकिन जो अध्यादेश हम लाये हैं वह प्रजातंत्र का एक तरीका है कि कोई गांव ग्रामदान में रहना चाहे तो वह रहे लेकिन ग्रामदान में आने के बाद वह यदि महसूस करे कि ग्रामदान में नहीं रहना है, ग्रामदानी गांवों से निकलना है तो उसको निकलने का अधिकार दिया जाना चाहिये। इस दृष्टि से, जैसे माननीय सदस्य ने अपने विचार रखे, आपके विचारों के कुछ लोग हो सकते हैं, मैं नहीं कह सकता कि नहीं हो सकते हैं और उन लोगों के जो ग्रामदानी गांवों में नहीं रहना चाहते थे, ग्रामदानी गांवों से निकलना चाहते थे, इस प्रकार के रिप्रजेन्टेशन आये तब सरकार ने यह महसूस किया कि इस प्रकार का प्रावधान इस एक्ट में होना चाहिये जिससे अगर कोई ग्रामदानी गांव में आने वाले महसूस करें कि हमको निकलना है, तो उनको निकलने के अधिकार से वंचित नहीं रखना चाहिये यही बात मद्देनजर रखते हुए यह अध्यादेश जारी किया गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि ग्रामदानी गांव में आने के बाद किन किन शर्तों के आधार पर वह किस तरीके से ग्रामदानी गांव से निकल सकता है। लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि भले ही कुछ गांव निकलने को तैयार हों, लेकिन आदिवासी क्षेत्र के गांव आज भी इससे प्रसन्न हैं, वे ग्रामदानी गांव के अन्दर यह महसूस करते हैं कि उनका काम यहां सुचारू रूप से चल रहा है। जैसा आपने कहा कि ग्रामदानी गांवों में होने के बाद कई अधिकारों से वंचित रह जाते हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामदानी गांव में आने के बाद कोई व्यक्ति किसी अधिकार से वंचित नहीं रहता। उसके सब प्रकार के अधिकार मौजूद हैं। आप कहते हैं वोट देने का अधिकार नहीं है। ग्रामदानी गांव में जब ग्रामसभा होती है, ग्रामसभा का समय भी तीन वर्ष का होता है, अब तीन वर्षों के बाद चुनाव होता है। आपकी पंचायतों का भी चुनाव होता है। उसका अपना क्षेत्र होता है। ठीक उसी प्रकार से ग्रामदानी गांवों का भी अपना क्षेत्र होता है, वे भी अपना चुनाव करते हैं और वही एडल्ट फ्रेंचाईज के आधार पर

(152)

(श्री हीरालाल देवपुरा)

जो मतदाता सूची बनी हुई है उसी मतदाता सूची से चुनाव करते हैं। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि चुनाव की पद्धति नहीं है, चुनाव का तरीका नहीं है। ग्रामदानी गांव का जो अध्यक्ष है, जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा उनमें से पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। ऐसी ग्रामसभा का सरपंच पंचायत समिति का सदस्य होता है। सब जगह अपने अपने अधिकार हैं। सहकारिता के उनको राइट्स दिये हुए हैं। लोन्स वगैरहा लेने की कोई दिक्कत नहीं है। डवलपमेंट के कामों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आन दी कोन्ट्रेरी उनकी अपने गांव के विकास के लिये हर व्यक्ति की दूसरी भावना बन जाती है। गांव के विकास के लिये, अपनी आय का 40 वां हिस्सा, ग्रामदान का निजी हिस्सा, कायम करता है और जमीन के अन्दर भी जमीन का 30 वां हिस्सा, जमीन का पूल करके अपना पूल बनाता है। जो जमीन उस गांव के अन्दर है, जो भूमिहीन लोग हैं, जो खेतीहीन लोग है उनमें आवंटित की जाती है। यह सारा तरीका है। जो यह कल्पना की थी कि गांव का काम गांव वाले अपने आप करें और ग्राम स्वराज्य की जो कल्पना है, उसको आगे बढाने की दृष्टि से जो एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया गया, वह सफलता पूर्वक चल रहा है। कहीं कहीं लोग हैं जो ग्रामदान के खिलाफ हैं। जैसा आपने कहा और हो सकता है कुछ लोग इस पर विश्वास नहीं रखते हो और आज की इस स्थिति को हम भी ठीक नहीं समझते कि किसी पर जबरदस्ती ग्रामदान लादा जाय और इसीलिये यह अध्यादेश निकाला है और मैंने सदन में प्रस्तुत किया है, उसे एक्ट बनाने के लिये। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जो परिनियत संकल्प माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है, उसे अस्वीकार किया जाय और इस बिल को विचारार्थ लेने की आगे कार्यवाही की जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रत्युतर में आप यदि कुछ कहना चाहती है ?

श्रीमती उजला अरोड़ा।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह तो ग्रामदान की हामी हैं।

श्रीमती उजला अरोडा : हां, आप भी हामी हैं और मैं भी हामी हूं। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बड़े विस्तार से ग्राम-दान की आवश्यकता पर बात की और पिछले महीने इसके लिये आर्डिनेन्स निकाला मैं पूछना चाहती हूं आप अपने उत्तर में बतायें, जुलाई से लेकर अब तक कितने बाहर निकले हैं ? आपके पास उत्तर है तो बताये।

श्री अध्यक्ष : उत्तर तो उन्होंने दे दिया आपको तो प्रत्युत्तर के लिये खड़ा किया है।

श्रीमती उजला अरोडा : मैं पूछना चाहती हूं कि कितने आदमी बाहर निकले हैं। कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं थी, जो एक्ट बना हुआ है वह अपने आप में पर्याप्त है

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : जो प्रोफार्मा आपने लिखा है, वह प्रोफार्मा नहीं दिया। अगर वह प्रोफार्मा देते तो

(श्री मोहन लाल मोदी)

आपको मालूम हो जाती कि कितने लोग ग्रामदान के हामी हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्रीमती उजला अरोडा : अध्यक्ष महोदय, यह केवल राजस्थान का प्रश्न नहीं था कर्नाटक में सम्मेलन हुआ था उसमें सारे हिन्दुस्तान के लिये बात कही गई थी। राजस्थान केवल इस पर विचार करे तो फिर आप सर्वांगीण विचार-विमर्श करते और उसके आधार पर निश्चय हो जाता कि आप करना क्या चाहते हैं। अभी जिनको जो जमीन दे दी गई, उनसे किस प्रकार जमीन लेगें इसका उत्तर देंगे ?

श्री हीरालाल देवपुरा : इसका प्रावधान किया हुआ है।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोडा : पहले आप ग्रामदानी किसान की परिभाषा जान लेतें। ग्रामदानी किसान वह है जो 75 प्रतिशत भूमि दे देता है, वह ग्रामदानी किसान है। जिन्होंने 75 प्रतिशत जमीन दी नहीं है और जिन्होंने दे दी है उनको जमीन आप कैसे वापिस करेंगे। मैं कहना चाहती हूं इस तरह के संकल्प लाने का तरीका ठीक नहीं था। मंत्री महोदय, इस पर मुझे बतायें आप किस उद्देश्य से लाये हैं ? न तो संशोधन की आवश्यकता है और न कानून की आवश्यकता है। इसलिये मैं चाहती हूं कि इसको अस्वीकार किया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया नियमों को देखें।

प्रश्न यह है कि जो परिनियत संकल्प सर्व श्री घनश्याम तिवाड़ी व गुलाब चन्द कटारिया ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

परिनियत संकल्प अस्वीकार किया गया।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर ....।

श्रीमती उजला अरोडा : इस तरह से तो आप गांधी जी की विचारधारा और विनोबा भावे के विचारों के साथ कुकर्म करने जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री नाथूराम (बागीदेरा) : अध्यादेश को वापिस लिया जाय। कोई समझता ही नहीं है। एम. एल. ए. वगैरह बन गये, मंत्री बन गये लेकिन कोई कुछ समझता ही नहीं है। हम नहीं चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव।

(व्यवधान)

श्री नाथूराम : ये खादी के कपड़े उतार दूंगा आप समझे नहीं, आप समझे नहीं, आप समझे नहीं।

(व्यवधान)

(श्री नाथूराम)

यह संशोधन न लायें। विचारों से तो कोई समझता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

विधेयक पर विचार
राजस्थान ग्रामदान (संशोधन) विधेयक, 1984

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ग्रामदान (संशोधन) विधेयक, सन् 1984 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री गोपाल पचेरवाल, श्री भंवरलाल शर्मा, श्री हीरालाल, श्री बंशी लाल पटवा, सदस्य, राजस्थान ग्रामदान विधेयक, 1984 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। श्री गोपाल पचेरवाल, (अनुपस्थित) श्री भंवर लाल शर्मा (अनुपस्थित) श्री हीरालाल (अनुपस्थित) श्री बंशी लाल पटवा।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो ग्रामदान (संशोधन) विधेयक, 1984 मंत्री महोदय ने प्रस्तावित किया है कि विचारार्थ लिया जाय सदन में, मेरा इसे सम्बन्ध में मोटे तौर पर यही अर्ज करना है कि ग्रामदान की जो व्यवस्थायें और परम्पराएं हैं और जो शुरुआत की गई है गान्धी जी के विचारों को लेकर, परिकल्पना जो उनकी थी, ग्राम स्वराज्य के बारे में, उस प्रश्न को लेकर की गई है। लेकिन कहा जाता है कि अब उसमें से कोई निकलना चाहे, पहले निकलने की व्यवस्था नहीं थी इसलिये यह विधेयक लाया गया। लेकिन विनोबाजी ने जो परिकल्पना और जिस भावना को लेकर ग्रामदान की व्यवस्था की, जो स्थापना की, उसकी शुरूआत की, उसके पीछे गांधी जी के दृष्टिकोण का व्यापक उद्देश्य था और उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये इस योजना की शुरूआत की थी। यह कहा गया कि आज के दिन 205 गांव ग्रामदान में शरीक हुए हैं। यह सब जानते हैं कि उनका प्रतिनिधित्व कम है और इसे सब ही जानते हैं, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरा निवेदन है आज दिन तक जब से विनोबाजी ने इस योजना को शुरू किया, आरम्भ किया, उससे लेकर आज दिन तक इसकी किस तरह की व्यवस्थाएं रही हैं और किस किस तरह के विकल्प रहे हैं, उनके क्या क्या रिजल्ट्स रहे हैं क्या उनकी कोई समीक्षा की गई है? समीक्षा तो की नहीं और यह विधेयक ले आये। स्वयं की प्रेरणा से शरीक होते, स्वयं की प्रेरणा से भूमि दान करते तो उनकी अपनी व्यवस्थाएं होतीं, लेकिन ग्रामदान को फेल्योर करने के लिये यह एक बिल लाया गया है। यह बिलकुल फेल्योर हो जायेगा फेल्योर करने की दृष्टि से यह बिल लाया गया। यह व्यवस्था बिलकुल फेल हो जायगी और ज्योंही विधेयक पास हुआ नहीं, कानून का रूप लिया नहीं कि लोग उससे बाहर निकल जायेंगे। विनोबा भावे की जिस परिकल्पना के आधार पर और गांधी जी के ग्राम स्वराज्य के आधार पर जिस योजना को शुरू किया था वह नहीं होगा। इसको फेल्योर कर देंगे इसलिये आप इस झमेले में और उतावले में न पड़े

(श्री बंशी लाल पटवा)

जो सर्वोदयी हैं, जो गांधी जी के अनुयायी हैं, जो विनोबाजी के अनुयायी हैं, जो सर्वोदयी हैं, उनके साथ बैठकर विचार-विमर्श कीजिये, पूरी समीक्षा कीजिये और पूरी समीक्षा करने के बाद व्यवस्थित और समुचित तरीके से इसको सफल करने की दृष्टि से यदि आप रखना चाहते हैं और वास्तव में हृदय से देखना चाहते हैं, तो उनके साथ बैठकर आप समीक्षा कीजिये। पिछले दिनों में जब से यह लागू हुआ है, जो लोग ग्रामदान में दानी हैं, जिन्होंने जमीनें दी हैं, खेती दी है, वे जमीनें कैसी हैं, किनको दी गई हैं, खेती कैसे हुई है? इन सारी चीजों को लेकर समीक्षा कीजिये, विचार कीजिये। उतावलेपन में मत पड़िये मेरा यही निवेदन है। एक महीना, दो महीना जैसा आप उचित समझें और चाहे दो दिन तीन दिन, यहां गोकुल भाई बैठे हैं, उनसे विचार-विमर्श कर लीजिये, यदि उस बुजुर्ग का आप आदर करना चाहते हैं तो, इसलिये मेरा निवेदन है कि इसको आप जन मत जानने हेतु परिचालित कीजिये। उनके साथ बैठिये और उनके पिछले अनुभवों के आधार पर जो कुछ करना चाहते हैं, वह कीजिये। फिर आपको कोई समुचित कानून बनाना है, वह बनायें और सफल करना चाहते हैं तो वह सोचिये, नहीं तो मैं आपको बताऊं, इस विधेयक के पारित होने से निश्चित रूप से विनोबाजी ने जो कल्पना की और गांधी जी की जो विचार-धारा थी, इसको आप फेल्यौर कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री बंशीलाल पटवा : इसलिए मेरा संशोधन प्रस्ताव है कि राजस्थान ग्रामदान संशोधन विधेयक, 1984 तीन महीने के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : श्री राजबहादुर एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द किया जावे।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, जनमत जानने के लिए....

श्री अध्यक्ष : मैंने नाम पुकार लिया था, माननीय सदस्य।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्न संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :-

"राजस्थान ग्रामदान (संशोधन) विधेयक, 1984 एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन अगले साल के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करे।"

अध्यक्ष महोदय, इस बिल को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो वह कठिनाई जो कानूनी कठिनाई है सेक्शन 26(4) में कि कोई पावर नहीं है ग्राम सभा के पास में या ग्रामदान बोर्ड के पास में कि जो जमीन अलाट की गई है, उसको वह अपने द्वारा या अपने फैमिली मैम्बर्स के द्वारा कुछ कर सके, वहां तक तो इस बिल को लाना ठीक है। इसको साफ करना चाहिए। जो जमीन दी जाती है ग्राम सभा में, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा, उसके लिए तो यह सूटेबल है।

(श्री राजबहादुर)

दूसरी चीज जो है थण्डर ग्राफ दी वेल, इस सारी स्कीम को, इस सारी योजना को, सारे संकल्प को, सारी जो इसके पीछे संस्कृति है उसको तहस नहस करने की साजिश है। क्योंकि यह निश्चित बात है कि गांधीजी के जो रचनात्मक सपने थे देश के लिए; उनमें ग्रामदान या ग्राम स्वराज्य, ग्राम स्वावलम्बन, उद्योग धन्धे, कुटीर उद्योग धन्धे ये एक अनिवार्य अंग हैं और उनका तो फेडरेशन का भी यह था कि सारा जो भारतवर्ष बने वह फेडरेशन हो स्वावलम्बी ग्राम सभाओं का और ऐसा हो जिसमें की अधिक से अधिक अधिकार उनको मिलें, ग्राम सभाओं को चलाने वालों को। लगता यह है कि वह सब को भुला कर हम बहुत जल्दी में आगे बढ़ गए हैं और मैं विनती करना चाहता हूं सरकारी बैंचेज से कि अगर वे जरा भी गांधीजी और विनोबाजी का आदर करते हैं तो पुनः विचार करें क्योंकि जहां जरा भी आपने मौका दिया कि कोई आदमी आउट कर सकता है, निकल सकता है तो इसमें तो ग्रेजुअली देयर विल बी वाइड पार्ट एण्ड पार्ट। दरवाजा खुल जाएगा और उसके बाद किस आधार पर जो कुछ कमियां बताई हैं हमारे घनश्यामजी तिवाड़ी ने, उसका खण्डन किया हमारे नाथद्वारा के....

(व्यवधान)

लेकिन मैं कहना चाहूंगा, उन कमियों को दूर करने के लिए कुछ करना है तो करिये। नहीं तो इसका इतिहास मत भूलिए विनोबाजी ने आजादी के बाद जब भूदान और ग्रामदान को लेकर अलख जगाई तो सारा देश आन्दोलित हो चुका था, सारा देश उत्साह और स्फूर्ति से भर गया था। तब उनको जो काम असम्भव लगता था, असम्भव क्या था कि कोई अपनी धरती देता नहीं था लेकिन बापू ने, बापू की प्रेरणा से, विनोबाजी की तपस्या से, उन्होंने सारे देश की पदयात्रा की, उसके परिणामस्वरूप भूदान जागा और उनमें भूदान की भावना आई और भूदान के साथ साथ ग्राम स्वराज्य की भावना आई और आज हमने इसी सदन में बैठ कर जब विनोबाजी का देहान्त हुआ, देहावसान हुआ था, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की, उनको श्रद्धांजली दी विनोबाजी को। आज लगभग एक वर्ष बीता होगा, उसके अन्दर आप ऐसे बीज बो रहे हैं, मैं आपको इसकी पृष्ठ भूमि में ले जाऊंगा कि जब शुरू शुरू में यह भूदान यज्ञ शुरू हुआ, वह आन्दोलन शुरू हुआ, एक बडी कांफ्रेंस हुई जिसमें सारे देश के नेताओं के नाम बताउगां, शरीक हुए थे। 21–22 सितम्बर, 1957 को येलवाल, मैसूर के पास कांफ्रेंस हुई थी। उसमें सम्मिलित हुए। स्वयं राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद ने तो प्रसाइड किया। आचार्य विनोबा भावे थे, पं. जवाहर लाल नेहरू, गोविन्द वल्लभ पंत, श्री जय प्रकाश नारायण यू. एन. ढेवर, गुलजारीलाल नन्दा, मोरारजी देसाई, आर. आर. दिवाकर, प्यारेलाल श्री श्रीमन नारायण, श्री वाई. बी चव्हाण श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्री एस. के डे, श्री प्राणलाल कापडिया, श्री हरे कृष्ण मेहताब, श्री कामराज नाडार, श्री गंगा शरण सिंह, श्री जैड. ए. अहमद, श्री ई. एम. एस. नम्बूद्रीपाद, एस. निजलिंगप्पा, श्री भक्त वत्सलम्, इतने सारे नाम मैंने पढ़े हैं जो सारे भारत के प्रमुख आदमी रहे हैं, उन्होंने मिलकर जो निर्णय किया है, वह निर्णय

(श्री राजबहादुर)

तो बहुत ही सराहनीय है, उनमें उस समय के केन्द्रीय सरकार के ही नहीं देश के प्रतिष्ठित और सर्वमान्य नेता मौजूद थे जो राष्ट्र के नेता थे सरकार के नेता ही क्या, उन्होंने सब ने मिल कर कहा कि:

"The participants in the confe rence welcomed this Gramdan movement and expressed their high appreciation of the objectives underlying it. This would lead to a fuller development of co-operative life and effort in the village concerned and would also result in the economic betterment of the people of these villages and all round progeress and development, It would further create the psychological climate all over India for the solution of the land problem and for the furtherance of co-operative life. The essential feature of this movement was the non-violent technique adopted and voluntary character. Thus the ethical approach was combined with practical economic advantage and requirements."

यह मैंने इसलिए पढ़ा है कि इसके पीछे मामूली भावना नहीं थी। हम चाहते हैं कि क्रांति हो। क्रांति भी गांधीजी के रास्ते से हो। हमने इतिहास पढ़ा है सारी दुनिया की क्रांतियों का। वह हिंसा के बल पर क्रांति हुई। गांधीजी की क्रांती थी चाहे स्वराज्य लाने की हो, चाहे वह ग्राम स्वराज्य बनाने की हो दैट वाज रिवोल्यूशन इन रिवोल्यूशन। वह क्रांतियों में क्रांति थी। वह अहिंसक तरीके से हुआ। मैं आपसे विनती करूंगा कि यदि स्वावलम्बन की ओर देखते हैं, हम चाहते हैं कि विलेज कम्युनिटी में और खास तौर से एक्सप्लोयटेड सेक्शन में कुछ जागृति आए, शोषण मुक्त समाज बने और समता युक्त समाज बने, अगर हम चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमें वह मार्ग नहीं छोड़ना है। वह मार्ग भूलना नहीं है और इस बिल के द्वारा आपने ही सबसे पहले पहल की है। यह मॉडल बिल किसने बनाया। उन्हीं नेताओं ने बनाया जिनका नाम मैंने लिये हैं। सेण्टर से बिल बन कर आया, सारे राज्यों में पहुँचा और उन्होंने एडाप्ट किया। हमारे यहां सबसे पहला बिल बना था सन् 1960 में और दूसरा संशोधित बिल बना है सन् 1971 में। 1971-72 में जब पेश हुआ तब श्री रामकिशोरजी व्यास उस समय रेवेन्यू मिनिस्टर थे। उस समय हमने उसका स्वागत ही नहीं किया बल्कि साथ ही सरकार ने कहा कि उसका पूरा-पूरा समर्थन करेंगी। मुझे खेद इस बात का है कि तीस-पैंतीस हजार ग्रामों में से कुल 205 ग्राम-ग्रामदानी हैं।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह क्रांति हुई है।

श्री राजबहादुर : आप कहते हैं कि क्रांति हुई। क्रांति तो तब होती जब तीस साल में तीस हजार ग्राम इसमें आते। क्रांति कहां हुई? यह बात निश्चित है, मैं पहले कह रहा था उस टोपिक को छोड़ दिया मैंने, कोई अपनी जमीन देता नहीं है

(श्री राजबहादुर)

लेकिन विनोबाजी की आवाज ने, गांधीजी के यज्ञ ने प्रेरणा दी। कोई जमींदार अपनी जमीन देने को तैयार नहीं होता है। बीस आदमी हों तो भी उनका पूल बनता है लेकिन उस पूल के द्वारा एक क्रांति, सारे समाज को बदलने की आवाज उठती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि बजाय इसके कि सारे मूवमेंट को सपोर्ट करें, उन कार्यकर्ताओं को सपोर्ट करते जो भूदान में अभी लगे हुए हैं। वह तो किया नहीं, कर रहे हैं इस चीज को जो इसके विपरीत है। मैं जानना चाहता हूं, डेंजर है क्या इसमें। इसमें क्या आपने प्रोविजन रखे हैं। मैं प्रोविजन बताना चाहता हूं कि आपने जहां तक सेक्शन 24, 37 के पार्ट (4) को फेवर में लाए हैं वह तो ठीक है लेकिन बाद में जहां आप चाहते हैं, क्या है आपका ओब्जेक्टिव....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री राजबहादुर : मैं संक्षेप में ही बोल रहा हूं, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। तो वह आउट कर सकता है, आउट करने के बाद, आपने रखा है कि पचास परसेंट आप्ट करेंगे तो आप घोषित कर सकते है ग्रामदानी विलेज को कि वह ग्रामदानी विलेज नहीं है। आपने रास्ता खोला हैं। मुझे एक स्टेट बता दें कि जहां इसकी पैरवी की गई हो। जहां इसको लिया जा रहा हो।

(म. प. 2.48)

(श्री सूर्यकुमार, सभापति. पदासीन)

मैं जानना चाहूंगा कि इससे क्या लाभ प्राप्त करते हैं। यह डेमोक्रेसी का सवाल नहीं है। जब सारे गांव की 75 प्रसेंट आबादी कहती है कि हम ग्राम सभा बनायेंगे ग्रामदान करेंगे, यह 75 परसेंट ने कहा। आज आप लड़ना चाहते हैं पचास प्रसेंट मैजोरिटी मे और पचास प्रसेंट मैजोरिटी मिल सकती है आपको। लोगों को तरह तरह से प्रोत्साहित किये जा सकते है और भाई घनश्यामजी तिवाड़ी जैसे जवान आदमी भी इसका विरोध कर रहे हैं, न उनको ऋण मिलता है, न उनका पंचायत में सलेक्शन है, इन सब का तो खण्डन हो गया। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जो खराबियां हैं, जो कमियां हैं, आपने उनको रेवेन्यू रिकार्ड भी नहीं दिया है। आपको रैवेन्यू रिकार्ड देना चाहिए था और उनको स्वावलम्बी बनाना चाहिए था। उनके झगड़े आपस में तय होते। अगर गांव वाले आपस में झगड़े, स्वावलम्बन की दृष्टि से वह सब काम हो जावे तो निश्चित रूप से स्वागत किया जाना चाहिए।

श्री मोहनलाल मोदी : वह अदालत में जा रहे हैं, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वहां इतने झगड़े खड़े हो गए हैं। एक छोटे 2 ग्राम में, दो सौ की आबादी को दागियां हैं उनको ग्रामदानी कर दिया है।

श्री राजबहादुर : आप सुन लीजिए। मैं कहता हूं कि दो प्रकार की विचारधारा है। एक गांधीजी की विचारधारा है जो अहिंसक तरीके से समाज बदलना चाहते हैं। जो ग्राम स्वराज्य के जरिये से, ग्राम स्वावलम्बन के जरिये से नई रचना, नई क्रांति लाना चाहते हैं। दूसरा यह है कि जो गांवों में अभी तक हावी रहे हैं वही

(श्री राजबहादुर)

हावी रहें।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आपस में बातें नहीं माननीय सदस्य।

श्री राज बहादुर : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह तो ऐसा लगता है, गांधीजी दो चीजें बड़ी छोड़कर गये थे एक तो नशाबन्दी और एक ग्राम स्वराज की कल्पना ग्राम दान। आज नशाबन्दी को तो तिलांजलि दे ही दी और विनोबा भावे को श्रद्धांजलि देने के बाद पिछले साल, आप उनकी भी कीर्ति और तपस्चर्या का जो फल है उसको भी तिलांजलि देना चाहते हैं। मैं कहूंगा कि यह बहुत बुरा चेप्टर आपके इतिहास में होगा। विनोबा भावे ने जो शुरूआत की थी उसको आप खत्म कर देना चाहते हैं यह एक बहुत गंभीर स्टेप है एक साल पहले ही विनोबा भावे को श्रद्धांजलि देने के बाद आज आप विनोबा भावे के नाम पर यह कह रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : सभापति महोदय, मेरा भी नाम है।

श्री सभापति : आपका नाम पुकारा गया तब आप विराज नहीं रहे थे।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं पानी पीने चला गया था।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप किस सम्बन्ध में बोलना चाहते हैं।

श्री त्रिलोकसिंह : अभी जो बिल चल रहा है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपको उत्तर मिलेगा, माननीय मंत्री महोदय को सुन लीजिए।

(व्यवधान)

आपको दूसरी स्टेज पर मौका मिलेगा आपके बोलने की स्टेज तो निकल गई।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं केवल पानी पीने गया था। मैं पांच मिनट बोल लेता हूं।

श्री सभापति : मेरा निवेदन सुन लें, जिस प्रस्ताव पर बोलना चाहते थे उसकी स्टेज तो निकल चुकी। उसके बाद प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर माननीय राजबहादुर जी बोल चुके हैं, अब माननीय मंत्री महोदय बोलेंगे।

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदय, जो भावनाएं व्यक्त की गई हैं, मैं समझता हूं यह बिल मैंने यहां पर इण्ट्रोड्यूज किया, विचारार्थ लेने के लिए प्रस्ताव किया है, माननीय सदस्यों ने इसकी भावना को समझा नहीं है। सरकार कहीं पर भी ग्रामदान की विचारधारा के विरोध में नहीं है। सरकार तो चाहती है यह विचारधारा आगे बढ़े। विनोबा भावे, गांधीजी ने ग्राम स्वराज की जो कल्पना की थी उसको पूरा करने में सहयोगी बन सकें यह हमारी पूरी भावना है, इससे कहीं दूर नहीं हटते जा रहे हैं या ग्रामदान को विलोपित करने की दृष्टि से कदम उठाये जा रहे हैं ऐसी हमारी कहीं भावना नहीं

(108)

(श्री हीरालाल देवपुरा)

है। यह बिल केवल इस बात के लिये है कि ग्रामदानी कार्यक्रम में जो कानून बनाया कि जितने ग्रामदानी गांव बन गये उसके बाद जैसा कि गांधीजी और विनोबा भावे चाहते थे कि देश में प्रजातंत्र रहे, किसी की विचारधारा पर दबाव नहीं डाला जाय। एक बात सोचकर लोग ग्रामदानी गांवों में गये, उसके बाद अगर कोई महसूस करता है कि मुझे अपने को ग्रामदानी गांव में नहीं रखना है तो इसमें केवल एक प्रावधान करना चाहते हैं कि उनको इसमें से निकलने की छूट हो सकती है, प्रावधान हो सकता है, यह प्रोवीजन किया है। कहीं ग्रामदानी गांव न पनपे, या आगे भविष्य में नहीं बन सके, ग्राम स्वराज की कल्पना से ही दूर हो जाय ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। यह न तो कहीं कल्पना की गई न सोचा गया है, न कोई ऐसा चाहता है। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने....

श्री राजबहादुर : इसके अनिवार्य परिणाम क्या होंगे ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने अभी खत्म नहीं किया है। मैं बहुत शांति से सुन रहा था आपकी बात और अक्षरशः आपकी बात से सहमत हूं। मैं विरोध में नहीं हूं जो कुछ भी आपने कहा, उसको मानते हुए कह रहा हूं कि डेमोक्रेसी के तकाजे को, लोगों के विचारों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाय, इसमें अगर कोई आने के बाद चाहते हों कि हम इससे निकलना चाहते हैं तो उनको मौका मिलना चाहिए। कहीं पर भी यह नहीं किया है कि भविष्य में ग्रामदानी बनना बन्द हो जायेंगे और अगर यह शंका आपको है कि लोग निकल जाएंगे तो इसका जवाब न तो आपके पास है न मेरे पास हो सकता है क्योंकि डेमोक्रेसी है।

(व्यवधान)

मेरी बात सुनिये। इसमें किसी को दबा नहीं सकते लेकिन मैं कहता हूं मुझे राजस्थान के लोगों पर विश्वास है, वह इससे नहीं निकलेंगे। क्योंकि इस आर्डिनेंस को निकले तीन महीने से ऊपर हो गये हैं अभी तक मेरे पास कोई ग्रामदान में से निकलने के लिए नहीं आया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : प्रोफार्मा गया नहीं, जाता तो सब निकल जाते।

श्री हीरालाल देवपुरा : कोई आया तो होता। मुझे विश्वास है कि इस विचारधारा के लोग यहां नहीं हैं। इसके साथ ही रहेंगे, हो सकता है कुछ लोग हों तो उनको दबाना नहीं चाहते। चाहते हैं निकलना तो निकलने के लिए प्रावधान किया है और ऐसा भी नहीं कर दिया कि विचार करते ही तत्काल निकल जायेंगे। सारा प्रासीजर एडोप्ट करना पड़ेगा तब जाकर निकल पायेंगे। इसलिए न तो इस विधेयक को जनमत जानने के लिए प्रसारित करने की जरूरत है और न प्रवर समिति को सौंपने की जरूरत है। मैं तो यही निवेदन करूंगा कि दोनों प्रस्तावों को अस्वीकार किया जाय और भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य से पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि आप आश्वस्त रहें, सरकार की कहीं मर्जी नहीं है कि ग्राम स्वराज्य का विरोध करे या इसके विरोध में कोई विचार रखे और इसे कमजोर करने के लिए कोई कदम उठाये।

श्री राजबहादुर : क्या आपने दरवाजा खोल कर प्रोत्साहन नहीं दिया है कि सारी संस्था विघटित हो जाए।

श्री हीरालाल देवपुरा : कोई प्रोत्साहन नहीं दिया है। लोगों की एक आवाज थी उस आवाज को देखते हुए ऐसा करना उचित समझा और ऐसा प्रावधान लाया हूं, कहीं प्रोत्साहन नहीं दिया है।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं एक बार बोलना चाहूंगी कि प्रवर समिति को....

श्री सभापति : आपका कोई प्रस्ताव नहीं है, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोडा : बाबूजी की बात का समर्थन करते हुए........

श्री सभापति : वह तो जवाब आ चुका, काहे का समर्थन करेंगी। आप कृपा करके सहयोग कीजिए। कृपया विराजें।

(व्यवधान)

कृपया विराजें।

प्रश्न यह है कि राजस्थान ग्रामदान संशोधन विधेयक, 1984 को जनमत जानने के लिये परिचालित करने का जो संशोधन प्रस्ताव श्री वंशीलाल पटवा ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया

प्रश्न यह है कि राजस्थान ग्रामदान संशोधन विधेयक, 1984 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का जो संशोधन प्रस्ताव श्री राज बहादुर ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया जाय

प्रश्न यह है कि राजस्थान ग्रामदान संशोधन विधेयक, 1984 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खण्डशः विचार

खण्डशः विचार। खण्ड–2 से 4 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से 4 स्वीकार किये जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड–2 से 4 स्वीकार किये गये।

खण्ड–5 पर श्री हीरालाल देवपुरा, प्रभारी मंत्री संशोधन करेंगे।

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदय, खण्ड 5 में मैंने संशोधन इस आशय से प्रस्तुत किये हैं कि ग्रामदानी गांवों से अलग होने की कोई ख्वाहिश जाहिर करे, उसके लिये हमने प्रावधान किया था

(110)

(श्री हीरालाल देवपुरा)

ओरिजनल बिल में ग्रामदानी किसान से संबोधित किया था यह ग्रामदानी किसान जो डिफाइन किया गया वह सीमित है और जो ग्रामदान करने वाले लोगों में ग्रामदानी किसान के अतिरिक्त भी लोग शामिल हैं तो जब तक निकलने के लिए जिन लोगों ने शामिल होने के लिए घोषणा की थी उनको अगर साथ में नहीं जोड़ा जाएगा तो यह अन्याय की बात होगी। इसलिए संशोधन करने की दृष्टि से मैंने इसमें जो संशोधन प्रस्तुत किया है: खण्ड 5 का जो नया सेक्शन चेप्टर 6 जोड़ा है संशोधन इस प्रकार हैं :-

6. 1-विधेयक के खंड 5 के द्वारा यथा-अन्त : स्थापित मूल अधिनियम की धारा 37 में :-

(क) उपधारा (1) में अभिव्यक्ति "कोई भी ग्रामदान किसान, जो अप्राप्तवय न हो" के स्थान पर अभिव्यक्ति "कोई भी ग्राम-दान किसान जो अप्राप्तवय न हो,, जिसमें धारा 8 या 9 के अधीन घोषणाएं फाइल करने वाले या धारा 22 या 23 के अधीन भूमि का दान करने वाले या धारा 22 की उप-धारा 3के अधीन ग्रामदान समुदाय में सम्मिलित होने वाले व्यक्ति जिन सबको इसमें इसके पश्चात् इस अध्याय में पात्र व्यक्ति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है सम्मिलित हैं, धारा ii की उप-धारा 1 के अधीन की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के समाप्त होने पर या उसके पश्चात्, "प्रस्थापित की जाये", इससे दो

(3.00 म. प.)

बातें होंगी। सब लोगों को मौका मिलेगा ग्रामदान में प्रारम्भ से ही जो लोग शामिल थे क्योंकि अवधि नहीं थी निकलने की, जो अवधि दी है वह कम से कम तीन साल की होगी, तीन साल उसको ग्रामदान में रह कर निकालना होगा तब वे समझ सकेंगे कि उनको लाभ हुआ या नहीं। तीन साल में वे महसूस करते हैं कि निकलना है तो ग्रामदान में शामिल होने के तीन साल बाद वे अपने आपको निकाल सकेंगे। यह मैंने उपधारा 1 में संशोधन प्रस्तावित किया है।

इसी प्रकार : "(ख) उपधारा (4) में अभिव्यक्ति "ग्रामदान किसान" जो मैंने ऊपर निवेदन किया है कि कौन-कौन शामिल होंगे, "के स्थान पर अभिव्यक्ति "पात्र व्यक्ति" प्रतिस्थापित की जाय।

(ग) उपधारा 5 में(i)अभिव्यक्ति 'उन ग्रामदान किसानों पर जिन्होंने उप-धारा (1) के अधीन की घोषणा फाइल की थी, बैठक की तारीख, स्थान तथा समय के बारे में अलग अलग नोटिस तामील करा कर तथा उस ग्राम में डौंडी पिटवा कर सार्वजनिक सूचना उद्घोषित करा कर भी, और ग्राम के किसी सहज दृश्य स्थान पर सार्वजनिक सूचना की प्रति चिपकवाकर, ग्रामदान ग्राम के सभी ग्रामदान किसानों की उसी ग्राम में बैठक बुलायेगा" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "ग्रामदान ग्राम के सभी पात्र व्यक्तियों की, उनमें से ऐसे व्यक्तियों पर, जिन्होंने उप-धारा (1) के अधीन की घोषणाएं फाइल की हैं, बैठक की तारीख स्थान तथा समय के बारे में अलग अलग नोटिस तामील करा कर तथा उस ग्राम

(श्री हीरालाल देवपुरा)

में डोंडी पिटवाकर तामील करा कर तथा उस ग्राम में डोंडी पिटवाकर सार्वजनिक सूचना उद्घोषित करा कर और ग्राम के किसी सहजदृश्य स्थान पर सार्वजनिक सूचना की प्रति चिपकवाकर भी, उसी ग्राम में बैठक बुलायेगा" प्रतिस्थापित की जाये।

(ii) अभिव्यक्ति "उपखण्ड अधिकारी ऐसी जांच करके" के स्थान पर, क्योंकि इसमें अधिकार दिया गया है, उपखण्ड अधिकारी एस. डी. ओ. को भेजेगा, फिर कलेक्टर के पास फाइल भेजेगा और फिर एस. डी. ओ. उसकी इन्क्वायरी करेगा। मैं समझता हूं यहां सीधे ही एस. डी. ओ. द्वारा इन्क्वायरी करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ग्रामदान बोर्ड बना हुआ है उसका चेयरमैन है, उसकी व्यवस्थाएं हैं, तो हमने सोचा कि उसकी इन्क्वायरी करने के पहले एस. डी. ओ. बोर्ड के चेयरमैन को सूचित कर दे और चेयरमैन अपना नामिनी घोषित कर दे वह एस. डी. ओ. के साथ इन्क्वायरी कर ले ताकि कहीं वह एक पक्ष को सुनकर निर्णय न करे, इसलिये जो ग्रामदान के हामी हैं, वे भी इसमें शामिल होकर इन्क्वायरी करें, उनको भी इन्क्वायरी में जोड़ा जाये, एस. डी. ओ. के साथ उनका भी समावेश करने के लिये मैंने यह संशोधन प्रस्तावित किया है:–

(ii) अभिव्यक्ति "उपखण्ड अधिकारी ऐसी जांच कर के" के स्थान पर अभिव्यक्ति "उपखण्ड अधिकारी या जहां ग्रामदान बोर्ड का अध्यक्ष, उक्त अधिकारी के द्वारा जांच की सम्यक सूचना के पश्चात्, जांच की प्रक्रिया के सहयुक्त होने का आशय रखे उक्त अध्यक्ष के नामांकित से सम्यक रूप से सहयुक्त उपखण्ड अधिकारी, ऐसी जांच करके" प्रतिस्थापित की जाये तथा

(iii) अभिव्यक्ति "ग्रामदान किसान" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "पात्र व्यक्ति" प्रतिस्थापित की जाय तथा

(घ) उप-धारा 6 में–

(i) अभिव्यक्ति "ग्रामदान ग्राम के 50 प्रतिशत से अधिक ग्रामदान किसानों से" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "ग्रामदान ग्राम के 50 प्रतिशत से अधिक पात्र व्यक्तियों ने" प्रतिस्थापित की जाय तथा

(ii) अभिव्यक्ति "ग्रामदान किसानों ने उपधारा (1) के अधीन की घोषणाएं की हैं" के स्थान पर अभिव्यक्ति उपधारा (1) के अधीन की घोषणाएं की गई हैं" प्रतिस्थापित की जाये।

2. विधेयक के पूर्वोक्त खण्ड द्वारा यथा-अन्तः स्थापित मूल अधिनियम की धारा 37 घ में, उप-धारा 2 में, अभिव्यक्ति "कोई भी ग्रामदान किसान" के स्थान पर अभिव्यक्ति "कोई भी व्यक्ति जिसने धारा 37-क की उपधारा 1 के अधीन की घोषणा फाइल की है" प्रतिस्थापित की जाय।

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री कैलाश मेघवाल।

श्री कैलाश मेघवाल : I don't press my amendment, Sir.

श्री सभापति : श्रीमती उजला अरोडा ।

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदय, मैं एक नि[illegible] कर दू । आपने जो संशोधन प्रस्तुत किये हैं और मैंने जो प्रस्तुत किये हैं, उसमें केवल एक बात है, आपने 6 साल की अवधि प्रस्तावित की है और मैंने 3 साल, बाकी सब मैंने प्रस्तावित कर दिये हैं इसलिये मैं समझता हूं आप क्यों प्रेस करें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं प्रेस नहीं कर रही हूं । आपने जो भारतीय संस्कृति की मान्यता है, जो दान देता है वह वापिस नहीं लेता है, उस संस्कार पर कुठाराघात किया है इसलिये मुझे बोलने की आवश्यकता है जिसने ग्रामदान किया था, स्वयं अर्पित किया था. उनसे छीना नहीं गया था उसको भी आपने....

श्री सभापति : आप अपने संशोधन पर बोलिये ....

श्री भंवरलाल शर्मा : संशोधन क्यों ला रही हैं यह उसकी भूमिका है ....

श्रीमती उजला अरोडा : आज दिन तक दान देने के बाद वापिस नहीं लिया गया । यह सरकार दान वापिस लेने की बात कर रही है

श्री मोहनलाल मोदी : यह जमीन स्वयं उनके पास है । वह किसी को दान नहीं दी गयी है ? यह प्रोपेगण्डा है । यह जमीन उनके ही पास है । माननीय सदस्या को जानकारी नहीं है कि ग्रामदान क्या है, ग्रामदान की क्या व्यवस्था है ? आप किस को दान देने की बात कर रही हैं । यह जमीन वे स्वयं काश्त करते हैं । वे स्वयं मालिक हैं....

श्री सभापति : कृपया बैठ जायें ।

आप अपने संशोधन के पक्ष में बोलें ।

श्रीमती उजला अरोडा : मेरा संशोधन प्रस्ताव अध्याय 6 की उपधारा....

श्री सभापति : खण्ड 5 पर

श्रीमती उजला अरोडा : खण्ड 5 में मैंने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं । इसको इस प्रकार से जोड़ा जाये :

"अध्याय 6–क की धारा 37–क की उपधारा (1) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "ग्रामदान किसान जो अप्राप्तवय न हो" के स्थान पर निम्नलिखित अभिव्यक्ति प्रतिस्थापित की जावे :–

"व्यक्ति जो इस अधिनियम की धारा 8,9 या 22 के अधीन घोषणा कर ग्रामदान में शामिल हुआ हो और अप्राप्तवय न हो उस ग्रामदान घोषणा के निहितार्थ की गई विहित औपचारिकताओं की पूर्ति की तारीख से 6 वर्ष की अवधि पूरी हो जाने पर ।"

अध्याय 6–क की धारा 37–क की उपधारा (4) की प्रथम पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "ग्रामदान किसान" के स्थान पर निम्नलिखित अभिव्यक्ति प्रतिस्थापित की जावे :–

"व्यक्ति जिन्हें उपधारा 1 में निर्दिष्ट किया गया है ।"

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

"अध्याय 6–क की धारा 37–क की उपधारा (5) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति" ग्रामदान किसानों पर" के स्थान पर निम्नलिखित अभिव्यक्ति प्रतिस्थापित की जाये "उन निर्दिष्ट व्यक्तियों पर।"

"अध्याय 6–क की धारा 37–क की उपधारा (5) की पांचवीं पंक्ति में प्रयुक्त अभिव्यक्ति ग्रामदान किसानों के स्थान पर निम्नलिखित अभिव्यक्ति प्रतिस्थापित करें "निर्दिष्ट व्यक्तियों।"

अध्याय 6–क की धारा 37–क की उपधारा (5) की छठी पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "बुलायेगा" के आगे निम्नलिखित अभिव्यक्ति प्रतिस्थापित करें "और उसकी सूचना ग्रामदान बोर्ड के अध्यक्ष को भी देगा।"

अध्याय 6–क की धारा 37–क की उपधारा (5) की छठी पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "उपखण्ड अधिकारी" के आगे निम्नलिखित अभिव्यक्ति प्रतिस्थापित करें "बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि के समक्ष।"

अध्याय 6–क की धारा 37–क की उपधारा (5) की सातवीं पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "ग्रामदान किसान" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित करें :–

"निर्दिष्ट व्यक्ति।"

"अध्याय 6–क की धारा 37–क की उपधारा (5) की नवीं पंक्ति में प्रयुक्त शब्द 'कलेक्टर' के आगे निम्नलिखित अभियुक्ति प्रतिस्थापित करें।

'एवं बोर्ड के अध्यक्ष।"

"अध्याय 6–क की धारा 37–क की उपधारा (6) की तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "ग्रामदान किसानों से" के स्थान पर निम्नलिखित अभिव्यक्ति प्रतिस्थापित की जाये।

"उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों ने।"

"अध्याय 6–क की धारा 37–क की उपधारा (6) की छठी पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "ग्रामदान किसानों" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित करें 'निर्दिष्ट व्यक्तियों"

मैं आपसे आग्रह करूंगी कि यह इसमें जोड़ा जाय। श्रीमान् देवपुरा जी ने कहा कि मैं आपकी सभी बातों से सहमत हूं, एक बात से सहमत नहीं हूं, कृपा करके उस बात से भी सहमत हो जाय जिससे ग्रामदान बोर्ड का जो लक्ष्य था और जो हमारे ग्राम स्वराज्य की कल्पना थी, जो गांधीजी ने कहा, जो विनोबाजी ने किया, इस बात पर उस समय के वर्तमान राष्ट्र के सभी नेताओं ने सहमति दी। मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप गांधीजी के कांग्रेस के नाम पर चुनकर आये हैं, आप उनको लज्जित नहीं करें इस बात पर आप कहीं से जुड़े हुए हैं, मैं भी कहीं से जुड़ी हुई हूं। आप इन सब पर अपनी सहमति या केवल जो पहले पैरा में है वह भी दे दें तो बात ही खत्म हो जाती है।

श्री सभापति : माननीय श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, संशोधन तो माननीय सदस्या ने रख दिये हैं, अगली बार आप मुझे बोलने दें तो इस शर्त पर मैं अभी समय नहीं लेना चाहता।

श्री सभापति : आप अपने संशोधन प्रस्तुत करें।

श्री हीरालाल देवपुरा : संशोधन तो कॉमन हैं।

श्री सभापति : आपको तृतीय वाचन पर अवसर मिलेगा। माननीय सदस्य विराजें माननीय मंत्री महोदय।

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया था, मैंने इस संशोधन के खण्ड–5 में जो नया अध्याय–6 क जोड़ करके और धारा–37–क जोड़ी है। इसमें जो संशोधन मैंने प्रस्तुत किए थे, प्रायः वही संशोधन माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किए हैं। मूल में एक ही बात थी कि ग्रामदान किसान को जो अधिकार दिये थे वह अधिकार केवल वहीं तक सीमित नहीं होने चाहिए थे डिक्लेरेशन के लिए। जो लोग प्रारम्भ में इसमें शामिल हुए थे, ग्रामदान को डिक्लेअर करने के लिए उनको इससे वंचित नहीं किया जाना चाहिए। तो मैंने इसमें जोड़ा है। आपने तो एक धारा और कम कर दी। मैंने तो धारा–23 के अन्दर जो निर्दिष्ट व्यक्ति हैं, उनको भी इसमें जोड़ा है। आपने तो उसको भी उसमें से निकाल दिया था लेकिन मैंने उसमें जोड़ा है, तो काफी व्यापक बनाया है। इसलिए इस संशोधनों को जो आपने प्रस्तुत किया है उसमें और अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भाषा इसमें बनायी गयी है वह भाषा कानून के हिसाब से बिल्कुल ठीक बनी हुई है और वो ही आशय है जो आपने आशय दिया है।

अब केवल एक ही प्रश्न रहता है, वह प्रश्न है तीन साल और छः साल की अवधि का। तो मैंने इसमें अवधि तीन साल की है वह इसलिए क्योंकि तीन साल की पूरी टर्म होती है ग्रामदान सभा की। उस टर्म के हिसाब से मैंने कहा कि एक टर्म में काम करें और उसमें अगर आश्वस्त हो जाते हैं तो बहुत ठीक बात है और नहीं होते हैं और अगर निकलना चाहते हैं तो निकल जाय। क्योंकि ज्यादा लम्बा डालने में और कॉम्प्लीकेशन पैदा होंगे, उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। जब निकलने वाला है तो निकलेगा और रहने वाला है तो छः साल कर दीजिये, बारह साल कर दीजिये कोई नहीं निकालने वाला है, उसके साथ रहेंगे जैसे आज भी रह रहे हैं लोग, नहीं निकलते हैं इसके अन्दर। मेरी मान्यता अभी भी है कि बिलकुल लिमिटेड प्रश्न है और कोई निकलने वाली बात नहीं है। लेकिन चूंकि यह आवाज आयी थी इसलिए यह लेना पड़ा, इसलिए हम लाये हैं। इसमें और कोई आवश्यकता नहीं है, तीन साल काफी है।

दूसरी बात, जो आपने कही और संशोधन आपने चाहे, उसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने यह कहा कि डिक्लेरेशन कलेक्टर के पास फाइल करें उसकी अपेक्षा ग्रामदान बोर्ड के अध्यक्ष के पास फाइल किये जाये, यह आपके संशोधन में आया है। तो मैं ऐसा निवेदन करना चाहता हूं कि मूल में जहां ग्रामदानी गांव

(श्री हीरालाल देवपुरा)

डिक्लेयर करने का प्रश्न है वहां पर भी डिक्लेरेशन कलेक्टर को ही दिया गया है और कलेक्टर से जांच करने के बाद डिक्लेरेशन ग्राम सभा को और ग्रामदान बोर्ड के ग्रध्यक्ष को भेजा है। इसलिए चूंकि ग्रामदानी गांव डिक्लेयर करने के वक्त भी डिक्लरेशन कलेक्टर को दिये गये थे, तो हमने उसी ग्राधार पर कि पूर्व में, शुरू में जब डिक्लेयर हुए थे सारे गांव तो कलेक्टर के माध्यम से हुए। यह डिक्लेरेशन की बात हमने कलेक्टर को दी और आगे चल कर हमने यह भी कहा है कि एस. डी. ग्रो. इन्क्वायरी करेगा, जैसा मैंने संशोधन में पेश किया यह संशोधन ग्रापने [redacted] नहीं किया, मैंने पेश किया संशोधन में जैसा मैंने कहा......

श्रीमती उजला अरोड़ा : किस चेयरमैन की बात कही है। ग्राप उसको पढ़ लीजिये जरा।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने उसको पढ़ लिया है। मैंने तो यह कहा कि इसके ग्रन्दर ग्रामदान बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनके नोमीनी को भी हम सूचना दे देंगे, वे चाहेंगे तो उनका नोमीनेशन इसमें जोड़ा जायेगा। क्योंकि मान लीजिए सूचना दे दी ग्रौर हमने कहा कि नोमीनी को भेज दीजिये ग्रौर कल को वे भेजें नहीं तो वह डिक्लरेशन बेकार हो जायेंगे। वे चाहें तो सूचना देने के बाद ग्रपने नॉमीनी को भी इसके साथ प्रस्तुत कर सकते हैं इन्क्वायरी के ग्रन्दर ग्रौर वह इन्क्वायरी करने के बाद ग्रागे जो प्रावधान रखे हैं, उसका परिणाम कलेक्टर के पास जायेगा ग्रौर कलेक्टर की सहमति होने के बाद जो परिणाम ग्रायेंगे वह ग्रामदान बोर्ड में ग्रौर ग्रामदान बोर्ड के ग्रध्यक्ष को भेजेंगे ग्रौर उसके बाद उसकी मुकम्मिल कार्यवाही होती है। उनकी कन्सल्टेशन, जो एस. डी. ग्रो. की रिपोर्ट जायेगी उस रिपोर्ट [redacted] कलेक्टर उनको बुला करके, उनमें कन्सल्टेशन के बाद उस पर वह निर्णय लेगा। ये सारे प्रावधान इसमें किए हुए हैं। इसलिए यह जो संशोधन प्रस्तुत किए गये हैं इन संशोधनों को मैं मेरे संशोधन प्रस्तुत करने के बाद ग्रावश्यकता महसूस नहीं करता। छः साल की जो ग्रापने मियाद बताई उसकी ग्रपेक्षा तीन साल की मियाद मैंने जो दी है उसको मैं पर्याप्त मानता हूं। इसलिए यह जो ग्रापका संशोधन जिसमें छः साल का, तीन साल का था, जो ग्रापका संशोधन था जिसको तीन साल की बजाय छः साल का किया था उसको मैं ग्रस्वीकार करता हूं। बाकी सभी बातों का इसमें समावेश हो गया है। इसलिए मेरे जो प्रस्तुत किए गये संशोधन हैं इनको स्वीकार किया जाये। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि चूंकि संशोधन इसमें ग्रा गये हैं, इसलिए वे कृपा पूर्वक ग्रपने संशोधन वापिस ले लें क्योंकि ग्रापका परपज इससे पूरा हो जाता है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं ग्रापको समझा नहीं पा रही हूं, यह मेरा दुर्भाग्य है या ग्राप समझ नहीं पा रहे हैं, मेरा परपज़ इससे पूरा नहीं हो रहा है। इन दोनों में कोई दूरी नहीं थी, ग्रापने गोकुल भाई भट्ट की जगह जवाहरलाल जैन ग्रौर गोयल साहब, ग्रापने उनसे इस पर विचार करके उसी तरह के संशोधन करने की बात कही, मुख्य मंत्रीजी से मिले ग्रौर बाद में ग्राप इस तरह का यहां पर संशोधन लाये हैं। मैं समझती हूं यह तो कोई ग्रच्छी बात

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

नहीं, एक संत आदमी से बात करने के बाद में यहां पर बात बदली जाये, मैं समझती हूं यह बड़े दुर्भाग्य की बात है।

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय सदस्या, कोई ऐसी बात नहीं की है, मेरी उनसे बात हुई नहीं, माननीय सदस्या मेरी बात हुई नहीं, मुख्य मंत्रीजी से क्या बात हुई, मैं नहीं जानता, कोई ऐसा संशोधन पेश नहीं किया जो उनकी भावना के विपरीत हो....

श्री सभापति : कृपया विराजें। माननीय श्री भंवरलाल शर्मा, आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं यह कहना चाहता हूं कि अध्याय 6 के 37-क के खण्ड-5 ....

श्री हीरालाल देवपुरा : क्या चीज ?

श्री भंवरलाल शर्मा : वही जिसमें आप फरमा रहे थे जिसमें यह है कि ग्राम के सभी ग्रामदानियों की उस ग्राम में बैठक बुलायेगा उसके आगे यह संशोधन दिया था "और उसकी सूचना ग्रामदान बोर्ड के अध्यक्ष को देगा" यह आप स्वीकार करने में क्यों आपत्ति कर रहे हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : कौन सा ?

श्री भंवरलाल शर्मा : खण्ड 5 में....

श्री हीरालाल देवपुरा : यह प्रोसेस रखा है। उनको सूचना देने का रखा है।

श्री भंवरलाल शर्मा : इसमें छठी पंक्ति में लिखा है न आपने कि "सूचना उद्घोषित कराकर भी और ग्राम के किसी सहजदृश्य स्थान पर सार्वजनिक सूचना की प्रति चिपकवाकर, ग्रामदान ग्राम के सभी ग्रामदान किसानों की उसी ग्राम में बैठक बुलायेगा" इसके आगे यह संशोधन दिया है कि "और उसकी सूचना ग्रामदान बोर्ड के अध्यक्ष को देगा।"

श्री हीरालाल देवपुरा : पूरे का पूरा इसमें दे दिया है, "ग्रामदान ग्राम के सभी पात्र व्यक्तियों की, उनमें से ऐसे व्यक्तियों पर, जिन्होंने उपधारा (1) के अधीन की घो[illegible] फाइल की हैं, बैठक की तारीख स्थान तथा समय के बारे में अलग अलग नोटिस तामील कराकर और ग्राम में डौंडी पिटवाकर सार्वजनिक सूचना उद्घोषित कराकर और ग्राम के किसी सहजदृश्य स्थान पर सार्वजनिक सूचना की प्रति चिपकवाकर भी, उसी ग्राम में बैठक बुलायेगा" यह सूचना हो गयी और ग्रामदान बोर्ड को एस. डी. ओ. पहले ही सूचना दे देगा। जब हमने कहा कि एस. डी. ओ. ग्रामदान के चेयरमैन को सूचना देगा अपने प्रतिनिधि भेजने के लिए तो उनको तो सूचना भेज दी है। इसमें अलग से लिखने की क्या जरूरत होगी, उनको सूचना नहीं देंगे तो वह अपना प्रतिनिधि भेजेंगे कैसे ? अपना नॉमिनी भेजेंगे कैसे ? यह सूचना इसमें आयेगी तो दूसरी जगह इसमें लिखने की उसकी आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मुझे भी निवेदन करना है।

श्री सभापति : आपको अवसर दे दिया जायेगा। माननीय सदस्य विराजें, आपको अवसर अवश्य मिलेगा।

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 में श्रीमती उजला अरोड़ा और श्री भंवरलाल शर्मा ने जो संशोधन प्रस्तुत किए हैं, उन्हें स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किए गये।

प्रश्न यह है कि प्रभारी मंत्री श्री हीरालाल देवपुरा ने जो संशोधन प्रस्तुत किए हैं, उन्हें स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड–5 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड–5 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड–6, कोई संशोधन नहीं।

"प्रश्न यह है कि खण्ड–6 स्वीकार किया जाय।"

(स्वीकृत)

खण्ड–6 स्वीकार किया गया।

खण्ड–1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना नाम आदि–कोई संशोधन नहीं।

"प्रश्न यह है कि खण्ड–1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किये जायें।"

(स्वीकृत)

खण्ड–1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना नाम आदि स्वीकार किये गये।

विधेयक का पारण

प्रभारी मंत्री श्री हीरालाल देवपुरा प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान ग्रामदान (संशोधन) विधेयक, 1984 को संशोधित रूप में पारित किया जाय।

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान ग्रामदान (संशोधन) विधेयक, 1984 को संशोधित रूप में पारित किया जाय।

श्री सभापति : माननीय भंवरलाल जी शर्मा।

श्री महाराम : ये तो काफी बोल चुके हैं।

श्री सभापति : आपको भी अवसर मिलेगा, माननीय सदस्य आपको भी अवसर मिलेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : विधान सभा में आते किस लिए हैं, बोलने के लिए ही तो आते हैं, काफी बोल लिये तो क्या?

माननीय सभापति महोदय, ग्रामदान की जो कल्पना है, यह गांधीजी की कल्पना है और हमारी यह संस्कृति की देन है। हम साथ रहें, साथ विचार करें, तथा

(श्री भंवरलाल शर्मा)

काम करें। सामूहिक जीवन की जो कल्पना है उसको साकार रूप देने के लिए इसका जन्म हुआ था। लेकिन धीरे धीरे इसका विकास होना चाहिए था, लोगों की आस्था ग्रामदान में बढ़नी चाहिए थी, लोग अधिक संख्या में इसमें आते ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए थी। परन्तु गांधी जी के नाम पर कमाकर खाने वाली संस्था है, चाहे वह महात्मा गांधी के नाम पर खायें, चाहे वह इन्दिरा गांधी के नाम पर खायें, पहले महात्मा गांधी के नाम पर खाते थे, अब श्रीमती इन्दिरा गांधी के नाम खाते हैं....

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया शान्त रहें।

एक माननीय सदस्य: आप भी तो गांधी जी की शपथ उठाते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : हम गांधी जी की शपथ तो उठाते हैं, गांधी जी को मानते हैं, पर उनको बेचते नहीं है, खाते नहीं हैं उनको....

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : नया रूप धारण किया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : नये रूप तो कई प्रकट होंगे आपके। अभी तो ठहरो आप।

(व्यवधान)

गांधी जी तो यह भी चाहते थे कि राम राज्य आये, भेदभाव मिटे, छुआछूत मिटे, कोई गरीब न रहे, इस प्रकार की कल्पना जो गांधी जी की थी उसमें से कोई भी आपने पूरी की है, राम राज्य की कल्पना करते थे, राम राज्य लायेंगे आप। अभी पिछले दिनों जब आंध्र में आपने श्रीमान रामाराव को हटाया........

श्री गोकुल चन्द शर्मा : किसने हटाया ?

श्री सभापति : कृपया, संशोधन पर बोलें।

एक माननीय सदस्य : विधेयक पर ही बोलें।

श्री सभापति : आप सलाह नहीं दें, माननीय सदस्य आप विराजें।

श्री भंवरलाल शर्मा : इसी तरह से व्यवधान होता रहा तो क्या बोलूंगा ? इसका जो बैक ग्राउण्ड है वही बता रहा हूँ। आखिर यह क्यों है ?

(व्यवधान)

आन्ध्र में जो कुछ हुआ, तब एक बुजुर्ग मुझ से यह कहने लगे उस समय पर कि अब राम राज्य आ जायेगा। तो मैंने कहा कि अब राम राज्य कैसे आयेगा। अब तो रामाराव को हटाया है तो अब राम राज्य कैसे आयेगा। उस समय भास्कर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि रामाराव को वनवास दिया जाय, देश निकाला दिया जाय। तो उन्होंने कहा कि कैसे ? तो साहब राम राज्य ऐसे ही आया था कि जब भगवान राम का राज तिलक होने वाला था, वह तो हुआ नहीं, वह तो टल गया, गद्दी से हटा दिया गया और दूसरी शर्त थी कि वनवास जायेंगे। फिर वे वनवास गये। फिर रावण का वध किया, राक्षसों को मारा और फिर राम

(श्री भंवरलाल शर्मा)

राज्य हुआ। फर्क इतना ही है कि उस समय उनको प्रसाद दिलाने के लिये महारानी कैकयी ने पहल की थी और जब उनसे पूछा गया कि यह वनवास किसने दिलवाया ? तो कैकयी ने बड़े साहस के साथ कहा कि मैंने दिलवाया है। फर्क इतना ही है कि उस × × × ने हां भर ली थी और इस × × × ने कहा मुझे तो पता ही नहीं है, कैसे हो गया ? तो यह राम राज्य कैसे आयेगा ? यह राम राज्य नहीं हो सकता ? राम राज्य नहीं आयेगा तो ग्रामदान भी नहीं आयेगा। ग्रामदान के पीछे जो भावना थी अगर उस प्रकार का सरकार अनुसरण करती तो आज यह परिस्थिति खड़ी नहीं होती कि साहब हमको तो इसमें से निकालो, लोग यह कहते कि साहब हमको ग्रामदान में प्रवेश दिलवाओ ऐसी कोई दरख्वास्त आई है क्या देवपुरा जी, किसी ने भी आकर के ऐसी दरख्वास्त किसी ने 15 साल में, 35 साल में कहा हो कि साहब हमको भी ग्रामदान में लियाओ। यह जरूर आये, कोई नहीं आया न आपके पास ? कि साहब ये ग्रामदान में कहां लिये हमने यह डाल दिया। यह तो जरूर आये आपके पास, आप खुद ही कह रहे थे आप कि कुछ लोग हमारे पास, इसलिये हमने यह कारण बनाया है और आब्जेक्शन में आकर के कहने लगे इसलिये हमने भी यह लिखा है यह किस के कारण हुआ ? यह ग्रामदान की मूल कल्पना के कारण नहीं हुआ। है यह आप लोगों के करतूतों के कारण आपने ग्रामदान को केवल चूसने के लिए अभी महाराम जी कहेंगे कि जैसे कोई जानवर पुराना हो जाता है, काम का नहीं रहता है तो पिंजरा पोल में डाल देते हैं जहां केवल वह दाना खाता रहता है, घास खाता रहता है वह और काम कुछ नहीं करता है, तो ऐसे जो पिंजरापोल में रहने के काबिल लोग हैं उनको वहां बिठाने के लिए आपने यह और ढकोसला कर रखा है बाकी इसमें कोई किसी प्रकार का विकास, किसी प्रकार की सुविधा, किसी प्रकार का आराम, कोई एक्ट्रेक्शन है नहीं इसमें........

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी : इसलिए ही इनको पशुपालन मंत्री बनाया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह तो यह सिद्धान्त है कि "Right man at the right place. रखना चाहिये। इसलिए उनको वही डिपार्टमेंट दिया होगा।

माननीय सभापति महोदय, अब आज यह स्थिति आ गयी है कि ग्रामदान की योजना जिस तरह चली थी अब वह पूरी नहीं हो रही है तो क्या किया जाये। गांव के लोग दुखी हैं उनको तो उनके रेवेन्यू रिकार्ड आप देते नहीं। एक बार तो भूल से उनको तो सैकिण्ड क्लास सिटीजन बना रखा है आपने नाम दे देने से ग्रामदानी नहीं होंगे कि वहां ग्रामदानी है पर जब वह देखते हैं तो कहते हैं कि हमारी स्थिति क्या कर दी आपने ? सैकिण्ड क्लास सिटीजन। यह सब तो छोड़ो जो राशन की चीनी मिलती है। वैसे तो अभी सवाल आया था कि आप बैठे ही खा जाते है वहां तक पहुँचती ही नहीं है लेकिन इनको तो बिलकुल ही नहीं

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

दिया जाता है, तो इस प्रकार की स्थिति आपने जो खड़ी कर दी....

श्री मेघराज तावड़ : तेल भी नहीं देते हैं।

श्री सभापति : संशोधन विधेयक पर बोलें माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, अगर पूरा आप मुझे बोलने का अवसर देंगे तो मैं वही बात कहूंगा जो मुझे कहनी है।

श्री सभापति : अवसर तो आपको पूरा मिला हुआ है।

श्री भंवरलाल शर्मा : लेकिन आप बीच-बीच में टोक देते हैं ना........

श्री सभापति : इसका कृपया आप सदुपयोग कीजिये। विधेयक पर बोलिये। कृपया....

श्री भंवरलाल शर्मा : इससे ज्यादा सदुपयोग क्या हो सकता है कि विधेयक की जो आत्मा है जो मर गयी है इनके कारण अगर उस पर प्रकाश नहीं डालूंगा तो मैं अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि यह बातें कहना ठीक नहीं है तो मैं आपकी आज्ञा से अपना बोलना समाप्त करता हूँ।

श्री सभापति : माननीय श्री त्रिलोकसिंह।

(व्यवधान)

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : सभापति महोदय, यह मसला ऐसा है जो हिन्दुस्तान की एक लम्बी राजनीति से ताल्लुक रखता है। जब इस देश का किसान यह सोचता था कि हमारा मुल्क आजाद होगा ? तो वह जमीन, वह जमींदारों का सताया किसान यह ख्याल करता था कि हमें भी जमीन मिलेगी और जब उसने देखा दुनिया में भयंकर तूफान आया और तूफान क्या ? "लैण्ड टू दी टीलर" जमीन उसकी जो हल चलाता है तो उसने अपना एका करके किसानों का संगठन करके जमींदारों की जमीनों पर हल्ला बोल दिया। लाखों एकड़ जमीन जब तैलंगाना में, हैदराबाद में, और पेप्सू में अपनी ताकत से हासिल कर ली, तो जागीरदारों ने गुहार मचायी कि यह क्या हो रहा है ? जो आग लगी है तैलंगाना में वह पूरे हिन्दुस्तान में फैल जायेगी। जमीन उसकी जो हल चलाता है। फिर यह नकली मालिक, राजा-महाराजा नहीं रहेंगे। तो उनको पनाह देने के लिए, उनको बचाने के लिए गांधी जी ने और उनके चेले विनोबा जी ने एक विचारधारा पेश की। उन गरीब भोले लोगों से कहा भइया लाठी उठाने की जरूरत क्या है, हथियार उठाने की जरूरत क्या है ? जमीन हम तुमको ग्रामदान में, भू-दान में दिला देंगे। मैं पूछना चाहता हूं × × × गांधी

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री त्रिलोकसिंह)

ने मिलों का दान नहीं किया, कारखानों का दान भी नहीं कराया, इन बड़ी-बड़ी हवेलियों और कोठियों का दान नहीं कराया। बैंकों का दान नहीं किया। गांव के गरीब किसान को बरगलाने के लिये यह ढोंग किया है, फरेब किया है। हिन्दुस्तान में हजारों ढोंग थे वैसा ही एक और फरेबी यह बिल पैदा किया। देश के किसान का इन्कलाब रोकने के लिये ये फरेब किया गया कि वह संतुलित हो सके। वह जमीन जो नहीं जोतते हैं, [redacted] मालिक बना हुआ है, जमींदार बना हुआ है और गरीब किसान का खून पीता है, अपनी ताकत से छीन लेंगे। उसको गुमराह करने के लिये, उसको गलत दिशा देने के लिये फरेब किया गया। मैं पूछना चाहता हूं क्या उस जमीन को, आप ग्रामदान और भू-दान का रेकार्ड पढ़िये याद करिये वह जालिम जागीरदार जो किसानों के आगे भाग गये थे उन्होंने गांधी के चेलों को नदिया गांव दे दी। वह पहाड़ दान दे दिया जहां न अनाज पैदा हो सकता है न हल चल सकता है और वह भी कहां पनपा ग्रामदान सीकर में नहीं हुआ, झुंझुनूं में नहीं हुआ, पंजाब, गंगानगर, हरियाणा और यू. पी. में नहीं हुआ, भीलवाड़ा में हुआ। क्यों? X X X वो तो इन्कलाब हो रहा था। किसान जागीरदार के जमाने से ठगी का शिकार था, और ठगी का शिकार बन गया। ग्रामदान में अगर गंगा आ जाती तो सब किसान उसमें शरीक हो जाते। मेरे इलाके में चन्द ढाणियां जिनका नाम लिखा गया कि ये दान ग्रामदान में है, शास्त्री ने जब घूम घूमकर जुगाड़ा। वे ढाणियां दान में दीं। वह हाईकोर्ट तक परेशान हुए हैं। आज उनकी हालत देख लीजिये उनको कोई सुविधा नहीं है। ये राज गांव वालों का दुश्मन है, किसान का दुश्मन है। सीलिंग की बात करते हैं, ये किसान की बात करता है बिड़ला की सीलिंग नहीं की, उसकी सीलिंग नहीं। गांव का किसान मूर्ख आदमी है, वह अगर बोलता तो यह ढोंग नहीं होता, इस तरह का यह ग्रामदान एक्ट है, यह कानून एक खिलवाड़ है जो देवपुराजी लिये बैठे हैं। इनसे पूछता हूं पहले अपना दान तो किया होता। जितनी जायदाद दाबे बैठे हो करोड़ों की और ग्रामदान की बात करते हो। 36 साल के अर्से में गांव का वो शोषण किया है इस हुकुमत ने। इस जान निकालने वालों की टोली ने जो नाकाबिले बर्दाश्त है। गांव में कोई सुविधा नहीं है। न गाड़ी है, न मोटर है, न सड़क है, न स्कूल है। इनके लड़के पब्लिक स्कूल्स में, पब्लिक स्कूल में नहीं, वह अमेरिका और ब्रिटेन में पढ़ते हैं........

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया शान्त रहें।

श्री त्रिलोक सिंह : ये उम्मीद लगाये बैठे हैं कि कल के रूलर वो बनेंगे इनको पता नहीं इन्कलाब आयेगा तो हम छोट की जगह इनकी औलाद को हाथ जोड़ देंगे....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विधे-

X X X शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री सभापति)

यक पर बोलें। कृपया विधेयक पर बोलें।

श्री त्रिलोक सिंह : यह बिलकुल विधेयक पर है। यह फरेब है ढोंग है। विधेयक का मतलब यही तो बताते हैं कि गांव का विकास होगा, किसान को सहूलियत मिलेगी। आपके गांधी ने ये कहा रामराज लाते हैं। कभी उसने कहा कि हम हरिजन का राज लाते हैं, कभी कहा कि किसान का राज बनेगा, कभी कहा कि मजदूर का राज बनेगा कभी नहीं कहा। राम का नाम लिया, रामराज बनेगा। उसका मतलब जागीरदारों का राज बनेगा, फिर फरेबियों का राज बनेगा। आज का जागीरदार यहां बैठा है। एक फरेब और है, इनकी हालत देखिये, इनका बैंक बैलेंस देखिये, तो ये नये नये X X X पेश करते हैं। मैं सदन के तमाम विधायकों से अपील करूंगा कि इस X X X के खिलाफ जेहाद बोलो, खत्म करो उस जेहाद को, गरीब की मदद करो, गरीब को यह समझाइये कि यह जमीन दो, उसको तालीम दो, उसको पढ़ाई दो। X X X और जब कोई जाता है जनता का प्रतिनिधि तो कहते हैं मिनिस्टर साहब तो गुसलखाने में हैं। तो एक दिन मैंने कहा तुम्हारे सब गुसलखाने तुड़ा दिये जायेंगे। यह काबिले एतराज है। जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। एक दिन मैं एक मिनिस्टर के यहाँ गया, गांव का सरपंच, गांव का प्रधान सब वहां बैठे हैं तो क्यों बैठे हो भाई? मिनिस्टर साहब से मिलना चाहते हैं। मैंने उसके पी. ए. से कहा कि क्या बात है, मिनिस्टर नहीं उठे। उन्होंने कहा साहब गुसलखाने में हैं। कितनी देर रहेंगे? अभी थोड़ी देर घंटा आध घंटा और रहेंगे। जितना फरेब किया अब लोगों के लिये बन्द कर दो गोटेवाले ने भी बहती दरिया में डुबकी लगा ली.......

श्री सभापति : कृपया विधेयक पर बोलें। कृपया विधेयक पर बोलिये माननीय सदस्य

श्री त्रिलोक सिंह : अकेले थोड़े ही हैं गोटेवाला इसलिए ये ग्रामदान विधेयक बिलकुल है ये उन गरीब लोगों को गुमराह करने के लिये बनाया और जिन्होंने बनाया XXX अगर देश के लोग जिस रोज इन्कलाब करेंगे उस दिन X X X

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

(व्यवधान)

श्री हीरालाल देवपुरा : XXX शब्द जो है इसको एक्सपंज किया जाय।

श्री सभापति : XXX शब्द एक्सपंज्ड।

श्री त्रिलोक सिंह : X X X कर लो, कोई नहीं सुनेगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य समाप्त करें।

X X X शब्द अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री सभापति)

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय सदस्य विराजें । कृपया समाप्त कीजिये ।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : ये विनोबा के लिये जो शब्द कह रहे हैं उनको कार्यवाही से निकाल दें।

श्री त्रिलोक सिंह : अपने ख्यालात, अपने सुझाव, अवाम का सुझाव और वो जो करोड़ों–करोड़ किसान जो हल चलाते हैं, जो जमीन का पेट चीरते हैं और इन XXX लोगों का पेट पालते हैं वह कब तक इन फरेबों को सहेगा । उसको जब यह जान जायगा कि इन बाड़ों में फंस गया है, बाड़ों से निकलने का कोई रास्ता नहीं है तो उनको बरगलाने के लिये तरह तरह के सुझाव देते हैं....

श्री सभापति : समाप्त कीजिये माननीय सदस्य, कृपया समाप्त कीजिये ।

श्री त्रिलोक सिंह : दो मिनट । जब इन्होंने देख लिया....

(व्यवधान)

मैं तुम्हारी दया से नहीं आया हूँ....

श्री सभापति : आपस में नहीं माननीय सदस्य ।

श्री त्रिलोक सिंह : XXX यह संस्था है । XXX मैं बोलूंगा एक साथ मर्जी आये जितना बोलूंगा । इसलिए इस फरेब को खतम किया जाय और इस ग्रामदान बिल को बिलकुल खत्म करके, गरीब लोगों को जमीन दी जाय और उन लोगों की जमीनें जो हल नहीं जोतते हैं जिनकी औलाद खेत में नहीं जाती हैं उनको सब की जमीन बांट दी जाय और पहले........

श्री भैरूसिंह गुर्जर : धीरे बोलें ।

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न डालें माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

श्री त्रिलोक सिंह : आप भाग जाइये इसलिये यह ग्रामदान कानून किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है । ये XXX है, फरेब और इस फरेब को हिन्दुस्तान की धरती से खत्म किया जाय । हमारे राजस्थान के किसान यह नहीं चाहते हैं, इस फरेब को राजस्थान की धरती से खत्म किया जाय । जिन किसानों के पास जमीन नहीं है उनको जमीन दी जाय, उनको रोजगार दिया जाय, हमारे गंगानगर में और दूसरी जगह बड़े बड़े चौधरियों, बड़े बड़े जागीरदारों के पास, इन राजा-महाराजाओं के पास लाखों एकड़ जमीन पड़ी है वह तो नहीं ले सकते देवपुरा जी और यहां XXX दिखाते हैं । गांधीजी कहते थे सिम्पल लिविंग एण्ड हाई थिंकिंग....

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

श्री सभापति : समाप्त करें, कृपया समाप्त करिये।

श्री त्रिलोकसिंह : कहते थे-सिम्पल लिविंग हाई थिंकिंग, मैं पूछना चाहता हूं, हमारी यह कैबिनेट दिल्ली × × × हवाई जहाज में जाती है, घोड़े चढ़कर नहीं जाती बैलगाड़ी में नहीं चढ़ती, यह कैसी सिम्पल लिविंग हाई थिंकिंग है ? यह तो × × × है इसलिए इस × × × बिल को खत्म किया जाय।

श्री सभापति : समाप्त करिये, माननीय सदस्य माननीय श्री मोहन लाल मोदी।

श्री देवीदत्त तिवाड़ी (बाडमेर) : माननीय सदस्य ने महात्मा गांधी और विनोबा जी पर जो लांछन लगाये हैं उन को एक्सपंज किया जाय।

श्री सभापति : एक्सपंज कर दिये गये हैं। माननीय श्री मोहन लाल मोदी।

श्री मेघराज तावड़ : यह हमारे विचार हैं। अपने अपने विचार हैं। एक्सपंज करने की ऐसी कोई बात नहीं है।

(व्यवधान)

हमारी बात को यहां रखने का अधिकार है। हम बोल सकते हैं। हम बोलेंगे। × × × किसी एक विचारधारा के ऊपर हमारे विचार हैं, हम यहां प्रस्तुत करेंगे।

श्री सभापति : कृपया बिराजें।

श्री मेघराज तावड़ : थोड़े दिनों के बाद जनता खुद निकाल देगी।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : कम्युनिस्ट पार्टी के दोनों सदस्यों को **XXX**

श्री सभापति : कृपया विराजिये। श्री मोहन लाल मोदी।

श्री मोहन लाल मोदी (नीम का थाना) : सभापति महोदय, ग्रामदान विधेयक में जो संशोधन पेश हुआ है, मैं उसके लिए राज्य सरकार को धन्यवाद देता हूं। हमारे कई माननीय सदस्यों को अभी जानकारी ही नहीं है कि ग्रामदान है क्या। ग्रामदान का एक स्वप्न जरूर देखा गया था। ग्रामदान इस इच्छा से किया गया था, इस से गांव के रहने वालों को एक ग्राम स्वराज्य का स्वप्न दिखाया गया था। लेकिन यहां ग्रामदान में पूरा गांव नहीं होते, यहां तो ग्राम की जगह छोटी छोटी ढाणियां हैं, चारों तरफ पंचायत का एरिया है, 20 घरों की एक बस्ती है और ग्रामदान है। आज उनकी बहुत दुर्दशा है। माननीय सदस्या ने कहा कि दान की हुई वस्तु वापस नहीं लेनी चाहिए। मैं माननीय सदस्या को निवेदन करना चाहूंगा। वह जमीन किसी को दान में नहीं दी है। ग्रामदान के अन्दर रहने वाले जो काश्तकार हैं उस जमीन पर उनका स्वयं का अधिकार है, वह स्वयं अपनी जमीन को जोतते हैं। वह किसी को दी नहीं गयी है दान में, न ऐसे ही दी गयी है। इन्होंने जो कानून बनाया है ग्रामदान के अन्दर, उसके अनु-

---

× × × शब्द अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री मोहनलाल मोदी)

सार कुछ प्रतिशत अपनी आय का उसमें देंगे, कुछ जमीन देंगे। लेकिन एक इंच भी जमीन किसी ने नहीं दी, एक रुपया नहीं दिया किसी ने। आज उन गांवों की हालत बहुत खराब है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वहां किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। आज अगर ग्रामदान का किसान कर्ज लेना चाहे तो ग्राम का अध्यक्ष उनको यह लिखकर नहीं दे सकता कि यह जमीन इनकी स्वयं की है। जब तक जमीन का अधिकार लिखकर नहीं दिया, [redacted] तब तक, आप स्वयं समझ सकते हैं कि बैंक से उनको कर्ज किस प्रकार मिलेगा [redacted] बैंक से कर्जा मिलता है, न किसी प्रकार की सुविधा मिलती है। आज, ग्रामदान के अध्यक्ष पंचायत समितियों के मेम्बर हैं लेकिन पंचायत समितियां उनको किसी प्रकार का पैसा देने से इसलिए हिचकती हैं कि उनके पास न तो रोकड़ है, न खाते हैं, न किसी प्रकार का हिसाब है। इसलिए आज पंचायत समितियां उनको किसी प्रकार का काम नहीं देतीं। आज ऐसी स्थिति है। बागीडोरा से आने वाले हमारे माननीय सदस्य को शायद यह भ्रम हो गया है कि ग्रामदान हटा रहे हैं, ग्रामदान हटा नहीं रहे हैं, इस प्रजातंत्र में हर एक आदमी को बोलने का अधिकार है, अभी हमारे दो माननीय सदस्य बोल रहे थे, हर एक व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, ग्रामदान के अन्दर जबर्दस्ती किसी को फांसी लगाकर रखना चाहेंगे कि वह एक दफा अगर गलती में ग्रामदान में शामिल हो गया और आज अगर वह यह समझता है कि इस ग्रामदान में कोई लाभ नहीं है, हम ठीक तरह से नहीं रह सकते तो, आज हमें कोई अधिकार ही नहीं है उसमें से निकलने का। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि [redacted] राज्य सरकार जो यह कानून लाई है वह सिर्फ एक ही है कि 50 पर्सेन्ट या आधे लोग, अगर वह चाहें तो ग्रामदान से अलग हो सकते हैं, उनको यह एक ही छूट दी गयी है, अगर उसमें लोगों को लाभ मिलता है तो क्यों जाना चाहेगा कोई ? तब ही कोई निकलना चाहेगा जब उसको तकलीफ हो, परेशानी हो, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं, कई गांवों को झूठे-मूठे ग्रामदान कर दिया गया, वह लोग हाई कोर्ट तक गये, मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा, हजारों रुपये उन लोगों के खर्च हुए, तबाह हुए लेकिन आज तक इस कानून में कहीं यह प्रावधान नहीं था कि एक दफा जो ग्रामदान में घोषित हो गया वह किसी प्रकार उसमें से अलग निकल जाय, एक ग्रामदान बोर्ड बना दिया। मैं आपसे निवेदन करूं, बोर्ड के नियमों के मुताबिक 80 पर्सेन्ट आदमी जब पक्ष में हों तब अध्यक्ष बनाया जाय, लेकिन वहां 80 पर्सेन्ट का कोई लेना देना नहीं है, यहां बैठे बैठे लिखकर भेज देते हैं कि फलां को अध्यक्ष बना दिया गया, इस प्रकार की स्थिति चल रही है, इसलिए जो लोग आज परेशान हुए हैं, दुखी हुए हैं उसका महज एक कारण है, न सड़क की सुविधा है, न बिजली की सुविधा है, बिजली का कनेक्शन लेने के लिए....

श्री सभापति : कृपया शान्त रहें।

श्री मोहन लाल मोदी : सभापति महोदय, इस गांव के किसानों को इतनी

(श्री मोहनलाल मोदी)

तकलीफ होती है कि कोई यह सर्टिफाई नहीं करके देता कि यह कुआ इसका है इसमें कनेक्शन दे दिया जाये। आज यह स्थिति है। जमीन बेचना चाहे तो उसकी जमीन पर यह पाबंदी है कि वह जमीन नहीं बेच सकता। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं 50 घरों की बस्ती को ग्रामदान कर दिया, पहाड़ी इलाका है, पहाड़ हैं वहां पर एक हजार बीघा में, उसके ऊपर उसने कोई बाड़ा लगा दिया, कोई जानवर बांध दिये तो उस पर 50 गुनी पैनल्टी लगी है। इस तरह 20-20 हजार रुपए तक छोटी छोटी ढाणियों पर पैनल्टी लग गयी है। कोई जमीन का टुकड़ा उसके बीच में पड़ा है सिवाय चक के अन्दर, क्योंकि ढाणी तो छोटी सी है, उसका कोई एरिया तो है नहीं सारे के सारे गांव ग्रामदान में हो गये हों तब तो बात समझ में आ सकती थी, लेकिन यह उस छोटे से सिवाय चक के टुकड़े में काश्त करता है तो उसका नियमन नहीं हो सकता। ग्रामदान का कानून इस तरह का है। इसलिए मैं इन सारी बातों के हिसाब से निवेदन करना चाहूंगा, राज्य सरकार ने जो कानून बनाया है, मैं समझता हूं, इससे ग्रामदान के इन लोगों को राहत मिलेगी। जो आदमी इस से जाना चाहेंगे उनको इस से छूट मिलेगी। इसके अलावा स्थिति कुछ है नहीं। इसमें जबर्दस्ती कोई होगी नहीं। मैं तो एक निवेदन और करना चाहूंगा, माननीय देवपुरा जी ने इसमें 37 (क) के छठे भाग के अन्दर "ग्रामदान बोर्ड के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात्" जो लफ्ज रखे हैं, मैं समझता हूं। इसके बारे में भी इनको विचार करना चाहिए क्योंकि यह तो राय देंगे नहीं। इसके अन्दर जितनी भी सुविधायें इनको राज्य सरकार से मिलती हैं, सब्सिडी मिलती है, पैसा मिलता है, वह ग्रामदान गांव में एक रुपया भी आज तक गया नहीं है। मेरे यहां 46 गांव ग्रामदान के हैं लेकिन उनके अन्दर कभी एक रुपया भी नहीं मिला अगर मिला भी, यहां से दिया भी हो राज्य सरकार ने, तो बोर्ड के आगे एक इंच बढ़ा नहीं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि ग्रामदान का यह जो संशोधन लाया गया है उसको स्वीकार किया जाय। मैं राज्य सरकार को इसके लिए बधाई देता हूँ।

सभापति : श्री महाराम चौधरी।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : सभापति महोदय, जिस नीति, जिस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए, विकेन्द्रीकरण करने के लिए, गांव का विकास करने के लिए इन ग्रामदान के गांवों का, भूदान के गांवों का गठन किया था उस से गांव के लोगों को न तो किसी तरह की रियायत मिली, न उनके विकास को किसी तरह से गति मिली। ग्रामदान करने का, भू दान करने का उद्देश्य सिर्फ यह था कि बोर्ड के अन्दर, पांवड़ा पाड़ो जैसे, किसी आदमी को राजनीति के अन्दर कहां पर कोई स्थान नहीं मिले ऐसे आदमी को उस बोर्ड के अन्दर सम्मिलित कर लिया जाय जिससे वह कहीं जाकर कांग्रेस वालों की राजनीति में किसी तरह की अड़चन पैदा नहीं करे। चुनाव कैसे होते हैं, कहां कहां होते हैं? हमारे यहां तो जो ग्रामदानी गांव हैं उनकी हालत ऐसी है, जिस तरह से कहना चाहिए कि दूसरे क्या तीसरे नम्बर में उनका

(श्री महाराम चौधरी)

शुमार किया जाता है। ग्रामदानी गांवों के अन्दर हमारे यहां डिक्लेयर किया हुआ था लेकिन न तो चुनाव हुए, न उनको किसी तरह की सुविधा मिली। उन्होंने एक छोटी मोटी ग्राम सेवा सहकारी समिति बनाई थी। उसके आधार पर लोन भी लेना चाहते थे। लेकिन इनके यहां पर सहकारी समितियों के विलीनीकरण के नाम से; जो दूसरी ग्राम पंचायत थी उस ग्रामदान को उठाकर कि यह छोटी है इसको सक्षम इकाई बनाना है, ले जाकर ग्रामदान की स्वायत्तता को खत्म कर दूसरी सहकारी समिति में सम्मिलित कर दिया [illegible]को कुछ पता ही नहीं चलता है, ग्रामदानी गांवों के अन्दर क्या होता है। मैं देवपुरा जी से पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी किसी ग्रामदानी गांव में जाकर उनको मिली कोई उपयोगिता या सुविधा या विकास कार्यों को देखा या उनकी सुनवाई की है?

सभापति महोदय, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि ग्रामदाना गांव जैसा कि भू-दानी गांवों का उदाहरण देखा, छतरगढ़ के पास में 2 हजार बीघा जमीन भू-दान के अन्दर एक जागीरदार ने सुपुर्द की। उस भू-दानी जमीन की हालत आज यह है कि 800 बीघा जमीन रक्षा समिति ने अपने नाम से ले ली है, उसका दफ्तर शायद बीकानेर में है और वह ऐसी जमीन है, जो यदि किसी काश्तकार को दी जाय, वह दो फसली जमीन है, वहां पर नहर आती है, उस को यदि काश्तकार को खेती करने के लिये दी जाय, तो लाखों मन धान वहां पर हो सकता है। लेकिन वहां पर भोपा ठप्परा इस तरह से बना रखा है जिसका माल खाने वाले कोई दूसरे हैं।

सभापति महोदय, भू-दानी गांव के अन्दर शिक्षा के प्रसार करने के लिये बिहार से आई 30–40 बच्चियां वहां पर काम करती हैं। उनसे जब यह पूछा जाता है कि इन लोगों को यहां पर किस लिये रखा है, तो वह कहती हैं कि हम शिक्षा का प्रसार कर रही हैं। मुझे मालूम नहीं है कौनसी शिक्षा का प्रसार कर रही हैं, उनकी बोली वहां के क्षेत्र के लोग समझते नहीं और वह उनकी बोली नहीं समझती हैं। इस तरह का एक आडम्बर बना रखा है ऐशोआराम के लिये।

सभापति महोदय, गांधीजी के नाम पर, विनोबा जी के नाम की कमाई खा-खा कर अपना जीवन कितने दिन कायम रखना चाहते हैं? इस तरह की कमाई खाते खाते लोगों को पूरी तरह से जान-पहचान हो गई है और उनके नाम ले कर जीना चाहते हैं। यह ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। इसलिये मेरा तो यह स्पष्ट निवेदन है कि आप इन संस्थाओं की ओर इस तरह का मामला है उसको छोड़ दो। असली जो मुददा है। ग्राम-स्वराज्य कायम करने का और ग्रामों के विकास करने का वह तो अब नाम मात्र है। हम सब महसूस करते हैं कि गांव की समृद्धि का रास्ता भी खेतों के अन्दर होकर जाता है लेकिन उसके अनुसार काम कौन करता है यह तो एक तरह का ढकोसला बना करके रख दिया है और गांव वालों को एक तरह से नाम बता बता कर कि इस ग्रामदानी से तुम्हारा इस तरह से विकास होगा लेकिन विकास का कहीं नामोनिशान ही नहीं है। इसलिये

(श्री महाराम चौधरी)

देवपुरा जी मेरा तो यही निवेदन है कि गांव वालों को बहुत ज्यादा दिनों तक बहकावे में मत रखो और ये झूठी तस्वीरें बनाना छोड़ दो। मैं सही कह रहा हूं आपको जो ग्रामदानी गांवों का कानून बनाने वाले हैं उनको ग्रामदानी शब्द की कुछ जानकारी नहीं है। सिर्फ नाम लेकर इधर का शब्द उधर और उधर का शब्द इधर कर दिया ग्रामदानी एक्ट की भाषा, लिपि यह भी इनके समझ में नहीं आता और यह कह रहे हैं कि 3 साल के बाद में कोई स्वेच्छा से निकलना चाहेंगे तो निकल सकेंगे निकलने की प्रक्रिया इतनी बड़ी है, क्या पता गांव वालों को कितना बड़ा प्रचार करना पड़ेगा, शायद मैं समझता हूं कि अधिकारियों को उनको रिश्वत देनी पड़ेगी यह ग्रामदानी ग्राम को खत्म करने के लिये उनकी कमाई का साधन आप खोल रहे हैं। इसलिये मैं तो यह कह रहा हूं कि इस पूरे के पूरे एक्ट को फाड़ दीजिये, फैंक दीजिये, चाहे आप जला दीजिये इसका नामोनिशान मिटा दीजिये, मेरा आपसे यही निवेदन है।

श्री सभापति : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : माननीय सभापति महोदय, जैसा मैंने पहले निवेदन किया था, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कितनी बड़ी मजाक हमारे साथ है। राजस्थान में 33 हजार गांव हैं और उनमें 200 ढाणियों का ग्रामदान है। सारे राजस्थान में आज तक 200 ढाणियां ग्रामदान में हैं और इसकी जनसंख्या कुल मिलाकर 5 हजार या 6 हजार है। इस जनसंख्या के ऊपर यह जो बोर्ड, मैंने तो कल ही एक्ट पढ़ा था कलेक्टर और एस. डी. एम. की रिपोर्ट पढ़ रहा था....

(व्यवधान)

आपने कह दिया कि यह बोर्ड की सहमति से यह बोर्ड जो XXX बान्ध रखा है, यह XXX यह लोगों को खाते हैं। ग्रामदानी गांवों के लिये मिलने वाली सारी सब्सिडी उनके अ... आती है और आज तक एक भी ढाणी में नहीं पहुँची। 46 गांव सीकर जिले में हैं, मैं दावे के साथ लिखकर देता हूं कि जितनी सब्सिडी आपने दी है वह ... की सारी बोर्ड खाकर बैठा है। यह बोर्ड जो है यह तो ग्रामदानियों का दुश्मन है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसको अधिकार देना तो बहुत बड़ी बात है सबसे पहला काम तो यह है कि इसके एक्ट को खत्म करो लेकिन इस एक्ट को खत्म करने से पहले इस बोर्ड को खत्म करो। यह बोर्ड इस ग्रामदान का नम्बर एक दुश्मन है।

मैं दूसरा निवेदन करना चाहूंगा, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने कहा, बागीदोरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सब उनको प्रकार की सुविधा मिलती है इसलिये उन्होंने साफ लिखा है इसमें कि "वे यह महसूस करते हैं कि यद्यपि, ग्रामदान ग्रामों को पंचायत के समान सहायता प्राप्त होती है, किन्तु वे कुछेक विकास योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में समर्थ नहीं हैं।" माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना

---

* XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

चाहूंगा कि जैसे ग्राम पंचायत के लिये मान लीजिये टैंक बनाना है पंचायत समिति ने उसके लिये ग्राम पंचायत को पैसा दिया ग्राम पंचायत की रोकड़ पंचायत समिति से ग्राम पंचायत में आ जाती है इस तरह का ग्रामदानी गांवों का कोई रिकार्ड नहीं है, उनके पास कोई अकान्ट नहीं है, इनके पास कोई केस बुक नहीं है, एक भी पैसा विकास योजनाओं का पंचायत समिति के माध्यम से जो जाता है वह ग्रामदानी विलेजेज में नहीं पहुंचता है। उनको कोई पैसा नहीं मिलता है एवं खाता नम्बर दो का के वहां पर कुआ गिरवी नहीं रख सकता, आर. एस. ई. बी. से बिजली नहीं मिलती हमारे जिले के गांव की पूरी पंचायतें इलेक्ट्रिफाइड हो गई लेकिन बेचारे ढाणी वाले इलेक्ट्रिफाइड इसलिये नहीं हो सकते कि जो कुआ बना हुआ है उसको वह गिरवी नहीं रख सकते, पटवारी सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, ग्राम पंचायत सर्टिफिकेट नहीं दे सकती कि इसका मालिक कौन है और वह बिजली के लिये तड़फता फिर रहा है, तड़फ-तड़फ कर मर रहा है। मैं तो कहूंगा कि ग्रामदान के अन्दर जिनको रखा जा रहा है उनके साथ बहुत ज्यादती की जा रही है।

दूसरा निवेदन करना यह है कि, हमारे माननीय सदस्यों ने भी कहा कि कानून के द्वारा इनको छूट क्यों दी जा रही है, ग्रामदान इतना इम्पोर्टेंट है तो 30 साल के अन्दर सब ग्रामदान के अन्दर क्यों नहीं ले आये तो फिर क्यों कानून के द्वारा गला घोंटकर रखना चाहते हैं, अगर आपके नेता इतने ही समर्थ थे तो शामिल क्यों नहीं कर लिया। लेकिन इस तरह का कानून बनाकर उनको मारना चाहते थे। कानून में जब छूट दी जा रही है कि पसन्द आये तो रहो, पसन्द नहीं आये तो मत रहो, यह तो प्रजातंत्र के हिमायती, ग्राम स्वराज्य का हिमायती है, वह इस बात की कल्पना ही नहीं, करते हैं इनको बांध कर रखे कहीं निकल न जायें, बाहर न निकल जाय। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कानून को खत्म कर दीजिये अगर खत्म नहीं करेंगे तो लोग ढाणियों को छोड़कर दूसरे गांव में जाकर बस जायेंगे यह स्थिति हो गई है उनकी आज। न भैंस खरीद सकते हैं, न गाय खरीद सकते हैं, न उनको बैंक से ऋण मिल सकता है। एक बात और है बड़े बड़े नेता का नाम लेने से काम नहीं चलता, उनके प्रति सब की श्रद्धा है, उनके प्रति सबकी सहानुभूति है, उनकी समाधि पर सभी मस्तिष्क टेकते हैं। कभी कोई उन्होंने योजना प्रारम्भ की और यदि वह योजना फैल हो गई, तो उसको स्वीकार करना चाहिये, मैं तो यह कहता हूं कि बेहिचक रूप से, सरकार गलत काम कर रही है इस तरह से कानून बनाकर, स्वीकार करे सरकार की ग्रामदान योजना पूरी की पूरी फैल हो गई है इसको तुरन्त समाप्त कीजिये और सब पंचायतों के अन्दर में विलिनीकरण किया जाना चाहिये। सभापति महोदय, 3 करोड़ 40 लाख की राजस्थान की जन संख्या और 5-6 हजार लोगों के लिये कानून बना रहे हैं और 4-4 घन्टे का विधान सभा का समय खराब कर रहे हैं आप, किस बात के लिये ? कुछ लोगों को पंचायतों के अन्दर अधिकार प्राप्त हैं लोन देती है, ऋण देती है लेकिन 200 ढाणियों, सभापति महोदय, यह रेवेन्यू विलेज नहीं है, ग्रामदानी के विले

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

रेवेन्यु विलेज नहीं है, 9 ढाणियों के गांव पूरे हो गये उस रेवेन्यु विलेज में 2 ढाणियों को या एक ढाणी को ग्रामदानी विलेज में डिक्लेयर कर दिया, "रेवेन्यू विलेज भी नहीं है, छोटे छोटे विलेज; कितना खर्चा कर दिया आपने, जिन लोगों को पाला है, इतना खर्चा ग्रामदान पर करते, मेरा मतलब ठाले बैठे आदमियों से है, तो ढाणियां चमन हो जातीं।

मेरा कहने का मतलब है कि ग्रामदान योजना पूरी तरह से फेल हो चुकी है, सरकार को बोर्ड बनाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, योजना फेल हो चुकी है। आप छूट दे रहे हैं, कम से कम क्लाज बढ़ा रहे हैं कि बोर्ड के चेयरमेन से पूछकर "बोर्ड का चेयरमेन तो कभी परमिशन नहीं देगा और परमिशन तब तक नहीं देगा जब तक वह जिन्दा है, तब तक ढाणियों के लोग मर नहीं जायेंगे जब तक वह परमिशन देने वाला नहीं है। इसलिये इनको निकालने के लिये उनके पंजे से छुड़ाओ। उनका सबसे बड़ा शोषण कर्ता ग्रामदान बोर्ड है, इस बोर्ड के चुगल से, मगरमच्छों के चुगल से इनको छुड़ाओ। जो ठाले बैठे एक ही काम करते हैं कागज लिखने का, पत्र लिखने का. इसके अलावा कोई काम नहीं है इनको बनाकर क्यों रखना चाहते हैं, क्या मतलब है। किसी आदमी के समझ में आ गई एक बात कि यह नहीं चल रहा, तो इसको स्वीकार करो। एक सिद्धान्त के ढकोसले में चल कर दूसरे लोगों की हत्या कर रहे हैं, अपनी करो, कई लोग आन्दोलन करते हैं शराबन्दी के लिये और करने के लिये मर जायेंगे, कोई नहीं मरता और अगर उनमें इतना दम हो, तो शराब बन्दी का प्रचार करें, बन्द करें, जनता में असर नहीं है अगर जनता पर असर होता तो सारे के सारे ग्राम ग्रामदानी में अब तक आ जाते लेकिन जनता में असर नहीं है, लोगों को जबर्दस्ती मारने के लिये कानून के द्वारा आप। मेरा निवेदन करने का मतलब सीधा-सीधा सा है यह है कि राजस्थान की 200 ढाणियों के 6-7 हजार जनसंख्या के साथ भेद भाव किया जा रहा है इसको समाप्त किया जाय। सभी पंचायतों में उन ढाणियों को शामिल किया जाय। और विकास के सारे छोटे-मोटे जितने साधन मिलते हैं, गांवों को [illegible] भी मिले,

(4.00 म. प.)

यह मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं। सरकार यद्यपि मान चुकी है इस बात को, लेकिन सरकार दबाव में सरकार कुछ नहीं है, झूठे सिद्धान्त के आवरण में और सरकार दण्ड प्राणायाम करने के लिए यह चोर दरवाजे का रास्ता लेना चाहती है, लोग इधर से निकल जाय। अब कई लोगों ने कहा कि अध्यादेश जारी हो गया है। उसके बाद एक एप्लीकेशन नहीं आई। मैं कह रहा हूं प्रोफार्मा जो इसका था वह प्रोफार्मा बनाकर कलेक्टर, एस. डी. एम. के पास गया नहीं। अगर प्रोफार्मा बनकर चला जाता, तो सीकर जिले में नीम का थाना में तो 46 गांव हैं, 46 के 46 गांव अब तक निकल जाते। एक भी ग्रामदान में रहने को तैयार नहीं। लेकिन प्रोफार्मा नहीं भेजा। आप तो मुझे कुछ प्रोफार्मा दीजिये और चार-पांच दिन में, तीन वर्ष की जरूरत नहीं है, चार पांच

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

दिन में सेव निकल जायेंगे और इसलिए भगवान के लिए आप कृपा करके सात हजार पर आप कृपा करो और सात हजार पर कृपा करके इनको ग्रामदान के चुंगल से निकालो। इनको जो सब्सिडी एड, विकास का जो काम मिलता है पंचायतों के आ आप इनको भी दिलाओ। इनका न तो रिकार्ड है न इनको मालिकाना हक है। एक बात साथ में निवेदन करना चाहता हूं, ये कहते हैं ग्रामदान से जमीन प्राप्त हुई। एक इंच जमीन प्राप्त नहीं हुई। अंगूठे लगा लगाकर ग्रामदान घोषित कर लिये जिनकी हाई कोर्ट में रिटें चल रही हैं अभी भी बीस-बीस साल से चल रही हैं कि हमसे झूठ मूठ अंगूठे लगाकर ग्रामदानी घोषित कर दिया और आपने भूमि का क्या दान किया सीलिंग से जो जमीन प्राप्त हुई, ग्रामदान से एक इंच भूमि प्राप्त नहीं हुई। जिसके पास सौ बीघा जमीन थी, उससे कहा ग्रामदान करो, उसने अपने पांच बेटे थे, पांचों बेटों के नाम से दान कर दिया और वह ग्रामदान हो गया। आज उस पर किसी को अधिकार नहीं है। मुझे सरकार बता दे या ग्रामदान बोर्ड बता दे कि इन 200 ग्रामदानी गांवों में कितनी जमीन आपको मिली जिसका वितरण कर दिया। पहाड़ की तलहटी में बसे गांव जिनके पास मुश्किल से दो सौ चार सौ बीघा जमीन थी और पेड़ लगाकर बकरियां चराकर अपना काम चलाते, ये उन गांवों को आपने ग्रामदानी में घोषित कर दिया, उनके पास सरप्लस लैण्ड ही नहीं थी। तो यह सारा का सारा ढकोसला है और इस ढकोसले को समाप्त किया जाना चाहिये। मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक की कोई जरूरत नहीं है, माननीय मन्त्री महोदय, सीधा सीधा इसको खत्म करके सात हजार आदमियों के प्राण बचाओ और बोर्ड से इनका पिण्ड छुड़ाओ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि यह विधेयक जो सरकार लाई है यह दृढ़ प्राणायाम है, इसको सीधा सीधा अस्वीकार करके इन लोगों को इस ग्रामदान के राक्षस से बचाना चाहिये।

श्री सभापति : माननीय मन्त्री महोदय।

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदय, इस विधेयक के तृतीय वाचन पर माननीय श्री भंवरलालजी शर्मा, श्री त्रिलोक सिंहजी, माननीय मोहनलालजी मोदी, महारामजी और घनश्यामजी तिवाड़ी ने अपने विचार व्यक्त किये। मुझे मूल में ऐसा लगा कि माननीय सदस्य जब अपने विचार व्यक्त कर रहे थे, मूलतः ग्रामदान के विरोधी हैं, ग्राम दान को नहीं चाहते। मैंने प्रारम्भ में ही इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय निवेदन किया था कि ग्रामदान एक सिद्धांततः स्वीकार किया था ग्राम स्वराज की कल्पना के आधार पर। महात्मा गांधी और विनोबा भावे की भावना के साथ और उसी आधार पर ग्रामदान और भूदान यज्ञ हमारे देश के अन्दर चला था। इसको अभियान के रूप में आपने यहां बताया यह अभियान नहीं था, कोई अभियान नहीं किया था, कोई सीमा नहीं बांधी थी, यह तो लगातार है, निरन्तर है और आज भी चल रहा है। इस सिद्धान्त को हमने कहीं अस्वीकार नहीं किया और आज भी इस सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं। ग्रामदान हमने समाप्त कर दिया हो ऐसी स्थिति नहीं है, न हम करना चाहते हैं। महात्मा गांधी और विनोबा भावे

(श्री हीरालाल देवपुरा)

की जो भावना थी, उस भावना के आधार पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं उनसे पीछे हटने का कोई प्रश्न नहीं पैदा होता। माननीय सदस्यों ने इसमें जो दिक्कतें बताईं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : शराबबन्दी के मामले में जो कर रहे हैं—

श्री हीरालाल देवपुरा : शराबबंदी के मामले में है जो इसमें नहीं करना चाहते। इसमें जो आपने दिक्कतें बताई हैं वह किसी क्षेत्र विशेष की हो सकती हैं, किसी ग्रामदानी गाँव विशेष की हो सकती हैं लेकिन आम तौर पर मुझे जो यहां पर बताई गई, कहीं पर भी नहीं हैं। ग्रामदानी गांवों को सब तरह से अधिकार दिये हुए हैं....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह आपके बिल में लिखा है।

श्री हीरालाल देवपुरा : मेरी बात सुनिये, मैं बता रहा हूं। पंचायतों के जितने अधिकार हैं उतने नहीं हैं यह लिखा है, यह नहीं लिखा है कि उनको अधिकार नहीं है।

(व्यवधान)

सुनिये, मैं बता रहा हूं। विकास के अधिकार, ग्रामदानी गांवों को पंचायतों की तुलना में कुछ कम हो सकते हैं, उस दृष्टि से लिखा हुआ है, यह नहीं है कि नहीं हैं। आज भी वहां पर उनको लोन मिलने की सुविधा है, उनको भूमि पर अपने राइट्स दिये हुए हैं, उनका रिकार्ड अपने आप में पूरी तरह से कम्पलीट है। सहकारिता के आधार पर उनको ऋण मिल सकता है और उनके क्षेत्र के अन्दर उनका अपना विकास वो स्वयं कर सकते हैं इसमें कहीं पर भी नहीं है। नहीं किया जा रहा है, यह कोई त्रुटि हो सकती है, गलती हो सकती है यह दूसरी बात है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ग्रान्ट मिलती है क्या ?

श्री हीरालाल देवपुरा : ग्रान्ट मिलती है। इनको वही ग्रान्ट मिलती है जो पंचायतों को मिलती है। उसी आधार पर मिलती है, जनसंख्या के आधार पर....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : किसके माध्यम से ?

श्री हीरालाल देवपुरा : बोर्ड के माध्यम से, ग्रान्ट जो मिलेगी वह तो बोर्ड के माध्यम से मिलेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बता दीजिये किस गांव को एन. आर. ई. पी. की ग्रान्ट दी है।

श्री हीरालाल देवपुरा : एन. आर. ई. पी. की ग्रान्ट बिल्कुल डिफरेन्ट है माननीय नेता महोदय, मैं आपसे एक अलग बात कह रहा हूं, आप उसको शामिल मत कीजिये। एन. आर. ई. पी. डिफरेन्ट है और जनसंख्या के आधार पर ग्रान्ट मिलती है वह बिल्कुल डिफरेन्ट है। आप उसको शामिल मत कीजिये। ग्रामदानी गांवों का और ग्राम सभा का जो अध्यक्ष है वह पंचायत का सदस्य है और पंचायत समिति में जो एन. आर. ई. पी. का पैसा देते हैं, तो उनको

(श्री हीरालाल देवपुरा)

पूरा अधिकार है कि उसमें से वो लें। That is different aspect. उसको कैसे करना है, क्या नहीं करना है यह बिल्कुल भिन्न बात है। लेकिन आज वह डिबार नहीं है, बार नहीं है कि उनको नहीं मिल सकता, ये सारे प्रावधान हैं लेकिन हो सकता है कहीं नहीं हो रहा होगा, उसको मैं अस्वीकार नहीं करता हूं। उनमें अगर कोई कमियां है तो उन कमियों को दूर करने की जिम्मेदारी है, उन कमियों को दूर करने का प्रयत्न करेंगे।

यहां पर एक बात जो कही वह मुझे भी थोड़ी सी नई बात लगी कि यहां पर कुछ ग्रामदानी गांव ऐसे हैं जो ढाणियों के रूप में हैं। मैं समझ रहा था ये रेवेन्यू विलेज हैं पूरा का पूरा जहां पर भी कहीं ऐसा है, मैंने अभी अपने अधिकारियों से कहा, मैं अभी भी कहता हूं, सदन से चाहता हूं कि जो ढाणियां आज ग्रामदानी गांवों के रूप में हैं वे ढाणियां आगे इस अध्यादेश के निकलने के बाद, अगर अपने आपको निकालना चाहती हैं तो उनको रोकने की बात नहीं करता लेकिन जो रहती हैं उनको हम रेवेन्यू विलेज डिक्लेयर करेंगे जिससे उनको यह आपत्ति है कि उस इलाके का आधा हिस्सा तो पंचायत के साथ जुड़ा हुआ है और आधा हिस्सा उसका एक ढाणी के रूप में अलग हो जाता है इसमें दुविधा हो सकती है। उसमें कई प्रकार की दुविधा हो सकती है मैं उसको स्वीकार करता हूं।

(व्यवधान)

आप बैठिये जो ढाणियां इस प्रकार की हैं उन ढाणियों को हम सेपरेट विलेज के रूप में, उनका एक क्षेत्र बना करके रेवेन्यू विलेज के रूप में उनको डिक्लेयर करेंगे ताकि उनको पंचायतों के अधिकारों के सम्बन्ध में जो कन्फ्यूजन होता है वह कन्फ्यूजन उनका दूर हो जाय। मैं तो आपको एक ही बात निवेदन करना चाहता हूं कि ये ग्रामदानी गांव जो हमने स्वीकार किया है, उसके पीछे जो उसूल और सिद्धान्त हैं वह मैंने पहले बताया उस आधार पर ग्राम स्वराज की कल्पना के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं और इसमें लोगों का पूरा विश्वास है। कुछ क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जहां विश्वास न हो, लेकिन जैसा मैंने कहा, आदिवासी क्षेत्र आज डूंगरपुर और बांसवाड़ा के लोगों के अन्दर पूरा विश्वास है और आज भी वहां ग्रामदानी गांव........

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कितने गांव हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं बता रहा हूं। डूंगरपुर में 41 और बांसवाड़ा के अन्दर 38........

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कितने गांव हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : कितने गांवों की बात नहीं कहता, कम्परेटिवली बता रहा हूं मैं आपको, यह तुलना मैं नहीं करता। राजस्थान में कुल 205 ग्रामदानी गांव हैं। मैं कब कहता हूं कि राजस्थान के 35 हजार गांवों के अन्दर बहुत गांव हैं, लेकिन आज जो गरीब इलाका है, जो आदिवासी इलाका है, वह इसमें विश्वास

(श्री हीरालाल देवपुरा)

करता है। वो आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि ग्रामदानी गाँवों का कार्य बंद हो गया और लोग पसन्द नहीं करते हों लेकिन जैसा मैंने कहा कि हो सकता है कुछ लोग पसंद नहीं करना चाहते हों और लुभावना देखकर इसके अन्दर आ गये हों, मैं यह नहीं कहता कि वे क्यों आये। लेकिन अब निकालना चाहते हैं तो उसके लिए मैं प्रावधान लेकर आया हूं कि प्रजातन्त्र है उनको भी छूट देनी चाहिये कि यदि वो निकलना चाहते हैं तो एक तरीका अपना लें, उस तरीके के आधार पर वो निकल जाय। इसलिये मैं यह बिल लेकर आया हूं। मैं कहीं पर यह बिल लेकर नहीं आया कि उनको किसी तरह से बांधे रखना चाहते हों। तो यह जो बिल लेकर आया हूं यह जो कुछ भी आप कह रहे है उसमें एक सुविधा दी है, कहीं कोई रोड़ा नहीं अटकाया है। हमने तो एक सुविधा दी है कि वो निकलना चाहते हैं इसमें से निकलें, हम कब कहते हैं कि नहीं निकलें, यह प्रावधान मैं लेकर आया हूं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन गाँवों के अन्दर कोई विकास रुका हुआ है या उनकी कोई योजना नहीं है, कोई काम करने वाला नहीं है या उनके कोई राइट्स नहीं हैं। जैसा मैंने कहा, आज प्रजातांत्रिक तरीके से सभी अधिकार उनको मौजूद हैं। जैसे पंचायतों के चुनाव होते हैं उसी तरह से ग्राम सभा के साथ साथ उनकी एग्जिक्यूटिव के चुनाव होते हैं, उनके अध्यक्ष का चुनाव होता है। ठीक इसी तरह से उनका अध्यक्ष पंचायत समिति का मेम्बर होता है, कहीं पर भी ऐसी बात नहीं है। तो यह स्थिति जो सामने थी उस स्थिति को देखते हुए कुछ जगहों के रिप्रजन्टेशन्स थे उन रिप्रजन्टेशन्स को देखते हुए हम यह बिल लेकर आये हैं जिससे उनको यह सुविधा मिल जाय।

आपने कहा कि हमने अधिकार दे दिया बोर्ड को, अध्यक्ष को। हमने अधिकार नहीं दिया है अध्यक्ष को, आपने इसको पढ़ा नहीं। मैंने कहा एस. डी. ओ. जब एन्क्वायरी पर जायेगा तो एस. डी. ओ. को हमने कहा कि वह अध्यक्ष को सूचित करे। वहां भी उसकी [illegible]मिती एन्क्वायरी के साथ बैठेगा ताकि उ[illegible] अविश्वास नहीं हो कि यह कोई [illegible] काम कर रहा है। कलक्टर जो उनको कहेगा, कन्सल्टेशन वर्ड है, उसके परामर्श से, सहमति शब्द नहीं दिया, उनको कान्फिडेन्स में रखना जरूरी है क्योंकि आखिर वहां पर काम कर रहे हैं उनको कान्फिडेन्स होना चाहिये, तो यह स्थिति है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि माननीय सदस्य को किसी प्रकार की कोई शंका हो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिये और जहाँ तक हमारे सी. पी. एम. के माननीय सदस्य ने कहा उनका तो किसी में विश्वास नहीं है। वे तो बिल्कुल उसी तरह की बात करते हैं हिन्दुस्तान में उनका यहां आना जाना तो होता नहीं, लेकिन ऐसी बात कह देते हैं जैसे कोई बहुत ऊंची बात कर रहे हों। गांधीजी और विनोबाजी ऐसे थे, सारी बात कह करके न तो कोई सिद्धान्त की बात है, न उसूल की बात है, न हमारे देश के अन्दर उस प्रकार की बात लागू होने की बात है। आयन्दा चुनकर आयेंगे या नहीं यह तो भविष्य बता देगा उनको भी, जब चुनाव में जायेंगे तो उनको भी भविष्य बता देगा कि

(श्री हीरालाल देवपुरा)

वो कहां टिकेंगे, हम तो जहां हैं वहां के वहीं रहने वाले हैं, उसमें उनको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने यह जो प्रस्तुत किया है कि इस विधेयक को संशोधित रूप में, खण्ड पांच में जो संशोधन किया गया है, इसको संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान ग्रामदान (संशोधित) विधेयक, 1984 को संशोधित रूप में पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया।

श्री सी. पी. जोशी : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि पहले यूनिवर्सिटी वाला बिल ले लिया जाय।

नियम 295 के तहत उठाया गया प्रश्न
शिक्षक संघ का आन्दोलन

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदय, मैं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत कुछ विशेष उल्लेख करना चाहता हूं। सभापति महोदय, राजस्थान का शिक्षक संघ पिछले कई दिनों से आन्दोलन कर रहा है और उनका आन्दोलन बराबर चल रहा है इसके बारे में आज सुबह भी मैंने सदन में निवेदन किया था। सभापति महोदय, आज राजस्थान विधान सभा के दरवाजे पर पुलिस के लोगों ने सरकारी कर्मचारियों पर लाठियां बरसाई और उनके कपड़े फाड़ दिये। सभापति महोदय, उन शिक्षकों के कपड़े जो फटे हैं वह मैं सदन में आपके सामने पेश कर रहा हूं। सभापति महोदय, मैंने आज सुबह भी माननीय अध्यक्ष महोदय का इस बात के लिये ध्यान आकर्षित किया था लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान सरकार ने उन गरीब शिक्षकों जिनकी मांगों को राज्य सरकार ने टेबल पर बैठकर स्वीकार किया था, उन मांगों को अब तक भी सरकार नहीं मान रही है और सरकार अभी तक मौन धारण किये हुए बैठी है।

(म. प. 4.12)

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

उन लोगों ने शिक्षा मन्त्रीजी के साथ बैठकर, राजस्थान सरकार ने राजस्थान शिक्षक संघ के लोगों से कुछ समझौते किये थे, पर उन समझौते को सरकार अभी लागू नहीं करना चाहती है। इसलिये मैं पुनः अध्यक्ष महोदय, आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार शिक्षकों से बातचीत करके गरीब शिक्षकों की बातों को सही रूप से माने उनको क्रियान्वित करे। अध्यक्ष महोदय, कल भी शिक्षकों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और उन लोगों को आठ घन्टे तक गिरफ्तार रखा था। तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया समाप्त करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय

(श्री दाऊदयाल जोशी)

× × × शिक्षक को अपनी रोजी की बात कहना चाहता है उस पर सरकार लाठियां बरसाना बन्द करे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! भाषण नहीं होगा। कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : तो, अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार गरीब शिक्षक अपने धैर्य को बांध कर यहां आये हैं, सरकार उस पर विचार करे। मेरा यह निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, कि शिक्षा ने अपना पेट मोटा करके घटना बनाया होगा, आप स्वंय विचार करें।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) संशोधन, विधेयक जिस पर प्रवर समिति में सभी पार्टी के लीडर्स ने अपनी ओपीनियन दी है और उस पर कमेटी ने रिपोर्ट दी है उस बिल को पहले ले लिया जाय तो उचित रहेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां साहब ! ले लीजिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप थोड़ा इन्तजार कर लीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपको तो प्रसाद मिलेगा।

एक माननीय सदस्य : आपने बहुत घोटाले किये हैं सरकारी विभाग में।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं उसमें आपका सहकार कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : आप का पेट तो पिन्जड़ा है उसके अन्दर क्या फर्क पड़ता है।

राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक 1984

श्री अध्यक्ष : प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1984। प्रभारी मन्त्री जी !

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1984 को विचारार्थ लिया जाय।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : इसमें संशोधन प्रस्ताव है श्री गोपाल पचेरवाल, श्री मेघराज तावड़, श्री बन्शीलाल पटवा प्रस्ताव करेंगे कि इस विधेयक को जनमत जानने हेतु परि-

---

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

चालित किया जावे । माननीय सदस्य भाषण संक्षेप में होंगे ।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : दो मिनिट में, अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने यह जो राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) संशोधन विधेयक, 1984 को सदन में पेश किया है उस संबंध में मुझे कुछ ही बातें कहनी हैं । इसमें मेरा संशोधन प्रस्ताव है कि :–

"प्रवर समिति द्वारा [illegible]वेदित राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की [illegible]) (संशोधन) विधेयक को तीन दिन के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मेरा और निवेदन यह है कि इस बिल में विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर जो हमला है और इस बिल में जो रजिस्ट्रार की बात कही गई है कि एक आई. ए. एस. केडर के अधिकारी को रजिस्ट्रार नियुक्त करें या उसको लायें । अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो विश्वविद्यालय में किया जा रहा है इससे आज हमारे देश के अन्दर ऐसी हालत पैदा कर दी है कि यूनिवर्सिटी की स्वयात्तता पर हमला बोला जा रहा है यह एक विचारणीय बिन्दु हमारे लिये बन जाता है । अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय का जहां तक सवाल है वहां पर जिस प्रकार से सरकारी मशीनरी को लगाकर सरकारी मशीनीकरण किया जा रहा है, वहां पर अलवर से लाकर एक आर. ए. एस. अधिकारी को बैठा दिया गया है और वहां पर अभिमन्यु सिंह जी ने अपना वर्चस्व कायम किया हुआ है । इस प्रकार से यदि आप आई. ए. एस. अधिकारी लाकर विश्वविद्यालय में बैठा देंगे तो जो प्रोफेसर्स हैं जि[illegible] केडर हल्का है उनका वेतन कम है उनका वेतनमान कम है लेकिन उसके बावजूद आप यूनिवर्सिटीज में लाकर इस तरह के लोगों को बैठा देंगे और आप यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता पर हमला बोलेंगे तो, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि आप ले जाना कहां चाहते हैं इस शिक्षा जगत को, वहां पर क्या करना चाहते हैं । अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल है इस पर ज्यादा नहीं कह करके मुझे केवल इतनी ही बात कहनी है कि यूनिवर्सिटीज की स्वतंत्रता पर आप किसी तरह का हमला नहीं करें और आपने इसमें कोई विशेष बात नहीं की है । आप कहते हैं कि हम यूनिवर्सिटीज की स्वतंत्रता को कायम रखना चाहते हैं और इसके लिये, आप कोई ठोस कार्यक्रम देते तो हम निश्चित रूप से स्वागत करते लेकिन यह बिल निश्चित रूप से स्वागत योग्य नहीं है, इसलिये मैं मांग करता हूं कि इस बिल को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे ।

श्री अध्यक्ष : श्री मेघराज तावड़ ।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, मैं संशोधन प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान के विश्व विद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्ते) (संशोधन) विधेयक, 1984 को तीन माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचारित किया जाय । अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय संशोधन बिल जो लाया गया है, मेरा निवेदन यह है कि सबसे पहले तो यह होना चाहिये था कि जो बिल सदन,

(श्री मेघराज तावड़)

में पेश किया गया है। उसमें विस्तृत रूप से यूनिवर्सिटीज की स्वायत्तता को लिया होता माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल में जो यूनिवर्सिटी में ऐसे और भी बहुत से कर्मचारी हैं, मतलब गवर्नमेन्ट ऐडेड शिक्षण संस्थायें हैं उनको नहीं लिया गया है। आज भी वह लोग विधानसभा के बाहर धरना दिये हुए बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज उन लोगों की सेवा की कोई सुरक्षा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! आप विषयान्तर हो रहे हैं। यह विश्वविद्यालय के अध्यापकों के बारे में बिल है।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, वह भी इसकी परिधि में आते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ इन विश्वविद्यालयों में, आप के इस बिल में यह दिया है उससे यह शंका पैदा होती है पेज 7 पोइन्ट 3 :

When ex-cadre posts are created by the State Government in a faculty of a University, the distribution of such posts within the various departments of the University in a particular faculty would be made by a committee consisting of the vice chancellor of the University concerned, Dean of the faculty concerned and the Eduation Secretary.

अध्यक्ष महोदय, इसमें यह डाउट क्रियेट करता है कि वाइस चान्सलर अपनी मर्जी में जिसको लेना चाहेगा वह ले सकता है। जो लोग इसमें आना चाहते हैं और जो योग्य हैं, अपनी मर्जी के लोगों को ला सकता है। वह उनको लाकर थोप सकता है, इसमें एक तो यह बात डाउट पैदा करती है। इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय यह इन्टरव्यू के लिये जो व्याख्याता है जिनकी 25 साल की सर्विस है उसके बाद में जब भी उनका इन्टरव्यू लेंगे उस समय यह तय करेंगे कि 25 साल की सर्विस के बाद भी वह योग्य है या नहीं हैं इनके लिये उसका इन्टरव्यू लिया जायेगा और उनकी सीनियोरिटी भी मारी जाये इस तरह का भी इस बिल में प्रावधान है कि जिसमें कि इसमें डाउट पैदा होता है। इसके साथ साथ विश्वविद्यालय में कुछ बातें हैं जिनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, वह यह है कि एक यूनिवर्सिटी में कुलपति जैसा कि माननीय सदस्य गोपाल पचेरवाल जी ने यह बात रखी कि जहां-जहां भी शिक्षाविद् हैं जो विद्वान् हैं जो शिक्षा को जानने वाले हैं उनको ही वाइस चान्सलर बनाया जाना चाहिये। आप हर जगह प्रशासन में आई. ए. एस. अधिकारी लाकर बैठा करके शिक्षा के साथ मखौल करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के जो नियम हैं, शिक्षा की जो प्रवृति है उसको खतम करना चाहते हैं। शिक्षा के पीछे भावना यह है कि जो शिक्षाविद् होगा वही सही मायने में शिक्षा का सही मार्गदर्शन दे सकते हैं कि दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलपति उनके कृत्यों के बारे में भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं आज, अध्यक्ष महोदय, हमारे देश को जो सबसे बड़ा खतरा है, जो विदेशी नागरिक....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ! विषय से हट रहे हैं, माननीय सदस्य ।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, यह इस बात में आता हैं, यह खतरा इस तरह से हो सकता है कि जो विदेशी नागरिक हैं...

श्री अध्यक्ष : खतरे तो कई तरह के हो सकते हैं, सभी खतरों पर चर्चा हो सकती हैं परन्तु उपयुक्त समय हो इसी वक्त होगी ।

श्री मेघराज तावड़ : मैं दो मिनिट में अपनी बात कह लेता हूं । ऐसे लोगों को वहां सब तरह के लेटर लिखे गये । भारत की शिक्षा मंत्री श्रीमती कौल ने भी यूनिवर्सिटी को लिखकर कहा है कि इसको यहां से हटाया जाये !

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, अलग प्रश्न है माननीय सदस्य !

श्री मेघराज तावड़ : ऐसी बातें भी लाना चाहिए जो कि यूनिवर्सिटीज में इस तरह की गतिविधियां होती हैं । सी. आई. ए. के एजेन्ट की तरह से लोग काम कर रहे है । अध्यक्ष महोदय, यूनिवर्सिटी का बिल आना चाहिए और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इस तरह से नौकरी करने वालों को हटा दिया गया है, किसी को नहीं रखा है, तो क्या वजह है कि हम यहां पर कानून पारित नहीं कर सकते, उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते । हम दबाव नहीं डाल सकते कि उनकी नागरिकता प्राप्त की जाये । इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह चाहता हूं कि इस बिल में जो शंकायें पैदा की जा रही हैं और सबसे पहले यह होना चाहिए, अध्यक्ष महोदय, जब कि बिहार यूनिवर्सिटी में और दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे पहले प्रमोशन के मामले उठे तो अध्यादेश लाकर केवल अपने कुछ लोगों के हाथ में पावर देना चाहते हैं, मैं यही कहते हुए यह कहूंगा कि इसको चाहे दो महीने के लिए, तीन महीने के लिए या 4 महीने के लिए इस बिल को जनमत जानने के लिए भेज दिया जाये ।

श्री अध्यक्ष : श्री बंसीलाल पटवा । मंत्री महोदय !

(अनुपस्थित)

श्री बुलाकीदास कल्ला (राज्य मंत्री शिक्षा) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1984 के बारे में अभी कुछ माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे कि इसको दो महीने के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये । मैं इस संदर्भ में कहना चाहूंगा कि यह मूल रूप में अधिनियम सन् 1974 में लागू किया गया था । उसके अन्तर्गत राजस्थान के विश्वविद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्तियां की जाती हैं । जिस समय इस अधिनियम को कार्यान्वित किया गया उस समय अनेक कठिनाइयां अनुभव की गयीं । अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सब को विदित है, सदन को विदित है कि विश्वविद्यालयों में उच्च पदों पर सीधी भर्ती की जाती है, जिसके कारण से...

श्री अध्यक्ष : आप नये विषय और जोड़ेंगे तो चर्चा बहुत व्यापक हो जायगी ।

(140)

(श्री अध्यक्ष)

मैं समझता हूं कि जो बात कही गयी है उसी का उत्तर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इसके कारण से बहुत से ऐसे रीडर्स और लेक्चरार्स जो योग्यता रखते हुए भी उनको पदोन्नति के अवसर सुलभ नहीं होते थे जिनके कारण से हमने एक अध्यादेश ला करके इस योजना की....

श्री भंवरलाल शर्मा : आप तो यह बतायें कि इनका जो प्रस्ताव है वह स्वीकार है क्या ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं आ रहा हूं दो मिनट में। मैं तो सब्जेक्ट के ऊपर बोल रहा हूं। माननीय सदस्यों ने सब्जेक्ट के अलावा कई बातें कही हैं।

केशोरायपाटन से आने वाले माननीय सदस्य ने विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता के बारे में बताया। विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर कहीं पर भी कोई चोट नहीं पहुंची है। विश्वविद्यालयों में एक्स कैडर पोस्ट क्रियेट करने की बात है इसमें स्वायत्तता को कहां नुकसान पहुंचता है ? जहां तक रजिस्ट्रार को नियुक्त करने का प्रश्न है, जहां पर किसी विश्वविद्यालय में, कानून में जो प्रावधान दिये गये हैं विश्वविद्यालयों के संबंधित, उन प्रावधानों के अनुसार यदि किसी रजिस्ट्रार की नियुक्ति नहीं हो रही है तो स्टाप-गैप अरेन्जमेन्ट के लिए, एक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, इस अधिनियम में यह संशोधन लाया गया है कि प्रशासनिक अधिकारी जिसको पांच साल का अनुभव है उसको विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, जब से हमने राजस्थान विश्वविद्यालय और जोधपुर विश्वविद्यालय में प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और महाविद्यालय शिक्षा के अधिकारी की नियुक्ति की है विश्वविद्यालय के प्रशासन में सुधार आया है....

श्री म[हा]वीर प्रसाद जैन : कोई सुधार नहीं आया।

श्री [गोपा]ल पचेरवाल : ....आपने उन[को कना]डा भेजा....

(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : पिछले एक दशक से हमारा शैक्षणिक सत्र जो पिछड़ गया था वह शैक्षणिक सत्र नियमित हो गया है। जुलाई में कालेज खुल गए। समय पर परीक्षा परिणाम निकले और समय पर सारे काम हुए।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : मंत्री जी मेरी बात का जवाब दीजिए। अभिमन्युसिंह को आपने 40 हजार रुपया खर्च करके कनाडा भेजा, क्या लाभ मिला विश्वविद्यालय को—आप बताइये ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : गोगुन्दा से आने वाले माननीय सदस्य ने 25 वर्ष तक किसी व्यक्ति को पदोन्नति नहीं मिलेगी, कहा है....

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : मंत्री महोदय। मैं आपको करेक्ट कर दूं। इन्होंने जो स्टेटमेन्ट दिया है कि समय पर विश्वविद्यालय की परीक्षायें हुई हैं, अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जांच करें कि 1984 की परीक्षा 1983 के नाम से हुई है, 1983 की परीक्षा हो रही है 1984 में, 1982 की परीक्षा 1983 में हो रही है और 1983 की परीक्षा 1984 में हो रही है।

श्री अध्यक्ष : आपको निजी [illegible]मत है ना।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा :·····काहे की पीठ थपथपा रहे हो....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विषयान्तर हो रहे हैं माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज....

(व्यवधान)

कृपया·······प्रश्न यह है कि सर्व श्री गोपाल पचेरवाल और मेघराज तावड़ ने प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1984 को तीन दिन। तीन माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित करने के संशोधन प्रस्ताव रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किये गये

प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1984 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खण्डशः विचार

खण्डशः विचार

खण्ड 2 से 10 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 10 स्वीकार किये जायें ?

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मुझे एक निवेदन करना है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! मतदान हो रहा है माननीय सदस्य। माननीय सदस्य प्रश्न पूछा जा रहा है इसमें कोई आपत्ति बीच में नहीं होगी।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 10 स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 10 स्वीकार किये गये।

खण्ड 11–प्रभारी मंत्री जी संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने भी संशोधन दिया है 11 में।

श्री अध्यक्ष : उस पर व्यवस्था दे दी गयी थी। मैं आपको बोलने की इजाजत दे दूंगा। खण्ड 11-श्री सूर्यकुमार, श्री कैलाश मेघवाल संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड 11 में जो नयी धारा "10 पदों का आरक्षण" जोड़ी जा रही है उसको पढ़ने के बाद में, यह संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं।

नईजोड़ी गई धारा में प्रयुक्त अंक व चिह्न 16% को अंक व चिह्न "17%" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाय"।

दूसरा है;

1 नई धारा 11 का इर बाह्य पदो पर वयक्तिग्य पदोन्नति की उपधार (3) में "संकाय के डीन और" के बादी शब्द "शिक्षा सचिव" के स्थान पर "सिन्डीकेट में मनोनीत शिक्षा शास्त्री" प्रविस्थापित किया जाय। खण्ड 11 इस प्रकार है:-- "सुसंगत विधि में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक और अधिकारी, (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) अधिनियम 1984 का प्रारम्भ होने की तारीख से संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा 16 प्रतिशत पद अनुसचित जातियों के लिए और 12 प्रतिशत पद अनुसूचित जन जातियों के लिए इस अधिनियम के अधीन किये गये प्रत्येक चयन के अनुसरण में विश्वविद्यालय में नियुक्त किये जाने वाले अध्यापकों और अधिकारियों, के पदों पर नियुक्ति के लिए आरक्षित रखे जायेंगे। इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने 10 प्रतिशत को 17 प्रतिशत करने का संशोधन प्रस्तुत किया है। मैं आपके द्वारा माननीय प्रभारी मंत्री जी से एक सीधा सवाल पूछना चाहूंगा। संरक्षण उन्होंने किया है इसके लिए उनको बधाई है। बहुत समय से यह ड्यू था। संविधान के निर्देशों की पालना नहीं हो रही थी शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइबस के लोगों के प्रति अन्याय हो रहा था और अन्याय इस सीमा तक कि यव तो ध्वनि यहां तक उठने लग गयी थी कि इनको कुछ दो ही मत। कुछ उपकुलपतियों ने इस तरह की बात भी कही है जबकि शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स को ऊपर उठाने की और सोशियल जस्टिस देने का इस देश में प्रयत्न चल रहा है उस प्रयत्न के प्रतिकूल वह बात कही गयी लेकिन आपने यह जो संरक्षण दिया है इसके लिए मैं राज्य सरकार को बधाई देता हूं।

इसके साथ ही आपका यह 16 परसेन्ट का और 10 और 12 परसेन्ट का रेशनल क्या है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सवाल पूछा है कि आपका रेशनल क्या है और आपका जवाब आयेगा कि जनसंख्या के आधार पर हमने यह 16 परसेन्ट और 17 परसेन्ट रखा है। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज 1984 की 16 तारीख को आप एक संशोधन रख रहे हैं अक्टूम्बर में, वह 1971 की जनसंख्या के आधार पर आप चल रहे हैं। या तो आप मुझे बता दीजिये कहीं निर्देश है संविधान में लिख रखा है कि 16 प्रतिशत और 12 % होंगे या आपको कहीं से कोई

(श्री कैलाश मेघवाल)

डाइरेक्शन्स हैं तो वह बता दीजिये। आपने जो रेशनल लिया है जन संख्या के आधार पर वह 1981 की जनगणना की रिपोर्ट आ चुकी है। 1981 की फाइनल टेबुलेशन राजस्थान की सरकार ने पब्लिश कर दी है और इस पब्लीकेशन के अनुसार मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रभारी मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान की टोटल पापूलेशन 1981 की जनगणना के अनुसार फाइनल टोटल 3, 42, 61, 862, है। इसमें शिड्यूल्ड कास्ट की पापूलेशन है 38, 879 और शिड्यूल्ड ट्राईब्स की जो पापूलेशन है वह है 41, 83, 124। यह जो शिड्यूल्ड कास्ट की जो पापूलेशन है, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 17. 04 प्रतिशत होती है और इसलिये जिस रशनल के आधार पर आपने रिजर्वेशन किया है, मैं चाहता हूं कि उसी रेशनल के आधार पर जो लेटेस्ट अवेलेबल डेटाज हैं 1981 की सेंसर्स के आधार पर 16 से 17 प्रतिशत सब्स्टीट्यूट कर दीजिये। इसमें आपको कोई आग्रह, दुराग्रह भी नहीं होना चाहिये; कोई तर्क और वितर्क भी नहीं होना चाहिये। यह तो आप बता दीजिये कि आपने 16 प्रतिशत किस रेशनल पर लिया है। और उस रेशनल में जो बात मैं कह रहा हूं, अगर वह फिटइन होती है तो आप इसको स्वीकार करने को उदारता दिखाइये। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुझे यही निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री जी, संशोधन प्रस्तुत करेंगे। संशोधन प्रस्तुत करना है। क्या खण्ड 11 में?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, प्रवर समिति द्वारा यथा संशोधित विधेयक के खण्ड 11 द्वारा यथा अन्तःस्थापित धारा 11 की उपधारा (13) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाये, अर्थात्–

"(14) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उपधारा (1) के अधीन सृजित पदों की संख्या के अतिरिक्त, यथास्थिति, प्राचार्य या उपाचार्य का कोई कैडर–बाह्य पद वहां भी सृजित किया जा सकेगा, जहां राज्य सरकार का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा सृजन रुकावट के किसी अपवादिक रूप से कठोर मामले को आवृत करने के लिए आवश्यक है।"

"उक्त धारा की उप–धारा (14) और (15) को उसकी उप–धारा (15) और (16) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाये"

अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री सूर्य कुमार।

(अनुपस्थित)

श्री जोशी।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष, महोदय...

श्री अध्यक्ष : आपका संशोधन, कौन से खण्ड में था?

श्री सी. पी. जोशी : खण्ड 11 में ही था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका इस बात के लिये विशेष रूप से आभारी हूं कि प्रवर समिति के सदस्य होने के बाद मुझे इस सदन में नहीं बोलना चाहिये, लेकिन जो नये संशोधन माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किये है, उस दृष्टि से मैंने यह उचित समझा कि प्रवर समिति ने जिस तरह की रिपोर्ट दी है, मैं निश्चित रूप से समर्थन करता हूं सदस्य के रूप में मेरे संशोधन के पीछे मन्शा यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल लाया गया है........

श्री अध्यक्ष : आपका संशोधन तो अस्वीकार किया है।

श्री सी. पी. जोशी : इसलिये बोलने की अनुमति मिलनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : इसमें अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति दी है।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी अमेंडमेंट को लाने के पीछे मन्शा यह थी कि विश्व-विद्यालयों में कार्य करने वाले टीचर्स, जो वर्षो से कार्य कर रहे हैं, और स्टेग्नेंट हैं, उनको प्रमोशन प्राप्त करने के ऐवेन्यूज मिलें। उस दृष्टि से माननीय मंत्री जी ने और प्रवर समिति के सभी सदस्यों ने एक अच्छा कदम उठाया, एक अध्यापक होने के नाते मैं उन सब अध्यापकों की ओर से प्रवर समिति के सभी सदस्यों को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने राजस्थान में एक नई शुरुआत की। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मैंने संशोधन दिया है और आपने अस्वीकार किया है, उस संशोधन के पीछे मेरी मन्शा यह है, आप स्वयं जानते हैं कि विश्व-विद्यालयों में जहां एक तरफ टीचर्स सब्जेक्ट के हैं, उनके साथ साथ कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं जो डायरेक्ट टीचिंग इम्पार्ट नहीं करते हैं, जैसे फिजिकल सुपरिन्टेन्डेंट और लाइब्रेरियन। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1976 से, जब से यू. जी. सी. की ग्रेड लागू हुई उससे पहले फिजिकल सुपरिन्टेंडेंट और लाइब्रेरियन की ग्रेड 400 से 950 थी जो लैक्चरर्स की ग्रेड थी। उन टीचर्स को प्रमोशन का बैनिफिट नहीं मिल पायेगा क्योंकि यू. जी. सी. की पे स्केल लागू होने के बाद जहां एक तरफ 700 से 1600 की ग्रेड दे दी जोधपुर यूनिवर्सिटी में फिजिकल सुपरिन्टेन्डेंट को, वहां उदयपुर विश्व-विद्यालय और राजस्थान विश्व--विद्यालय ने, जहां तक मेरी जानकारी है, ऐसे टीचर्स को केवल मात्र 700 से 1300 की ग्रेड दी। जहां यू. जी. सी. की पे स्केल लागू होने के पहले फिजिकल सुपरिन्टेन्डेंट, लाइब्रेरियन और टीचर्स जो लैक्चरर्स थे उन तीनों की ग्रेड 400 से 950 की थी वहां यू. जी. सी. की पे स्केल लागू होने के बाद फिजिकल सुपरिन्टेन्डेंट और लाइब्रेरियन का 700 से 1600 का ग्रेड केवल मात्र राजस्थान की जोधपुर यूनिवर्सिटी ने लागू किया और राजस्थान यूनिवर्सिटी और उदयपुर यूनिवर्सिटी ने लागू नहीं किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के सभी विश्व-विद्यालयों में कार्य करने वाले फिजिकल सुपरिन्टेंडेंट और लाइब्रेरियन टीचर्स को उसी तरह से मानते हुए 700 से 1600 की ग्रेड लागू कर दी गई। मेरी इस संशोधन को देने के पीछे यही मन्शा थी

(श्री सी. पी. जोशी)

कि जहां हमने इस विधेयक के द्वारा सैकड़ों अध्यापकों को प्रमोशन के एवेन्यू अवेल करने का अवसर दिया है वहां केवल फिजिकल सुपरिन्टेन्डेंट और लाइब्रेरियन इनको इस विधेयक के अनुसार प्रमोशन के अवसर नहीं मिल पायेंगे। इसलिये माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो संशोधन हमने दिया है उसके पीछे मन्शा यही है। यह बात ठीक है कि आज उनको 700 से 1300 की ग्रेड नहीं मिल रही है लेकिन आपकी स्टेट में जोधपुर यूनिवर्सिटी ने ग्रेड दे दी है, हिन्दुस्तान के सभी विश्वविद्यालयों में यह ग्रेड मिल रही है। इसलिये ऐसे टीचर्स को भी प्रमोशन के एवेन्यूज मिलने चाहिये, उसके लिये मैं माननीय मंत्री महोदय से अपेक्षा करूंगा, वे स्वयं शिक्षक रहे है, वे इसके लिये सरकार की ओर से चाहे जो कुछ रैमेडी करनी पड़े वह रैमेडी निकालें ताकि फिजिकल सुपरिन्टेन्डेंट और लाईब्रेरियन को भी भविष्य में सुविधायें मिल पायें और इससे टोटल टीचर्स कम्युनिटी को फायदा मिल पायेगा। इस आशा और विश्वास के साथ आपने जो मुझे अवसर दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री सूर्यकुमार। उनका भी संशोधन था।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा एक निवेदन था इसमें।

श्री अध्यक्ष : आप अपने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं क्या खण्ड-11 में?

श्री सूर्यकुमार : जी।

श्री भंवरलाल शर्मा : तब तक मैं बोल देता हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, सभी संशोधन प्रस्ताव आजायें उसके ऊपर आप पूरी चर्चा कर सकते हैं।

श्री सूर्यकुमार (नैनवा) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के विश्व विद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1984 की धारा 11 की उप धारा (1) के बाद में निम्नांकित स्पष्टीकरण जोड़े जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं—

"धारा 11 की उपधारा (1) व अन्य उपधाराओं के अधीन संगणना करने के प्रयोजनों के लिए यदि केडर वाह्य सृजित पदों की संख्या अंश में आती हो तो उसे अगली पूर्ण इकाई मानी जायेगी।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इस संशोधन को प्रस्तुत करने का उद्देश्य केवल इतना है कि इसमें राज्य सरकार का जो उद्देश्य है कि स्टैगनेंसी आ गयी थी प्रमोशन में और जिस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिये यह एक्स कैडर पोस्ट्स क्रियेशन के लिये जो संशोधन विधेयक लाया गया है तो कहीं ऐसा न हो कि जिन लोगों को लाभ देने का मकसद राज्य सरकार का रहा है उनमें से कुछ योग्य लोग और वे लोग जो अधिकारी हों वे इस अवसर से वंचित रह जायें और उनको प्रमोशन का अवसर न मिले। कुछ ऐसी संकाय विश्वविद्यालय में काम कर रही हैं कि जिनमें

(श्री सूर्य कुमार)

सम्भवतः एक ही प्रोफेसर या रीडर या लेक्चरर काम कर रहे हों और अगर जो फार्मूला इस प्रस्तावित संशोधन विधेयक में रखा गया है उस फार्मूले के अनुसार उस लेक्चरार को, रीडर को, प्रोफेसर को कभी भी मौका नहीं मिलेगा कि वह प्रमोशन प्राप्त कर सके। इसलिये मैंने यह संशोधन प्रस्तुत कर उन अध्यापकों के हित में और राज्य सरकार के मकसद के अनुरूप यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। ताकि उन लोगों को भी प्रमोशन का चांस मिल सके। मैं उदाहरण के रूप में अर्ज करू जैसे उर्दू की संकाय है। अब उर्दू की संकाय में जो प्रोफेसर या रीडर काम कर रहे हैं और चूंकि एक का एक बटा तीन हो नहीं सकता इसलिये इनको तो आजीवन प्रमोशन का चांस मिल नहीं सकेगा। इसलिये ऐसे लोगों को प्रमोशन का चांस देने के लिये यह आवश्यक है कि स्पष्टीकरण के माध्यम से इस विधेयक में प्रस्तुत किया जाय और मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह अपने मकसद के अनुरूप मेरे प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवर लाल शर्मा।

श्री भंवर लाल शर्मा (हवा महल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें एक्सप्लेनेशन जो दिया है उसमें थोड़ा सा मंत्री महोदय आप देख लें, जो मैं कहना चाहता हूं--

"For the purposes of seniority and counting of years of serviec as Reader or as Lecturer, under clause (b) respectively of sub-section (4) and (5), the service rendered as Lecturer of Vice-Principal or Principal after regular selection as Lecturer in a college established or run by the State Government or in a University as also the service rendered in an ad-hoc or temporary capacity immediately before regular selection shall also be taken into account.

इसमें यह कन्फ्यूजन रह गया है कि यूनिवर्सिटी तक तो ठीक है राजस्थान में विद्यालय या विश्वविद्यालय है उनकी जो सेवायें हैं उनमें जिस अध्यापक ने सेवा की हैं उनकी सेवायें जोड़ी जायं तो ठीक है, लेकिन इसके आगे जो एक....

श्री अध्यक्ष : इस स्थिति में जब आप यह बात कह रहे हैं तो या तो आपको संशोधन लाना चाहिये था।

श्री भंवर लाल शर्मा : क्लियर कर दें, इनका मतलब क्या है ?

श्री अध्यक्ष : नहीं आपके और उनके क्लियर करने से बात नहीं बैठेगी।

श्री भंवर लाल शर्मा : तो इसका संशोधन मान लें और संशोधन यह है कि आप अपने राज्य के अन्दर जो सेवायें की हैं उनको गिना जाय केवल यानी विदिन स्टेट जो सेवायें की हैं वही गिनी जाय, यह बहुत क्लियर हो जायेगा। इतना सा मेरा संशोधन है। आप चाहे तो लिखित में दे दूंगा या

(श्री भंवर लाल शर्मा)

वैसे स्वीकार कर लें तो ला डिपार्टमेंट का काम है, जोड़ दें इसमें। वे देख लें कि कहा जुड़ेगा। यानि राज्य के अन्दर जो सेवायें हैं वही गिनी जायेगी, उदाहरण के लिये मान लीजिये कि कोई इलाहाबाद में सेवायें करते हैं और वे यहां आ गये। अब ये यह कहेंगे कि हमारी इलाहाबाद की सर्विस भी जोड़े।

श्री बी. डी. कल्ला : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में हम प्रस्ताव ला रहे हैं।

श्री भंवर लाल शर्मा : तो स्वी[illegible] कर रहे हैं न मेरी बात को।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : खण्ड 11 में और प्रस्ताव ला रहे हैं आप ?

श्री बी. डी. कल्ला : जी।

श्री भंवर लाल शर्मा : आप जो प्रस्ताव ला रहे हैं वह पहले ले आवें ना ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : अगर यही प्रस्ताव इधर से ला रहे हैं माननीय सदस्य वाला तो माननीय सदस्य उसको ले आये तो इसमें आपको क्या दिक्कत है ?

श्री अध्यक्ष : आपने संशोधन दिया कहां है ?

श्री भंवर लाल शर्मा : मैं यही कह रहा हूं कि इसे संशोधन मान लें।

श्री अध्यक्ष : सुझाव दिया है और मंत्री महोदय ने मान लिया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इधर से आ जाय तो क्या दिक्कत ह[illegible] है ?

श्री बी. डी. कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

In the explanation to Clause (B) of sub-section (5) of Section 11 as being inserted by Clause 11 of the Bill as amended by the Select Committee, the expression....

श्री अध्यक्ष : इसमें एक समस्या और आ गई कि जो मूल विधेयक है वह हिन्दी में है इसलिये अंग्रेजी में अगर आप संशोधन प्रस्तुत करते हैं तो वह बैठेगा नहीं।

श्री बुलाकी दास कल्ला : हिन्दी में कर देता हूं।

श्री अध्यक्ष : हिन्दी में करेंगे तो काफी समय लगेगा।

(व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला : मैं तब तक माननीय सदस्यों द्वारा जो प्रश्न उठाये गये है, उनका रिप्लाई दे देता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर........।

इस खण्ड में आपने और भी संशोधन प्रस्ताव दिये हैं ?

श्री बुलाकी दास कल्ला : जी।

श्री अध्यक्ष : वो सब एक साथ ही पेश कर दीजिये उसके बाद में आपको ......।

श्री बुलाकी दास कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मुद्दा तो अभी सदन में उठाया गया है। उस सुझाव को स्वीकार करते हुए यह संशोधन मैं लेकर आया हूँ, हिन्दी में प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : जितने भी संशोधन प्रस्ताव हों, आप 10-15 मिनिट में पेश कर दीजिये, इसलिये इस पर विचार बाद में किया जायेगा।

खण्ड 12 व 13 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 12 व 13 स्वीकार किये जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड 12 और 13 स्वीकार किये गये।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर....। आर्डर प्लीज।

खण्ड 14 प्रभारी मंत्री जी संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री बुलाकी दास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, खण्ड (14) के लिये निम्न संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :—

"प्रवर समिति द्वारा यथासंशोधित विधेयक के खण्ड 14 के उपखण्ड (ख) द्वारा यथा प्रतिस्थापित प्रविष्टि (i) में अभिव्यक्ति "निदेशक, अनुसन्धान" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "निदेशक, सम्बन्धित अनुसंधान "प्रतिस्थापित की जाये।"

श्री अध्यक्ष : समझाइये क्या बात है यह।

कई माननीय सदस्य : समझ गये, समझ गये।

श्री यदुनाथ सिंह : हमारी समझ में नहीं आया, अध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला : मैं समझा देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मूल में प्रवर समिति के द्वारा जो हम यह अमेन्डमेंट लेकर आये थे, उसमें डाइरेक्टर, रिसर्च पहले जुड़ा हुआ था उसके आगे अब डाइरेक्टर रिसर्च कन्सर्न जोड़ा है क्योंकि उदयपुर विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर और एनीमल हस्बेन्डरी, इन दोनों से सम्बन्धित डाइरेक्टर होते हैं उनको एक तरह से इसमें कनफ्यूजन हो रहा था कि डाइरेक्टर रिसर्च कन्सर्न एनीमल हस्बेन्डरी का हो तो भी मान लिया जाय और एग्रीकल्चर से सम्बन्धित होगा तो इसको मान लिया जायेगा। इसको पारिभाषित करने के लिये और स्पष्ट करने के लिये यह संशोधन लाया गया है।

श्री अध्यक्ष : यह संशोधन आपने लिखित में प्रस्तुत कर दिया?

श्री बुलाकी दास कल्ला : कर दिया।

श्री अध्यक्ष : और कोई माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहें ?

प्रश्न यह है कि प्रभारी मंत्री जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 14 को संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 14 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 15, इसमें मंत्री महोदय संशोधन प्रस्तुत करेंगे और श्री कैलाश मेघवाल, माननीय सदस्य भी संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

पहले आप कर दीजिये।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड 15 में जो नई तृतीय अनुसूची जोड़ी गई है और तृतीय अनुसूची में चयन समिति के गठन की कल्पना की गई है मेरा संशोधन प्रस्ताव निम्न प्रकार है :—

"**द्वितीय अनुसूची**" प्राचार्य उपखण्ड IV में "शिक्षा सचिव, राजस्थान सरकार या उसकी अनुपस्थिति में निदेशक महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान" के स्थान पर "सिन्डीकेट में मनोनीत शिक्षा शास्त्री" प्रतिस्थापित किया जाय।" मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है कि जो स्वायत्तशासी संस्थान विश्वविद्यालय होने की भावना है, उस भावना के अनुरूप भी है और मैं आज एक सीदा सादा सवाल आपके सामने खड़ा करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य से हमारे यहां एक ऐसा चिन्तन चल गया है कि जिसका कोई मुकाबला नहीं है और जिसको निगेटिव करने को प्रमाणिकता से और अधिकारी तौर पर कोई तैयार नहीं है। भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हो जाना, आई. ए. एस. में किसी का एक बार चयन क्या हो गया, वह चयन होने पर सारी दुनिया के सभी विषयों का विशेषज्ञ मान लिया जाता है और दुर्भाग्य से कोई एज्युकेशन सेक्रेटरी हो गया तो शिक्षा शास्त्री हो गया और कोई एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हो गया तो कृषि शास्त्री हो गया, कोई एनीमल हस्बेन्डरी सेक्रेटरी हो गया तो पशु शास्त्री हो गया यह भावना इसमें भी प्रतिबिम्बित की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और आपके माध्यम से माननीय प्रभारी मंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि चयन समिति जो आचार्य की होगी, उस आचार्य की जो योग्यताएं होंगी....

Brilliant, academic career and outstanding publication, Ph. D., M. A., D. Lit., M. A. first class

ये सारी जो इनटेलेक्चुअलीयों एज्युकेशनिस्ट कैरियर की जो योग्यताएं होती हैं, उस योग्यता वाले व्यक्ति के चयन का उसको इवेल्यूमेट करने का एक ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट जो भूल चूक से कहीं किसी कारण से भारतीय प्रशासनिक सेवा में जो अधिकारी आ गया है, उस चयन समिति का आपने उसको सदस्य बनाया है।

(श्री कैलाश मेघवाल)

और इसलिए मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया है और इस संशोधन की भावना को स्वीकार करना पडेगा। मैं चाहता हूं कि यह जो आप का शिक्षा सचिव जो चयन समिति का एक सदस्य बन कर बैठेगा वह 36 चयन समिति में बैठने की पात्रता रखता हो यह आपकी कल्पना हो सकती है, मेरी यह स्पष्ट कल्पना है कि यह पात्रता उसकी नहीं हो सकती। वह सिम्पली ग्रेज्यूएट मिनिमम क्वालिफिकेशन का आदमी होता है और उसके लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि साईन्स के किसी विषय में या किसी एडवांस रिसर्च कैमिस्ट्री या फिजिक्स के विषय की ओर उसमें आज का ग्रेज्यूएशन किया हुआ आपका आई. ए. एस. अधिकारी है शिक्षा सचिव, उसको पता ही नहीं चलेगा कि वाट आर दी नैसेसिटिज आफ दिस। तो इसलिए मेरा निवेदन करना है कि जिस पोस्ट के लिए आप चयन समिति बनाते हैं उसमें सिण्डीकेट के अन्दर शिक्षा शास्त्री रहते हैं और शिक्षा शास्त्री के रूप में सिण्डीकेट में उन्हीं लोगों को मनोनीत किया जाता है जो स्वयं ब्रिलियंट एकेडेमिक कैरियर के रहे हों, जिनको देश के और प्रान्त के शिक्षा क्षेत्र में कुछ मौलिक कण्ट्रीब्यूशन है, कुछ उनकी मौलिक सेवायें हैं। ऐसे शिक्षा शास्त्री को आप शिक्षा सचिव और निदेशक कालेज शिक्षा के अलावा उसको लीजिए। उसमें आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए और इसलिए एतराज नहीं होना चाहिए कि कोई रेशनल तो होना चाहिए आखिर चयन समिति का। आप विशेषज्ञ बुलाते हैं, ठीक है। आप आचार्य, उपाचार्य, इनकी जो चयन समिति बना रहे हैं यह अप्रत्यक्ष रूप से, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो खतरा मुझे दिख रहा है यह धीरे 2 विश्व-विद्यालय एजुकेशन डिपार्टमेंट बनते जा रहे हैं, हर जगह। आप देखिये कि कैसे आन्तरिक व्यवस्था में, वह 11 की धारा अभी बाकी है उसमें मेरा एक संशोधन है शिक्षा सचिव की उस आन्तरिक व्यवस्था में पद तय हो गए, कितने प्रमोशन होंगे उस फैकल्टी में और उस फैकल्टी में किस किस विषय के लिए तय किया जाय कि किस विषय के लिए ये पद दिये जावें उस चयन की प्रक्रिया में, जो बिल्कुल विश्वविद्यालय की आन्तरिक प्रक्रिया है, बिल्कुल आन्तरिक। आन्तरिक में इसलिए कहता हूँ कि सरकार का काम खत्म हो गया। सरकार के साथ बैठे, बैठने के बाद जिस फैकल्टी में इतने पद कैडर बाहर हैं, प्रमोशन के लिए, पदोन्नति के लिए निर्धारित किये जाते हैं, यह काम खत्म हो गया। लेकिन कैडर बाहर जो पद निर्धारित होंगे उसके बाद उस फैकल्टी में किस विषय में किस विषय को पदोन्नति का लाभ दिया जावे यह तय करने के लिए आपने शिक्षा सचिव को रखा है। आखिर मुझे समझाइये आप कुछ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा पूछना चाहता हूँ माननीय प्रभारी मंत्रीजी से कि वह जो आन्तरिक विश्वविद्यालय की अपनी प्रक्रिया है, उसमें भी आपने शिक्षा सचिव को बिठा दिया। आखिर कहां तक ले जाना चाहते हैं। सरकार को सारे अधिकार दे दीजिए सारे तीनों विश्वविद्यालयों के। आज जितने महाविद्यालय एजुकेशन डिपार्टमेंट चला रहा है, तीनों विश्व विद्यालय उनसे बहुत ज्यादा हैं। इतने महाविद्यालय आप चला रहे हैं। इनको भी एक महाविद्यालय की

(श्री कैलाश मेघवाल)

परिभाषा देकर सारी यह कल्पना खत्म कीजिए। आखिर धीरे 2 जो आप इस तरफ बढ़ रहे हैं, जो लाइन आपने अपनाई है। जिस तरह से आप राज्य सरकार का और शिक्षा सचिव का हस्तक्षेप बढ़ाते चले जा रहे हैं, उसमें ऐसा लगता है कि इन विश्व-विद्यालयों को सरकार का एक विभाग बना करके उसको छोड़ देना चाहते हैं। हर कदम पर सरकार की तरफ देखें। विश्व विद्यालय अपने काम के लिए सरकार की तरफ देखे और इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, मैं कहता हूं कि शिक्षा सचिव की जो स्थिति है, चयन समिति में तो उसको निश्चित रूप से हटा दीजिए। चयन समिति में बैठने का पात्र जहां पर हम आचार्य, पोस्ट ग्रेज्यूएट कालेज के आचार्य को, ब्रिलियेंट एकेडेमिक कैरियर, आउटस्टेंडिंग पब्लिकेशन्स वाले को एवेल्यूएट करना चाहते हैं, वहां सिवाय सरकारी सिफारिश करने के यह शिक्षा सचिव कुछ नहीं करेगा। और ऐसा हो चुका है, माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, उस उदाहरण की जानकारी माननीय प्रभारी मंत्री जी को भी है यह आर्डिनेंस आया। इस आर्डिनेंस के बाद यूनिवर्सिटी आफ राजस्थान ने कामर्स फैकल्टी में डिटरमिनेशन हो गया कि कामर्स फैकल्टी में इतने पद पदोन्नति के लिए सृजित किये जाते हैं और यह डिटरमिनेशन होने के बाद, माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें कि कामर्स फैकल्टी का सबसे सीनियरमोस्ट एक लैक्चरार था, जिसको कि वहां पर पदोन्नति मिलनी चाहिए थी, उस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को वह पद नहीं दे करके शिक्षा शास्त्री के दबाव से, उधर शिक्षा शास्त्री, इधर एजूकेशन सेक्रेट्री, इधर आपका रजिस्ट्रार आई. ए. एस. का दोनों ने दबाव देकर और एक को पक्षपात करने के लिए एकाउण्टेंसी में जहां कि सबसे जूनियर आदमी प्रमोट होने की स्थिति में था उस एकाउण्टेंसी में आपने उस पद को दे दिया। ये झगड़े अभी से चालू हो गए हैं और यह झगड़े बन्द करने के लिए, उसकी भी नीति निर्धारित कीजिए कि किस हिसाब से आप देना चाहते हैं। जो फैकल्टी में अलग 2 विषय हैं उसमें फैकल्टी का सीनियर मोस्ट आदमी जो कि विभिन्न सब्जेक्ट हैं उस फैकल्टी के, उसमें सीनियर मोस्ट आदमी है उसको सबसे पहले प्रमोशन मिले ऐसी व्यवस्था कीजिए और ऐसे शिक्षा सचिव को जो सिफारिशों के आधार पर वहां काम करेंगे जिनकी केवल अपना स्वार्थ पूरे करने की इच्छा होगी, जिनकी कोई कल्पना नहीं है इस देश में कि शिक्षा को किधर ले जाना है, इन शिक्षा सचिवों को आप दोनों जगहों से हटा दीजिए। मैंने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा है, मैंने एक मौलिक प्रस्ताव रखा है कि जो शिक्षा शास्त्री जिसको आप सिण्डीकेट में जिसको आप बोर्ड कहते हैं, सुप्रीम बोडी आपने बना रखी है, सुप्रीम एक्जीक्यूटिव बोडी आफ दी यूनिवर्सिटी जिसको आपके वाईस चांसलर ने आपकी राय से शिक्षा शास्त्री मनोनीत किया है, उस शिक्षा शास्त्री को रखिये। शायद वह शिक्षा शास्त्री आपके शिक्षा के वाहन को, इस शिक्षा जगत को कुछ मौलिक कण्ट्रीब्यूशन देगा, इसको आगे बढ़ाने में आपको सहयोग देगा, मेरा यही निवेदन है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

(152)

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मंत्रीजी संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री बुलाकी दास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, पहले मैं आपकी अनुमति से इनका रिप्लाई दे दूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप संशोधन प्रस्तुत करेंगे, उस पर चर्चा होगी उसकी रिप्लाई कौन देगा फिर।

श्री बुलाकी दास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं खण्ड 15 के लिए निम्नलिखित संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :—

प्रवर समिति द्वारा यथा संशोधित विधेयक के खण्ड 15 द्वारा यथा अन्तःस्थापित द्वितीय अनुसूची में,

(i) क्रम सं. 1 के सामने के स्तंभ 2 के नीचे की प्रविष्टि (II) को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात :—

(ii) प्रति वर्ष कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम से नाम निर्देशित किया जाने वाला सबंधित विभाग का एक प्राचार्य या जहां उस विभाग में प्राचार्य का कोई पद नहीं हो या यदि समुचित कारण से प्राचार्य उपलब्ध नहीं हो वहां नीचे पद (iii) मे अधिकथित रीति से नाम-निर्देशित एक विषय-विशेषज्ञ तथा

(2) क्रम सं. के सामने के स्तम्भ 2 के नीचे की प्रविष्टि (ii) को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात :—

(ii) प्रतिवर्ष कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम से नाम निर्देशित किया जाने वाला, सम्बन्धित विभाग का एक प्राचार्य या जहां उस विभाग में प्राचार्य का कोई पद नहीं हो या समुचित कारण से प्राचार्य उपलब्ध नहीं हो वहां क्रम सं. 1 के सामने के स्तम्भ 2 के नीचे की प्रविष्टि (iii) में अधिकथित रीति से नाम-निर्देशित किया जाने वाला एक विषय-विशेषज्ञ।

श्री अध्यक्ष : कोई माननीय सदस्य इस पर चर्चा करना चाहेंगे।

श्री कैलाश मेघवाल : आप समझ सके क्या कि इन्होंने क्या संशोधन रखा है?

श्री अध्यक्ष : इसलिए मैं तो चर्चा करने की स्थिति में हूं नहीं।

श्री कैलाश मेघवाल : यदि आप ही नहीं हैं तो हम क्या करेंगे? मालुम तो हो कि क्या संशोधन है?

(व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, प्रवर समिति ने....

श्री महावीर प्रसाद जैन : हम समझे ही नहीं तो क्या बोलेंगे। इसकी कापी दीजिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप जो संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं उसकी कापी हमको मिलनी चाहिए।

श्री बुलाकी दास कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, कापी वितरित कर दी गई है।

श्री माधूसिंह : आॅन ए पोइन्ट आफ आर्डर ! मैं यह पोइन्ट रेज करना चाहता हूँ कि जिस समय कोई संशोधन हाऊस में लाया जाता है तो उसकी कापियां भी माननीय सदस्यों को वितरित की जाती हैं ताकि वह पढ सकें ।

श्री सूर्य कुमार : कापियां वितरित हो गई हैं ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कहीं भी वितरित नहीं हुई, आपको दे गए होंगे । हमको तो नहीं दी है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, इसीलिए पढ़ कर सुना दिया मंत्रीजी ने ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : संशोधन की कापियां हमें मिल जावें ।

श्री बुलाकी दास कल्ला : हमने जो परिवर्तन किए थे उसके परिणामस्वरूप रीडर जो पेज 13 में दिया हुआ है....

श्रीमती उजला अरोड़ा : सचिवालय से कह दें कि वह वितरित कर दें कापियां ।

श्री बुलाकी दास कल्ला : यह संशोधन करना आवश्यक था क्योंकि उसमें द्वितीय अनुसूची के तीसरे भाग में हमने जो परिवर्तन किया उसके परिणामस्वरूप यह परिवर्तन हम लाये हैं अर्थात् :

One subject expert from a University in Rajasthan, not being the University concerned or, in the case of the non-availability of such an expert, an expert from outside Rajasthan to be nominated by the State Government.

इस परिवर्तन के कारण आगे की अनुसूची में इसी प्रकार का परिवर्तन करना जरूरी था । इस संदर्भ में मैंने यह संशोधन पेश किया है ।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रवर समिति ने जो ओब्जेक्शन लिया इस चीज का....

(5.00 म. प.)

श्री अध्यक्ष : मेरा इसमें विनम्र सुझाव यह है कि जो संशोधन वगैरह आये हैं, किसी न किसी रूप में इस विधेयक को पारित कर देते हैं तो एक चीज सामने आ जायेगी, उसके बाद त्रुटियां आयेंगी तो राज्य सरकार फिर संशोधन ला सकती है । मुझे डर लगता है कि यह यों का यों ही रह जायेगा, यह मैं आपको निवेदन कर दूं । कोई ढांचा तो खड़ा हो ।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

बैठक का समय सदन की अनुमति से एक घण्टे के लिए बढ़ाया गया ।

राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1984 खण्डशः विचार

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सारी चीज क्लीयर हो जायेगी। प्रवर समिति ने क्या कोग्नीजेंस लिया, यदि सभी माननीय सदस्यों को मालूम पड़ जाय तो मैं समझता हूं कि सारी चीजें सामने आ जाएंगी। अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन दिये हैं, मैं प्रवर समिति के सदस्य के रूप में सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि इसके पीछे जो मंशा है उसको समझना बहुत आवश्यक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं परिचित हैं कि विश्वविद्यालय के अध्यापक राज्य सरकार से यह कहते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय के उपकुलपति बाहर से लोगों को सलेक्ट कर देते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस सम्भाग से आप आते हैं, आप तो स्वयं लम्बे समय तक शिक्षा मन्त्री रहे हैं, विश्वविद्यालय से सम्बन्धित रहे हैं। इस राजस्थान में ऐसे उपकुलपति महोदय आगये जिन्होंने, राजस्थान में काम करने वाले जितने लेक्चरार थे जब भी अपोरचुनिटी मिली रीडर या प्रोफेसर की पोस्ट पर प्रमोशन या सलेक्शन की तो अगर 10 पोस्टें थीं तो उनमें से 8 या 9 आदमी राजस्थान से बाहर काम करने वाले यहां पर रीडर या प्रोफेसर बन गये। यहां की यह स्थिति जोधपुर विश्वविद्यालय में बनी, उदयपुर विश्वविद्यालय में बनी और राजस्थान विश्वविद्यालय में बनी और राजस्थान के काम करने वाले अध्यापक जो 18 साल का अनुभव रखते थे केवल मात्र रीडर इसलिए नहीं बन सके कि सलेक्शन कमेटी के अन्दर वाईस चांसलर अपनी इच्छानुसार एक्सपर्ट बुलाता और वी. सी. और एक्सपर्ट मिल कर सलेक्शन में बाहर के आदमियों को, जो राजस्थान के बाहर यू. पी. या दूसरी जगह के थे वे यहां आकर प्रोफेसर और रीडर बन गये। इस चीज को रोकने के लिए, अध्यक्ष महोदय, प्रवर समिति ने कोग्नीजेंस लिया कि आवश्यकता इस बात की है कि यदि इस सलेक्शन कमेटी में अगर हम ऐजुकेशन कमिश्नर और एक्सपर्ट जो गवर्नमेंट से नोमीनेट होने वाला आदमी नहीं रखेंगे तो स्थितियां ऐसी बन सकती हैं कि जो प्रमोशन के चांसेज, जो स्टेग्नेंसी टीचर्स की उसको दूर करने के लिए बनानी चाहिये वह भी ठीक नहीं हो सकेगी इसको दृष्टिगत रखते हुए शिड्यूल I और 2 में इस बात को ध्यान में रख कर यह परिवर्तन किया गया। इसके पीछे स्वायत्तता में परिवर्तन करने की कोई इच्छा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय कैलाश जी को याद होगा कि एजुकेशन कमिश्नर सिंडीकेट का मेम्बर होता है, वह खुद सिंडीकेट का पार्ट एण्ड पार्सल है, इसलिए उसकी स्वायत्तता में कहीं दखल आता है। इसलिए इसको काउण्टर चैक करने के लिए यह आवश्यक है कि इसी तरह की व्यवस्था की जाय।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय बहस का उत्तर दें। संक्षेप में।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने द्वितीय अनुसूची में चयन समिति के बारे में कहा कि एजुकेशन सेक्रेटरी को लेना उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : वह पक्ष तो श्री जोशी जी ने बहुत अच्छी तरह समझा दिया है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इस सन्दर्भ में इतना ही कहना चाहूंगा कि एजूकेशन सेक्रेटरी स्वयं एमीनेंट एजूकेशनिस्ट हैं, होते हैं और उनका एक तरीके से चयन समिति में लिया जाना इसलिए भी उपयुक्त है कि वह स्वयं सिंडीकेट के और विश्वविद्यालय से सम्बन्धित सीनेट, सिंडीकेट के मेम्बर के रूप में रहते हैं और इसमें तो वाईस चांसलर, दो सबजेक्ट के एक्सपर्ट, प्रोफेसर, उनको भी शामिल किया गया है और सीनियरिटी-कम-मेरिट के आधार पर यह स्कीम लागू की गई है। इसमें सभी विभागों में समान रूप से पदों का वितरण हो। रूटा, उटा और जूटा जो टीचर्स एसोसियेशन हैं उन्होंने भी इस बात का एक तरीके से समर्थन किया था और मांग की थी कि एजूकेशनल सेक्रेटरी का होना निहायत उचित है। इसलिए माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्ताव पेश किया है उसको अस्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 15 में कैलाश मेघवाल ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 15 में प्रभारी मन्त्री ने जो संशोधन प्रस्तुत किये हैं उन्हें स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड 15 को संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 15 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 11 में माननीय मन्त्री महोदय संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं खण्ड 11 में निम्नलिखित संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

खण्ड 11 [1] प्रवर समिति द्वारा—

श्री अध्यक्ष : नहीं, इसमें आपने एक तो पहले पेश किया है। और एक अभी और कर रहे हैं।

श्री बी. डी. कल्ला : जी हां। खण्ड 11 [1] प्रवर समिति द्वारा यथा संशोधित विधेयक के खण्ड 11 द्वारा यथा अन्तःस्थापित धारा 11 की उपधारा [5] के खण्ड [ख] के नीचे के स्पष्टीकरण में शब्दों "तथा नियमित गठन के ठीक पूर्व तदर्थ या अस्थायी हैसियत में की गई सेवा भी" के स्थान पर शब्द "तथा किसी भी उक्त महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में नियमित चयन के ठीक पूर्व तदर्थ या अस्थायी हैसियत में की गई सेवा भी" प्रतिस्थापित किये जायें।"

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इस पर चर्चा करना चाहते हैं ? मन्त्री महोदय, उत्तर दीजिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : रिप्लाई देता हूं, अध्यक्ष महोदय!

श्री अध्यक्ष : नहीं, श्री सूर्यकुमार ने संशोधन प्रस्तुत किया है और कैलाश मेघवाल ने। उनका उत्तर दे दीजिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, नैनवा से आने वाले माननीय सदस्य ने उर्दू विषय का उदाहरण देकर सदन के सामने यह बात रखी कि जिस विषय में एक रीडर उपाचार्य एलिजीबल हो तो पहली जनवरी 1984 को जो पोस्ट हम क्रियेट करेंगे जिस पर से यह लागू होगा उसमें एक का एक तिहाई याने '33, उसमें उस व्यक्ति को प्रमोशन नहीं मिलेगा। मैंने इससे पूर्व....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! मुझे ऐसी सूचना मिली है कि आपने यह तो संशोधन प्रस्तुत कर दिया लेकिन प्रारम्भ में जो करना था वह किया या नहीं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : कर दिया है, अध्यक्ष महोदय, इसके पूर्व....

श्री अध्यक्ष : आप इसको नहीं, इसके पहले वाला, जो प्रारम्भ में पेश करने वाले थे, उसको दुबारा पढ़ दीजिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, खण्ड 11 के लिए मैं निम्न संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :--

खण्ड 11 [7] "प्रवर समिति द्वारा यथा संशोधित विधेयक के खण्ड 11 द्वारा यथा अन्तः स्थापित धारा 11 की उपधारा [13] के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात्:--

(14) इस धारा में अन्तर्विस्ट 'किसी बात के होते हुए भी, उपधारा [1] के अधीन सृजित पदों की संख्या के अतिरिक्त, यथास्थिति, आचार्य या उपाचार्य का कोई काडर बाह्य पद वहां भी सृजित किया जा सकेगा, जहां राज्य सरकार का इस बात से....

श्री अध्यक्ष : यह तो पहले हो चुका है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : समाधान हो कि ऐसा सृजन रुकावट के किसी आपवादिक रूप से कठोर मामले को आवृत करने के लिए आवश्यक है।

उक्त धारा की उपधारा [14] और [15] को उसकी उपधारा [15] और [16[के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाये। यह मैंने संशोधन प्रस्तुत किया है।

श्री अध्यक्ष : अब आप उत्तर दे दीजिए जो माननीय कैलाश मेघवाल और माननीय सूर्यकुमार ने जो संशोधन रखे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उन्होंने उर्दू विषय का उदाहरण देकर जो कहा था कि इस संशोधन के बावजूद भी स्टेग्नेंसी रह जायेगी। इन्हीं सुझावों को ध्यान में रखते हुए खण्ड 11 के संशोधन को मैंने प्रस्तुत किया है कि विश्वविद्यालय में किसी भी लेक्चरार को रीडर बनने में या रीडर को प्रोफेसर बनने से कोई भी स्टेग्नेंसी यदि आयेगी तो उस रुकावट को दूर करने के

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

लिए एक्स—केडर पोस्ट एक्स्ट्रा क्रियेट कर दी जायेगी। इस संशोधन के द्वारा मैं समझता हूं कि उनकी बात इस संशोधन के द्वारा पूरी हो जाती है। जहां तक अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन प्रस्तुत किया कि आरक्षण 16 प्रतिशत से 17 प्रतिशत शिड्यूल्ड कास्ट का होना चाहिए। इस सन्दर्भ में अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि अन्य जो सरकारी सेवायें हैं उनमें जो प्रावधान था उसी के अनुरूप इस बिल में आरक्षण की सुविधा जो शिड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं उनके लिए 16 प्रतिशत और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं उनको 12 प्रतिशत, जैसा अन्य सरकारी सेवाओं में प्रावधान है वैसा का वैसा प्रावधान इस बिल में किया गया है। इसलिए मैं समझता हूं कि कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

जहां तक आपने द्वितीय अनुसूची में शिक्षा शास्त्री के बारे में बताया है, उसका जवाब मैं दे चुका हूं। नाथद्वारा से आने वाले माननीय विधायक ने यहां पर लाइब्रेरियन और फिजीकल सुपरिंटेन्डेन्ट के लिए जो सुझाव दिये हैं उस सन्दर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह मुद्दा अलग है। इसको हम अलग से एग्जामिन कर लेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य और नेनवा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन पेश किये हैं उनको अस्वीकृत किया जाये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उनसे यह निवेदन तो कर दीजिये कि वे संशोधन प्रस्ताव वापिस लें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं, अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से निवेदन करूंगा कि वे अपने संशोधन प्रस्ताव वापिस ले लें।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं तो जवाब दे दूं, मैंने मूव किया था। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह मैंने नहीं पूछा कि दूसरी सेवाओं में क्या है। मैंने यह पूछा था कि दूसरी सेवाओं में भी है तो इसका रेशनल क्या है। सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है, गवर्नमेंट आफ राजस्थान यह जवाब दे रही है और मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि रेशनल यह है कि जनसंख्या का जो प्रतिशत है वही प्रतिशत सेवाओं में भी आरक्षण का होगा। अगर यह रेशनल है तो आज जो एक्ट बन रहा है उसमें 1981 की जनसंख्या के आधार पर 16 से 17 प्रतिशत करने में मैंने जो यह एप्लिकेशन आपकी सरकार का बनाया है, इसको करने में आपको क्या एतराज हो रहा है। यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह बताइये और इस रेशनल को यहां लागू क्यों नहीं किया गया?

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री सूर्यकुमार!

श्री सूर्यकुमार : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि राजस्थान सरकार ने मेरी भावनाओं के अनुरूप संशोधन अपनी ओर से प्रस्तुत कर दिया है इसलिए मैं आपकी

(श्री सूर्य कुमार)

अनुमति से अपने संशोधन प्रस्ताव को वापिस लेता हूं .....

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि श्री सूर्यकुमार को अपना संशोधन प्रस्ताव को वापिस लेने की इजाजत दी जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की अनुमति दी गई।

श्री सूर्यकुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने संशोधन प्रस्ताव को वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री कैलाश मेघवाल ने जो संशोधन प्रस्तुत किये हैं उन्हें स्वीकार किये जाय ?

श्री कैलाश मेघवाल : मैं केवल 16 से 17 प्रतिशत करने का ही अमेन्डमेन्ट पेश कर रहा हूं, यह स्पष्ट हो जाय। दूसरे मैंने पेश नहीं किये हैं....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 11 में श्री कैलाश मेघवाल ने जो संशोधन प्रस्तुत किये हैं उन्हें स्वीकार किया जाये ?

(ध्वनि मतदान)

श्री कैलाश मेघवाल : A yeshave it....

(व्यवधान)

आप बता दीजिये। आखिर क्यों एक पर्सेन्ट रेशनल लागू नहीं करना चाहते ? शिड्यूल्ड कास्ट के मामले में और बड़ी डींगें हांकते हैं कि हम तो शिड्यूल्ड कास्ट के बड़े हिमायती हैं....

श्री अध्यक्ष : दुबारा पूछ लेता हूं, सदन के सामने यह तथ्य आप पहली बार लाये हैं। एक-दो बार और लायेंगे तो हो जायेगा। दुबारा पूछता हूं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 11 में श्री कैलाश मेघवाल ने जो संशोधन प्रस्तुत किये हैं उन्हें स्वीकार किये जाय ?

(ध्वनि मतदान)

ना पक्ष जीता।

श्री कैलाश मेघवाल : A yeshave it....

श्री अध्यक्ष : ना पक्ष जीता। ना पक्ष जीता। संशोधन अस्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड 11 में प्रभारी मंत्री ने जो संशोधन प्रस्तुत किये हैं उन्हें स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड 11 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

खण्ड 11 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह कि खण्ड 16 स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 16 स्वीकार किया गया।

खण्ड 1 अधिनियमन् सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि इसमें कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन् सूत्र, प्रस्तावना व नाम आदि स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 अधिनियमन् सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किये गये।

प्रभारी-मंत्री, प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री बलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित राजस्थान विश्व विद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1984 यथा संशोधित को पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें ?

सुश्री पुष्पा।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, सलेक्ट कमेटी द्वारा संशोधित विधेयक पर जब यह सदन विचार कर रहा है तो इस मौके पर मैं आवश्यक समझती हूँ कि यूनिवर्सिटीज के उन इर्रेगुलेरिटीज की तरफ मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करूं जिनके हाथ से स्टूडेन्ट्स का मनोबल गिर रहा है, अध्यापकों का मनोबल गिर रहा है, यूनिवर्सिटीज का स्टेटस इस देश में गिर रहा है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान यूनिवर्सिटी में, जैसा कि मैं गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया के सरक्यूलर की तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगी, गवर्नमेण्ट ऑफ इंडिया का एक सरक्यूलर है कि जिनके पास फारेन सिटिजनशिप है, जिन्होंने अभी तक इण्डियन सिटिजनशिप ग्रहण नहीं की है, उनको सर्विस में नहीं रखा जाये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या इस सम्बन्ध में मैंने पूर्व में व्यवस्था दे दी है। मैं एक प्रश्न पूछता हूं। बहुत से भारतीय नागरिक हैं जो विदेशी विश्व विद्यालयों में अध्यापक नहीं हैं क्या ?

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैं जो बताने जा रही हूँ वह वाईस चांसलर के द्वारा चुनावे उनकी पत्नि भी....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, यह व्यक्तिगत आरोप है। माननीय सदस्या, इसके लिये अलग तरह के नियम है।...... इसमें यदि कोई दोष हो, विधेयक के अन्दर उसके बारे में, बिल के सिद्धान्त, इसके क्या उद्देश्य है और इन उद्देश्यों की प्राप्ति होगी या नहीं, और कोई कमी खामी रह गई हो उसकी ओर ध्यान आकर्षित करें।

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, कई ऐसे मौके आये हैं जब आपने हमारा मार्गदर्शन किया है कि उचित अवसर आवे तो उससे सम्बन्धित कोई बात कही जा सकती है। इसलिये मैंने यह उचित अवसर समझा कि यूनिवर्सिटी के बारे में विचार किया जा रहा है।....

श्री अध्यक्ष : यह उचित अवसर नहीं है।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि उस सदन को भी ज्ञात है, आपको भी ज्ञात है, जैन कान्फ्रेन्स बुलायी थी। फिर, अध्यक्ष महोदय, आप कहेंगे यह व्यक्तिगत है, लेकिन यह रिलेवेन्ट है। जैन कान्फ्रेन्स यदि किसी अच्छे मकसद से बुलायी गई होती तो जैन होने के नाते मैं वह पहली व्यक्ति होती जिसके लिये कि मैं वाईस-चांसलर और राजस्थान यूनिवर्सिटी की भी तारीफ करती। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है कि जैन कान्फ्रेन्स बुलाने का मकसद क्या था....

(5.20. म. प.)

(श्री सूर्य कुमार, सभापति, पदासीन)

वाइस चांसलर को चुनाचे अपनी लड़की को लन्दन में रिसर्च के लिये भेजना था लिहाजा सिर्फ उन्हीं की खातिर जैन कान्फ्रेन्स बुलाई गई। लन्दन से स्पेशल इन्वाइटी बुलाये गये। यही नहीं वाइस चांसलर महोदय ने अपनी सुपुत्री को राजस्थान यूनिवर्सिटी के खर्च पर एक स्पेशल इन्वाइटी करके बुलाया, मैं समझती हूँ, एक वाइस चान्सलर के लिए यह किसी तरह से उचित नहीं था। अध्यक्ष महोदय, जब फोरेन सिटीजनशिप लागू होते हुए सर्विस कर नहीं सकते तो रजिस्ट्रार, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने एक नोटिस दिया और उस नोटिस को श्रीमती दया कृष्णन्, और श्रीमती उन्नीथान को भेजा गया था। चुनाव में श्रीमती उन्नीथान, वाइस चान्सलर की पत्नी थीं लिहाजा उस रजिस्ट्रार को कोप भाजन बनना पड़ा वाइस चान्सलर का। उन्होंने कहा कि तुमने भेजा कैसे ? यही नहीं, उस सारे स्टाफ को जिन्होंने उस नोटिस को टाइप किया था या उस नोटिस को आगे सरकाने में मदद की थी उनको इधर उधर ट्रान्सफर कर दिया....

श्री बुलाकी दास कल्ला : सभापति महोदय, माननीय सदस्या विषयान्तर हो रही हैं इस बिल के बारे में एक भी शब्द अभी तक नहीं बोला है।

सुश्री पुष्पा जैन : मैं इजाजत से बोल रही हूँ, मंत्री महोदय। यह आपके लिए ही बोल रही हूँ। आप इनकी घोषणाओं में यूनिवर्सिटी का स्तर बढ़ा पायेंगे और आपका नाम रोशन होगा राजस्थान में, मैं आपकी मदद ही कर रही हूँ।

सभापति महोदय राजस्थान यूनिवर्सिटी की एक छात्रा है जो हायर सैकण्डरी में सैकिण्ड डिविजन आयी, और जो फर्स्ट ईयर आनर्स में सैकिण्ड डिविजन आयी, जिसके आनर्स में 1980 में मार्क्स आये 53.5 पर्सेन्ट। यह बड़े ताज्जुब की बात है कि 1981–82 में उसी लड़की को 70 पर्सेन्ट, 60.5 पर्सेन्ट मार्क्स मिले, वजह क्या थी ? वजह यह थी कि उस लड़की के पिता उस दौरान वाइस चान्सलर हो चुके थे। अध्यक्ष महो-

(सुश्री पुष्पा जैन)

दय, उस लड़की को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना था इसलिए सारी यूनिवर्सिटी के नियमों को ताक में रख कर एग्जामिनर को अपोइन्ट किया सिर्फ इसलिए कि उनकी सुपुत्री के फर्स्ट डिविजन आये। सभापति महोदय, वह सुपुत्री उनकी और कोई नहीं, श्रीमान् उन्नीथान की एक मात्र पुत्री माया उन्नीथान् थी। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहती हूँ....

श्री सभापति : माननीय सदस्या, बिना नोटिस के व्यक्तिगत आरोप नहीं लगायें। माननीय सदस्या ?

सुश्री पुष्पा जैन : मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि यदि छात्रों का स्तर बढ़ाना है, यदि आप चाहते हैं कि राजस्थान से इस देश में आप मेघावी छात्र दे सकें, यदि आप चाहते हैं कि उन अध्यापकों को जो कि राज्य का मार्गदर्शन कर सकें तो आपको चाहिए कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में जैसी इर्रेग्यूलरिटिज वर्ती जा रही है उनको दूर करें और जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ आप कार्यवाही करें ताकि दूसरों का मार्गदर्शन हो सके। धन्यवाद।

श्री सभापति : अन्य कोई सदस्य !

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं निवेदन करना चाहूँगा....

श्री सभापति : आपके अनुभवों का लाभ तो प्रवर समिति ले चुकी है।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, मेरा लाभ प्रवर समिति ने लिया तो हाऊस को भी ले लेने दीजिये।

श्री सभापति : मेरे ख्याल से यह उचित नहीं रहेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : उचित रहेगा।

श्री सभापति : मेरे ख्याल से उचित नहीं रहेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : समर्थन में बोलूंगा, उचित रहेगा। आप सुनेंगे तब पता लगेगा।

श्री सभापति : उचित रहेगा तो बोल लीजिये।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय,....

श्री हीरालाल देवपुरा : यह परम्परा रही है कि प्रवर समिति का सदस्य बोल नहीं सकता....

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : उसके समर्थन में बोलेंगे। आपको क्या पता....

श्री हीरालाल देवपुरा : यह परम्परा ही गलत है। आज तक परम्परा सदन में ऐसी नहीं रही है। आप नयी परम्परा डाल रहे हैं। सदन की परम्परा रही नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं इसके समर्थन

(श्री भंवर लाल शर्मा)

मैं बोल रहा हूँ, साहब मैं केवल यही कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय, कि जो कर्मचारी इस विश्वविद्यालय में अब तक कार्यरत थे, उनके प्रमोशन के चान्सेज आपने खोल दिये, लेकिन साथ में हैं ऐसे जो सारी शिक्षा के लोग हैं और पुस्तकालय में कार्य करने वाले जो अध्यापक हैं, उनके बारे में माननीय सदस्य ने एक प्रस्ताव रखा था, एक सुझाव रखा था परन्तु आपने कोई संतोषजनक बात नहीं कही। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि सारी शिक्षा के जो टीचर्स हैं, लाइब्रेरियन हैं, उनके बारे में आप यह तो आश्वासन दे दीजिये कि भविष्य में इसी प्रकार का कोई संशोधन या बिल आप लायेंगे, क्योंकि वे इसकी परव्यू में नहीं आते थे इसलिए इस में तो नहीं रखे जा सके, लेकिन उनकी भी समस्या वही है जो इन अध्यापकों की थी। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप उनके बारे में भी हमको आश्वस्त कर दीजिये कि उनके बारे में आप ऐसा कोई कानून लायेंगे या क्या करेंगे? इतना ही मुझे कहना है, विरोध कुछ भी नहीं है।

(5. 25 म. प.)

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। मंत्री महोदय का उत्तर।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, आमेर से आने वाली माननीय सदस्या ने बताया कि राजस्थान विश्वविद्यालय का शैक्षणिक स्तर पिछले सालों से घटा है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। अभी लोक सेवा आयोग ने अपने प्रतिवेदन में प्रथम दो विश्व-विद्यालयों में राजस्थान विश्वविद्यालय को ही दर्जा दिया है....

श्री अध्यक्ष : इसके मायने दूसरी विश्व-विद्यालयों में और ज्यादा घट गया होगा।

श्री बुलाकी दास कल्ला : मैं तो राजस्थान की बात कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, आपने राजस्थान की चर्चा की और राजस्थान के विश्वविद्यालय को पूरे देश के विश्वविद्यालयों में पहले दो विश्वविद्यालयों में से एक माना है। मैं समझता हूं कि यह विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्तर की श्रेष्ठता को दर्शाता है....

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह तो उसी तरह की पीठ थपथपाना है जैसे चुनाव के बारे में कल मैंने कहा था कि प्रथम संकल्प चुनाव का था वह तो कराया नहीं और दुनिया भर में ढिंढोरा पीट दिया कि हम 20 सूत्री कार्यक्रम के संकल्पों में सबसे आगे हैं। उसी तरह का आप ढिंढोरा पीट रहे हैं।

श्री बुलाकी दास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, लोक सेवा आयोग द्वारा....

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं कहना नहीं चाहती थी चूंकि भंवरलाल जी शर्मा ने बोल लिया इसलिये हम बोलते नहीं हैं। लेकिन आप ढिंढोरा मत पीटिये कि सबसे आगे हैं। हमने इस बारे में आपको तीन बार इंगित किया था। जितनी कमी रहती है उनको सुधारें। यह बात मानिये कि कमियां हैं, खामियां हैं।

श्री बुलाकी दास कल्ला : नियमित रूप से जो इवेल्यूएशन लोक सेवा आयोग जो इनडिपेन्डेंट एजेन्सी है, उसका प्रतिवेदन जो था उसके बारे में मैंने बताया और वह राजस्थान के एकेडेमिक स्टेण्डर्ड को दर्शाता है। इसी प्रकार से जैसा मैंने आपको पूर्व में सदन को बताया कि विश्वविद्यालय के प्रशासन में निरन्तर सुधार आया है। हमारा शैक्षणिक सत्र जो एक वर्ष पीछे चला गया था वह नियमित हुआ है और समय पर पी. एम. टी., पी. ई. सी. की परीक्षायें हमने करायी ताकि हमारे राजस्थान के विद्यार्थियों को यहां पर और राज्य के बाहर प्रवेश में सुविधायें मिल सकें।

इसी प्रकार से, अध्यक्ष महोदय, हवा महल से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अभी सुझाव दिये, इसी सन्दर्भ में मैं पूर्व में कह चुका हूं कि यह मसला अलग से हम एग्जामिन कर लेंगे और जो भी इस संबंध में निर्णय होगा वह आगे बता दिया जायेगा

मैं अध्यक्ष महोदय, संक्षेप में मैं एक ही मिनट में यह बात कहना चाहता हूं कि यह जो संशोधन सहित हमने बिल पेश किया है इसमें प्रत्येक लेक्चरार को और प्रत्येक रीडर को एक तरीके से कम से कम एक समय में एक प्रमोशन निश्चित रूप से मिलेगा और सेवा निवृति से पहले और जो लोग किसी कारण से रुक गये हैं, उनको 12 साल से अधिक का टीचिंग एक्सपीरियेंस है एज ए लेक्चरार और जिनको 10 साल से अधिक का रीडर के रूप में शैक्षणिक अनुभव है ऐसे लोगों को आगे कहीं भी कोई रुकावट आयेगी उनके लिए हमने व्यापक रूप से प्रावधान किये हैं कि ऐसे लोगों को भी पदोन्नति दी जायेगी। मैं समझता हूं कि इससे पूरे शैक्षणिक जगत को शिक्षा जगत को और अध्यापकों को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यथासंशोधित प्रस्तावों सहित इस बिल को पारित किया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा यथासंशोधित राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1984 को संशोधित रूप में पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक सर्व सम्मति से पारित किया गया।

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश 1984, परिनियत संकल्प

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन विधेयक, 1984) परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री कैलाश मेघवाल श्री गुलाब चंद कटारिया, डा. उजला अरोडा श्री नाथूसिंह।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर, पूर्व) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्न परिनियत संकल्प प्रस्तुत करता हूं :—

"यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 21 जुलाई, 1984 को प्रख्यापित राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 1984 (अध्यादेश सं. 7 सन् 1984 को अस्वीकार करता है।"

(श्री कैलाश मेघवाल)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सहकारिता राज्य मन्त्री जी का ध्यान सबसे पहले इस अध्यादेश के द्वारा जो इन्होंने प्रावधान किया है उसकी तरफ खींचना चाहूंगा :

"2. Insertion of section 65-A Rajasthan Act 13 of 1965–After section 65 of the Rajasthan Co-operative Societies Act, 1965 (Rajasthan Act 13 of 1965), the following new section shall be inserted, namely :--

"65–A. Interest not to exceed principal. Notwithstanding anything contained in any agreement or in any law for the time being in force, a society other than a Land Development Bank shall not charge by way of interest an amount exceeding that of the principal from a member taking Short-term Loan for a period not exceeding fifteen months or from a member initially taking such Short-term Loan but subsequently getting it converted into a Medium term Loan on account of any natural calamity. irrespective of whether the loan was or is given before or after the commencement of the Rajasthan Co–operative Societies (Amendment) Ordinance 1984. subject, however, that the amount of such Short–term Loan including such portion thereof as has been converted into a Medium–term Loan does not exceed Rs 2,000.00."

श्री अध्यक्ष : यह संशोधन और आर्डिनेन्स तो सभी माननीय सदस्यों ने पढ़ रखा है ।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको पढ़ने का मेरा एक विशेष प्रयोजन है और वह प्रयोजन यह है कि अब इसमें से कुछ मुद्दे उठाऊँगा । आखिर यह व्यर्थ है और अगर नहीं समझ में आता है तो किसी की राय ले लें । यह प्रावधान किया है । इसका क्या मन्तव्य है । बिल्कुल व्यर्थ है । कोई लाभ नहीं । सबने पढ़ा है लेकिन बार-बार पढ़ने से भी समझ ठीक हो जाती है । आपने भी माननीय अध्यक्ष महोदय, पूछा है, इसलिये मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कुछ सवाल पूछना चाहूंगा । पहला तो यह है कि 15 महीने से कम समय के लिए, शॉर्ट टर्म लोन लेने वाला व्यक्ति इसमें क्वालिफाई किया है । मैं आपके माध्यम से माननीय स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री से पूछना चाहूंगा, क्या शॉर्ट टर्म लोन 15 महीने की अवधि....

श्री श्रीराम गोटेवाला : स्वायत्त शासन से नहीं, मेरे से ही पूछ लें ।

श्री कैलाश मेघवाल: सहकारिता राज्य मन्त्री से पूछना चाहूंगा । क्या शॉर्ट टर्म लोन 6 महीने से ज्यादा की अवधि के लिए दिया जाता है, क्या ? क्योंकि आपने सीमा

(श्री कैलाश मेघवाल)

बांधी है और सीमा इसलिए बांधी है कि 15 महीने के लिए जो लें, उससे ज्यादा नहीं। 15 महीने से ज्यादा शॉर्ट टर्म लोन होता नहीं। 15 महीने का ही होता है शॉर्ट टर्म लोन। अल्पकालीन ऋण, यह अल्पकालीन ऋण फसली ऋण कहलाता है, इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सहकारिता मन्त्री से पूछना चाहता हूँ कि एक फसल पर दिया जाता है, फसल पकने पर वापस चुकारा हो जायेगा। 6 महीने का, और 6 महीने जब इसके पूरे हो जाते हैं तो ओवर ड्यू हो जाता है। जो ऋण 6 महीने के लिए दिया जाता है, 6 महीने के बाद जिसका नाम ओवर ड्यू हो जाये। मैं आपसे सीधा पूछना चाहता हूं कि 6 महीने के लिए जो ऋण हैं, क्योंकि 6 महीने तक 11·9 प्रतिशत तक बैंक ब्याज लिया जाता है वर्तमान नियमों के अनुसार और उस पर दो प्रतिशत अपनी सहकारी समिति जोड़ देती है इस तरह से 13·9 प्रतिशत ब्याज लिया जाता है 6 महीने तक और उसके बाद में, 6 महीने के बाद में ओवर ड्यू हो जाता है। ओवर ड्यू का मतलब 6 महीने से ज्यादा भी इसकी अवधि नहीं। उसके बाद उस अवधि में ओवर ड्यू इन्ट्रेस्ट एक प्रतिशत उस पर लागू हो जाता है और यह प्रतिशत इन्ट्रेस्ट 6 महीने का उसको दिया जाता है। अर्थात् 12 महीने। 12 महीने में भी अगर वह ओवर ड्यू से नहीं चुकाता है तो 3 महीने का ग्रेस मिल जाता है। इस तरह में 15 महीने तक 1 प्रतिशत ओवर ड्यू इन्ट्रेस्ट से भी ऋण चुकाया जा सकता है। 15 महीने के बाद उस पर पीनल इन्ट्रेस्ट लागू हो जाता है पीनल इन्ट्रेस्ट लागू हो जाने के बाद पांच साल पूरे हो जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पांच साल अगर पूरे हो जाते हैं तो पांच साल पूरे होते ही यह बैड डेब्ट में लिख दिया जाता है और जब यह बैड डेब्ट में लिख दिया जाता है तो आर. बी. आई. सारा पैसा रि-अम्बर्स कर देती है। जितना भी शॉर्ट टर्म लोन जो पांच साल में बैड डेब्ट में लिख दिया गया है उसको रिजर्व बैंक रि-अम्बर्स कर देता है।

अब एक दूसरी व्यवस्था आती है, इसको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि उसके बाद आज आंकड़ों के साथ सहकारिता मन्त्री जी यह बतायें कि इसका उद्देश्य यह था और इसमें यह हो सकता है। पांच साल हो जाने के बाद सहकारिता अधिनियम की धारा 117 और धारा 118 के तहत वसूली की कार्यवाही चालू हो जाती है। लीगल प्रोसिडिंग्स और लीगल प्रोसिडिंग्स किस लिए चलाना चाहते हैं तो मैं उनसे पूछ लूं कि इन्हीं के सहकारिता के अधिकारी ही चलाते हैं, वे करते हैं। पांच साल में बैड डेब्ट करते ही रिजर्व बैंक आफ इण्डिया रि-अम्बर्स करता है, रि-अम्बर्स करते ही सहकारिता अधिनियम के तहत इसकी वसूली चालू हो जाती है, उसकी लीगल प्रोसिडिंग्स साल भर चला लो, डेढ़ साल दो साल चला लो। एक लोन की लीगल प्रोसिडिंग्स जिसको वसूल कर लो वह सात साल से ज्यादा तो बढ़ती नहीं है। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सहकारिता मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप यह बता दीजिये कि पांच साल में यह जो ब्याज होता है, पांच साल में 14 प्रतिशत से लगाकर 700 से ज्यादा नहीं

(श्री कैलाश मेघवाल)

होता। 15 प्रतिशत से लेकर तो 1000, 1000 का फीगर मान लो आप, 1000 रुपया मान लो, किसी को कर्जा दिया है तो वह 15 प्रतिशत से पाँच साल में साढ़े सात सौ ब्याज होता है। 7 साल में 900 रु. से ज्यादा ब्याज नहीं होता और पेनल इन्ट्रेस्ट भी लगाते हैं तो 950 से ज्यादा माननीय अध्यक्ष महोदय, वह नहीं पहुँचता है। अब यह आर्डिनेन्स लाने का, चुनावों का मौका आया, चुनाव के वक्त दान दुपट का सिद्धान्त लागू कर रहे हैं वह किसी हालत में नहीं बन सकता। आप समझायें। मैं समझने को तैयार हूं पहली स्थिति।

अब अध्यक्ष महोदय, दूसरी स्थिति इसमें यह है कि मीडियम टर्म में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है अगर ..

(म. प. 5.35)

(श्री सूर्य कुमार, सभापति पदासीन)

सभापति को सम्बोधित करना पड़ेगा, ठीक रहेगा, माननीय सभापति महोदय, नेचुरल केलेमिटी के कारण अगर यह लोन मीडियम टर्म लोन में कन्वर्ट करते हैं तो नेचुरल केलेमिटी उसी फसल के वक्त की नहीं मानी जायेगी, चलो, दूसरी फसल की मान लो। एक साल की नेचुरल केलेमिटी में वह नहीं चुका पाता है तो उसको मीडिया टर्म लोन कहा जाता है। यह सभापति महोदय, मैं इसलिए स्पष्ट कर रहा हूँ कि मीडियम टर्म लोन में कन्वर्ट होते हीं एक प्रतिशत उसका ब्याज कम हो जाता है। दो साल तक वह मीडियम टर्म लोन के रूप में चुकाया जा सकता है अगर दो साल में भी यह लोन नहीं चुकता सभापति महोदय, जो शोर्ट टर्म जो मीडियम टर्म लोन में कन्वर्ट होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर दो साल तक वह ऋणी चुका नहीं पाता है तो उसके बाद यह लोन फिर कन्वर्टेड मीडियम टर्म लोन कहलाता है और यह कहलाने से और भी आर.बी.आई. ब्याज का पुनर्भरण करता है। री-अम्बर्स कर देती है। बैंक नहीं चल रहा है, बैंक में ब्याज नहीं आ रहा है। मीडियम टर्म लोन किसी कारण से कन्वर्ट हुआ था वह ऋणी नहीं दे पा रहा है। आर.बी.आई. आपको उस सारे ब्याज का पुनर्भरण करता है, रि-अम्बर्स करता है और सभापति महोदय, उसके बाद दो साल के बाद दो साल और गुजर जाते हैं। दो साल तक वह मीडियम टर्म कन्वर्टेड लोन कहलाता है। इस प्रकार चार साल में भी वह नहीं चुकाता है तो उस लोन को कन्वर्ट कर दिया जाता है, रीसेटिंग कर दिया जाता है जिसका नाम है मीडियम टर्म कन्वर्टेड रिप्लेसमेंट लोन। वह इस कारण करना पड़ता है कि आपको 40 प्रतिशत वसूली करके बताना पड़ता है। अगर वह नहीं करते हैं तो आपको आर.बी.आई. पैसा नहीं देगी। 40 प्रतिशत की मिनीमम वसूली करना आवश्यक है और माननीय सभापति महोदय, मीडियम टर्म कन्वर्टेड रिप्लेसमेंट लोन और मीडियम टर्म कन्वर्टेड लोन है इस सारे का ब्याज रिजर्व बैंक आफ इण्डिया देता है। जब ये पाँच साल पूरे हो जाते हैं तो मीडियम टर्म कन्वर्टेड लोन के, उसके बाद यह बैड डेब्ट में आ जाता है और उसमें आते ही लीगल प्रोसीडिंग्स 117 और 118 में चालू

(श्री कैलाश मेघवाल)

हो जाती है उसके लिए जितना समय आप लेना चाहें लीजिए लेकिन सामान्यतः साल 6 महीने में अगर वह प्रोसीडिंग्स खत्म हो जाती है तो सहकारिता राज्यमन्त्री जी, कैलकुलेट करके बताइये कि क्या इतनी ओवर ड्यू हो जाने के बाद जो 6 महीने का ऋण था वह सात साल हो जाने के बाद भी, माननीय सभापति महोदय, उसका व्याज आगे नहीं बनता, दूने से आगे कभी नहीं बनता। ये मुझे कैलकुलेट करके बता दें। मैं यह भी कहूंगा कि 17 जुलाई या 20 जुलाई को यह आर्डिनेन्स आपने जारी किया है। एक डिस्ट्रिक्ट के आंकड़े तो आप रखिये कि आपके इस आर्डिनेन्स से आपने क्या पाया? आगे मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, उन्होंने कहा कि दो हजार की लिमिट है। अफसोस की बात है, इसलिए अफसोस की बात है कि देने में, एक तरफ जब हम उद्योग को देते हैं, शहरी लोगों को देते हैं, सबसिडी देते हैं तो बहुत बड़ी रकम देने को तैयार हैं। यह किसानों का मसला है तो 2 हजार की लिमिट की है। शॉर्ट टर्म की लिमिट क्या है, आपको मालूम है, सभापति महोदय! माननीय सहकारिता राज्यमन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि राजस्थान में शॉर्ट टर्म लोन की लिमिट 4–5 हजार से ज्यादा कहीं नहीं है और 2 हजार और 4–5 हजार किस रूप में दिये जाते हैं वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वह इसलिए आवश्यक है कि हमको बतायें तो कि आखिर इस आर्डिनेन्स का उद्देश्य क्या है, माननीय सभापति महोदय! शॉर्ट फार्मर्स होते हैं। शॉर्ट फार्मर्स किसको कहते हैं? मैं इसलिए कहता हूं कि शॉर्ट फार्मर्स पर जो व्याज है वह व्याज चार या तीन परसेंट कम लगता है। शॉर्ट फार्मर्स वह कहलाता है जो पांच बीघे से कम जमीन का मालिक है और 5 बीघे से कम जमीन जिसके पास है वह लोन लेता है। उसको लोन जब देते हैं तो वह शॉर्ट फार्मर्स कहलाते हैं तो शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राईब्स के जितने लोग हैं और वे जब शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं तो यह भी शॉर्ट फार्मर्स की परिभाषा में एन्ट्री देते हैं। और ये शॉर्ट फार्मर्स की परिभाषा में आने के बाद इन लोगों से सामान्य व्याज से चार प्रतिशत या तीन प्रतिशत व्याज कम लिया जाता है। उसके बाद 5 बीघे से 15 बीघे जमीन जिसके पास है वह इस 2 हजार की सीमा से 1500 या 700 या जैसा वह लेता है तो यह शॉर्ट फार्मर्स जो हैं, इन शॉर्ट फार्मर्स के 6 महीने का लोन अगर दस साल तक भी ड्यू हो जाता है तो उसके व्याज की गणना कर लीजिए आप वह मूल धन के बराबर नहीं पहुंचती। अब 5 साल से 15 साल के बीच में जिसको आप वह ऋण देते हैं फार्मर कहलाता है और इस फार्मर के बाद नॉर्मल फार्मर जिसके पास 15 बीघे से ज्यादा जमीन है उसको नॉर्मल फार्मर मान करके साढ़े चार हजार रुपये तक की सीमा उसके लिए भी बंधी हुई है। 16 बीघा वाले सवा दो हजार का या ढाई हजार या साढ़े चार—साढ़े चार हजार तक की सीमा बंधी हुई है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की होल्डिंग को देखते हुए, राजस्थान की जमीन की स्थिति है उसको देखते हुए 15–20–25 बीघा एवरेज होल्डिंग कितने लोगों के पास है? उनके पास है क्या? क्या उन किसानों को इसका

(श्री कैलाश मेघवाल)

लाभ नहीं दे सकते थे जो आपने दो हजार की सीमा रखी, जैसे दो हजार में लाखों रुपये हो जायेंगे। कोई आपको रीम्बर्स एक पैसा नहीं होगा। इस दो हजार की सीमा से, इस आर्डिनेन्स से, एक आदमी को लाभान्वित आप नहीं कर सकते क्योंकि किसी का बनना ही नहीं है क्योंकि मैंने आपके सामने सारी स्थिति रखी है। मैं तो यह सोचता था कि सहकारिता राज्यमन्त्री जी आयेंगे, आर्डिनेन्स लाये हैं, आर्डिनेन्स दाम दुप्पट सुना तो अच्छा है। मैंने ये ऐक्सपेक्ट करा दाम दुप्पट का कि मूलधन से ज्यादा ब्याज नहीं होनी चाहिए लेकिन इस दाम दुप्पट के बजाय चुनावी चाल होने की वजह से केवल सस्ती राजनैतिक लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए, केवल एक भुलावा देने के लिए, बिना कोई लाभ देने वाला, निरर्थक व्यर्थ बिल्कुल फेंकने जैसा एक कागज लेकर आपने अखबारों मे प्रचारित किया। आपने वाहवाही लूटी और आज आप विधान सभा में भी विधान सभा का समय इसके लिए बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैंने जो बिन्दु रखे हैं उनका आप जवाब दीजिए। मैं चाहता था कि आप 117 और 118 में जो वसूली करते हैं, वसूली के जो दाम लगाते हैं उसकी ऋणी से वसूली करते हैं। माननीय सभापति महोदय, जरूरत किसको है मदद की। जरूरत उसको है जो बीमार है, जो ज्यादा बीमार है। जो व्यक्ति केवल 6 महीने के लिये ऋण लेकर के 5 साल या 6 साल तक नहीं चुका सका है वह व्यक्ति उससे 117 और 118 के तहत ऋण वसूली की कार्यवाही की जाती है, लीगल प्रोसीडिंग्स की जाती है। आप अंदाजा लगायें कि शॉर्ट फार्मर्स की या उन फार्मर्स जो 15 बीघे से कम की जिसकी मिल्कियत है, होल्डिंग है, उनकी क्या स्थिति होगी ? मैं चाहता था कि आप ये लाते कि 117 और 118 में खर्चा उससे वसूल किया जाता है। वसूली का, लीगल प्रोसीडिंग्स का और लीगल प्रोसीडिंग्स को सीकवेंसेज की वसूली की कुर्की करने में और सामान लाने ले जाने में जो खर्चा उससे लिया जाता है उसको माफ कर देते तो उसको लाभ हो सकता था। वो आपने माफ नहीं किया।

दूसरे, सारे राजस्थान में, माननीय सभापति महोदय, मुझे कहते हुए अफसोस और अफसोस इसलिये है कि श्रीरामजी गोटेवाला तो अपने आपको एक बहुत बड़ा स्वर्ण महाजन कहते हैं। इनके प्रभारी होते हुए राजस्थान में यन्त्रणा देने के दबाने के, अत्याचार करने के, मानवीय सारे मूल्यों को, मानवीय मान्यताओं को, सारी मानवीय परम्पराओं को ताक पर रख करके अमानुषिक तरीके से, क्रूरता से, यन्त्रणा के नये-नये माध्यम अपना करके, जिस तरह से आपके वक्त में ऋणों की वसूली इन शॉर्ट फार्मर्स से चालू हुई है और इस तरह के साधारण फार्मर्स से चालू हुई है वह राजस्थान के इतिहास में आज तक नहीं हुई। बड़े किसान को छूने की इनकी हिम्मत नहीं। छोटे 2 किसान, क्या उदाहरण दूं मैं आपको। उदाहरण इस बात का सामने आया है कि आपके कर्मचारी ने आटा पाया है तो आटा कुर्क करके ले आये, शक्कर पड़ी थी तो आपके कर्मचारी शक्कर कुर्क करके ले आये हैं। कहीं मुर्गा बनाया गया है, कहीं उनके ऊपर ठण्डा पानी डाला गया है,

(श्री कैलाश मेघवाल)

कहीं उनको धूप में खड़ा किया गया है। क्या-क्या तरीका अपनाया है, इस तरह के वर्णन अखबारों में पढ़ने को मिलते है और एक दो जगह तो मैं स्वयं गया था। वहाँ जो कुछ देखने को मिला उससे ऐसा लगता है कि सहकारिता विभाग ने अघोषित पुलिस विभाग के रूप में यन्त्रणा देने का, गरीब गाँव के काश्तकार को दुखी करने का एक माध्यम अपना लिया है, ये तो एक बात हुई माननीय सभापति महोदय। कोई लाभ नहीं होता और इसलिए अगर एक सिद्धान्त था। एक अच्छा सिद्धान्त है दाम दुप्पट का सिद्धान्त सहकारिता के क्षेत्र में होना चाहिये तो आपने लैंड डवलपमेंट बैंक को क्यों छोड़ दिया? आपने दो हजार से साढ़े चार हजार के बीच के किसानों को क्यों छोड़ दिया? कौनसा आसमान गिर जाता, कौनसा राज के खजाने में घाटा चला जाता? कौन सा ब्याज, वह होता नहीं, उसको भी मैं एकाउन्ट करके बता सकता हूँ। अगर सरकार ठीक ढंग से काम करे तो वह कहीं किसी भी रूप में, मूल धन से ब्याज आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं है लेकिन आपने उनको छोड़ दिया। मीडियम टर्म लोन में क्यों लेते हैं? लोग गाड़ी खरीदने के लिए, बैल खरीदने के लिए या कोई छोटा-मोटा काम करने के लिये, और कोई कुछ बलद खरीदने के लिए। मीडियम टर्म लोन आप 5 साल के लिए देते हो, उस 5 साल की माँग को बहुत थोड़े केसेज ऐसे होंगे, बहुत कम केसेज ऐसे होंगे जिनको आपको इस दाम दुप्पट की बात को इन्क्लूड करना चाहिये था वह आपने नहीं किया। लैंड डैवलपमेंट बैंक जो लॉग टर्म लोन देता है उस लॉग टर्म लोन में क्या है, माननीय सभापति महोदय 7 % या 8 % ब्याज लिया जाता है। ये 7 % या 8 % 15-15 साल तक भी अगर ड्यू हो जाय तो मूलधन से ब्याज कभी आगे नहीं बढ़ता। ये सारे राजस्थान की सहकारिता के आँकड़े हैं और इसलिए मैं चाहता हूं कि ये अध्यादेश निकालने के बाद आपने कितने लोगों को इसके द्वारा लाभान्वित किया है उनकी सूची आप दीजिए और नहीं दिया है तो इस अपराध के लिए आप इस सदन के सामने क्षमा माँगिये कि आपको कुछ जानकारी नहीं। आपने कुछ स्टडी नहीं की, आपने टेबुल पर बैठकर इन सारी चीजों को देखा नहीं और आप यहाँ पर बिल लेकर आ गये, ऑर्डिनेन्स जारी कर दिया। मुझे मालूम है, सभापति महोदय, कि इनका बहुमत है। हाँ और ना में वे बहुमत से जीत जायेंगे और गोटेवाला साहब प्रामाणिकता के साथ मेरे तर्कों का जवाब दे करके, मेरे तर्कों को मीट आउट करके, यह बताइये कि इस ऑर्डिनेन्स से राजस्थान में सहकारिता के ऋणी किसानों को इस तरह से लाभ है और नहीं है तो ये मेरा आरोप है कि ये शिगूफा फेंकने की आदत छोड़ो। शिगूफों के आधार पर राजस्थान वैसे ही डूबता चला जा रहा है और डूबता चला जायेगा। खुशी तो तब होती जब आप एक अध्यादेश लाते, अध्यादेश इस बात का लाते कि सहकारिता के क्षेत्र में जब वसूली के लिये लोग जाते हैं, अगर वह ऋणी अपनी देय राशि अगर किसी भी तरह का विवाद खड़ा कर देता है, आपका अध्यादेश यह होना चाहिये कि विवाद खड़ा होते ही तुरन्त वसूली को बन्द कर दिया जाना चाहिये लेकिन वह आप नहीं कर सकते। साफ तो यह है कि एडजस्टमेंट की ओर पैसा ला करके जमा नहीं करने की और पैसे

(श्री कैलाश मेघवाल)

नहीं दे करके झूठे शिगूफे की सारे राजस्थान में फैली हुई है और मैं, माननीय सभापति महोदय, आपसे पूछना चाहता हूं एक छोटी सी कल्पना आप कर लीजिये। आपने कभी कर्जा देखा नहीं, आपने कभी कर्ज लिया नहीं, आपके पास थोड़ी सी सम्पत्ति है, पांचेक बीघा जमीन है और एक रोज आपके घर में सहकारिता का कोई कारकून आकर खड़ा हो जाता है कि ये नीलामी की जायेगी, आप कहते हैं कि मैंने कर्जा नहीं लिया। नहीं लिखा हुआ है। हमको खुशी तब होती जब सदन इस बात को ताईद करता कि ऐसा विवाद खड़ा करने वाले ऋणों को, आप जब तक विवाद का फैसला नहीं हो जाता, वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती, वसूली बन्द करते। ऐसा कोई आर्डिनेन्स लाते तो राजस्थान की जनता को कोई लाभ दे सकता था। राजस्थान के सहकारिता के ऋणियों को कोई लाभ दे सकता था। ऐसी स्थिति आपने नहीं करके ये अध्यादेश जो लाये हैं, मैं सदन से निवेदन करता हूँ कि इस अध्यादेश को सदन में मतभेद के बावजूद राजस्थान के किसानों के हितों में आज राजस्थान की सरकार को बाध्य करने के लिये कि अगर यह सिद्धान्त लागू करना है तो यह सब किसानों पर लागू करो। कोई पहाड़ नहीं गिर जायगा, कोई आसमान नहीं गिर जायगा। बड़ा किसान जो होता है वह तो कर्ज लेता ही नहीं है, छोटे किसान ही लेते हैं। आप आज ट्रैक्टर लेने वाले को लाभ नहीं देना चाहते, आज आप गाड़ी का कर्जा लेने वाले को लाभ नहीं देना चाहते और जिसको लाभ देना चाहते हो उसको इससे कोई लाभ मिलेगा नहीं। इसलिए ऐसे आदेश को निरस्त किया जाय, यही मेरा परिनियत संकल्प के माध्यम से निवेदन है, सभापति महोदय।

श्री सभापति : माननीय श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : सभापति महोदय, कल्पना तो यह थी कि सहकारिता के माध्यम से हम इस राजस्थान की काया को बदलेंगे। लेकिन दुर्भाग्य यह हुआ कि सहकारिता के माध्यम से जहां हम उस गरीब किसान की मदद करना चाहते थे लेकिन दुर्भाग्य से कुछ समझदार लोगों ने उस गरीब के नाम से अपने आप को समृद्धिशाली बना लिया और उस गरीब के नाम से वह कर्जा लिखा रह गया। सभापति महोदय, आपने जो मजमे आम किया, इनके सारे आंकड़ों का जब आप इनका ठीक प्रकार से विभाजन करके अलग-अलग जब आप हिसाब से डालेंगे तो आपके ध्यान में यह सारी बातें आयेंगी कि सहकारिता के लोन के नाम से जो गड़बड़ियां हुई हैं, वह आपके ध्यान में आई हैं। सहकारिता के नाम पर ऐसे कई मामले आपके पास आये हैं कि किसी व्यक्ति ने लोन के कभी दर्शन नहीं किये लेकिन उसके अंगूठे से किसी व्यवस्थापक ने लोन उठा लिया। इसमें दो प्रकार के बेईमान निकले एक तो, उठा भी लिया और समय पर वापस जमा करा दिया। जिसके नाम से लिया उसको आज दिन तक पता नहीं कि मैंने कब लिया और कब जमा हो गया, वह ईमानदार चोर। कुछ चोर ऐसे भी निकले जिन्होंने झूठे अंगूठे लगाकर उनके नाम से लोन लिख दिया, आपकी जांच में कुछ ऐसे केसेज सिद्ध पाये गये। यह जानकारी होते हुए भी कि यह झूठे अंगूठे लगाये हैं, आपके जांच अधि-

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

कार्गी ने कह दिया कि इसकी जांच तो एक्सपर्ट करेगा, हम इसको नहीं कर सकते और इस कारण से किसान के द्वारा कही हुई बात को आपने माना नहीं, मेरी आप से प्रार्थना है कि जिस व्यक्ति ने इस प्रकार की शिकायत की कि उसका अंगूठा नहीं है, उसने अंगूठा लगाया नहीं और विशेषकर उदयपुर जिले की धरियावद तहसील में आपको ऐसे कई उदाहरण मिल जायेंगे। केवल आप पारपोला सोसाइटी का उदाहरण ले लीजिए। उस सोसाइटी में 13 साल के बच्चे के नाम से लोन है और 12 साल पुराना लोन है। समझ में नहीं आता कि किस तरह से आप उसके पिता के को चुकाने के लिए बेटे के नाम से नया ऋण लेकर बाप के खाते में जमा करते हैं और इधर से उधर ले आते हैं, यह जो व्यवस्थापकों की सारी गड़बड़ी है इसके कारण से लोगों को अत्यधिक परेशानी है।

श्री कमला बाई : गड़बड़ी करने वाले आपकी पार्टी के हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हमारी पार्टी के हों तो फांसी लटका दो, हमको कोई चिन्ता नहीं है। हम उसके कभी भी पक्षपाती नहीं रहेंगे।

श्री कमला बाई : सहकारिता में गड़बड़ी आपकी पार्टी के लोगों की है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हमारी पार्टी का नाम लेकर अपने XXX को बचाना चाहते हो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं आपको दावत देता हूं, आज राज आपका है, सारी शक्ति आपके पास है, और हमारे व्यक्ति ने किया तो कठोर से कठोर दण्ड, जो दे सकते हो दे दो। हम चाहेंगे कि भविष्य में और कोई व्यक्ति इस तरह की गल्ती नहीं करे। लेकिन केवल हमारी आड़ लेकर सारे XXX को पालने की आदत मत डालो। सारी की सारी XXX आपकी है।

श्री कमला बाई : उदयपुर से पधारने वाले माननीय सदस्य ने कहा सारी की सारी जमातें आपकी है। यह सारी गड़बड़ी करने वाले आपकी जनता पार्टी के लोग हैं, वही व्यवस्थापक हैं, वही सब कुछ हैं, करवाने वाले वही लोग हैं।

श्री सभापति : कृपया विराजें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यही नहीं, गोगुन्दा सहकारी समिति को ले लीजिए आप, पिछले तीन साल से गोगुन्दा सहकारी समिति में लोगों के नाम से उसने पैसा उठा लिया है। व्यवस्था और सैक्रेटरी—दोनों ने यह लिखकर दिया स्टाम्प के ऊपर कि हमने आपके नाम से, इन-इन नामों से वह यह ऋण लिये हैं, जिसको हम जमा करायेंगे, हमने यह उठाये है। उसके बाद भी उनके खिलाफ आज दिन तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई। जांच हो चुकी। आपका विभाग इस बात को मान चुका, उन्होंने यह लिखकर दे दिया कि, हां यह लोन हमने लिया है इन लोगों के नाम से, उसके बाद भी उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं हुई? आखिर किस कारण से नहीं कर पाते। फिर आप यह लाये हैं। बड़ा ढोल पीट रहे हैं कि मूल

XXX शब्द/अभिव्यक्तियां माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

से दूना ब्याज नहीं लेंगे। कौनसा निहाल कर रहे हो। यह तो आज दिन तक की परिपाटी रही है। आप गांव के किसी अनपढ़ व्यक्ति से भी पूछो तो वह अपनी कहावत में इस बात को कहेगा कि मूल से अधिक ब्याज कभी हुआ ही नहीं। लेकिन आप बड़े तहे दिल से कहते हैं कि दो हजार तक के लिए, जैसे बड़ा निहाल कर रहे हो। अगर आप उसकी तरफदारी वास्तव में करना चाहते हैं, वास्तव में उसका भला चाहते हैं तो सबके लिए करिए। जिन लोगों ने जितना भी लोन लिया है अगर उसके बराबर ब्याज आपने वसूल कर लिया है, या जितना कर लिया है उसके हिसाब से उसको राहत दो। यह दो हजार की सीमा लगाकर आपने कौनसा बड़ा काम कर लिया? आपके ब्याज के कारण से तो वह इतनी रकम जमा करा चुके हैं। कई बार तो दुर्भाग्यवश हालत यह है हमारे यहां कि व्यवस्थापक को पचास रुपये जमा कराये, जेब में रख लिए, कह दिया कि भाई तुम्हारी किस्त तो 100 रुपये की होती है, जब 50 रुपये और लाओगे तो रसीद देंगे और उन्होंने रसीद नहीं दी। ऐसे लोग, जिन्होंने इस प्रकार की शिकायत की....

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री श्रीराम गोटेवाला : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि सदन का समय इस बिल के पारित होने तक बढ़ा दिया जाये।

श्री सभापति : सदन की अनुमति से सदन की बैठक का समय विचाराधीन विधेयक के पारित होने तक बढ़ाया जाता है।

राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 1984

परिनियत संकल्प पर अग्रेतर विचार

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सभापति महोदय, ऐसे केसेज आपको कई मिल जायेंगे जहां लोगों ने, मान लो, दो हजार का कर्जा लिया तो टुकड़ों टुकड़ों में जो रकम जमा कराई वह शायद दो हजार छोड़ कर पांच हजार हो गयी। उसके बाद भी चूंकि उनको रसीद नहीं दी गयी, वह लोग पढ़े-लिखे नहीं हैं, न कभी उन्होंने हिसाब रखा। इस कारण से आपको केवल उदयपुर जिले के बाई और ऊंदरी गांव के लोगों ने वहां रसीदें दिखाई, जिन रसीदों के आधार पर उन्होंने यह माना कि इन्होंने रुपये जमा करा दिये। लेकिन उन रसीदों के आधार पर आपके रिकार्ड में कहीं जमा नहीं हैं। लोगों ने फर्जी रसीद-बुक बनाकर लोगों के पैसे जमा कराकर आदिवासियों को रसीदें दे दीं, जिनकी अखबारों में फोटो आयी। वह रसीदें वहां के सारे अधिकारियों को पेश कीं कि हमारे पास यह रसीदें हैं। आपने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की? अगर आप वास्तव में चाहते हैं, सहकारिता के माध्यम से तरक्की की जा सकती है, इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन इस सहकारिता की दुर्गति की है। इस सहकारिता को कुछ लोगों ने अपना धन्धा समझ लिया, अपनी अक्ल का और इसके आधार पर उन गरीब लोगों की ठगाई होकर उनके साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

यही नहीं, श्रीमन्, वसूली तो सबसे होती है, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता कि उस छोटे सामान्य व्यक्ति की 500 रुपये की वसूली के लिए मुर्गा बनाकर बीस किलो का भाटा उस पर रखकर तो उससे आप वसूली कर सकते हो। आप यह भी बतायें कि क्या यह भी सच है कि उदयपुर जिले में वसूली के लिए व्यक्ति को नंगा करके गाड़ी के आगे दौड़ाया ? क्या आपको यह भी पता है कि वसूली के लिए उदयपुर के कई किसानों को आपने कांटों पर फेंक दिया। कांटों पर फेंककर उनसे वसूलियां कीं ? क्या यही तरीका है ? किसी बनिये ने किसी महाजन ने भी इस ढंग से जुल्म नहीं किया होगा वसूली के मामले में। हजार में से एक आध ने किया होगा तो उतने ही जूते उसको वापस लगे होंगे। लेकिन आपके कर्मचारी, आपके अधिकारी XXX वसूलियां करिये। वसूलियां करने का आपका अधिकार है। उसको करने का तरीका है, लेकिन फिजिकली पनिशमैण्ट नहीं दे सकते किसी भी व्यक्ति को टॉर्चर नहीं कर सकते। आपके पास जो अधिकार हैं उनका उपयोग करें। मन्त्री महोदय, मैं आप से चाहूंगा कि आप जो यह अमैण्डमेंट लाये हैं इसमें सुधार करिये। आप इसमें एक प्रकार की व्यवस्था करिये कि उस किसान को जिसके पास खाने के बरतन नहीं हैं, पहनने के कपड़े नहीं है, जिसके मकान पर आज भी छप्पर नहीं है उस व्यक्ति से आप किस ढंग से वसूली करेंगे। अगर आपको लगता है कि हम इसमें किसी प्रकार की राहत पहुंचा सकते हैं, किसी प्रकार उनकी मदद कर सकते हैं, उसके आधार पर अगर आप करेंगे, मैं इस परिनियत संकल्प के द्वारा इसको अस्वीकार करने के लिए आपसे निवेदन करूंगा, आप इस प्रकार का रूप बना करके कि जिससे कोऑपरेटिव सोसाइटीज से जिन लोगों ने भी कर्जा लिया है उनके साथ न्याय हो सके, इन्साफियत हो सके, और उनकी जो भी वाजिब मांगें हैं उसका ठीक पता लगाकर ऐसे दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। केवल उनकी वसूली समाप्त हो गई या उनका लोन खत्म कर दिया यही नहीं है, अगर आपको पता लग गया, कि फर्जी लोगों ने इस तरह से किया है तो जिन लोगों ने किया है उनके खिलाफ आप मुकदमा दर्ज करिये, उनके खिलाफ 10–20 केस बनाइये, जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटनायें नहीं हों। यही कहकर मैं यह परिनियत संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 21 जुलाई, 1984 को प्रख्यापित राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 1984 (अध्यादेश संख्या 7, सन् 1984) को अस्वीकार करता है।

श्री सभापति : माननीय श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला 'अरोड़ा' (जयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदय, मैं यह परिनियत संकल्प प्रस्तुत करती हूं :

"यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 21 जुलाई, 1984 को प्रख्यापित राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 1984 (अध्यादेश संख्या 7, सन् 1984) को अस्वीकार करता है। सहकारिता की बात इस उद्देश्य को लेकर

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(175)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

की गई थी कि कुछ लोग मिलकर के, एक साथ सहयोग करके किसी काम को शुरू करें और उससे अन्य लोगों को कुछ लाभ हो। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इसलिए मैं अस्वीकार करने के लिए बात कर रही हूं, मैं अभी कुछ दिन पहले गुजरात गई थी, गुजरात में सहकारिता आन्दोलन इतनी अच्छी प्रगति पर है, उसकी तारीफ करनी चाहिए और उतना ही राजस्थान में फैल रहा है और फैल इसलिए रहा है कि जो इसके अन्तर्गत, इसका नियन्त्रण जिन्हें करना चाहिए था कि कहीं गलती न हो जाय, वही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गये, सारे सहकारिता आन्दोलन का सत्यानाश करके रख दिया। मैं कहना चाहूंगी कि आप मंत्री महोदय जिस तरह से यहां पर संशोधन लेकर आये हैं, सम्पूर्ण रूप से सहकारिता में आप देखते हैं आप सोशल वर्कर रहे हैं तो आपको यह देखना चाहिये था कि कहां-कहां गलती रही है। उसके पश्चात् सर्वांगीण संशोधन लेकर आते, बैठकर जो गलतियां कर रहे हैं उसको सुधारने के लिए कुछ काम किया होता तो इस सदन में मैं तारीफ करती लेकिन मैं अपने विषय पर बाद में बोलूंगी चूंकि यह असफल रहा है और सारे अधिकारी से लेकर मंत्री तक इन कामों में लिप्त हैं। इसलिए मैं परिनियत संकल्प को स्वीकार करने के लिए प्रस्ताव करती हूं।

श्री सभापति : श्री नाथूसिंह।

(अनुपस्थित)

माननीय प्रभारी मन्त्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्य मन्त्री, सहकारिता) : माननीय सभापति महोदय, अभी तीन सम्माननीय सदस्यों ने इसके ऊपर अपने विचार प्रकट किये हैं। अजमेर से आने वाले सभी माननीय सदस्य, श्री कैलाश जी मेघवाल ने कुछ पिन-पाइन्ट प्रश्न पूछे हैं, कटारिया साहब और श्रीमती उजला जी ने भी इसके बारे में अपने विचार प्रकट किये किये हैं, सुझाव भी अच्छे दिये हैं। मैं तो यह समझता था कि सहकारिता मन्त्री के रूप में राजस्थान के मुख्य मन्त्री, श्री शिव चरण जी माथुर ने यहां पर जिस दाम-दुपट के सिद्धान्त को लागू करने के लिए यह जो 1 जुलाई से आर्डिनेन्स लागू करके इसमें जो किसानों को राहत दी है, वह उसका केवल मात्र चुनाव का रूप नहीं देकर यह विशुद्ध रूप से इस बात के लिए कि हमारे समाज का जो वीकर सेक्शन है, हमारे समाज का जो गरीब व्यक्ति है उसको राहत मिल सके, इसके लिए यह हम आर्डिनेन्स लेकर आये और आर्डिनेन्स लाकर इसकी व्यवस्था की। अभी माननीय सदस्य अजमेर से आने वाले पूछ रहे थे इस बात के बारे में कि कितने लोग लाभान्वित हुए ? मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि करीब 89 हजार 350 सदस्यों को इसके लिए हमने नोटिस दिये हैं कि इस तरह से दाम दुपट का सिद्धान्त लागू होगा जो मूलधन से ज्यादा ब्याज का जो असर पड़ेगा वह 89,350 व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा, उनको हमने नोटिस दिये हैं। अभी तक जो लोग लाभान्वित हुए हैं उन लोगों के बारे में बता रहा हूं 13 लाख 41 हजार रुपये का लाभ, उन लोगों को लाभ हो चुका है, वह रुपया उनके नाम से हटा दिया गया है, तो माननीय सदस्य जो यह कह रहे थे मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपनी भ्रान्ति दूर कर लें और कोई केवल मात्र चुनाव ही चुनाव

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

आशय नहीं है। हमारी पार्टी का, जिस पार्टी के हम सदस्य हैं और जो पार्टी यहां चुनाव जीत कर आई और अपने चुनाव घोषणा-पत्र में इस बात के बारे में उल्लेख किया था कि हमारी पार्टी देश के गरीब व्यक्ति और कम से कम दे . के प्रत्येक ऐसे परिवार को जिसके पास रोजगार के साधन नहीं हैं उनको 100 दिन का रोजगार अवश्य उपलब्ध करायेगी और हमने यह कहा था कि काम करने वाली सरकार को आप वोट दें। उसी के आधार पर यह बात शुरू की थी और उसी आधार को ध्यान में रख कर वीकर सैक्शन को राहत देने के लिए समाज के उस वर्ग को मैं तो यह उम्मीद करता था कि माननीय मेघवाल जी खुद सहकारिता मन्त्री थे उस समय वह खुद इस बात को लेकर आते, वह उस जमाने में छूट देते। आज तो मुझे अफसोस इस बात का है कि वह सदन के अन्दर यह बात भी कह गये कि इस इन्टरेस्ट का रुपया तो रिजर्व बैंक दे देगी, यह क्यों और क्या लाये हैं। मैं उनसे बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि इन्टरेस्ट का रुपया कहीं रिजर्व बैंक नहीं देती है, यह सारा स्टेट के फण्ड से दिया जायगा और उसके अनुसार ही इसकी व्यवस्थायें होंगी। दूसरी बात औरों ने भी कही है और मेघवाल जी ने भी कही है कि हमने आटा कुर्क कर लिया, दाल कुर्क कर ली, पता नहीं किन-किन बातों के बारे में कहा गया। कटारिया साहब ने भी इस बात के बारे में कहा है कि एक को नंगा दौड़ाया जीप के सामने। यह समाचार-पत्रों में भी खबर छपी थी लेकिन उस समय भी मैंने उसका खण्डन करवाया था और जिस समाचार-पत्र ने यह बात छापी थी उसी समाचार पत्र में खण्डन भी प्रकाशित हुआ है और यह निश्चित रूप से मैं उनसे फिर निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात के बारे में, मैं उदयपुर के गांवों में भी गया हूं, डूंगरपुर के गांवों में भी सभापति महोदय, मैं आपके साथ बून्दी भी गया हूं और मैंने आम मीटिंग के अन्दर लोगों से पूछा है कि जिन लोगों के खिलाफ ज्यादतियां हुई हों वह खड़े होकर बतायें। एक व्यक्ति भी कहीं पर आया नहीं। एक बार बून्दी के अन्दर जरूर एक ने कहा था कि साहब, आपके लड्डू आपने कुर्क कर लिए। मैने उसके बारे में जब अधिकारियों से उसके सामने पूछा और मैंने उनसे बात जाननी चाही तो वह श्रीमान् जी, जिनके रुपये के लड्डू कुर्क के बारे में कह रहे थे वह गायब थे और उन्होंने कहा कि साहब ऐसी कोई बात नहीं हुई, रुपया बाकी था। अब आप जानते हैं कि रुपया वसूल किया जाता है, रुपया लेते वक्त तो बड़ा मन में आनन्द होता है लेकिन देते वक्त मन में जरा तक़लीफ होती है, लेकिन जितना सारा, जितना बड़ा यह कार्य है और हम केवल....

श्री भंवरलाल शर्मा : मन्त्री महोदय जब आपने मजमे आम में यह बात पूछी थी उस वक्त पुलिस भी मजमे आम में थी या नहीं आस-पास ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरे साथ पुलिस-वुलिस रहती ही नहीं है। मैं तो खुद ही पुलिस और मेरा सब का काम अकेला ही कर लेता हूं....

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : आप खुद ही वह काम करते हैं, पुलिस का काम करते हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अब आप

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

विराजिये, आपको टाइम मिलेगा....अभी आप क्यों परेशान हो रहे हैं ? सभापति महोदय, मैं आपसे इस बारे में निवेदन कर रहा था, एक तो यहाँ....

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया शान्त रहें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : क्या परेशानी हो रही है, सभापति महोदय, यहां पर एक जनरल बात चल रही है कि सहकारिता में बड़ा भ्रष्टाचार है, सहकारिता के अन्दर सब कुछ भ्रष्टाचार में ही है। अभी सम्माननीय सदस्य कटारिया साहब ने यहां पर कहा कि फलां के फर्जी अंगूठे लगा लिये, उसका जमा नहीं हुआ। हमने मजमे-आम का आयोजन भी इन्हीं बातों के लिए किया है, वहीं पर हमको जितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं....

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसके पहले क्या शिकायतों का पता नहीं था।

श्री सभापति : कृपया बैठे-बैठे नहीं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसके पहले पता नहीं था क्या आपको ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : ऐसा है महावीर प्रसाद जी, मेरे को जिन-जिन बातों का पता था, उन्हीं बातों की जांच के लिए यह मजमे-आम के आयोजन करवाये गये। मैं तो उम्मीद करके चलता था कि सरकार ने जो कदम उठाये हैं, मेहरबानी करके अच्छे को तो अच्छा कहो, यह भी कहो कि साहब इतना तो कर लिया, थोड़ा और करलो और आगे बढ़ जाओ तो ज्यादा ठीक रहेगा। कभी तो XXX हमारी पीठ थप-थपाया करो........

यह कैसा सहकार है........

आप हमारे साथ सहकार ही नहीं करते हैं।

(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप अच्छा कभी करो तो कहे। आडिट रिपोर्ट पूरी बतलाती है, करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया, लाखों रुपयों का सरकार के इन रिपोर्टों के द्वारा चूना लगा दिया क्या मतलब निकला इससे ?

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला: आप विराजिये। आपके मन में तो चूना ही चूना लगाने की रहती है। ऐसा है कि आज से 400 वर्ष पहले तुलसीदास जो कह गये हैं–

"जाकी रही भावना जैसी।
प्रभू मूरत देखी तिन तैसी।"

(व्यवधान)

इसलिये आपके मन में तो यही बात हमेशा रहेगी। इन बातों के बारे में मैं आपसे कुछ कहना नहीं चाहता।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि 1960–61 से लेकर

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

198 -84 तक कुल अल्पकालीन ऋण 960 करोड़ रुपये का वितरित किया गया है और उस 960 करोड़ रुपये का ऋण वितरण के अन्दर टोटल जो हमारे पास शिकायतें जो मेजमें-आम में, कहते हैं, करोड़ों रुपया खर्च कर दिया, पता नहीं क्या-क्या चार्जेज लगाते हैं, कभी तो सच कहने की आदत डालें जो आपके लिये भी ठीक रहेगा और जिस सदन के आप सम्मानीय सदस्य हैं, जिस गरिमा को प्राप्त की है, उस गरिमा के साथ चलोगे तो लोग आपको ज्यादा पसन्द करेंगे। आप केवल मात्र सिप्पेबाजी, नारेबाजी के आधार पर........

(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : लोग क्या कहते हैं आपके लिये........

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप छोडो मेरे को, मेरे लिये क्या कहना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं यह तो अपना मापदण्ड तो जल्दी ही नजदीक आ रहा है, उस समय पता लग जायेगा उससे मत घबराओ आप। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि कुल 960 करोड़ में से केवल 6 करोड़ 46 लाख 66 हजार के बारे में हमारे पास आज तक विभिन्न स्थलों पर हमें शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उन सबका निपटारा करवा रहे हैं। अभी मेजमें आम के अन्दर काफी शिकायतों का निपटारा हुआ है और जिस प्रकार का आपने बताया और मेरे भी ध्यान में था, सरकार के ध्यान में था। मैं आज बधाई देना चाहता हूँ सरकारी विभाग के अधिकारियों को भी जिन्होंने सरकार की मन्शा का पालन करते हुये, वहां पर जो सारे हमारे मेजमे आम में आयोजन हुये, उन प्रशासनिक अधिकारियों ने अच्छा कार्य किया है। आज सहकारिता के इस घर को बड़ी मजबूत नींव के आधार के ऊपर हम रखना चाहते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिये निवेदन करूं 114 करोड़ रुपये का ऋण बांटा है। आप यह कहो कि आप साहब वसूली में सख्ती करते हो। तो मेरा विनम्रतापूर्वक चुनौती है, इस बात के बारे में आप एक भी एग्जाम्पिल हमें बतायें और यह आपका दायित्व था, आप बतायें। इस बात का सदन के सम्मानीय सदस्य हैं आप मुझसे कहते इस बात के बारे में, क्या ज्यादती हो रही है, क्या गरीबों को सताया जा रहा है, क्या गरीबों को तंग किया जा रहा है। फिर उसके बाद में एक्शन नहीं होता तब आप मेरे को इस बारे में आदेश देते कि भई हम आपकी जानकारी में लाये हैं, केवल मात्र समाचार पत्रों में छप जाय और समाचार पत्रों में छपने के बाद उसका जो खण्डन छपे उस खण्डन को आप पढ़े नहीं, मैंने उन समाचार पत्र के मालिक महोदय को भी व्यक्तिशः निवेदन किया कि आपने खबर छापी है इस खबर के बारे में तथ्य ये हैं कृपा करके इस तथ्य को भी आप छपवायें। उन्होंने कृपा पूर्वक उस तथ्य को छापा और आप उसको तो पढ़े नहीं और भाई एक ने कह दिया कि नंगा करके जीप के आगे दौड़ाया। हम भी जानते हैं जीप के आगे नंगा करके दौड़ाने से रुपया वसूल होता नहीं, रुपया तो वसूल वसूलो के

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

तरीके से ही होता है और हमसे इस सारी बात के बारे में कहा और मैं आपसे और निवेदन करना चाहता हूं, जो आप जमीन के बारे में, ऋण के बारे में कह रहे हैं, हमने कई केसेज के अन्दर छूट दी है जहां पर जमीनें कुर्क कर ली गयी थीं, हमने उसके बारे में फैसला किया है कि इसकी किश्तें कर दो। या आगे रुपया चुकाने की स्थिति में आयेगा तब यह रुपया चुका पायेगा। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सरकार 31 जुलाई को आर्डिनेन्स लेकर आई और मैं यहां पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और तीन माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये उनकी जो बातें थीं उनकी बातों का मैंने उत्तर दिया। आपने एक यह कहा है कि सबके ऊपर लागू कर दो और पी.एल.डी.बी. पर भी लागू कर दो। मैं बहुत विनम्रतापूर्वक इस बात के बारे में निवेदन करना चाहता हूं माननीय मेघवाल साहब को शायद ध्यान नहीं रहा हमारे स्माल फारमर्स की जो परिभाषा है उसमें पांच बीघा नहीं पांच एकड़ तक जमीन उसकी मानी गई है। और उस पांच एकड़ के अन्दर उसको ढाई सौ रुपया पर एकड़ के हिसाब से लोन देते हैं, साढ़े बारह सौ रुपया करीबन होता है और उस बारे में साढ़े सात सौ रुपया और मिला करके, क्योंकि हमारा दायित्व यह है कि जो बिल्कुल गरीब है, जो बिल्कुल वीकर सेक्शन का आदमी है उस आदमी को मदद करना चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैंने सदन के अन्दर इस बिल से लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या के बारे में और इससे अब तक कितना फायदा हो चुका है उसके बारे में मैंने अनुरोध किया और मेरा अनुरोध है माननीय सदस्यों ने जो यहां पर इसमें इस बिल को 6 जनों ने........

श्री कैलाश मेघवाल : बिल नहीं है, अध्यादेश को निरस्त करने का स्टेट्यूटरी मोशन मैंने मूव किया था

(व्यवधान)

और उन्होंने जवाब दिया इसका वापस पुनः मुझे जवाब देने का अधिकार है। उसके बाद ही रखेंगे प्रश्न....

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा कि उसे वापस लें।

श्री भंवरलाल शर्मा : हाथ जोड़ो।

श्री श्रीराम गोटेवाला : हमारा तो सिद्धान्त है, हाथ मिलाकर चलते है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सहकारिता मन्त्री जी को जो शिक्षा-दीक्षा है और जो समझ है उससे यह अन्दाजा लगता था कि वो क्या जवाब देंगे और वही जवाब दुर्भाग्य से उन्होंने दिया। माननीय सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, मैंने पूछा उसका जवाब नहीं दिया, यह नहीं कहा है कि साफ कर देती है रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया। पांच साल शोर्ट टर्म लोन के पूरे हो जाने के बाद वेल्थ टैक्स में आ जाने के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया इसको रिएम्बर्स करती है और रिएम्बर्स करने के बाद भी जो ऋणी है उससे तो वसूल होता ही है। रिएम्बर्स रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया इसलिए करतो है कि आपके बैंक का काम चलता रहे और माननीय

[redacted]

179

(श्री कैलाश मेघवाल)

सभापति महोदय, अब आपकी जो समझ है दुर्भाग्य यह है कि राजस्थान के सहकारिता राज्य मन्त्री महोदय की समझ इतनी है, मैंने ब्याज के लिए भी यह कहा था और मैं यहां खड़ा हूं, आपने कहा कि आपकी बात गलत है, रिएम्बर्स नहीं होता। जब मीडियम टर्म कन्वर्ट लोन हो जाता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इन्डिया उस ब्याज को भी रिएम्बर्स करती है ताकि बैंक का काम चालू रहे और उसके बाद मिडियम कन्वर्ट रीपेमेंट योजना चालू हो जाती है तब भी ब्याज को रिएम्बर्स करती है और रिएम्बर्स करने का मतलब यह नहीं है कि जो ऋणी है उसको माफ हो जाता है उससे तो वसूली होती ही है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : माननीय सदस्य, ऐसा बोलें कि मन्त्रीजी समझ लें।

श्री कैलाश मेघवाल : अब यह दुर्भाग्य है कि मन्त्रीजी की समझ कुछ ऐसी थी जैसी सामने आई। मैं इसलिये माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूँगा....

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपको जो बोलना है बोले जाओ, क्या सही बोल रहे हो, क्या गलत बोल रहे हो, आप खुद समझ रहे हो कि आप क्या कह रहे हो।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप तो पशुपालन मन्त्री ज्यादा अच्छे थे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप तो समझें मन्त्री महोदय, तीन साल पहले तो हमारी खाट खड़ी की थी।

सभापति : कृपया बिराजें, कृपया बिराजें।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं कि किस उत्साह से कुछ गलत बातें यहां कहने की कोशिश की जा रही है, मेरे सवाल का जवाब देकर ये कहते हैं, 13 लाख रुपये, गोटेवाला साहब, एक ऋणी बता दीजिये जो पांच साल के बाद लीगल प्रोसीडिंग अगर उसकी चालू हो जायगी, 6 साल में, 6 साल में कौनसा ब्याज है मूल ऋण से ज्यादा होता है। सीधा सीधा मैंने सवाल पूछा था। यह 13 लाख रुपया, आपकी सरकार की गलती थी। जो सरकार पांच साल के बाद जो लीगल प्रोसीडिंग से रिकवरी की प्रोसीडिंग चालू होनी चाहिये वह सरकार नहीं करती है, सरकार की असफलता की वजह से जब पांच, छः साल, सात साल, आठ साल, दस-दस और बारह-बारह साल हो जाते हैं तो दस बारह साल बाद ही वह निश्चित रूप से ब्याज बढ़ता है। माननीय सभापति महोदय, मैं उसको मना नहीं करता। दस साल के बाद या 9 साल के बाद 6 महीने का लिया हुआ ऋण, 9 साल के बाद वह मूल ब्याज से बढ़ता है। तो सरकार की असफलता की वजह से, आज सरकार की ठीक समय पर कार्यवाही नहीं करने की वजह से यह जो कुछ पैसा इनको देना पड़ा इसको आप वाह-वाही मान रहे हो और इसलिए मैं कह रहा हूं....

(व्यवधान)

इसलिए निवेदन कर रहा हूं जब मैं सहकारिता मन्त्री था यह एक्सटेण्ड कराई गई थी और यह एक्सटेण्ड कराने के लिये,

(व्यवधान)

(श्री कैलाश मेघवाल)

इस एक्सटेन्शन से किसी प्रकार का कोई लाभ मिलने वाला नहीं, आप बता दीजिये कि कितना शार्ट टर्म फार्मर्स का यह कितने अर्से में मूलधन से ब्याज ज्यादा हो जायेगा यह आप बता दीजिये। मैंने पाइन्टेडली पूछा था वह आपके कागजात में नहीं है। ऐसी स्थिति में, माननीय सभापति महोदय, इनको तो कोई समझ में तो आया नहीं कि रिएम्बर्स होता है तो उसका क्या होता है, ब्याज की क्या स्थिति होती है, जितनी समझ है जितने 89 हजार के आंकड़े इन्होंने दिये हैं। मैं अजमेर का एक आंकड़ा देना चाहता हूँ 40 हजार लोगों में से केवल 67 लोगों ने यह अप्लाई किया है और इससे ज्यादा कोई स्थिति नहीं है और इसलिए मेरा निवेदन है कि परिनियत परिसंकल्प स्वीकार किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि परिनियत संकल्प स्वीकार किया जाय ?

(ध्वनिमत के पश्चात्)

ना पक्ष जीता....

श्रीमती उजला अरोड़ा : हां पक्ष जीता।

श्री सभापति : ना पक्ष जीता।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हां पक्ष जीता।

श्री सभापति : आप बिराजिये, मैं एक बार और पूछ लेता हूं। आप बिराजें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं निवेदन करना चाहती हूं, आप ध्वनि मापक यहां पर यन्त्र लगवाते क्यों नहीं हैं, आये दिन दस-पन्द्रह मिनट इसमें खराब हो जाते हैं।

श्री सभापति : आपके सुझाव पर विचार किया जायेगा, बिराजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह आश्वासन हो गया न सदन का।

श्री सभापति : आपके सुझाव पर विचार किया जायेगा, बिराजिये।

प्रश्न यह है कि श्री कैलाश मेघवाल, श्री गुलाब चन्द कटारिया व श्रीमती उजला अरोड़ा ने जो परिनियत संकल्प प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

परिनियत संकल्प अस्वीकार किया गया।

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1984

प्रभारी मन्त्री महोदय, राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1984 को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव करेंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1984 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति : संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे माननीय गोपाल पचेरवाल।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री मेघराज तावड़ : सभापति महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक 1984 को तीन माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय सभापति महोदय, सहकारिता मन्त्रीजी पहले तो आर्डिनेन्स लाये, उसके बाद में सदन में यह बिल पेश किया। बिल पेश करें उसके पहले सभापति महोदय, मैं चाहता हूं इस तरह का दानदुपट बिल लाने के पहले कुछ और विस्तृत रूप से बिल में परिवर्तन किया होता। सभापति महोदय, जैसा मन्त्री जी ने अभी बड़े गर्व से कहा कि किसी भी तरह से वसूली में ज्यादती नहीं हुई। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से मन्त्रीजी को, मन्त्रीजी को यह मालूम नहीं है। राजसमन्द तहसील में अभी-अभी मैंने दो चार बार दौरा किया और वहां मुझे लोगों ने यह बताया कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति था, जिसको वसूली के लिये नंगा करके जीप के आगे दौड़ाया, नाम भी बताया मैं भूल गया हूं। मैं डूंगरपुर में जब गया तो डूंगरपुर की मीटिंग में एक व्यक्ति आसपुर का इस तरह का सामने आया उसने कहा कि साहब मैंने कभी ऋण लिया ही नहीं, उसके बाद वह पटवारी के पास गया। कलेक्टर के पास गया। कलेक्टर ने पटवारी को कहा कि अमुक नाम का आदमी है कि उस आदमी का पता लगाओ। तब एक सीधे साधे आदमी को पकड़ कर...

श्री नाना लाल : सभापति महोदय, यह राजसमन्द वाला जो किस्सा है आपने अभी बताया था, 'वह तो मन्त्री महोदय ने खुद ने कहा था कि वह मनगढन्त कहानी थी जिसको कि अखबारों के माध्यम से उजागर किया गया था। वास्तव में यह सही नहीं है।

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : क्या कहा ? उन्होंने यही कहा है कि यह सही नहीं है।

श्री नानालाल : सही नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जी हां, सही नहीं है।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : तो, सभापति महोदय, जो तथ्य सामने आये तो सरकार की मंशा तो हमेशा यही रही है और जब सत्ता में कोई रहता है तो सत्ता के बल पर दृढ़ बात को दबाया जाता है। तो सभापति महोदय, मैं जो डूंगरपुर का जिक्र कर रहा था कि उस सहकारी समिति में उस व्यक्ति का नाम भी नहीं था। उस व्यक्ति ने सहकारी समिति से एक पैसा भी नहीं लिया और उस व्यक्ति पर वसूली जो आयी...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप विषय पर ही बोलें।

श्री मेघराज तावड़ : सभापति महोदय, मैं उसी पर बोल रहा हूं उसी की परिधि में मैं बोल रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं

(182)

(श्री मेघराज तावड़)

कि उसकी मंशा क्या है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं।

(व्यवधान)

अभी आपके पास तो बहुत बकाया है। आप क्यों बोल रहे हैं और आपने कितने घोटाले किये हैं ? आपने बेनामी ज़मीन पर डबल-डबल लोन ले लिया एक ही जमीन को गिरवी रख कर। आपने तो बहुत गबन किया है।

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी : कहीं आपने तो नहीं लिया है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया आप अपने प्रस्ताव पर बोलें।

श्री मेघराज तावड़ : सभापति महोदय, मैं अपने प्रस्ताव पर ही बोल रहा हूं। मैं अपने प्रस्ताव की परिधि में ही बोल रहा हूं। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने कोई लोन नहीं लिया, बाप का नाम नहीं मिल रहा था तो भी उस व्यक्ति को कलेक्टर ने पकड़ा और जब मीटिंग हुई और जिला परिषद् की मीटिंग में कहा इसका तमाम सरपंचों ने भी विरोध किया पर कलेक्टर ने कहा कि मैं कोई बात सुनने को तैयार नहीं सबसे पहले आप पैसा जमा कराइये। उसके बाद कोई गलत होगा तो अपील सुनते रहेंगे। तो अपील में भी कोई सुनने वाले नहीं हैं। तो, सभापति महोदय, अभी जैसा कि उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने गोगुन्दा की बात के बारे में बात कही, वहां पर 60 हजार रुपये का घोटाला हुआ था, उसमें एक व्यक्ति जो कि उस सहकारी समिति का सदस्य ही नहीं था, पहले था, उसके बाद में उसको हटा दिया गया। उसके बाद जब वह वसूल करता रहा सभापति महोदय, उसके पास रसीदें, पास बुकें मौजूद थीं और दो साल बाद रसीद काटकर वसूली करता रहा उसके बाद घोटाले सामने आये तो कांग्रेस सरकार ने उसको बहाल कर दिया और उसको सजा मिलनी चाहिये थी उसके बजाय उसका स्टे खारिज कर दिया। गरीबों पर वसूली आयी। तो इसी तरह मैं कहना चाहता हूं मन्त्री महोदय, गोगुन्दा तहसील में देवरा पंचायत सहकारी समिति है जो गोगरूद के नाम से जानी जाती है उसमें एक कनीराम नाम का ब्राह्मण है, उन्होंने तमाम आदिवासियों के नाम झूठे ऋण ले लिये और उनके पुराने कर्जों के नाम पर जमा किये हैं और कर्ज बता दिये उसके लिये जब मामला सामने आया तो उसके लिये केस चला पर उसके खिलाफ में आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

सभापति महोदय, इसी प्रकार जोधपुर में मोहरा ग्राम सहकारी समिति में तीन हजार रुपये के फर्जी चैक की बात सामने आयी, उसमें केस पुलिस को दिया गया लेकिन पुलिस को केस देने से फर्क नहीं पड़ता है। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि अगर आप मन्त्री महोदय राजस्थान में अगर सहकारी समितियों के माध्यम से गरीब लोगों का भला करना चाहते हैं तो गरीब लोगों में जो पुरानी बकाया है उसको अगर आप राईट ऑफ कराने का बिल लाते तो मैं समझता कि आप वास्तव में

(श्री मेघराज तावड़)

उन गरीबों को कुछ दिलाने जा रहे हैं। लेकिन आप वह नहीं कर रहे हैं। सभापति महोदय, मजमे-आम का जो ढोंग रच करके एक नया नाटक शुरू किया है उससे हुआ क्या है तमाम लोगों को खोटी किया और उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला। खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। मन्त्री महोदय, इसके आधार पर और ज्यादा घाटाले होंगे। आपने, जिन लोगों ने फर्जी ऋण ले लिये हैं। उनसे आपने कोई वसूली की है क्या? आपके आडिटर थे, आपके इन्सपेक्टर्स थे, लोन इन्सपेक्टर्स थे, मैनेजिंग डाइरक्टर्स थे और व्यवस्थापक थे। जिस समय यह फर्जी लोन डिस्ट्रीब्यूट किया गया उस समय क्या उनका यह दायित्व नहीं था कि वह देखते कि किसकी गवाह से लोन दिया गया, किसकी जमानत से लोन किसको दिया गया। सभापति महोदय, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसके लिये आपके जो सहकारी समितियों के जो अधिकारी हैं उन्हीं लोगों ने इस सहकारी आन्दोलन को फेल करने के लिये सबसे बड़ा रोल अदा किया है। आपके जो गवर्नमेंट सरवेन्ट हैं, आपके जो सरकारी अधिकारी हैं उन्होंने ही लोन देने में मिली भगत करके, सूदखोरों से मिली भगत करके, यह गड़बड़ियां की हैं लेकिन उनके खिलाफ में क्या एक्शन लिया गया?

सभापति महोदय, आप कहते हैं कि हमने केस दायर कर दिये हैं, सभापति महोदय, आपको मालूम है कि राजस्थान सहकारी अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत जो मसले पहले आये थे उनके खिलाफ आपने कार्यवाही की। आपने 1974 में केस दायर किया तो उसका आज दिन तक क्या हुआ। कितनों को सजा दी गयी और कितनों से वसूली की गई। आज उसी बात को लेकर आप मजमे-आम में यह कहते हैं कि केस दायर कर दिया, पर केस दायर करने से क्या हो गया? आज बीस साल और 15 साल जिन केसेज में हो चुका है आपने उन पुराने मामलों को पटके रखा, आपने उनको राईट ऑफ नहीं किया। तो मैं यह कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि अगर आप वास्तव में मन्त्री महोदय गरीब लोगों का भला करना चाहते हैं तो आपको सरकार को भी जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने और बिहार की सरकार ने और गुजरात की सरकार ने जिस तरह से किया है, मुझे गुजरात की सरकार का तो पूरा पता नहीं है लेकिन बाकी इन दोनों सरकारों ने पुराने कर्जों को राईट आफ कर दिया है। तो सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह अगर आप करते तो ज्यादा अच्छा होता पर आपने ऐसा नहीं किया है आपने तो दानदुपट की बात कही है वह ठीक है पर दूसरे जो ऋण हैं, जिन लोगों ने सहकारी समितियों से ऋण लिया हो नहीं है उनके लिये आपने दानदुपट की बात की है तो इसमें तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आपके जो लोग हैं वह सहकारी आन्दोलन को सफल नहीं होने देना चाहते। अगर आप चाहते हैं कि सहकारी आन्दोलन सफल हो तो आपको चाहिये कि आप इन सहकारी समितियों के कर्मचारियों को और बैंक के कर्मचारियों को आप इसमें प्रतिनिधित्व देकर ज्यादा प्रोत्साहन दें, उनको रिप्रजेन्टेशन दें तो ठीक रहेगा।

(श्री मेघराज तावड़)

इसके साथ-साथ मैं, सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं कि जो लोग डेपूटेशन पर सहकारी समिति में होते हैं कर्मचारी या सरकारी अधिकारी वह इस सहकारी आन्दोलन का भण्डा फोड़ करते हैं। सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो आपके प्रबन्ध संचालक और जाइन्ट रजिस्ट्रार वगैरह हैं उनके खिलाफ में आपने आज तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की। आपने क्या ऐसा प्रावधान भी रखा है अगर आप इस तरह का प्रावधान लेकर कोई बिल लाते तो ज्यादा अच्छा होता।

सभापति महोदय, एक और मुद्दा मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके सहकारी विभाग के द्वारा जो गोदाम बनाये गये हैं या बन रहे हैं इसमें पैसा तो सहकारी विभाग का लगता है उसमें जो आपने कमीशन ऐजेन्ट रखे है वे घटिया माल लगाते हैं और आपके जो गोदाम हैं उसके लिये कानून बनाकर आप संशोधन लाते तो ठीक रहता पर वह प्रावधान नहीं है। अगर आप ऐसा करते तो आपका उन गोदामों पर कन्ट्रोल होता। आप उन पर कन्ट्रोल कर सकते थे। सभापति महोदय, आपको मालूम होगा कि--

श्री सभापति : माननीय सदस्य वसूली के बारे में आप बहुत बोल चुके हैं।

श्री मेघराज तावड़ : सभापति महोदय, यह जो छोटे लोग हैं, जो छोटे और गरीब लोग हैं उनसे सभी सरकार वसूली की ताकीद करती है, मैं यह पूछना चाहूंगा सभापति महोदय, मुझे मन्त्री महोदय बतायें कि आपने आज दिन तक किसी बड़े राजनेता या कोई बड़े सूदखोर व्यक्तियों के खिलाफ में कोई नीलामी की कार्यवाही वसूली करने के अन्तर्गत की है क्या? और की हो तो मुझे कृपया बता दें। आप वसूली नहीं करने वाले लोगों को प्रमोशन देते हैं। आप गबन घोटाले करने वाले लोगों को प्रमोशन दे रहे हैं। क्या आप उनको प्रमोशन नहीं देकर, प्रमोशन देने के बजाय उनके खिलाफ में कोई एक्शन लेंगे? यह आप अपने जबाब में बतायें मुझे।

श्री सभापति महोदय : माननीय सदस्य, कृपया अब समाप्त करें। माननीय सदस्य।

सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि शायद मंत्री जी को कहीं दया आ जाये तो मैं रिपीट करना चाहता हूं कि उन गरीबों के पुराने कर्ज हैं, सभापति महोदय, यह राजस्थान की सरकार गरीब लोगों को राहत दे तो वह आपको दुआ देंगे कि आप सहकारिता मंत्री थे तो आपने गरीबों के कर्जों को राइट आफ किया। मैं चाहता हूं कि इस तरह कर्ज को राइट आफ करने का प्रावधान इस बिल में लायें और यह जो बिल लाये हैं, यह जनता के बीच में जाना चाहिए।

(6.30 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

और वहां पर नीचे के लेबल पर बहस होनी चाहिए, जनता की राय जाननी चाहिए। इसके लिए मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि इस बिल को जनमत जानने

(185)

के लिए भेजा जाये। इतनी जल्दी न की जाय ताकि इसमें संशोधन करके सहकारिता आन्दोलन को ज्यादा सफल बनाने में आपको मदद मिलेगी। इसलिए मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वह इस बिल को जनमत जानने के लिए भेजें, इतनी जल्दी नहीं करें। यही मेरा कहना था, अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद,

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आपका नाम तो पुकार लिया था उस वक्त आप उपस्थित नहीं थे।

श्री गोपाल पचेरवाल : दो मिनट।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपाल पचेरवाल।

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1984 जो पेश किया जा रहा है उस संबंध में मैंने प्रस्ताव पेश किया है कि इसको तीन दिन के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल में ऐसी छोटी और हल्की बातें कही गयी हैं और इस बात को लेकर इस सदन का समय और राज्य का पैसा जो खर्च किया जा रहा है मैं समझता हूं कि यह प्रदेश की जनता के साथ अन्याय है। मैं यह मानता हूं और राजस्थान की जनता इस बिल से यह मानने लगी है कि जैसा मंत्री वैसा बिल: कोई नई बात नहीं है। इस बिल में और चुनाव की राजनीति के लिए उन छोटे और गरीब किसानों को प्रभावित करने के लिए दो हजार रुपये के लोन पर दो साल की अवधि में उससे दुगुना ब्याज नहीं लेंगे जिसका जोड़ माननीय कैलाश जी मेघवाल अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने आपको बताया कि कितनी अवधि में उसका कितना ब्याज होगा। आप कौन सा तीर मार रहे हैं, आपने कौन सी नयी बात कह दी? अध्यक्ष महोदय, अगर इस बिल में जैसे राजस्थान में सहकारी वसूलियों के अन्तर्गत शोषित, दलित और लघु कृषकों के साथ आपके विभाग के द्वारा जिस तरह की ज्यादतियां की गयी, उनके खाने पीने का सामान बेच दिया गया, उनके साथ अन्याय किया गया है, उन सब की रोक-थाम के लिए हमारे ऋण वसूली अधिकारी को यह अधिकार नहीं होंगे या उनको इससे मुक्त करते हम या उनका सामान कुर्क किया जाता है, जो गरीब आदमी है और जो जयपुर से दूर रहता है, और उसके करीब जो न्यायालय है उसकी उस न्यायालय में अपील करेगा, उसको मुक्त करने का अधिकार देते, अगर आप यह कहते तो राजस्थान की जनता श्री श्रीराम गोटेवाले की वाहवाही करती। लेकिन इससे यह नहीं लगता कि आपने जनता के हित में कोई कदम उठाया है। आपने केवल जनता को भ्रमित कर अपने वोट की राजनीति के लिए यह छोटा सा नाटक जनता के सामने किया है। यह इस योग्य बिल नहीं है अध्यक्ष महोदय, कि इसको पास किया जाय। इसमें अगर आप उन लोगों को राहत देने की बात करते तो जनता आपके इस बिल की सराहना करती।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना

(श्री गोपाल पचेरवाल)

चाहता हूं कि आज कोई उद्योगपति राजस्थान में कोई उद्योग लगाता है, फाइनेन्स कारपोरेशन से कर्जा लेता है या किसी बैंक से कर्जा लेता है और उस बैंक के लिये हुए कर्जे से उस उद्योग को घाटा लग जाता है या राजस्थान फाइनेन्स कारपोरेशन से कर्जा लेकर उद्योग लगाता है और बिजली की कमी से या और कोई कारण से अगर उद्योग में घाटा लग जाता है तो हमारी सरकार उसका ब्याज माफ करके पुनः उस मिल को चलाने की इजाजत देगी और उसको पैसा देगी। उस बीमार उद्योग को संचालन में पुनः ऋण दिया जायेगा लेकिन मंत्री महोदय मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसान के खेत में कोई बीमारी लग गयी उसकी फसल नष्ट हो गयी, अकाल पड़ गया और अकाल पड़ने के बाद क्या उस काश्तकार को को-आपरेटिव से नया ऋण देंगे या उसका ब्याज माफ करेंगे या अन्य सुविधायें देंगे? इसका आपके पास क्या इलाज है? जिस तरह सरकार उद्योग चलाने के लिए पिछले दिये हुए कर्जे का ब्याज माफ कर देती है और उसको नया ऋण देकर उस उद्योग को जीवित करने के लिए सहायता देती है उसी तरह से राजस्थान का सहकारी विभाग उस कृषक को, गरीब आदमी को, नीचे के तबके के आदमी को जो कि छोटी जाति का किसान है अगर अकाल से या बीमारी से उसकी फसल नष्ट हो जाती है या अकाल पड़ जाता है तो यह कोआपरेटिव सोसाइटी या जो भी बैंक उसको लोन देती है उसको ब्याज से मुक्त किया जायेगा? अगर इसमें कोई आप जनहित की बात करते तो निश्चित रूप से हम माननीय मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत इस बिल का समर्थन करते लेकिन इस बिल में कोई ऐसी नयी बात नहीं कही है इसलिए, अध्यक्ष महोदय, इस बिल के लिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यह बेबुनियाद बिल है, वोट की राजनीति का बिल है, जनता को भ्रमित करने वाला बिल है और जैसे मंत्री वैसा बिल है इसलिए इस बिल को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये। यह मेरी मांग है और आपने जो मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक 1984 को चार दिन के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन लाये हैं उसमें यही भावना दर्शायी गयी है कि सूदखोरी के खिलाफ सरकार है लेकिन जिन्होंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है वह सूदखोरी के खिलाफ हैं या नहीं यह देखना पड़ेगा....

श्री मेघराज तावड़ : क्या आपको मालूम है मंत्री जी सूदखोरी का धन्धा करते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा :....क्योंकि हिन्दुस्तान के अन्दर एक कानून है....

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपको मैंने कभी सूद पर रुपया दिया नहीं। मैं सूदखोरी का धंधा भी नहीं करता हूं, जानकारी के लिए निवेदन है।

श्री गोपाल पचेरवाल : आपके पास पैसा नहीं था इसलिए नहीं दिया....

श्री श्रीराम गोटेवाला : अब दोनों बातों का यहां खुलासा क्यों करवाते हो।

श्री भंवरलाल शर्मा : इनकम टैक्स वाले बैठे हैं।

श्री गोपाल पचेरवाल : आप पर कोई कर्जा मांगने वाला बैठा है क्या ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : बैठा है, उसको मैं ही चुकाऊंगा। आप नहीं चुकाने वाले हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : तो माननीय अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान ने इस बात को स्वीकार किया है वर्षों से कि यदि ब्याज पर रुपया दिया भी जाये तो ब्याज जितना मूलधन है उससे अधिक वसूल नहीं किया जाये। यह कोई नयी बात नहीं है। हिन्दुस्तान में वर्षों से इस प्रकार का सिद्धान्त स्वीकार किया हुआ है और हिन्दु कोड की धारा 33 है जिसमें यह लिखा हुआ है कि यदि आपको ब्याज लेना है तो मूलधन से ज्यादा वसूल मत करिये। इस सिद्धान्त को हिन्दु कोड ने स्वीकार किया है। प्रश्न यह खड़ा होता है कि फिर बाकी लोगों ने क्यों नहीं स्वीकार किया। तो आपको जानकारी होगी कि मुस्लिम कानून में तो ब्याज लेना मना है। उसको हराम शब्द के नाम से जानते हैं। इसलिए ब्याज तो लेते ही नहीं और लेते हैं तो यह पाबन्दी लगा दी कि जितना आपने मूलधन दिया उससे ज्यादा मत लीजिए ब्याज। यह कानून वर्षों से चला आया है और हमने इसको स्वीकार किया है।

इसके बाद राजस्थान ने मनी लेन्डिग बिल बनाया। जो साधारण व्यक्ति, समाज का व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति को कर्जा देता है ब्याज पर तो वह कितना ब्याज वसूल कर सकता है उसके लिए मनी लैन्डिग एक्ट की धारा 27 है, जिसमें यह लिखा हुआ है :

Notwithstanding anything contained in any agreement or in any law for the time being in force, no court shall, in respect of any loan whether advanced before or after the date of which this Act comes into force, decree on account of the interest a sum greater than the principal of the loan due on the date of the decree.

इसमें भी आपने मना कर दिया कि कोई सूदखोर या धंधा करने वाला व्यक्ति, वह चाहे आपकी पार्टी का हो और चाहे नहीं हो....

श्री मेघराज तांवड़ : इनकी पार्टी वाले ज्यादा सूदखोरी का धंधा करते हैं यह बात तो सही है।

श्री भंवरलाल शर्मा : तो वह अधिक ब्याज वसूल नहीं कर सकता। इस प्रकार की कानून में व्यवस्था की। तो जब एक व्यक्ति को आपने मना कर दिया, व्यक्ति को यह अधिकार नहीं दिया कि आप अपने मूलधन से अधिक ब्याज वसूल नहीं कर सकते हैं तो सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि व्यक्ति पर तो पाबन्दी लगा दी और जो हमारा हिन्दू कोड है उसकी मंशा के मुताबिक लगाई गई है, तो आप तो वैध सरकार

(श्री भंवरलाल शर्मा)

हैं। आप धंधा कैसे करते हैं ? आप तो अपने आपको जनहितकारी सरकार बताते हैं तो जब इन्डीविजुअल को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, उसको प्रतिबंधित कर दिया कि आप मूलधन से ज्यादा ब्याज वसूल नहीं कर सकते तो सरकार को कहां से अधिकार मिल गया कि वह मर्जी में आये जितना ब्याज वसूल कर लें। यह तो आपकी वेलफेयर सरकार कहते हैं कल्याणकारी सरकार आप कहते हैं, जनहितकारी सरकार कहते हैं, लेकिन कहने में तो जनहितकारी कहते हैं लेकिन जो आपके कारनामे हैं जिनका जिक्र माननीय सदस्यों ने किया है और समय कम है इसलिए बाकी लोगों ने किया नहीं और शायद अभी नहीं कर पायेंगे लेकिन उससे यह पता लगता है कि आपकी मंशा क्या है। अभी आप कानून लाये हैं, इस कानून में आपने यह व्यवस्था की है कि जो व्यक्ति सोसाइटी का सदस्य है वह केवल दो हजार रुपये तक का कर्जा ले और 15 महीने के लिए ले। इतने छोटे समय के लिए दो हजार रुपये का कर्ज लेगा तो उसको आपने यह राहत दे दी कि उससे दो हजार से ज्यादा का ब्याज नहीं लिया जा सकता। मैं श्री रामजी आपसे पूछता हूं, आप तो ब्याज के मामले में बहुत होशियार हैं कितने वर्षों में रकम दुगुनी होगी ? दो हजार रुपये फिर दो हजार रुपये और कितने दिनों में जाकर चार हजार हो जायेंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : 7 साल में होंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : 7 साल में होंगे तब तक आप वसूल क्यों नहीं करेंगे ? सात साल तक वसूली क्यों नहीं करेंगे ? वसूली की कार्यवाही में तो आप मुर्गा बनाते हो, फिर वसूली क्यों नहीं करेंगे आप। तो आप वसूली कर नहीं सकते। उसके कई कारण हैं। अब मैं कहूंगा तो आप बुरा मानेंगे इसलिए मैं नहीं कहूंगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप कह ही डालिये, मैं तो सुन रहा हूं बिल्कुल चुपचाप।

श्री भंवरलाल शर्मा : तो मैं आपसे यह कहता हूं कि जब कर्जा वसूल करने की आपके पास व्यवस्था है। बड़े अधिकार आपने लिये हुए हैं। किसी को मुर्गा बनाते हैं किसी को मुर्गी बनाते हैं। और आपने खुद ने कहा अभी कि....

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : आपने कभी मुर्गा बन कर देखा है आप लोगों को मुर्गा बनाते हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : ऐसा है मुझे तो कोई तजुर्बा नहीं है। हो सकता है कि कहीं आपको मुर्गा बनाया गया हो।

श्री भंवरलाल शर्मा : स्कूल के समय की बात है।

श्री मेघराज तावड़ : आप मुर्गा बन कर बतायें कि मुर्गा कैसे बनते हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरे यहाँ विभाग में मनाही है। किसी को मुर्गा बनाया ही नहीं जाता, कोई किसी प्रकार की शारीरिक यातनायें दी ही नहीं जाती।

श्री गोपाल पचेरवाल : दी गई हैं। इस बात के प्रमाण दिये हैं, लोगों को मारा गया है. मुर्गा बनाया गया है और शिकायतें हमने की हैं जिला कलेक्टर को, आपके वित्त मन्त्री जी ने बूंदी जिले में कहा है कि बूंदी जिले में जिला कलेक्टर कोआपरेटिव की वसूलियों में लोगों को मुर्गा बना रहे हैं और उसका असन्तोष जाहिर किया है। इसके अखबार मौजूद हैं. प्रेस में वे बोले हैं। इसका मतलब या तो आपके मन्त्री गलत बयानी कर रहे हैं या आप गलत बयानी कर रहे हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैंने बूंदी में एक हजार से ऊपर के बीच में यह प्रश्न पूछा है जो आप मुझे बता रहे हैं। उन सारी बातों की मैंने जांच की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन कर दूं कि अबकी बार हमने जिन लोगों की वसूलियां की हैं 15 लाख लोग हैं। मैं हर एक बात पर जो इन्होंने सारी बातें कही हैं, नंगा हो जाने की और सारी बातें मैंने उसके बारे में भी कहा है बाकायदा इसका खण्डन निकला है। वहां से आने वाले सम्माननीय सदस्य श्री नानालालजी यहां पर जो मेघराज जी तावड दूसरे इलाके के हैं लेकिन यहां पर दूसरी बात बोल रहे थे उसका उन्होंने खण्डन किया है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। अब 15 लाख लोगों के अन्दर, पता नहीं कहां से अफवाहें लाते हैं, किसको मुर्गा बनाते हैं, किसको मुर्गी बनाते हैं। कहां से इनके पास सूचनायें आती हैं। मैं तो कहता हूं कि जिलाधीश को आपने सूचना दी लेकिन मैं भी आपका सेवक आपका साथी, इस विधान सभा में आपका साथी हूं मेरे को तो आप इत्तला कर सकते थे। मैं पुनः आपसे कहता हूं अगर आप मुझे व्यक्तिशः जानकारी देंगे तो निश्चित रूप से इस प्रकार का जिसने भी कार्य किया है उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में मैंने मय प्रमाण के आपका ध्यान आकर्षित किया है और बूंदी जिले के प्रभारी मन्त्री माननीय श्री बृजसुन्दर जी शर्मा ने भी आपके कार्यकर्ता सम्मेलन में यह बात कही है बूंदी में और आप कहते हैं तो मैं दुबारा आपको डाकूमेंट दूंगा। आपकी कोआपरेटिव का मेम्बर नहीं है और आपके यहां के जो व्यवस्थापक हैं उसने नो ड्यूज सर्टीफिकेट दिया है उसके बावजूद भी मेरे क्षेत्र ग्राम फुड़िया में एक इन्जन आपके अधिकारी ने जब्त किया है और उसको नहीं छोड़ा गया है। वह को–आपरेटिव का मेम्बर भी नहीं है। एक पैसा बकाया नहीं है। उसकी हमने पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कराई है। कल मैं सारे डाकूमेंट्स आपको पेश करूंगा और आपमें नैतिक साहस हो तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले लेना।

श्री श्रीराम गोटेवाला : निश्चित रूप से अगर आप डाकूमेंट्स पेश करेंगे और तथ्यात्मक डाकूमेंट्स होंगे तो निश्चित रूप से ऐसी कार्यवाही करने वाले के खिलाफ में कार्यवाही की जायेगी।

श्री गोपाल पचेरवाल : आपके को-आपरेटिव का रिकार्ड है, मेरा नहीं है।

श्रीमती उजला अरोडा : मैं बताती हूँ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरे निर्वाचन क्षेत्र लागडीवास में सोहनलाल गीला करके एक आदमी है उसकी बीबी को यह कहा, कोई वसूली करने गया, आप चांदी के कड़े पहिने हो, कड़े लेकर भेज देना अपने आदमी को। सुना साहब। इस तरह के रिमार्क आपके आदमी करने को जाते हैं और फिर मैंने भी गुस्सा खाकर उसके कड़े बेचकर सारा पैसा जमा करा दिया। शर्म आनी चाहिये। गांवड़ी में एक की भैंस खोल लाये। उसने कहा चार दिन में जमा करा दूंगा। ऐसे ऐसे तो काम करते हैं आपके आदमी। मैं तो बाई नेम बता रही हूँ आपको।

श्री अध्यक्ष : कृपया।

श्री जयदेवप्रसाद इन्दोरिया (रतनगढ़): ऐसा है, अध्यक्ष महोदय, हो सकता है कि माननीय मन्त्री जी इनकी बातों को सही नहीं मानें। मैं तो आपका ही साथी हूँ। मेरे इसी विधान सभा में अध्यक्ष महोदय की उपस्थिति में यह मसला उठाया था कि मेरे क्षेत्र के गांव मालासर के हरिजनों से गृह निर्माण सहकारी समिति के शुल्क और उनकी हिस्सा पूंजी 1890) रुपये तत्कालीन जो प्रसार अधिकारी थे उसने सन् 75 में लिये और न वह रकम बैंक में जमा हुई, न वह रकम विभाग में जमा हुई, यह उस वक्त के माननीय मन्त्रियों के जवाब हैं। आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। यहां मैंने फोटो स्टेट कापी उनको पेश की। रसीद की फोटो स्टेट कापी यहां दे दी और कुछ भी नहीं होने के बावजूद जब यह प्रश्न जिला सतर्कता समिति में ले गया और जांच हुई तो यह कहा कि जब तक असली रसीद नहीं दोगे तब तक इसका चालान नहीं होगा। अभी मैंने गत मीटिंग में वह असली रसीद भी सतर्कता समिति में पेश की और यह कहा कि अब इसका चालान करोगे। न्यायालय में मैं इसको दे दूंगा, आपको नहीं दे सकता। आपको देने का मतलब फाइल को सांड खा जायेगी। यह तथ्यात्मक आंकड़े हैं इसी विधान सभा के और इसके बावजूद भी मैंने अभी वक्तव्य सुना आपका, आपने अधिकारियों को धन्यवाद दिया। वह आपकी इच्छा है, चाहे धन्यवाद दो, चाहे मुरदाबाद दो। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं लेकिन जान बूझकर इस भ्रष्टाचार के केस को दबाया जा रहा है और मुझे यह आशंका है कि मेरा यह कार्यकाल समाप्त होते ही उसको फिर से बहाल कर देंगे और सारी की सारी तनख्वाह इन वर्षों की उस भ्रष्ट को घर बैठे मुफ्त की मिलेगी। आपका ध्यान भी मैंने जब आप डूंगरगढ़ पधारे थे तब लखासर ग्राम में मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया था कि यह जितने भी आपके जिला प्रशासन विभाग के अधिकारी हैं उस प्रसार अधिकारी को बचाने में लगे हुए हैं जबकि मैंने विधान सभा के अन्दर रसीद पेश कर दी और सरकार ने

(श्री जयदेवप्रसाद इन्दोरिया)

स्वयं स्वीकार किया कि वह रकम न बैंक में जमा है न विभाग में जमा है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री जयदेवप्रसाद इन्दोरिया : एक मिनिट ।

अब किस रूप में तथ्यात्मक आंकड़े चाहते हैं । इससे ज्यादा तो कोई तथ्यात्मक प्रमाण हो नहीं सकता । यह भ्रष्टाचार का केस और वह भी हरिजनों के साथ

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । माननीय सदस्य । श्री भंवरलाल शर्मा ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं सब का जवाब दूंगा...

एक माननीय सदस्य : क्या जवाब देंगे आप ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यवधान नहीं डालें ।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड : आपकी पार्टी के माननीय सदस्य यह बात कह रहे हैं, इससे आप अन्दाजा लगाइये कि आप कहां तक सच बोलते हैं ।

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं इसका भी उत्तर दूंगा, आप तसल्ली रखिये ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, आर्य समाज में मन्त्री महोदय जाते हैं....

श्री मेघराज तावड़ : आप तो वकील बन जाओ....

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री भंवरलाल शर्मा चर्चा करेंगे । कृपया बाधा नहीं पहुंचायें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं तो आपको बताती हूं कि ये कैसे हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : वहां तो कहते हैं "सर्वे भवन्तु दुखिनीं, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कष्ट द्रु मां भवेन । वहां तो यह बोलते हैं । यहां दुख के भागी, दुख देने वाले खुद होते हैं । यह गलत तरीका है, मन्त्री महोदय ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह मैं दुख कैसे दे रहा हूं, इसका भी विश्लेषण करें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : विश्लेषण करने की बात कह रहे हैं, मैं विश्लेषण कर दूं । अगर इस तरह से मुर्गा बनाओगे, इस तरह से गरीब लोगों से ऋण वसूली

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

करोगे, उनका अपमान करोगे, क्या यह अच्छी बात है। क्या दुख देने के भागी नहीं हो।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपया। समय काफी हो गया है। कृपया माफ कर दें।

श्री भंवरलाल शर्मा कृपया संक्षेप में कहें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं तो अत्यन्त संक्षेप में ही हूँ। मेरे से बड़ा तो इनका हो गया, बीच में बोलने वाले का। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला मैं सुन रहा हूँ अभी तो आपने अध्यक्ष महोदय ही बोला है।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ माननीय मन्त्री महोदय से कि दो हजार रुपया कितने दिनों में चार हजार होगा....

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री कैलाश मेघवाल ने विस्तार से चर्चा कर दी है। पुनरावृत्ति न करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपने कहा कि सात वर्ष। तो सात वर्ष में जब होगा तो आपकी मशीनरी वसूली करने वाली है वह वसूल क्यों नहीं करती है और जब करती है तो ये उदाहरण सामने आते हैं। अभी आपने कहा 10 हजार लोगों के बीच में मैंने सवाल कर दिया। लेकिन श्रीमान, यह 10 हजार लोग आपको मिल कहां से गये। आज कोई भी मीटिंग ऐसी हो सकती है जिसमें दस हजार लोग आपको सुनने आ जायें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैंने आपकी मानक चौक की चौपड़ पर मीटिंग देखी थी, 50 आदमी भी नहीं थे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : राजस्थान में कई ऐसे स्थान हैं जहां 10–15 हजार आदमी इकट्ठे हो सकते हैं....

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लग रहा है कि हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य कुछ सुनाई में भी ऊंचा सुनने लग गये हैं।

एक हजार के करीब की बात कही थी अब यह खुद ही टैन पोइन्ट बोल लें तो मेरी कोई गलती नहीं है साहब . कब दस हजार की बात ही नहीं, मैं तो दो दो लाख की मीटिंगों में बोला हूँ,इस बात की बात मत करो आप।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया। माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल शर्मा : दो लाख लोग तो सुनने के लिए जिसके बलबूते पर आप राज्य में बैठे हो, जिसकी रोटी खाते हो, उनके ही नहीं आते हैं ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उनके तो दो लाख ही नहीं लाखों आते हैं और अध्यक्ष महोदय के साथ ही मैं दस हजार की मीटिंग को ऐड्रेस करके आया हूं । आप तो यहीं बैठे रहते हो, हवा महल में और आप ही हो बस ।

श्री महाराम चौधरी : दस हजार भी आये हैं तो अध्यक्ष महोदय की वजह से आये होंगे, आपकी वजह से नहीं आये हैं ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैंने महाराम जी आपका नाम कब लिया कि आपकी वजह से आये हैं । आपकी वजह से तो नागौर में सांड़, बैल ही आते हैं थोड़े बहुत ।

(व्यवधान)

मैं तो आपकी सेवा में हूँ जैसा भी हूं ।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि यह कानून यहाँ पर लाये, अब इस कानून के बारे में जन हित का कानून बताते हैं और जनता का फायदा होगा तो जनता में जाने दीजिए इसको । जनता की राय जान लीजिये । जब जनता को फायदा होगा तो वापिस लौटकर आ जायेगा, दिक्कत क्या है आपको और आप सब जगह मत भेजिये श्रीरामजी ! आपके ही क्षेत्र में भेज दीजिए आप और आपके क्षेत्र में वहाँ भेज दीजिए जालूपुरा में ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : वहां के लोगों ने लोन ही नहीं ले रखा है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : वे नहीं लेते हैं तो फिर आप उनके पास ही भेज दीजिए । अगर आपको ज्यादा विश्वास है, उन पर तो । अभी आप चुनाव जीत गये तो इनके सम्मान में 20–25 लोग इकट्ठे हो गये । आप जीत गये बड़ा अच्छा हो गया, भगवान ने आपको जिता दिया । देखिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी शालीनता देखिए, आप वहाँ क्या कहते हैं मुझे किसी भगवान बगवान ने नहीं जिताया, मुझे तो अल्लाह ने जिताया है । तो अल्लाह और भगवान में क्या फरक है लेकिन आपके मन का जो भाव है वह उसको प्रकट करता है ।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में माननीय सदस्य ।

श्री भंवरलाल शर्मा : चलिये, आपको वहाँ अल्लाह ने जिताया तो वहीं भेज दीजिए कि मैं यह बिल ला रहा हूँ, इसको पास किया जाय या नहीं । तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आप मुझे संक्षेप के लिए आदेश दे रहे हैं । तो मैं अन्त में यह निवेदन करता हूँ कि आप इसको जनमत जानने के लिए बहुत ज्यादा दूर मत भेजिए, केवल विधानसभा के जालूपुरा क्षेत्र में ही भेजकर मालूम करा लीजिए कि इससे लाभ होने वाला है या नहीं और यदि जन-हित में लाभ होगा तो निश्चित रूप से इस

194

(श्री भंवरलाल शर्मा)

बिल को मान्यता मिलेगी वरना इसमें करेक्शन होकर आ जायेगा। अब आपके मन में पीड़ा क्या है? आप जनता में क्यों नहीं भेजना चाहते हैं, क्यों नहीं ले जाना चाहते हैं और नहीं ले जाना चाहते है तो अगले दो महीने बाद जायेंगे। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि इसको जिस तरह से आपने किया है, इसमें मेरा सुझाव है आपको कि यदि आपके मन में यह बात है भी तो फिर यह दो हजार का कर्जा ही क्यों माफ कर रहे हो, दो हजार के कर्जे के लिए ही यह शर्त क्यों लगा रहे हैं। अगर जिन्होंने दो हजार से ज्यादा कर्जा ले लिया तो क्या उसको देना ही पड़ेगा और उसके साथ तो सूद खोरी करेंगे कि आप सूद खोरी के लिए खराब कानून है तो सूद खोरी चाहे पाँच हजार की हो, चाहे दो हजार की हो और चाहे कितने ही अमाउन्ट की हो सूद खोरी मना होनी चाहिए और सूद खोरी मना करने का अगर आप में साहस है तो फिर मैंने अमेन्डमेंट दिया है—जब अमेन्डमेंट आयेगा तो विचार करूंगा। अभी मैं इतना ही निवेदन करता हूं कि आपकी लोकप्रिय सरकार है और कल्याणकारी सरकार है तो इसको जनता में भेज दीजिये और जनता जो निर्णय करे उसको आप मान लीजिये। इसलिए मेरा निवेदन है कि बिना जिद्द किये और बिना डिपार्टमेंट का टीका लगाये, कौनसा डिपार्टमेंट एनीमल हस्बेन्डरी वाला-बिना अक्ल लगाये आप इसको स्वीकार करें यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री कमलेन्द्रसिंह (अनुपस्थित)।

श्री बंशीलाल पटवा। समय काफी हो गया है इसलिए संक्षेप में ही माननीय सदस्य।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष जी, मन्त्री महोदय ने एक कापरेटिव सोसायटीज संशोधन विधेयक विचारार्थ रखा, इस बारे में मेरा तो इतना सा निवेदन है कि अपने आप में जो कोआपरेटिव मूवमेंट आखिर में फेल्योर क्यों हुआ और सफलता की दृष्टि से 10-5 आप कह सकते हैं लेकिन आज कापरेटिव मूवमेंट की दुर्गति अपने राजस्थान में जिस तरह से हुई है, मैं समझता हूं दूसरी स्टेट में नहीं हुई....

श्री अध्यक्ष : इतने विस्तार में नहीं, माननीय सदस्य।

श्री बंशीलाल पटवा : मैं इसी सन्दर्भ में कह रहा हूँ, माननीय अध्यक्ष महोदय, विस्तृत नहीं कह रहा हूँ, यह दो हजार का लाये हैं यह अर्थहीन है। और को-आपरेटिव मूवमेंट की सफलता की दृष्टि से ये चाहते हैं कि दो हजार रुपये का यदि कोई कर्ज लेगा तो उस पर मूल धन से अधिक ब्याज नहीं लिया जायेगा। यह बात मोटे तौर पर इस बिल में कही हैं। और कुछ बातें और भी हैं। तो मेरा इस बारे में निवेदन यह है कि पिछली अवधियों में जितने भी जो कर्ज दिये गये हैं, मैं यह नहीं कहता कि सत्ता पक्ष के सारे ही लोगों ने इस तरह से किया होगा। गाँवों में बैठे कई तरह के सरपंच हैं जो सत्ता पक्ष से सम्बन्धित हैं उन्होंने छोटे छोटे लोन पेमा, भेमा, हेमा और पता नहीं किस 2 नाम से और कितने नामों से हाथ के अंगूठे से, पैर

(श्री बंशीलाल पटवा)

के अंगूठे से लगा लगा करके लोन ले लिया.... ।

श्री अध्यक्ष : यह बहुत हो गया, माननीय सदस्य ।

श्री बंशीलाल पटवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह उन्हीं लोगों को राहत देने की दृष्टि से किया जा रहा है। मैं कहता हूं कि वे जमा नहीं करा रहे हैं गांव में वे इनके कपड़े फाड़ रहे हैं। स्थिति यह है वहां, और उन्हीं को राहत देने की दृष्टि से यह किया जा रहा है। जब दो हजार के मूल धन से अधिक ब्याज नहीं लेंगे तो को-आपरेटिव सेक्टर में जो दूसरे लोन दिये जाते हैं यही सिद्धान्त आपने वहां पर क्यों नहीं लागू किया। किसानों के नाम पर लोन ले लिया और उन किसानों ने लोन के दर्शन ही नहीं किये और उनके कपड़े आज गांवों में फाड़े जा रहे हैं, उनको खींचा जा रहा है तब राहत देने की दृष्टि में यह बिल ले आये कि ब्याज मूल धन दो हजार से अधिक नहीं हो। तो मेरा निवेदन है कि आपने कथनी और करनी का अन्तर रखा है। आज यह को-आपरेटिव मूवमेंट क्यों फेल हुआ। आज मुख्य मन्त्री के क्षेत्र भीलवाड़ा में जमीनें कुर्क की गईं, शाहपुरा में भी कुर्क की गई। लोगों को दौड़ाया गया और आज आप इस बात को झुठलाना चाहते हैं। को-आपरेटिव मूवमेंट को यदि आप ठीक तरह से चलाना चाहते हैं तो जो एक सिद्धान्त लागू किया वही सिद्धान्त आपको दूसरी जगह भी लागू करना पड़ेगा और इस सिद्धान्त में डिसक्रिमिनेशन नहीं करना पड़ेगा और डिसक्रिमिनेशन करते हैं तो फिर यह अर्थहीन हो जाता है। इसलिए जिनको भी आप लोन देते हैं को-आपरेटिव सोसायटीज के तहत—यदि बैल खरीदने के लिए लोन लेता है और बैल मर जाता है तो क्या उसको माफ नहीं करेंगे ? मान लें इस तरह और कोई कर्ज लेता है तो क्या उससे मूल धन से अधिक ब्याज लेंगे और दो हजार से अधिक नहीं लेगा तो मूल धन से ज्यादा नहीं लेंगे। तो मेरा मोटे तौर से यह निवेदन है कि यह अधूरा बिल है। समूचे को-आपरेटिव क्षेत्र में जिन लोगों को लोन दिया जाता है उनको भी इसका लाभ मिले इसलिए इस दृष्टि से समुचित रूप से लाइये, यह अधूरा है। केवल आपके जो लोग बैठे हैं उन्होंने लोन ले लिया और लोन चुकाया नहीं है, जो चमार हैं, हरिजन हैं उनके नाम से ले लिया और यदि वे आपके कपड़े फाड़ते हैं और उनको राहत देने की दृष्टि से करते हैं तो यह अनुचित है। मेरा निवेदन है कि यह अधूरा है इसलिए इसको जनमत जानने के लिए प्रचारित कीजिए और जनमत जानने के बाद यदि आपके पक्ष में राय मिल जाय तो फिर विचार कीजिये। अन्यथा बाकी बातें झुठलाने से काम नहीं चलेगा। आपकी नौकरशाही बैठी हुई है और वे किस तरह से दुरुपयोग करते हैं, किस तरह लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, इन सारी बातों की आपको समीक्षा करनी पड़ेगी यदि आप इसको सफलता से चलाना चाहते हैं अन्यथा यह को-आपरेटिव मूवमेंट फेल हो रहा है और जो आज दुर्गति हुई है उससे ज्यादा दुर्गति होगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि बिल को तीन महीनों के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित करें।

(व्यवधान)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, जिन सम्माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किये हैं वैसे नई बात किसी ने नहीं कही है, लेकिन अभी भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य पता नहीं कहां कपड़े फटवा रहे हैं, मुझे तो पता नहीं है ।

(व्यवधान)

मैं भीलवाड़ा जिले के इन्टीरीयर में, जहाजपुर तहसील में और सब जगह जाकर आया हूँ, मेरे तो कपड़े फाड़े नहीं किसी ने और जहां तक इनका यह आरोप है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं आपकी बात बहुत शान्ति से सुन रहा था । तो मैं इस बारे में यह अनुरोध कर रहा हूँ कि एक तरफ तो हमारे पर यह आरोप लगाते हैं कि हमारे आदमियों को रिलीफ देने के लिए हमने यह कर लिया । दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि किसी को रिलीफ ही नहीं मिलेगी । अभी थोड़ी देर पहले मैंने फिगर बताये थे कि 89 हजार लोगों को इससे लाभ मिलेगा, 13 लाख किसानों को हम लाभान्वित कर चुके हैं और इसके अलावा कुछ जो वसूलियां की हैं उनके बारे में जो बातें फरमा रहे थे । हमारी पार्टी के सम्माननीय बुजुर्ग इन्दोरियाजी ने जो बात कही थी इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है । 1975 में हाउसिंग लोन था, उसकी गड़बड़ी थी । लक्खासर में उन्होंने मुझसे भी कहा था । हमने तत्काल जांच की कार्यवाही प्रारम्भ करवा दी है । मैं यह भरोसा दिलाता हूँ कि चाहे कितने ही प्रेशर आयें जो अगर अपराधी है तो निश्चित रूप से उसको सजा मिलेगी । और यहां पर हमने अभी जो मजमाए-आम के जो आयोजन किये, यहां जो कुछ माननीय सदस्यों ने बातें कही हैं, मैं उनको स्वीकारता हूं कि कुछ जगहों पर गड़बड़ियां थीं । कुछ व्यवस्थापकों ने गड़बड़ियां की थीं, कुछ अध्यक्षों की भी उसमें गड़बड़ियाँ थीं । तो उन्होंने सारों का निपटारा मजमाए-आम में काफी बड़ी मात्रा में हुआ है और जिन लोगों ने रुपये जमा करा दिये थे, रसीदें उनके पास मौजूद थीं, फिर भी उनके जिम्मे बकाया निकल रही थी, वहां हाथों हाथ उनका निपटारा हुआ है । तो मैं आपको निवेदन करता हूं कि हमारे हर अभियान को, हर काम को आप कृपा करके शंका की दृष्टि से नहीं देखें । हमारी नियत यह है कि अभी आप जो सात साल का और आठ साल का पूछ रहे थे, यह वास्तविकता है कि यहां पर लोगों के अन्दर रुपया बाकी था, अभी वसूली की तारीफ की है, उसके फिगर्स दिये हैं । हमारी 115 करोड़ की करीबन की वसूलियां हुई हैं । 114 करोड़ रुपयों का लोन हमने वितरित किया है । आखिर इतना बड़ा काम है । उस सारे काम के अन्दर हो सकता है कि कहीं पर किसी के अन्दर कोई बात हो गयी हो । मैं अध्यक्ष महोदय, निवेदन करता हूं, ये कहते हैं कि बड़े आदमियों से आपने वसूली नहीं की । जहां पर भी मैं गया हूं, मेरी जांच के

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

आधार पर मैं यह स्पष्ट रूप से आपसे निवेदन करता हूं कि जिन बड़े आदमियों के खिलाफ यह वसूली की कार्यवाही की गई, उन्होंने इस प्रकार का वातावरण पैदा करवाया कि सारा कुर्क कर लिया, नंगे करके घुमा दिया। यह जो सारे काम हैं वह यह वही बड़े लोग करवाते हैं। गरीब तो इस बात को ही देखता रहता है, रिलीफ का फायदा उठाने को तड़फता है। जगह 2 से अप्लीकेशन्स लेकर लोग आये हैं। हमने हमारे अधिकारियों से इस बात के बारे में कहा है कि तुम जाओ उसके घर पर। उसकी बात को कम्पलीट करो। उसको जो लाभ राज्य सरकार दे रही है उस लाभ से उसको लाभान्वित होने दो। अभी हवा महल से आने वाले सम्माननीय सदस्य ने जालूपुरा के बारे में बात कही। मैं उनकी जानकारी के लिए निवेदन करता हूँ कि न तो जालूपुरा ग्राम सहकारी समिति बन सकती है, न वहां पर है। हर एक चीज को थोड़ा बहुत यहां पर बैठे हैं, इन बातों के बारे में बात कर रहे हैं मैं तो उम्मीद करता था कि मेरे को उपयोगी सुझाव देते इन सारी बातों के बारे में जिससे कि यह सहकारिता का आन्दोलन जिससे कि राजस्थान की आर्थिक तरक्की होगी और जिसको आज ठीक किये जाने के लिए विस्तृत रूप से प्रयास किये जा रहे हैं, उसके अन्दर आपके सुझावों से मैं लाभान्वित होता। उनके सुझावों को कार्यान्वित करता। लेकिन इस प्रकार की बात करना कि आप जालूपुरा में जनमत संग्रह करा लो....

श्री भंवरलाल शर्मा : आज भी जनमत संग्रह करा लो....

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : जालूपुरा में हम किस बात का जनमत संग्रह करा लें। जालूपुरा के अन्दर इस प्रकार का कोई लोन लेने वाला नहीं है और कहां ले जाकर जोड़ दिया किन बातों को कि मेरे को भगवान ने नहीं अल्ला ने जिताया। मैं तो भगवान और अल्ला में कोई फर्क मानता नहीं। केवल मात्र नाम नाम का फर्क है। ईश्वर सब एक है। कहां पर इन सारी चीजों को किस जगह उठा करके, ला करके इन्होंने फिट किया है।

तो मैं यही निवेदन करूंगा कि हम इसको राजनीतिक भावना से नहीं कर रहे हैं और मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आर्थिक विकास के इन कार्यक्रमों में राजनीति न घुसेड़ें, यही मेरा अनुरोध है और मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि यह जो जनमत जानने को प्रचालित करने के लिए उन्होंने सुझाव दिया है इसको वापस लें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सर्व श्री गोपाल पचेरवाल, भंवरलाल शर्मा व मेघराज तावड़ ने राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 1984 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किये गये ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 1984 को विचारार्थ लिया जावे ।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

विधेयक पर खण्डश: विचार

खण्ड (2) संशोधन प्रस्ताव है, माननीय श्री कैलाश मेघवाल, श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड [2] में मेरा संशोधन निम्न प्रकार है :....

Clause-2

"In new section 65-A sought to be inserted by clause 2 the words •—

(i) "Other than a Land development Bank" be deleted.

(ii) "for a period not exceeding fifteen months" be substituted by the words "for a period for which it was initially sanctioned."

(iii) "Subject however that the amount of such short term loan incluidng such portion thereof as has been converted in to a medium term loan does not exceed Rs. 2000/-," be substituted by the words "Subject however that the amount of such short-term loan which has been converted into a medium term loan."

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सहकारिता मन्त्री जी ने पहले भी जबाब नहीं दिया है, यह 15 महीने का इसमें रखा है। मेरी जानकारी है और राजस्थान में छः महीने से ज्यादा शॉर्ट टर्म लोन है नहीं। और इसलिए आपने ऐसी बात लिखी है जिससे कहीं भी राजस्थान के इस एक्ट को पढ़ा जाएगा तो यह कहेंगे कि राजस्थान में कौनसी ऐसी स्थिति है। आप मुझे एक लोनी बता दीजिए जिसको राजस्थान में 15 महीने से ज्यादा सोलह महीने का लोन दिया हो या एक लोनी बता दीजिये जिसको छः महीने से ज्यादा एक दिन का भी दिया हो। छः महीने के बाद ही यह ओवर ड्यू हो जाता है और ऐसी स्थिति में मैंने संशोधन यही दिया है कि यहां पर 15 महीने न मालूम क्यों तो आपने रखी है। क्या आपका मंतव्य है। इसका कोई लेना देना नहीं है। अल्पकालीन ऋण जो है वह केवल छः महीने के लिए होता है, इसके बाद ओवर ड्यू हो जाता है और 15 महीने में ओवर ड्यू होने के बाद वह पीनल इन्ट्रेस्ट में हो जाता है और सात साल वह बैड डेब्ट हो जाता है। यह जो मेरा संशोधन है इसको आप स्वीकार कर लें तो आपके लिए उचित होगा। हमसे कोई पूछेगा तो हम तो इतना ही कह देंगे कि हमने तो एतराज उठाया था, शायद तत्कालीन सहकारिता राज्य मन्त्री जी की बुद्धि समझा देना कि 15 महीने के डेफिनेशन की क्या बात है। मेरी अभी भी यह

(श्री कैलाश मेघवाल)

मान्यता है कि छः महीने से ज्यादा का लोन होता नहीं है। छः महीने के बाद ग्रोवर ड्यू हो जाता है और ग्रोवर ड्यू होने के बाद इन्ट्रेस्ट भी लग जाता है। यह स्थिति है।

दूसरा मेरा निवेदन करना यह है कि लैंड डवलपमेंट बैंक को इसमें माइनस किया है। मेरा निवेदन करना है कि लैंड डवलपमेंट बैंक से मीडियम टर्म लोन और शॉर्ट टर्म लोन मिलता है। अब मीडियम टर्म लोन जो पशुओं के लिए, पोल्ट्री फार्म के लिए या बैल गाड़ी के लिए जो लोन लेते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा पूछना चाहता हूँ कि क्या उसको आप किसान मानते हैं? आपने स्वयं माइनस कर दिया। लैंड डवलपमेंट जो है वह भी मीडियम टर्म और लोंग टर्म लोन देता है और यह मीडियम टर्म और लोंग टर्मलोन जो बैंक देता है उसमें भी आप दान-दुपट का सिद्धान्त क्यों नहीं लागू करना चाहते। और वहां थोड़ा लाभ होगा। मैं आपको बताऊँ कि चूंकि लोन को चुकाने की अवधि भी लम्बी है, और उसका डिफाल्ट भी होगा तो दस दस की अवधि कहें उसकी, माननीय अध्यक्ष महोदय हो सकता है कि दान-दुपट का वास्तविक लाभ और किसी को मिलेगा तो वह मीडियम टर्म लोन लेने वाले या फिर लोंग टर्म लोन लेने वाले को मिलेगा। हालांकि उसमें लोंग टर्म लोन में जो रेट ग्राफ इन्ट्रेस्ट बहुत कम होती है। इसलिए वह भी दुगना तो बहुत लम्बे समय के बाद होगा अगर आपकी वसूली की मशीनरी, जब वह ओवर ड्यू हो जाता है, रेट ग्राफ इन्ट्रेस्ट टाईमली कर लेगी तो भी उसमें भी नहीं होगा। तो न मालुम आपने क्या कह करके इसको डिस्टीन्गिश किया है, क्या सोच करके, मुझे समझ में नहीं आता है। क्योंकि मीडियम टर्म लोन और लोंग टर्म लोन लेने वाले भी किसान ही हैं और उसमें कोई आसमान नहीं गिर जाता। थोड़ा बहुत आपके धन की कमी आती है, लेकिन आम किसान के साथ एक सिद्धान्त लागू हो जाता और इसलिए मैंने निवेदन किया है कि लैंड डवलपमेंट बैंक का इसमें आपने जो एक्सेप्शन किया है इसको डिलिट किया जावे। यह 15 महीने का जो आपने दिया है इसको डिलिट किया जावे और दूसरा मैंने यह किया है कि दो हजार की लिमिट कर दी है कि दो हजार तक ही देंगे, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सहकारिता मन्त्री जी से पूछना चाहता हूँ कि यह शॉर्ट टर्म लोन की दरें कब तय हुई थीं। क्या इसके आधार थे। क्या छोटे से छोटा जो स्मॉल फार्मर है, या फार्मर है या नार्मल फार्मर है वह अपनी पांच एकड़ जमीन के लिए अगर उसको बीज लेना पड़े, खाद लेना पड़े, डिजल लेना पड़े, दूसरी मजदूरी के लिए आदमी रखना पड़े, कुछ भी करना पड़े, क्या आपने कभी इसकी इकोनोमिक्स को देखा है कि यह दो हजार का लोन जो आप देते हैं उसको लाभ कितना मिलता है, कितना लाभ नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में कुल मिलाकर लोन देते हैं, साढ़े चार हजार की लिमिट है इससे ज्यादा नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में आपकी शॉर्ट टर्म लोन की लिमिट साढ़े चार हजार की ही कर रखी है। इसलिए दो हजार और साढ़े चार हजार के बीच में आपके बहुत ज्यादा किसान होंगे और उसमें बहुत ज्यादा डिफाल्टर्स होंगे और वह डिफाल्टर्स आपसे बहुत बड़ा लाभ उठा लेंगे

(2००)

(श्री कैलाश मेघवाल)

ऐसी कहीं स्थिति नहीं है। ऐसी हालत में इस इकोनोमिक्स को कि यह दो हजार की इकोनोमी, आप देखें कि वह चाहे स्माल फार्मर को दो, चाहे दूसरे फार्मर को दो, यह बहुत छोटी रकम है, इसलिए उसकी आवश्यकतायें फसल को ठीक पैदा करने की पूरी नहीं होती है। इकोनोमी को देखते हुए मेरा आपसे निवेदन है कि जो साढ़े चार हजार की लिमिट शॉर्ट टर्म लोन की मेग्जीमम है उस सारी लिमिट को यह लाभ दीजिए और यह दो हजार की जो लिमिट मानी है इसको समाप्त कर दीजिये, यही मेरा संशोधन है और यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : आप भी विचार व्यक्त करना चाहेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : विचार तो कर दिये, वही मेरा भी सुझाव था। इतना ही मुझे निवेदन करना है कि यह जो सूदखोरी का कानून है इसमें आपने व्यवस्था कर दी है कि जितना मूलधन है उससे ज्यादा ब्याज नहीं ले सकते, जैसा माननीय कैलाश जी ने कहा कि दो हजार तक का एक्जेम्प्ट कर दिया और दो हजार से ज्यादा अगर कोई आदमी कर्जा लेगा तो उसको आप एक्जेम्प्ट क्यों नहीं करना चाहते, जब उत्तर दें तो समझायें कि इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, जब आपने सिद्धान्ततः यह मान लिया और कानून बना हुआ है, एक इन्डिवीजुअल को तो आपने पाबन्दी कर दी कि वह मूलधन से ज्यादा ब्याज नहीं ले सकते। सूदखोरी मना है उसके लिए तो और को-ऑपरेटिव सोसायटी सूदखोर हो गई। तो यह सोसाइटीज को आप सूदखोरी के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहते हैं और सूदखोरी का काम क्यों करना चाहते हैं, यह जरा समझा दें। जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि साढ़े चार हजार तो कुल ही देते हो आप। आपकी हैसियत ही इतनी है कि आप साढ़े चार से ज्यादा कर्जा किसी को देते ही नहीं। तो साढ़े चार हजार और दो हजार में ज्यादा फर्क नहीं है। इसलिए मेरा तो संशोधन है कि किसी भी प्रकार का कर्जा काश्तकार या सोसायटी के मेम्बर को आप देते हैं उसमें मूलधन से अधिक पैसा किसी भी परिस्थिति में वसूल नहीं किया जाना चाहिये। यह न्याय संगत नहीं है कानून संगत नहीं है और वेलफेयर सरकार के लिए, जन कल्याणकारी सरकार के लिए भी बिल्कुल ही आपके सिद्धान्तों के बिल्कुल विपरीत है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप यह जो संशोधन है मेरा और कैलाश जी का, वह करीब करीब एक ही है, इसको आप स्वीकार करेंगे। इसके इसके साथ ही मैं अपना निम्न संशोधन प्रस्तुत करता हूं :—

Clause–2

In new section 65A to be inserted by clause 2 the words "a member taking short term loan for a period not exceeding fifteen months or from a member initially taking such short term loan" be substituted by the words "a member taking loan for a period not exceeding fifteen months or from a member initially taking loan."

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो सम्माननीय सदस्यों ने जो संशोधन पेश किये हैं उनके बारे में मुझे इतना ही निवेदन करना है जो शॉर्ट टर्म लोन की एक्ट में जो परिभाषा दी गई है उसमें भी यह कहा गया है कि : "A short term loan means a loan for the duration of less than 15 months."

दूसरा आपने कहा है कि साढ़े चार हजार तक का देते हैं, साढ़े चार हजार तक का क्यों नहीं कर लेते इसको इसके बारे में मेरा अनुरोध है कि जैसा मैंने कहा कि स्माल फार्मर्स को छूट देने के लिए हमने यह व्यवस्था की है और जैसा मैंने आपसे अनुरोध किया कि 5 एकड़ जमीन वाला स्माल फार्मर माना जाता है और उसको 250 रुपया एकड़ के हिसाब से लोन दिया जाता है और राजस्थान लेवल पर ही नहीं नेशनल लेवल पर बहुत बड़ी बहस के बाद में आर.बी.आई. नेबार्ड एवार्ड, सबके द्वारा डिसीजन होने के बाद में 250) रुपया पर एकड़ का तय किया गया है उसके हिसाब से पैसा दिया जाता है जिसके हिसाब से 1250) होते हैं और 1250) के ऊपर 750) का और खर्चा मान करके वह किया गया है। तो मैं यह समझता हूं कि जो हम जिस गरीब आदमी को राहत देना चाहते हैं वह दो हजार में कवर हो जाता है और आगे वाले को देने से राज्य कोष पर इतना प्रभाव पड़ता है, केवल मात्र यह कह देने से कि सारा कर्जा माफ कर दो। आज स्थिति यह है कि कर्जा माफ कर देंगे तो दुबारा किसानों को राहत नहीं पहुंचाई जा सकेगी और उन लोगों के बलबूते पर जो लोग इस मूवमेंट को सफल नहीं देखना चाहते उन लोगों के बलबूते पर हम इन लोगों के लिए राहत के रास्ते बन्द नहीं कर सकते जिनको बहुत राहत और धन की आवश्यकता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि राज्य सरकार ने दो हजार तक की फिक्स की है। एक बात उन्होंने मनी लैंडिंग एक्ट के बारे में कही हवा महल से आने वाले सम्माननीय सदस्य ने बात रखी, मैं उनकी जानकारी के लिए निवेदन कर दूं कि को-आपरेटिव सोसायटी, बैंक, वित्तीय संस्थायें, इन सबके ऊपर यह मनी लैंडिंग एक्ट लागू नहीं होता।

(व्यवधान)

मेरी अर्ज सुनिये, को-आपरेटिव सोसाइटीज भी समाज की भलाई के लिए हैं, समाज के ही लोग हैं, समाज के अलावा दूसरे लोग होते ही नहीं हैं। तो मैं इस बारे में यह जो माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाये हैं जो उन्होंने कहा, बी.एल.डी.वी. आदि के बारे में कहा और ट्रैक्टर्स आदि बड़ी चीजों के लिए लोन दिये जाते हैं जो 5–7–10–15 साल के लिए दिये जाते हैं उसमें भी हमारी कोशिश इस बात की रहती है कि वसूलियां टाइम पर हों ताकि किसी पर भार न पड़े। अब पिछला घर ठीक करने के लिए सारे का सारा जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया आसाइनमेंट कर रहे हैं। यह मैं भी जानता हूं कि एक फसल के बाद दूसरी फसल पर आ जाना चाहिए, अब वह आ जाना चाहिये की बात तो हमने कर ली लेकिन जहां थोड़ी बहुत भी वसूली

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

के अन्दर कुछ भी करें तो जैसा मैंने निवेदन किया कि 15 लाख लोगों में वसूलियां हुई, अब कोई 10-20 केसेज हो सकते हैं कि कोई बिगड़ैल दिमाग चला गया हो, कोई और बात हुई हो। अब इस एक-एक केस को लेकर सारी बातें करें यह वाजिब बात नहीं है और मेरा यही अनुरोध है माननीय सदस्यों से कि जो संशोधन इसमें दिये हैं वह वापिस लें।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैंने यह मनी लैंडिंग एक्ट पढ़ा था, मेरा दुर्भाग्य है कि आप अंग्रेजी नहीं समझते हैं और कानून नहीं समझते हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप समझा दें, आप जब पैदा हुए थे तब तो गीत अंग्रेजी में गाये गये थे लेकिन जब मैं पैदा हुआ तो हिन्दी में ही गाये गये थे लेकिन मैं आपकी अंग्रेजी समझ लूंगा जो आप समझाना चाहते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपके तो गीत गाये ही नहीं होंगे।

श्री अध्यक्ष : आप अंग्रेजी में ही बोलो ना ?

श्री भंवरलाल शर्मा : यह बिलकुल नहीं समझेंगे।

श्री अध्यक्ष : नहीं आप बोलो वे समझ लेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : वे बिलकुल ही नहीं समझेंगे-हुकुम।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं नहीं समझूंगा तो मेरे पास गोल्ड मैडेलिस्ट बैठे हैं आप तो थर्ड डिवीजनर हो।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप तो गोल्ड में ही घूमते हो, गोल्ड से मेरा सम्बन्ध नहीं है। मेरा निवेदन यह था कि यह एक्ट जो बनाया है तो इस सिद्धान्त को स्वीकार किया है कि जितना मूलधन है उससे अधिक ब्याज नहीं लिया जाय। यह कह रहा हूं। यह कानून भी आपकी सरकार ने ही बनाया है तो जब एक इन्डिविजुअल को मना कर दिया, यह तो ठीक किया, लेकिन आप सोसाइटी पर कानून क्यों नहीं लगाते। इसलिए रेफरेंस दिया है। फिर आपको आर. बी. आई. ने कहा है कि आप ज्यादा पैसा वसूल मत कीजिए। उसको भी नहीं मान रहे हैं। आपने इसके आब्जेक्ट में लिखा है :

"The State Government is of the view that the amount of interest recoverable from the debtors by the Cooperative societies should not exceed the principal amount. The Reserve Bank of India has also suggested an amendment in the State legislation to this effect."

तो बैंक ने भी कहा है कि मत करिये। फिर आपने कह दिया कि हम तो माफ कर रहे हैं। माफ कहां कर रहे हैं आप, किसने कहा है कि माफ करें आप, कर्जा माफ करने को किसने कहा है, किसी ने नहीं कहा। ब्याज माफ करने के लिये भी किसी ने सुझाव नहीं दिया। हमने तो इतना ही

(श्री भंवरलाल शर्मा)

कहा है कि जितना मूलधन देते हैं उससे ज्यादा ब्याज वसूल मत करिये। अब आप या तो समझे नहीं। हम माफ नहीं कर सकते, लेकिन माफ करने के लिए किसने कहा। हम तो केवल यह कह रहे हैं कि आप माफ मत करिये परन्तु उनसे सूदखोरी भी मत करिये। जितना मूलधन है उससे ज्यादा ब्याज मत दीजिये, यही केवल निवेदन है। आप माफ मत समझिये इसको। आप बता दीजिए, अमेंडमेंड को मंजूर करते हैं या नहीं करते हैं ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

प्रश्न यह है कि श्री कैलाश मेघवाल ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उन्हें स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि श्री भंवरलाल शर्मा ने जो संशोधन प्रस्तुत किये हैं उन्हें स्वीकार किये जायें ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड दो स्वीकार किया गया।

खण्ड 3 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 3 स्वीकार किया गया।

खण्ड 1 अधिनियमन्, सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 अधिनियमन्, सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 अधिनियम, सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किये गये।

मन्त्री महोदय।

विधेयक का पारण

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1984 को पारित किया जाय।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं संशोधन देना भूल गया था इसलिए मुझे थोड़ा समय दिया जाये....

श्री अध्यक्ष : श्री महाराम चौधरी।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जो सहकारी समिति के मन्त्री महोदय

(श्री महाराम चौधरी)

ने जो संशोधन पेश किया है मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कोआपरेटिव सोसाइटी के अन्दर कहां लिखा हुआ है मूलधन से ज्यादा ब्याज लिया जाये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह संशोधन लाकर एक तरह से अधिकार लेना चाहते हैं कि दो हजार से ज्यादा का ब्याज है उनमें हम ज्यादा ब्याज ले सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह न तो को-आपरेटिव सोसाइटी एक्ट में है और न गांव के अन्दर किसी भी ग्राम सेवा सहकारी समिति की मैनेजिंग कमेटी ने आज तक इस तरह का कोई से दुगुने से ज्यादा ब्याज लिया है। हमारे यहां यह परम्परा है, कहते हैं सबसे बुरी जो गाली होती है उससे भी ज्यादा बुरी यह मानते हैं कि दुगुने से ज्यादा ब्याज लेना। अध्यक्ष महोदय, इसलिये यह जो इन्होंने दो हजार के आस पास के लोन लेने वाले जो आदमी हैं वह भी 15 महीने तक का प्रावधान करके उसमें यह संशोधन लाना चाहते हैं और इन्होंने अपने आंकड़ों में जो हालात अभी बताया है कि हमने इतने लाख रुपये या इतने हजार रुपये जमा कर लिये हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप को ये आंकड़े गलत दिये गये हैं या इन आंकड़ों को पढ़ने में, इकाई, दहाई, सैकड़े में आपसे गलती हो गई है। इसके उपरान्त भी यह कहना कि वसूली में यह आंकड़े आये हैं तो आपके सचिव ने, आपके को-आपरेटिव इन्सपेक्टर ने, आडिटर ने उन्होंने केलकुलेशन करने में गलती करके, कोई वसूली कर ली होगी वह रुपया इनको वापिस मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह उम्मीद करता था कि शोभाराम जी की कमेटी के द्वारा इन सहकारी समितियों के अन्दर, वे खुद अपने साथ थे, तब कई दफा याद दिलाया कि उनकी सिफारिशों के आधार पर सोसाइटीज एक्ट में आमूल परिवर्तन करके, यह जो सहकारिता जीवन दर्शन के नाम की रात-दिन चर्चा करते रहते हैं उसमें कोई संशोधन लायेंगे। उसके अनुसार संशोधन लाते जिससे इस सहकारी आन्दोलन को, जिसको आपके सरकारी अधिकारियों ने जान बूझकर मरा हुआ कर दिया है उसमें आप कोई जीवन डाल सकते।

अध्यक्ष महोदय, साथ-साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि संशोधन लाने से पहले इस बात पर जोर देते कि आपके अधिकारी लोग विजिट करने जाते है, टी. ए., डी.ए. वहां से लेते हैं, आडिट भी करते हैं....आडिट आक्षेपों की पूर्ति के सम्बन्ध में लाते, निरीक्षण करते हैं निरीक्षण के मामलों के अन्दर जो कमियां आती हैं, वास्तव में सोसाइटिज में अनियमिततायें या गबन वगैरह होते हैं, उन सोसाइटिज में जाते हैं तो विजिट नोट नहीं लिखते हैं, इन्सपेक्शन नोट नहीं लिखते हैं। आडिट आक्षेपों में भी गम्भीर आरोप होते हैं, इस मामले में भी वे किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करते हैं और टालमटोल करके वे अपने आपको जोखिम में नहीं डालना चाहते इस तरह के जो अधिकारी हैं जो कार्यवाही नहीं करते हैं, उनके खिलाफ आप एक्शन लेने की कार्यवाही नहीं करते हैं। अध्यक्ष महोदय यह मजमे-आम, एक तरह से इनकी आदत हो गयी है समारोह करने की, अभियान चलाने की। इसी तरह से सहकारिता का अभियान चलाया। अब आप और इस

(श्री महाराम चौधरी)

तरह के कितने अभियान चलायेंगे यह तो मुझको मालूम नहीं उसको तो भगवान ही देखेगा तब पता चलेगा। अध्यक्ष महोदय, सहकारी समिति का अभियान चलाया था, मजमे–आम में आपके अधिकारियों ने जो कार्यवाही की है, उस कार्यवाही के अन्दर जहां कहीं भी इन्स्पेक्शन नोट में, विजिट नोट में, आडिट आक्षेपों के अन्दर....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह सहकारिता पर कोई सामान्य वाद–विवाद नहीं है।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इसलिए शॉर्ट में निवेदन यही करना चाहता हूं कि इन बातों को मद्देनजर रखते हुए सहकारी समिति एक्ट में आमूल परिवर्तन जैसा संशोधन मन्त्री महोदय लाते जिससे आपकी वसूली में फर्क पड़ता और इस आन्दोलन को गति मिलती।

अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा मजमे–आम के सम्बन्ध में भी मन्त्री महोदय को जानकारी देना चाहता हूँ। इस मजमे-आम में कुछ नहीं हुआ है। जहां कहीं पर गम्भीर आरोप थे आपके अधिकारियों ने कतई ख्याल नहीं किया है। मैं मेरे ही ग्राम की सहकारी समिति का उदाहरण देकर बताना चाहता हूँ। मैं उस वक्त वहां पर नहीं था। वहां पर जो गम्भीर आरोप थे उनसे वसूली की कोई कार्यवाही नहीं की गयी। यहां तक कि आपकी सहकारी समिति के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार नागौर ने इस तरह की बहुत सी सहकारी समितियों का आप जो दुगुने से ज्यादा ब्याज की बात करते हैं उन लोगों से दस–दस साल तक हजारों रुपया अधिकारियों ने या गम्भीर अनियमितता करने वालों ने पैसे अपने पास रखे और सहकारी समिति ने उनको वसूल करने की पूरी कोशिश की, कोशिश करने के बावजूद में, सहकारी समिति के वगैर नोलिज में लाये उन लोगों ने सिर्फ पांच–पांच रुपया जुर्माना करके पैसा वसूल कर लिया जबकि अगर वह हिसाब लगाते तो दुगुने के बराबर, मूलधन के बराबर ब्याज लेते तो लाखों की तादाद में रुपयों की वसूली होती। इस प्रकार की भयंकर अनियमिततायें हुई हैं। इसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसे सहायक रजिस्ट्रार बहुत से हैं जो पदाधिकारी गबन करके, दुरुपयोग करके 10–15 साल तक पैसा अपने पास रख कर, उसके बाद आपके अधिकारियों से मिल कर, आपकी इतनी बड़ी–बड़ी रकम का दुरुपयोग करते हैं उसके बावजूद भी जितना आपका रुपया है उतना ही देते हैं और अपने काम में लेते हैं....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए।....

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इस तरह का आमूल परिवर्तन के बारे में आप बात करते तो आपके लिए शोभा की बात होती। इस संशोधन से लघु या सीमान्त किसान को कोई फायदा नहीं हुआ है। आप अगर फायदा करना चाहते हैं तो मेक्जिमम क्रेडिट लिमिट बढ़ाने का कोई आधार चेंज करके इन आदमियों को जिनको आप दो हजार रुपये या बारह सौ रुपये की सीमा जो लघु या सीमान्त काश्तकारों के लिए रख रहे हैं उसका आधार बदल करके और यह सीमा बढ़ा

(श्री महाराम चौधरी)

करके उनको पांच–छः हजार का ऋण दिलाने जैसी व्यवस्था का कोई संशोधन आप लाते तो तारीफ के काबिल होता।

श्री अध्यक्ष : समय काफी हो गया है। इसलिए पांच–पांच मिनिट प्रत्येक सदस्य को दिये जायेंगे। श्री रघुवीरसिंह कौशल।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारा): अध्यक्ष महोदय, बिल पर काफी चर्चा हो गई है। समय भी कम है। इसलिए बिल के आस–पास ही....

श्री अध्यक्ष : पास किया जाय या नहीं किया जाये इसी के बारे में चर्चा होगी।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, मैं कोई भूमिका नहीं बांधता न शृंगार न वीर रस। डायरेक्ट ही बोलता हूं।....

अध्यक्ष महोदय, आप सहकारी क्षेत्र के जाने माने नेता रहे हैं, हैं भी। सहकारी आन्दोलन के पीछे एक भाव था कि बनिये से किसान को मुक्ति दी जाये। विडम्बना देखिये कि आज सहकारी क्षेत्र के जो मन्त्री हैं वे × × × हैं। तो सहकारिता की क्या स्थिति है इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। यह लोन वसूल नहीं हो रहा है दो हजार वाला, इसके लिए क्या कर्मचारी जिम्मेदार नहीं हैं, जिनको इस बात की तनख्वाह मिलती है। वे उपेक्षा क्यों करते हैं। क्या आप लाइबिलिटी फिक्स करने के लिये तैयार हैं। क्या आपने उनको अनियमिततायें करने की छूट दे दी है। अध्यक्ष महोदय, पानी यदि ऊपर से गन्दा हो तो नीचे का पानी साफ नहीं हो सकता। नीचे का पानी यदि गन्दा है और ऊपर का पानी साफ आता हो तो नीचे का पानी साफ हो जाता है। अनियमितताओं की जड़ माननीय मन्त्री महोदय हैं। को–आपरेटिव एक्ट के अन्तर्गत नियम बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, उनकी सबसे बड़ी उपेक्षा हमारे माननीय मन्त्री महोदय करते हैं। धारा 36 के केसेज कितने समय में डिसाइड हो जाने चाहियें, यह एक्ट में दिया हुआ है। तीन महीने की अवधि है लेकिन माननीय मंत्री महोदय के यहां कितने केसेज ऐसे हैं जो सालों से चल रहे हैं या जिन पर बहस हो चुकी है। अध्यक्ष महोदय, सामान्य रूप से....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप यह जो विधेयक है उसकी परिधि से बाहर जा रहे हैं। आप विभाग की चर्चा कर रहे हैं। दूसरे कार्यकलाप हैं उनकी कर रहे हैं इसमें बिल को स्वीकार किया जाय या नहीं किया जाय, इसमें कुछ सिद्धान्त निहित थे और उनके अनुपालन में उन्होंने कुछ प्रस्ताव पेश किये संशोधन करने के। तो कृपया अपने आपको उस तक सीमित रखें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको स्मरण कराना चाहता

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

हूं कि प्रातःकाल आपने जब सोसाइटीज का एक प्रश्न था तब आपने कहा था कि जब बिल आएगा तो आपको आसपास बोलने की इजाजत दे दूंगा। इस आधार पर बोल रहा हूं, आपकी अनुमति से बोल रहा हूं और टू दी पोइन्ट बोल रहा हूं और ऐसी बात बोल रहा हूं जिसको मन्त्री महोदय भी स्वीकार करते जा रहे हैं मान रहे हैं वे इस बात को। इसका लाभ होगा सरकारी जगत को, इसलिए बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : इसके अन्य माध्यम हो सकते हैं, माननीय सदस्य।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : तो आपने पांच मिनट दिये हैं....

श्री अध्यक्ष : विचाराधीन विधेयक है उस पर अपने आपको सीमित रखें। इसमें कोई त्रुटि हो, कोई दोष हो। बात यह है कि इस तरह के बहुत से अन्य विषय आ जायेंगे, आरोप, प्रत्यारोप आ जायेंगे, उनके अन्दर व्यर्थ में समय जाएगा, उसके लिए आप जानते हैं कि अपने पास कई तरह के माध्यम होते हैं। कई अलग-अलग अवसर होते हैं, जब चर्चा हो सकती है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मैं आरोप नहीं लगा रहा था, मैं तो....

श्री अध्यक्ष : उससे कई तरह की समस्यायें आती हैं।....

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप उसमें पूरे सहकारिता के बारे में कहना चाहें वह भी यह उपयुक्त अवसर है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मैं बिलकुल ध्यान आकर्षित करने वाले टू दी पोइन्ट और वह भी चार मिनट में खत्म कर दूंगा, आपने पांच मिनट दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, जो विधेयक आया है उसके बारे में कह दीजिए।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मैं मन्त्री महोदय को प्रसन्न करने के लिए, मन्त्री महोदय को इस बात के लिए उनको धन्यवाद दूं कि उनके राज में आय का चाहे एक प्रतिशत ही लाभ हुआ हो, किन्तु हुआ जरूर है। इस बात से आप प्रसन्न होंगे लेकिन साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं की मजमे-आम में क्या-क्या स्थिति हुई है। एक व्यक्ति को 22 तारीख को मांग-पत्र दिया, 25 तारीख को उसका सर्व हुआ, 25 तारीख को सोसायटी का मांग-पत्र मिला और 25 तारीख को ही कुर्की अधिकारी का ही मिला और 25 तारीख को ही उसकी कुर्की हो गई। ये मजमे-आम में यदि लाभ की जगह यह जो उस आदमी की कुर्की हो गई क्या इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी से आप एक्सप्लेनेशन कॉल करेंगे? क्या मजमे-आम का उद्देश्य यह था कि आप अनियमिततायें बरतें। अध्यक्ष महोदय, मैं अनियमितताओं के बारे में बात इसलिए कर रहा था, केवल ध्यान आकर्षित

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

करने के लिए, उनकी आलोचना करने के लिए नहीं, कि जिन मुकदमों में बहस हो चुकी है उनको आज छः–छः महीने हो गये डिसीजन नहीं सुनाये गये जबकि मुकदमा कुल तीन महीने में खत्म हो जाना चाहिये। यह लोगों को रुपया नहीं देने की आदत क्यों पड़ी, अध्यक्ष महोदय, उसका कारण है, और यही अनियमितताओं का कारण है, संरक्षण कारण है कि गलत अधिकारी संरक्षण देते हैं और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता इसका कारण है। आज जितने भी केसेज धारा 74 में आ रहे हैं कितने समय में डिसाइड होते हैं वे। आज सन् 1968 तक के, 1974 तक के केसेज पेंडिंग हैं। क्यों नहीं एक एडीशनल रजिस्ट्रार की जगह दो रजिस्ट्रार लगाते हैं आप, तीन एडीशनल रजिस्ट्रार लगाते हैं आप। हरियाणा छोटा सा प्रदेश फिर भी कितने एडीशनल रजिस्ट्रार लगे हुए हैं। लेकिन एडीशनल रजिस्ट्रार एक है, मुकदमे कितने हैं, डिसीजन होता है मुकदमे उससे कई गुणा केसेज आ रहे हैं। इस डिपार्टमेंट के लिए मैं ये सब बातें सीरियसली इसलिए कह रहा हूं कि दो साल पहले के श्रीरामजी गोटेवाला और आज के गोटेवालाजी में कुछ अन्तर है। कुछ गम्भीरता आई है कुछ समझने की कोशिश करते हैं, भले आप समझें नहीं। यह जो अन्तर आया है इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ये जो केसेज आपके हैं इनको जल्दी डिसाइड करने के लिये आप कोई व्यवस्था करें। आपके यह जो सिस्टम है, इस सिस्टम पर आप पुनर्विचार करें। आपको जोइन्ट रजिस्ट्रार बैंकिंग, जोइन्ट रजिस्ट्रार मार्केटिंग, जोइन्ट रजिस्ट्रार कन्ज्यूमर और इनसे सीनियर जोइन्ट रजिस्ट्रार बैंक का मैनेजर, क्या इसमें सिस्टम चलायेंगे। क्यों नहीं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने निवेदन किया पूर्व में कि आप अपने आपको इस विधेयक के दायरे में रखें। पारित करने का प्रस्ताव है। आप उस पर सहकारिता के विभाग पर चर्चा कर रहे हैं उससे कोई प्रयोजन....

श्री रघुवीरसिंह कौशल - माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने सुबह कहा था इसलिए बोल रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा था। नियम विरुद्ध मैं कभी नहीं कहता। किन परिस्थितियों में क्या कहा होगा, आपका कोई प्रस्ताव होगा या और कोई बात होगी लेकिन इसके जो नियम हैं, उसी के अनुसार यहाँ कार्यवाही चल सकती है। यह खराबी है, जो खराबी है तो उसमें राज्यपाल का अभिभाषण हो, मांगों पर विचार हो, सामान्य चर्चायें हों। मैं बार-बार आपका क्या ध्यान आकर्षित करूं। यह साधारण सी बात है। मेरे ख्याल से मन्त्री जी जवाब दीजिए।

श्री महावीरप्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस विधेयक के दायरे के बाहर चर्चा को जाने दूंगा नहीं....

श्री महावीरप्रसाद जैन : मैं विधेयक के बारे में....

श्री अध्यक्ष : इसके बारे में अगर आपने पढ़ा हो और वाकई कोई त्रुटि अगर रह गई नजर आती हो जिसके कारण से इसको अस्वीकार करना पड़े तो वह बात मुझे बता दीजिए।

श्री महावीरप्रसाद जैन : हां वो ही बात कह रहा हूं। यह विधेयक अस्वीकार किया जाय वह क्यों किया जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : जो पहले का है वह तो स्वीकार किया हुआ है उसमें जितने शब्द जोड़े हैं वे किसी न किसी तरह से गलत हैं, त्रुटिपूर्ण हैं जिसको अमेन्ड करें या कर दिया है उसको बता दीजिये आप, मैं मान लूंगा।

श्री महावीरप्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, इस बिल से सारी को-आपरेटिव की भावनायें बदल जाती हैं इसलिये इसको अस्वीकार किया जाय वह मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : इसको अमेन्ड करने के कारण, वह भी पांच मिनट का टाइम मैंने दिया है, वह बता दीजिए।

श्री महावीरप्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा पूर्व में....

श्री अध्यक्ष : कोई खास बात हो, आप कोई सार की चर्चा करना चाहते हों तो मैं समय देता हूं। इसमें बात तो है नहीं, कानूनी मुद्दा है सदन के समक्ष उसमें बात कुछ और है। आप कुछ और कहना चाहते हैं, वह हो नहीं सकेगा, माननीय सदस्य। कृपया।

श्री महावीरप्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिलकुल और नहीं कहना चाहता। मेरा निवेदन यह है कि जैसा माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि 89,350 आपने नोटिस दिये हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो नोटिस दिये हैं वे ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे दो हजार रुपये और उतना ही व्याज उनसे लिया जायेगा यह बात जो कही गई है यह एक छलावा है, एक धोखा है उनके साथ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो 89 हजार लोगों को नोटिस दिये गये हैं उनमें एक पैसा भी बाकी नहीं है। जब मजमे-आम में यह बात सिद्ध हो चुकी है और मैं आपको टोंक जिले की बात निवेदन करना चाहता हूं कि वहां 165 ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं और मजमे-आम में उनमें से 99 ग्राम सेवा सहकारी समितियों की रिपोर्ट इनके पास आ गई है और वहां अधिकारियों ने इनको रिपोर्ट दे दी है। उन 99 में भ्रष्टाचार और गबन मिला है 22.30 लाख रुपये का उसमें गबन हुआ है और वह गबन किया गया है उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। उनके खिलाफ....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बार-बार टोकना पड़ रहा है। माननीय सदस्य आप विषयान्तर हो रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री महावीरप्रसाद जैन: माननीय अध्यक्ष, महोदय, यदि यह विधेयक लाया जाता कि जिन्होंने लोन नहीं लिया है, उनसे वसूल नहीं किया जायेगा। यदि यह विधेयक लाया जाता कि जिनके खिलाफ लोन लिखा हुआ है ....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य विषय से हट रहे हैं।

श्री महावीरप्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने जमा करवा दिया है ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री महावीरप्रसाद जैन : मैं आपको स्पेसिफिक यह बता सकता हूँ कि किस-किस ग्राम सेवा सहकारी समिति में....

श्री अध्यक्ष : मैंने यह नहीं कहा कि आप जो कह रहे हैं वह सही नहीं हो। लेकिन मैं यह निवेदन कर रहा हूँ कि आप जो दायरा है चर्चा का उससे हट करके बात कर रहे हैं।

श्री महावीरप्रसाद जैन : उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय। जिन्होंने गबन किया है इस बिल के द्वारा उन लोगों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और केवल उनके लाभ के लिए, केवल उनसे पैसा जमा करवाने के लिए उनके खिलाफ इन्होंने कोई एफ. आई. आर दर्ज....

श्री अध्यक्ष : कृपया आप स्थान ग्रहण कीजिए। विषय से हट कर बात कर रहे हैं।

श्री महावीरप्रसाद जैन : और सारा जो लोन है उनमें बाकी नहीं हैं। ऐसा कोई किसान नहीं है जिसने अपनी फसल लोन के लिए और शॉर्ट टर्म में लोन लिया है, जमा नहीं करवाया है। ये सारे वे लोन हैं जिन्होंने गबन किये हैं, चाहे व्यवस्थापकों ने की है, चाहे अध्यक्षों ने की है। सारे वे लोग हैं और उनसे यह लोन वसूल किया जा रहा है, आज भी उन लोगों से वसूल किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उन लोगों को यह समझाया जाता है कि तुमसे ज्यादा पैसा नहीं लिया जायेगा, इतना पैसा लिया जायेगा। यह कह कर यह दबा कर, जिन लोगों ने लोन नहीं लिया है उनसे वसूल किया जा रहा है। इसलिए यह अमेन्डमेन्ट लाया गया है, यह बिल इसलिये पेश किया जा रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यह बिल यदि पास हुआ तो उन लोगों को गलत रूप से समझा कर, दबा कर और आपसे ज्यादा वसूल नहीं किया जायेगा यह कह कर उनसे वसूल किया जा रहा है। इसलिए इसको अस्वीकार किया जाये यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : मन्त्रीजी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय तीन सम्माननीय सदस्यों ने इसके ऊपर अपने विचार प्रकट किये हैं। टू दी पोइन्ट इन तीनों में से एक ने भी विचार व्यक्त नहीं किये हैं। लेकिन मैं कुछ बातों का जो बारां से आने वाले....

श्री महाराम चौधरी : आपकी समझ में नहीं आया होगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : समय जब बंट रही थी तो केवल मात्र महारामजी आप ही उपस्थित थे बाकी तो और सब अनुपस्थित थे उस समय। माननीय अध्यक्ष महोदय, धारा 36 के केसेज के बारे में कि इसका वसूली से तो कोई ताल्लुक पड़ता नहीं है। सोसाइटी को भंग करने या कायम करने के बारे में यह धारा 36 है। दूसरी उन्होंने केसेज की बात कही है मुझे पता है कि दसेक हजार के करीब केसेज विभिन्न स्तरों पर पेंडिंग है, वर्षों से पेंडिंग हैं, उनका निपटारा कर रहे हैं, उनके अन्दर

(व्यवधान)

आप सुनो तो सही आप तो बिल्कुल बात बात कर रहे थे तो भी मैं ध्यान से सुन रहा था। थोड़ी तो कृपा करें आप।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, संशोधन पर बुलवाइये। ये माननीय मंत्री महोदय काहे पर बोल रहे हैं। इनको भी संशोधन पर बुलवाते हैं। तो जवाब किस बात का।

श्री श्रीराम गोटेवाला : वह तो अध्यक्ष महोदय मुझे रोक देंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : उन्हीं से मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री गोविन्द सिंह गूर्जर : वह तो आपके प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : समय आयेगा तो उनको भी रोक दूंगा, नहीं माननीय सदस्य।

श्री श्रीराम गोटेवाला : दूसरा माननीय कौशल साहब ने बताया कि मजमे ग्राम में 22 को नोटिस दिया 25 को वह आया और उसकी कुड़की हो गयी। मजमे ग्राम में कुर्की वगैरा के आदेश नहीं थे। उसके बारे में अगर मुझे जानकारी देंगे तो निश्चित तौर से मैं कार्यवाही करेंगे अगर किसी ने ऐसा किया है। आपकी जानकारी के लिए निवेदन कर दूं कि मजमा ग्राम के बारे में सब जगह से इस बारे में पत्र आ रहे हैं कि आपने को-आपरेटिव डिपार्टमेंट को सही करने के लिए बहुत अच्छी, सही व्यवस्था की है। अब हो सकता है कि इनके कुछ आदमी गडबडी में फंस रहे हों और उसके बारे में कुछ शिकायतें आयी हों मुझे पता नहीं इसके बारे में।

श्री मेघराज तावड़ : वह तो आपके ही आदमी है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सारे फीगर मेरे पास आ रहे हैं अभी 15 तारीख तक का वह मजमे ग्राम का आयोजन था। इसलिये अभी से सारे फिगर्स मेरे पास आ रहे हैं, सारे कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो मंशा है उसके ऊपर ये डाऊट कर रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा कि वह बिल्कुल गलत है। जो स्माल फार्मर और मार्जिनल फार्मर हैं उसको लाभ देने की दृष्टि से यह दो हजार रुपये तक के ऊपर यह प्रावधान किया है। अब मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन से अनुरोध कर रहा हूं कि इसको पारित किया जाय।

श्री महाराम चौधरी : को-आपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अन्दर कहां पर लिखा हुआ है कि मूलधन से दुगुना ब्याज लिया जायेगा, एक। और ऐसे जो आपके अधिकारियों के द्वारा जो गबन के केसेज थे, जो 10--10 साल से रकम रखी गई है, उनसे

(श्री महाराम चौधरी)

तो आपने किसी से मूलधन से दुगुनी ब्याज की वसूली नहीं की है। उनसे वसूली करने के लिए आप क्या कार्यवाही करेंगे।

श्री भैरू सिंह गुर्जर : एफ. आई. आर. दर्ज करके वसूल करेंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इसमें लिखने पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती इस ब्याज के सिस्टम में. उसका तो बकायदा प्रावधान है। इस समय तक इतना नहीं दिया तो इतना पैनल इन्ट्रेस्ट, तीन प्रतिशत इंट्रेस्ट लगेगा वह सारा बंधा हुआ प्रोसीजर है। दूसरी बात आपने अधिकारियों की कही, तो मैं कई बार स्पष्ट कह चुका हूं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति हैं जिसमें गबन का रुपया बकाया है तो उनसे निश्चित रूप से वसूल किया जायेगा। अब अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि कहीं अदालतों का स्टे हैं, कई कई जगहों के स्टे हैं।

एक माननीय सदस्य : आपका भी स्टे है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : हां मेरा भी स्टे हो सकता है मैं मना नहीं करता। मेरे भी लेवल पर हो सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी : आपके अधिकारी ने, फैसला लेकर भी वसूल नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि न किसी अधिकारी को देखते हैं, न किसी और को देखते हैं। जिन लोगों ने गबन किया है, जिनके अन्दर रुपया बकाया है, उन सबके ऊपर एक ही तरीके से कार्यवाही होनी है।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुयी।

"प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 1984 पारित किया जाय।"

(स्वीकृत)

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1984 पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 7.45 बजे बुधवार दिनांक 17 अक्टूबर, 1984 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न सं. 108 की सूची)

जनवरी से अगस्त, 80 तक केन्द्र सरकार से प्राप्त लेवी चीनी के आवंटन एवं उठाव का मानचित्र :—

(मात्रा मी. टनों में)

नाम माह	आवंटन	उठाव
जनवरी, 84	15,348.7	24,810.1
फरवरी, 84	15,136.6	7,483.5
मार्च, 84	15,858.0	17,741.4
अप्रैल, 84	15,858.0	28,667.5
मई, 84	15,858.0	12,759.9
जून, 84	15,858.0	9,576.3
जुलाई, 84	15,858.0	24,337.9
अगस्त, 84	15,858.0	28,645.8
योग :—	1,25,633.3	1,54,022.4

परिशिष्ट-2

[तारांकित प्रश्न सं. 109 की सूचियां]

"अ"

जिला बून्दी में सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को आवंटित नगर पालिका द्वारा दुकानों की सूची :—

क्र. सं.	नगरपालिका का नाम	दुकानों की संख्या
(1)	लाखेरी	30
(2)	केशोरायपाटन	25
(3)	बून्दी	20
(4)	नैनवा	10
(5)	कापरेन	10
(6)	इन्द्रगढ़	5

परिशिष्ट 'ब'

बून्दी जिले में सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवंटित की गई दुकानों की सूची।

क्र. सं.	नाम व पिता/पति का नाम	जाति	स्थान/पता
	नगरपालिका लाखेरी जिला बून्दी		
1.	श्री चौथमल/माधो	कोली	वार्ड नं. 11
2.	श्री ओमप्रकाश/कन्हैयालाल	कोली	,, ,, 6
3.	श्री रामकिशन/मोड़	कोली	,, ,, 6
4.	श्री राधेश्याम/जगन्नाथ	खटिक	,, ,, 10
5.	श्री बालकिशन/गुलाबचन्द	नायक	,, ,, 3
6.	श्री नन्दकिशोर/श्री प्रताप	खटीक	,, ,, 10
7.	श्री भंवरलाल/धुलीलाल	,,	,, ,, 10
8.	श्री भैरूलाल/हीरालाल	रेगर	,, ,, 10
9.	श्री नरेशकुमार/धन्नालाल	,,	,, ,, 10
10.	श्री प्रहलाद/रतीराम	,,	,, ,, 15
11.	श्री कालूराम/श्री गोपाल	बैरवा	,, ,, 15
12.	श्री नन्दलाल/भंवरलाल	कोली	,, ,, 8
13.	श्री गेन्दीलाल/सुक्खा	बैरवा	,, ,, 16
14.	श्री माधोलाल/श्री कालू	,,	,, ,, 4
15.	श्री ओमप्रकाश/कस्तूरचन्द	धोबी	,, ,, 9
16.	श्री देवीलाल/नैनगा	कोली	,, ,, 8
17.	श्री बाबूलाल/देवबक्स	बैरवा	,, ,, 12
18.	श्री नारायण लाल/गिरधारी लाल	धोबी	,, ,, 11
19.	श्री मोहन लाल/बाला	रेगर	,, ,, 6
20.	श्री लादूराम/भूरा	धोबी	,, ,, 12
21.	श्री कल्लू/रामू	मोची	,, ,, 16
22.	श्री तेजमल/भंवरलाल	खटीक	,, ,, 8
23.	श्री महावीर/हीरालाल	रेगर	,, ,, 6
24.	श्री रामस्वरूप/नन्दलाल	धोबी	,, ,, 12

क. सं.	नाम व पिता/पति का नाम	जाति	स्थान/पता
25.	श्री मदनमोहर/भूरा	नायक	,, ,, 2
26.	श्री कालू/मन्ना	बगरी	,, ,, 3
27.	श्री दुर्गाशंकर/केसरीलाल	रेगर	,, ,, 12
28.	श्री मांगीलाल/छोटूलाल	नायक	,, ,, 3
29.	श्री लक्ष्मीनारायण/भँवरलाल	खटीक	,, ,, 8
30.	श्री चौथमल/गणेशराम	रेगर	,, ,, 10

नगरपालिका इन्द्रगढ जिला बून्दी

1.	श्री रेखराज/छोटु लाल	बैरवा	वार्ड नं. 9
2.	श्री हरिश्चन्द्र/केसरीलाल	,,	,, ,, 9
3.	श्री हेमराज/हरिशंकर	ढोली	,, ,, 12
4.	श्री रमेशचन्द्र/बजरंग लाल	बैरवा	,, ,, 32
5.	श्री ताराचन्द/केसरा	मेहतर	,, ,, 5

नगरपालिका नैनवा

1.	श्री ग्यारसीलाल/गुल्ला	बैरवा	वार्ड नं. 10
2.	श्री रामदेव/शंकर	,,	,, ,, 5
3.	श्री नवल कुमार/बजरंग लाल	कोली	,, ,, 3
4.	श्री श्रवण लाल/बिशना	खटीक	,, ,, 3
5.	श्री रामप्रसाद/बजरंगा	हरिजन	,, ,, 7
6.	श्री लटूरलाल/धनजीराम	बैरवा	,, ,, 5
7.	श्री रामचरण/प्रभुलाल	,,	,, ,, 5
8.	श्री हेमा/लुणा	रेगर	,, ,, 1
9.	श्री नाथू/मन्ना	रेगर	,, ,, 1
10.	श्री प्रभुलाल/गांधू	रेगर	,, ,, 5

नगरपालिका–कापरेन

क्र. सं.	नाम व पिता/पति का नाम	जाति	स्थान/पता
1.	श्री चिरंजीलाल/सुमा	चमार	,, ,, 7
2.	श्री गोपाल/किशन	मेघवाल	,, ,, 6
3.	श्री रामदेव/कल्याणमल	धोबी	,, ,, 2
4.	श्री बद्रीलाल/गोपाल लाल	हरिजन	,, ,, 6
5.	श्री मूलचन्द/धूलीचन्द	चमार	,, ,, 7
6.	श्री शंकरलाल/गबरू	,,	,, ,, 7
7.	श्री हरिराम/भंवरलाल	मेहतर	—
8.	श्री बाबूलाल/रामपाल	मेघवाल	—
9.	श्री कन्हैयालाल/छीतरलाल	चमार (मोची)	—
10.	श्री चोथमल/भंवरलाल	मेहतर	—

नगरपालिका केशवरायपाटन

1.	श्री पांचु/मंगला	मेघवाल	वार्ड नं. 9
2.	श्री रमिपाल/नारायण	,,	,, ,, 9
3.	श्री नन्दलाल/ओंकार	,,	,, ,, 9
4.	श्री बिहारीलाल/ओंकार	मेघवाल	,, ,, 9
5.	श्री बिहारीलाल/कन्हैयालाल	धोबी	,, ,, 4
6.	श्री श्यामबिहारी/गेन्दीलाल	मेघवाल	,, ,, 9
7.	श्री मोहनलाल/मोडु	चमार	,, ,, 1
8.	श्री सूरजमल/भंवरलाल	मेहतर	,, ,, 9
9.	श्री रामचरण/धुलीलाल	चमार	,, ,, 3
10.	श्री मोडुलाल/रामकिशन	मेघवाल	,, ,, 9
11.	श्री जगन्नाथ/शोभाराम	बैरवा	,, ,, 1
12.	श्री छीतरलाल/शंकरलाल	मेहतर	,, ,, 9
13.	श्री सूरजमल/छोटुलाल	मेहतर	,, ,, 9
14.	श्री रामस्वरूप/भंवरलाल	मेघवाल	,, ,, 10

(218)

क. सं.	नाम व पिता/पति का नाम	जाति	स्थान/पता		
15.	श्री घनश्याम/गोकुलचन्द	खटीक	,,	,,	4
16.	श्री रामस्वरूप/मांगीलाल	नट	,,	,,	3
17.	श्री मोहनलाल/रामदेव	खटीक	,,	,,	3
18.	श्री मांगीलाल/बंशीलाल	मेहतर	,,	,,	9
19.	श्री बाबूलाल/छीतरलाल	खटीक	,,	,,	4
20.	श्री चिरंजीलाल/मिश्रीलाल	चमार	,,	,,	3
21.	श्री धुलीलाल/रामपाल	चमार	,,	,,	3
22.	श्री बृजमोहन/राधाकिशन	चमार	,,	,,	3
23.	श्री भूराराम/नौथमल	मेहतर	,,	,,	10
24.	श्री फूलचन्द/हरजीराम	खटीक	,,	,,	9
25.	श्री ओमप्रकाश/चन्दालाल	खटीक	,,	,,	9

नगरपालिका बून्दी

1.	श्री धन्नालाल/नन्दकिशोर	कोली	,,	,,	19
2.	श्री जमनालाल/छीगा	कोली	,,	,,	20
3.	श्री गेन्दीलाल/छीगा	कोली	,,	,,	20
4.	श्री अमरचन्द/लालुराम	बैरवा	,,	,,	18
5.	श्री रामलाल/रामचन्द्र	बैरवा	,,	,,	18
6.	श्री मानमल/बाल मुकुन्द	बैरवा	,,	,,	18
7.	श्री गंगाराम/देवीराम	,,	,,	,,	18
8.	श्री नन्दराम/हुकमचन्द	,,	,,	,,	18
9.	श्री कल्याण/रामनारायण	खंगार	,,	,,	18
10.	श्री प्रभुलाल/नारायण	मेघवाल	,,	,,	1
11.	श्री धन्नालाल/राधा	मेघवाल	,,	,,	3
12.	श्री गणेश/माधोलाल	मेघवाल	,,	,,	3
13.	श्री बसन्तकुमार/गोविन्दराम	बैरवा	,,	,,	17
14.	श्री शंकरलाल/गणेशराम	धोबी	,,	,,	5

क्र. सं.	नाम व पिता/पति का नाम	जाति	स्थान/पता
15.	श्री मदनलाल/गोपीलाल	थोरी	,, ,, 11
16.	श्री चौथमल/प्रभुलाल	नायक	,, ,, 19
17.	श्री रमेश/हीरा	,,	,, ,, 21
18.	श्री मोहनलाल/माधो	,,	,, ,, 25
19.	श्री छीतर/जगदेव	,,	,, ,, 21
20.	श्री शम्भु/सांवरिया	मेहतर	,, ,, 18

परिशिष्ट 3

तारांकित प्रश्न सं. 111 की सूची

कब्रिस्तान गोपालगढ़ (भरतपुर) की भूमि पर नाजायज काबिजान की सूची।

(1) श्री सुबहान खाँ
(2) ,, कैलाश शर्मा
(3) ,, मूलचन्द धर्मचन्द
(4) ,, ओमप्रकाश पीलमुवाल
(5) ,, सरदार निगारासिंह
(6) ,, गिर्राज पटेल
(7) ,, हरबख्श माली
(8) ,, सोनी गुर्जर
(9) ,, बीरबल सिंह भू. पू. सरपंच
(10) ,, दर्शनसिंह
(11) ,, लालाराम बिरदावर
(12) ,, ब्रह्मानन्द पटवारी
(13) ,, नबी खाँ
(14) ,, मुराद खाँ
(15) ,, कपूरचन्द भू. पू. सरपंच
(16) ,, एक नाई जिसका नाम मालूम नहीं
(17) ,, पण्डित लालूराम
(18) ,, भगवत मीणा
(19) ,, जमील अहमद

परिशिष्ट—4

तारांकित प्रश्न सं. 112 की सूची

लालसोट से खरीदे गये सामान की फर्मों की सूची

क्र. सं.	फर्म का नाम
1.	नेशनल इलेक्ट्रिक कम्पनी, लालसोट
2.	खण्डेलवाल इन्जी. कम्पनी, लालसोट
3.	रामस्वरूप प्रकाश चन्द लोहे वाला, लालसोट
4.	दुर्गा सिंह एण्ड सन्स, लालसोट
5.	राजू रिपेयरिंग वर्क्स, लालसोट
6.	कृषि हाट, लालसोट
7.	ओम मैकेनिकल वर्क्स, लालसोट
8.	कल्याण सिंह जी लालसोट
9.	लालसोट कृषि यंत्रालय, लालसोट
1 .	जयपुर ट्रैक्टर सेन्टर, लालसोट
11.	व्यास इन्जी. कम्पनी, लालसोट
12.	कबीर गैस वेल्डिंग वर्क्स, लालसोट
13.	पाटनी इन्जी. वर्क्स, लालसोट
14.	हंसा रिपेयरिंग एण्ड वेल्डिंग वर्क्स, लालसोट
15.	जयपुर इलेक्ट्रिक वर्क्स, लालसोट
16.	विजय एजेन्सी, लालसोट
17.	ग्लोरिया इन्जी. वर्क्स, लालसोट
18.	लालसोट ट्रैक्टर हाऊस, लालसोट
19.	दीन मुहम्मद इस्माईल मोहम्मद, लालसोट
2 .	कुन्दन ओटो मोबाइल्स, लालसोट
21.	लक्ष्मी ओटो पार्टस, लालसोट
22.	एम. सी. ट्रेडिंग कम्पनी, लालसोट
23.	मिलन इन्जीनियरिंग वर्क्स, लालसोट
24.	बी. के. ट्रेडिंग कम्पनी, लालसोट
25.	अम्बिका डीजल्स, लालसोट

क्र. सं.	फर्म का नाम
26.	विजय लक्ष्मी इन्टर प्राईजेज, लालसोट
27.	जयपुर ट्रेक्टर रिपेयरिंग वर्क्स, लालसोट
28.	लक्ष्मी ऑटो पार्टस, लालसोट
29.	अरविन्द विद्युत सेवा केन्द्र, लालसोट
30.	हंसा मेकेनिकल वर्क्स, लालसोट
31.	आर. पी. ट्रेडिंग कम्पनी, लालसोट
32.	एम. के. ट्रेडिंग कम्पनी, लालसोट
33.	श्री गुरु इलेक्ट्रीकल वर्क्स, लालसोट
34.	चौधरी मशीनरी स्टोर, लालसोट
35.	राजस्थान कृषि यन्त्रालय, लालसोट
36.	मिलन आटो स्टोर, लालसोट
37.	कैलाश एन्ड कम्पनी, लालसोट
38.	जोशी मोबाईल्स, लालसोट
39.	गिरधारी लाल मोहन लाल लोहे वाले, लालसोट
40.	सुरेश आटो मोबाईल्स, लालसोट
41.	खन्डेलवाल मशीनरी स्टोर, लालसोट
42.	मित्तल आटो मोबाईल्स, लालसोट
43.	एटलांटिक एजेन्सी, लालसोट

परिशिष्ट 5

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

मण्डावा में उचित मूल्य की दुकान से गेहूं वितरण में गड़बड़ी

115. **श्री मालाराम** (खेतड़ी) : क्या खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कस्बा मण्डावा जिला झुन्झुनू में वर्ष 1981 में उचित मूल्य की दुकान से गेहूं का वितरण जनता में नहीं होने की शिकायत पर जिलाधीश झुन्झुनू द्वारा जांच कराई गई थी ? यदि हां, तो कृपया जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि तहसीलदार झुन्झुनू द्वारा जांच रिपोर्ट क्रमांक 18/रसद 83 दिनांक 6-4-83 को जिलाधीश झुन्झुनू को प्रस्तुत कर दी गई जिसमें गेहूं वितरण नहीं किये जाने की पुष्टि की गई है ?

(3) क्या यह भी सही है कि दिनांक 28 मार्च, 1984 को अतारांकित प्रश्न संख्या 976/खा. मं. के उत्तर में राज्य सरकार ने उक्त उचित मूल्य की दुकान का परमिट एवं गेहूं वितरण में धोखा धड़ी आदि के मामले में राणी सती स्टोर, मण्डावा को दोषी माना है और उनके विरुद्ध जांच कार्यवाही विचाराधीन बताई है ? यदि हां, तो उक्त जांच की अब तक क्या प्रगति हुई है ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

(4) क्या यह स्पष्ट हो गया है कि राणी सती स्टोर मण्डावा ने गेहूं के वितरण में अपने नौकर के नाम से परमिट लेकर अनियमितता की है ? यदि हां, तो अब तक उसके खिलाफ कार्यवाही किये जाने में विलम्ब के लिए कौन उत्तरदायी है ? अब सरकार कब तक दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) पूर्ण रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार झुन्झुनू द्वारा पूर्ण जांच किया जाना सम्भव नहीं हुआ था एवं जांच रिपोर्ट दिनांक 6-4-84 में गेहूं के वितरण में अनियमितता किये जाने का संदेह प्रकट किया गया था।

(3) जी, नहीं। उक्त उचित मूल्य दुकानदार के विरुद्ध जांच चल रही होना एवं दोषी पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का उत्तर प्रस्तुत किया गया था। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराने पर जिलाधीश द्वारा उसके विरुद्ध एफ. आई. आर. प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई एवं तत्पश्चात व्यवसायी द्वारा रिकार्ड उपलब्ध कराने पर जिलाधीश द्वारा उक्त मामले की प्रवर्तन निरीक्षक (लीगल) द्वारा पुनः जांच कराई

गई एवं जांच से प्रकट तथ्यों एवं परिस्थितयों के आधार पर जिलाधीश, झुन्झुनू नि श्री माणकचन्द, जोशी, उचित मूल्य दुकानदार, कस्बा मण्डावा को गेहूं के वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता करने का दोषी नहीं पाया है।

(4) जिलाधीश, झुन्झुनू द्वारा रेकार्ड के आधार पर कराई गई जांच से यह प्रकट नहीं होता कि श्री माणकचन्द जोशी, उचित मूल्य दुकानदार श्री राणी सती स्टोर का नौकर था। चूंकि जांच के आधार पर जिलाधीश, झुन्झुनू द्वारा श्री माणकचन्द जोशी को गेहूं के वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता का दोषी नहीं पाया है। अतः इस प्रकरण में किसी प्रकार की कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता नहीं रहती।

कार्यालय तहसीलदार, झुन्झुनू

क्रमांक 18/रसद/83 दिनांक 6-4-83

निमित्त :-

श्रीमान् जिलाधीश महोदय,
झुन्झुनू ।

विषय :- मन्डावा में गेहूं व चीनी का वितरण नहीं ·

सन्दर्भ :- आपके अ. शा. पत्रांक एफ--8 (36) (37) अशि/83/342 दिनांक 2 मार्च, 83 ।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि श्री मानक चन्द जोशी जो पहले मण्डावा में सस्ते गल्ले का वितरण किया करता था जो दुकान बन्द कर मद्रास चला गया। माणकचन्द का मद्रास का पता यह है—माणकचन्द जोशी, पेपर पैक इन्डस्ट्री, 18 रंगापिलाई गार्डन स्ट्रीट कुण्डियों मद्रास. 60001

उक्त मामले की जांच में श्री सत्यनायण पुत्र मोतीलाल ब्राह्मण मण्डावा, जगदीश पुत्र शुभकरण सिंह चौहान मण्डावा, रघुवीर प्रसाद पुत्र मोहन लाल चोवदार निवासी मण्डावा, राधेश्याम पुत्र रघुनाथ धावाई मण्डावा के बयानात तत्कालीन तहसीलदार श्री उमेश तोमर द्वारा लिए गये थे तथा संलग्न सूची के राशनकार्डों की जांच भी उनके द्वारा की गई थी । उक्त जांच शुदा राशनकार्डों में चीनी वितरण करने की एन्ट्री तो की हुई है लेकिन गेहूं की एन्ट्री नहीं की गई है जिससे स्पष्ट जाहिर होता है कि गेहूं वितरण नहीं किया गया है ।

दिनांक 29-3-83 को श्री रामेश्वर पुत्र रामचन्द्र सैनी, निवासी मण्डावा ने भी अपने बयानों में यह कथन किया है कि उसको गेहूं नहीं दिया गया तथा जब वह चीनी लेने गया तब उसके राशनकार्ड में गेहूं देने का इन्द्राज कर दिया गया ।

संलग्न राशनकार्डों की सूची व बयानात से सन्देह प्रतीत होता है कि उक्त श्री माणकचन्द जोशी द्वारा गेहूं वितरण में अनियमितता किया जाना प्रतीत होता है ।

चूंकि रेकार्ड उपलब्ध नहीं होने के अभाव में यह जांच किया जाना असम्भव है कि उक्त डीलर द्वारा कितना स्टॉक गेहूं उठाया गया है तथा कितना कितना किस किस राशनकार्डधारी को वितरण किया गया है ।

संलग्न :- राशनकार्ड जांच किये गये उनकी सूची

ह./--
तहसीलदार, झुन्झुनू

क्र. सं.	राशनकार्ड नं.	नाम राशनकार्डधारी	वार्ड नं.
1.	1864	श्री मोहनलाल पुत्र हनुमान चोबदार	9
2.	2061	श्री झाबर मल पुत्र श्री ईश्वर नाई	7
3.	0710	श्री आनन्दीलाल पुत्र ईश्वर नाई	7
4.	1461	श्री सीताराम पुत्र भानी दत्तरामगढ़िया	3
5.	0488	श्री भजन लाल पुत्र भानी राम	4
6.	0652	श्री नारमल पुत्र हनुमान प्रसाद	5
7.	2158	श्री सुगन कुमार मित्तल	3
8.	0422	श्री धनराज पुत्र सुगनचन्द	3
9.	0797	श्री गोपाल पुत्र सुरजन सिंह	10
10.	0866	श्री बनवारी लाल पुत्र बेगाराम	9
11.	1577	श्री रामावतार पुत्र पूरणमल	4
12.	1794	श्री देवकरण पुत्र जयनारायण	4
13.	0799	श्री सीताराम पुत्र भातूराम	10
14.	1814	श्री श्याम सुन्दर पुत्र गोविन्दराम	10
15.	0142	श्री महावीर प्रसाद पुत्र शिवकरण	1
16.	1840	श्री बुद्धदत्त पुत्र हेमराज	5
17.	2453	श्री सुभाषचन्द्र	10
18.	1479	श्री पाबूदान सिंह	1
19.	0322	श्री राजेश पुत्र घोलजी	3
20.	1783	श्री भंवर मल पुत्र भूधरमल	2
21.	0122	श्री मनोहर लाल पुत्र घासीराम	1
22.	2077	श्री नन्दलाल पुत्र जयदेव	10
23.	1410	श्री गिरधारी लाल पुत्र छोटेलाल	1
24.	1566	श्री रुडमल पुत्र रामचन्द्र	10
25.	0810	श्री नाथूराम पुत्र उमदाराम	10
26.	1595	श्री महावीर पुत्र कन्हैयालाल	10
27.	0753	श्री दुर्गादत्त पुत्र पन्ना लाल	10
28.	0788	श्री गिरधारी लाल पुत्र खन्नाराम	10
29.	0765	श्री बजरंग लाल पुत्र कालूराम	10
30.	2011	श्री सीताराम पुत्र भूराराम	10

बाल विकास परियोजना, राजसमन्द के लिए गुड़ की खरीद

116. **श्री खेतराज तावड़** (गोगुन्दा) क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 7-12-82 को बाल विकास परियोजना, राजसमन्द के लिए 25 क्विन्टल गुड़ क्रय किया गया ? यदि हां, तो किसके द्वारा व कहां से ? क्या महिला सुपरवाइजर नियमानुसार क्रय करने के लिए अधिकृत थी ?

(2) वर्ष 1982-83 में उक्त परियोजना में कौन अधिकारी कार्यरत थे ? क्या जनवरी, 1984 में विभागीय आंतरिक दल की ऑडिट रिपोर्ट में 25 क्विंटल गुड़ का गबन का मामला आया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? कृपया ऑडिट रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त क्रय किया गया 25 क्विन्टल गुड़ आंगनबाडी केन्द्रों पर वितरण किया गया ? यदि हां, तो किन-किन आंगनबाडी केन्द्रों पर एवं कितनी-कितनी मात्रा में ? कृपया तिथिवार वितरण सदन के पटल पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि 25 क्विन्टल गुड़ के घोटाले सम्बन्धी रिकार्ड उप निदेशक (प्रशासन), जयपुर के द्वारा राजसमन्द, परियोजना से माह जून 84 में जांच हेतु लाया गया था ? यदि हां, तो अब तक दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि सुश्री पार्वती कटारा एक अन्य महिला सुपरवाइजर राजसमन्द को निलम्बित कर रखा है ? यदि हां, तो कब से तथा किन कारणों से ? कृपया आरोप पत्र की प्रति सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, गुड़ बाल विकास परियोजना अधिकारी के आदेशों के अन्तर्गत सहकारी उपभोक्ता भण्डार उदयपुर से क्रय किया गया। महिला सुपरवाइजर क्रय करने के लिए अधिकृत नहीं है।

(2) वर्ष 1982-83 में राजसमन्द में बाल विकास परियोजना में कार्यरत अधिकारियों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई।

(परिशिष्ट "अ")

विभागीय आंतरिक जांच दल ने 25 क्विन्टल गुड़ का मामला संदिग्ध पाया था। आडिट रिपोर्ट से सम्बन्धित अंश की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट "ब")

(3) इस विषय की जांच की जा रही है।

(4) जी हां, जांच जारी है। पूर्ण होने पर दोषी पाये जाने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

(5) जी हां, दिनांक 5-6-84 से 100 क्विन्टल गुड़ की खरीद एवं उसके वितरण के जांच के सम्बन्ध में जिसकी प्राथमिक जांच की कार्यवाही चल रही है जांच के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

परिशिष्ट ''अ''

ग्राम विकास परियोजना, राजसमन्द में वर्ष 1982–83 में कार्यरत अधिकारियों की सूची एवं उनका कार्यकाल

क. सं.	नाम अधिकारी	कार्यकाल कब से	कब तक
1	श्री नारायण बन्धु	1–4–82	8–7–82
2.	श्री रूपसिंह लोढ़ा	9–7–82	16–8–82
3,	श्री तेजपालसिंह रोकड़िया	17–8–82	31–3–83 एवं आगे ।

परिशिष्ट "ब"

बाल विकास परियोजना, राजसमन्द के लेखों की आन्तरिक जांच द्वारा किये गये अंकेक्षण प्रतिवेदन के अंश

आक्षेप सं.–2 उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार 25 क्विन्टल गुड़ की खरीद एवं वितरण के संदिग्ध गबन ।

बा. वि. प. अ. के आदेश संख्या	उपभोक्ता भण्डार बिल नं.	सामग्री	मात्रा (क्विन्टल)	दर प्रति क्विन्टल	कुल राशि	पोषाहार स्टाक रजिस्टर पृष्ठ सं.	एफ.बी.सी. बिल नं.	कोषालय पारित दिनांक
2037 दिनांक 23-11-82	2196 7-12-82	गुड़ (मेरठ)	25 (क्विन्टल)	230/-	5750/-	96 7-12-82	177 14-1-83	28-1-83

टिप्पणी :

(1) तत्कालीन पोषाहार भण्डारपाल श्री किशनलाल कनिष्ठ लिपिक ने उपभोक्ता भण्डार के बिल पर दिनांक 18-12-82 में यह प्रमाण पत्र दिया है कि यह सामान पृष्ठ सं. 95 दिनांक 18-12-82 पर दर्ज है। फिर श्री किशनलाल ने अपने हस्ताक्षर एवं दिनांक काटे हैं तथा इस सामान को श्रीमती तेज भण्डारी म. मु. द्वारा पृष्ठ 96/7-12-28 में प्राप्त किया बताया है। इस स्टाक प्रविष्टि से पहले तिथि 13-1-83 लिखी है, फिर उसे काट कर 7-12-82 की है।

(2) इस बिल से प्राप्त होने वाली सामग्री से पहले जनवरी, 1983 में प्राप्त होने वाली सामग्री की एक प्रविष्टि और है। ऐसा किस प्रकार सम्भव है कि दिसम्बर 1982 में प्राप्त होने वाले सामान की प्रविष्टि जनवरी, 1983 में प्राप्त होने वाले सामान के बाद में हो।

(3) इस सामग्री को श्रीमती तेज भण्डारी ने पोषाहार भण्डार पंजिका के पृष्ठ 96/7-12-82 में हस्ताक्षर कर प्राप्त किया है। दूसरी ओर उपस्थिति पंजिका के अनुसार श्रीमती भण्डारी दिनांक 7-12-82 से 14-12-82 तक अवकाश पर थी। श्रीमती भण्डारी ने इस 25 क्विन्टल गुड़ को 8-12-82 से 18-12-82 तक वितरित बताया है। एक ही कर्मचारी द्वारा दोहरा रिकार्ड प्रमाण पूर्णतया संदिग्धता उत्पन्न करता है।

यह समस्त कार्यवाही तत्कालीन सी डी पी. ओ. श्री टी. एस. रोकड़िया के निर्देशन में हुई है। इस सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये रिकार्ड में परिवहन सम्बन्धी (गुड़ के लाने का) कोई वाउचर अंकेक्षण दल को उपलब्ध नहीं कराया गया।

निदेशक महोदय से निवेदन है कि इसकी आवश्यक जांच करवा कर दोषी कर्मचारियों/अधिकारी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावे एवं राशि रूपये 5750/- रूपये की वसूली की जावे।

आयुर्वेदिक औषधियों के लिए बनाये गये वनस्पति उद्यान

117. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे––

(1) क्या यह सही है कि आयुर्वेद विभाग, राजस्थान आयुर्वेदिक औषधियों के लिये कच्चे माल की पूर्ति हेतु बनाये गये वनस्पति उद्यानों का संचालन करती है ? यदि हां, तो ये उद्यान कहां-कहां पर स्थित और कब-कब से चलाए गए हैं ?

(2) इन वनस्पति उद्यानों में कौन-कौनसी वनस्पतियां किस-किस उद्यान से कितनी-कितनी मात्रा में प्राप्त करना प्रस्तावित है और क्या तदनुसार प्राप्त की जा रही है ? कृपया पिछले पांच वर्ष का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) पिछले पांच सालों में इन वनस्पति उद्यानों का संस्थापन खर्च कितना आया है और उससे प्राप्त वनस्पतियों का कितना मूल्यांकन हुआ ? कृपया प्रत्येक उद्यान का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) वर्तमान में आयुर्वेदिक विभाग के अधीन निम्न स्थानों पर वनौषधि उद्यान उनके सामने अंकित अवधि से संचालित हैं––

क्र.सं.	नाम स्थान व जिला	कब से
1.	लीडी (अजमेर)	11-79 से
2.	डूडील (नागौर)	11-79 से
3.	सुवाणा (भीलवाड़ा)	11-79 से
4.	किशनगढ़ (अजमेर)	7-80 से
5.	रतनगढ़ (चूरू)	12-82 से

प्रत्येक उद्यान से वनौषधियाँ प्राप्ति बाबत लक्ष्य निर्धारित किया हुआ नहीं है। वर्षवार प्रत्येक उद्यान से प्राप्त उत्पादन की सूची मूल्य सहित (परिशिष्ट–1) सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) प्रत्येक उद्यान का संस्थापन खर्च का वर्षवार विवरण (परिशिष्ट–2) सदन के पटल पर रख दिया गया है। प्राप्त औषधियों के मूल्य बाबत सूची (परिशिष्ट–1) भी सदन के पटल पर रख दी गई हैं। इनके संचालन में सुधार हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

परिशिष्ट 1

राजकीय आयुर्वेदिक रसायनशालाओं में उद्यानों से प्राप्त वनौषधि सामान का विवरण

वनौषधि उद्यान सुवाणा भीलवाड़ा

नाम वस्तु 1	दिनांक प्राप्ति 2	मात्रा (कि. ग्रा.) 3	मूल्य 4
तिल सफेद	17-11-80	340.000	1700.00
मरमड़ा	17-11-80	22.000	88.00
नीम गिलोय ताजा	1-1-81	150.000	75.00
कटहली छोटी	10-2-81	50.000	94.00
अड़सर	10-2-81	50.000	74.00
आकडे के फूल	10-2-81	20.000	400.00
नीम गिलोय	2-5-81	31.000	70.06
नीम गिलोय	5-2-82	10.000	22.60
अर्क पुष्प	6-2-82	1.500	10.20
अर्क पुष्प	11-3-83	3.500	23.80
कटहरी छोटी	11-3-83	23.500	44.18
शंख पुष्पी	11-3-83	3.500	—
नाय	11-3-83	5.500	—
करंज बीज	11-3-83	4.000	27.60
तिल	11-3-83	58.000	290.00
कटेरी छोटी	27-5-83	5.750	10.81
गिलोय	27-5-83	14.000	31.64

वनौषधि उद्यान (हुडोल) नागौर

तिल काले	2-12-80	139.000	625.50
अरणी	2-12-80	50.000	92.50
जवाखार	25-4-81	3.000	198.00

1	2	3	4
रासना	5-9-81	35.000	56.00
तिल काले	6-2-82	63.000	315.00
अडूसा	6-2-82	31.000	45.88
धतूरे के बीज	16-6-82	5.900	70.88
असगन्ध	16-6-82	27.000	375.00
अरण्ड बीज ताजा	16-6-82	18.500	18.50
अरणी	5-10-82	80.000	148.00
ईसबगोल दाना	15-7-83	145.000	1399.25
सरसों	15-7-83	145.000	1081.25
सरसों	15-7-83	100.000	745.00
धनियां	15-7-83	22.000	185.76
जीरा सफेद	,,	124.000	1771.04
जवाखार	,,	75.000	4950.00
खरेटी बीज	,,	18.000	79.56
गोखरू	,,	13.250	93.44
स्वर्ण किरी के बीज	,,	11.500	5.75
असगन्ध	,,	90.500	1259.76
अरण्ड बीज	,,	59.000	59.00
तिल	,,	51.000	255.00
वासा	,,	3 ड्रम	—
लहसुन	,,	22.500	45.00
सौंफ	,,	14.000	95.00
कटेरी	,,	33 बोरी	—
ईसबगोल दाना	,,	70.000	—
तेल	,,	75.000	213.75

बनौषधि उद्यान किशनगढ़ (अजमेर)

जीरा सफेद	20-10-82	88.000	1316.48
जवाखार	,,	11.200	739.20
तेल तिली	,,	51.600	735.30
अरण्ड बीज	,,	13.000	13.00
अरणी	27-5-83	90.000	166.50
जीरा सफेद	31-5-83	18.500	276.76
धनिया	,,	31.200	269.57
सरसों	,,	40.000	290.00
सौंफ	,,	67.000	455.60
अरण्ड बीज	,,	41.500	41.50
लहसुन ताजा	,,	408.000	816.90
जौ की कड़वी	,,	550.000	275.00
ग्वार पाटा	वर्ष 1982–83 से 84–85 में लगभग 3000 कि.ग्राम		

बनौषधि उद्यान लीडी (अजमेर)

ढॉसरिया ताजा	21-9-81	58.000	58.00

बनौषधि उद्यान रतनगढ़/पड़िहारा (चुरू)

आकड़े की सिंगी	2-12-80	2.200	141.46
पुर्नवामूल	,,	24.000	87.60
जौ की कड़वी	15-7-83	350.00	175.00
धनिया	,,	82.500	712.00
लहसुन	,,	78.400	140.88

परिशिष्ट–2

वनौषधि उद्यानों पर वार्षिक व्यय का विवरण

क्र.सं.	नाम स्थान	79-80 (नवम्बर,79 से)	80-81	81-82	82-83	83-84
1.	लीडी (अजमेर)	15263	20175	20864	22207	25120
2.	हुडील (नागौर)	16878	15624	19518	21937	25227
3.	सुवाणा (भीलवाड़ा)	5623	14748	31619	28255	27939
4.	किशनगढ़ (अजमेर)	—	32073	18965	28539	36241
5.	रतनगढ़ (चूरू)	—	—	—	10545	30847

बीसलपुर योजना

118. **श्री महावीरप्रसाद** (टोंक) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) क्या बनास नदी पर बीसलपुर नामक योजना के लिए योजना आयोग एवं वित्त आयोग से स्वीकृति मिल गई है ?

यदि हां, तो यह स्वीकृति कब प्राप्त हुई ? कृपया स्वीकृति की प्रति सदन के पटल पर रखें ।

(3) इस योजना मे चालू वर्ष में कितनी राशि व्यय करने का प्रावधान है एवं इस बांध का निर्माण कितने वर्षो में पूरा होगा तथा प्रत्येक वर्ष में कितनी-कितनी धनराशि व्यय की जायेगी ? एवं किस-किस वर्ष कितनी-कितनी सिंचाई क्षमता प्राप्त करली जायेगी कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें ।

(3) इस योजना के क्रियान्वयन से कितने गांव, कितने व्यक्ति, कितनी कृषि भूमि एवं कितने मकान प्रभावित होंगे एवं उन्हें कितनी राशि मुआवजे के रूप में कब तक दे दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) इस योजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष में दस लाख रुपये की धनराशि प्रस्तावित है । कार्य पूर्ण करने की अवधि बजट आवंटन, निर्माण सामग्री की उपलब्धि आदि अनेक कारणों पर निर्भर करती हैं । अतः वर्तमान स्थिति में कार्य समाप्ति की अवधि, वर्षवार धनराशि का व्यय और अर्जित सिंचाई क्षमता बताना सम्भव नहीं है ।

(3) परियोजना आंकलन के अनुसार इस योजना के क्रियान्वयन से 22 ग्राम, 13525 व्यक्ति, 5700 हैक्टर कृषि भूमि एवं 2910 मकान प्रभावित होंगे । मुआवजे की राशि भूमि अवाप्ती अधिकारी के अवार्ड के अनुसार दी जावेगी ।

जिला नागौर के कतिपय ग्रामों में पेयजल व्यवस्था

119. **श्री महाराम चौधरी** (नागौर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) क्या जिला नागौर में ग्राम बरायलखुर्द, बराथल कलां, आंकला, हमिराना और टांकला में हैण्डपम्प योजना से पेयजल उपलब्ध कराया गया है ? यदि हां, तो उपरोक्त किस-किस ग्राम में किस जगह हैण्डपम्पस् बनवाये गये हैं ? कृपया प्रत्येक की लागत का विवरण सदन के पटल पर रखें ।

(2) क्या उपरोक्त गांवों के आधे से ज्यादा हैण्डपम्पस् लगाये उस दिन से ही खराब पड़े हैं ? यदि हां, तो उसके लिए लिए कौन जिम्मेदार है और उसके खिलाफ शिकायत में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या उक्त गांवों के लिए पेयजल समस्या दूर करने के लिए कोई अन्य पेयजल योजना सरकार बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(2) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता ।

क. सं.	ग्राम का नाम तथा लगाये गये हैण्ड पम्पों की जगह	कोड नं.	जनसंख्या	तहसील	कुल व्यय	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1.	**बेराथल खुर्द**	59	536	नागौर		
	1. गांव तलिया के पास				19990-00	उक्त सभी चार ग्रामों में हैण्ड पम्प खुदाई का कार्य ड्रिलिंग हैण्ड पम्प खण्ड जोधपुर, नागौर द्वारा किया गया है।
	2. मेघवालों की ढाणी				22240-00	
	3. भाम्बी वास के पास				22220-00	
	4. सुथारों की ढाणी				[illegible]9940-00	
2.	**बेराथल कला**	52	1265			
	1. स्कूल के पास				19330-00	
	2. सरपंच की ढाणी के पास				18270-00	
	3. भाटियों की ढाणी के पास				18460-00	
	4. मंगरावास के पास				18290-00	
	5. गांव तालिया के पास				21070-00	
	6. ग्राद की ढाणी के पास				21360-00	
	7. भाभी वास के पास				22605-00	
	8. गोलाई के पास				24090-00	
	9. सुथारों की ढाणी के पास				18426-00	
3.	**आंकला हमीराना**	73	1564			
	1. स्कूल के पास				20360-00	
	2. कंवरजी का थान के पास				20880-00	

1	2	3	4	5	6	7
	3. मंगरा स्कूल के पास				19480-00	
	4. तियारों के बेरा के पास				21250-00	
	5. सुथारों की ढाणी के पास				17990-00	
	6. चौराहे वाला				17610-00	
	7. हमीराना रावले के पास				17490-00	
	8. नायकों की ढाणी के पास				17420-00	
	9. मगरा वाला				10412-00	
4. टांकला			1716	नागौर		
	1. बस स्टेण्ड के पास				18665-00	
	2. स्कूल के पास				17745-00	
	3. रावला के पास				22250-00	
	4. भाम्बीयों के वास के पास				22306-00	
	5. बावरियों के वास के पास				22351-00	
	6. कामड़ों की ढाणी के पास				23254-00	
	7 सियोगी की ढाणी के पास				23520-50	
	8. जाजरों की ढाणी के पास				22490-00	

238

जिला बांसवाड़ा के छात्रावासों में पर्यवेक्षण स्टाफ की कमी

121. **श्री बहादुरसिंह** (दानपुर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) समाज कल्याण विभाग के अधीन बांसवाड़ा जिले में कितने छात्रावास वर्तमान में चल रहे हैं ?

(2) छात्रावासों के लिए सुपरवाइजर्स के कितने पद रिक्त हैं ? रिक्त पदों की पूर्ति किन कारणों से नहीं की जा रही है ?

(3) क्या यह सही है कि पर्यवेक्षण स्टाफ के अभाव में इन छात्रावासों में भारी अव्यवस्था फैली हुई है ? क्या सरकार इस अव्यवस्था को मिटाने के लिए कोई अन्य वैकल्पिक उपाय कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? नहीं तो क्यों ?

(4) रिक्त सुपरवाइजर्स के पदों की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले में समाज कल्याण विभाग के अधीन 22 छात्रावास वर्तमान में चल रहे हैं।

(2) छात्रावासों में सुपरवाइजर्स के कोई पद नहीं है, सहायक अधीक्षक छात्रावास के पद होते हैं। बांसवाड़ा जिले में छात्रावासों के सहायक अधीक्षकों के 10 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों की पूर्ति शीघ्र की जा रही है।

(3) जी नहीं। किन्तु व्यवस्था में कुछ कमी अवश्य रह जाती है। इसे मिटाने के लिए शीघ्र इन पदों को भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(4) इन पदों की पूर्ति निकट भविष्य में ही कर दी जायेगी।

उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु कानून की आवश्यकता

122. **श्री नाथूसिंह** (बांदीकुई) : क्या खाद्य एवं रसद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हेतु प्रान्त में उपभोक्ता संरक्षण कानून विनिर्मित करने का सरकार का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या इस तरह का कानून देश के अन्य कुछ प्रदेशों में विद्यमान है ? यदि हां, तो कहां-कहां ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, नहीं। मध्यप्रदेश और दिल्ली प्रशासन में इस प्रकार के कानून बनाये जाने के विधेयक विचाराधीन है।

शासन सचिवालय में होम्योपैथिक औषधालय

123. **श्री ललित चतुर्वेदी** (कोटा) : क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) सन् 1983–84 में होम्योपैथिक

औषधालय राज्य में किस-किस स्थान पर खोलने के आदेश हुए एवं कब-कब ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) शासन सचिवालय जपुर में होम्योपैथिक औषधालय खोलने के आदेश कब हुए ? वहां किस डाक्टर की नियुक्ति की गई और वे वहां कब से कार्यरत हैं ?

(3) शासन सचिवालय में होम्यो-पैथिक (राजकीय) औषधालय के लिए कौनसा स्थान आवंटित किया गया है एवं 1 सितम्बर, 1984 तक उस औषधालय में कितने मूल्य की दवाएं दी गईं ? कृपया दवाओं की सूची मय कीमत के विवरण सदन के पटल पर रखें।

(4) यदि अभी तक स्थान आवंटित नहीं हुआ है, तो क्यों ? कब तक राज्य सरकार स्थान आवंटन करने की प्रक्रिया पूरी कर देगी ?

उत्तर

(1) सन् 1983-84 में राज्य में खोले गये नवीन होम्योपैथिक औषधालयों की सूची (परिशिष्ट "अ") सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) शासन सचिवालय जयपुर में होम्योपैथिक औषधालय खोलने के आदेश दिनांक 14-2-84 को प्रसारित किये गये। इस औषधालय में डा. राममोहन गुप्ता का पदस्थापन माह मार्च 1984 में किया गया।

(3) शासन सचिवालय परिसर में राजकीय होम्योपैथिक औषधालय हेतु पृथक स्थान आवंटन बाबत प्रश्न विचाराधीन है। 1 सितम्बर 1984 तक 1903-70 की औषधियां आवंटित की गई हैं। दवाओं की सूची मय कीमत के (परिशिष्ट "ब") सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(4) उक्त औषधालय खोले जाने बाबत माह फरवरी, 1984 में आदेश किये जाने से पूर्व ही होम्योपैथिक कालेज, जयपुर की तरफ से एक होम्योपैथिक डिस्पेन्सरी सचिवालय परिसर में चल रही हैं। इसी सन्दर्भ में स्थान आवंटन बाबत निर्णय लिया जाना है, जो मामला विचाराधीन है।

परिशिष्ट "अ"

सन् 1983–84 में राज्य में होम्योपैथिक औषधालय खोलने के स्थान एवं आदेशों की सूची

क्रम सं.	नाम स्थान जहां नवीन होम्योपैथिक औषधालय खोलना स्वीकृत हुआ	राज्यादेश क्रमांक दिनांक	राज्यादेशों की पालना में निदेशालय स्तर से प्रसारित आदेश क्रमांक दिनांक
1.	आबूरोड (सिरोही)	प. 4(15)3) टीएडी/82-83 दिनांक 7-5-83	सांख्यिकी 2/औ. ख/83-84 97 दिनांक 2-1-84
2.	बाँसूर (अलवर)	प. 1 (30) आयु./83 दिनांक 17-2-84	सांख्यिकी2 औ./खो./83-84/4919 दिनांक 1-3-84
3.	नारायणपुर (अलवर)	,, ,,	,, ,,
4.	नयावास (भरतपुर)	प. 1 (30) आयु./83 दिनांक 24-2-84	सांख्यिकी 2 औ./खो./83-84/4920 दिनांक 1-3-84
5.	सचिवालय प्रांगण (जयपुर)	,, ,,	,, ,,
6.	पुलिस लाइन (जयपुर)	,, ,,	,, ,,
7.	भरनी (टोंक)	,, ,,	,, ,,
8.	बाँसवाड़ा शहर (बांसवाड़ा	एफ. (8) टीएडी 82-83 दिनांक 6-3-84	—
9.	बाछोला (बून्दी)	प,1(30) आयु./ दिनांक 14-3-83	सांख्यकी 2 औ./खो./83-84/6235-69 दिनांक 22-3-84
10.	डूंगरपुर शहर (डूंगरपुर)	एफ. (8) टीएडी/82-83 दिनांक 26-3-84	सांख्यिकी2/औ.खो./83-84/7358 दिनांक 29-3-84

परिशिष्ट "ब"

राजकीय होम्योपैथिक औषधालय सचिवालय प्रांगण, जयपुर में सितम्बर 1984 तक वितरित की गई औषधियों की सूची

ईश्यू वाऊचर नं. 72 दिनांक 19-7-84

क्र. सं.	औषधि का नाम	तौल	दर	राशि
1.	होम्यो. डायल्यूशन 30 पी. 100 एम. एल.	85 फायल	5.75	473.45
2.	होम्यो. डायल्यूशन 200 पी. 100 एम. एल.	85 फायल	6.09	517.65
3.	होम्यो. डायल्यूशन 1 एम.पी. 30 एम. एल.	15 फायल	4.58	68.70
			योग	1059.80
			स्टोर चार्जेज 50%	529.90
			योग	1589.70
4.	कोटन	5 नग	12.00	60.00
5.	बैन्डेज बड़ी	10 दर्जन	16.00	160.00
6.	साबुन	1 दर्जन	26.00	26.00
7.	एडेसिव प्लास्टर	4 रोल	17.00	68.00
			महायोग	1903.70

ग्रामदानी गांवों में पेयजल हेतु हैण्डपम्पस् की व्यवस्था

124. **श्री नाथूराम अहारी** (डूंगरपुर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सही है कि विगत 5 वर्षों में चित्तौड़ जिले की ग्राम पंचायतों के सभी ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था के लिए हैण्डपम्पस् लगाये गये हैं? यदि हां, तो इनमें ग्रामदानी ग्राम कितने हैं?

(2) क्या यह सही है कि चित्तौड़ जिले के ग्रामदानी ग्राम अमरागाडरी का खेड़ा, लक्ष्मणसिंह का खेड़ा, सूरतसिंह का खेड़ा, भील्या खेड़ा तथा भीलवाड़ा जिले के हरिग्राम में हैण्ड पम्पस् नहीं लगाये गये हैं जबकि पड़ोसी सभी ग्रामों में हैण्ड पम्पस् की व्यवस्था कर दी गई है?

(3) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले के ग्रामदानी गांव देवा, कबीर बस्ती, लाणेला, भागू का गांव, जावधजूनी, जसुराना, काठोडी, सांवला, भ्रावरा मजरा भैरवा ग्रामों में भी हैण्डपम्पस् की व्यवस्था नहीं की गई है?

(4) क्या राज्य सरकार उपरोक्त ग्रामदानी गांवों में भी शीघ्र ही हैण्ड पम्पस् लगाने की व्यवस्था करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। इनमें ग्रामदानी गांव सम्मिलित नहीं हैं।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं। चित्तौड़ जिले के ग्रामदानी गांव अमरागाडरी का खेड़ा, लक्ष्मणसिंह का खेड़ा, सूरतसिंह का खेड़ा, भील्या खेड़ा पेयजल समस्या रहित ग्राम हैं। सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार पेयजल समस्या रहित ग्रामों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है।

भीलवाड़ा जिले में हरिग्राम नाम का कोई राजस्व गांव नहीं है।

जैसलमेर जिले के ग्राम देवा में हैण्ड पम्प के लिए बोर खोदा गया था, परन्तु असफल रहा। अतः पुनः योजना का सर्वेक्षण किया जा रहा है। शेष 9 गांव कबीर बस्ती, लाणेला, भागू का गांव, जावधजूनी, जसुराना, काठोडी, सांवला, भ्रावरा मजरा, भैरवा क्षेत्रीय पेयजल योजनाओं से लाभान्वित हैं। अतः हैण्ड पम्प लगाने की आवश्यकता नहीं है।

कृषि विभाग में रिक्त पदों की पूर्ति

125. **श्री रघुवीरसिंह कौशल** (बारां)

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) कृषि विभाग में कुल कितने पद विभिन्न श्रेणियों के रिक्त हैं तथा कब से तथा क्यों? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) उक्त रिक्त पदों को सरकार कब तक भरने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) कृषि विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 592 पद रिक्त हैं जिनका विवरण संलग्न परिशिष्ट में किया गया है। कुछ पद त्यागपत्र देने तथा पदोन्नति के कारण रिक्त हैं। इसके अतिरिक्त अधिकतर पद इसलिए भी रिक्त हैं क्योंकि कर्मचारियों को उनके पैत्रिक विभाग को लौटा दिया गया है।

(2) सम्बन्धित पदों को भरने हेतु लोक सेवा आयोग को लिखा गया अन्य पदों को भरे जाने बावत विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा सीधी भर्ती की कार्यवाही भी की जा रही है।

परिशिष्ट (अ).

क्रम संख्या	रिक्त पदों के नाम	पदों की संख्या	कब से
1.	परियोजना निदेशक (अनुसंधान)	1	अगस्त 83
2.	सहायक वनस्पति विशेषज्ञ, श्री गंगानगर लूणकरणसर	2	जुलाई 84 सितम्बर 84
3.	सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (रसायन)	2	फरवरी 84 मई 84
4.	सहायक कृषि अनुसंधान अधि. (पांच व्यक्ति)	7	जनवरी 79
5.	सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (शस्य)	14	4- 79-80 3-83-84 7-अगस्त 84
6.	विषय विशेषज्ञ	15	जनवरी 84 से लेकर सितम्बर 84 तक की
7.	सहायक कृषि अधिकारी	50	मार्च 83 से
8.	कृषि अन्वेषक	30	20-5-8-83 से 8-1981 से 2- 81-82 से
9.	कृषि पर्यवेक्षक	471	441-अगस्त 83 से 40-दिसम्बर 84 से

सांसद, विधायक एवं पत्रकारों को निर्मित भवन आवंटन

126. **श्री [illegible]रसिंह** (कुम्हेर) : क्या आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या राजस्थान में हाउसिंग बोर्ड द्वारा वर्ष 1980 से अब तक विधायकों, सांसदों व पत्रकारों को गृह निर्माण कर आवंटित किये गये हैं ?

(2) यदि हां, तो किन-किन को, कहां कहां पर किस-किस प्रकार के और कब-कब ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधायकों, सांसदों एवं पत्रकारों को उनके प्रतिशत में आवंटन की सूची साथ शामिल है।

(2) वांछित सूची परिशिष्ट "अ" सदन की मेज पर रख दी गई है।

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

वर्ष 1980 से अब तक विधायकों/सांसदों एवं पत्रकारों को जयपुर में आवंटन का विवरण

क्रम संख्या	नाम	विधायक/सांसद	आय वर्ग	योजना	मकान नं.	आवंटन दिनांक 11-5-83 से 13-5-83
1.	कुमारी पुष्पा जैन	विधायक	मध्यम आय वर्ग (अ)	मालविया नगर	4/11	5-3-83
2.	श्रीमती उजला अरोड़ा	विधायक	मध्यम आय वर्ग (ब)	मालविया नगर	6/367	5-3-83
3.	श्री नन्द कुमार	पत्रकार	मध्यम आय वर्ग (अ)	मालविया नगर	4/411	19-2-82
4.	श्री अरुण कुमार	पत्रकार	कमजोर आय वर्ग	मालविया नगर	1/645	द्वारा पी.ए.सी.

सराड़ा (उदयपुर) की टिडी नदी से सिंचाई

127. **श्री देवेन्द्र कुमार मीणा** (सराड़ा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सही है कि सराड़ा, जिला उदयपुर की टिडी नदी II की सिंचाई हेतु सर्वेक्षण किया गया है ? यदि हां, तो इस योजना से किन-किन गांवों को सिंचाई हेतु पानी मिल सकेगा ?

(2) सरकार इस योजना की तकनीकी, आर्थिक एवं प्रशासनिक स्वीकृति कब तक प्रदान कर देगी ?

(3) इस योजना के अन्तर्गत सरजिला डिगरी, सराड़ा तक कितनी बीघा भूमि सिंचित होगी ?

उत्तर

(1) जी हां, सर्वे का कार्य चल रहा है। यह योजना औद्योगिक जल पूर्ति हेतु प्रस्तावित है। अतः सिंचाई हेतु पानी देने का प्रावधान नहीं है ।

(2) अभी तक सर्वे का कार्य ही चल रहा है।

(3) यह योजना औद्योगिक जल पूर्ति हेतु प्रस्तावित है। अतः भूमि सिंचित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जमवा रामगढ़ क्षेत्र में कृषि उपज मण्डी द्वारा सड़कों का निर्माण

128. **वैद्य भैरूलाल भारद्वाज** (जमुवा रामगढ़) : क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) सरकार जमवा रामगढ़ चुनाव क्षेत्र की कृषि उपज मण्डी की गत दो वर्षों से प्रशासनिक स्वीकृत शुदा निम्नांकित सड़कों का कार्य अब तक क्यों नहीं चालू किया गया :–

1. बावण्डिया से बूज व श्यामपुरा
2. धूला से नकटी घाटी
3. आंधी से सानकोटड़ा
4. मढ़ंगी से भावनी
5. [illegible]लवास से नकटी घाटी

अब इन पर कार्य कब तक चालू कर कर दिया जावेगा ?

(2) उक्त क्षेत्र की अधिकांश स्वीकृत शुदा सड़कों के अधूरी पड़े रहने के क्या कारण हैं ? इन पर अब तक कितना-कितना निर्माण कार्य किस-किस सड़क पर हुआ है ? अब इन्हें कब तक पूर्ण कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, जयपुर (अनाज) की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखकर ही मण्डी क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया गया है। ये सड़क अब अन्तिम स्वीकृत सूची में नहीं है ।

(2) वांछित जानकारी परिशिष्ट "क" द्वारा सदन के पटल पर रख दी गई है।

परिशिष्ट "क"

मण्डी समिति, जयपुर (अनाज) के जमवा रामगढ़ क्षेत्र में स्वीकृत सड़कों का विवरण

क. सं.	सड़क का नाम	विवरण
1.	भानपुर से बासना	3 कि. मी. के कार्य आदेश जारी कर दिये गये हैं। 50 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष 2 किमी. वास्ते निविदा मांग ली गई है। कार्यादेश जारी होना है। मार्च, 1985 तक पूर्ण होने की सम्भावना है। खेतवालों के विवाद के कारण निर्माण कार्य को गति दिया जाना सम्भव नहीं हो सका है।
2.	घटवाड़ी से खोरा लाडखानी	5 किमी. का कार्य पूर्ण हो चुका है। सड़क को अस्पताल तक जोड़े जाने हेतु कार्य आदेश जारी कर दिया है। अतः जून, 85 तक सम्पूर्ण कार्य हो जाने की सम्भावना है।
3.	आंधी से भूला वाया बीरासना	पूर्व आवंटित ढाई कि.मी. सड़क पूर्ण हो गई है। अग्रिम सड़क 5 किमी. का निर्माण कार्य प्रगति में है। कार्य जून, 85 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।
4.	चन्दवाजी से रायपुरा वाया पीलवा घाटी।	4.50 किमी. सड़क का कार्य पूर्ण हो गया एवं घाटी कटाई का कार्य प्रगति में है। माह दिसम्बर, 84 तक कार्य पूर्ण होने की सम्भावना है।
4.	ताला से धौला	सड़क का कार्य पूर्ण हो गया है।
6.	भानपुर से साईवाड।	4 किमी. सड़क पूर्व में ही पूर्ण हो चुकी है। अग्रिम 4 किमी. सड़क निर्माण की निविदायें प्राप्त हो चुकी हैं। जिनको स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है। दिसम्बर, 85 तक कार्य पूर्ण होने की सम्भावना है।

7. आंधी से भगवानपुरा ।	2 किमी. सड़क कार्य पूर्व में ही पूर्ण हो चुकी है, एवं 2 किमी. सड़क जमीन विवाद के कारण अपूर्ण है। दिसम्बर, 85 तक कार्य पूर्ण होने की सम्भावना है ।
8. टोडानीता से भानपुर कलां	आवंटित सड़क 2 किमी. पूर्ण हो चुकी है। ढाई किमी. सड़क की निविदायें प्राप्त हो चुकी हैं, तथा स्वीकृति की कार्यवाही विचाराधीन है । जुलाई, 85 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।
9. मुख्य रोड से नीमला वाया खली ।	5 किमी. की स्वीकृत सड़क पूर्ण हो चुकी है।
10. मुख्य रोड से गोलाई	स्वीकृति अनुसार कार्य पूर्ण हो चुका है। गांव को जोड़ने हेतु निर्माण का कार्यादेश जारी कर दिया गया है। दिसम्बर, 84 तक पूर्ण होने की सम्भावना है ।
11. मुख्य रोड से माथासूला	स्वीकृति अनुसार कार्य पूर्ण हो चुका है।
12. दौलतपुरा से भीमपुरा वाया भगवाड़ा	सड़क पर न्यायालय का स्थगन आदेश है। विवादास्पद जमीन को छोड़कर शेष पर निर्माण कार्य प्रगति में है एवं कार्य मार्च, 85 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

गडरारोड़ (बाड़मेर) में छात्रावास हेतु भवन

129. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर के गडरारोड़ ग्राम में सन् 1964 से समाज कल्याण के छात्रावास कार्यशील हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि अभी तक छात्रावास भवन की व्यवस्था विभाग ने नहीं की है ?

(3) क्या भवन हेतु जमीन भी उपलब्ध है ? यदि हां तो सरकार कब तक इस छात्रावास का भवन बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं, गडरारोड़ ग्राम में छात्रावास सन् 1965 से संचालित किया जा रहा है।

(2) छात्रावास के लिए विभाग द्वारा भवन की व्यवस्था की हुई है।

(3) जी हां। भवन बनाने के लिए राशि उपलब्ध होते ही भवन बनाने की कार्यवाही की जायगी।

छत्तर सागर बांध का अधिग्रहण

130. **श्री शिवदान सिंह राठोड़** (जैतारण) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या ग्राम निमाज, तहसील जैतारण, जिला पाली स्थित छत्तर सागर बांध का अधिग्रहण करने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है ?

(2) यदि हां, तो कबसे व इस बांध का अधिग्रहण अब कब तक कर लिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। परन्तु इस बांध का पानी उपयोग में लाने के लिए लघु सिंचाई योजना की जांच कराई जा रही है।

(2) योजना की स्वीकृति के पश्चात अधिग्रहण के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा सकेगी।

हुडको द्वारा अनुमोदित योजनाओं में राज्य की हिस्सा राशि

131. **श्री राज बहादुर** (भरतपुर) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार को विदित है कि हाउसिंग एण्ड अरबन डवलपमेंट कारपोरेशन (हुडको) द्वारा निर्माण हेतु केन्द्रीय सरकार ने 152 नयी आवासन योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है जिन पर लगभग 104 करोड़ रुपया 12 राज्य प्रदेशों आदि में खर्च किया जावेगा ?

(2) यदि हां, तो राज्य सरकार को जो हिस्सा इस धन राशि में से प्राप्त होगा उसमें से किन-किन जिलों में झुग्गी झोंपड़ी और गन्दी बस्तियों को दूर कर उनके स्थान पर नयी आवासन योजनायें हाथ में लिये जाने का प्रस्ताव है ?

उत्तर

(1) यह प्रश्न भारत सरकार से सम्बन्धित है।

(2) भारत सरकार से सम्बन्धित होने के कारण यहां विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

पंचायत बारापाल (उदयपुर) के कजड़ी नाका स्थान पर तालाब निर्माण

132. **श्री भेरूलाल मीणा** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत बारापाल के कजड़ी नाका स्थान पर तालाब निर्माण कार्य को योजना में शामिल किया गया है और इसको बांधने हेतु नींव भी भरी गई है ?

(2) यदि हां, तो कब तक निर्माण कार्य सम्पन्न करा दिया जायगा ?

उत्तर

(1) पंचायत बारापाल के कजड़ी का का नाका तालाब की नींव सम्वत 2039 के अकाल राहत कार्य (वर्ष 1982–83) में भरी गई थी।

(2) इस कार्य को उदयपुर के सिंचाई मास्टर प्लान में प्रस्तावित किया गया है, उपयुक्त धनराशि मिलने पर इसको सम्पन्न कराया जा सकेगा।

उदयपुर डिविजन में जन जाति उपयोजना के अन्तर्गत कार्य

133. **फतेसिंह** (कुशलगढ़) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर डिविजन में जन जाति उप योजना के अन्तर्गत उक्त जातियों के उन्नयन हेतु पांचवीं व छठी पंचवर्षीय योजना में कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गई है ? कृपया जिलावार विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) आदिवासी बहुल क्षेत्र बांसवाड़ा को अपेक्षाकृत कम राशि आवंटन के क्या कारण रहे ?

उत्तर

(1) जनजाति उपयोजना क्षेत्र में उदयपुर जिले की 7, बांसवाड़ा जिले की 8, डूंगरपुर जिले की 5, चित्तौड़गढ़ जिले की 2 तथा सिरोही जिले की 1, कुल 23 पंचायत समितियां सम्मिलित हैं। जनजातियों के उन्नयन हेतु योजनावार व्यय सम्पूर्ण उपयोजना क्षेत्र का निम्नानुसार है:—

योजना अवधि	व्यय (लाख रु.)
1. पांचवी पंचवर्षीय योजना (1974–78)	7172.81
2. वार्षिक योजना (1978-79)	3328.59
3. वार्षिक योजना (1979-80)	3645.53

योजना अवधि	व्यय (लाख रु.)
4. छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85)	21462.63 (मार्च, 84 तक)

उदयपुर डिविजन में उपयोजना क्षेत्र की सिरोही जिले की आबूरोड पंचायत समिति को छोड़कर 22 पंचायत समितियां हैं। वर्ष 1974-75 से 1980-81 तक सूचना सैक्टर वाईज तैयार की जाती थी, न कि जिलेवार। यह सूचना सम्पूर्ण उपयोजना क्षेत्र के लिये परिशिष्ठ "अ" पर उपलब्ध है।

छठी पंचवर्षीय योजना के वर्ष 1981-82 से 1983-84 तक उदयपुर डिविजन के उपयोजना क्षेत्र में कुल 16841.08 लाख रु. व्यय किये गये हैं, जिसका जिलेवार विवरण परिशिष्ठ "ब" पर दिया गया है। इस अवधि का सम्पूर्ण उपयोजना क्षेत्र का जिलेवार व्यय का विवरण परिशिष्ठ "स" पर दिया गया है।

व्यय का विवरण परिशिष्ठ "अ, ब,स" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) बांसवाड़ा जिले को आवंटन कम न होकर सर्वाधिक है। वर्ष 1981-82 से 1984-85 की अवधि में उदयपुर डिविजन की जनजाति उपयोजना हेतु आवंटित कुल राशि 24329.42 लाख रु. में से बांसवाड़ा जिले को 12868.87 लाख रुपये आवंटित किये गये, जो डिविजन के आवंटन का 52.89 प्रतिशत है।

"परिशिष्ट अ"

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में पांचवी एवं छठी पंचवर्षीय योजना काल तथा वर्ष 78-79 व 79-80 की वार्षिक योजनाओं में आंवटन व व्यय

(लाख रु.)

क्रम सं.	सैक्टर	1974--78 (पांचवीं योजना) आंवटन	1974--78 (पांचवीं योजना) व्यय	78--79 वार्षिक योजना आंवटन	78--79 वार्षिक योजना व्यय	79--80 वार्षिक योजना आंवटन	79--80 वार्षिक योजना व्यय	1980-85 छठी योजना (मार्च 84 तक) आंवटन	1980-85 छठी योजना (मार्च 84 तक) व्यय
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	कृषि व सम्बन्ध सेवाएं	1520.02	1467.31	503.60	645.34	804.94	786.70	5785.18	4067.96
2.	सहकारिता	261.39	254.65	61.85	22.52	65.28	31.49	611.20	318.81
3.	जल एवं विद्युत	4087.00	4166.27	2345.00	1915.79	2241.00	2147.46	12698.40	12613.03
4.	उद्योग एवं खनिज ...	63.37	56.89	35.45	148.42	346.97	105.68	1703.50	940.40
5.	संचार व परिवहन	507.50	492.49	224.00	212.84	190.00	126.60	1165.00	835.55
6.	सामाजिक व सामुदायिक सेवाएँ	754.43	703.79	368.57	336.74	394.01	391.60	3430.38	2470.29
7.	आर्थिक सेवाएं	1.52	1.53	1.26	0.58	1.35	1.51	10.77	7.80
8.	सामान्य सेवाएं	28.42	35.88	46.30	46.36	39.86	24.49	185.71	208.79
	योग :-	7223.65	7172.81	3586.03	3328.59	4083.41	3645.53	25590.20	21462.63

परिशिष्ट "ब"

उदयपुर डिविजन की जिलेवार व वर्षवार आवंटन व व्यय की स्थिति (वर्ष 1981–82 से 1983–84) (राशि लाखों में)

क्रम सं.	जिला	1981–82	82–83	83–84	84–85	योग	प्रतिशत आवंटन
1.	बांसवाडा	2883.25	2763.58	3302.03	3420.01	12868.87	52.89
2.	डूंगरपुर	716.86	613.22	848.06	680.43	2858.57	11.75
3.	उदयपुर	1243.84	1234.40	1695.73	1648.60	5822.57	23.93
4.	चितौड़गढ़	181.59	210.87	231.01	175.42	798.89	3.28
5.	नान–डिविजेबल	282.87	553.10	[illegible]	868.56	1980.52	8.15
	योग:—	5308.41	5375.17	6852.82	6793.02	24329.42	100.00

परिशिष्ट "ब"

उदयपुर डिविजन की जिलेवार व वर्षवार व्यय की स्थिति (वर्ष 1981–82 से 1983–84) **(राशि लाखों में)**

क्र. सं. जिला	व्यय				प्रति. व्यय
	1981–82	82–83	83–84	योग	
1. बांसवाडा	2650.82	2384.79	3759.23	8794.84	52.22
2. डूंगरपुर	507.60	606.02	710.82	1854.44	11.01
3. उदयपुर	1149.17	1376.68	1572.05	4097.90	24.33
4. चित्तौडगढ़	353.09	225.49	186.98	765.56	4.55
5. नान-डिविजेबल	354.85	823.49	150.00	1328.34	7.89
योग:—	5015.93	5416.47	6409.08	16841.08	100.00

256

परिशिष्ट "स"

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में आवंटन एवं व्यय का जिलेवार विवरण

(राशि लाखों में)

क्रम. सं.	जिला	आवंटन 1981–82	आवंटन 1982–83	आवंटन 1983–84	आवंटन 1984–85	आवंटन योग	व्यय 1981–82	व्यय 1982–83	व्यय 1983–84	व्यय योग
			(मूल)							
1.	बांसवाड़ा	2883.25	2763.58	3802.03	3420.01	12868.87	2650.82	2384.79	3759.23	8794.84
2.	डूंगरपुर	716.86	613.22	848.06	680.43	2858.57	507.60	606.02	740.82	1854.44
3.	उदयपुर	1243.84	1234.40	1695.73	1648.60	5822.57	1149.17	1376.68	1572.05	4097.90
4.	चित्तौड़गढ़	181.59	210.87	231.01	175.42	798.89	353.09	225.49	186.98	765.59
5.	सिरोही	132.18	103.08	161.96	202.32	599.54	114.83	117.20	148.71	380.74
6.	नान-डिविजेबल	282.87	553.10	275.99	868.56	1980.52	354.85	823.49	150.0[illegible]	1328.34
	योग:—	5440.59	5478.25	7014.78	6995.34	24928.96	5130.36	5533.67	6557.79	17221.82
			(5695.19) संशोधित							

पहाड़ियों को हरा भरा करने, बांध बनाने व नालों को पाटने की बहुउद्देशीय योजना

134. **श्री मोहनलाल मोदी** (नीम का थाना) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) सीकर जिले में किन-किन बांधों की सर्वे हो चुकी है और इस वर्ष किस 2 योजना की स्वीकृति दी जा चुकी है ? कौन-कौन सी योजनायें सरकार के पास स्वीकृति हेतु विचाराधीन हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि 16 सितम्बर, 1984 को भारत सरकार के कृषि मन्त्री ने शाहजहांपुर-अलवर में यह बताया था कि सरकार ने स्वीडन के सहयोग से सभी पहाड़ियों को हरा भरा करने एवं उनके साथ-साथ बांध बनाने, नालों को पाटने आदि की बहुउद्देशीय योजना को प्रयोग के तौर पर हरियाणा के चार जिलों के लिए स्वीकृत की है ?

(3) क्या सरकार प्रान्त की भौगोलिक परिस्थितियों की दृष्टि में ऐसी ही योजना प्रान्त में लागू करने के लिए केन्द्रीय सरकार से यथाशीघ्र पेशकश करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सीकर जिले में 13 परियोजनाओं (गाबड़ी), फतेहपुरा, दीपावास, बासड़ी, हरिपुरा, नांगल, टूकिया, फारोई, गांवटी, रेटा, बामरडा, सवाईपुर, खिरोटी का सर्वे कार्य पूर्ण हो चुका है। वर्ष 84-85 में अभी तक किसी भी योजना की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। राज्य सरकार के पास चार परियोजनायें गाबड़ी, फतेहपुरा, दीपावास और बासड़ी विचाराधीन है ।

(2) प्रश्न में वर्णित तथ्यों की जानकारी सिंचाई विभाग को नहीं है ।

(3) हरियाणा प्रदेश के चार जिलों में अगर ऐसी कोई योजना स्वीकृत की गई है तो उसकी जांच के पश्चात् उचित कार्यवाही करने पर विचार किया जा सकता है ।

बापा सेवा सदन उच्च माध्यमिक विद्यालय, सरदार शहर

135. **सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर) : **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय) 143. : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: -

(1) बापा सेवा सदन उच्च माध्यमिक विद्यालय, सरदार शहर को सन् 1980 से लेकर अब तक किस-किस वर्ष में कितनी-कितनी ग्रान्ट् इन-ऐड प्रदान की गई ? यह अनुदान कुल व्यय राशि का कितना-कितना प्रतिशत है ?

(2) क्या यह सही है कि संस्था के कर्मचारियों को नियमित रूप से वेतन एवं भत्तों का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायतें हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या सरकार इस बात की जांच करेगी कि भुगतान समय पर नहीं किया जाता और भुगतान समय पर करवाया जावेगा ?

उत्तर

(1) सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट "अ")

(2) जी हां, संस्था में प्रशासक की नियुक्ति कर दी गई है और वे कर्मचारियों की भुगतान की कार्यवाही कर रहे हैं ।

(3) जी हां ।

परिशिष्ट "अ"

बापा सेवा सदन उच्च माध्यमिक विद्यालय, सरदार शहर को वर्ष 1980-81 से लेकर अब तक दिये गये अनुदान की सूचना.

वर्ष	अनुदान की राशि	कुल व्यय का प्रतिशत
1980-81	1,28,360	68.46
1981-82	1,61,228 (आवर्तक तथा 25,000 अनावर्तक)	70.76
1982-83	1,94,380	66.96
1983-84	2,36,634	72.62
1984-85	64,377.35 (केवल प्रथम किश्त)	केवल एक किश्त

सिंचाई विभाग के डिप्लोमाधारी अभियन्ताओं की पदोन्नति

136. **श्री भूपालसिंह** (निम्बाहेड़ा) **श्री बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे

(1) क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग में डिप्लोमाधारी अभियन्ताओं की डी. पी. सी. 1968 से लेकर आज तक नहीं बिठाई गई है। यदि हाँ, तो क्यों ?

(2) नियमानुसार इसके लिए डी. पी. सी. कितने वर्षों में बिठाने का प्रावधान है ? अब कब तक डी. पी. सी की बैठक बुलाई जायेगी ?

(3) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें नहीं बुलाने के लिए किसका दोष है, और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

(4) डिप्लोमा अभियन्ताओं ने पदोन्नति तथा डी. पी.सी. हेतु कब-कब आन्दोलन, हड़ताल की और क्या कोई आश्वासन उन्हें हड़ताल के दौरान सरकार की ओर से दिये गये ? यदि दिये, तो वे क्या थे और उनकी पालना क्यों नहीं की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं। सन् 1965 में डी. पी. सी. की बैठक बुला कर डिप्लोमाधारी अभियन्ताओं को सन् 1968 में नियमित पदोन्नति दी गई थी। इसके कारण सन् 1972 तक कोई रिक्त स्थान नहीं रहा। सन् 1973, 1974, 1975, 1976 व 1977 के रिक्त पदों को भरने के लिए डी. पी. सी. की बैठक 22-3-79, 31-3-79, 12-1-81 व 20-6-81 को बुलाई गई थी और इन पदों को नियमित पदोन्नति द्वारा भरा गया था।

(2) नियमानुसार डी. पी.सी. वर्षवार बुलाई जाने का प्रावधान है। परन्तु डिप्लोमाधारी अभियन्ताओं द्वारा ट्रिब्यूनल में जाने से उनके निर्णय के फलस्वरूप वर्ष 1977 तक किये गये सिलेक्शन को रिव्यू करना है। इस कार्य को पूरा करने के लिए दिनांक 28-9-84 को डी.पी.सी. की बैठक वर्ष 1965 तक के रिक्त पदों को भरने के लिए बुलाई गई थी। बैठक का निर्णय अपेक्षित है।

(3) डी.पी.सी. की बैठक नहीं बुलाने के लिए कोई दोषी नहीं है अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) मात्र पदोन्नति तथा डी.पी.सी. हेतु डिप्लोमाधारी अभियन्ताओं द्वारा कोई आन्दोलन या हड़ताल नहीं की गई थी।

जिला कोटा की काचरी लिफ्ट सिंचाई योजना

137. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंजमण्डी): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे---

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की पंचायत समिति अन्ता की काचरी लिफ्ट सिंचाई योजना की स्वीकृति होकर

(श्री हरीश शर्मा)

टेण्डर भी हो गये थे ? यदि हां, तो कब ? क्या उसके बाद भी योजना को रोक दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार ने इस योजना को प्रारम्भ करने हेतु अन्तर्राज्यीय जल मंडल से निवेदन किया है ? यदि हां, तो कब-कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, कावरी लिफ्ट स्कीम के टेण्डर 23-10-81 को प्राप्त किये गये थे। इसका क्रियान्वयन केन्द्रीय जल आयोग द्वारा वांछित मात्रा में जल की उपलब्धि के सम्बन्ध में उठाये गये आक्षेपों तथा चम्बल कमाण्ड क्षेत्र विकास योजना के द्वितीय चरण की स्वीकृति से सम्बन्ध कर दिये जाने के कारण रोक दिया गया।

(2) जी नहीं। इस योजना में राजस्थान अपने ही हिस्से का पानी उपयोग में लाएगा। इसलिए इस प्रकरण को अन्तर्राज्यीय मण्डल में ले जाने की आवश्यकता नहीं है।

बीसलपुर से पेयजल व्यवस्था

138. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : क्या जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे--

(1) क्या यह सही है कि अजमेर, जयपुर को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु बीसलपुर रीजनल योजना (बनास) का केन्द्र सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है ? यदि हां, तो उपरोक्त योजना की क्रियान्विति की दिशा में प्रथम चरण कब से प्रारम्भ कर दिया जावेगा ? प्रथम चरण पर कितनी धन राशि व्यय होना अनुमानित है ?

(2) क्या यह सही है कि बीसलपुर योजना के क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में किन-किन जिलों, नगर व कस्बों में उपलब्ध कराने का विचार है ? कृपया चरणवार एवं नगर, कस्बेवार विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) चरणवार, नगरवार एवं कस्बेवार योजना अभी नहीं बनाई है।

जयपुर नगर की पेयजल समस्या का निदान

139. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर के प्रमुख जल वितरण स्रोत रामगढ़ बंधे में 20 फुट मिट्टी भरी हुई है ? यदि हां, तो इसके साफ कराये जाने की क्या योजना है ?

(2) क्या परकोटे के अन्दर स्थित चौकड़ी मोदीखाना विश्वेश्वर जी व सरहद में प्रातः के स्थान पर सायंकाल जल वितरण किया जा रहा है जिसके कारण जनता को कष्ट उठाना पड़ रहा है ?

262

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

(3) क्या शहर की जल वितरण की योजना के समाधान हेतु बनास योजना या अन्य पर्याय योजनाओं को पूरा किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) रामगढ़ बांध में वर्तमान में कितनी मिट्टी भरी हुई है इसकी सही जानकारी उपलब्ध नहीं है ? नमूने के साथ में की गई जांच के अनुसार कई स्थानों पर 18-19 फुट मिट्टी भरी हुई है। फिलहाल मिट्टी को साफ कराये जाने की योजना नहीं है।

(2) परकोटे के अन्दर स्थित चौकड़ी मोदीखाना व विश्वेश्वरजी में सायंकाल एवं चौकड़ी सरहद में प्रातः पानी वितरित किया जा रहा है। यह व्यवस्था परिस्थिति-वश बाध्य होकर की गई है ।

(3) शहर में अतिरिक्त जल वितरण हेतु परकोटे के अन्दर स्थित कुछ खुले कुओं को चालू करवाकर एवं बाहरी क्षेत्र में नये नलकूप बनाकर बाहरी क्षेत्र में परकोटे के अन्दर स्थित आबादी को पानी पहुंचाने के बारे में कार्य किया जा रहा है ।

परिशिष्ट-6

अतारांकित प्रश्न संख्या 113 की सूची

नियुक्ति अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की

1. श्री कपूरचन्द मेघवाल
2. ,, दयाराम
3. ,, लालपति
4. ,, बाबूलाल गर्ग
5. ,, खीचाराम मेघवाल
6. ,, सानाराम
7. ,, बृजेन्द्रलाल जाटव
8. ,, रूपीलाल
9. ,, हरीसिंह जाटव
10. ,, जगदीशचन्द्र खटीक
11. ,, हरीश कुमार
12. ,, मनफूल रैगर
13. ,, शंकरलाल रैगर
14. ,, गुरमुख सिंह
15. ,, कमलसिंह
16. ,, रामजीलाल
17. ,, सूरजपाल सिंह
18. ,, केशवदेव शर्मा
19. ,, रामपाल सिंह
20. ,, तिलक सिंह
21. ,, ओमप्रकाश हरिजन
22. ,, रणजीतसिंह
23. ,, ओमप्रकाश
24. ,, रमेशचन्द्र
25. ,, उदयराम रैगर
26. ,, मनी प्रकाश
27. ,, महेन्द्र कुमार
28. ,, फगुनी
29. ,, लच्छीराम रैगर
30. ,, पदम चन्द यादव
31. ,, मैनपाल सिंह
32. ,, श्योदान सिंह
33. श्री मंगलसेन
34. ,, हरीप्रसाद पानी
35. ,, चंद्रपाल सिंह
36. ,, चरण सिंह
37. ,, मुरली लाल
38. ,, कैलाश चंद्र
39. ,, महेन्द्र प्रकाश वर्मा
40. ,, पारसमल गहलोत
41. ,, लोकेन्द्र सिंह
42. ,, घासीलाल बैरवा
43. ,, सीताराम बैरवा
44. ,, राजेन्द्र कुमार
45. ,, ओमप्रकाश खीची
46. ,, हरनाथ रैगर
47. ,, मोहनलाल बैरवा
48. ,, श्योजीलाल बैरवा
49. ,, लालचन्द बैरवा
50. ,, शान्तीलाल खटीक
51. ,, हंसराज रैगर
52. ,, शिवजीराम सूत्रकार
53. ,, रमेशचन्द्र खटीक
54. ,, मोहनलाल परमार
55. ,, रविन्द्र पाल
56. ,, हरीबक्स जाटव
57. ,, नागर्जा
58. ,, भैरूलाल धोबी
59. ,, शान्तीलाल ढोली
60. ,, महावीरप्रसाद मोची
61. ,, उदयलाल कोली
62. ,, लालचन्द खटीक
63. ,, गोपाललाल वर्मा
64. ,, रमेशचन्द्र सूत्रकार

65. श्री गोविन्द सिंह
66. ,, किशनलाल नाहर
67. ,, मोहनसिंह
68. ,, बृजमोहन कटवा
69. ,, रामस्वरूप
70. ,, पतराम
71. ,, मोहनलाल सूत्रकार
72. श्री मंगलचन्द
73. ,, बाबूलाल
74. ,, जगदीश प्रसाद
75. ,, हरीराम सिंह
76. ,, बाबूलाल पुत्र प्रसादीलाल
77. ,, चचालाल

नियुक्ति अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की सूची

1. श्री शिवराम मीणा
2. ,, नारायणलाल मीणा
3. ,, भगतराम मीणा
4. ,, रामचन्द मीणा
5. ,, हमराज मीणा
6. ,, सवालाल मीणा
7. ,, लक्ष्मीचन्द मीणा
8. ,, रामनिवास मीणा
9. ,, रामचन्द मीणा
10. ,, जगदीश प्रसाद मीणा
11. ,, राजनारायण मीणा
12. ,, अरुणलाल मीणा
13. ,, अर्जुनलाल मीणा
14. ,, धन्नालाल मीणा
15. ,, हनुमान मीणा
16. ,, अर्जुनलाल मीणा
17. श्री जन्तुराम मीणा
18. ,, फूलचन्द मीणा
19. ,, लादूराम मीणा
20. ,, अम्बालाल मीणा
21. ,, रमेश चन्द
22. ,, दौलतराम चखोटा
23. ,, भरतलाल मीणा
24. ,, कालूलाल
25. ,, गोपाल नाथ
26. ,, लक्ष्मण लाल
27. ,, लक्ष्मणलाल आहरी
28. ,, दौलतराम
29. ,, ईश्वरसिंह
30. ,, दीपचन्द मीणा
31. ,, रामचन्द मीणा
32. ,, धनाराम मीणा

परिशिष्ट–7 "अ"

अतारांकित प्रश्न सं. 126 की सूचियां

वर्ष 1979-80 से वर्ष 1983–84 की अवधि में राज्य में सिंचाई क्षमता में हुई बढ़ोतरी

क्र. सं.	योजना का नाम	सिंचाई क्षमता लाख हैक्टर	
		वर्ष 1979-80	वर्ष 1983–84
1.	राजस्थान नहर परियोजना	5.40	6.81
2.	माही परियोजना	शून्य	.30
3.	चम्बल	2.13	2.13
4.	अन्य पूर्ण योजनाएं	7.85	7.85
5.	आधुनिकीकरण की योजनाएँ	0.07	0.23
6.	लघु सिंचाई की योजनाएँ	2.28	2.76
7.	अन्य वृहद एवं मध्यम योजनाएँ जिन पर छठी पंचवर्षीय योजना में क्षमता अर्जित की गई।	—	0.52
	योग—	17.73	20.60

———

परिशिष्ट "ब"

वर्ष 1983-84 में राज्य में विभिन्न योजनाओं पर सिंचाई

(सिंचाई क्षेत्र लाख हैक्टेयर में)

भाखड़ा परियोजना	3.14
गंगनहर परियोजना	2.95
राजस्थान नहर	4.38
चम्बल	1.88
माही	0.41
अन्य योजनाऐं	2.87
योग	15.33

परिशिष्ट—8

अतारांकित प्रश्न सं. 130 का विवरण

माह सितम्बर, 1983 से दिसम्बर, 1983 तक खोदे गये हैंडपम्पों की सूची :—

क्र. सं.	गांव का नाम	कोड नम्बर	सफल	असफल	कुल	गहराई (मीटर)
1	2	3	4	5	6	7
तहसील भीम						
1.	करकदा	42	2	—	2	46.40
2.	कथारिया	67	—	1	—	33
3.	वासावाडी	85	2	—	2	40.35
4.	कैसागुडा	90	2	—	2	40.38
5.	केवपुरा	9	1	1	2	36.39
तहसील देवगढ						
6.	भाकरा	27	1	—	1	27
7.	देवगढ़	(ग्र)	1	—	1	46
8.	मालकोट	18	2	—	2	45.46
9.	सोलकिया गागुडा	102	1	1	2	33.39

1	2	3	4	5	6	7
10.	बालकपालिया	17	2	--	2	46.42
11.	जीरण	101	1	--	1	40
12.	पानीया	91	12	--	2	36.43
13.	जवानजी का खेडा	124	2	--	2	33.36
14.	माताजी का गोद	127	2	--	2	33.36
15.	बन्जारिया	90	1	--	1	32
16.	बटेरी	13	1	--	1	33
17.	बगतपुरा	97	1	--	1	39
18.	मोडियाखेडा	96	1	--	1	39
19.	सन्तारिया	100	2	--	2	39.39
20.	वारडा	77	1	--	1	36
21.	वैरवास	76	2	....	2	42.42
22.	मोधना	99	2	....	2	36.36
23.	पुनियाना	25	1	....	1	33
24.	पूसालोका खेडा	15	2	....	2	33.15
25.	चककाला गांव	7	1	....	1	27
26.	डाडियों का खेडा	110	1	....	1	27

1	2	3	4	5	7	7
27.	तोखी	58	2	....	2	33.76
28.	सिह का केडा	36	1	....	1	24
29.	बामा खेडा	71	1	1	1	42.36
30.	जेमा खेडा	62	2	....	2	40.30
तहसील आमेट						
31.	आमेट ...	(शू)	1	....	1	43
32.	कोला खेडा	43	2	....	2	43.38
33.	उडावती का खेडा	95	1	....	1	33
34.	डीडवान	40	2	....	2	36.45
35.	बानिया खेडा	46	2	....	2	51.48
36.	मानकदेह	37	1	....	1	37
37.	कांजीगुडा पला	28	1	....	1	36
38.	काजीगुडा खुर्द	29	1	....	1	33
39.	केमरी	21	2	...	2	36.33
40.	राछोटी की ढाणी	49	2	...	2	38.33
41.	बरजाल	53	1	...	1	33

1	2	3	4	5	6	7
42.	कोटेश्वरी	13	...	1	1	41
43.	चामुण्डखेडा	39	...	1	1	46
44.	सपराव	73	2	...	2	30.35
45	पाराणा का गुडा	64	1	...	1	64.27
तहसील कुम्भलगढ़						
46.	ढाला की ओर	76	2	...	2	37.39
47.	चुरावड	77	1	...	1	42
48.	खैरान	95	1	...	1	36
49.	निचला धारा	[illegible]	2	...	2	33.36
50.	उचला धारा	37	1	...	1	46
51.	काकरिया	8	2	...	2	46.43
52.	कितेला	7	...	1	1	50
53.	करनी खेडा	9	1	...	1	42
54.	जनावद	15	1	....	1	55
55.	अमरसिया	13	1	--	1	51
56.	जस्ताजी का गुढा	29	2	....	2	46.38
57.	किला कुम्भलगढ़	81	....	1	1	60

1	2	3	4	5	6	7
58.	वीर की भागल	93	...	1	1	51
59.	जवरिया	50	3	—	3	30,5,35,5, 33
60.	खारा का ग्रासन	5	2	...	2	42,44
61.	लाम्बोडी	12	1	...	1	46
62.	रीदें का गुढा	64	2	...	2	42.51
63.	मोहनजी का गुढा	53	2	...	2	42.46
64.	राती सवाई	59	2	...	2	46.46
65.	भोरिया की भागल	24	2	...	2	42.42
66.	प्रामली गुढा	51	1	1	2	38,45
67.	गुडालिया	14	2	...	2	38.41
तहसील राजसमन्द						
68.	काकारोली	(पु)	...	2	3	46, 17, 51
69.	नान्दोली	120	1	1	1	8
69. A	बोरेज	55	5	...	5	35, 35, 33, 38, 38
70.	चितायन का पादड़ा	110	1	...	1	26
तहसील नाथद्वारा						
71.	सियाल	190	2	—	2	38, 22

271

1	2	3	4	5	6	7
72.	बांसड़ा	52	1	1	2	30, 30
73.	कोयली	73	2	...	2	39, 45, 75
74.	सरदारपुरा	93	2	...	2	30, 36, 36
75.	रामाखेड़ी	188	2	...	2	30, 33
76.	डागड़ा	194	2	...	2	27, 36
77.	लीलरो का गुढ़ा	138	1	...	2	36, 28
78.	मंडक का गुड़ा	146	2	...	2	34, 43
79.	पापामाल	144	2	...	2	33, 25
80.	मतिन्दा	26	3	...	3	31.5, 30.5, 45, 30
81.	सोनगरिया	183	2	...	2	30, 34
82.	कामली का गुड़ा	186	1	...	1	37
83.	पनिहयाना	अरबन	1	...	1	42
84.	पानेरियों की मादड़ी	41	1	2	2	33, 28
85.	नाथद्वारा	अरबन	1	1	2	34, 34
86.	रेबारियों की ढाणी	95	...	2	2	43, 42
87.	बोरडी नाल	51	...	1	1	44
88.	शिकारवाड़ी	193	2	...	2	39, 34

1	2	3	4	5	6	7
89.	मासवास	81	1	...	2	40, 22
90.	कोलर	173	1	1	2	33, 36
91.	कालीवास	189	2	...	2	40, 40
92.	बरवा	192	1	...	1	40
93.	गुडली	178	1	...	1	36
94.	पपमलपुर	90	2	...	2	36, 6, 39
95.	ग्रडगेला	92	2	...	2	33, 42
96.	गुरेतला	175	1	1	2	40, 8, 42, 7
97.	गोपागुडा	104	2	[illegible]	2	39, 6, 36, 6
98.	भरवालिया	174	1	1	2	42, 7, 42
99.	लच्छीपुरा	78	2	...	2	37, 37
100.	सांगाखेडा	71	1	1	2	45, 45
101.	फूलपुरा	69	2	...	2	43, 38
102.	बुधपुरा	63	2	...	2	43, 36
103.	खेमाखेडा	57	2	...	2	30, 33
104.	केसरपुरा	58	2	...	2	36. 27
105.	रकमपुरा	60	1	...	1	33

(२७४)

1	2	3	4	3	6	7
106.	उलपुरा नंदीवाला	64	2	1	3	27, 9, 45
107.	खोखा ढाणी	68	1	...	1	39
108.	कालीखेड़ी पाटिया	42	1	...	1	45
109.	नारोलियों का खेड़ा	84	2	...	2	30, 30
110.	शिवजी की ढाणी	134	1	...	1	36
111.	बराया	149	...	1	1	30
112.	करणजी का गुडा	151	1	1	2	33, 33
113.	बड़लावाला	48	2	...	2	39, 33
114.	लुम्रारिया खेड़ा	66	...	1	1	12
115.	बादव कुआ	68	2	...	2	39, 42
116.	करलिया	46	1	...	1	39
117.	काला खेडी वीरान	44	1	...	1	..
118.	काला खेडी खारा	43	1	...	1	
119.	काला खेडी बड़लावाला	45	1	...	1	
120.	रूपजी गुडा	124	1	...	1	

1	2	3	4	5	6	7
तहसील मावली						
121.	जवानजी का खेडा	59	...	2	2	21, 27
122.	सूखवाडा	106	1	1	2	35, 42
123.	पीपलिया	44	2	...	2	32, 30
124.	खेमा खेडा	18	2	...	2	30, 36
225.	गढ़ चोरियान	19	2	...	2	30, 45
126.	देवजी का खेडा	29	2	...	2	30, 30
127.	रानी खेडा	45	1	1	2	21, 38
128.	श्योसिहजी का खेडा	43	1	....	1	30
129.	पाउटा	107	2	...	2	36, 36
130.	सोपरिया खेडा	31	1	....	1	30
131.	आगरोंडी	117	2	...	2	37, 30
132.	रेडिया खेडी	165	1	1	2	42, 42
133.	फतेहनगर	(यू)	2	....	2	32, 33, 5
134.	नाहर मगरा	98	3	....	3	39, 33, 39
135.	विजनेवास	79	7	2	9	38,24,40,3,27,40, 36,7,45, 45

1	2	3	4	5	6	7
136.	भोपा खेड़ी	96	1	1	2	37,8
137.	पालवास खुर्द	111	1	....	1	27
138.	प्रकाशपुरा	12	2	....	2	40,40
139.	गणेशपुरा	69	....	1	1	45
140.	सुहावतों का खेड़ा	99	...	1	1	13
141.	जोधाना	136	2	...	2	40,40
142.	रोया	139	1	[illegible]	1	27
143.	गान्दोनी	78	5	....	5	21.40,40,40,33
144.	सोबजी का खेड़ा	104	2	....	2	42, 45
145.	नाई का ढाणा	57	1	1	2	16, 39
146.	बोर का कुआ	62	2	....	2	42, 39
147.	भरतडी	22	2	...	2	46, 42
148.	छोटी खेड़ी	3	....	2	2	22, 15
149.	जटोवी	87	1	...	1	36
150.	नाइयों का गुढा	144	...	1	1	40
151.	गहलोतो का गुढा	96	2	...	2	33, 36
152.	भीलानी	87	1	...	1	35

1	2	3	4	5	6	7
153.	मदांवा	64	2	...	2	36, 39
154.	मदार	22	1	...	1	45
155.	मलारिया खुर्द	132	1	1	2	36, 9
156.	गनावसाव	17	1	...	1	36
157.	हुमारपुरा	112	2	...	2	34,34
158.	दुलावतों का गुढा	98	2	...	2	36, 45
159.	कलजी का गुडा	116	2	...	2	36, 30
160.	तिरोल	40	1	[illegible]	1	30
161.	काकनगुढा	102	1	1	2	36.6,42.7
162.	निकोर	16	2	...	2	38 ,36.6
तहसील बल्लभनगरः—						
163.	पलेलिया	135	2	...	2	34; 5, 36.3
164.	गरिमावा	111	1	....	1	36, 2
165.	सुन्दरपुरा		2	...	2	40, 48
166.	रामा की भागल		2	....	2	30, 39

1	2	3	4	5	6	7
167.	मछली खेड़ा	158	2	...	2	40,40
168.	मराय	51	2	....	2	42, 45
169.	लक्ष्मणपुरा	54	...	1	1	45
170.	कानौड़ (अरवन)		....	1	1	35
171.	चोल	160	....	1	1	40
172.	भीण्डर (अरवन)		2	....	2	39, 39
173.	सोनगरों का खेड़ा	166	2	[illegible]	2	30, 36
174.	मोतिडा	201	1	....	1	30
175.	लाडी	174	2	....	2	30, 33
176.	नरदा	206	1	....	1	45
177.	गुन्दला	205	1	....	1	32
178.	मोडिया	202	1	....	1	33
179.	कुमावतों का खेड़ा	104	2	....	2	36, 27
180.	खेड़ी	199	2	....	2	42, 40
181.	छुडिया	198	2	....	2	46, 43
182.	खिलरिया खेड़ा	271	2	....	2	44, 34

1	2	3	4	5	6	7
183.	झालों का खेड़ा	246	2	....	2	43, 38
184.	नानकिया खेड़ा	262	2	....	2	52, 43
185.	फतहपुरा	252	2	....	2	43, 48
186.	गुलाबपुरा	273	1	....	1	43
187.	पृथ्वीसिंह का खेड़ा	187	2	....	2	38, 43
188.	पीपलपुरा हवेली	186	2	....	2	47, 43
189.	गालखेजड़ा	184	2	[illegible]	2	47, 43
190.	देवाली	239	2	....	2	40, 47
191.	सूरखण्ड	242	2	....	2	43, 40
192.	चेनपुरिया	190	2	....	2	43, 38
193.	धोड़ा का खेड़ा	196	2	....	2	43, 43
194.	शाहपुरा	265	2	....	2	43, 43
195.	बरिया	251	2	....	2	47, 43
196.	सालरमाता	194	2	....	2	47, 38

(279)

1	2	3	4	5	6	7
197.	खण्डेवरा	240	2	....	2	40, 40
198.	फूलाडोर	210	2	....	2	
199.	नाहरपुरा	149	2	....	2	
तहसील गिर्वा—						
200.	खस्तरी	198	1	....	1	36
201.	पाउन्दा	171	1	....	1	30
202.	खेलू	11	2	....	3	39, 39, 42
203.	कमलोद	59	2	....	2	30, 33
204.	टीला घोड़ा	57	1	....	1	38
205.	राठोड़ों का गुड़ा	29	2	....	2	33, 36
206.	लियो का गुड़ा	79	2	....	2	42, 42
207.	बेडवास	65 (ए)	2	....	2	42, 34
208.	हवाला	76 (ऐ)	1	....	1	24
209.	उदयपुर	(यू)	6	....	6	42, 42, 30, 40
210.	खरू	118	6	....	6	42,40,40,40,38,40
211.	कलादासा	118	1	....	1	40

1	2	3	4	5	6	7
212.	थूर	32	1	....	1	36
213.	ढोल की पाटी	71	2	....	2	36, 51, .46
214.	झरनों की सराय	64	1	....	–	
215.	ग्राड	107	2	....	2	
216.	कालीवास	24	1	....	1	
तहसील कोटडा—						
217.	डूंगरिया	248	2	[illegible]	2	39, 30
218.	उपरलावास	26	1+1	....	1+1	36, 30
219.	नाल	262	1	....	1	36
220.	दोतड	296	1	2	3	24, 21, 7
221.	खोखड़ा	293	2	2	4	24, 30, 33
तहसील फलासिया—						
222.	ठेकलिया	117	1	1	2	42, 42
223.	बरावति	59	1	....	1	38
224.	मलारीया खुर्द	132	1	....	1	38
225.	शाही वाडा	99	1	....	1	39

1	2	3	4	5	6	7
226.	गेंवली	83	1	1	2	33, 36
227.	आकोदरा	12	3	....	3	27, 36
228.	अम्बावी	53	1	—	1	37
229.	आक्षर की पाल	78	3	....	3	27, 36
230.	रोडोमाला	104	2	....	2	
231.	कांसीवाडा	90	2	....	2	—
232.	तलाई	17	4	....	4	36, 36, 33
233.	बाडा	42	3	....	3	32, 16, 39
234.	नेताजी का गुढा	22	1		1	
235.	गाडरियावास	18	2	....	2	
236.	कौरथ	114	1	1	2	40,12
237.	मलानिया खुर्द	110	1	....	1	43, 4
238.	सावन का क्यारा	273	....	1	1	38
239.	नया गाँव	92	1	....	1	
240.	कयारीया	46	2	....	2	27
241.	गलधर	51	....	2	2	17

1	2	3	4	5	6	7
242.	चौहानवास	7	3	....	3	40
243.	बरबली	112	1	....	1	42
244.	सांखला	27	2	....	2	30
245.	पलखा	33	2	....	2	33
246.	भूरा	8	3	...	3	39, 40
247.	राणपुर		1	...	1	30
248.	नया गांव	115	1	...	1	37
249.	टीमडी	134	2	1	3	18, 39, 33
250.	चतरपुरा	133	2	1	3	24, 39, 36
251.	तुरगढ	188	2	...	2	41, 34
252.	शिवपुरा	124	2	...	2	40, 40
253.	धरतीदेवी	212	2	...	2	40, 40
254.	पांटीया	210	2	...	2	41, 40
255.	आदिवास	95	2	...	2	39, 39
256.	लटका	101	2	....	2	40, 39
257.	ओमीवाड़ा	173	1	...	1	36

1	2	3	4	5	6	7
258.	मूडलोशिया	174	2	...	2	30, 30
259.	लीलवास	71	2	...	2	30, 39
260.	मानपुर	219	2	...	2	26, 36
261.	मरमेर	220	2	...	2	23, 39
262.	कोट	221	1	2	3	30, 16, 18
263.	वरवाड़ा	184	2	...	2	34 36
264.	भेसाना	218	2	...	2	34, 36
265.	खाखरखेड़ा	57	...	1	1	45
266.	बारदा	148	2	...	2	33, 30
267.	कोपरिया	125	1	...	1	29
268.	पालावाडा	137	2	....	2	36, 31
269.	पानखा	222	2	....	2	30, 36
270.	भाडवा	225	2	...	2	32, 39
271.	नया गाव	92	2	....	2	33, 42
272.	दोव	94	2	...	2	36, 18

1	2	3	4	5	6	7
तहसील लखाडिया						
273.	बेडात	72	4	....	4	45, 45, 36, 39
274.	साकलदा	55	2	...	2	36, 42
275.	तरकोटों का फला	59	2	....	2	28, 40
276.	धोलिया	69	3	1	4	33, 36, 40, 35
277.	लिमडी गुडा	5	1	...	1	39
278.	राठोड़ों का गुड़ा	1	1	...	1	36
279.	सती का खेड़ा	159	2	...	2	24, 39
280.	बील का वास	146	1	1	2	15, 42
281.	माण्ड	150	1	...	1	42
282.	मूठड़ी खेड़ा	242	1	...	1	42
283.	लोदिया	223	2	...	2	39
284.	माड	272	3	1	4	30,45,30,10,36
285.	दांतलिया	98	1	...	1	24
286.	खशपुरा	189	3	.....	3	36, 36, 22
287.	घनेरा	210	3	....	3	10, 35, 36

1	2	3	4	5	6	7
288.	गुडा	211	3	...	3	40, 36, 39
289.	अन्तरोल	200	2	....	2	36, 40
290.	श्री गुडा	147	2	...	2	
291.	भगतपुरा	215	2	...	2	36,36
292.	पाचरा	129	2	...	2	30, 39
293.	ओबरा	76	3	...	3	39, 40, 38
294.	बोदरी	12	2	...	2	33, 39
295.	भानपरियों का गुड़ा	58	1	1	2	42, 48
296.	चितोरिया	74	2	...	2	38, 36
तहसील सराड़ा—						
297.	नतारा	57	1	...	1	36
298.	ओडा	10	3	...	3	26, 39, 40
299.	छापरवाली	36	2	...	2	
300.	नया कुआ	34	2	...	2	
301.	रेदु गुरिया	42	1	1	2	

1	2	3	4	5	6	7
302.	उदयपुरिया खालसा	72	2	...	2	
303.	सेदडी	76	2	...	2	
304.	डाकनबादरी	93	2	...	2	
305.	काछोटा	98	1	1	2	
306.	खेरकी	62	2	....	2	
307.	खासी सादडी	61	2	...	2	
308.	जलियाना	21	2	...	2	30, 42
309.	डांगीखेड़ा	17	2	...	2	39, 39
310.	महुड़ी	51	2	....	2	42, 36
311.	जाम्बुडा	50	2	...	2	42, 40
312.	गंगवी खेडा	28	1	...	1	36
313.	नादवी	22	2	...	2	42, 42
314.	नारायणपुर	119	2	...	2	40, 27
315.	धानका	116	9	1	10	40, 40, 40, 40, 40, 40, 37, 37, 37, 37
316.	निचला गुडा	135	1	1	2	40, 40

1	2	3	4	5	6	7
317.	उचला गुडा	134	2	....	2	34, 37
318.	गुडियावासा	138	2	...	2	37, 37
319.	गोपालपुर	108	2	...	2	46, 38
320.	भीमपुर	132	2	...	2	40, 39
321.	केहरपुरा	70	2	...	2	37, 37
322.	केरली	104	2	..	2	40, 40
323.	परतालिया	103	2	––	2	32, 40
324.	बानधला	110	2	––	2	39, 36
325.	जुनपुरिया	109	2	––	2	36, 21
326.	जगतपुरिया	120	2	––	2	
327.	करणतुरिया	126	1	––	1	
328.	गलोडा	127	1	1	2	39
329.	कोटर	112	1	––	1	
330.	पेन्डेर	125	2	––	2	39, 28
तहसील सलुम्बर—						
331.	भटवाडा	136	3	—	3	39, 30, 33
332.	नेडी भटवाड़ा	122	1	1	2	39, 33

1	2	3	4	5	6	7
333.	कल्याणा खुर्द	180	2	—	2	33, 30
334.	कल्याणा कलां	190	2	—	2	35, 30
335.	सलूम्बर	अरबन	2	—	2	36, 24
336.	दुदार	105	1	—	1	33
337.	गुडा	203	1	—	1	30
338.	ओडा	128	1	—	1	26
339.	भणोर	127	1	—	1	27
340.	चाटपुर	53	1	—	[illegible]	36
341.	दरवड़ी सावणा	135	2	—	2	33, 33
342.	चौहानों का खंडेला	133	1	—	1	33
343.	खिमावली	30	2	—	2	28, 35
344.	कानपुरा	14	4	—	4	40, 60, 36, 30
345.	देवपुरा	33	1	—	1	36
346.	धाटी	42	2	—	2	40, 40
347.	झाडा	194	2	—	2	40, 39
348.	कोठार	196	2	—	2	37, 32

289

1	2	3	4	5	6	7
349.	देवड़	197	2	–	2	40, 39
350.	भोपालपुरा	199	1	–	1	36
351.	पाटन	16	1	–	1	35
352.	रूपनाथ	139	2	–	2	42, 40
353.	बड़ा तालाब	125	1	1	2	15, 39
354.	नया गांव	102	1	–	2	
355.	भानपुरा	101	1	–	1	
356.	बेसवा	106	2	–	2	
357.	जबारडा	4	2	–	2	30, 27
तहसील सैरवाड़ा—						
358.	पानी खला	220	1	1	2	30, 9
359.	टपाना	219	1	1	2	30, 42
360.	माडला कला	192	7	1	8	15
361.	कोटड़ा अलगना	188	1	–	1	29
362.	कानुवाड़ा	184	1	1	2	40, 32

1	2	3	4	5	6	7
363.	खैरवाड़ा खालसा	169	2	—	2	7, 24
364.	केटेवडी	172	2	—	2	39, 39
165.	सोसादरा	180	2	—	2	40, 37
366.	भोणदा	147	5	—	5	36, 39, 36, 36, 39
367.	जायरा	131	2	—	2	42, 42
368.	नीचला धोरिया	83	2	—	2	30, 36
369.	सूबेदरा	40	2	—	2	31, 36
370	सलाला	151	2	—	[illegible]	40, 31
371.	रोडीवासा	152	2	—	2	31, 5, 25.5
372.	म्रानेला	136	2	—	2	33, 33
373.	पुठाला	14	3	—	3	
374.	वेलवा	104	2	—	2	42, 36
375.	राजावाड़ा	98	2	—	2	40, 40
376.	करमाला	87	2	—	2	40, 40
377.	वेलवाड़ा	51	2	—	2	40, 40
378.	राजीवाड़ा	8	2	—	2	40, 38

1	2	3	4	5	6	7
379.	भाखड़ा	7	2	–	2	40, 40
380.	चौकी	32	2	–	2	40, 39
381.	केला	86	2	–	2	36, 40
382.	खानबीन	198	5	–	5	39, 36, 39, 33, 42
383.	दौलतपुरा	225	2	–	2	42, 36
384.	जयपुरा	213	2	–	2	39, 30
385.	हाथिया	143	2	–	[illegible]	39, 36
386.	सरेरा	110	2	–	2	42, 39
387.	लक्ष्मणपुरा	111	2	–	2	39, 45
388.	हंसावाड़ा	90	2	–	2	48,38
389.	सातसाला गुड़ा	91	2	–	2	36, 27
390.	गोविन्ददेव	14	2	–	2	39, 36
391.	घटराली	35	2	–	2	39,39
392.	मालां फला	30	1	1	2	
393.	गोहावाड़	34	2	–	2	
394.	बलाई	6	2	–	2	

1	2	3	4	5	6	7
395.	सांभर	153	2	—	2	
396.	ब्रांबाली	150	2.	—	2	
397.	सोरवाड़ा	179	1	1	2	
398,	कुनादरी	45	2'	—	2	36. 39
499.	बावरी खेड़ा	221	1	1	2	42, 36
400.	मगोरवाड़ा	.117	—	1	1	
401.	मालीखला	134	1	—	1	
402.	हुवायतां	113	2	—	[illegible]	
403.	मगरा	16	1	—	1	
404.	घाटा	66	2	—	2	39, 39
405.	तह.नाथद्वारा,ग्रामजी का गुड़ा	176	2	—	2	39,39

नोट—दर्शाई गयी गहराई असफल हैड पम्पों की है।

294

परिशिष्ट-9

अतारांकित प्रश्न सं. 140 की सूची

प्रपत्र "अ" (1)

राजस्थान नहर के द्वितीय चरण की प्रणालीवार मिट्टी व पक्के कार्यों का विवरण।

क. सं.	प्रणाली का नाम	मिट्टी का कार्य [लाख घनफुट]		लाइनिंग का कार्य (कि. मी. में)	
		कुल कार्य	बाकी कार्य	कुल लम्बाई	बाकी लम्बाई
(अ)	**मुख्य नहर से सीधी वितरीकायें**				
1.	अमरपुरा माइनर	37.10	4.10	4.30	3.30
2.	चम्ब माइनर	38.70	18.70	4.91	3.90
3.	भैरूजी माइनर	14.95	7.75	2.74	2.74
4.	रामजी माइनर	कार्य पूरा किया	,,	1.22	1.22
5.	माईनर 908	15.7	0.07	1-89	0.89
6.	ब्ज्जू माइनर	11.23	0.23	1.92	0.67
7.	मिठरिया माइनर	26.64	0.64	2.87	1.62

1	2	3	4	5	6
8.	बीकमपुर माइनर	कार्य पूरा किया	,,	8.00	6.59
9.	अबाई माइनर	310.00	69.75	18.05	17.24
10.	नाचना माइनर	27.00	2.00	5.00	0.66
11.	साजरिया माइनर	590.00	218.00	56.00	56.00
12.	मिठरिया माइनर	192.00	38.00	28.00	27.62
13.	रोरुण्ट माइनर	217.00	87.50	52.00	52.00
(ब) दातौर प्रणाली					
1.	दातौर बितरिका, मधुरी माइनर मंगराना माइनर, कुम्पराना माइनर रामरा माइनर. मालेरी माइनर राइट माइनर	कार्य पूरा कर दिया		,,	,,
2.	दातौर माइनर	525.51	15.00	19.14	9.09
3.	जग्गासर माइनर	84.68	33.00	7.47	7.47
4.	सायेवाला बितरिका	294.33	32.00	28.96	18.28

1	2	3	4	5	6
(स)	**भुट्टोंवाली प्रणाली**				
1.	करण माइनर, रावतवाली साइनर, भुट्टोंवाली वितरिका	कार्य पूरा किया	,,	,,	,,
2.	भुट्टोंवाली माइनर	कार्य पूरा किया		10.91	4.56
प्रपत्र "ब"					
बीरसलपुर प्रणाली					
1.	बीरसलपुर ब्रांच बुर्जी 0 से 95			29.05	3.85
2.	,, ,, ,,	95 से रेल		18.65	14.33
3.	चारणवाली वितरिका			कार्य पूरा किया	
4.	ग्रहमदेकली माइनर	कार्य पूरा किया		कार्य पूरा किया	
5.	मोहम्मदवाली माइनर			5.00	2.25
6.	मनकासर वितरिका			17.07	8.85
7.	वन्दी माइनर			कार्य पूरा किया	
8.	मालूरी माइनर			3.8	3.89
9.	गोकुल सब माइनर	50.00	90,00	2.89	2.89
10.	गोकुल माइनर	194.95	194.95	8.46	8.46

1	2	3	4	5	6
11.	खारवाला माइनर			4.27	4.27
12.	चेरा माइनर	कार्य पूरा किया		6.55	6.55
13.	रूपसिंह माइनर			6.22	3.34
14.	चिलन वितरिका			11.79	5.69
15.	रणजीतपुरा वितरिका	325.62	5.50	21.88	17.65
16.	„ माइनर	70.00	7.00	6.09	6.09
17.	महेन्द्रा धोरा	12.85	2.00	2.80	2.80
18.	आरबसर वितरीका	145.05	9.00	14.54	14.54
19.	„ „ माइनर	230.00	230.00	12.47	12.47
20.	„ „ सब माइनर	50.00	50.00	2.50	2.50
21.	बिरसलपुर वितरिका	148.15	5.00	17.19	17.19
22.	„ „ सब माइनर	38.00	38.00	2.50	2.50
23.	„ „ माइनर	50.00	50.00	9.75	9.75
24.	रावला माइनर	8.90	0.50	2.68	2.68

297

1	2	3	4	5	6
चारणवाला प्रणाली					
1.	चारणवाला शाखा बुर्जी 235.00	1998	345.00	71.63	54.15
2.	चारणवाला शाखा बुर्जी 235 से 273.5	215.00	215.00	11.73	11.73
3.	फुलासर वितरिका	379.35	2.00	15.09	11.28
4.	फुलासर माइनर प्रथम	372.63	5.00	17.16	17.16
5.	फुलासर सब माइनर	191.32	14.08	12.19	12.19
6.	फुलासर माइनर द्वितीय	164.62	14.10	10.21	10.21
7.	गोट्टू माइनर	214.00	8.4	18.14	17.53
8.	गोट्टू सब माइनर	64.09	5.6	4.34	4.34
9.	खारा वितरिका	383.60	12.00	21.95	17.47
10.	नारायणसार वितरिका	120.50	0.15	7.62	7.62
11.	चारणवाला माइनर	13.70	2.4	1.60	1.60
12.	खारा माइनर	323.06	9.00	11.43	11.43
13.	खेरुवाली वितरिका	330.26	15.3	22.86	22.86

1	2	3	4	5	6
14.	गदेवाली माइनर	217.14	122.10	12.19	12.19
15.	गनेवाली सब माइनर	39.28	3.85	3.20	3.20
16.	जेस माइनर	145.09	145.00	5.23	5.23
17.	रायचन्द वावा माइनर	162.70	143.21	9.43	9.43
18.	रायचन्द वाला सब माइनर	21.65	10.15	2.91	2.91
19.	आलूवाला वितरिका	265.09	185.09	18.23	18.23
20.	सूवेबाला माइनर	95.00	95.0	4.11	4.11
21.	ओपनवाला माइनर	115.00	115.00	5.12	5.12
22.	अनाजवाला वितरिका	140.00	140.00	7.01	7.01
23	अनाजवाला माइनर	95.00	95.00	5.18	5.18
24.	खेरिया माइनर	135.00	135.00	7.32	7.32
25.	गुमरे माइनर	120.00	120.00	6.10	6.11
26.	हनुवाला वितरिका	400.80	400.00	15.24	15.24
27.	मेएराय वितरिका	510.00	510.00	16.35	16.35
28.	मेगराय माइनर प्रथम	160.00	160.00	9.59	9.59
29.	मेहरान खान माइनर द्वितीय	170.50	170.00	10.90	10.90

1	2	3	4	5	6
नाचना प्रणाली					
1.	नाचना मुख्य वितरिका	44.10	0.23	6.55	6.45
2.	मदासर माइनर	27.04	16.87	6.55	6.55
3.	नाचना लोवर वितरिका	474.25	121.59	25.60	25.00
4.	शक्तिवाला माइनर	56.91	56.91	7.24	7.24
5.	जवारजी माइनर	34.72	27.72	5.49	5.49
6.	जोजनवाला माइनर	33.17	28.17	4.57	4.57
7.	रजनी माइनर	10.00	10.00	1.89	1.89
8.	नाचना अपर वितरिका	416.95	52.29	26.83	26.83
9.	धोवलकी माइनर	14.10	0.50	3.65	3.65
10.	टेल माइनर	30.54	14.52	6.70	6.70
11.	माचेरा माइनर	139.59	139.69	11.58	11.58
लीलवा प्रणाली					
1.	सागरमल गोपा प्रणाली	1913	1908.66	95.71	—
2.	साथा वितरिका	10.99	349.27	214.41	—

1	2	3	4	5	6
3.	सुल्ताना वितरिका	421.71	127.49	111.76	—....
4.	सुल्ताना माइनर	218.95	17.95		----

बीगा प्रणाली

शहीद बीरबल प्रणाली — कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया

रबी सन् 1982-83 व 1983—84 में वित्तीय चरण पर प्रणालीवार सिंचाई की सूचना प्रपत्र "ब"

बिसलपुर शाखा खण्ड-1, बज्ज

क्रम संख्या	नाम नहर	योग (बीघा)
1.	बिरसलपुर शाखा	3445
2.	मोहम्मदवाला माइनर	267
3.	मानकासर डिस्ट्रीब्यूटरी	500
	योग	4212 बीघा

दातौर शाखा खण्ड द्वितीय 82-83 रबी प्रहला

क्रम सं.	नाम नहर	योग (बीघा)
1.	आदूरी डिस्ट्रीब्यूटरी	426.65
2.	कुम्भावाला माइनर	150.50
3.	माकेरी माइनर	13.00
4.	मुगराला माइनर	5.75
5.	सामेवाला डिस्ट्री ब्यूटरी	2.00
6.	डाईरेक्ट आउटलेट	2.75
	योग	600.65 (बीघा)

1	2	3	4	5	6
	रबी पुश्ता वर्ष 1983–84			**रबी पुश्ता वर्ष 1983–84**	
1.	बिरसलपुर शाखा	184.65	1.	आदुरी डिस्ट्रीब्यूटरी	454.75
2.	मानकासर डिस्ट्रीब्यूटरी	43.75	2.	मुगराला माइनर	20.[illegible]0
3.	मोहम्मदवाला माइनर	35.25	3.	कुम्हारवाला माइनर	163.50
4.	रातत माइनर	12.85	4.	दासोर माइनर	9.75
5.	कटक माइनर	32.35	5.	दासौर ब्रान्च	6.75
6.	भुट्टोंवाला डिस्ट्रीब्यूटरी	34.25			
7.	छोलेवाली डिस्ट्रीब्यूटरी	145.70			
8	आहमदवाला माइनर	4.00			
	योग	492.80 (बीघा)		योग	655.25 (बीघा)
	1982–83 रबी पुश्ता	4212.00		1982–83 रबी पुश्ता	600.65
	1983–84 रबी पुश्ता	492.80		1983–84 रबी पुश्ता	655.25

परिशिष्ट–10

अतारांकित प्रश्न सं. 143 की सूची

कृषक वार सूची रकबा पलायथा ब्रान्च की लैफ्ट टेल माईनर बावत भूमि अवाप्ति जिनका मुआवजा नहीं दिया गया है :– (ग्राम सोनवा तहसील मांगरोल) (जिला कोटा)।

क्रमांक	कृषक का नाम	खसरा नं.	रकबा		वि. वि.
			बीघा	बिस्वा	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	श्री रामचन्द्र माना श्रीकृष्ण काना, आत्मज श्री गिरधारी गुर्जर	433	1	06	
2.	श्री चतुर्भुज, प्रभुलाल बेटे शंकर गुजर के	302	1	10	
		307	1	00	
3.	श्री विरधा पुत्र श्री बाला गुजर	301	1	05	
		42/1	2	04	
4.	श्री गीरू, भैरू, काना, प्रभु, लक्ष्मण पुत्र श्री माधो गूजर	297	2	00	
5.	श्री जगन्नाथ पुत्र श्री पाथ्या गूजर	298	1	10	

1	2	3	4	5	6
6.	श्री कल्याण, धन्ना आत्मज श्री गाड़या	299	0	05	
7.	श्री जगन्नाथ आत्मज श्री जगन्नाथ नाई	309	3	15	
8.	श्री मोड़, महावीर, बाबूलाल आत्मज लक्ष्मीनारायण	308	1	10	
9.	श्री श्रीनाथ पुत्र श्री नरसिंहलाल महाजन	305	2	00	
10.	श्री नारायण पुत्र पाथू गूजर	113	0	05	
		117	3	05	
11.	श्री रीना, बिरधा, नारायण पुत्र श्री गोबिन्दा	119	0	10	
12.	श्री रामनाथ, रामलाल, अमरलाल पुत्र श्री धोरया	112	0	15	
13.	श्री द्वारका आत्मज श्री बिर्धा, हेमराज आत्मज श्री लाल	122	0	10	
14.	श्री कल्याण, मथरा, चतरा पुत्र श्री गजानन्द	123	1	10	

1	2	3	4	5	6
15.	श्री मथरा, चतरा पुत्र श्री देवा गूजर	43/579	2	00	
16.	श्री मथरी बेवा काना गूजर	17	5	00	
17.	श्री बेरीलाल सिंह आत्मज घासी सिंह सीसवाली	18	2	15	
18.	श्री रतनलाल, मदनलाल, आत्मज श्री देवलाल गूजर	42/2	3	10	
		योग रकबा :–	37	05	

परिशिष्ट 11

अतारांकित प्रश्न सं. 144 की सूचियां

सूचना रा. न. परि के द्वितीय चरण में किस–2 नहर प्रणाली के कौन–2 से बेंकों के चक प्लान कब प्राप्त हुए "क"

क. सं.	नाम नहर प्रणाली	नाम नहर	प्राप्त बेंकों की संख्या	कमांड क्षेत्रफल एकड़ में	रा. न. प. विभाग से चकप्लान प्राप्त होने का दिनांक	वि. वि.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
1.	दतोर डिस्ट्री. सिस्टम	ग्राड़रो डिस्ट्री.	14	6221	28-9-79	
		मुगराला माईनर	9	2868	28-9-79	
		राईट माई. II	3	1764	5-4-80	
		कुम्हार वाला माई.	8	4540	8-11-79	
		मकेरी माईनर	9	2703	17-12-79	
		रामड़ा माईनर	7	2424	17-12-79	
		दतोर माईनर	12	7551	5-4-80	
		डायरेक्ट ग्राउलेट	2	2933	5-4-80	

1	2	3	4	5	6
		रामेवाला डिस्ट्री.	24	11741	5-5-80
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	17-11-80
		जगासर माई.	5	1828	13-7-81
	योग दतोर डिस्ट्री. सिस्टम		93	45573	
2.	भुट्टावाली डिस्ट्री0 सिस्टम	भुट्टीवाली डिस्ट्री-	8	2909	26-7-79
		भुट्टीवाली माई.	10	4179	26-7-79
		कटक माई.	3	[illegible]	27-6-79
		रावत माईनर	6	3053	27-6-79
	योग:– भुट्टोवाली डिस्ट्री0 सिस्टम		27	11366	
3.	बरसलपुर डिस्ट्री0 सिस्टम	बरसलपुर ब्रांच	28	15185	9-11-79
		तेजा माईनर	3	1300	9-11-79
		रथसिंह माईनर	7	4977	9-11-79
		गीकल माईनर	8	6366	9-11-79
		माणकासर डिस्ट्री.	10	6132	9-11-79

1	2	3	4	5	6
		गोकल सब माईनर	3	3031	9-11-79
		बन्दली माईनर	2	710	9-11-79
		मोहम्मद वाला माई.	6	4546	9-11-79
		भलूरा माईनर	4	2010	9-11-79
		चोलावाली डिस्ट्री.	10	6712	9-11-79
		अहमदवाली माई.	10	6089	9-11-79
		खारवाला माई.	4	2822	9-11-79
		बरसलपुर डिस्ट्री.	13	6835	3-6-82/1-6-84
		बरसलपुर माइ.	7	3531	3-6-82/1-6-84
		बरसलपुर सब माई.	2	894	3-6-82/1-6-84
		धेरा माईनर	7	3249	30-11-79
		कोला डिस्ट्री.	9	6940	30-11-79
		रणजीतपुरा डिस्ट्री	18	11454	21-12-79
		महेन्द्रा धोरा माई.	4	1983	29-12-79
		रणजीतपुरा माई.	8	4122	21-12-79
		अड़ासर डिस्ट्री.	9	4589	01-6-84

1	2	3	4	5	6
		अड़ासर माई.	11	4467	01-6-84
		अड़ासर माई. 2	2	1129	01-6-84
		राववाला माइ.	4	1852	01-6-84
		योग :—बरसलपुर डि. सिस्टम	189	111025	
4.	चारणवाला ब्रांच	चारणवाला ब्रांच	74	38812	25-6-81/30-7-84 16-5-83/18-4-84
		चारणवाला माई.	3	1949	30-7-81
		खारा डिस्ट्री.	16	7318	30-7-81
		नारायण माई.	9	3034	30-7-81
		पूलासर डिस्ट्री.	21	12756	30-7-81/28-1-84
		खेरवाला डिस्ट्री.	6	2649	16-5-83
		मोठड़िया डिस्ट्री.	3	2368	5-11-81
		गोड़ माई.	19	10652	28-11-81
		योग:— चारणवाला ब्रांच सिस्टम	151	78778	

1	2	3	4	5	6
5.	नाचना डिस्ट्री. सिस्टम	नाचना मैन डिस्ट्री-	10	3293	29-10-83
		नाचना अपर डिस्ट्री.	24	11069	29-10-83
		नाचना लोवर डिस्ट्री.	14	5385	29-10-83
		गदारार माई.	12	6719	29-10-83
	योग:– नाचना डिस्ट्री. सिस्टम		60	26466	
6.	नाचना माईनर	नाचना माईनर	4	1722	25-6-83
		योग:– नाचना माईनर	4	1722	
7.	अवाप डिस्ट्री. सिस्टम	अवाप डिस्ट्री.	16	8462	23-6-83
		लैफ्ट माईनर	4	1542	23-6-83
		राईट माईनर	4	1218	23.6.83
		योग:– अवाप डिस्ट्री. सिल्टम	24	12222	
8.	सांकड़िया डिस्ट्री. सिस्टम	साकड़िया डिस्ट्री.	21	10888	23-6-83

1	2	3	4	5	6
		[illegible] लेफ्ट माईनर	2	1555	23-6-83
		पानेवाला माई.	9	3635	23-6-83
		रोहिलवाली माई.	6	2331	23-6-83
		शेखवाली माई.	2	711	23-6-83
		घूर कोट माई.	3	1819	23-6-83
	योग:— सांकड़िया डिस्ट्री. सिस्टम		43	20939	
9.	मिठड़िया डिस्ट्री. सिस्टम	मिठड़िया डिस्ट्री.	13	6100	23-6-83
		नब्बे की माईनर	5	2594	23-6-83
		बरोलियो माई.	7	1388	23-6-83
	योग:- मिठड़िया डिस्ट्री. सिस्टम		25	10082	
10.	रेहरण्ड डिस्ट्री. सिस्टम	रेहरण्ड डिस्ट्री.	7	4143	23-6-83
		लारका माईनर	14	9518	23-6-83
		रेहरण्ड माईनर	2	923	23-6-83

1	2	3	4	5	6
		धोरारा उद्दर माई.	5	3254	23-6-83
		जेसलिपा माईनर	3	2590	23-6-83
		हरिपार माईनर	6	2846	23-6-83
		योग:– रेहरण्ड डिस्ट्री. सिस्टम	37	23274	
11.	सोधे मोधे	डायरेक्ट आउटलेट	9	[illegible]3	25-6-83
		योग:– डायरेक्ट आउटलेट	9	6823	
12.	मोहनगढ़ डिस्ट्री. सिस्टम	मोहनगढ़ डिस्ट्री.	19	11042	23-6-83
		बाधेवाला माई.	5	2604	23-6-83
		लाखा माई.	6	2888	23-6-83
		कागोदा माई.	6	3629	23-6-83
		योग:– मोहनगढ़ डिस्ट्री. सिस्टम	36	20163	
13.	मडाऊ डिस्ट्री. सिस्टम	मडाऊ डिस्ट्री.	19	13618	23-6-83
		मडाऊ माई. 1	2	909	23-6-83

1	2	3	4	5	6
		मडाऊ माई 11	12	7453	23-6-83
		लकासा माईनर	9	5692	23-6-83
		योग:– मडाऊ डिस्ट्री. सिस्टम	42	27672	
14.	मोहनगढ़ माईनर	मोहनगढ़ माईनर	9	4789	26-6-83
		योग:– मोहनगढ़ माईनर	9	4789	
15.	लीलवा ब्रांच सिस्टम	सुलताना डिस्ट्री.	112	57886	23-6-83
		जोवराजा माईनर	5	4168	23-6-83
		मलका मगरा माईनर	9	5636	23-6-83
		चंचेली माईनर	13	5657	23-6-83
		पचेली सब माईनर	5	2762	23-6-83
		सुलताना माईनर	36	18364	23-6-83
		पोथेवाला माईनर	9	4645	23-6-83
		कपुरिया माईनर	7	3791	23-6,83
		लीलवा ब्रांच	119	70608	23-6-83

313

1	2	3	4	5	6
		सांखला माईनर	13	8452	23-6-83
		डिग्गा सब माईनर	7	4251	23-6-83
		स्वयंवर माईनर	7	4004	23-6-83
		अरजना माईनर	13	8118	23-6-83
		डावर माईनर	6	4062	23-6-83
		रावमल माईनर	7	4448	23-6-83
		राममल सब माईनर	6	3684	23-6-83
		रालगढ़ माईनर	12	7631	23-6-83
		साधना डिस्ट्री.	90	33450	24-8-83
		टिब्बरेवाला माई.	37	25119	24-8-83
		कालर वाली माईनर	21	12057	24-8-83
		तुलीवाला माईनर	8	4889	24-8-83
		बकवाला माई.	5	3330	24-8-83
		सोरसर माईनर	10	5938	24-8-83
		लाम्बी माईनर	13	6952	24-8-83
		लाखा माईनर	13	8028	24-8-83

1	2	3	4	5	6
		चचेलो माईनर	6	3985	24-8-83
		चचेलो सब माईनर	4	2257	24-8-83
		भुट्टोवाला माईनर	19	11421	24-8-83
		पोधेवाला माईनर	4	2422	24-8-83
		कपूरिया माईनर	7	3341	24-8-83
		बोजेवाला माईनर	20	11122	24-8-82
		पाखा माईनर	10	5230	24-8-83
		तनोट डिस्टी.	10	57[illegible]	16-1-84
		भाटिपावाला माईनर	30	18348	16-1-84
		सतारवाला माईनर	8	4785	16-1-84
		नलिवावाली माईनर	5	2570	16-1-84
		नवातला माईनर	34	17935	16-1-84
		नवातला सब माई.	9	6156	16-1-84
		गमनेवाला माई.	17	8630	16-1-84
		गमनेवाला सब माई.	3	1518	16-1-84
		योग :- लीलवा ब्रांच सिस्टम	769	443623	

1	2	3	4	5	6
16.	डिग्गा ब्रांच सिस्टम	जजोरवाली माई.	23	13527	16-1-84
		हत्थेवाला माई.	4	1401	16-1-84
		फतेहवाली माई.	8	5735	16-1-84
		डिग्गा माईनर	17	8610	16-1-84
		मसुरिया माईनर	9	5519	16.1-84
		मेथड़ा माईनर	6	3137	16-1-84
		जंजीरवाली डिस्ट्री.	23	[illegible]	14-2-84
		किलोजवाली माई.	6	3301	14-2-84
		कालूवाला माई.	5	4388	14-2-84
		डोगबोरन माई.	9	5284	14-2-84
		कालूवाला सब माई.	5	3099	14-2-84
		पाली डिस्ट्री.	60	36225	14-6-84
		शहीद बोरबल शाखा	54	30464	14-6-84
		मजुक टिब्बा माई.	9	5560	1-6-84
		शिव माईनर	6	2820	1-6-84
		डिग्गा डिस्ट्री.	16	10613	1-6-84

1	2	3	4	5	6
		भालन माईनर	19	11991	1-6-84
		शिव डिस्ट्री.	20	11253	1-6-84
		नवोरो माईनर	12	6619	1-6-84
		नवोरा डिस्ट्री.	10	4881	1-6-84
		बायेवाला माई.	8	6244	1-6-84
		तुली डिस्ट्री.	25	14821	1-6-84
		पाली माईनर	20	11563	1-6-84
		भालन डिस्ट्री.	72	40956	1-6-84
		योग:– डिग्गा ब्रांच सिस्टम	449	261496	

राजस्थान नहर परियोजना के द्वितीय चरण में प्राप्त चक प्लानी का इकजाई मोश्वारा

क्रम. सं.	नाम नहर प्रणाली	तादात चक	कमांड क्षेत्रफल एकड़ में	चकप्लान प्राप्त होने का दिनांक	वि. वि.
1	2	3	4	5	6
1.	दतोर डिस्ट्री. सिस्टम	93	45573	28.9.79 से 13.7.81 तक	
2.	भुट्टीवाली डिस्ट्री. सिस्टम	27	11366	26.7.79	

1	2	3	4	5	6
3.	बरसलपुर डिस्ट्री. सिस्टम	189	111025	9.11.79 से 1.6.84 तक	
4.	चारणवाला ब्रांच सिस्टम	151	78778	25.6.81 से 18.4.84 तक	
5.	नाचना डिस्ट्री. सिस्टम	60	26466	29.10.83	
6.	नाचना माईनर	4	1722	25.6.83	
7.	अवाप डिस्ट्री. सिस्टम	24	11222	23.6.83	
8.	साकड़िया डिस्ट्री. सिस्टम	43	20939	23.6.83	
9.	मोगड़िया डिस्ट्री. सिस्टम	25	10082	23.6.83	
10.	रेहुन्ड डिस्ट्री, सिस्टम	37	23274	23.6.83	
11.	मोहनगढ़ डिस्ट्री. सिस्टम	36	20163	23.6.83	
12.	मण्डाऊ डिस्ट्री. सिस्टम	42	27672	23.6.83	
13.	मोहनगढ़ माइनर	9	4789	25.6.83	
14.	साधे लोगे (डायरेक्ट आउटलेट)	9	6823	25.6.83	
15.	लीलवा ब्रांच सिस्टम	769	443623	23.6.83, 24.3.83, 16.1.84	
16.	डिग्गा ब्रांच सिस्टम	449	261496	16.1.84, 14.1.84 तथा 18.4.84	
	समस्त योग द्वितीय चरण	1967	1105013		

राजस्थान नहर के द्वितीय चरण में चकवार तैयार अभिलेख के अनुसार वर्ष 1980-81 से 1983-84 तक की रबी फसल में नहर प्रणाली के चकों में सिंचाई की चकवार सूचना

(बीघों में)

(जिन्सवार के आधार पर)

क्र. सं.	नाम सिस्टम	नाम नहर	नाम चक	फसल रबी 1980-81 सं. 02037	फसल रबी 1981-82 सं. 2038	फसल रबी 1982-83 सं. 2039	फसल रबी 1983-84 सं. 2040
1	2	3	4	5	6	7	8
	1-दतौर डिस्ट्री. सिस्टम	आडूरी डिस्ट्री.	1 ए. डी.	—	11	45	114
			2 ,,	—	11	103	108
			3 ,,	—	39	126	35
			4 ,,	—	—	13	38
			5 ,,	—	9	—	6
			6 ,,	—	—	6	11
			7 ,,		3	18	—
			8 ,,	—	1	3	8

1	2	3	4	5	6	7	8
			9 ,,	—	–	–	3
		मुगराला माईनर	1 एम. एम.	—	–	–	4
			2 ,,	—	–	–	12
			4 ,,	—	21	–	–
			6 ,,	—	4	–	–
		कुमारवाला माईनर	3 के. डब्लू. एम.	—	15	17	–
			4 ,,	—	16	12	–
			5 ,,	—	22	32	32
			8 ,,	—	53	–	–
2–बरसलपुर –ब्रान्च		बरसलपुर ब्रान्च	3 डी. ओ. बी. बी.	—	50	212	212
			5 ,,	—	5	–	–
			7 ,,	—	2	–	–
			8 ,,	—	25	12	12
			20 ,,	—	–	36	30
			12 ,,	—	–	4	5
			13 ,,	—	3	20	15

1	2	3	4	5	6	7	8
		तेजा माईनर	1 टी. एम.	—	—	24	25
		माणकासर डिस्ट्री.	1 एम. के. डी.	—	16	132	130
		चोलवाली डिस्ट्री.	1 सी. डी. वाई.	—	82	136	130
			2 ,,	—	—	104	102
			3 ,,	—	—	12	10
			4 ,,	—	—	4	4
			5 ,,	—	—	4	4
		अहमदवाला माई.	1 ए. एम	—	—	4	4
			6 ,,	—	5	4	7
			7 ,,	—	—	4	3
			योग :– चक	—	388	1087	1054

परिशिष्ट–12

अतारांकित प्रश्न सं. 145 की सूची

पंचायत समिति, सराड़ा में बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की ग्रामवाईज सूची

1. सराड़ा
2. सराड़ा
3. सराड़ा
4. चावण्ड
5. चावन्ड
6. चावन्ड
7. चावन्ड
8. सरवर
9. सरवर
10. सरवर
11. बसुवा
12. बसुआ
13. बसुवा
14. पालसेपुर
15. सरकड़ी
16. सरकड़ी
17. सरकड़ी
18. सरकड़ी
19. धनकावाड़ा
20. धनकावाड़ा
21. धनकावाड़ा
22. बड़ावली
23. कुण्डा
24. कुण्डा
25. बापाखुर्द
26. करेली
27. बापा कला
28. भो राई
29. भो राई
30. सेमारी
31. सेमारी
32. सेमारी
33. निम्बोदा
34. पालनिम्बोदा
35. डायती
36. केवड़
37. उण्डावेला
38. केवड़
38. कातनावाड़ा
40. बालसराड़ा
41 बालसराड़ा
42. रठोड़ा
43. ईटाली
44. ईटालीवाल
45. खेरवा
46. सेपुर
47. बापा
48. बड़गांव
49. खाटीवोर
50. अमरपुरा

51. डांगीखेड़ा
52 महुवाड़ा
53. देवपुरा
54. धावड़िया
55. शाक्ता. का गुड़ा
56. धाराई
57. ढेलाई
58. झाडोल
59. मांडलीकला
60. मोकातकला
61. सराड़ा
62. सराड़ा
63. कन्तोड़ा
64. पिलाधर
65. बोवस
66. सगतड़ा
67. सगतड़ा
68. ढाकरड़ा
69. नाल हल्कार
70. वीरपुरा
71. गातोड़
72. सर्सिया
73. सर्सिया
74. अड़वास
75. नईझर
76. सेमाल
77. बावरमाल
78. बण्डाली
79. बण्डोली
80. श्यामपुरा
81. माण्डवा
82. मेवातलाई
83. डेलवास
84. टोकर
85. झाड़ोल
86. झाड़ोल

परिशिष्ट–13

अतारांकित प्रश्न सं. 147 का विवरण

राजस्थान सरकार

नगरीय विभाग एवं आवासन विभाग

क्रमांक: प07/83/ नविजा /3/83 जयपुर, दिनांक 11-1-84

आवासन आयुक्त,
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर ।

विषय :– श्री भीखा भाई, सासंद, जनजाति को धारा 60 के तहत मालवीय नगर योजना में मकान आवंटन हेतु ।

महोदय,

श्री भीखा भाई सांसद जनजाति को राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम 1970 की धारा 60 के तहत मालविया नगर योजना, जयपुर में उनके आय वर्ग का स्वतंत्र प्लाट उनके द्वारा शपथ पत्र आदि प्रस्तुत करने के बाद नियमानुसार भवन आवंटन के अनुदेश निदेशानुसार दिये जाते हैं ।

भवदीय,

ह./–

(उपशासन सचिव)

सत्य प्रतिलिपि ।

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक : प.(7) नविशा/3/83 जयपुर, दिनांक 24-2-84

आवासन आयुक्त,

राजस्थान आवासन मण्डल,

जयपुर।

विषय : श्री अर्जुन मल लोढ़ा, निवासी जयपुर, को धारा 60 के तहत मालविया नगर से जवाहर नगर जयपुर में मकान आवंटन करने हेतु।

महोदय,

निदेशानुसार श्री अर्जुनमल लोढ़ा को मालवीया नगर में मकान नं. 1/1352 का आवंटन किया गया है इसकी एवज में इन्हें राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम 1970 की धारा 60 के तहत जवाहर नगर योजना जयपुर में नियमानुसार भवन आवंटन करने के अनुदेश दिये जाते हैं।

भवदीय

ह./–

उप शासन सचिव,

(सत्य प्रतिलिपि)

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

ग्रुप-21

सचिव,
राजस्थान आवासन मन्डल,
जयपुर।

एफ (16) नविशा/11/84 जयपुर, दिनांक:-18-5-84

विषय:-आवासन मन्डल में अभियंताओं की प्रतिनियुक्ति।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निदेशानुसार लेख है कि राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम 1970 की धारा 60 के तहत मन्डल को निम्न निर्देश दिये जाते हैं:-

(1) भविष्य में प्रतिनियुक्ति पर आये अभियंताओं की प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त हो जाने पर उनकी और अवधि नहीं बढ़ाई जावे।

(2) अतिरिक्त आयुक्त, आवासन, उपायुक्त, आवासन (अधिक्षण अभियंता) एवं आवासीय अभियन्ता (अधिसाशी अभियंता) जो आवासन मन्डल में कार्यरत है, का स्थानान्तरण बिना राज्य सरकार के नहीं किया जावें।

भवदीय

ह./-

(बी. एस. शिशू)

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

दिनांक 17-8-84

क्रमांक प8 (3)नविआ/11/83

सचिव,

राजस्थान आवासन मण्डल,

जयपुर।

विषय--चयन समिति के अध्यक्ष बाबत।

महोदय,

राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम 1970 की धारा 19 के अन्तर्गत गठित समिति के अध्यक्ष पूर्व में बोर्ड के अध्यक्ष ही रहे हैं किन्तु राजस्थान आवासन मण्डल ने रिक्त विभिन्न वर्गों के पदों को भरने/नियुक्त करने हेतु अभी जो चयन समिति बनाई गई है उसका अध्यक्ष राजस्थान आवासन मण्डल का अध्यक्ष नहीं बनाया है। अतः राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम 1970 की धारा 60 के तहत निर्देश जारी किये जाते हैं कि पूर्व में अपनाई गई प्रक्रिया के तहत इस चयन समिति का अध्यक्ष भी बोर्ड का अध्यक्ष होना चाहिये। अतः उक्त चयन समिति आवासन मण्डल के अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित की जावे तथा विभिन्न वर्ग के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु कार्यवाही की जावे।

भवदीय,

ह.

उपशासन सचिव

प्रतिलिपि निजी सचिव, आवासन मन्त्री महोदय को सूचनार्थ प्रेषित है।

ह.

उपशासन सचिव

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

जयपुर, दिनांक 5–4–84

प 7/89/नविग्रा/3/84

सचिव,

राजस्थान आवासन मण्डल,

जयपुर ।

विषय : राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा बनायी जा रही दुकानों में 14 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को आवंटन के सम्बन्ध में

महोदय,

निदेशानुसार निवेदन है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा बनायी जा रही दुकानों में से 14 प्रतिशत का आवंटन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए रखा जाये। इन आरक्षित दुकानों का नीलामी से निस्तारण नहीं किया जाये। इन दुकानों को आरक्षित मूल्य पर आवंटन किया जाये। आवंटन के लिए अन्य शर्तों के अलावा निम्नलिखित शर्तें और होंगी।

1. 14 प्रतिशत दुकानें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित मूल्य पर आवंटन की जायें।
2. ऐसी आवंटित दुकानें केवल उन्हीं लोगों को दी जायें जो कि आयकर दाता नहीं हों।
3. आवंटन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निगम के द्वारा भेजे गये नामों को ही किया जाये, जो यह संतुष्ट करेंगे कि आवंटी दूसरों की अपेक्षा साधनहीन होने से आर्थिक उपयुक्त पात्र है।
4. इस बात की समुचित व्यवस्था करली जावे कि ऐसी दुकानें अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के द्वारा किसी अन्य वर्ग के लोगों को नहीं बेची जावें।

भवदीय,
ह0
4–4–84
शासन सचिव

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

जयपुर, दिनांक 2-5-84

क्रमांक प 7/32.नविआ/3/83

आवासन आयुक्त

राजस्थान आवासन मण्डल

जयपुर ।

विषय : आवासन मण्डल द्वारा निर्मित दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में

महोदय,

निदेशानुसार निवेदन है कि इस विभाग के सम संख्यक पत्र दिनांक 4-4-84 द्वारा जो स्थगन आदेश जारी किये गये थे, इस मामले में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि कुल निर्मित दुकानों में से 14 प्रतिशत दुकानें अनुसूचित जाति व जन-जाति के सदस्यों को आवंटन आरक्षित रखते हुए शेष दुकानों की नीलामी की कार्यवाही की जावे । अलवर जिले में दुकानों की नीलामी हेतु पाली जिले के लिए गठित समिति कार्य करेगी ।

भवदीय,
ह0
उपशासन सचिव

(330)

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग (ग्रुप-3)

प्रेषिति

सचिव,

राजस्थान आवासन मण्डल,

जयपुर ।

क्रमांक एफ7।19।नविआ/3/84

दिनांक 30-5-84

विषय : आवेदकों को आय वर्ग तबदील करने का मौका देने बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त निवदा के सन्दर्भ में निदेशानुसार लेख है कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग का व्यक्ति अपनी आय के आधार पर अपना वर्ग बदलने का निवेदन करे तो उसे केवल मध्यम आय वर्ग (ब) तक ही अपना वर्ग बदलने की अनुमति दी जाये। उच्च आय वर्ग के लिए केवल मध्यम आय वर्ग (ब) ही अधिकृत होगा। तदनुसार कार्यवाही करने की व्यवस्था करें।

भवदीय,

ह0

उपशासन सचिव

परिशिष्ट -14

अता प्रश्न सं. 148 की सूचियां

(अ)

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

मालवीय नगर, जयपुर उच्च आय वर्ग

क्र. सं.	नाम	लाटरी की दिनांक	योजना का नाम	मकान नं.
1	2	3	4	5
1.	श्रीमती सावित्री देवी	19–2–82	मालवीय नगर	1/1295
2.	श्रीमती वीना रानी	,,	,,	1/1293
3.	श्री आर. एन. सक्सेना	,,	,,	1/1294
4.	,, पी. सी. जैन	,,	,,	1/1296
5.	,, जी. आर. रिजवानी	,,	,,	1/1305
6.	,, एस. एस. मेहता	,,	,,	1/1310
7.	श्रीमती वी. आर. मजूमदार	,,	,,	1/1311
8.	श्री एम. सी भटनागर	,,	,,	1/1312
9.	,, डी. के. मलहोत्रा	,,	,,	6/260
10.	,, ए. के. विपल	,,	,,	6/261
11.	,, के. के. पालीवाल	,	,,	6/262
12.	,, जे. पी. कपूर	,,	,,	6/263
13.	,, वी. सी. सकेती	,,	,,	6/264
14.	,, वी. सी. अग्रवाल	,,	,,	6/265
15.	,, गुरुमति सिंह	,,	,,	6/266
16.	,, आर. सी. दुगल	,,	,,	6/667
17.	,, एच. सी. जैन	,,	,,	6/668
18.	,, एन. सी. डंडिया	,,	,,	6/269
19.	,, के. एल. मेघनानी	,	,,	6/270

1	2	3	4	5
20.	श्री एल. सी. नायानी	19-2-82	मालवीय नगर	6/272
21.	,, यू. एस. सक्सेना	,,	,,	6/273
22.	,, वी. पी. एस. मल्होत्रा	28-7-82	,,	8/253
23.	,, आनन्दकुमार	,,	,,	8/254
24,	डा. एस. के. चतुर्वेदी	,,	,,	8/255
25.	श्री ओ. पी. शर्मा	,,	,,	8/256
26.	,, ए. एम. पंडित	,,	,,	8/257
27.	,, ओ. पी. माथुर	,,	,,	8/258
28.	,, डी. पी. आर्य	,,	,,	8/264
29.	,, सी. एम. अरोड़ा	,,	,,	8/265
30.	,, ए. एस. गहलोत	,,	,,	8/266
31.	,, ललित मोहन	,,	,,	8/267
32.	,, डी. सी. कोठारी	,,	,,	8/268
33.	,, एस. के. बाकलीवाल	,,	,,	8/279
34.	,, टी. आर. चतुर्वेदी	,,	,,	8/270
35.	,, आर. येस. मित्तल	,,	,,	8/271
36.	,, आर. एस. चौधरी	,,	,,	8/272
37.	,, आर. पी. गुप्ता	,,	,,	8/274
38.	,, राजकुमार बैरवा	11-5-83	,,	12/84
39.	,, सुन्दरलाल	,,	,,	12/157
40.	,, परसराम मोरदिया	,,	,,	7/454
41.	,, पीरूराम	,,	,,	6/278
42.	,, भरतलाल मीना	,,	,,	12/156
43.	,, कैलाशचन्द मेघवाल	,,	,,	6/277

1	2	3	4	5
44.	श्री छोगालाल कंवरिया	11-5-83	मालवीय नगर	12/153
45.	,, सोहनलाल सुरेखा	,,	,,	6/279
46.	,, लक्ष्मीनारायण	,,	,,	6/21
47.	,, मोहरीलाल	,,	,,	7/185
48.	,, तुलसीराम	,,	,,	7/186
49.	,, जमनालाल वर्मा	,,	,,	7/452
50.	श्रीमती मोहनी चंदेलिया	,,	,,	12/90
51.	श्रीमती कमला चंदेलिया	,,	,,	6/276
52.	श्री परमानन्द	,,	,,	7/449
53.	,, भीखा भाई	,,	,,	7/448
54.	,, समरथलाल	,,	,,	12/159
55.	,, भैरुलाल	,,	,,	12/86
56.	श्रीमती भगवती देवी	,,	,,	12/158
57.	श्री बीरलल	,,	,,	7/450
58.	,, गोविन्द ग्रमालिया	,,	,,	6/275
59.	,, हरसहाय मीना	,,	,,	12/89
60.	,, भंवरलाल	,,	,,	12/92

(334)

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

जवाहर नगर, उच्च आय वर्ग

क्र. सं.	नाम	लाटरी का दिनांक	योजना का नाम	मकान नं.
1	2	3	4	5
1.	श्री एस. पी. सबरवाल	27/7/82	जवाहर नगर	3–त–32
2.	,, पवन चोपड़ा	,,	,,	3–त–56 (ब)
3.	,, अशोक कुमार	,,	,,	3–त–56 (अ)
4.	,, नरेन्द्र कुमार	,,	,,	3–त–32 (अ)
5.	,, आर. एस. गोयल	,,	,,	4–य–11 (ब)
6.	,, एस. एस. इनाम	,,	,,	4–य–1 (ब)
7.	,, बलवीर सिंह	,,	,,	4–य–11
8.	,, नेमीचन्द पाटनी	,,	,,	4–य–1 (अ)
9.	,, राजेश कुमार	11–5–83	,,	4/158 जी.एफ.
10.	श्रीमती तीजा देवी	,,	,,	4/169
11.	श्रीमती नाथी देवी	,,	,,	4/157जी.एफ.
12.	श्री गुरुदेवसिंह	,,	,,	4–त–7
13.	,, मंगतराम सोंगरा	,,	,,	4–त–2
14.	कुमारी बादाम बैरवा	,,	,,	4–त–5
15.	कुमारी लक्ष्मी	,,	,,	4–त–4
16.	श्री एन. के. बैरवा	,,	,,	4–त–9
17.	,, रामेश्वर लाल	,,	,,	4/39
18.	,, सोहनलाल बंशीवाल	,,	,,	4–त–3
19.	,, जगन्नाथ पहाड़िया	,,	,,	4–त–1
20.	,, छोगाराम	,,	,,	4–त–8
21.	,, पूंजीलाल	,,	,,	4/172
22.	,, द्वारका प्रसाद	,,	,,	4/61
23.	श्रीमती कमला मीना	,,	,,	4/173
24.	श्री शिव सिंह रावत	,,	,,	4/159
25.	श्रीमती रामप्यारी	,,	,,	4–त–11
26.	श्री भैरोंसिंह शेखावत	16–3–80	,,	आरक्षण
27.	,, महेश वर्मा	,,	,,	,,

335

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
(व)
मालवीय नगर, जयपुर उच्च आय वर्ग

क्र.सं.	नाम	लाटरी का दि.	योजना का नाम	मकान नं.	रु.	पंजीकरण राशि दि.	रु.	दि.	रु.	पूर्वग्रहण दि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	श्रीमती सावित्री देवी	19-2-82	मा. न.	1/1295	5000	27-9-73	2000	28-5-79	9000	3-9-79
2.	श्रीमती बीना रानी	,,	,,	1/1293	5000	22-8-73	2000	29-5-79	9000	16-8-79
3.	श्रार. एन. सक्सेना	,,	,,	1 1294	5000	27-9-73	2000	16-9-75	6000	3-9-79
4.	श्री पी. सी. जैन	,,	,,	1/1296	5000	20-9-73	2000	29-5-79	9000	18-8-79
5.	,, जी. श्रार. रिजवानी	,,	,,	1/1305	5000	27-10-73	2000	29-5-79	रिकार्ड के अनुसार राशि जमा	
6.	,, एल. एस. मेहता	,,	,,	1/1310	5000	14-11-73	2000	30-5-79	9000	21-8-79
7.	श्रीमती बी.श्रार. मजूमदार	,,	,,	1/1311	5000	21-9-73	2000	15-7-75	6000	11-10-79
8.	श्री एम. सी. भटनागर	,,	,,	1/1312	5000	28-9-73	2000	30-5-79	9000	24-8-79
9.	,, डी. के. मलहोत्रा	,,	,,	6/260	5000	28-9-73	2000	20-5-80	9000	5-12-81
10.	,, ए. के. सिंघल	,,	,,	6/261	5000	27-7-73	2000	17-5-80	9000	16-11-81
11.	,, के. के. पालीवाल	,,	,,	6/262	5000	25-9-73	2000	23-6-80	9000	25-11-81
12.	,, जे. पी. कपूर	,,	,,	6/263	5000	7-11-73	2000	18-6-80	9000	1-12-81

4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
मा. नं.	6/264	5000	29-9-73	2000	13-4-80	9000	8-12-81	9000	4-5-82	300	1
,,	6/265	5000	22-9-73	2000	14-7-80	9000	4-12-81	9000	3-6-82		
,,	6/266	5000	11-11-73	2000	21-6-80	9000	2-12-81	9000	1-7-82	300	1
,,	6/267	500	29-9-73	6500	28-6-80	9000	4-12-81	9000	4-6-82		
,,	6/268	5000	13-9-73	2000	2-7-80	9000	5-12-81	9000	5-4-82	600	2
,,	6/269	5000	8-9-73	2000	4-6-80	9000	4-12-81	9000	4-6-82		
,,	6/270	500	29-9-73	6500	18-6-80	9000	4-12-81	9000	4-6-82		
,,	6/272	5000	29-9-73	5000	1-7-77	6000	15-11-81	9000	15-9-82	1200	4
,,	6/273	5000	19-10-73	2000	24-6-80	9000	14-1-82	9000	24-7-82	1200	4
,,	8/253	5000	22-9-73	2000	18-6-80	9000	3-12-81	9000	13-2-82		
,,	8/254	5000	28-9-73	2000	27-6-80	9000	5-3-82	9000	7-3-83	5200	14
,,	8/255	5000	25-9-73	2000	24-5-79	2000	2-12-81	9000	9-6-82	2700	9
						7000/27-7-82					
,,	8/256	2500	14-11-73	4500	28-7-80	9000	5-12-81	9000	19-5-82		
,,	8/257	5000	22-9-73	2000	7-4-80	9000	5-12-81	9000	21-7-82	900	3

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28-7-82	मा. नं,	8/258	5000	28-9-73	2000	28-6-80	9000	4-12-81	9000	2-4-82		
,,	,,	8/264	5000	29-9-73	2000	3-11-79	9000	3-12-81	9000	7-6-82	300	1
,,	,,	8/265	5000	19-9-73	2000	14-2-80	9000	4-12-81	9000	4-6-82		
,,	,,	8/266	5000	26-9-73	2000	25-3-79	18000	24-5-82			1800	6
,,	,,	8/268	5000	21-9-73	2000	14-7-80	9000	30-11-81	9000	27-4-82		
,,	,,	8/269	4000	18-10-72	1000	3-9-73	6000	10-11-81	9000	7-6-82	300	1
					5000/-	28-11-75						
,,	,,	8/270	5000	27-9-73	2000	6-3-80	9000	10-11-81	9000	31-3-82	300	1
,,	,,	8/271	5000	6-9-73	2000	12-4-80	9000	10-12-81	9000	15-8-82	600	2
,,	,,	8/272	5000	26-9-73	2000	15-5-80	9000	3-12-81	9000	3-6-82		
,,	,,	8/273	5000	27-9-73	2000	14-6-80	9000	4-12-81	9000	4-6-82		
,,	,,	8/274	2500	28-9-73	4500	22-6-80	9000	18-11-81	9000	1-6-82		
11-5-83	,,	6/279	3500	रिकार्ड के अनुसार राशि जमा नहीं है।								
,,	,,	6/21	3500		,,	,,						
,,	,,	7/185	3500		,,	,,						
,,	,,	7/186	3500		,,	,,						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42.	श्री जमनालाल वर्मा	11-5-85	मा. नं.	7/452	3400	29-1-80	1500	1-7-82				
43.	श्रीमती मोहनी चंदेलिया	,,	,,	12/90	2300	5-12-79	1500	22-8-81	15000	14-6-83	15000	20-12-83
44	श्रीमती कमला चांवटिया	,,	,,	6/276	3500	14-1-80	1500	12-7-82	15000	13-6-83	15500	3-1-84
45.	श्री परमानन्द	,,	,,	7/449	3500	21-1-80	1500	1-7-82	15000	20-6-83	15500	13-2-84
46.	,, भीखा भाई	,,	,,	7/448	3500	रिकार्ड के अनुसार राशि जमा नहीं है।						
47.	,, समरथलाल	,,	,,	12/159	3500	30-5-81	1500	2-[illegible]-82				
48.	,, भैरुलाल	,,	,,	12/86	3500	24-5-81						
49.	श्रीमती भगवती देवी	,,	,,	12/158	3500	रिकार्ड के अनुसार राशि जमा नहीं है।						
50.	श्री बीरबल	,,	,,	7/450	3500	,,						
51.	,, गोविन्द ग्रामलिया	,,	,,	6/275	3500	,,						
52.	,, हरसहाय मीना	,,	,,	12/89	3500	,,						
53.	,, भंवरलाल	,,	,,	12/92	3500	,,						
54.	,, रामकुमार बैरवा	,,	,,	12/84	3500	8-5-81	1500	28-8-82				

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11-5-83	मां. नं.	12/157	3500	28-5-81			15000	14-6-83				
"		7/454	3500	30-3-81								
"	"	6/278	3900	16-5-81			15000	28-6-83	15000	5-3-64		
"	"	12/156	3500	30-5-81			16500	22-6-83				
"	"	6/277	3500	30-5-81			16500	28-6-83	15000	1-2-84		
"	"	12/153	3500	30-5-81								

(340)

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

उच्च आय वर्ग

क्र.सं.	नाम	लाटरी की दिनांक	योजना का नाम	म.नं.	रु.	दि.	पंजीकरण राशि रु.	दि.	रु.	दि.	पूर्वग्रहण राशि रु.	दि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	श्री एस. पी. सबरवाल	27-7-82	ज. न.	3 ब 32	10000	10-10-72	—		600	9-11-81	9000	2-3-[illegible]
2.	,, पवन चौपड़ा	,,	,,	3 त 56 अ	5000	1-10-73	—	—	9000	13-1-82	9000	10-5-8
3.	,, अशोक कुमार	,,	,,	3 त 56 अ	10000	28-9-73	—	—	6000	22-10-81	9000	20-2-8
4.	,, नरेन्द्र कुमार	,,	,,	3 द 32 अ	10000	27-9-73	—	—	6000	27-11-81	—	—
5.	,, आर. एस. गोयल	,,	,,	4 म 11 ब	10000	28-9-73	—	—	—	—	—	—
6.	,, एल. एम इमाम	,,	,,	4 ब 11 घ	2500	10-9-73	4500	5-5-81	—	—	—	—
7.	,, बलबीर सिंह	,,	,,	4 म 11	5000	29-9-73	2000	27-6-80	9000	5-4-82	9000	4-12-8
8.	,, नेमीचन्द पाटनी	,,	,,	4 अ 1 अ	5000	25-9-73	2000	5-7-80	9000	25-11-81	9000	1-4-8
9.	,, राजेश कुमार	11-5-83	,, जी.एफ.	4/158	250	28-9-73	4250	21-9-81	—	—	—	—
10.	श्रीमती तीजा देवी	,,	,, ,,	4/169	100	19-9-73	3400	26-7-80	—	—	—	—
11.	श्रीमती नाथी देवी	,,	,,	4/157	100	20-9-73	4900	2-8-82	—	—	—	—
12.	श्री गुरुदेव सिंह	,,	,,	4 त 7	3500	24-12-79	1500	15-6-82	15000	30-5-83	1500	1-12-83
13.	,, मंगतराम सोनगरा	,,	,,	4 त 2	2300	24-12-79	1700	28-1-82	—	—	—	चालान की [illegible]
14.	कुमारी बादाम बैरवा	,,	,,	4 त 5	1500	20-1-80	3740	21-1-83	15000	17-6-83	15000	13-12-83

(341)

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-5-83	जी. एफ.	4 त 4	1500	28-1-80	4700	22-1-83	15000	16-6-83	चालान की प्रति नहीं है			
,,	,,	4 त 9	3500	27-11-79	1500	15-6-82	15000	14-12-83	15000	16-6-83		
,,	,,	4/39	2300	27-11-80	2700	15-6-82	15000	21-6-83	15000	8-8-83		
,,	,,	4त3	3500	18-5-81	--	--	15000	11-7-83	चालान की प्रति नहीं है			
,,	,,	4त1	3500	31-7-81	1500	29-6-82	15000	7-3-84	,,			
,,	,,	4त8	3500	29-3-81	1500	29-6-82	15000	10-6-83	,,			
,,	,,	4/172	3500									
,,	,,	4/61	3500									
,,	,,	4/173	3500									
,,	,,	4/159	3500									
,,	,,	4 त 11	3500									
-3-83	,,	आरक्षण	7000	4-5-79			25000	19-2-80				
,,	,,	,,	10000	29-9-73			18000	24-10-79				

परिशिष्ट (स)

राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर (राज.)

उच्च आय वर्ग में पंजीकृत अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों की वरिष्ठता आवंटन परिणाम सूची

शहर का नाम	जयपुर
आय वर्ग	उच्च आय वर्ग
भुगतान पद्धति	किराया क्रय पद्धति
लाटरी तिथि	11.5.83

क्र. स.	आवेदक का नाम	चालान नं.	योजना का नाम	मकान नं.
1.	सोहन लाल सुरेला	1989	मा. न.	6/278
2.	राजेश कुमार	49420	ज. न.	4/158 जी एफ
3.	श्रीमती तीजा देवी	12254	,, ,,	4/169 ,, ,,
4.	श्रीमती नाथी देवी	25959	,, ,,	4/157 ,, ,,
5.	श्री लक्ष्मी नारायण	37414	मा. न.	6/21
6.	मोहरी लाल	49133	,, ,,	7/185 ओ आर डी
7.	तुलसीराम	35593	,, ,,	7/186 एस डी सी

जी. आर. एस. 1979 नकद भुगतान पद्धति

1.	श्री गुरुदेव सिंह	41835	ज. न.	4-त-7 ज. न.
2.	मंगतराम सोनगरा	30023	,, ,,	4-त-2 ,, ,,
3.	कु. बादाम बैरवा	33583	,, ,,	4-त-5 ,, ,,
4.	कु. लक्ष्मी	63915	,, ,,	4-त-4 ,, ,,
5.	एन. के. बैरवा	53304	,, ,,	4-त-9 ,, ,,

जी. आर. एस. 2979 किराया क्रय पद्धति

1.	जमना लाल वर्मा	63878	मा. न.	7/452 ओ आर डी
2.	श्रीमती मोहनी चदेलिया	26146	,, ,,	12/90 जी एफ
3.	रामेश्वर लाल	50032	ज. न.	4/39 एफ एफ
4.	श्रीमती कमला चांवरिया	35880	मा. न.	6/276 ओ आर डी
5.	परमा नन्द	931	,, ,,	7/449 ,, ,,
6.	श्रीमती रामप्यारी	77479	ज. न.	4-त-11

एस. आर. एस. 1975

1.	श्री भीखा बाई	1	मा. न.	7/448 ओ आर डी

एस. आर. एस. 1980–81 नकद भुगतान पद्धति

1.	श्री मोहन लाल बंशीवाल	32132	जवाहर नगर	4 त 2
2.	,, जगन्नाथ पहाड़िया	29361	,, ,,	4 त 1
3.	,, छोगा लाल बाकोलिया	35565	,, ,,	4 त 8

एस. आर. एस. 1980–81 किराया क्रय पद्धति

1.	श्री समरथ लाल	34418	मा. न.	12/59 एस. एफ.
2.	,, सुन्दर लाल	32805	,, ,,	12/157 जी. एफ.
3.	,, पुंजी लाल	31455	ज. न.	4/172 एफ. एफ.
4.	,, भैरू लाल	35340	मा. न.	12/86 जी. एफ.
5.	श्रीमती भगवती देवी	34554	,, ,,	12/158
6.	श्री पीरु राम	34561	,, ,,	6/278 ओ.आर.डी.
7.	,, छोगा लाल कंवरिया	32819	,, ,,	12/153 जी. एफ.

8.	श्री बीरबल	34574	मा. न.	7/458 ओ. आर. डी.
9.	,, भरत लाल मीणा	36326	,, ,,	12/156 एफ. एफ.
10.	,, द्वारका प्रसाद	31420	ज. न.	4/161 जी. एफ.
11.	,, गोविन्द आमलिया	35350	मा. न.	6/275 ओ. आर. डी.
~~12.~~	~~,, हरसहाय मीणा~~	~~34076~~	~~,, ,,~~	12/89 जी. एफ.
13.	,, भंवर लाल	34552	,, ,,	12/92 एफ. एफ.
14.	श्रीमती कमला मीणा	35018	ज. न.	4/173 जी. एफ. टी.
15.	श्री शिव सिंह रावत	35026	,, ,,	4/159 एफ. एफ.
16.	,, कैलाश मेघवाल	32128	मा. न.	6/277 ओ. आर. डी.
17.	,, परसराम मोदिया	31427	,, ,,	7/454 ओ. आर. डी.
18.	रामकुमार बैरवा	39303	,, ,,	12/84 एफ. एफ.

परिशिष्ट—15 'अ'

• राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

• अतारांकित प्रश्न सं. 151 की सूची

पी-1 वन बिहार (80-81)

क. स.	मकान नं.	आवंटी का नाम	कब्जापत्र जारी न करने के कारण
1.	2/129	नवाब बेग	कम्पलीशन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई
2.	2/265	मो. इरफान	,,
3.	2/276	श्रीमती फातमा	,,
4.	2/369	हरबंस कौर	,,
5.	2/52	मदनलाल गुप्ता	,,
6.	2/25	[illegible]कील अली	,,
7.	2/33	मदनलाल	,,
8.	1/313	करीम बक्श	,,
9.	2/120	लाभचद	विवादास्पद
10.	1/420	मो. इकराम	,,
11.	2/92	इफ्तिखार अहमद	,,
12.	2/163	सुल्ताना [illegible]जिया	कम्पलीशन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई
13.	2/186	राम प्रकाश	,,
14.	2/250	श्रीमती फातमा	पति का आय का प्रमाणपत्र नहीं है
15.	2/96	श्रीमती अमना	आवंटी द्वारा आंशिक राशि जमा करवा कर चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं की गयी है।
16.	2/221	आजाद उल्ला[illegible]	..
17.	2/125	मो. इशाक	निरस्त
18.	2/248	नूरमोहम्मद	प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये गये है।

क्र. स.	मकान न.	आंवटी का नाम	कब्जापत्र जारी न करने के कारण
19.	2/256	अब्दुल मजीद	निरस्त
20.	2/277	अब्दुल करीम	आंशिक राशि जमा नहीं करवाई गई
21.	2/109	श्रीमती हजीरन	निरस्त
22.	2/296	मो. हनीफ	आंशिक राशि जमा नहीं कराई गई
23.	2/55	मो. इलयास	,,
24.	2/222	अब्दुल अली	,,
25.	1/73	ताहिर	निरस्त
26.	1/276	अब्दुल रशीद	निरस्त
27.	1/292	मो. हुसैन	आंशिक राशि जमा नहीं कराई गई
28.	1/308	मो. रमजान	नोटिस जारी किया गया है
29.	1/340	रजा हुसैन	,,
30.	1/409	श्रीमती आयशा	,,
31.	1/425	मो. वजीर	दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है
32.	2/57	फिदा हुसैन	नोटिस जारी किया गया है
33.	2/76	इकरामुददीन	दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है।
34.	2/89	अब्दुल रजाक	नोटिस जारी किया गया है।
35.	2/132	अब्दुल अजीज	दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है।
36.	2/177	कमलदीन	नोटिस जारी किया गया है।
37.	2/188	अब्दुल हकीम	,,
38.	2/204	मो. सईद	दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है।
39.	2/209	अब्दुल अजीज	,,
40.	2/220	मो. रमजान	नोटिस जारी किया गया है।
41.	2/252	जहूर मोहम्मद	निरस्त
42.	2/281	मो. फरीद	नोटिस जारी किया गया है।

क्र. स.	मकान नं.	आंवटी का नाम	कब्जापत्र जारी न करने के कारण
43.	2/289	अब्दुल सत्तार	नोटिस जारी किया गया है।
44.	2/9	चंद्र मोहन	निरस्त
45.	2/90	राजेन्द्र कुमार	निरस्त
46.	2/122	जेठानंद	दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है।
47.	2/147	वहीद मोहम्मद	निरस्त
48.	2/62	लखमीचंद	निरस्त
49.	2/242	परसा कुरेशी	निरस्त

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

दिनांक 11.5.83 को अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आवेदकों के लिये निकाली गई सूची

निम्न आवंटियों को आवंटित मकानों की कम्पलीशन रिपोर्ट तथा कोस्टिंग प्राप्त न होने के कारण आवंटन पत्र/कब्जापत्र जारी नहीं किए गए है।

क्र. सं.	आवंटी का नाम	मकान संख्या	वर्ग
1.	कन्हैया लाल	1/264	अल्प आय वर्ग
2.	बी. एस. छापोलिया	1/309	,,
3.	केशर देव	2/320	,,
4.	राम करन मीना	1/26	,,
5.	प्रभुनारायण	1/408	,,
6.	जगदीश प्रसाद	1/270	,,
7.	राधेश्याम	1/272 (कार्नर)	,,
8.	राधेश्याम	2/312 (साधारण)	,,
9.	सीयाराम	1/76	,,
10.	दीपक कुमार	1/373	,,
11.	देवी सहाय	2/305	,,
12.	मनफूल वर्मा	1/381	,,
13.	बिरदी चंद	1/357	,,
14.	भंवर लाल	1/200	,,
15.	हजारी लाल	1/173	,,
16.	छगन जाटव	1/397	,,
17.	हीरा लाल	1/197	,,
18.	गोरू लाल	1/665	,,
19.	श्रीमती मुन्नी देवी	1/157	,,

क्र. स.	आवंटी का नाम	मकान संख्या	वर्ग
20.	नारायण लाल मीना	1/213	अल्प आय वर्ग
21.	अनिब राम	1/317	,,
22.	विरदीचंद मीन	1/216	,,
23.	हरी सिंह	2/301	,,
34.	जगदीश प्रसाद	1/400	,,
25.	बंशीधर	1/280	,,
26.	गंगाराम	1/392	,,
27.	भोमालाल	1/240	,,
28.	बुधा लाल	1/144	,,
29.	ईश्वर लाल	2/52	,,
30.	भरत लाल	2/140	,,
31.	शंकर लाल	1/160	,,
32.	भाग चंद	1/142	,,
33.	रामनारायण	1/349	,,
34.	बंसत लाल	1/136	,,
35.	गिरधारी लाल	1/147	,,
36.	जवाहर लाल	2/302	,,
37.	राजकुमार	1/389	,,
38.	राधेश्याम	2/309	,,
39.	रामनारायण	1/192	,,
40.	प्रेमचंद	1/352	,,
41.	नवल किशोर	1/328	,,
42.	कन्हैयालाल बैरवा	1/253	,,
43.	रघुनाथ प्रसाद मीना	1/248	,,

क्र. स.	आवंटी का नाम	मकान संख्या	वर्ग
44.	श्रीमती शांति देवी	2/240	अल्प आय वर्ग
45.	जगदीश मीना	1/293	,,
46.	दयानंद	2/73	,,
47.	भगवानदास	1/221	,,
48.	हनुमान सहाय	1/405	,,
49.	बालकिशन	1/237	,,
50.	अभाई देव	1/232	,,
51.	सीताराम सांवल	2/228	,,
52.	महेन्द्रसिंह	1/333	,,
53.	रामकिशन	1/245	,,
54.	कल्याण सहाय	2/237	,,
55.	जितेन्द्र कुमार	1/133	,,
56.	प्रभुलाल	1/336	,,
57.	हेमराज	1/285	,,
58.	अमरालाल	1/224	,,
59.	बालकराम	1/269	,,
60.	मदनलाल	1/365	,,
61.	रामजीलाल	1/341	,,
62.	रूपचंद	1/298	,,
63.	संतोषकुमार	1/208	,,
64.	कानाराम मीना	1/168	,,
65.	रूपनारायण	1/149	,,
66.	राजेन्द्र सिंह	1/312	,,
67.	फूलचंद	1/304	,,

क्र. स.	आवंटी का नाम	मकान संख्या	वर्ग
68.	मोहनलाल	1/256	अल्प आय वर्ग
69.	दुर्गा	1/344	,,
70.	कैलाश चन्द्र	1/376	,,
71.	नेमीचंद	2/317	,,
72.	कुमारी सुलोचना	2/172	,,
73.	दिगम्बर सिंह	1/205	,,
74.	छुट्टन लाल	2/233	,,
75.	रामकरण बैरवा	1/273	,,
76.	रामधन	2/217	,,
77	शम्भुदयाल	1/295	,,
78.	उदयसिंह रावत	1/189	,,
79.	चिरंजीलाल	1/325	,,
80.	कन्हैयालाल	1/360	,,
81.	प्रेमराज	2/236	,,
82.	गोरधनलाल मीना	1/368	,,
83.	प्रभुलाल बैरवा	1/384	,,
84.	गुलाब सिंह	8/227	,,
85.	रमेश चन्द्र	1/413	,,
86.	एस. पी. साचोरिया	2/232	,,
87.	मूलाराम	2/229	,,
88.	उत्तम सिंह	1/181	,,
89.	बाबूलाल	1/184	,,
90.	कल्याणमल	1/229	,,
91.	सत्यनारायण	2/225	,,
92.	श्रीमती भंवर कुमारी	1/320	,,

विवरण

वन विहार का विवरण

(1) वन विहार योजना 12.65 एकड़ में बनाई गई है। इसमें कुल 752 मकान बनाये गये है जिनका विवरण निम्न प्रकार है :-

मध्यम आय वर्ग ए-	176
अल्प आय वर्ग	576
	752

उपरोक्त मकान दो मंजिले हैं।

(2) 12.05 एकड़ क्षेत्र को इस प्रकार प्रयोग में लाया गया है :-

1-आवासीय क्षेत्र	-	4.39 एकड़	36.47%
2-पार्क एवं खुली जगह	-	2.67 एकड़	23.77%
3-सड़कें	-	3.42 एकड़	28.28%
4-प्राइमरी स्कूल	-	.91 एकड़	7.50%
5-दुकानें	-	.4 एकड़	3.9 %
		12 एकड़	100%

(3) स्कूल एवं पार्क हेतु जमीन छोड़ दी गई है। यह भूमि राज्य सरकार को दी जा सकती है। दुकानों का निर्माण अदालत के स्थगन के कारण संभव नहीं हो सका है। इस योजना में बिजली व पानी की व्यवस्था कर दी गई है तथा लाइन डाल दी गई है। बिजली व पानी लेने की जिम्मेदारी स्वयं आवंटी की होती है।

परिशिष्ट–16

अतारांकित प्रश्न सं. 153 की सूची

Rajasthan Housing Board, Jaipur

ABSTRACT of SC/ST APPLICANTS

1.	Possession handed over at PP Bikaner (all type of Ts.)	48
2.	Possession handed over at NN Bikaner (all type of Ts.)	19
3.	Houses alloted on 22.9.83	49
4.	R. L. Issued III CoPy of challan received House Not yat to be allotted.	5
5.	R/L Issued III copy of challan not received (under cons.)	30
6.	Register under GRS' 1982	30
	Total	181

Rajasthan Housing Board, Jaipur

LIST OF ENS.HOUSES AT P. P BIKANER SC/ST POSSESSION HANDED OVER.

S. No.	Name of applicant	H. No	Date of Physically handed over.
1.	Sh. Mool Chand	3- - 9	9.4.79
2.	,, Rajendra Kumar	3- - 1	20.4.82
3.	,, Rana Ram	3- - 7	9.4.80
4.	,, Mangtu Ram	3- - 9	22.1.79
5.	,, Sita Ram	3- - 9	9.2.79
6.	,, Ramesh Mochi	3- - 8	19.3.79
7.	,, Dosi Ram Mochi	3- - 9	25.1.79
8.	,, Kishan Lal	3- -34	9.5.79
9.	,, Moda Ram	3- -17	20.2.79
10.	,, Luna Ram	3- -37	21.3.79
11.	,, Gopal	3- -36	20.1.79
12.	,, Lila Dhar	3- -2[illegible]	9.3.80
13.	,, Ram Gopal	3- -15	9.10.79
14.	,, Rane Ji	3- -18	9.4.79
15.	,, Kishan Lal	3- -13	1.6.79
16.	,, Ram Narayan	3- -4[illegible]	30.6.80
17.	,, Bidami Devi	3- -39	28.1.79
18.	,, Mangi Lal	3- -40	24.2.79
19.	,, Dev Kishan	3- - 3	9.4.80
20.	,, Shanker Lal	3- - 4	21.3.79
21.	,, Bajrang Lal	3- - 6	-do-
22.	,, Kishan Lal	3- - 5	31.3.79
23.	,, Bhanwar Lal	3- -21	10.9.79

(356)

351

355

S. No.		Name of applicant	H. No.	Date of physically handed over
24.	Sh	Narayan	3– –45	6.11.79
25.	,,	Lila Ram	3– –42	9.3.80
26.	,,	Ramesh Kumar	3– –38	9.7.80
27.	,,	Dav Chand	3– – 8	9.3.80
28.	,,	Gopal Lal	3– –13	12.8.80
29.	,,	Laxmi Narayan	3– –36	9.3.80
30.	,,	Pratap Chand	3– –23	9.3.83
31.	,,	Magan Lal	3– –16	9.6.80
		32 (18'×35)		
1.	,,	Prahalad Shanker	2– –12	9.2.79
2.	,,	Tara Chand	2– –19	15.4 77
3.	,,	Bhagrath	2– –10	9 2.79
4.	,,	Gordhan	3– –25	9.3.80
5.	,,	Man Sukh	2– –11	7.2,78
6.	,,	Bheru Retan Panwar	3– –28	16.1.79
		L1 (20'×30')		
1.	,,	punam Chand	2– –17	31.3.79
2.	,,	Lal Chand	3– –57	9.4·80
3.	,,	Sheodan Singh	1– –39	9.3.76
4.	,,	Hargovind Panwar	2– –24	9.4.80
5.	,,	Bal want Singh	3– –26	9.5.80
6.	,,	P. K. Mourya	1– –18	9.4.75
7.	,,	Mansukh Lal	4– – 2	9.4.80
8.	,,	Ram Das Ayra	1– –44	9.5.80
		M2 (40'×60')		
1.	,,	Jagdish Prasad	1– –16	30.1.78
		MIG (12×27m)		
1.	,,	Roop Kishore	1– – 9	9.1.84
2.	Smt.	Kamla Songra	1– – 7	9.3.84

Rajasthan Housing Board, Bikaner

Names of Allottees SC/ST RL. Issued for III Copy of Ist Sheed Money not Received

S. No.		Name	Challan No.
1.	Sh.	Chotu Ram	42660
2.	,,	Man Chand	3956
3.	,,	Shanwar Singh	16223
4.	,,	Kishan Singh	24796
5.	,,	Ruhash Chandra	30001
6.	,,	Birram Ram	42018
7.	,,	Tirlok Cband	30603
8.	,,	Sh. Amrat Lal Mochi	3161
9.	,,	Bhora Ram	42356
10.	,,	Jagdish Chand	3158
11.	,,	Maha Ram	42400
12.	,,	Mahaveer Prasad	49712
13.	,,	Moad Ram	41331
14.	,,	Meghraj Mochi	68343
15.	,,	Nathu Ram	32790
16.	,,	Om Prakash	3226
17.	,,	Naket Mal	682[illegible]3
18	,,	Ratan Lal	79610
19.	,,	Ram Kishan	32797
20.	,,	Suresh Chandra	32644
21.	,,	Trilok Chand	9407

List of Allcttees SC/ST R.L. Issued III Copy Received

1.	Sh.	Tara Chand Siroai	9794
2.	,,	Mohan Lal	33069

Names of Allottees SC/ST Objec Lon Card Issued

1.	Sh.	Kunti Lal	30093
2.	Smt.	Janki	41184
3.	Sh.	Bhangwan Dass	41061
4.	Smt.	Nirji Devi	48673
5.	Sh.	Amba Lal	30863
6.	Smt.	Kisturi Monsal	25737
7.	,,	Santi	13730

Rajasthan Housing Board, Bikaner

List of MIG 'A' Applicans SC/ST

RL Issued house No. yet to be allotted.

1.	Sh.	Gopal Ram Rawat	5629

RL Issued III Copy of Ist seed money not received.

1.	Sh.	Bhim Singh	24842
2.	,,	Dinesh Kr.	37927
3.	,,	Jagdish Chandra	72874
4.	,,	Baldev ram	28133
5.	,,	Gopal Ram Maghwal	6169
6.	,,	Ram Dularai Solanki	7330

List of Applicants G.R.S. 82 MIG 'A' SC/ST

1.	Sh.	Bulaki Ram Modasiya	42274
2.	,,	Shikha ram Regar	92018
3.	Smt,	Bhanwari Devi	5661

4.	Sh.	Hari Ram Asseri	42330
5.	,,	Mangal Dass	42083
6.	,,	Malu Ram	49578
7.	,,	Ratmal Meghwal	68072
8.	,,	Nemi Chand Asseri	32637
9.	,,	Prem Prakash	42346
10.	,,	Ajpal Bhiawat	42006
11.	,,	Ram Ku. Khandalwal	18630
12.	,,	Raghubir Dayal	3367
13.	,,	Sri Kishan chawal	32779
14.	,,	Mohari Devi	9466
15.	,,	Surendra Kumar Mirani	95815
16.	,,	Prem Chand Sohgra	9197

MIG (A)

1.	Sh.	Mohan Lal	3/75
2.	,,	Sohan Lal	3/30
3.	,,	Manak Chand	3/24
4.	,,	Jaswant Singh	3/18
5.	,,	Ram Lal	3/70
6.	,,	Moti Ram	5/73
7.	,,	Ranjeet Ra	5/7
8.	,,	Maghat Ram	5/70
9.	,,	Hezari Lal	3/78
10.	,,	Durga Ram	3/21

MIG (B)

1.	Sh.	Ram Kishan	5 बा 2
2.	,,	Kanya Lal	5 इ 12
3.	,,	Gopal Chandra	5 ख 26
4.	,,	Anandi Lal	5 ख 9
5.	,,	Panna Lal	5 ख 10
6.	,,	Om Prakash	5 ख 7

Rajasthan Housing Board, Jaipur

List of Applicants SC/ST House No. Allotted on 22-9-83

S. No.		Name of Applicant	House No.
E.W.S.			
1.	Sh.	Kishan Lal	3/210
2.	,,	Ratan Lal	3/208
3.	,,	Gulab Raj	3/213
4.	,,	Meg Raj	1/555
5.	,,	Laxmi Ram	3/243
6.	,,	Bhanwar Lal	3/248
7.	,,	Chanwar Lal	3/178
8.	,,	Hanes Ram Mochi	1/140
9.	,,	Hanuman Das	3/216
10.	,,	Ishwar Dayal	1/139
11.	Smt.	Jamana	1/158
12.	Sh.	Mohan Lal	3/159
13.	,,	Ram Dev	3/200
14.	,,	Tirath Dass	3/153
15.	,,	Tara Ram	3/228
16.	,,	Tara Chand	3/167
17.	,,	Mohan Lal	3/154
18.	Smt.	Kurni Bai	3/222
19.	Sh.	Jagdish	3/245
20.	Smt.	Kamla Devi	3/107
21.	,,	Mool Chand	3/149
22.	,,	Pradeep Kumar	3/197
23.	,,	Ratan Lal	3/196
24.	,,	Than Sukh Mochi	3/236

S. No.		Name of Applicant	House No.
1.	Sh.	Gopal Lal	3/89
2.	,,	Bhanwar Lal	3/51
3.	,,	Ganga Ram	3/431
4.	,,	Prema Ram	3/42
5.	,,	Prathiv	5/37
6.	,,	Ram Chandra	3/403
7.	,,	Laxman Dass	3/432
8.	,,	Jagdish Prasad	3/395
9.	,,	Hunta Ram	3/50

Rajasthan Housing Board,

List of SC/ST Applicants House Handed over at MPN Bikaner

S. No.		Name	House No.	date of handed over
			E.W.S.	
1.	Sh.	Poad Ram	2/93	To be handed over
2.	,,	Satya Narain	2/38	-do-
3.	,,	Rameshwar Lal	2/317	9-1-84
4.	,,	Ganesh Lal	1/57	9-12-83
5.	,,	Yogesh Chandra	1/63	To be handed over
6.	,,	Babu Lal	1/130	-do-
7.	,,	Kaishla Chandra	1/160	9-9-83
8.	,,	Tulsi Ram	1/167	-do-
9.	,,	Udha Ram	2/307	To be handed over
			6X11.25	
1.	Sh.	Mahendra Ram	3/340	To be handed over
2.	,,	Muna Ram	3/304	-do-
3.	,,	Kapoor Chand	3/286	9-2-84
4.	Smt.	Dhani	3/281	-do-
5.	Sh.	Arjun Ram	3/279	-do-
6.	,,	Prakash Chandra	2/176	To be handed over
			7.5x15 mt.	
1.	Sh.	Prem Ratan	1/196	9-1-84
2.	,,	Hanuman Das	1/191	-do-
3.	,,	Mangtu Ram	1/47	-do-
			10.5x18 Mt.	
1.	Sh.	Mahipal Singh	1/258	To be handad over

List of LIC Applicants SC/ST

RL issued House No. Yet to be allotted

S. No.		Name	Challan No.
1.	Sh.	Girdhari Lal	25073
2.	,,	Shiv Dayal	13910

RL Issued III copy of Ist seed money not received

1.	Sh.	Moda Ram	73250
2.	,,	Ramesh Chand	5960
3.	,,	Mukand Chand	5563

GRS 8[illegible] LIG

1.	Sh.	Khangar Ram	21503
2.	,,	Lichman Das	21302
3.	,,	Mangal Chand	5524
4.	,,	Malji-Ram	21301
5.	,,	Ram-Prasad Chohala	68096
6.	Smt.	Rewanti	92068
7.	Sh.	Tokal Ram Kaga	25604

परिशिष्ट—17

परिशिष्ट–"अ"

अतारांकित प्रश्न सं. 154 की सूची

डोतारण कस्बे हेतु हुए पंजीकरण का वर्ष वार व आय वर्गानुसार विवरण

क्र. सं.	वर्ष	आ. दृ. से कमजोर आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग 'अ'	मध्यम आय वर्ग 'ब'	योग
1.	1981–82	11	3	9	6	27
2.	1982–83	2	2	–	1	5
योग		13	5	9	5	34

नोट :— पंजीकरण राशि आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के आवेदक से 500 रुपये अल्प वर्ग से 1800 रुपये, मध्यम आय वर्ग 'अ' से 3000 रुपये, मध्यम आय वर्ग 'ब' से 4600 रुपये ली जाती है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आवेदकों से पंजीकरण राशि का 50 प्रतिशत ही ली जाती है।

Rajasthan Housing Board : JAIPUR

The applicants of GRS 81 of the Jaitaran City

S. No.	Name of applicant	Challan No.		
1.	Shri Abdul Gani	6689	Refunded	E.W.S.
2.	Shri Abdul Kebir	15105	Refunded	
3.	Shri Gopal Ram	6962		
4.	Shri Gulab Râm Raiger	15110		
5.	Shri Mohd. Jaffer	8904	Refunded	
6.	Smt. Nabda Devi	6676		
7.	Smt. Parvati	6981	Refunded	
8.	Shri Ram Singh Rajput	24786		
9.	Shri Ratan lal	6672		
10.	Shanti lal Kalal	6661		
11.	Shri Shambu Singh	6960		L.I.G.
12.	Shri Kanhiya	30493		
13.	Miss Ram Kanya	6941		
14.	Shri Ram Das	6678		M.I.G.A.
15.	Shri Amrit lal	6700	Refunded	
16.	Shri Bhanwar lal	5699	-do-	
17.	Shri Bhanwar lal Damer	26302	-do-	
18.	Shri Dhagal Chand	6670	-do-	
19.	Shri Daya Ram	6685	-do-	
20.	Shri Din Dayal Soni	5697	-do-	
21.	Shri Gyan Chand	6688	-do-	
22.	Shri Hhri Om Prakash	6926		
23.	Shri Tara Chand	6692		

1	2	3	4	5
24.	Shri Lad Kanwar	6978	Refunded	M.I.G.B.
25.	Shri Ram Kishore Mundra	6944	Refunded	
26.	Shri Ram Chandra	6662		
27.	Shri Shyam lal Jain	5698		
28.	Shri Praveen Chand	6931	Refunded	
29.	Shri Johari lal	6930	Refunded	

Registration for Jaitaran City Uunder General Registration Scheme 1982

S. No.	Name	Caetgory	Amount	Remarks
1.	Sh. Mangi lal Dewra	E. W. S.	500/-	
2.	Sh. Heera lal	,,	500/-	
3.	Sh. Bhanwar lal Gujar	LIG	1800/-	
4.	Sh. Madan lal	LIG	900/-	Refunded
5.	Sh. Jorawar Singh	MIG-B	4600/-	Refunded

परिशिष्ट-18

परिशिष्ट–"अ"

अतारांकित प्रश्न सं. 155 की सूचियां

Rajasthan Housing Board, Jaipur

Details of The Houses Construcetd During Last Four Years

S. No.	District	City	Year	INCOME GROUP					TOTAL
				E.W.S.	LIG	MIG1	MIG2	HIG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kota	Kota	'80–'81	604	552	509	336	131	2132
			'81–'82	844	734	615	373	303	2869
			'82–'83	1898	1111	722	221	68	4020
			'83–'84	3243	331	–	16	76	455
			Total	3378	2728	1846	946	578	9476
		Ramganjmandi	'82–'83	247	–	90	34	28	399
		Baan	'82–'83	248	–	44	44	–	336

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Bundi	Bundi	'80–'81	240	182	106	37	–	565
3.	Jodhpur	Jodhpur	'80–'81	377	470	108	11	–	966
			'81–'82	45	109	63	28	–	237
			'82–'83	272	386	176	8	2	844
			'83–'84	966	269	275	247	23	1762
			Total	2395	1416	844	401	53	5109
4.	Pali	Pali	'80–'81	–	–	–	–	–	–
			'81–'82	–	31	–	–	–	31
			'82–'83	–	174	37	–	–	211
			'83–'84	200	108	20	–	19	347
			Total	200	313	57	–	19	589
5.	Bikaner	Bikaner	'80–'81	275	62	106	83	–	526

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			'81–'82	141	184	64	–	30	419
			'82–'83	146	72	25	99	20	361
			'83–'84	144	71	22	8	18	263
			Total	705	389	217	190	68	1569
6.	Udaipur	Udaipur	'80–'81	430	284	–	–	–	714
			'81–'82	–	188	–	50	–	258
			'82–'83	10	–	69	–	–	79
			'83–'84	–	–	50	52	15	117
			Total	440	472	119	102	15	1148
7.	Bhilwara	Bhilwara	'80–'81	21	222	–	4	–	247
			'81–'82	–	–	–	–	–	–
			'82–'83	–	10	18	18	–	46
			'83–'84	42	46	–	11	–	99
			Total	63	278	18	33	–	392

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	Chittorgarh	C. Garh	'80–'81	83	37	–	7	–	127
			'81–'82	–	–	–	2	–	2
			'82–'83	–	–	–	–	–	–
			'83–'84	18	18	30	31	–	97
			Total	101	55	30	40	–	226
9.	Banswara	Banswara	'80–'81	–	–	–	–	–	–
			'81–'82	100	–	–	–	–	100
			'82–'83	–	–	–	–	–	–
			'83–'84	128	98	22	22	–	270
			Total	228	98	22	22	–	370
10.	Ajmer	Ajmer	'80–'81	28	124	–	93	–	245
			'81–'82	318	89	–	20	–	427
			'82–'83	–	66	–	6	–	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			'83–' 84	–	–	–	15	41	56
			Total	346	279	–	134	41	839
		Kishangarh	'83–' 84	–	–	57	–	–	57
11.	Jaipur	Jaipur	'80–' 81	186	308	132	–		626
			'81–' 82	643	713	492	40		1888
			'82–' 83	677	92	828	25		1622
			'83–' 84	807	1428	710	156		3101
			Total	2313	2541	2162	221		7237
12.	Alwar	Alwar	'80–' 81	200	40	45	–		285
			'81–' 82	–	–	–	–		–
			'82–' 83	313	240	454	–		1007
			'83–' 84	371	194	48	14		627
			Total	884	374	547	14		1919

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	Jhunjhunu	Jhunjhunu	'80–'81	60	–	–	–	60	
			'81–'82	46	–	–	–	46	
			'82–'83	28	–	–	–	28	
			'83–'84	–	–	–	–	–	
			Total	134	–	–	–	134	
14.	Bharatpur	Bharatpur	'80–'81	–	–	–	–	–	
			'81–'82	–	–	37	–	37	
			'82–'83						
			'83–'84	–	–	–	–	–	
			Total	–	–	37	–	37	
15.	Sikar	Sikar	'80–'81	–	–	–	–	–	
			'81–'82	–	–	–	–	–	
			'82–'83	–	–	–	–	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			'83–' 84	–	–	–	–	
			Total	–	–	–	–	–
16.	Ganganagar	G Nagar	'80–' 81	–	–	–	–	–
			'81–' 82	291	103	90	–	484
			'82–' 83	–	35	38	–	75
			'83–' 84	–	–	–	–	–
			Total	291	138	128	–	557
17.		H. Garh	'80–' 81	–	–	–	–	–
		Hanumangarh	'81–' 82	–	–	–	–	–
			'82–' 83	–	–	–	–	–
			'83–' 84	160	240	185	–	585
			Total	160	240	185	–	585

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.		Suratgarh	'80–' 81	–	–	–	–	–
			'81–' 82	–	–	–	–	–
			'82–' 83	–	–	–	–	–
			'83–' 84	60	46	50	–	156
			Total	60	46	50	–	156
19.	Sagwara		'80–' 81	577	48	–	–	625
20.	Bhiwani		'83–' 84	199	151	134	2	486
			Grant Total					31454

आरक्षण/आवंटन 1980-81 **परिशिष्ट (अ)**

क. सं.	शहर का नाम	आ. द. क्रय	अन्य	मध्यम (अ)	मध्यम (ब)	उच्च	योग
1.	अजमेर	26	7	–	1	–	34
2.	उदयपुर	16	6	13	5	–	40
3.	पाली	176	16	–	–	–	192
4.	भरतपुर	7	5	–	3	–	15
5.	जोधपुर	15	29	10	–	9	63
6.	अलवर	20	–	–	–	–	20
7.	बीकानेर	2	3	1	–	–	6
8.	जयपुर	301	6	136	119	170	732
9	कोटा	70	5	89	38	–	202
10.	चित्तौड़	3	–	–	–	–	3
	योग	636	77	249	166	179	1307

आरक्षण/आवंटन 1981-82

क्र. सं.	शहर का नाम	ग्रा. दू. क्रय	अन्य	मध्यम (अ)	मध्यम (ब)	उच्च	योग
1.	अजमेर	5	152	83	13	–	253
2.	अलवर	637	315	372	140	55	1519
3.	भरतपुर	66	–	–	11	–	77
4.	बीकानेर	267	202	148	124	30	771
5.	बून्दी	138	65	54	–	–	257
6.	भीलवाड़ा	105	81	10	52	–	248
7.	चित्तौड़गढ़	36	48	49	8	–	141
8.	गंगानगर	353	314	123	53	–	823
9.	जयपुर	715	687	392	615	84	2493
10.	जोधपुर	289	1256	138	143	29	1855
11.	कोटा	1807	1317	327	993	43	4497
12.	पाली	2	226	20	19	–	267
13.	उदयपुर	640	265	99	85	–	1889
	योग	5060	4928	1815	2236	241	14280

आरक्षण आवंटन 1982–83

क्र. सं.	शहर का नाम	आ. द्. क्र्य	अल्प	मध्यम (अ)	मध्यम (ब)	उच्च	योग
1.	बांसवाड़ा	228	94	34	15	–	361
2.	हनुमानगढ़	160	248	74	12	15	501
3.	सूरजगढ़	22	41	32	18	–	113
4.	झुन्झुनू	86	–	–	–	–	86
5.	कोटा	–	–	–	16	72	88
6.	जोधपुर	–	–	–	18	26	44
7.	अजमेर	–	–	–	15	15	30
8.	भीलवाड़ा	–	–	–	15	19	34
9.	बीकानेर	–	–	–	6	6	12
10.	उदयपुर	–	–	–	5	14	19
11.	अलवर	–	–	–	5	17	22
	योग	496	375	140	115	184	1310

आरक्षण/आवंटन 1983-84 (फरवरी, 84)

क्र. सं.	शहर का नाम	जनता वर्ग	आ. दु. वर्ग	उच्च वर्ग	मध्यम अ वर्ग	मध्यम ब वर्ग	उच्च वर्ग	योग
1.	जयपुर	–	236	274	231	134	43	938
2.	रामगंजमंडी	65	162	90	35	–	–	350
3.	भिवाड़ी	–	189	82	–	72	–	343
4.	बून्दी	–	105	117	52	32	–	306
5.	भरतपुर	–	66	–	–	–	–	66
6.	कोटा	–	611	456	615	289	126	2096
7.	अलवर	–	326	367	152	59	16	822
8.	उदयपुर	–	478	44	94	85	15	716
9.	बारां	–	284	17	3	2	–	226
10.	पाली	–	190	183	19	23	–	355
11.	चित्तोड़	–	130	18	8	7	–	163
12.	जोधपुर	–	1501	126	151	156	31	1965
13.	अजमेर	–	112	20	5	10	18	165
14.	भीलवाड़ा	–	235	133	35	35	–	438
15.	बालोतरा	–	140	21	–	–	–	161
16.	बीकानेर	–	309	235	121	95	51	914
	योग :	65	4996	2836	1519	1018	300	9904

-परिशिष्ट (स)

क्र. सं.	शहर का नाम	कब्जा न दिये गये मकानों की संख्या	कब्जा न दिये जाने के कारण
1.	जयपुर	11	वार्षिक राशि जमा न होने के कारण कब्जा नहीं दिया गया
		1878	मकानों की पूर्णता रिपोर्ट नहीं मिली है।
		88	कब्जा जारी करने की प्रक्रिया में हैं।
		15	मकानों की लागत रिपोर्ट नहीं मिली है।
		33	विवादास्पद प्रक्रिया में है।
		2	मृत्यु संबंधी मामले प्रक्रिया में हैं।
2.	कोटा	1557	लागत का निर्धारण अनुमोदन माह सितम्बर, 1984 में हुआ है।
		190	आवंटियों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई
			कब्जा देने की कार्यवाही जारी है।
		130	न्यायालय का स्थगन था।
		2575	मकानों की कम्पलीशन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।
3.	रामगंजमंडी	352	मकानों की कम्पलीशन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।
4.	बारां	225	मकानों की कम्पलीशन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

क्र. सं.	शहर का नाम	कब्जा न दिये गये मकानों की संख्या	कब्जा न दिये जाने के कारण
5.	बून्दी	368	आवंटियों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई है। कब्जा देने की कार्यवाही जारी है।
6.	श्रीगंगानगर	5	3) विवादस्पद एवं 2) मृत्यु संबंधी मामले है,
		49	आवंटियों द्वारा राशि जमा नहीं कराई गई है।
7.	सूरतगढ़	111	मकान अपूर्ण हैं।
8.	हनुमानगढ़	386	आवंटियों द्वारा राशि जमा नहीं कराई गई है।
9.	बीकानेर	34	कतिपय मामलों में आवंटियों द्वारा पूर्वग्रहण की राशि जमा नहीं कराई गई तथा कुछ में प्रपत्र आदि प्रस्तुत नहीं किये गये।
10.	अलवर	7	आवंटियों द्वारा वांछित राशि व प्रपत्रादि प्रस्तुत नहीं किये गये।
11.	भरतपुर	5	आवंटियों द्वारा वांछित राशि व प्रपत्रादि पेश नहीं किये गये।
12.	पाली	14	आवंटियो द्वारा वांछित राशि व प्रपत्रादि पेश नहीं किये गये।
13.	अजमेर	15	(1) मृत्यु संबंधी मामला (1) आवंटी द्वारा वांछित राशि व प्रपत्रादि पेश नहीं किये गये। (8) पत्रावाली निर्णय हेतु प्रस्तुत की गई है।

क्र. सं.	शहर का नाम	कब्जा न दिये गये मकानों की संख्या	कब्जा न दिये जाने के कारण
			(5) विवाद स्पद प्रकरण
14.	जोधपुर	50	(1) कोर्ट केस के संबंध में विचाराधीन था।
			(16) पत्रावलिया निर्णयार्थ एवं विचाराधीन है।
			(3) वांछित आय प्रमाण पत्र आवंटी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये
			(2) मृत्यू संबंधी मामला
			(5) विवादास्पद प्रकरण
			(31) आवंटी द्वारा वांछित राशि व प्रपत्रादि प्रस्तुत नहीं किये गये हैं
15.	भीलवाड़ा	30	आवंटियों द्वारा वांछित राशि व प्रपत्रादि प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

परिशिष्ट–19

अतारांकित प्रश्न सं. 158 की सूची

मण्डी समिति सोजतरोड व रानी में वर्ष 1980 से मार्च, 1984 तक किये गये विकास कार्यों का विवरण मय व्यय की सूची ।

क. सं.	मंडी समिति का नाम	निर्माणाधीन कार्यों का नाम	राशि जो व्यय की गई (ला॰ में)
1.	सोजत रोड (मुख्य मंडी यार्ड)	1. कार्यालय भवन	1.37
		2. बैंक भवन	0.58
		3. कैटल शेड रेस्ट शेड	2.17
		4. स्ट्रीट लाईट	0.30
		5. गोदाम 5 नं.	2.14
		6. बिजुली का मरम्मत कार्य	0.10
		7. बी. टी रोड मंडी यार्ड से मुख्य बाजार	0.45
2.	सोजत सिटी (गौण मंडी यार्ड)	1. बाउन्ड्री वाल	1.39
		2. ऑक्शन प्लेटफार्म	0.40
		3. सर्वे एण्ड लैंड लेवलिंग का कार्य	0.55
		4, 250 टन क्षमता का गोदाम	1.15
		5. आन्तरिक सड़क	0.12
		योग :–	10.72
3.	रानी	1. कार्यालय भवन	0.75
		2. कृषक विश्राम गृह	1.70
		3. शोप कम गोदाम 15 नं.	4.47
		4. डब्लू. सी. यूरिनल ब्लाक	0.88
		5. शोप कम प्लेटफार्म 10 नं.	2.81
		6. वाटर हट	0.05
		7. केटल वाटर ट्रफ	0.01

क्र. सं.	मंडी समिति का नाम	निर्माणाधीन कार्यों का नाम	राशि जो व्यय की गई (लाभ में)
		8. शोप कम गोदाम 20 नं.	6.00
		9. रिटेल शाप 12 नं.	1.30
		10. आक्शन प्लेटफार्म	0.28
		11. विधुत सप्लाई प्रबन्ध	0.42
		12. 250 मैट्रिक टन क्षमता का गोदाम	1.38
		13. आन्तरिक सड़क	2.91
		योग :–	22.16

परिशिष्ट-20

(अ)

अतारांकित प्रश्न सं. 161 की सूची

पालो जिले की मारवाड़ जंक्शन, रानी व देसूरी पंचायत समितियों में वर्ष 1980 से 1984 तक भू संरक्षण कार्य डी डी पी एवं डी पी ए पी के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का ब्योरा

डी पी ए पी के अन्तर्गत जलगृह क्षेत्र

1. बरकाना बिगरला पंचायत समिति रानी
2. नाडोल, पंचायत समिति देसूरी
3. नारलाई पंचायत समिति देसूरी
4. देसूरी पंचायत समिति देसूरी
5. सादडी पंचायत समिति

डी डी पी के अन्तर्गत जलगृह क्षेत्र

1. नाडोल पंचायत समिति देसूरी
2. वडोद पंचायत समिति देसूरी

पाली जिले में वर्ष 1980 से 1984 तक अकाल राहत के अन्तर्गत कराये गये भू संरक्षण कार्य

पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन वर्ष 1980-81

1.	सिनला	समोच रेखा कार्य पूर्ण
2.	ईसाली	गोचर सुधार ,,
3.	तालाका	तालाब कार्य ,,
4.	सिनला I	गोचर सुधार ,,
5.	सिनला II	,, ,
6.	दुदाल	,, ,,

पंचायत समिति देसूरी

7.	ढालोप	,, ,,

8.	आणा	गोचर सुधार कार्य पूर्ण
9.	दादाई	,, ,,
10.	बेसुली	,, ,,

पंचायत समिति रानी

11.	वरकाना	गोचर सुधार
12.	माण्डल	,, ,,
13.	माकड़ावास	,, ,,
14.	खारडा	,, ,,
15.	खोड	,, ,,
16.	बुसी	,, ,,

वर्ष 1981-82

17.	सिनला	,, ,,
18.	दुदोड़	,, ,,
19.	सिनला	,, ,,
20.	तालका	तालाब कार्य

पचायत समिति देसूरी

21.	सिन्दरली	गोचर सुधार कार्य पूर्ण
22.	आणा	,,
23.	डायलाना	,,
24.	ढानोप	,,
25.	निपल	,,
26.	मगर तालाब	,,
27,	सादड़ी	,,
28.	करणवा	,,
29,	देसूरी	,,
30.	वागोल	तालाब कार्य पूर्ण

पंचायत समिति रानी

31.	किरवा	गोचर सुधार कार्य पूर्ण
32.	चाचोड़ी	,,
33.	गुड़ा देवड़ा	,,
34.	चागवा	,,
35.	खारड़ा	,,
36.	बिजोवा	,,
37.	जवाली	,,
38,	आकड़ावास	,,
39.	माण्डल	,,

वर्ष 1982-83 पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन

40.	जाडन	गोचर सुधार कार्य पूर्ण
41.	जोजावर	,,
42.	हिंगोला	,,
43.	भिमालिया	,,
44.	आकड़ावास	,,
45.	सालका	,,
46.	धामली	,,
47.	मारवाड़ जंक्शन	बाढ़ बचाव कार्य पूर्ण
48.	दुदोड़	गोचर सुधार कार्य
49.	हेमलियावास	तालाब सुधार
50.	गादाना	,,
51.	खारड़ा	,,

पंचायत समिति देसूरी

52.	सादड़ी	गोचर सुधार कार्य पूर्ण
53.	देसूरी	,,

54.	सरथुर	गोचर सुधार कार्य पूर्ण
55.	गिराली	,,
56.	मादा	,,
57.	करणवा	,,
58.	सिन्दरली	,,
59.	कोटड़ा	,,
60.	परछोड़ा नाडोल	,,

पंचायत समिति रानी

61.	गवाली	गोचर सुधार कार्य पूर्ण
62.	खारड़ा	,,
63.	माण्डल	,,
64.	बिजोवा	,,
65.	आकड़ावास	,,
66.	भगवानपुरा	,,

अपूर्ण कार्यों की सूची पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन

67.	राजकियावास	बाढ़ बचाव कार्य अपूर्ण
68.	धामली	खाडीन कार्य अपूर्ण

पंचायत समिति देसूरी

69.	मगर तालाब	गोचर सुधार कार्य अपूर्ण
70.	लापी	,,

पंचायत समिति रानी

71.	खोड़	गोचर सुधार कार्य अपूर्ण
72.	सेदरियाडा	खडीन कार्य अपूर्ण

रद्ध कार्य पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन

73.	सुगालिया	गोचर सुधार कार्य
74.	माडा	,,

पंचायत समिति रानी

75.	वालराई	गोचर सुधार कार्य
76.	बुसी	,,
77.	बुसी II	,,
78.	खोड	बाढ़ बचाव कार्य
79.	निम्बेड़ा	गोचर सुधार कार्य

पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन

80.	रेवडिया	गोचर सुधार कार्य

परिशिष्ट–21

अतारांकित प्रश्न सं. 164 की सूची

वर्ष 1983–84 में प्रधान पंचायत समिति तलवाडा एवं बागीडोरा में नवीन औषधालय खोलने हेतु प्राप्त स्थानों की सूची

क्रम सं.	नाम स्थान
1.	घोडाला
2.	कुशलपुरा
3.	टागरिया
4.	उमराई
5.	मगुडिया
6.	तालिया
7.	सुमतालपुरा
8.	घलोदरा
9.	सागरोद
10.	बहतीपाड़ा
11.	दीरपुर
12.	बादला
13.	छोरतलाव
14.	रूपपुरा
15.	नालदेवरी
16.	ईदाज्या

परिशिष्ट–22

अतारांकित प्रश्न सं. 165 की सूची

सन् 1984–85 में 27 जिलों को अभी तक आवंटित राशि का विवरण

(रा.ग्रा.रो.का.)

क्रम सं.	नाम जिला	जिले को आवंटित राशि	वन विभाग को आवंटित राशि	योग
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	15.00	2.00	17.00
2.	अलवर	10.00	4.00	14.00
3.	बांसवाड़ा	10.00	1.50	11.50
4.	बाड़मेर	35.00	0.75	35.75
5.	भरतपुर	—	3.75	3.75
6.	भीलवाड़ा	15.00	2.00	17.00
7.	बीकानेर	25.00	1.75	26.75
8.	बूंदी	10.00	1.25	11.25
9.	चित्तौड़गढ़	20.00	1.60	21.60
10.	चूरू	20.00	1.50	21.50
11.	धौलपुर	5.00	1.00	6.00
12.	डूंगरपुर	10.00	2.00	12.00
13.	श्रीगंगानगर	—	24.30	24.30
14.	जयपुर	30.00	5.25	35.25
15.	जैसलमेर	20.00	0.35	20.35
16.	जालौर	15.00	0.75	15.75

1	2	3	4	5
17.	झालावाड़	10.00	1.25	11·25
18.	झूंझुनूं	20.00	1.25	21.25
19.	जोधपुर	15.00	1.00	16.00
20.	कोटा	20.00	3.75	23.75
21.	नागौर	—	1.25	1.25
22.	पाली	—	1.25	1.25
23.	सवाईमाधोपुर	15.00	1.50	16.50
24.	सीकर	—	2.00	2.00
25.	सिरोही	10.00	2.50	12.50
26.	टोंक	10.00	1.25	11.25
27.	उदयपुर	25.00	4.25	29.25
	योग :—	365.00	75.00	440.00

परिशिष्ट-23

अतारांकित प्रश्न सं. 165 की सूची

वर्ष 1984-85 में जिलों की राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की वार्षिक योजना में प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य

1. **जिला-सवाईमाधोपुर:—**

क्र. संख्या	नाम कार्य	पंचायत समिति	अनु. लागत रुपये
1	2	3	4
1.	सड़क निर्माण छोटी उदेई	गंगापुर	10946.00
2.	लिंक रोड कोडियाई	बोली	38000.00
3.	सड़क फासलाबाद	हिन्डौन	2000.00
4.	रास्ता कूप खेडा सांकरवाडा	टोडाभीम	11875.00
5.	सड़क नवलापुर	करौली	10000.00
6.	लिंक रोड तलाई के पास गूजर मोहना	महुवा	
7.	लिंक रोड टूडियाना	महुवा	10514.00
8.	लिंक रोड अलीपुर	महुवा	45620.00
9.	लिंक रोड गहनोली	महुवा	10437.00
10.	डब्ल्यू. बी. एम. लिंक रोड सिकरोदा	हिन्डौन	47000.00
11.	लिंक रोड हनुमान जी से पाली टक	महुवा	50000.00

2 **जिला-जयपुर:—**

1.	सड़क व नाली निर्माण ग्रोलियाजी से कालाडेरा	गोविंदगढ़	7523.00

1	2	3	4
2.	हरिजन बस्ती सड़क निर्माण कालाडेरा	गोविन्दगढ़	13900.00
3.	मीना सीमला सड़क	सिकराय	28000.00
4.	सड़क निर्माण कलवाड़ा	सांगानेर	14615.00
5.	सड़क निर्माण प्रागपुरा	विराटनगर	140140.00
6.	सड़क नांघी बाजार फागी	फागी	10000.00
7.	सड़क गोपाल नाठ से दूदू रोड तक	फागी	10000.00
8.	सड़क नाली क. शा. से पुरोहित जी के मकान तक	फागी	10000.00
9.	सड़क व नाली गूजरों के मोहल्ले में खटीकों तक	फागी	10000.00
10,	ग्राम वेजपाड़ा में पत्थरों की सड़क निर्माण	बांदीकुई	15000.00
11.	पत्थरों की सड़क मुहवेड़ा	बांदीकुई	20000.00
12.	सड़क वहरावण्डा से इकाडी	सिकराय	10000.00
13.	कच्ची सड़क सेंडी से सिकराय	,,	10000.00
14.	रास्ता खुदाई चोरू	फागी	10000.00

3. **जिला–अजमेर:–**

1	2	3	4
1.	दूदालेश्वर सड़क निर्माण	जवाजा	39800.00
2.	आसन से वागमाल सड़क आसन	,,	19800.00
3.	ग्राम सापुरा से उ. प्रा. शा. तक सड़क अतीतमण्ड	,,	19800.00
4.	भगवानपुरा मोड़ से बालाजी तक सड़क	मसूदा	39600.00

1	2	3	4
5.	कल्याणी पुरा से ब्यावर रोड	ममूदा	39600.00
6.	उतसी तेजीवाणा रोड	,,	39600.00
7.	देवास से अमरपुरा सड़क	,,	39600.00
8.	बरकला से कलाट सड़क	,,	28700.00
9.	कानाखेड़ा से केसरपुर सड़क	,,	39600.00
10.	भैरू खेड़ा से किराप रोड	,,	31900.00
4.	**जिला–जोधपुर**		
1.	सोयला से पुरीना मार्ग घना रोवला तक सड़क निर्माण	ओसिया	40000.00
2.	पनघट के दक्षिण की ओर तालाव पाल पक्के निर्माण	बिलाडा	15000.00
5.	**जिला–उदयपुर**		
1.	भा. की मदार से सरवारिया सड़क	खमनार	20000.00
2.	माजेला से उमरवाद	,,	20000.00
3.	वडा भानुजी से गावगुडा सड़क	,,	20000.00
4.	रमड़िया बावजी से जंगल सड़क	,,	20000.00
5.	एप्रोच रोड दुर्गा का खेड़ा से सरदारगढ़ राजसमन्द	आमेट	25000.00
6.	एप्रोच रोड माली खेडा से जैतपुरा	,,	25000.00
7.	एप्रोच रोड माली खेडा से घोतुण्डी	,,	30000.00
8.	एप्रोच रोड देवली का गुडा से हवयावास	,,	30000.00

1	2	3	4
9.	एप्रोच रोड नीकापात से माताजी तक	आमेट	15000.00
10.	एप्रोच रोड व गोवल से नमाना	,,	30000.00
11.	एप्रोच रोड भवरदाव जी खेडा से जवालिया तक	,,	30000.00
12.	सालमपुरा से किशनपुरिया	,,	30000.00
13.	एप्रोच रोड पारियो से वाणिया का खेडा	,,	30000.00
14.	एप्रोच रोड घुलकर खेडा टिकड	,,	30000.00
15.	एप्रोच रोड कहौरी	भीम	80000.00
16.	एप्रोच रोड कालटा	,,	50000.00
17.	एप्रोच रोड सवाला से पारिया	,,	30000.00
18.	एप्रोच रोड पीपली	,,	50000.00
19.	सड़क भीमा खेडा	,,	50000.00
20.	एप्रोच रोड आमली से कुशालपुरा	,,	30000.00
21.	चारणी से चारणा बावजी सड़क	रेलमागरा	50000.00
22.	लाटिया खेडा से रेलमगरा	,,	50000.00
23.	सम्पर्क सड़क छापरी	,,	20000.00
24.	सम्पर्क सड़क जिन्देसर	,,	25000.00
25.	भामी कुण्डिसा सम्पर्क सड़क	,,	10000.00
26.	बस स्टेंड से करोलिया	,,	15000.00
27.	रामावतों की भागल	कुम्भलगढ़	20000.00
28.	खेराण सड़क	,,	20000.00
29.	घुरावड से रीछेड तक	,,	60000.00
30.	सामा का खेडा से कालिन्ट	,,	60000.00

1	2	3	4
31.	अन्टालिया से सुखार	कुम्भलगढ़	70000.00
32.	सुखार से रीछेड	,,	70000.00
33.	करछा से लराठी रोड	खेरवाड़ा	50000.00
6.	**जिला-भरतपुर :-**		
1.	लिंक रोड बरोली चौक	डीग	25606.00
2.	कच्ची सड़क बहनेरा	सेवर	8000.00
3.	कच्ची सड़क छापर	,,	15000.00
4.	कच्ची सड़क बासी बिरहना	,,	12000.00
5.	सड़क निर्माण पोलूस खदागया	,,	45000.00
6.	सड़क छोकरवाड़ा से इटरामपुरा	,,	30000.00
7.	सड़क पायेना से बबरवर	,,	100000.00
8.	सड़क भोडालगांव	,,	35000.00
9.	सड़क मरम्मत पहरसर	,,	4480.00
10.	सड़क करीली	,,	8475.00
11.	लिंक रोड आडेली गुदरी	रुपवास	33999.00
12.	लिंक रोड माडापुर	,,	74363.00
13.	लिंक रोड वहेडा से खरेरी	बयाना	40000.00
14.	लिंक रोड बाटवाने से बारेठा	,,	50000.00
15.	लिंक रोड नारोली से संतोकपुरा	,,	30000.00

1	2	3	4
16.	लिंक रोड सीतलपुरा से	बयाना	30000.00
17.	लिंक रोड बागराने	,,	10000.00
18.	लिंक रोड भगोरी से नयागांव	,,	40000.00
19.	कच्ची सड़क निर्माण महर चौक से पक्की सड़क तक	कुम्हेर	50000.00
20.	कच्ची सड़क सांतरूक से नगला चौधरी ग्रोसा	,,	20000.00
21.	कच्ची सड़क मचौला वाला रास्ता	,,	30000.00
22.	कच्ची सड़क जाटवा से मो. से पक्की सड़क	,,	18000.00
23.	कच्ची सड़क घूराबई से नं. वथैया तक	,,	36000.00
24.	बरोली चौक से श्याम-दाक सड़क	डीग	25000.00
25.	एप्रोच रोड नं. दादू	,,	15000.00
26.	कहारीका लिंक रोड	,,	7000.00
27.	सड़क निर्माण बदनगढ़ से सोनगांव	,,	30000.00
28.	कच्ची सड़क इकरान मोड से बांसी विरहना	सेवर	17000.00
29.	कच्ची सड़क जाटोली घना	,,	20300.00
30.	कच्ची सड़क मोरोली कलां	,,	33000.00
31.	कच्ची सड़क बहनेरा से ग्रभयराम	,,	15000.00

1	2	3	4
32.	कच्ची सड़क सरवाडा से संघ	सेवर	12300.00
33.	कच्ची सड़क हेलक रोड से छोपर	,,	19000.00
34.	कच्ची सड़क नं. भगत	,,	18000.00
35.	कच्ची सड़क सेह	,,	28000.00
36.	कच्ची सड़क बगदारी	,,	28000.00
37.	कच्ची सड़क विलोटी	,,	8000.00
38.	कच्ची सड़क से सड़क कंजोली	,,	6000.00
39	कच्ची सड़क कोहनी बंध से अघापुर	,,	12000.00
40.	कच्ची सड़क से तगरेली तक	,,	20000.00
41.	कच्ची सड़क मडरपुर से बुराखर मोड	,,	30000.00
42.	कच्ची सड़क मन्सा मण्डी से खमरा	,,	30000.00
43.	कच्ची सड़क अटोरा से से जोटोली रोड	,,	10000.00
44.	कच्ची सड़क जोटोली से कोलीपुरा	,,	20000.00
45.	सड़क निर्माण घरसोनी से नं.	वैर	25000.00
46.	घूला के नगला से सिरस तक सड़क	,,	50000.00
47.	कलैना से खण्डेली गूजर तक सड़क	,,	50000.00

1	2	3	4
48.	सड़क निर्माण मुहास से वैर तक	वैर	50000.00
49.	चटोली से मटोली तक सड़क	,,	30000.00
50.	रेल्वे फाटक से गांव तक सड़क	नदबई	38000.00
51.	सड़क सिगावली/वैकोरा/नदबई/रुपबास		10000.00
52.	सड़क माडापुरा/माडापुरा	,,	10000.00
53.	सड़क निर्माण बुडवारी कला से मुख्य सड़क	नदबई	300000.00
54.	खरंजा निर्माण खेरली गडसिया सड़क से लखनपुर डिस्पेंसरी तक	,,	32000.00
55.	मी जाटवान सड़क	,,	10000.00

7. जिला जालौर

1.	पनावास से पोषाणा ग्रामीण सड़क	आहोर	50000.00
2.	सोमता से भोटवाड़ा तक एप्रोच रोड	जसवंतपुरा	50000.00

8. जिला सिरोही

1.	दी. एम. रोड़ ओरिया	ओरिया	20330.00
2.	वी./टी. बेव ओरिया	ओरिया	21950.00
3.	डागा से वागदरी सड़क	पिंडवाड़ा	30000.00
4.	सड़क निर्माण खारा	आबूरोड	25000.00
5.	मुख्य सड़क से करोली तक सड़क	आबूरोड	40000.00

9. जिला बून्दी

1.	लिंक रोड सीतापुरा	तालेड़ा	132000.00
2.	लिंक रोड जलोदी	,,	187000.00
3.	लिंक रोड उमरच	,,	150000.00

1	2	3	4
4.	लिंक रोड कुमरावतों की झों.	हिण्डोली	51000.00
5.	लिंक रोड सुखपुरा	,,	32400.00

10. जिला चित्तौड़गढ़

1	2	3	4
1.	सम्पर्क सड़क रतीचन्द्र जी का खेडा से छोटी सादडी	बड़ी सादडी	50000.00
2.	बानरेडा से चौकी तक सडक	निम्बाहेड़ा	40000.00
3.	सड़क भटकोंट्ली	,,	100000.00
4.	सड़क बडोली घाटा से करथला	,,	50000.00
5.	सड़क मंडेसरा से कोलपुरा	भैंसरोडगढ़	50000.00
6.	बस्सी भण्डाकुडी, परसाई सड़क	,,	50000.00
7.	प्रेम पुरा दरीबावाला,गंजघाटी सड़क	,,	50000.00
8.	बोरात्र से प्रतापपुरा सड़क निर्माण	,,	30000.00
9.	भोपालपुरा बोराव सड़क	,,	50000.00
10.	दावत कला से भगवतपुरा सड़क	,,	50000.00
11.	नई आबादी सड़क	बादेतर	10000.00
12.	सड़क निर्माण नई बस्ती	,,	10000.00
13.	सम्पर्क सड़क आकोला से चिकारडा	मदेसर	50000.00
14.	सम्पर्क सड़क ननानवा से सिडावा	,,	100000.00
15.	केसुन्दा से खेजडा सम्पर्क सड़क	छोटी सादड़ी	100000.00
16.	भटखेडा से कारुडा सड़क	,,	50000.00
17.	सम्पर्क सड़क जालोदा केलूखेडा	,,	50000.00
18.	गांव से रेल्वे स्टेशन तक सड़क मांगरोल	निम्बाहेड़ा	50000.00

1	2	3	4
1. जिला झालावाड़			
	1. लिंक रोड पाटल्याकुल्मी	बकानी	25409.00
2. जिला सीकर			
	1. सड़क निर्माण निभरोन	नीमका थाना	49838.08
	2. दिगनाऊ सड़क निर्माण	फतेहपुर	150000.00
3. जिला पाली			
1.	सड़क का कार्य कराडी	मारवाड़ जं.	40000.00
2.	हरिजन बस्ती में सड़क	रोहट	25000.00
3.	गवाई सड़क	सोजत	80000.00
4.	कातला सड़क बिजोवा	रानी	50000.00
5.	वरकाना खरंजा सड़क	,,	100000.00
6.	खरंजा सड़क निर्माण खिवाडा	,,	50000.00
7.	इन्दरवाडा कातला सड़क	,,	40000.00
8.	सोमेश्वर खरंजा सड़क	,,	50000.00
9.	जवाली कातला सड़क	,,	40000.00
10,	भूसी खरंजा सड़क	,,	40000.00
11.	खरंजा सड़क खोड	,,	100000.0
12.	कातला सड़क कीरवा	,,	50000.00
13.	कातला सड़क मांडल	,,	40000.00
14.	कातला सड़क काचोडी	,,	40000.00
15.	एप्रोच रोड सहवास से वगडि नगर	मारवाड़ जं.	45000.00
16.	एप्रोच रोड घनला से कोलपुरा	,,	200000.00
17.	घनला से गुडा दुर्गा सड़क	,,	200000.00

1	2	3	4
18.	एप्रोच रोड ईसाली से मुकनपुरा प्याऊ	मा. जं.	300000.00
19.	एप्रोच रोड मुकनपुरा प्याऊ	,,	100000.00
20.	राजकीयावास से चात्रडिया सड़क	,,	50000.00
21.	राजकीयावास से पडासला खुर्द	,,	50000.00
22.	सड़क मरम्मत कार्य बीठोडाकलां से भगवानपुरा	,,	45000.00
4. जिला टोंक			
1.	बावडी से ढयाणपुरा सड़क	टोडारायसिंह	30534.00
2.	सड़क गांव से भिलाय	[illegible]वाई	40000.00
3.	गड़ के चौक से दूनी दरवाजे तक खरंजा रोड़ आंवा	देवली	10000.00
4.	सड़क मरम्मत नाडी से गुजरी तक	,,	05000.00
5.	स्कूल के सहारे भूरा धोबी के मकान से रामरतन तक सड़क निर्माण	,,	10000.00
6.	सूखा कुम्हार मकसन के कोने से चुंगी के पास सडक	,,	3000.00
7.	गांवड़ी से सीमारामपुरा रोड़ (ग्रामदानी गांव)	,,	10000.00
8.	गांधी ग्राम से आकाडिया सड़क	,,	10000.00
9.	अपूर्ण सड़क बावडी से कल्याणपुरा	टोडारायसिंह	10000.00
10.	केकडी रोड़ से कुहाडी लिंक रोड	,,	8000.00
11.	सरंडा से मोरया टियान सड़क वाया गणेमी	,,	10000.00
12.	लाम्बाहरिसिंह से आजी चारनान सड़क पूर्ण कराना	मालपुरा	30000.00

1	2	3	4
13.	भोपुर नुक्कड़ तक सड़क	मालपुरा	15000.00
14.	डेगवास अरनियां सड़क	,,	15000.00
5. जिला धौलपुर			
1.	गंवाई सड़क ओदी		4450.00
2.	गंवाई सड़क अलहपुरा		9100.00
3.	गंवाई सड़क कामरेकापुरा		8398.00
4.	गंवाई सडक लमईनीम		8398.00
5.	सडक निर्माण खेडा		6145.00
6.	सड़क निर्माण सरानी		8339.00
7.	सड़क मिर्जापुर		14015.00
8.	गंवाई सड़क नुन्हेरा	धौलपुर	10000.00
6. जिला अलवर			
1.	सड़क के कार्य को पूर्ण कराना पीनानकावास	लक्षमणगढ़	50000.00
2.	एप्रोच रोड़, खेडा मेदा	कठूमर	60000.00
3.	अधूरी सड़क गढी सवाईराम	रैणी	15000.00
4.	एप्रोच रोड नया गाँव बोलका से काली खड़कड़ी	राजगढ़	60000.00
5.	सड़क पंभ से मुख्य सड़क तक	,,	60000.00
6.	बाजार में सड़क निर्माण, हाजीपुर	बानपुर	48000.00
7.	बाजार में सड़क निर्माण,सरसोरा	बानपुर	48000.00
8.	बाजार में सड़क निर्माण माजरा अहीर	,,	48000.00

1	2	3	4
9.	बाजार में सड़क-निर्माण, हमीरपुर	बानपुर	48000.00
10.	सड़क निर्माण	बहरोड	60000.00
11.	सड़क निर्माण गूंती	,,	60000.00
12.	अपूर्व सड़क निर्माण, नांगलहीरा	किशनगढ़वास	40000.00
7. जिला झुन्झुनू			
1.	सड़क निर्माण पूर्ण करवाना	बुहाना	60000.00
2.	ग्राम रास्तों में सड़क निर्माण	खेतडी	100000.00
3.	अधूरी सड़क निर्माण डामर डालना	नवलगढ़	30000.00
4.	टजावा से स्टेण्ड तक सड़क	उदयपुरवाटी	30000.00
5.	होसमसर से वडागांव तक सड़क	,,	50000.00
6.	वालाजी स्टेण्ड से वालाजी तक सड़क निर्माण	,,	20000.00
8. जिला भीलवाड़ा			
1.	एप्रोच रोड़ चौधरीडास	कोटडी	40000.00
2.	देवपुरा तक सड़क	बनेडा	20000.00
3.	सड़क कजलरेदिया से कमालपुरा	,,	20000.00
4.	खेडामाता बेजासरोड	मांडल	10000.00
5.	सरडाखेडा रोड	,,	20000.00
6.	पांसल रोड	,,	20000.00
7.	काटवडा सड़क	मांडलगढ़	15000.00
8.	अनवाला सड़क	,,	30000.00
9.	हनुमान जी की बनी तक सड़क	,,	30000.00
10.	पारीक पार्क से रोड़	,,	30000.00

1	2	3	4
11.	एप्रोच रोड़ कोशीथल	रायपुर	60000.00
12.	बावजास सड़क	,,	30000.00
13.	बीकाडी रायपुर रोड़	,,	20000.00
14.	जहाजपुर सड़क	शाहपुरा	40000.00
15.	चार मील से सड़क	,,	30000.00
16.	धनेजवर सड़क	,,	30000.00
17.	प्रतापपुरा से शाहपुरा सड़क	,,	30000.00
18.	कोटडी समोडी सड़क	सुवाणा	10000.00
19.	कोटडी दरिबा सड़क	,,	10000.00
20.	गोर्धनपुरा सड़क	,,	30000.00
21.	भीवाड़ा माधो का खेड़ा सड़क	,,	20000.00
22.	चुवाला एन. एन. रोड़	हरड़ा	10000.00

(भाग 1 व 4 की सूची)

परिशिष्ट-24

अतारांकित प्रश्न सं. 167 की सूची

जिला-कोटा

तालिका वर्ष 1983-84

क्र. सं.	नाम फर्म जिसका माल जब्त किया गया	जब्ती का दिनांक	जब्त माल का विवरण	जब्त माल की मात्रा	अनुमानित मूल्य	निर्णय जिलाधीश	जब्त शुदा माल दूसरी जगह पर पड़े हुये का विवरण	अदालत में चालान पेश हुआ या नहीं	परिणाम क्या रहा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	रामकुवार आ. रामप्रताप सांगोद	13.4.83	केरोसिन	240 लीटर	481.20	राजसात	विक्रय हो चुका है	एफ. आई. आर. दर्ज कराई 22.6.83	सांगोद थाना
2.	आनन्द किराना स्टोर कोटा	13.5.82	गेहूं	48 क्वि.	6,240.00	6 क्वि. जब्त शेष रिलीज	,,	एफ. आई आर. दर्ज 26.5.83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	बीकानेर नमकीन मिस्ठान भण्डार कोटा	26.4.83	पामआयल	19 टिन	2,6?0.00	राजसात किया	विक्रय हो चुका		
4.	भैरूलाल महावीर प्रसाद ईटावा	18.6.83	गेहूं	44.19 क्वि.	6,643.50	विचाराधीन			--
5.	जैन बुक डिपो, कोटा	27.7.83	अभ्यास-पुस्तिका	349	46?85	रिलीज की गई	,,		
6.	अशोक बुक डिपो कोटा	,,	,,	274	356.00	,,			
7.	मनीश बुक डिपो कोटा	,,	,,	751	515.20	,,			
8.	भण्डारी स्टोर्स एण्ड स्टेशनर्स कोटा	,,	,,	3133	3,800.00	,,			
9.	बृजमोहन ग्रा. बजरंग लाल खातोली तह. पीपल्दा	21.7.83	केरोसिन	283 लीटर	614.00	राजसात	विक्रय हो चुका है	एफ. आई. आर. दर्ज 1.11.83	खातोली थाना
10.	उमेश ओटो सेन्टर सुल्तानपुर	30.4.83	डीजल	18 ,,	70.00	,,			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	नारायणलाल रामगोपाल छीपाबडोद	15.9.83	चना, दाल अलसी व मूंग	18.15 क्वि.	5,353.00	विचाराधीन	विक्रय हो चुका		
12.	ओमप्रकाश विरधीलाल कवाई	15.12.83	मक्का, चना जौ व सोयाबीन	101 बोरी	12,036.00	,,	,,		
13.	अब्बासअली आ. ईस्माईल खां बांरा	21.12.83	चावल, चावल, कनकी धान व पेडी	47.15 क्वि.	13,000.00	राजसात	सुपुर्दगी में सलीम भाई वोहरा बांरा के पास विक्रय कर दिया	अपील राज्य सरकार के पास विचाराधीन है।	
14.	लावारिस केरोसिन छबडा	11.1.84	केरोसिन	60 लीटर	150.00	,,	,,	,,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	रामस्वरुप शर्मा एम. पी. एस. डीलर छबड़ा	27.1.84	केरोसिन	18 लीटर	41.62	विचारा धीन	विक्रय कर दिया		
16.	जलचम्बल सर्विस स्टेशन नयागांव कोटा	22.2.84	डीजल	600 लीटर	2,076.00	विचारा-धीन	विक्रय कर दिया		
17.	अब्दुल अजीज पुत्र अ. हमीद लाडपुरा कोटा	10.3.84	केरोसीन	40 ,,	81.00	,,	सुपुर्दगार के पास पड़ा है।		
योग :-					54,665.37				

अप्रेल, 84 से अगस्त, 84 तक

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	लावारिस केरोसिन पीपल्दा	26.4.84	केरोसिन	420 लीटर	996.80	राजसात	विक्रय हो चुका		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	राजेन्द्रकुमार एम. पी. एस. डीलर माण्डलीया तह. लाडु	11.[illegible].84	लेवीचीनी	4 क्वि.	1,600.00	विचाराधीन	सुपुर्दगीदार के पास पड़ा हुआ है		
3.	महिला गृह उद्योग सह. स. एम. पी. एस. 111 खेड़ली फाटक कोटा	1.6.84	,,	197 किलो	788.00	,,	,,	एफ. आई. आर. दर्ज 7.8.84	भीममण्डी थाना
4.	नाथूलाल जगनाथ विजयवर्गीय नई धान मण्डी	18.6.84	अलसी	1955 ,,	11,000.00	,,			
5.	भंवरलाल सागरचन्द लाड़पुरा कोटा	27.6.84	गेहूं	29 क्वि.	5,408.00	,,			
6.	ओमप्रकाश एन्ड ब्रदर्स कोटा	,,	लेवीचीनी	10 बोरी	3,996.00	,,	विक्रय हो चुका है	एफ. आई. आर. दर्ज 11.7.84	नयापुरा थाना

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	यादव ब्रदर्स बारा	30.6.84	केरोसीन	900 लीटर	1,8000.00	विचाराधीन	सुपुर्दगार के पास		
8.	मथुराप्रसाद पारासर डडवाड़ा कोटा	3.7.84	सीमेंटलेवी नानलेवी	37 कट्टे 88 ,,	6,854.00	,,	विक्रय करा दिया	एफ. आई. आर. दर्ज 11.7.84	भीमगंजमंडी थाना
9.	मनोहरलाल गुप्ता रामपुरा कोटा	5.7.84	चाय	101 ,,	95,025.00	,,	सुपुर्दगार के पास	एफ. आई. आर. दर्ज 11.7.84	रामपुरा कोतवाली
10.	लावारिस केरोसिन अटरू	30.7.84	केरोसिन	210 लीटर	435.70	राजसात	विक्रय हो चुका है।		
	योग :–				1,27,903.50				

आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बून्दी जिले में व्यापारियों से जब्त माल का विवरण (भाग 1 व 4 की सूची)

क्र. सं.	वर्ष	माह	नाम व्यापारी	जब्त माल का विवरण	अनुमानित राशि रुपया	स्थान जहां-2 माल अभी पड़ा है अथवा डिस्पोजल किया
1.	83-84	26-4-83	क्रय विक्रय सह. समिति नैनवा ब्रान्च दर्रे	158 क्वि. 56 किलो चना	35000	"6ए" के तहत कार्यवाही में 157/56 किलो चनाफार्म को वापस किया जाकर क्वि. जब्त सरकार किया गया जिसकी धनराशि विक्रय रु. 210/- जरिये चालान संख्या 254 दिनांक 10.10.84 द्वारा जमा सरकार कराई गई।
2.	83-84	15-3-84	त्रिलोकचन्द उचित मूल्य की दुकान इन्द्रगढ़	4 क्वि. 50 किलो 500 ग्राम लेवी चीनी	1800	'6ए' आ. व. अधिनियम के अन्तर्गत जिलाधीश महोदय द्वारा उक्त चीनी को जब्त सरकार किया गया जिसे सरकार द्वारा निश्चित भाव '4/- रु. प्रति क्वि. उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से बिक्री करा रु. 1802/-

1	2	3	4	5	6	7
						चालान संख्या 122 दिनांक 11.10.84
3.	83–84	15–3–84	मै. प्रयर राईस एण्ड दाल मिल बून्दी	7 क्वि. 95 किलो 500 ग्रा. चावल व कणी	3000	श्री बाबूलाल माली पुत्र श्री रामगोपाल बून्दी की सुपुर्दगी में दिया हुआ है।
4.	83–84	27–4– 4	मै. शिवराम आयल मिल	18 टिन अलसी का तेल	3500	श्री रतनलाल गुप्ता पुत्र श्री आनन्दी लाल गुप्ता देवजी के थाने की सुपुर्दगी में है।
5.	83–84	17–4–84	मै. प्रेमचन्द जितेन्द्र कुमार हिण्डोली	50 किलो मटर और 70 किलो सरसों	225+280 505	25 किलो मटर एवम 35 किलो सरसों '6ए' के तहत जब्त सरकार की गई नीलामी द्वारा विक्रय की कार्यवाही जारी है शेष माल जिलाधीश महोदय के आदेश से फर्म को वापिस किया।
6.	83–84	26–4–84	मै. डालूराम खेमचन्द्र बून्दी	9 टिन रिफाइन्ड तेल व 15 क्वि. 30 किलो सल्फर चीनी	2070+6150 8220	श्री किशनचन्द पुत्र श्री तोलाराम सिन्धी बालचन्द्र पाडा बून्दी की सुपुर्दगी में है '6ए. मे जेट कार्यवाही में है।

(भाग 1 व 4 की सूची)

जिला झालावाड़

क्र. सं.	व्यापारी का नाम	छापा डाले जाने का दिनांक	माल जो जब्त किया गया	अनुमानित राशि	कार्यवाही जो की गई	जब्त शुदा माल जहां पड़ा हुआ है	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	मै. महावीर प्रसाद लाभ चन्द्र महा. निवासी सारोला कलां तह. खानपुर	18–6–83	गेहू 24 बोरी अलसी-101 बोरी ज्वार-33 बोरी चना-30 बोरी	60,000/–	19-6-83 को थाना सारोला कला में एफ. आई. आर. दर्ज कराने पर पुलिस द्वारा अदालत में चालान प्रस्तुत किया गया, प्रकरण न्यायालय में जेरकार है। 6 (ए) के तहत माल के निस्तारण के आदेश जिलाधीश	जब्तशुदा माल श्री खेमराज वल्द बजलाल नि. शिवनगर ढाणी की सुपुर्दगी में है।	एस. डी. एम. अकलेरा एवं प्र. अधिकारी अकलेरा द्वारा यह छापा डाला गया था। व्यापारी लाइसेन्स होल्डर नहीं है।

1	2	3	4	5	6	7	8
					महोदय से 23-9-83 को हो जाने पर एस. डी. एम. अकलेरा द्वारा निस्तारण की कार्यवाही जारी है।		
2.	श्री सूरजमल हर बक्श महाजन निवासी बकानी तह. झालरापाटन	11–8–83	चीनी–20 बोरी डालडा-10 टिन आइल 840 किलो	26,000/-	थाने में एफ. आई. आर. दर्ज कराने पर प्रकरण में एफ. आर. लग चुकी है। 6-ए के (तहत जिलाधीश महो. के) माल निस्तारण के आदेश दि. 14-9-83 के अनुसार	जब्तशुदा माल श्री रामनारायण पुत्र परमानन्द कुल्मी नि. बकानी की सुपुर्दगी में था, जो तहसीलदार झालरापाटन द्वारा झालरा-	यह छापा जिला रसद अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षक झालरापाटन द्वारा डाला गया था। यह व्यापारी लाइसेंस होल्डर नहीं है।

1	2	3	4	5	6	7	8
					प्र. नि. द्वारा निस्तारण की कार्यवाही जारी थी, किन्तु दि. 25-6-84 को खाद्य विभाग से स्टे प्राप्त हो जाने से कार्यवाही रुकी हुई है।	पाटन में मगाया जाकर कार्य. निलामी की जा रही थी, किन्तु खाद्य विभाग से स्टे प्राप्त हो जाने से स्थगित है।	

418

परिशिष्ट–24

अतारांकित प्रश्न संख्या 171 की सूची

सम्बन्ध में सूचना का विवरण :–

वर्ष	नाम तहसील	आवंटन				मांग
		गेहूं		चीनी		
		टन	बोरी	टन	बोरी	
1982–83	नोखा	3700	37000	841.2	8412	तहसील नोखा में 1982–83, 1983–84 एवं 1984–85 में तहसीलदार द्वारा गेहूँ, चीनी व सीमेंट की कोई मांग प्रस्तुत नहीं की गई बल्कि जिला प्रशासन द्वारा जनसंख्या एवं उपलब्धता के आधार पर आवंटित की गई थी।
1983–84	,,	1180	11800	908.4	9084	
1984–85	,,	1200	12000	697.8	6978	